



STATUS *of* ADIVASI LIVELIHOODS 2022

MADHYA PRADESH *and* CHHATTISGARH



*Uncovering insights and driving change through a
comprehensive analysis of household surveys in tribal-dominant districts
of Madhya Pradesh and Chhattisgarh*





अर्जुन मुंडा
ARJUN MUNDA



संयुक्त राष्ट्र
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE



सत्यमेव जयते



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

मंत्री
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110001

संदेश

मुझे प्रसन्नता है कि "प्रदान" संस्था ने आदिवासी समुदायों के आजीविका से संबंधित उल्लेखनीय अध्ययन पिछले कई वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों में किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जनजातीय बहुल राज्य हैं और यहां निवासरत विभिन्न समुदायों के जीविकोपार्जन का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। संस्था ने दोनों राज्यों के लगभग 6,000 परिवारों के सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट संकलित किया है। इस रिपोर्ट में जनजातीय समुदायों के विभिन्न पहलुओं जैसे शैक्षिक स्तर, भूमि संबंधी जानकारी, वन संपदा पर निर्भरता, जीवन-यापन के मार्ग एवं आय के विभिन्न संसाधनों पर जानकारी दी गई है।

मैं "प्रदान" संस्था के इस प्रयास की सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि उनकी यह उपलब्धि दोनों राज्यों में आदिवासी समाज के कल्याण हेतु कारगर सिद्ध होगी। जनजातीय समुदाय की उपलब्धियां देश की प्रगति के लिए काफी अहम हैं।

संस्था द्वारा आदिवासी समाज कल्याण की दिशा में योगदान हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(अर्जुन मुंडा)

नई दिल्ली

दिनांक:- 10 अगस्त, 2023

FOREWORD



I am delighted to present the 2022 report on the "Status of Adivasi Livelihoods," covering Scheduled Tribes and Particularly Vulnerable Tribal Groups from Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

Throughout history, these communities have endured displacement and dispossession due to mineral resource extraction, dam construction, industrial setups, and wildlife sanctuaries. Coupled with marginal land holdings, rugged terrains, limited irrigation, and depleting forest resources, these factors have significantly impacted the lives of Adivasis, often forcing them to seek menial jobs in urban areas. Consequently, the Adivasis, especially those in the central Indian region, have become one of the most marginalized sections in our country.

Over the years, the government of India has been earnestly working towards the development of Adivasis. The current union government, in particular, is deeply committed to improving the living conditions of Scheduled Tribes (ST) and Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) communities. Significant budget allocations have been made to the Development Action Plan for Scheduled Tribes (DAPST), with a substantial increase in funds dedicated to the Ministry of Tribal Affairs. Additionally, there is a renewed focus on uplifting the living conditions of PVTGs, with a dedicated fund of ₹15,000 crore allocated for their socio-economic development over the next three years.

In line with these efforts, the state governments of Madhya Pradesh and Chhattisgarh have also taken proactive steps by

allocating considerable funds for tribal development and employment schemes.

PRADAN, having worked extensively in the Central Indian belt for four decades, has been dedicated to improving the livelihoods of marginalized communities, with around 60% of our outreach being the scheduled tribe communities. Many other Civil Society Organizations are also diligently contributing to the well-being of Adivasis, emphasizing livelihoods and other essential areas.

In this journey, we recognized the need to collectively build knowledge on the current status of Adivasi livelihoods, the challenges they face, and the opportunities for meaningful engagement. As of now, there exists a dearth of such information, which prompted us to initiate the process in 2021 to publish periodic reports on the Status of Adivasi Livelihoods (SAL).

In the inaugural year, we focused on Jharkhand and Odisha. This year, we are covering Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The report aims to create a robust database enabling comparisons between scheduled tribe communities and others living in close proximity, while also generating evidence for government agencies, NGOs, and practitioners to enhance the quality of their work.

Throughout this process, we have conducted consultation meetings with civil society organizations and government officials in both states, incorporating their valuable inputs in finalizing the report. Additionally, we have collaborated with the Anamaya tribal health collective of the Piramal foundation for the dissemination of this report.

I am optimistic that this report will significantly contribute to the knowledge pool, empowering stakeholders to make informed decisions and accelerate the efficiency and impact of ongoing efforts towards inclusive and self-determined development of tribal peoples in India.

Saroj Mahapatra

Executive Director

PRADAN

Delhi, August 2023



PRADAN released its first inaugural report on the Status of Adivasis Livelihood (SAL) in 2022, focusing on the livelihood status of the Adivasis for the states of Jharkhand and Odisha. The report's objective was to comprehend the impact of PRADAN's and various other agencies' initiatives on the livelihoods of these regions. Notably, the report provides a comprehensive analysis by contextualizing and investigating various factors, including the broader regional context, district specifics, sources of livelihood, ecological settings, physical infrastructure (such as road conditions and communication means), social infrastructure (pertaining to health and education), individual and communal assets, and cultural dynamics. It sheds light on distinct outcomes across populations, regions, and states.

STATUS OF ADIVASI LIVELIHOODS (SAL) 2022

I am delighted to learn that PRADAN has taken this initiative a step further and has now come up with a similar report for the states of Chhattisgarh and Madhya Pradesh. The report is based on the study of 6019 households spread over 55 blocks in 22 districts of Chhattisgarh and Madhya Pradesh and the findings are interesting and revealing. Importantly, the report maintains consistency with the contextual parameters outlined in the earlier report for Jharkhand and Odisha, ensuring a framework for evaluating Adivasi livelihoods across different states in the future.

There is hardly any doubt over the value of such reports not only for the PRADAN but also for the larger population such as students, researchers, policymakers, and government functionaries. The value of such reports would be even greater if such studies are carried out at periodic yearly intervals. Undoubtedly, this endeavour will significantly contribute to the assessment and comprehension of the enduring and sustainable impact of the intervention.

Virginius Xaxa

राजेश तिवारी
सलाहकार
माननीय मुख्यमंत्री



छत्तीसगढ़ शासन
D-1/8, ऑफिसर्स कॉलोनी, देवेन्द्र नगर,
रायपुर, छत्तीसगढ़
ई-मेल : tiwarikanker@gmail.com

क्रमांक : 150
दिनांक : 27.07.2023

संदेश

—00—

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान इसके आदिवासी समुदायों, उनकी अनूठी भाषाओं, जीवंत त्योहारों, लोक संगीत और नृत्य रूपों, उत्कृष्ट हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजनों और आध्यात्मिक मान्यताओं से है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि इसके मूल निवासी की गहरी विरासत को दर्शाती है और राज्य के अद्वितीय सांस्कृतिक ताने-बाने में योगदान करती है। छत्तीसगढ़ का लगभग 44 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है, जो अच्छी वर्षा और तुलनात्मक रूप से कम जैविक हस्तक्षेप जैसी अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों के कारण जैव विविधता में बहुत समृद्ध है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न पहल लागू की हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, भूमि अधिकार, कौशल विकास और आजीविका संवर्धन से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार को मान्यता देने में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। अनुसूचित जनजाति समुदाय और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को 4.41 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 46000 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार वितरित किये गये हैं। हालाँकि, आदिवासियों के जीवन में पर्याप्त सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासों और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने, भूमि अधिकार सुरक्षित करने, स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देने, कौशल विकास के अवसर प्रदान करने और सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने पर केंद्रित हो। प्रदेश के वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर 61 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। नागरिक समाज संगठनों, एजेंसियों, और स्वयं आदिवासी समुदायों के बीच सहयोग टिकाऊ समाधान बनाने के लिए आवश्यक है जो आदिवासियों की आजीविका को ऊपर उठाकर छत्तीसगढ़ को समग्रविकास की ओर लेके जा सकता है।

भवदीय,

(राजेश तिवारी)

CONTENT

Acknowledgment	8
Status of Adivasi livelihoods 2022 at a glance	11
Introduction	46
Scheduled tribes in India	48
"Development" and the adivasi people	50
Madhya Pradesh and Chhattisgarh	51
About this report	53
01- Methodology of the study	55
02- Social and cultural ethos in which livelihoods are practised	65
03- The resource base within which livelihoods are practised	71
04- Infrastructure and resource development	75
05- Household attributes	87
06- Adivasi livelihood practices	107
07- Livelihood outcomes	133
08- Women and livelihoods in adivasi society	151
09- Analysis: Association between resources and livelihoods outcomes	173
10- Conclusion	181
11- Annexure	185





On behalf of PRADAN, we acknowledge all those who contributed in different ways to come up with this report.

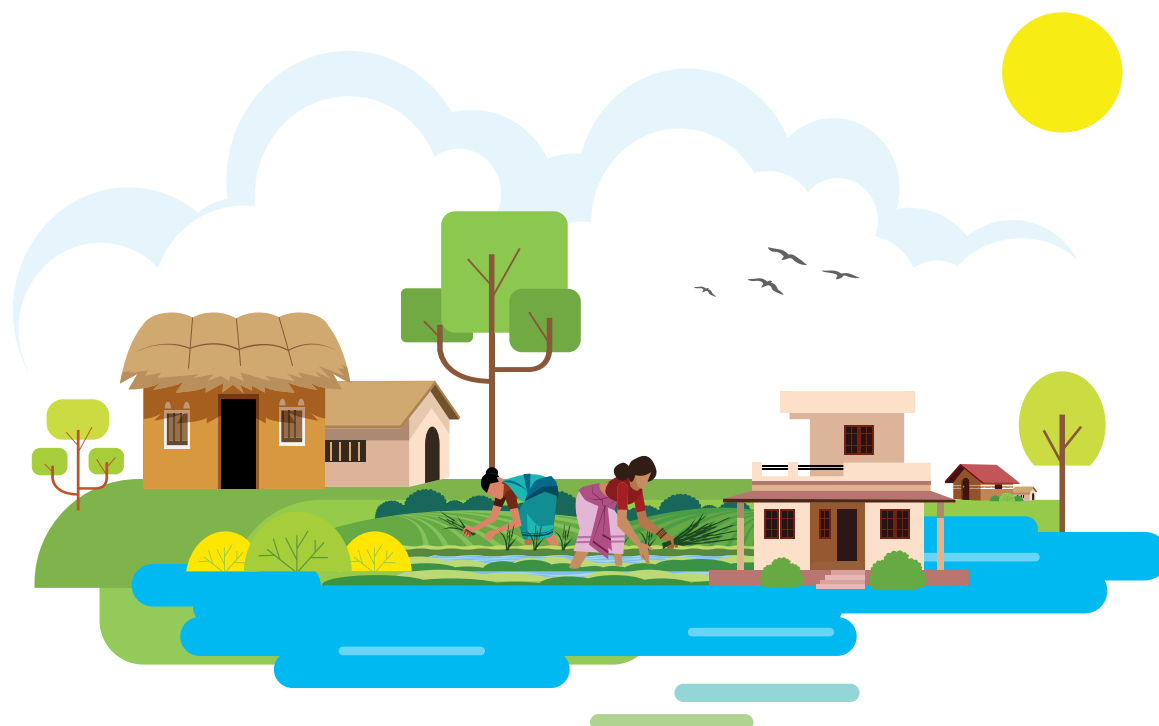
The study group: This is the core group that designed the study methodology and tools, coordinated data collection, analysed the data and drafted the report. Members of this group also conducted interviews with the Adivasi intellectuals and leaders. The Study Group members are Amit Kumar (PRADAN), Amit Kumar Singh (PRADAN), Dibyendu Chaudhuri (PRADAN), Kiran Limaye (Consultant), Nalini Kant Gaudo (PRADAN), Parijat Ghosh (PRADAN), Ramneek Panesar (PRADAN), Sudarshan Thakur (PRADAN)

ACKNOWLEDGMENT

Data collection and consolidation: Akansh Soni (MUST), Anuradha Singroure (PRADAN), Bharat Namdeo (JBSK), Bhoopendra Singh (SANGATA SAHABHAGI GRAMIN VIKAS SANSTHAN), Chirag Shakuntala Bariya (PRADAN), Dinesh Jaiswal (PRADAN), Dharendra Mishra (Agrocrats Society For Rural Development), G Tarun Kumar (PRADAN), Himadri Das (PRADAN), Kamal Singh Dewal (CARD), Khushbu Bisen (PRADAN), Mamta Kujur(Jashpur Jan Vikas Sanstha), Prajakta Kale(MGSA), Preetam gupta (PRADAN), Rajesh Kumar Mishra (SRIJAN), Ramdas Nagre (Pararth Samiti), Rijwan (PRADAN), Roshan Patil (GREEN Foundation), Sabira Yaqoob (PRADAN), Sanket Joshi (PRADAN), Shakir Pathan(Samavesh), Shiv Jhadi (Saathi Samaj Sevi Sanstha), Sohan Vishwakarma (PRADAN), Somesh Vijay Dhongade (PRADAN), Soumya Ranjan (Samerth Charitable Trust), Suresh Patel (CARM-DAKSH), Tulasi Charan Pradhan(PRADAN).

198 enumerators and supervisors collected the household data and village-level data



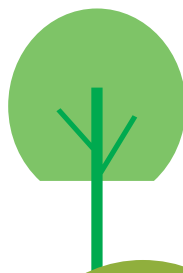
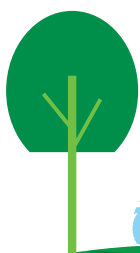


Report and web page designing: A team from PRADAN comprising Dibyendu Chaudhuri, Parijat Ghosh, Souparno Chatterjee, and Sudhir Sahni designed the hard copy and webpage layout of the report.

Internal review: The report was reviewed by a team comprising Diva Rasmi Chaudhury, Kuntal Mukherjee, Manoj Kumar, Sameer Kumar, Sanket Ranjan Joshi, Satish Patnaik, Sonubal I.V, Sumendera Punia.

Advisory team: Dr. Virginius Xaxa, Manas Satpathy, Dr. Sanjiv Phansalkar, Saroj Mahapatra, Tamali Kundu.

Dissemination partner: Anamaya, the Tribal Health Collaborative
Many more people than we can count were instrumental in helping us put together this report. Their support was absolutely crucial, and without their valuable contributions, we wouldn't have been able to finish the study and compile this report. We want to express our sincere gratitude to each and every one of them.



STATUS OF ADIVASI LIVELIHOODS 2022 AT A GLANCE





A METHODOLOGY

The study covers the following six aspects for assessing the State of livelihoods of Scheduled Tribes/Tribes/Adivasis:

- Cultural ethos in which livelihoods are practised
- The resource base within which livelihoods are practised
- External interventions in terms of infrastructure and resource development
- Attributes of households themselves
- The specific activities practised in livelihoods
- Livelihood outcomes



A household survey across 22 districts and 55 blocks with 6,019 households in Madhya Pradesh and Chhattisgarh; of these 4,745 are Adivasi, 393 are PVTG, and the rest 881 were non-Adivasi households. Focus group discussions in 50 villages to obtain the observations and views of Adivasi communities. 28 leading Adivasi and Non-Adivasi persons closely associated with and knowledgeable about the Adivasi question were interviewed in-depth. The survey was conducted from May 2022 to July 2022 in Madhya Pradesh and from May 2022 to August 2022 in Chhattisgarh. Unless mentioned otherwise, the tables in this report are based on the primary survey.



B CULTURAL ETHOS



“Cultural practices, ideologies, and aspirations are changing, and to me, this is the process of evolution. Things are not the same as they were 40 years ago; interaction with the outer world and cross-cultural learning have led to this. However, we cannot stop our interaction with the outer world to stop this change; that will be detrimental to our own survival.

-Alice Lakra

“There are differences between the Baiga and other tribal groups. For example, there are four major forms of Baiga dance: Baiga prabhumi, Baiga Karma, and Baiga phaag aur Ghodi Pethaai. Whereas the Gond dance forms are Saila, Reena, and Danda. They also have karma, which is different from Baiga karma. Baiga tattoos and those of Gonds are also visually different.

-Arjun Singh Dhurve



“Although adivasis are not part of the caste system, it is not completely free from hierarchies. Within adivasi communities, there are certain hierarchies and differences in rituals and practices.

-Alice Lakra

“If Adivasis change their values, worldview, and lifestyle, they will not be called Adivasis anymore. The traditional systems and processes are pillars of Adivasi society, and we do not want to dilute them; otherwise, we shall be forced to either move towards Hinduism or Christianity.

-Manak Darpatti



“Our ancestors worked hard to make the agricultural lands and handed them over to us. But the younger ones who are migrating to earn money are getting alienated from their land. Gradually, someone else will take control over their land, and the next generation will be left with no land in their possession. It will be helpful if the government creates more income-generating options in the village itself using the existing land and other resources. This is the only way to protect Adivasi values and culture.

-Mamta Kujur

“I think one thing that Adivasis should learn from non-Adivasis is to be a little more business-minded. Adivasis are not good entrepreneurs; they are happy with whatever little they have.

-Godavari Maravi





“ The Adivasi samaj is divided into a totem system, and in most cases, these totems are different species of local flora and fauna. The people from a particular totem protect their totem, and if there are 500 totems in an area, 500 species will be protected. So, protecting natural diversity is ingrained in their system.

-Ashwini Kange

“ Adivasis do not accumulate wealth. They work to meet their needs. They work hard. Adivasis have a high level of self-esteem; they never beg.

-Sampatiya Uikey



“ Adivasis do not think or care about the future; they only think about today's food. On the other hand, non-advansi think and care about the future, and according to that, they do their business. Children from non-advansi communities start their work or business from childhood, but our children do not do that. We should also learn to do the same so that we can also prepare for tomorrow.

-Anusuya Maravi



GOVT AND NON-GOVERNMENT INTERVENTIONS



“ To implement CFR effectively, there is a need to strengthen the system so that the Adivasi community can manage the forest resources. Also, awareness of PESA needs to reach each individual in the village.

-Lata Netam



“ The responsibility of implementing the FRA was given to the tribal department, and most of the staff who are responsible do not have any clear understanding of the context or the act. If the act is to be implemented in its true spirit, those who are responsible for implementing it need to be well-intended and properly equipped.

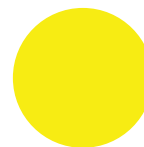
-Balwant Rahangdale



“ The government is working for the upliftment of Adivasis and PVTGs through various schemes and projects. However, in many cases, that is leading to the loss of their traditional knowledge and practices. For example, through the Pradhan Mantri Awas Yojana, old mud houses are being replaced with concrete structures. But with that, their knowledge about how to make houses suitable for their needs and weatherise also getting redundant. The knowledge of growing and processing the grass and, long leaves that were being used for making those traditional houses is getting lost. It will be helpful if traditional knowledge is taken into consideration while drafting these schemes. In this example, improving the houses using their traditional materials and methods will also cost less than the concrete houses.

-Etwari Baiga





“Adivasi communities have their own customs, and that has been recognized through the PESA. The Act very categorically says about respecting and acknowledging the customary laws. This act can be a strength for the Adivasi communities and can differentiate them from the rest of mainstream society.

-Alice Lakra



“PM Awas Yojana has also been very beneficial to Adivasi women. Many times earlier, men used to abandon their wives to marry other women. Abandoned women had to leave their in-laws houses. Now, houses built under PM Awas are in the name of women. This has helped women, as they can't be ousted from their houses.

-Sampatiya Uikey



“FRA made a good beginning, although more needs to be done. Improving forest-based livelihoods is one area where both the government and CSOs need to work so that they get more value for the forest produce. Access to the market is still an issue, and value addition may help in linking with the market.

-Pallavi Jain Govil



“SHGs have helped women improve their economic situation through saving, taking loans, and doing business.

-Sampatiya Uikey



“Before designing anything for the people, we need to understand their cultural heritage. It is very important because our perspectives and ideas may not match their needs and priorities. And because of this mismatch, many schemes and projects are not reaching the intended goal. It is not essential that the community accept anything given to them, and program planners and policymakers need to take note of this.

-Dr. Saibal Jana



“In Chhattisgarh, the government has recognized that language is a very important ingredient in the development of any community. Therefore, the government included the local dialect and language as one of the mediums for primary education. For example, in Bastar, children are being taught in the Halbi or Gondi language.

-Alice Lakra





ROAD CONNECTIVITY

Villages linked to block headquarters
by all-weather roads

Madhya Pradesh

ADIVASI 78%

Roads in
good condition 62%

NON-ADIVASI 79%

Roads in
good condition 54%

PVTG 80%

Roads in
good condition 64%

Chhattisgarh

ADIVASI 80%

Roads in
good condition 78%

NON-ADIVASI 100%

Roads in
good condition 88%

PVTG 82%

Roads in
good condition 64%

SAL 2021 shows

Villages linked to block headquarters
by all-weather roads

Odisha

ADIVASI 72%

Roads in
good condition 47%

Jharkhand

ADIVASI 74%

Roads in
good condition 58%

National average is **68%** as per the survey by
Mission Antyodaya, Government of India, in the
year 2020¹.

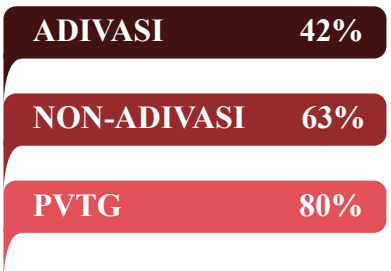
¹<https://missionantyodaya.nic.in/ma2020/preloginStateFacilityReports2020.html>



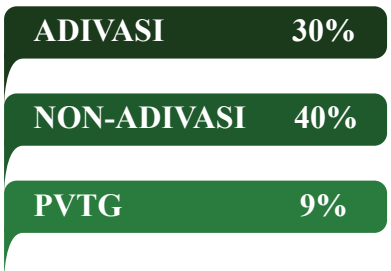
PUBLIC TRANSPORT



Madhya Pradesh



Chhattisgarh



are linked to block headquarters by public transport.

SAL 2021 shows



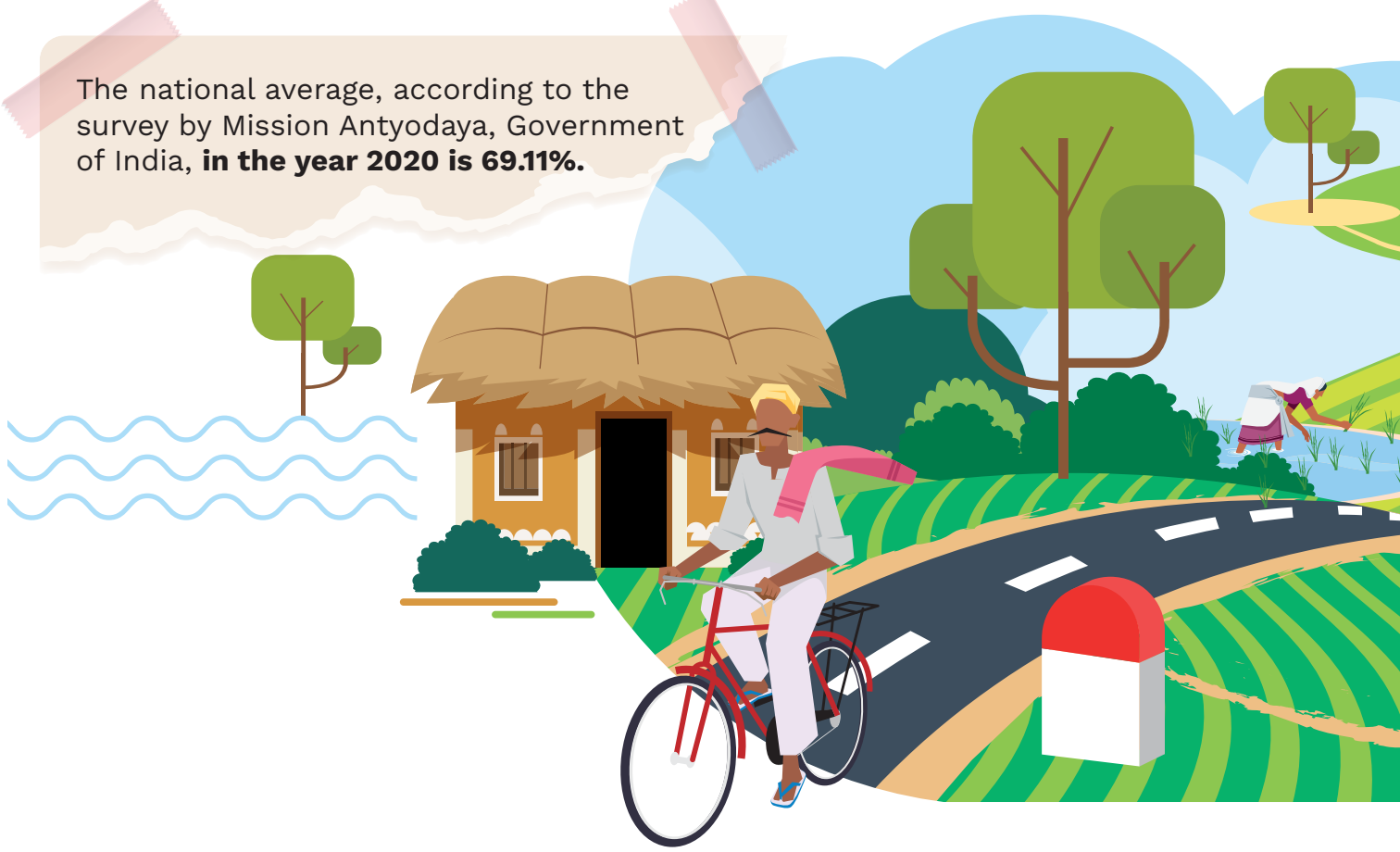
Odisha



Jharkhand



The national average, according to the survey by Mission Antyodaya, Government of India, **in the year 2020 is 69.11%.**



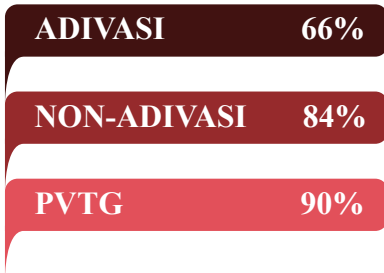




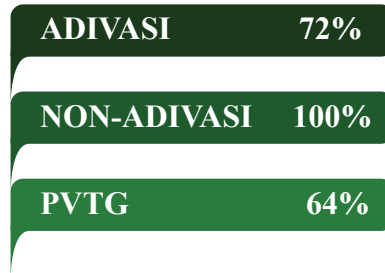
MOBILE NETWORK



Madhya Pradesh



Chhattisgarh



SAL 2021 shows



Odisha

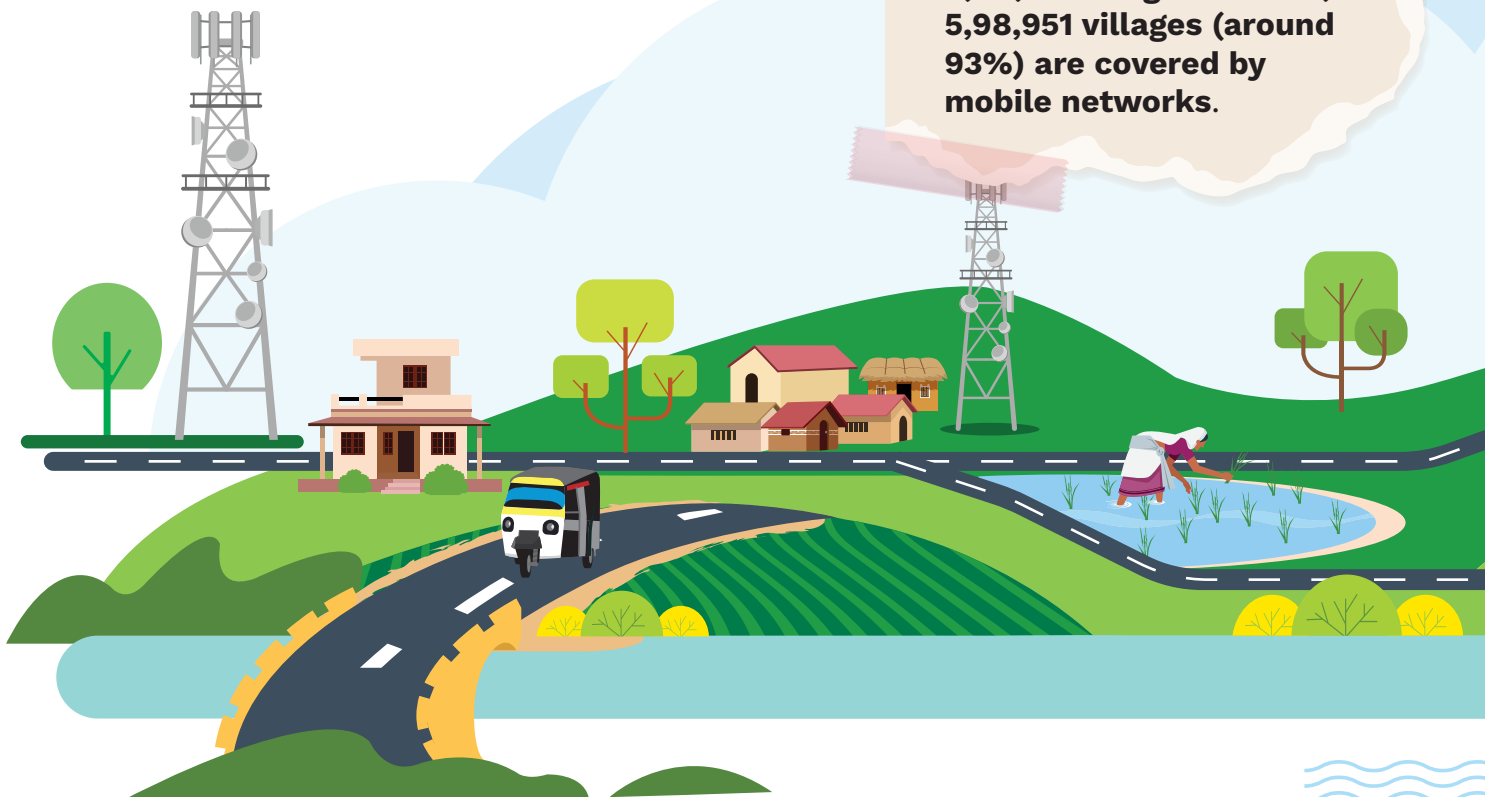


Jharkhand



are covered by at least one mobile network.

According to a Times of India report on 31st December 2022, Telecom Service Providers' data showed that as of March 2022, **out of 6,44,131 villages in India, 5,98,951 villages (around 93%) are covered by mobile networks.**



SMARTPHONE OWNERSHIP

Madhya Pradesh

ADIVASI HOUSEHOLD

18% 7%

NON-ADIVASI HOUSEHOLD

45% 27%

PVTG HOUSEHOLD

15% 4%

Chhattisgarh

ADIVASI HOUSEHOLD

20% 11%

NON-ADIVASI HOUSEHOLD

42% 29%

PVTG HOUSEHOLD

7% 3%

SAL 2021 shows

Odisha

ADIVASI HOUSEHOLD

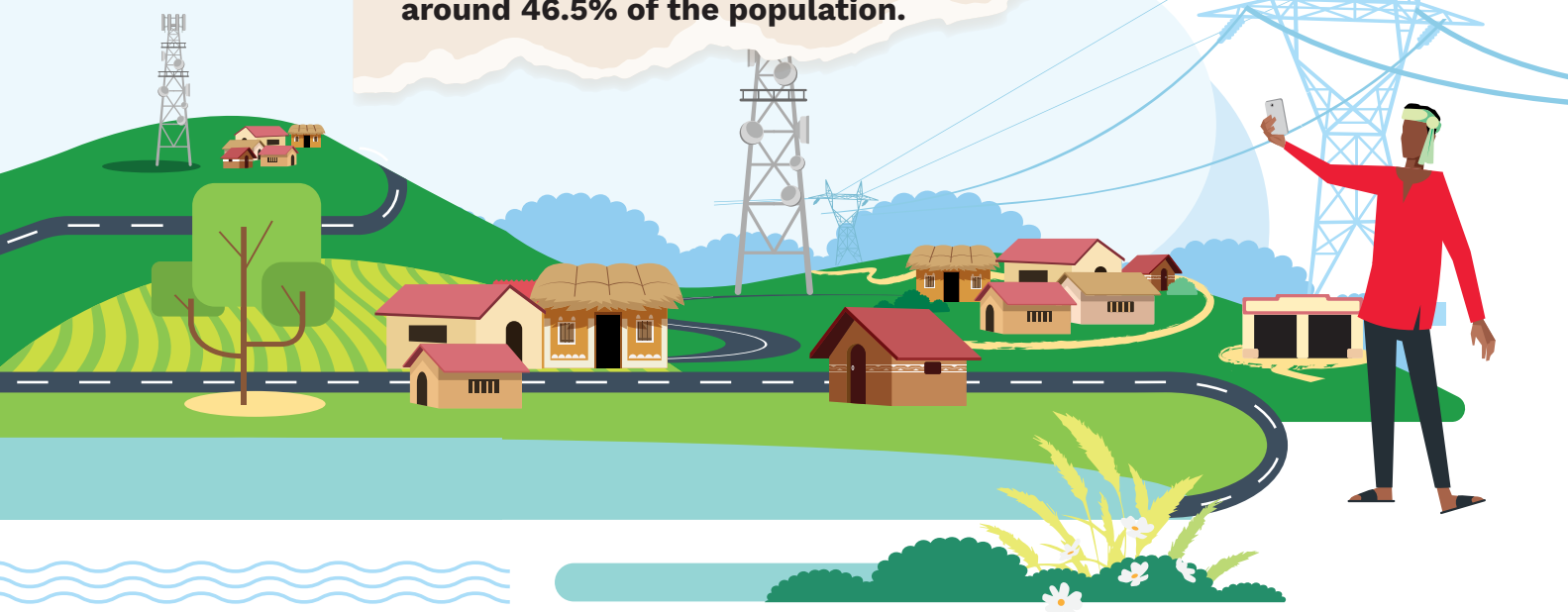
6% 5%

Jharkhand

ADIVASI HOUSEHOLD

21% 9%

According to Newzoo's Global Mobile Market Report², in India, there are **659 million smartphone users** which is **around 46.5% of the population**.



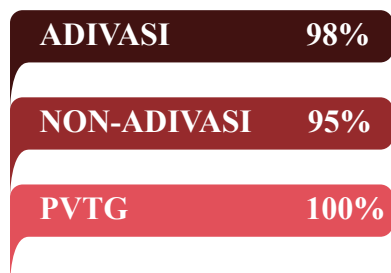
²<https://newzoo.com/resources/rankings/top-countries-by-smartphone-penetration-and-users>



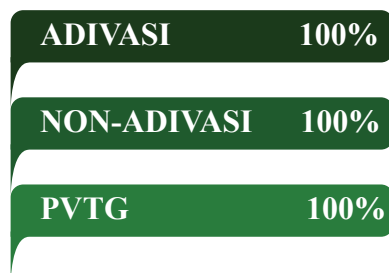
Villages have ANGANWADI



Madhya Pradesh



Chhattisgarh



SAL 2021 shows



Jharkhand



Odisha



have an Anganwadi centre.

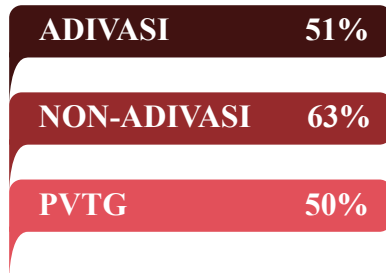
The survey by Mission Antyodaya, Government of India, **in the year 2020 reports that 79% of villages in India have Anganwadi.**



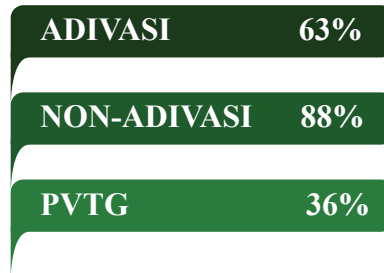
PDS



Madhya Pradesh



Chhattisgarh



SAL 2021 shows



Jharkhand



have a PDS outlet.



Odisha



The survey by Mission Antyodaya in the year **2020** shows that **48.27% villages in India** have a PDS outlet.





D HOUSEHOLD ATTRIBUTE



“The government has reasonably done well in establishing primary and residential schools with hostel facilities in Adivasi areas to ensure a good education. It can be seen that the results of Adivasi schools are as good or even better than those of other public schools. So in terms of giving Adivasis access to a good education, we (the government) have done a reasonably good job, except in some pockets where the dropout rate is still very high.

-Pallavi Jain Govil



“Non-Adivasis does discriminate against us. Because our lifestyle and clothes are different, we are easily identifiable. If we go to a bank and stand in a queue waiting for our turn, sometimes non-Adivasis will say, "Hato zara tum and bade log aage chale jaenge. Those who have more property have a high place in society.

-Anusuya Maravi



“The relationship with the market is changing slowly in Adivasi areas as compared to other areas. However, modern education for children will be the game changer. When they come out of an educational institution with the confidence of having a good CBSE diploma or a college diploma, they will be able to negotiate with the market better.

-Pallavi Jain Govil



“Schools need to teach about Gramsabha, PESA, and traditional knowledge on agriculture, forest, nature, artistry, etc. to help the next generation learn about their roots, intergenerational knowledge, and rights.

-Gangaram Paikra



LITERACY



Madhya Pradesh

PVTG households	83%
Adivasi households	75%

are headed by a person who is not educated beyond the primary stage, and a bulk of them have no school education. These proportions in

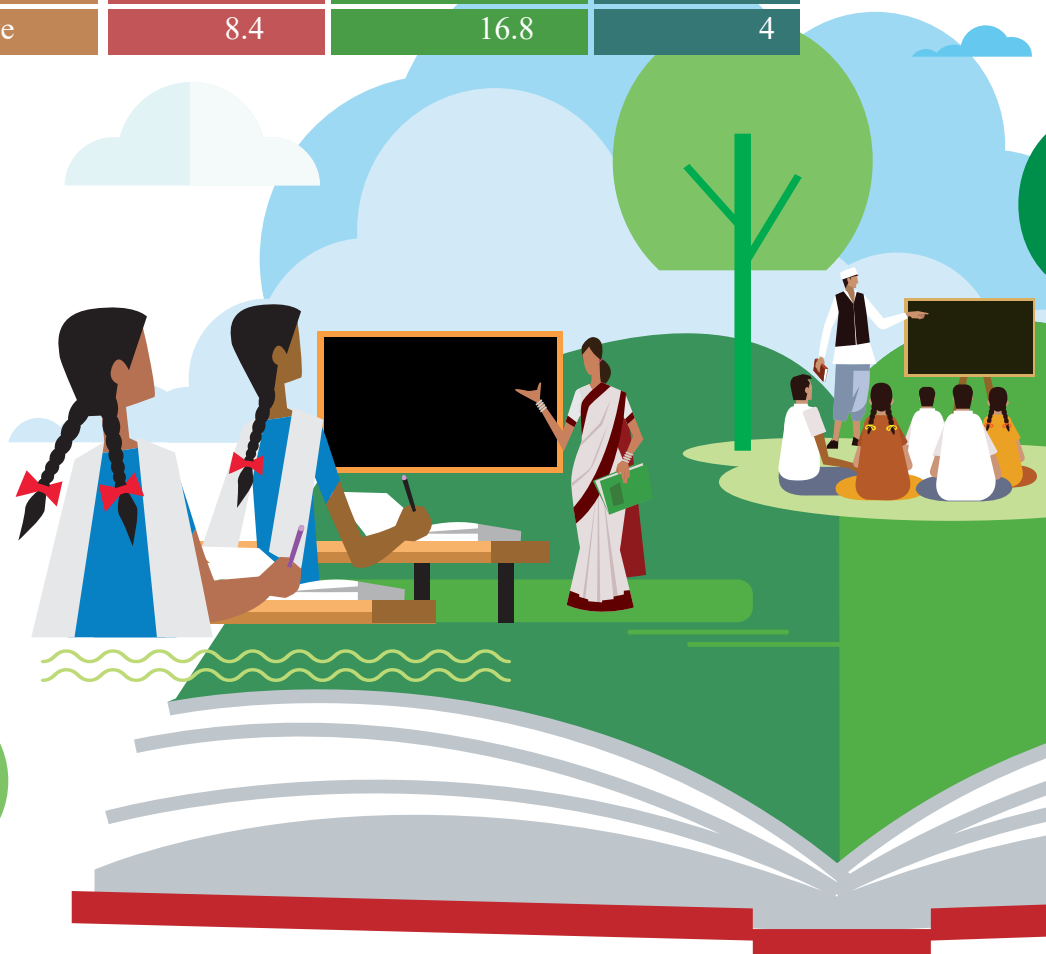


Chhattisgarh

PVTG households	87%
Adivasi households	66%

Education attainment of household head in Madhya Pradesh

Education level (% of total)	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
No school education	58.3	31.3	69
Less than primary	8.8	4.9	4
Primary	9.3	18.6	9.5
Less than matriculation and more than primary	15.2	28.4	13.5
Matriculation and above	8.4	16.8	4



Education attainment of household head in Chhattisgarh

Education level (% of total)	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
No school education	49	38.2	65.6
Less than primary	6.8	9.5	12
Primary	11.5	12.2	12
Less than matriculation and more than primary	20.3	24.9	8.3
Matriculation and above	12.4	15.2	2.1

SAL 2021 shows



Heads of households of over

Adivasi households	82%
Non-Adivasi households	72%

educated less than matriculation



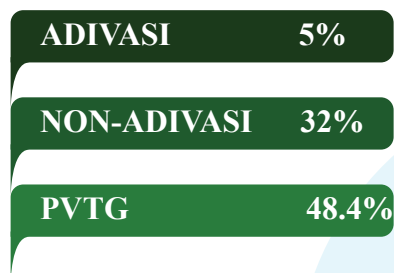
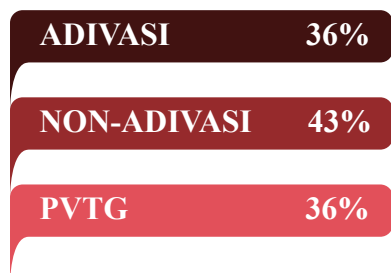
Heads of households of over

Adivasi households	87%
Non-Adivasi households	82%
PVTG households	90%

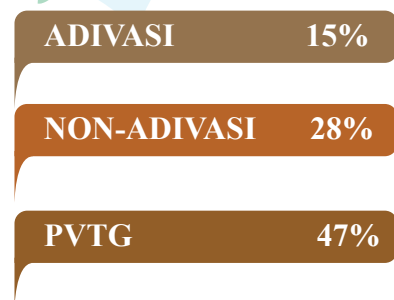
educated less than matriculation

National average: According to the NSS 75th round report on Household Social Consumption on Education in India (Jul 2017 – Jun 2018) **the literacy rate was about 77.7%, with 84.7% for males and 70.3% for females.** The same report shows the **literacy rate in rural areas to be 73.5%, compared to 87.7% in urban areas**

LANDHOLDING



SAL 2021 shows



households are landless.

National Average: NSS report No 587 -77/33.1/1 shows **8.2% of rural households are landless.**



Madhya Pradesh

Landholding class	Adivasi		Non-Adivasi		PVTG	
	Male headed HH	Female headed HH	Male headed HH	Female headed HH	Male headed HH	Female headed HH
Landless	36.1	40.6	42.8	42.5	36.4	25.8
Marginal	38.3	39.5	32.4	34.8	36.3	54.5
Small	12.9	10.8	12.7	10.6	12.4	7.6
Small-medium	11.4	8.1	9.1	4.5	10.9	10.6
Medium	0.9	0.5	1.9	1.5	3.5	1.5
Large	0.4	0.5	1.1	6.1	0.5	0.0





Chhattisgarh

Landholding class	Adivasi		Non-Adivasi		PVTG	
	Male headed HH	Female headed HH	Male headed HH	Female headed HH	Male headed HH	Female headed HH
Landless	15.2	23.0	32.1	49.6	48.4	57.8
Marginal	51.8	53.3	48.3	40.9	34.4	24.4
Small	18.8	13.5	12.7	8.7	8.3	11.1
Small-medium	12.4	9.0	6.5	0.9	6.8	4.4
Medium	1.3	0.7	0.4	0.0	2.1	2.2
Large	0.5	0.5	0	0.0	0	0.0

The average landholding of



Madhya Pradesh

ADIVASI 3.9 acres

PVTG 4.4 acres



Chhattisgarh

ADIVASI 3.2 acres

PVTG 3.0 acres

SAL 2021 shows



Jharkhand

ADIVASI 2.3 acres



Odisha

ADIVASI 1.9 acres

PVTG 1.3 acres

National Average: NSS report No 587 -77/33.1/1 shows that the average area owned per agricultural household is **0.876 ha.**







IRRIGATION

Percentage of households reporting access to all-season irrigation in **Madhya Pradesh**

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Own land	17.5%	28.0%	30.2%
Leased in land	20.2%	28.6%	36.8%
Shared in land	21.9%	16.7%	46.2%

Percentage of households reporting access to all-season irrigation in **Chhattisgarh**

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Own land	12.4%	17.2%	2.0%
Leased in land	6.0%	26.7%	0.0%
Shared in land	10.1%	12.5%	0.0%





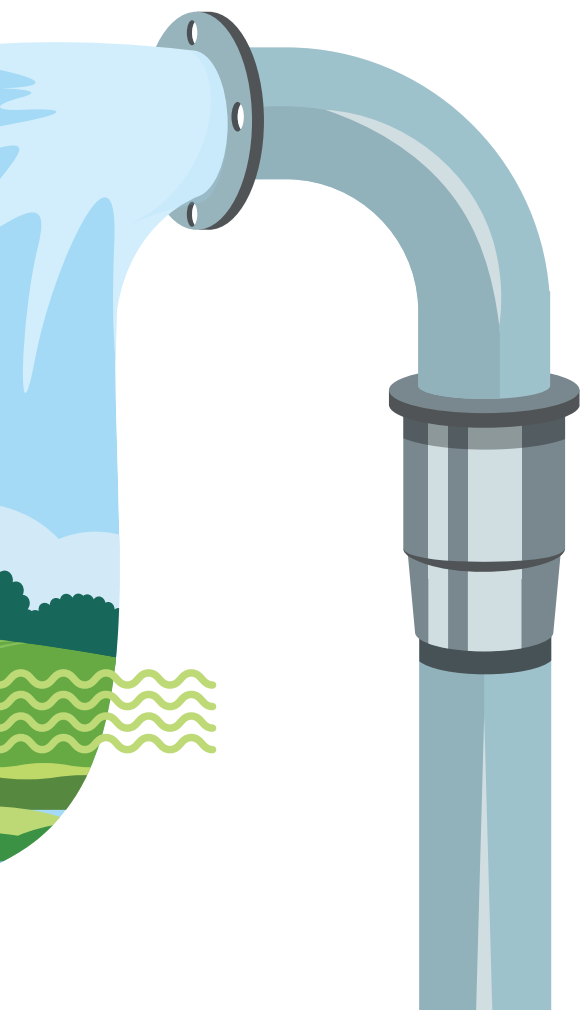
Percentage of households reporting access to all-season irrigation in **Jharkhand**

Adivasi households	18.5%
Non-Adivasi households	16.4%



Percentage of households reporting access to all-season irrigation in **Odisha**

Adivasi households	7.4%
Non-Adivasi households	12.4%
PVTG households	42.9%



Jharkhand

ADIVASI 18.5%

NON-ADIVASI 16.4%



Odisha

ADIVASI 7.4%

NON-ADIVASI 12.4%

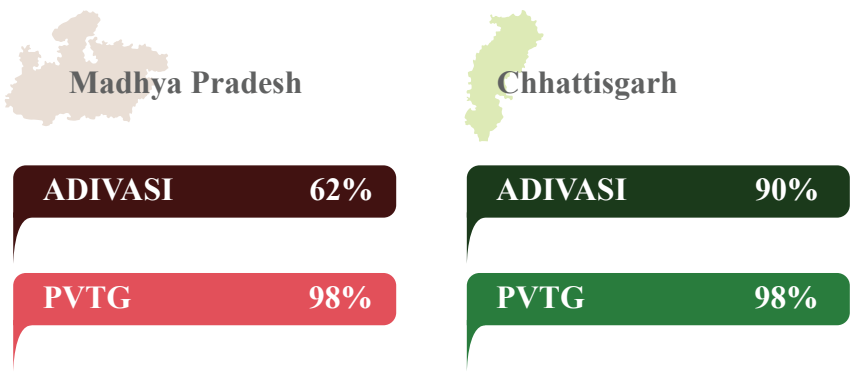
PVTG 42.9%

have irrigation facilities for all seasons.





ACCESS TO FOREST



reported dependency on forests for livelihoods



Forest distance (Madhya Pradesh)	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average distance from forest for households dependent on them for livelihood (km)	2.0	3.2	1.8
Households depending on forest for livelihood (%)	62	40	98
Average distance from forest for households not dependent on forest for livelihood (km)	6.8	9.2	0.2
Households not dependent on forest for livelihood (%)	38	60	2

Forest distance (Chhattisgarh)	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average distance from forest for households dependent on them for livelihood (km)	1.8	2.1	0.3
Households depending on forest for livelihood (%)	90	64	98
Average distance from forest for households not dependent on forest for livelihood (km)	2.6	9.4	0.3
Households not dependent on forest for livelihood (%)	10	36	2



Jharkhand

ADIVASI

53%



Odisha

ADIVASI

75%

reported dependency on forests for livelihoods





E LIVELIHOOD ACTIVITIES



“ Earlier, we used to cultivate crops like millets, pignon peas, etc. that needed less water. From the forest, we used to get greens, roots, fruits, and edible flowers. Gradually, people from outside started to reach out and tell us to change our seeds and farming practices with modern seeds and fertilizers. We started to follow their advice.

-Sersingh Achla

“

When we start to look at forests as a means of income only, other values get diluted. As per market demand, we chop off the whole tree without thinking about next year. This way, a lot of species, such as chaar, chironji, bamboo, harra, etc., are fast disappearing.

-Arjun Singh Dhurve



“ Baigas used to collect around 43 types of greens, more than 15 types of roots, and more than 20 types of fruits in different seasons from the forest. These are used to ensure their nutrient requirements in different seasons.

-Balwant Rahangdale

“

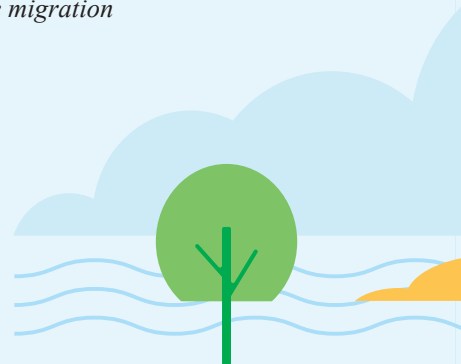
Earlier, people used to get varieties of food from the forest, which were very nutritious and helped to prevent diseases. For example, an earlier diabetes patient was not found among Adivasis. We used to eat kodo, kutki, and makka. These were grown without any chemical input. Gradually, rice and wheat have been introduced, and those are not healthy for Adivasis. Adivasis also started doing chemical agriculture for better production of rice and wheat. This affected their land negatively.

-Sampatiya Uikey



“ It is important to create livelihood opportunities in the villages to reduce migration and make the adivasi youth interested in their culture and agriculture.

- Lata Usendi





In the case of Chhattisgarh, if you see who is there in active politics, there will be Gond or Oraon or Kanwar. Similarly, Oraons are also in government jobs. You can hardly find any Pandu, Majhi, or Majhwar opting for these jobs. They will mostly be dependent on agriculture or wages. Baiga and Pahari Korwa will be more dependent on forests than some other tribes.

-Gangaram Paikra



People are migrating less these days. They can find wage work under MGNREGA in the village itself for 100 days.

-Godavari Maravi



It is good that some of us are recognized by the urban elite, but I think that the government should also focus on how the skill is picked up by more and more village youth.

-Bhuri Bai





Percentage contribution of different sources in total income, Madhya Pradesh region-wise

Income source	ADIVASI				NON-ADIVASI				PVTG			
	B	G	O	T	B	G	O	T	B	G	O	T
Farming	60	33	26	44	62	57	44	53	-	16	53	36
Animal husbandry	-3	-4	-3	-3	-1	-4	-4	-3	-	-1	-2	-2
Forest produce	0	4	4	2	0	2	1	1	-	6	7	6
Wage	28	35	57	37	27	22	45	32	-	43	29	35
Non-farming enterprises	2	1	3	2	5	6	3	4	-	0	0	0
Remittance	6	8	6	7	2	5	4	4	-	4	9	7
Salary and pensions	7	23	8	12	5	12	8	9	-	31	4	17

B= Bhil region, G= Gond region, O=Other ITDP blocks, T= Madhya Pradesh Total



Percentage contribution of different sources in total income, Chhattisgarh region-wise

Income source	ADIVASI				NON-ADIVASI				PVTG			
	S	C	N	T	S	C	N	T	S	C	N	T
Farming	56	37	59	51	46	34	57	45	41	27	24	33
Animal husbandry	-2	-8	-3	-4	-1	-3	-2	-2	1	0	-1	0
Forest produce	6	13	4	8	6	1	1	3	4	15	30	14
Wage	24	53	25	34	32	63	29	41	6	44	39	26
Non-farming enterprises	1	0	2	1	1	-1	1	0	0	1	0	0
Remittance	2	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0
Salary and pensions	14	3	11	9	14	5	13	11	48	13	8	28

S=South Chhattisgarh, C= Central Chhattisgarh, N= North Chhattisgarh, T= Chhattisgarh Total





F LIVELIHOOD OUTCOMES



“ The market has changed a lot. Earlier, the market was limited to local; there was no road network and no web network. Whatever was produced, there used to be hardly any surplus, and most of that was consumed locally. The sense of need was also less. Now that we are connected with the world, the forest and agriculture products from Bastar are sold on the international market. The aspirations of the younger generation are also shaped by the market in many ways. Things like chips and maggi are available in every local market.

-Arvind Netam

“

During the COVID-19 period, the scope of marketing was reduced. The order for items and articles has also reduced, and the possibility of putting up stalls at melas and exhibitions has also reduced.

-Vijay Dhurve



“ Children do not prefer eating Kodo Kutki anymore. In PDS, also, paddy is distributed. It takes less time and effort to make rice, so it is easy for women to cook. You can find rice mills everywhere, but there is no mechanized facility available to process kodo-kutki.

-Godavari Maravi

“

In most of the Adivasi villages, people have access to Integrated Child Development Services (ICDS). As the ICDS provides midday meals, the children are able to get nutritious cooked meals.

-Indravati Mandavi



AVERAGE ANNUAL HOUSEHOLD INCOME

STATE WISE

Average annual income:



Madhya Pradesh

ADIVASI Rs. 73,900

NON-ADIVASI Rs. 84,033

PVTG Rs. 68,726



Chhattisgarh

ADIVASI Rs. 53,610

NON-ADIVASI Rs. 53,766

PVTG Rs. 43,012





REGION WISE

Bhil region Annual Average Household Income in INR, Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average household income	99,211	1,45,289	
Per capita income	24,571	36,875	
Number of households	820	45	0

Gond region Annual Average Household Income in INR, Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average household income	66,724	69,755	79,564
Per capita income	15,077	13,800	20,732
Number of households	758	156	81

Other ITDP blocks Annual Average Household Income INR, Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average household income	52,597	80,084	61,411
Per capita income	12,596	20,034	13,043
Number of households	719	134	120

South region Annual Average Household Income in INR, Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average household income	54,961	60,092	1,06,223
Per capita income	12,137	13,944	17,366
Number of households	742	172	35



Central region Annual Average Household Income in INR, Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average household income	57,072	52,980	45,468
Per capita income	14,177	14,668	14,198
Number of households	708	159	57

North region Annual Average Household Income in INR, Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average household income	49,599	48,033	19,488
Per capita income	13,063	12,071	6,969
Number of households	861	168	100

SAL 2021 shows the annual report



Jharkhand

ADIVASI

Rs75,378

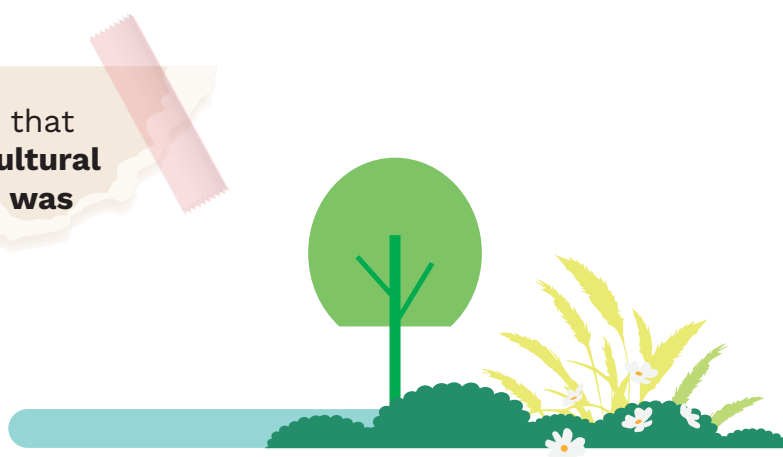


Odisha

ADIVASI

61,263

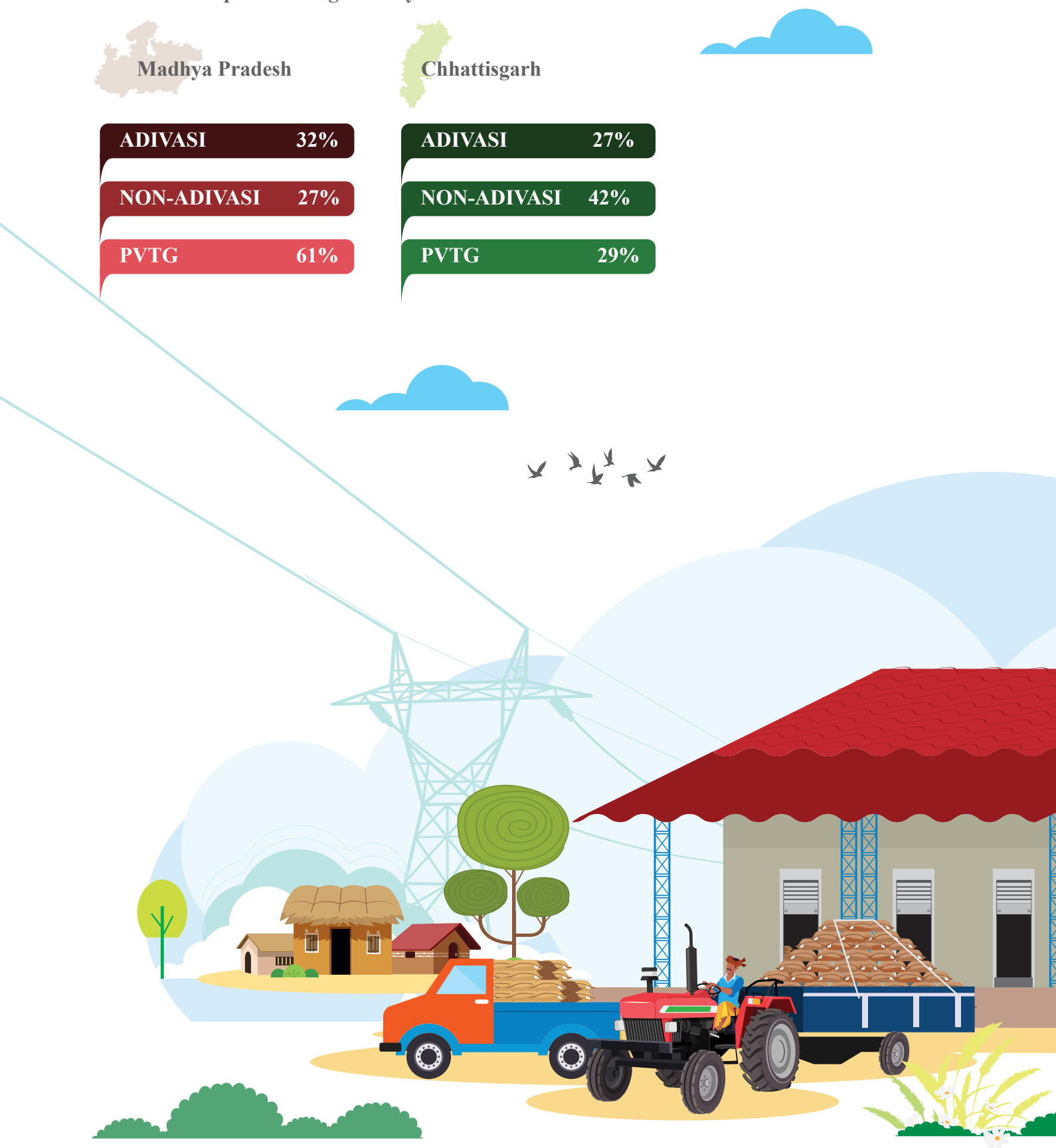
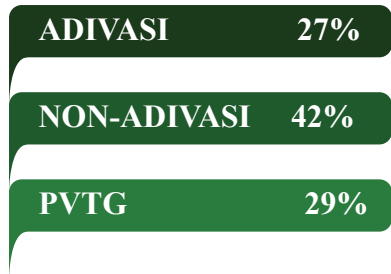
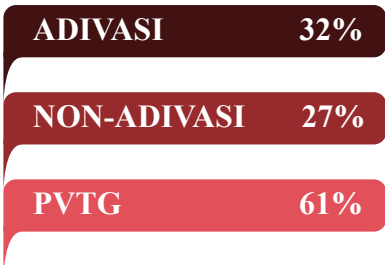
NSS report No 587 -77/33.1/1 shows that the average annual income of **Agricultural households during the year 2018-19** was **Rs. 122,61**





FOOD SECURITY

Households reported being severely food insecure



Households reported having poor dietary diversity



Madhya Pradesh

ADIVASI 4.2%

NON-ADIVASI 2.4%

PVTG 1.1%



Chhattisgarh

ADIVASI 2.2%

NON-ADIVASI 2.5%

PVTG 19%

SAL 2021 shows
Households in Odisha are severely food insecure



Jharkhand

ADIVASI 25%



Odisha

ADIVASI 12%

According to UN-India, there are nearly 195 million **undernourished people** in India, which is around **16% of its population**.





INTRODUCTION

This report, Status of Adivasi Livelihoods 2022 (SAL 2022), aims to be the second in a series of periodic reports on this subject. SAL 2021 covered Jharkhand and Odisha, while SAL 2022 covered Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The report records the current state of the livelihoods of Adivasi people, considering the backdrop of formal State efforts on one hand and the woes of displacement and dispossession on the other.



THIS REPORT AIMS TO:

- Create a robust database that enables comparison between people belonging to scheduled tribes and other people living in close proximity to them.
- Provide data to assess the impact of diverse measures being undertaken for the welfare and development of tribal communities.
- Provide facts to the administration and policymakers charged with the responsibility of bringing the fruits of development to the Adivasi people.
- Generate evidence for NGOs and other practitioners to meaningfully engage in improving the quality of their work.
- Inform the citizens of the country about the situation in which Adivasi people live, the struggles they face, and their place in the nation's economic progress.





SCHEDULED TRIBES IN INDIA

About 8.6% of people belonging to 705 ethnic groups in India are included in the category of Scheduled Tribes (STs) and live in different parts of the country.

"Groups and communities identified and enumerated as tribes during British rule came to be reclassified as Scheduled Tribes after the Constitution was adopted in 1950. The Constitution, as per Article 342, provided for the listing of these groups in the Schedule so that certain administrative and political concessions could be extended to them." Report of the High-level Committee on Socio-Economic, Health, and Educational Status of Tribal Communities of India, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, May 2014.

This population is diverse in terms of ethnicity, culture, and socio-economic situation. It ranges from some of the last uncontacted indigenous communities in the world, such as the Sentinelese of the Andamans, to some of the largest ethnic groups, such as the Gonds and Santhals of central India. However, despite these diversities, STs have not been able to acquire influence and power in much of India.

In India, the terms tribe, Adivasi, and Scheduled Tribe are generally used interchangeably, although they do not mean the same thing. The inclusion of a group of people in the list of Scheduled Tribes is initiated by the





state government, and the President of India, who is authorized to decide about the inclusion, more often than not, accedes. Therefore, the list of Scheduled Tribes may vary from one state to another depending on many socio-political factors. For example, Santhals in West Bengal and Jharkhand are designated as Scheduled Tribes, whereas Santhals in the Tea Estates of Assam are not. There are other similar examples. The ST people in the central Indian belt prefer to call themselves Adivasis. Most of them have stated that they want to be referred to as Adivasi, as they are dependent on natural resources and have a historical right to the land where they currently reside.

In this report, we have used the terms ST, tribe, and Adivasi interchangeably. While they are very much "Adivasi," we will use the term PVTG (particularly vulnerable tribal group) for the communities designated as such and provide separate information about them whenever available. A category called Primitive tribal groups (PTG) was created in 1973 by the Dhebar Commission for tribal groups that can be identified by: (i) their use of a pre-agricultural level of technology; (ii) a low level of literacy; (iii) economic backwardness; and (iv) a declining or stagnant population. In 2013, the name of that category was changed to PVTG. They are groups who are more likely to be artisans or practice shifting cultivation, unlike the major tribal groups that practice settled agriculture. About 29 lakh people from 75 ethnic groups, forming about 3% of the population in the Scheduled Tribes category, have been identified in the country as PVTGs.

The Adivasis live in the most resource-rich areas, where mineral deposits, as well as forests, are located. Furthermore, the Central Indian tribal communities live in the catchment

areas of most major rivers. The land on which they have built their houses has been a source of attraction for industrialists and the state. Though STs constitute 8.6% of the total population, since Independence, they have accounted for over 55% of displaced people who have been dispossessed of their land for the extraction of minerals, the construction of large dams, or the establishment of wildlife sanctuaries.

The Indian Constitution has created provisions, and the Indian State has formulated laws and policies to protect the rights of such communities. Some examples of legislative provisions that enable Adivasi rights either directly or indirectly are the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA) of 1996, the right to fair compensation and transparency in the Land Acquisition, Rehabilitation, and Resettlement Act (LARR), 2013, the Scheduled Tribes and Forest Dwellers Rights Act (FRA) of 2006, and Articles 244 and 275 of the Indian Constitution.

Since independence, government and non-government organizations have been working towards the well-being of Adivasis. Yet, development has eluded them. Various reasons account for this, with continuous dispossession and displacement being one of them. At the same time, mainstream development policies and programs have been imposed from above without considering the distinct economic, social, and cultural features of the Adivasis on one hand and their settlement pattern on the other.





During the British occupation, the geographical areas of present-day Nagaland, Mizoram, Tripura, and Meghalaya, certain parts of Assam and Manipur, areas lying under the jurisdiction of Godavari Agency in Madras Presidency, the Chhota Nagpur and Santhal Pargana region, Bastar, and parts of the then Gondvana (tribal-inhabited parts of Odisha), etc., inhabited by tribal people, were "exempted or partially excluded" (vide Government of India Act, 1935) from the ambit of the Government of India Act, 1935.

"DEVELOPMENT" AND THE ADIVASI PEOPLE

The Constitution of India borrowed from this Act both the spirit of the need and the responsibility of the state in protecting and nurturing the Adivasi people and the geographic demarcation of their areas. Article 244 of the Constitution and Schedules V and VI thereof lay down the said Constitutional provisions. The Article enjoins the Governor of every State to undertake functions for the wellbeing of the tribes as per the recommendations of the constitutionally mandated Tribal Advisory Council of the State. Article 275 (1) of the Constitution ordains a portion of the Consolidated Fund of India as a grant to States with Scheduled Tribe areas to facilitate the States in the implementation of their plans and programmes for the protection and nurture of the tribes as decided by the Governor in consultation with the Tribal Advisory Council.

The Tribal Sub-Plan (TSP) came into existence in 1974–75 as a strategy for the development of areas with an Adivasi concentration. Under the Tribal Sub-Plan (TSP), now known as the Development Action Plan for Scheduled Tribes (DAPST), besides the Ministry of Tribal Affairs, 41 Ministries and Departments are allocating funds in the range of 4.3 to 17.5 percent of their total scheme allocation every year for tribal development projects relating to education, health, agriculture, irrigation, roads, housing, electrification, employment generation, skill development, etc. DAPST fund allocation has increased about five and a half times since 2013–14, from Rs. 21,525.36 crore (Actual Expenditure) in 2013–14 to Rs. 1,17,943.73 crore in 2023–24 (budget expenditure). Even the budget allocation of the Ministry of Tribal Affairs has been substantially increased from Rs. 4295.94 crore in 2013-14 to Rs. 12461.88 crore in 2023–24, i.e., an increase of around 190.01 % and a whopping increase of Rs 5,160.88 crore from last year. Moreover, there is now a renewed focus on improving the living conditions of the PVTGs. A fund of Rs 15,000 crore for the next three years, beginning in 2023–24, has been allocated for the socioeconomic development of the group.

The state government of Madhya Pradesh has also allocated Rs 36,950 crore for tribal development. In addition to this, the finance minister of the state announced ₹252 crore for a scheme that will look to provide employment to Nomadic tribes. The state government of Chhattisgarh has also allocated Rs 21,682 crore from the state budget for tribal development.



MADHYA PRADESH AND CHHATTISGARH

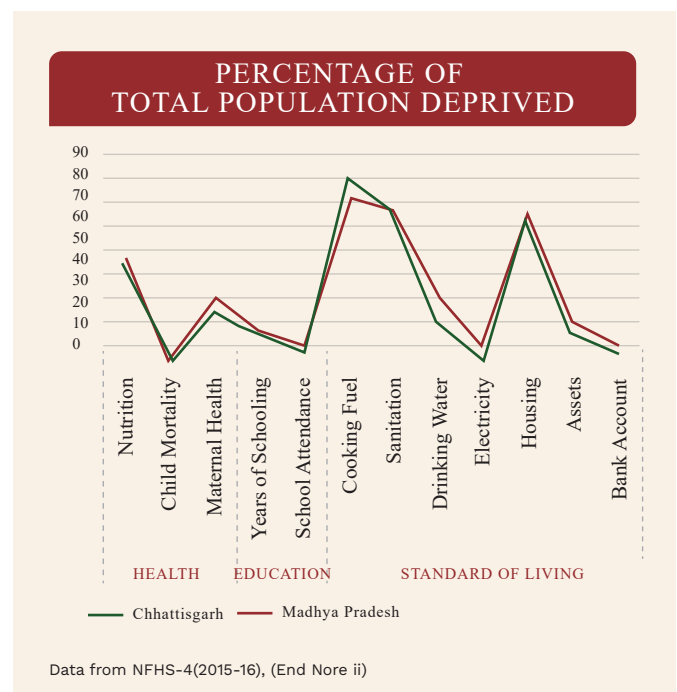
Chhattisgarh and Madhya Pradesh are two landlocked states in Central India. Chhattisgarh was carved out of Madhya Pradesh in the year 2000 under the Madhya Pradesh Reorganization Act, 2000. Chhattisgarh, with 33 districts, is the ninth-largest state in India, with a total area of 135192 sq. km. and a population density of 189 per sq. km. While Madhya Pradesh, with 52 districts, is the second-largest state with an area of 308252 sq km and a population density of 236 per sq km.

There are 46 recognized Scheduled Tribes in Madhya Pradesh, three of which have been identified as 'Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs)'. In Chhattisgarh, there are 42 tribal groups, including five PVTGs. The Scheduled Tribe (ST) population percentage in Chhattisgarh is 30.62%, while in Madhya Pradesh, the percentage of the ST population is 21.09%.

As per the 2011 Census [i], the total population of Chhattisgarh was 25.54 million, while the population of Madhya Pradesh stands at 72.62 million. The decadal growth rates of population from 2001 to 2011 for Chhattisgarh and Madhya Pradesh have been 22.61 and 20.35 percent, respectively.

Chhattisgarhi is widely spoken in Chhattisgarh, followed by Hindi, while other tribal languages like Gondri are also spoken. In Madhya Pradesh, Hindi is the official language, with a small percentage of Urdu speakers. Many regional dialects like Bagheli, Bundeli, Nimari, Malwa, etc. are also spoken. MP has a small fraction of Gondri speakers. The sex ratio of 991 in Chhattisgarh is better as compared to Madhya Pradesh's 931 and India's 943.

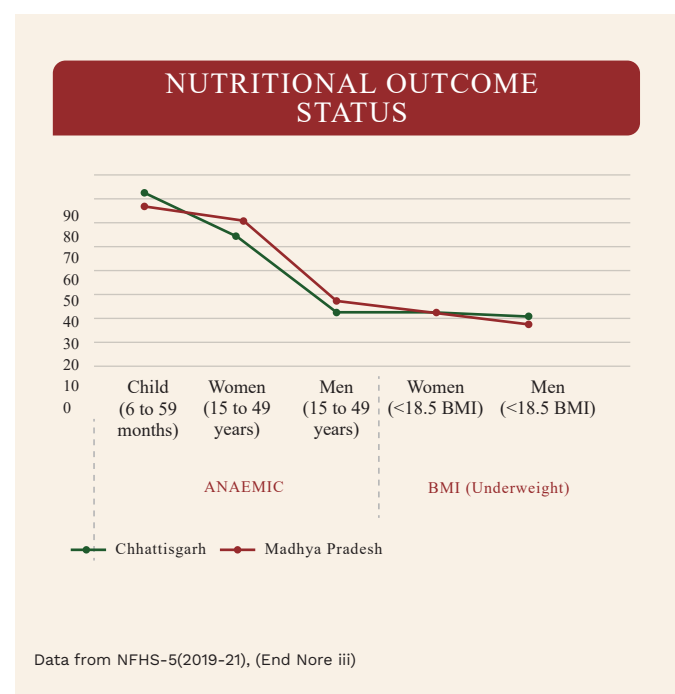
The Multidimensional Poverty Index (MPI) report, based on the National Family Health Survey (NFHS)-4 (2015-16), reveals a poor performance by Madhya Pradesh, with an MPI score of 0.134, compared to Chhattisgarh's score of 0.173. According to the MPI exercise, 29.91% of Chhattisgarh's population is classified as poor, with a deprivation intensity of 44.64%. In contrast, the figures for Madhya Pradesh are 36.65% and 47.25%, respectively. However, the MPI calculation, which considers indicators of health, education, and standard of living, does not provide community-specific segregated information.





As per the Census 2011, the total literacy rate of Chhattisgarh is 70.28%, with a male literacy rate of 80.27% and a female literacy rate of 60.24%. While Madhya Pradesh has a lower rate of literacy at 69.32%, male literacy is 78.73% and female literacy is 59.24%. NFHS-5 (2019–20) [i] shows that women with 10 or more years of schooling in rural areas are 32.1% and 21.7% in Chhattisgarh and Madhya Pradesh, respectively. For men, these percentages are 38.1% and 35%, respectively. NFHS-5 further shows that 20.8% of women in Chhattisgarh and 20.1% of women in Madhya Pradesh use the Internet. While the corresponding figures for men in these states are 50.4% and 49.3%, respectively.

NFHS reports do not provide Adivasi-specific data on their health status. One research study conducted in Chhattisgarh highlights the shortage of qualified health workers. The Adivasis in Chhattisgarh suffer from high rates of undernourishment, anaemia, sickle cell hemoglobinopathy, beta thalassemia trait, and G6 PD enzyme deficiency. The frequent occurrence of malaria is also a significant public health issue. Similarly, another research study reveals that the overall density of health service providers in Madhya Pradesh is low, with qualified doctors being more concentrated in urban areas. Adivasi settlements, primarily located in rural and forest fringe areas, have limited access to medical facilities.



As of March 31, 2017, the length of the National Highways in Chhattisgarh and Madhya Pradesh was 3232 km and 7854 km, respectively. Correspondingly, the length of the State Highways in these two states is 4438 km and 11389 km [i]. Therefore, the density of national and state highways in Chhattisgarh and Madhya Pradesh is 5.67 km and 6.24 km per 100 sq. km, respectively, against India's average of 10.26 km [ii]. The low density of roads indicates poor connectivity; however, it does not talk about the connectivity to the Adivasi settlements.

Chhattisgarh and Madhya Pradesh are among the states with a high proportion of the Adivasi population, whose livelihood largely depends on agriculture, livestock rearing, and the collection of forest produce. However, the economies of both these states show that the contribution of the secondary and tertiary sectors greatly exceeds that of the primary sector. In Chhattisgarh (2012–13), the share of industries in Gross State Domestic Product (GSDP) is 40.3%, while that of the agriculture sector is 18.7% [iii]. In 2011–12, Madhya Pradesh also showed a gradual shift from the primary sector, with the contribution from the service sector in the GSDP being the highest at 46.96% and agriculture below 20% [iv]. Despite this 52% of ST households in Chhattisgarh and 31.9% of ST households in Madhya Pradesh reported agriculture as the only source of their income (SECC [v], 2011). While 42.6% of ST households in Chhattisgarh and 63.6% of ST households in Madhya Pradesh reported manual casual labour as the main source of their income, 4.2% of ST households in Chhattisgarh and 2.3% of ST households in Madhya Pradesh reported having a household member in a government job. ST households with a household member in a private job in these

In the assessment year 2015–19, it has been found that the average life expectancy in Chhattisgarh and Madhya Pradesh is 65.3 and 67, respectively, compared to India's average of 69.7. According to the Sample Registration System (SRS) report by the Registrar General of India (RGI) (2016–18), Chhattisgarh and Madhya Pradesh have high maternal mortality rates (MMR) of 150 and 173, respectively, compared to India's 113. Similarly, the NFHS-5 reports that Chhattisgarh has a high infant mortality rate (IMR) of 44.3 and a high under-five mortality rate (U5MR) of 50.4. For Madhya Pradesh, the IMR and U5MR are 41.3 and 49.2, respectively. Nutritional outcomes depicted in Figure 2 illustrate the vulnerable status of the population in these two states. Unfortunately, the SRS and



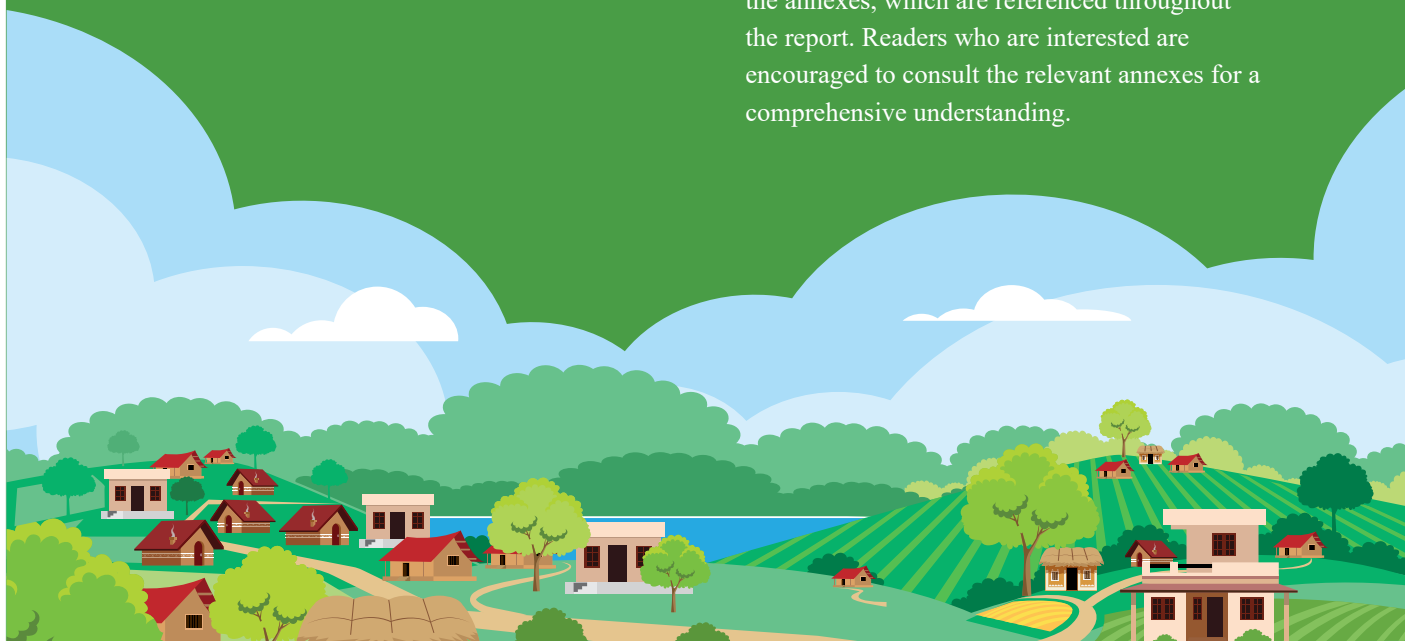
states are merely 0.2% and 0.5% respectively. Therefore, agriculture still contributes hugely to Adivasi households. The total number of ST households owning irrigated land is just 4.56% in Chhattisgarh and 15% in Madhya Pradesh (SECC, 2011). Only 0.62% of ST households in Chhattisgarh and 1.02% of ST households in Madhya Pradesh own mechanised agricultural equipment. Even access to government provisions like the Kisan Credit Card (KCC) is abysmally low, with the percentage of ST households with a KCC limit of Rs 50,000 and above being just 1.27% in Chhattisgarh and 1.9% in

Madhya Pradesh. 75% of rural households in India reported that the highest-earning member earned less than Rs. 5000 per month (SECC, 2011). This proportion rises to 93.3% in ST households of Chhattisgarh and 92.7% in ST households of Madhya Pradesh. The low income is evident, as the availability of modern amenities in Adivasi households is also comparatively low. For instance, only about 6% of ST households in Chhattisgarh and Madhya Pradesh own a motorbike, and the households owning refrigerators are less than 2%.

ABOUT THIS REPORT

This report presents data on various parameters related to the livelihoods of Adivasi and PVTG households. The following section describes the methodology and sampling procedure used in the research. Section 9 provides an analysis of the associations between "anchor variables" and outcomes. The final section includes the study's conclusions and future directions.

Please note that the study has collected a substantial amount of data. The main report includes only key points and tables. Additional details of the data and analysis can be found in the annexes, which are referenced throughout the report. Readers who are interested are encouraged to consult the relevant annexes for a comprehensive understanding.





REFERENCES AND NOTES

¹Census of India (2011) reports (links mentioned below).

- a. <https://www.censusindia.co.in/states/chhattisgarh>
- b. <https://www.censusindia.co.in/states/madhya-pradesh>
- c. <https://www.censusindia2011.com/chhattisgarh-population.html>
- d. <https://www.censusindia2011.com/madhya-pradesh-population.html>

²NITI Aayog (2021) National Multidimensional Poverty Index, Baseline Report, Based on NFHS-4 (2015-16), NITI Aayog, India, New Delhi. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-11/National_MPI_India-11242021.pdf
NFHS-5 of Chhattisgarh and Madhya Pradesh, State Fact Sheets.

- a. International Institute for Population Sciences (IIPS) (2022) National Family Health Survey- 5, 2020-21, State Fact Sheet Chhattisgarh, Ministry of Health and Family Welfare. <https://www.im4change.org/docs/NFHS-5%20Chhattisgarh.pdf>
- b. International Institute for Population Sciences (IIPS) (2022) National Family Health Survey- 5, 2019-21, State Fact Sheet Madhya Pradesh, Ministry of Health and Family Welfare. http://rchiips.org/nfhs/NFHS-5_FCTS/Madhya_Pradesh.pdf

¹Times of India (2022) Life expectancy up: The best places to be born, work, and retire in India, Times of India, June 13, 2022. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/where-in-india-will-you-live-the-longest-and-where-shortest/articleshow/92178313.cms>

¹Press Information Bureau (2021) Maternal Mortality Rate (MMR), Press Information Bureau, Delhi, 12 February 2021. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1697441>

¹Galhotra, A., Padhy, G. K., Pal, A., Giri, A. K. and Nagarkar, N. M. (2014) 'Mapping the health indicators of Chhattisgarh: A public health perspective', International Journal of Medicine and Public Health, 4 (1), pp. 23-28.
DOI:10.4103/2230-8598.127117

¹De Costa, A., Al-Muniri, A., Diwan, V. K. and Eriksson, B. (2009) Where are healthcare providers? Exploring relationships between context and human resources for health Madhya Pradesh province, India', Health Policy, 93 (1), pp. 41-47.
DOI: 10.1016/j.healthpol.2009.03.015

¹Ministry of Road Transport & Highways (2019) Basic Road Statistics of India [2016-17], Ministry of Road Transport & Highways, Government of India. https://morth.nic.in/sites/default/files/Basic%20_Road_Statics_of_India.pdf

¹See the reference viii

¹National Skill Development Corporation (NSDC) (2013) District wise skill gap study for the State of Chhattisgarh (2012-2017, 2017-22), NSDC, June 18, 2013. https://nsdcindia.org/sites/default/files/files/chattisgarh-district-skill-gap-study-final-report_18thJune.pdf

¹National Skill Development Corporation (NSDC) (2013) District wise skill gap study for the State of Madhya Pradesh, NSDC, January 2013. <https://nsdcindia.org/sites/default/files/files/madhya-pradesh-sg.pdf>

¹SECC (2011) Socio-Economic and Caste Census, Ministry of Rural Development, Government of India. <https://secc.gov.in/>



#01

METHODOLOGY OF THE STUDY





1.1

THE CONCEPTUAL FRAMEWORK

In this report, six aspects have been studied to assess the state of the livelihoods of Scheduled Tribes and Adivasis. These aspects include:

- Cultural ethos in which livelihoods are practised
- The resource base within which livelihoods are practised
- External interventions in terms of infrastructure and resource development
- Attributes of households themselves
- The specific activities practised in livelihoods
- Livelihood outcomes

Information regarding some of these factors was gathered from households, some from the village community, and some from individuals with a broader perspective. The rationale for the chosen methodology is explained in the discussion of this section.

Throughout the report, secondary data and relevant literature have been utilized in certain chapters to provide context or facilitate comparisons. References to literature are provided at the end of the respective chapter.

a) Cultural ethos and life goals

The cultural ethos of a community influences its thinking in relation to life goals and interaction with resources. Aspirations and life goals guide the activities and efforts undertaken by individual households and the community as a whole. These aspirations are shaped by the cultural ethos that develops over generations and manifests itself in child-rearing and socialization practices. Such practices, in turn, influence the mindset of individuals as they grow older.

b) The resource base

Land, water, trees, forests, and animals constitute the resource base that determines how rural communities practice their livelihoods. Chhattisgarh falls entirely within Agroclimatic Zone VII, classified as the Eastern Plateau and Hills. Madhya Pradesh, the second-largest state in India in terms of area, falls under three Agroclimatic zones: Eastern Plateau and Hills (Zone VII), Central Plateau and Hills (Zone VIII), and Western Plateau and Hills (Zone IX). The annual rainfall in the eastern parts of Madhya Pradesh and Chhattisgarh ranges between 1100 and 1500 mm, while in the western tribal districts of

Madhya Pradesh, it falls between 800 and 900 mm. Resource bases both shape and are shaped by livelihood decisions and outcomes. The sampling strategy and analysis of data have been done keeping in mind the regional variation (described later in this chapter).

c) Reshaping of resources through external interventions

External interventions have reshaped the resource base of Adivasis. Some interventions had a negative influence on their resources and lives. These external influences relate to the extractive use of forests or the creation of large structures either for the extraction of minerals or for impounding water for industrial consumption. The Forest Act of 1882 usurped the right to the forest and forest lands from the Adivasis and placed it with the State. This made the Adivasi people unwanted interveners in their lands, giving them only meagre nistar rights. The construction activities needed for mining structures, the huge mining wastes, and, in the case of dams, the submergence upstream, led to the destruction of many Adivasi settlements. Through the years, Adivasis have suffered from very large-scale displacement and dispossession of their lands.¹ ‘Development initiatives’ in Adivasi-inhabited areas bring them into conflict with a value system that is alien to them. Displacement-induced demographic change usually works to the disadvantage of Adivasis.

Some external interventions relate to Adivasis’ access to healthcare systems, schools, railways, roads and electronic (and more recently digital) connectivity. While access to healthcare may have contributed to increased life expectancy among Adivasis, rail, road and electronic connectivity open up possibilities for commerce and mobility.

d) Attributes of Adivasi households

The attributes that shape the livelihood choices and status of Adivasi households include the size of the operational holding, land topography, soil quality, access to irrigation, availability of labor at home, farm assets, family size, age and education profile, minimum income requirements, household indebtedness, the health status of family members, sources of non-farm income (if any), access to credit and markets, and social and institutional assurances (such as membership in a local Self-Help Group). Within the same village and even within the same clan, families may differ on many of these parameters, resulting in varying livelihood choices and overall well-being.



e) Livelihood activities

Adivasis engage in various livelihood activities such as farming their lands, small-scale animal husbandry, gathering Non-Timber Forest Products (NTFP) for household consumption and sale, and undertaking wage work in nearby farms. A significant number of them migrate, sometimes with their families, for seasonal occupations in distant locations. Additionally, they participate in non-farm activities like running small shops, practising cultural arts and crafts, traditional medicine, and taking part in government wage programs such as MGNREGA. Adivasi households also receive remittances from their relatives working elsewhere and cash support through Government schemes.

f) Livelihood outcomes

Key livelihood outcomes include income, consumption of adequate and nutritious food, health status, education of children, clothing, the quality of housing, entertainment, consumption of digital infotainment, and acquisition of household and productive assets such as TVs, LPG connections, refrigerators, motorcycles, tractors or power-tillers, pump sets, draught animals, weeding equipment, and storage facilities.





1.2

THE THREE-LEVEL INVESTIGATION

To provide a comprehensive understanding of the livelihood status across the six aspects mentioned earlier in this chapter, multiple perspectives were gathered from households, villages, intellectuals and academics working on Adivasi issues, Adivasi community leaders, and activists engaged with Adivasi communities. We employed various tools to collect data, including a household-level questionnaire (refer to Annexure L1) to gather household perspectives, a village fact sheet (refer to Annexure L2) and a semi-structured Focus Group Discussion (FGD) format (refer to Annexure L3) to capture the village-level perspective, and a semi-structured Personal Interview (PI) format (refer to Annexure L3) to obtain insights from scholars, activists, and community leaders.

Table 1.1 below provides an overview of the different quantitative and qualitative data collection tools used to gather information related to the six aspects of livelihood status.

Aspects of the study	Tools used
Cultural ethos in which livelihoods are practised	PI
The resource base within which livelihoods are practised	Secondary data, village fact sheet, FGD, PI
External interventions in terms of infrastructure and resource development	Village fact sheet, HH questionnaire, FGD, PI
Attributes of households themselves	HH questionnaire, FGD, PI
The specific activities practised in livelihoods	HH questionnaire, PI
Livelihood outcomes	HH questionnaire, PI

Sample size and sampling method:

This exercise was aimed at understanding several parameters such as functional literacy, income, food security, and dietary diversity of the Adivasi livelihoods. Based on this consideration, it was decided to limit the sample size to a total of 5000 households, and the focus was kept on "tribal-dominated" administrative blocks covered under the Intensive Tribal Development Program (ITDP).

Sampling

Information from the 2011 population census is considered for the purpose of sampling. The administrative districts, sub-districts, and blocks in Madhya Pradesh and Chhattisgarh at the time of the survey were different from those reported in the 2011 population census. The terms districts, blocks, and villages in the discussion of sampling will refer to those from the 2011 population census. We followed a multi-stage, stratified, non-purposive sampling method.

The village is the basic unit chosen to make the sampling frame. In each sample village, 20 non-purposively chosen households were interviewed. Two types of villages, Adivasi villages and non-Adivasi villages, were taken for the study. Adivasi village is one that has more than 300 residents, and 70% or more of the population is ST. Non-Adivasi village is a village that has more than 300 people, and ST population is less than 30% of the total population.

A sample of 300 villages across the ITDP blocks of the two states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh was drawn. The sample was divided equally between two states. Following is the distribution of villages across the states and types.

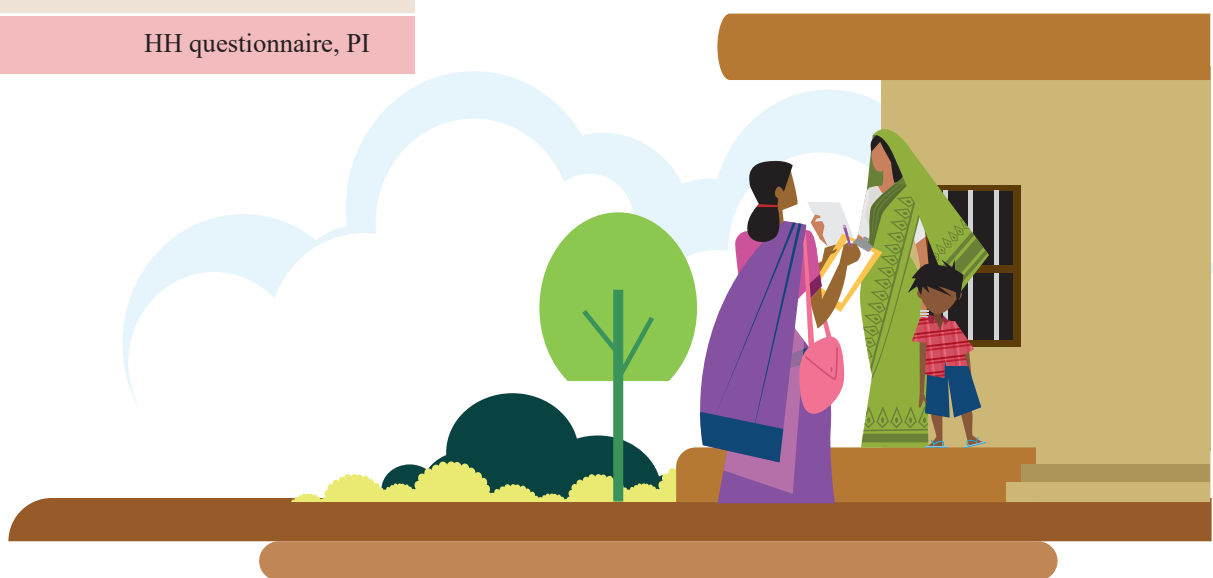


Table 1.2: Sample consideration of villages¹

Madhya Pradesh			Chhattisgarh		
TRIBAL AND NON PVTG(TNP)	115	+	TRIBAL AND NON PVTG(TNP)	115	= 230
NON-TRIBAL	25	+	NON-TRIBAL	25	= 50
PVTG	10	+	PVTG	10	= 20
TOTAL	150	+	TOTAL	150	= 300

The state sample was drawn from 9 districts in Madhya Pradesh. The ITDP blocks within these districts were categorized into three broad groups: Bhil region (Jhabua, Dhar, Barwani, and Khargone districts), Gond region (Dindori, Chhindwara, Mandla, Betul, Seoni, and Shahdol districts), and the remaining districts with ITDP blocks. The state sample was divided equally among these three regions, with three randomly selected districts from each region.

Similarly, for Chhattisgarh, the state sample was also divided equally into three regions: South, Central, and North. The south region consisted of ITDP blocks from Bastar, Bijapur, Dantewada, Kanker, Kondagaon, Narayanpur, and Sukma districts, which were all part of the old undivided Bastar district. The central region consisted of ITDP blocks from Balod, Bilaspur, Dhamtari, Gariyabandh, Kabeerghat, Korba, Mungeli, and Rajnandgaon districts. The north region consisted of ITDP blocks from Balrampur, Jashpur, Koriya, Raigarh, Surajpur, and Surguja districts. Three districts were randomly selected from each region.

The divisions of Chhattisgarh regions, as used for sampling, are based on geographical considerations, namely the northern plateau, Mahanadi Basin in central Chhattisgarh, and the southern plateau. In Madhya Pradesh, the divisions are based on the presence of the main tribe in each region, but these divisions also overlap with geographical regions such as Malwa (Bhil) and Satpura-Baghelkhand (Gond). In the chapter on livelihood outcomes, comparisons are made among these divisions in Chhattisgarh and Madhya Pradesh. However, the sample size is not sufficient to draw inferences at the level of specific tribal groups, such as Madia Gond. To achieve that, a much larger sample size would be required, and collaborative efforts and cost-sharing between PRADAN and other interested parties would be necessary.

The sample of 114 Adivasi villages across 9 districts in Madhya Pradesh and 115 Adivasi villages across 9 districts in

Chhattisgarh were allocated to the districts in proportion to population size. If X is the total population (population of Scheduled tribes from the ITDP blocks as the census 2011) of these 9 districts and m_i the ratio of the population of i^{th} district to total population of the 9 districts, villages allocated to i^{th} district will be $115 \times m_i$.

Within each district, the sample was further divided into the ITDP blocks. A maximum of 5 villages per block were selected for the survey. For example, if a district had an allocation of 17 sample villages, 4 blocks were randomly selected. Then, 5 ST villages were randomly chosen from 3 blocks, and 2 villages were selected from the 4th block. The order of blocks considered followed their administrative order. In total, there were 24 sampled blocks in Madhya Pradesh and 27 in Chhattisgarh.

Although the PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Group) population accounts for approximately 4% of the total population based on available information, an 8% sample was allocated to PVTG villages to ensure an adequate sample size. Ten villages with predominantly PVTG populations were considered for the survey in both Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The selection of PVTG villages and households was based on the location of PVTGs rather than being confined to the blocks where the rest of the Adivasi sample was allocated.

A sample of 1000 non-tribal households from ITDP blocks considered for the survey is generated. From each block where the Adivasi sample is allotted, one non-Adivasi village was randomly selected from all non-ST villages; So, the number of non-Adivasi villages was 24 and 27, respectively, in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The discussion so far pertains to design. The tables in the following discussion are about the set of households that were surveyed.



Table 1.3: PVTG blocks in the survey



Madhya Pradesh

DISTRICT	BLOCK
Shahdol	Jaisingna
Sheopur	Karhal
Mandla	Narayanga



Chhattisgarh

DISTRICT	BLOCK
Gariyabandh	Gariyabandh
Jashpur	Bagicha
Narayanpur	Orchha



Table 1.4: District and number of villages in the surveyed households

DISTRICT	NO. OF SAMPLE BLOCKS	NO. OF VILLAGES
Barwani	3	16
Chhindwara	4	24
Dhar	4	20
Harda	1	6
Jabalpur	4	24
Khargone (West Nimar)	2	11
Seoni	2	12
Shahdol	3	12
Umaria	2	15
Sheopur	1	6
Mandla	1	2
Subtotal	27	148

DISTRICT	NO. OF SAMPLE BLOCKS	NO. OF VILLAGES
Bastar	4	20
Bijapur	1	10
Bilaspur	3	15
Gariyabandh	3	15
Jashpur	4	26
Kabeerdham	1	4
Kondagaon	3	16
Koriya	2	13
Surajpur	4	20
Narayanpur	1	2
GPM	2	12
Subtotal	28	153

TOTAL	NO. OF SAMPLE BLOCKS	45	NO. OF VILLAGES	301
--------------	-----------------------------	-----------	------------------------	------------

The survey instrument, the guiding questions to steer the focus group discussions in villages and the points around which interviews were held are given in Annexure – L.



Table 1.5: The overall data size

Madhya Pradesh			Chhattisgarh		
TOTAL HH	2,967	+	TOTAL HH	3,052	= 6,019
ADIVASI HH	2,405	+	ADIVASI HH	2,340	= 4,745
PVTG HH	201	+	PVTG HH	192	= 393
NON-ADIVASI HH	361	+	NON-ADIVASI HH	520	= 881
TOTAL VILLAGES	148	+	TOTAL VILLAGES	153	= 301
ADIVASI VILLAGE	117	+	ADIVASI VILLAGE	117	= 234
PVTG VILLAGE	10	+	PVTG VILLAGE	10	= 20
NON-ADIVASI VILLAGE	21	+	NON-ADIVASI VILLAGE	26	= 47
SAMPLED BLOCKS	27	+	SAMPLED BLOCKS	28	= 55
SAMPLED DISTRICTS	11	+	SAMPLED DISTRICTS	11	= 22
TOTAL FGD	24	+	TOTAL FGD	26	= 50
TOTAL INTERVIEW	11	+	TOTAL INTERVIEW	17	= 28

The entire data collection exercise was conducted during the period from May 2022 to July 2022 in Madhya Pradesh and from May 2022 to August 2022 in Chhattisgarh.





Explanatory notes:

The sampling method is given in the previous section. The data and its inferences are presented hereunder:

1. Data from Madhya Pradesh and Chhattisgarh has three categories: Adivasi, Non-Adivasi, and PVTGs. PVTGs are essentially Adivasi, but data on them is shown separately since they are considered a special category among Adivasi people. The "Non-Adivasi" category is not homogeneous. The households included in this category belong to different castes, including those of scheduled castes, OBCs, and minorities.
2. Data for female-headed households is also presented separately in the section on gender and livelihoods.
3. An attempt is made to present the picture "as is" without necessarily offering explanations as to why it is so.
4. Household income comprises two components: actual cash income earned during the year from farm produce, wages received, pensions, etc. credited in bank accounts, income from businesses, etc. The second component is the "imputed value" of goods produced or collected but consumed at home.

A substantial part of farm produce and forest collection is directly used for family sustenance. The consequence is that attempts to value the output of farm or collection enterprises at prices prevalent in the market in order to compute their household incomes may result in partial estimates as the items consumed at home, their quantities, and their quality are difficult to capture in a single-contact survey. On the other hand, activities based on the engagement of households in the "mainstream" economy relatively more easily yield data about monetized incomes. Nonetheless, we have to value the imputed consumption for a better understanding of livelihood outcomes and the well-being of households. Hence, this study has made an effort to obtain data from the respondents about monetized incomes as well as imputed income from consumption, recognising that this may still have gaps in assessing their total income. Market prices specific to the state or to the average household have been used to evaluate the imputed consumption. Essentially, our measurement is better at capturing monetized incomes using pricing information specific to households and captures the value of imputed consumption in a less specific and more general (at the state or representative household level) manner.

5. Income figures are net of out-of-pocket costs. The cost of applied family labour or homegrown inputs (farmyard manure, animal draught power) has not been netted in the gross sales proceeds.
6. For every season, crop price is calculated from the survey data. The formula for calculating data-based price was as follows:

$$\left(\sum_{i=1}^n \text{Gross income}_{ij}^{st} \right) / \left(\sum_{i=1}^n \text{Quantity sold}_{ij}^{st} \right)$$

Where $\text{Gross income}_{ij}^{st}$ is the income of i^{th} household in state s (Madhya Pradesh or Chhattisgarh) from selling j^{th} crop in t^{th} season (kharif, rabi, or summer) and $\text{Quantity sold}_{ij}^{st}$ is the quantity of the j^{th} crop sold in t^{th} season by i^{th} household in states. These calculated prices are compared with minimum support prices (MSP) of agricultural year 2021-22 (in case of vegetable, the reference is annual prices provided by National Horticulture Board.). Wherever calculated price was different (both less than and greater than) from MSP by 20%, MSP has been considered.

For cases, where MSP is not available for reference comparison, calculated price is used as it is. For cases, where calculated price is not available then MSP is considered as the price for that crop in that season. For cases where neither state has calculated price available nor MSP, then price is assumed to be ₹ 1000 per quintal.

7. For vegetables, whenever data-based prices were not available or were too low or too high (like a few rupees per quintal), a weighted average season price calculated from price information provided by the National Horticulture Board (NHB) was used. A weighted average season price for a vegetable for a given season is calculated for the key market in the state: Bhopal for Madhya Pradesh and Raipur for Chhattisgarh. When such a price is not available, for example, the summer price for Peas in Madhya Pradesh, the annual weighted average price of 2021 is used. Where NHB information is not available, prices calculated from other states for that season have been used.



Table 1.6: Crop prices considered for farm income calculation (Rs/per quintal)

Madhya Pradesh				Chhattisgarh		
Crops	Kharif	Rabi	Summer	Kharif	Rabi	Summer
Maize	1741	1829	2029	1870	1593	1870
Wheat	2455	2002	2143	2015	1716	1888
Paddy	1755	1700	1950	2033	1950	1768
Barley	1473	1635	1635	1635	1635	1635
Siur_Marsha_Chalai	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Phoolan	6296	6296	6296	6296	6296	6296
Ogla	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Phapra	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Kodo-Kutki	2690	2690	2690	2690	2690	2690
Gangdi	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Sugercane	290	290	290	260	290	290
Rajma	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Mash	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Kulth	2000	2500	2250	5979	2500	4240
Soyabean	5027	3950	4750	3950	3950	3950
Masoor	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Arhar	4960	6300	6300	5562	6300	6300
Urad	6300	6300	3797	7434	6300	6300
Oilseeds	3940	3940	3940	3940	3940	3940
Mustard	5818	5667	5050	5417	5050	5050
Linseed	8333	8333	8333	8333	8333	8333





Table 1.7: Vegetable prices considered for farm income calculation (Rs/per quintal)

 Madhya Pradesh				 Chhattisgarh		
Vegetables	Kharif	Rabi	Summer	Kharif	Rabi	Summer
Potatoes	2000	1248	1000	1702	844	1500
Peas	1284	3920	1284	1169	2434	2444
Beans	4110	4400	4255	4110	4400	4255
Cabbage	1300	1300	1300	2568	1149	1545
Tomatoes	2119	828	3000	2092	2482	1934
Garlic	1915	4407	8000	7863	5781	4851
Katcha Aloo	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Chilies	5556	2569	2569	4495	1982	1922
Onion	1217	1551	806	1713	1643	2571
Cow Pea	2418	2660	1282	2418	2660	1282
Bengal Gram	5000	4725	4912	4530	4694	3900
Green Gram	4501	4855	5350	5200	5200	5200
Katchoo	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Kanda	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Cauliflowers	3500	4667	1841	2941	1843	3857
Lady Fingers	6708	4364	1846	2743	982	2428
Cucumber	1300	1667	800	5543	1000	1235
Coriander Ginger	2577	2577	2577	3300	3051	2385
Bitter Gourd	5896	4129	2662	3586	1500	2704
Other gourd	1333	1333	1333	1333	1333	1333
Brinjal	1408	1408	1408	2313	1504	1577

REFERENCES AND NOTES

[1] See for instance Buch MN, "The Madhya Pradesh Forests, Their Degradation, and Their Implications," India International Centre Quarterly; Vol. 17, No. 2 (Monsoon 1990), pp. 117-124 (8 pages)

¹The tables show the sample design. Minor variations may occur due to field conditions

²Income has been calculated by subtracting the operating cost from the revenue earned from the particular activity



#02

**SOCIAL AND
CULTURAL ETHOS
IN WHICH
LIVELIHOODS
ARE
PRACTISED**





This chapter is based on interviews with individuals who are well-known in their respective areas of expertise and are considered knowledgeable about the issues of Adivasis. A total of 28 respondents were interviewed – 17 from Chhattisgarh and 11 from Madhya Pradesh. Out of these, 22 belong to the Scheduled Tribes (ST), specifically the tribes of Gond, Baiga, Oraon, Bhil, Agariya and Pradhan. Among them, 11 were women. The following paragraphs summarize the information and views shared by these interviewees on diverse aspects of the cultural ethos.

ADIVASIYAT

In Chhattisgarh and Madhya Pradesh, there are 42 and 46 different Adivasi groups respectively, that have been recognised as either Scheduled Tribes (ST) or Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG). Some cultural values are common among all of these groups. These values define the ‘adivasiyat’ (the core belief system and nature of an Adivasi) and differentiate them from non-Adivasis. The two most important values, shared by almost every respondent, were togetherness and non-hierarchical communities and non-extractive relationships with nature. All their relationships, languages, art forms, life skills, rituals, social systems and processes and livelihoods are shaped by these values.

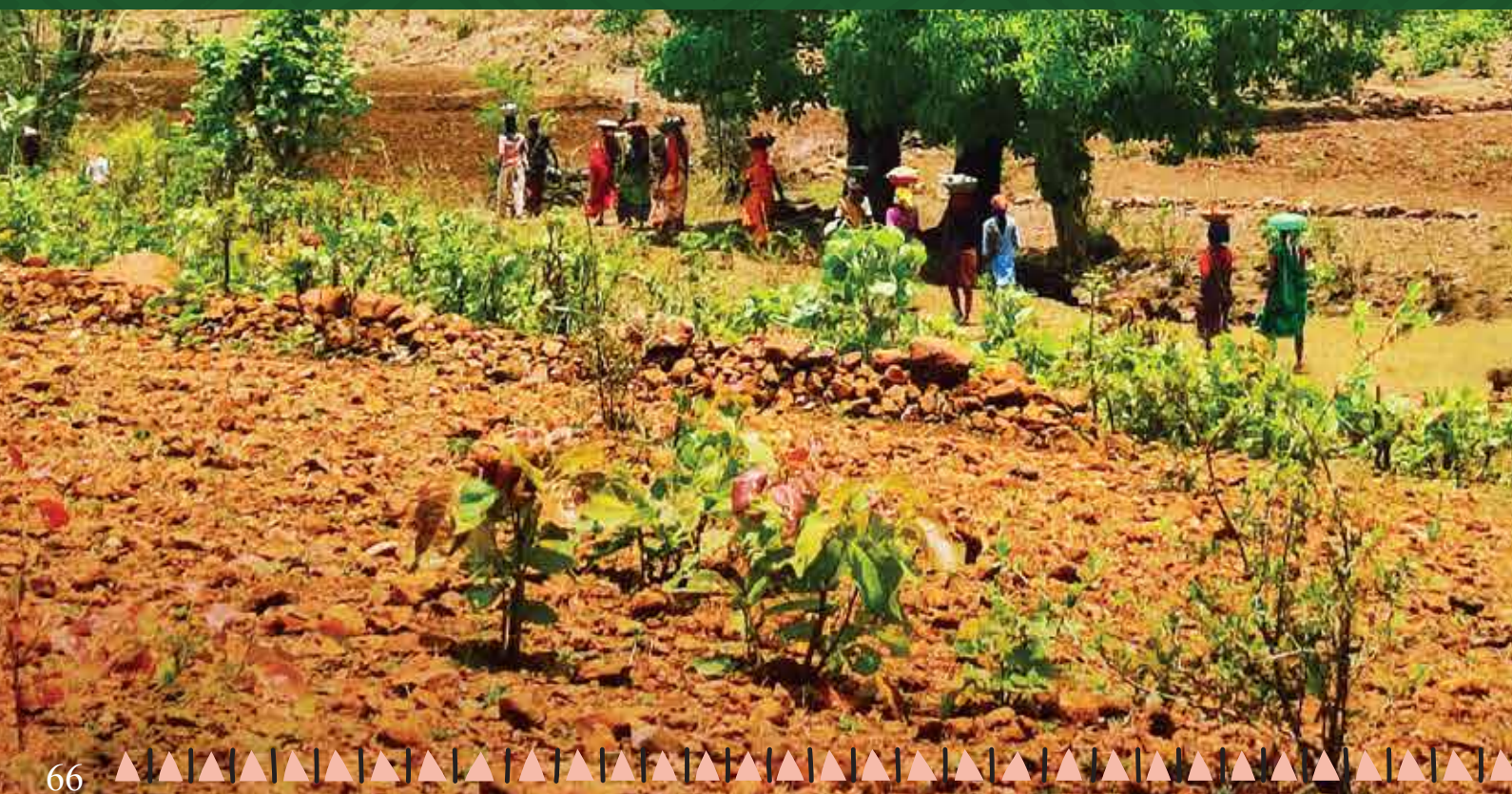
For example, traditional agricultural practices were based on sharing of labour and seeds. Mutual help can be observed also

in the form of offering food, clothes, and shelter to those in need within the community. Most traditional agricultural practices of Adivasis are based on need rather than greed; and therefore, they are non-extractive and intended for rejuvenation. When gathering from the forest, they ensure enough space is left for rejuvenation and the maintenance of bio-diversity. On the contrary, in non-Adivasi societies, the human species is placed at the centre and all other components of nature, animate or inanimate, are considered resources to serve the human race. As a result, all their practices are designed to extract maximum profit from natural resources leading to ecological unsustainability.

a. Inter-tribal relationships and diversity:

Although there are common values and worldviews upheld by all tribes, tribal cultures are not homogeneous. While most tribal groups practised settled agriculture, PVTGs are primarily artisans.

The songs, dance forms and paintings depict the value of collectiveness and symbiotic relationship with nature. However, these representations are not exactly the same for all the tribes. For example, Gond paintings differ greatly from Bhil Paintings in terms of their form and their intended message.



b. Women in Adivasi societies:

By and large, respondents shared that Adivasi women within Adivasi society have better positions than their counterparts in non-Adivasi societies. Most respondents mentioned mobility and autonomy as reasons for the improved status of women in Adivasi society. There are no taboos associated with women going out for work or to the market. However, it was also mentioned that Adivasi women are responsible for a significant portion of household work, such as collecting forest products and engaging in agricultural activities.

Nevertheless, patriarchal discrimination remains visible in their customary practices, laws, role division and decision making processes. Customary laws deny women's right to own land, often justified by prioritising community over individuals. However, with changing times, the position of women and the gender relationship are also undergoing changes. The interviewees shared both positive and negative instances of these changes.

On one hand, they discussed how mainstream discourse around gender equality has influenced Adivasi society, leading to more Adivasi women gaining landownership. On the other hand, they highlighted how the objectification of women in the mainstream media and films has contributed to an increase in cases of sexual assault on women in Adivasi communities. Recently, community based organizations (CBOs) and Government programmes have been working to strengthen

women's organisations, self help groups (SHGs) and other associative structures, facilitating their participation in the decision-making processes in the village. Some women respondents, who are also part of SHGs, shared that this has helped women to have some control over decision-making, both within their families as well as in the village. Additionally, certain policies related to women's ownership of land have also played a role in changing the position of women in Adivasi society.

c. Changing values, relationships and aspirations:

Interviewees expressed their concern that the younger generation does not fully embrace the worldview of togetherness and non-extractive relationship with nature. They, the youth, also have limited knowledge about their traditions, skillsets and cultural values. This shift in perspective is attributed to exposure to cities, modern technology and mainstream education.

The current school education system does not teach the knowledge and skillsets required for sustainable living in the village. Furthermore, the medium of instruction in schools is often not their native language. As a result, Adivasi village youth are not equipped with the necessary skills to earn a sustainable living in their own villages or to compete with youth from non-Adivasi communities or urban areas for lucrative employment opportunities in cities.





d. Changing access and livelihoods:

Forest

In both Madhya Pradesh and Chhattisgarh, all the respondents shared that forests have always been integral to Adivasi life and livelihoods. Many of them mentioned that until very recently, around 30 to 40 years ago, Adivasis relied on the forest for almost everything. There is a saying shared by many of the respondents that Adivasis were dependent on the market only for salt and clothes, everything else was readily available in the forest. Because of this dependency, their traditional methods of collecting Non-Timber Forest Products (NTFPs) were designed to ensure the region's biodiversity was not harmed. For example, they collected food from plants in a way that allowed for regrowth and rejuvenation of the plants. They followed specific ways and seasons for cutting and planting trees to ensure forest sustainability.

They also ensured that they collect only what they need. In the Adivasi tradition, they do not believe in the accumulation of excess amounts, be it food or money or any other products. However, the scenario is changing rapidly. The Government and the Forest Department often view forests as a resource of income, focusing on timber, wood trees and plants with market demand in their projects and schemes. This practice fails to consider the symbiotic relationship that Adivasis have with their forests.

Further, the market has been playing an important role in changing the mindset. The case of Malihan (*Bauhinia vahlii*) is illustrative. It is almost disappearing from Baiga Chak. The leaves are collected because of the huge market demand. On the other hand, it was treated as a weed by the forest department and therefore no new plantation of this creeper was done. According to most of the respondents, the Forest Rights Act 2006, if implemented in its true spirit, may be helpful in the regeneration of forests.

Agriculture

Many interviewees expressed that Adivasis had intricate knowledge of natural cycles and seasons, and they were conscious of the regeneration of flora and fauna. This has influenced their crop choices, seed selection and farming methods. The value of togetherness was also embedded in their agricultural practices, which was evident in activities such as seed exchange, labour sharing, or celebrating the harvest together in the 'Nawakhai' festival.

However, gradual changes have been visible in these regions over the past 10-15 years. People have started replacing the native seeds with high-yielding varieties, using inorganic fertilisers and pesticides. In many cases, crops like millets have been replaced with paddy or wheat. These changes in crop choices have also led to a shift in food habits among the Adivasis.

Civil Society Organisations and extension departments of government have indeed played a major role in this shift. They have helped the Adivasi farmers in adopting the recommended package of practices provided by the agricultural scientists and seed companies in order to increase the yield. Training, support, seed distribution have been provided to reinforce these practices. However, in this process, the traditional knowledge systems of Adivasis related to farms and forests have gradually become redundant. They have become beneficiaries and have lost control over their own agricultural knowledge and decision-making. Consequently, Adivasi youth have become less interested in agriculture due to this lack of control and limited scope for creativity, among other factors.

Migration

Some respondents shared that a section of Adivasis migrates to other places such as Kerala, Andhra Pradesh, and Maharashtra for income mainly due to low farm output, decreasing access to and increasing pressure on forests, and a lack of other options for income. As their education levels are low, a majority of Adivasi youth migrate for low-paying casual and menial work. A few respondents also mentioned that fewer people were migrating for work post-COVID.

Arts and craft

There are various small artisan groups in both states who have a tradition of painting, singing and dancing or doing metal artwork. The interviewees included renowned painters from Gond and Bhil communities, metalsmiths, dancers from the Baiga community, etc. According to them, traditionally, everyone in their tribe possessed the skills of their respective art forms. However, many interviewees lamented that now only a few individuals, either recognised by outsiders or able to earn a livelihood by selling their talent in the market, were continuing these art forms. Recognition by the government has also helped them to gain access to the national and international markets. They have had to adapt their products to meet the market demand. For example, Gond paintings, traditionally done on the walls or doors are now being created



on clothes, cutlery, paper and other mediums to cater to the urban market. During the Covid-19 pandemic, the usual marketing channels were disrupted and due to a lack of access to marketing technology, the artisans faced significant challenges in selling their products. Some respondents expressed that the government can play a critical role in regenerating interest in these art forms among the youth.

Enterprise

Almost all the respondents said that, by and large, Adivasis were not good entrepreneurs. That is why markets in Adivasi-populated areas are also dominated by non-Adivasis. A slow yet gradual change in this aspect was also pointed out by some interviewees. The government and CSOs have been working in Adivasi areas to inculcate entrepreneurial energy through formulating and implementing various schemes and projects, such as promoting FPOs, so that Adivasis can claim their space in the market.





#03

**THE RESOURCE
BASE WITHIN
WHICH
LIVELIHOODS
ARE PRACTISED**





The livelihoods of the Adivasis in these states have historically depended on the forest and even their farming system is unique, depending on the type of forest fringe settlements in which they are located. Forests, land, water, and animals are the key resources that Adivasis possess. This section provides details on the availability of these resources and their characteristics in these two states. It also discusses the implications of these resources on the livelihoods of Adivasis.

Chhattisgarh entirely falls within Agroclimatic Zone VII, which is categorized as the Eastern Plateau and Hills. Madhya

Pradesh, the second-largest state in India in terms of area, falls under three Agroclimatic zones- Eastern Plateau and Hills (Zone VII), Central Plateau and Hills (Zone VIII), and Western Plateau and Hills (Zone IX). The Adivasi population is spread across Chhattisgarh, with the highest concentration in the Bastar plateau region. In Madhya Pradesh, the Southern and Eastern districts of Madhya Pradesh (i.e., the area adjoining Chhattisgarh and Maharashtra, a continuum of Adivasi settlements) have the highest concentration of Adivasis.

3.1 FOREST RESOURCE

The forest cover in Chhattisgarh and Madhya Pradesh is 41.14% and 25.14% respectively. In Chhattisgarh, the area occupied by very dense forest is 5.23% with 0.45% classified as scrubland. In Madhya Pradesh these figures are 2.17% for very dense forest and 1.95% for scrubland. According to our study, the percentage of Adivasi villages located in the forest fringe area is 93% in Chhattisgarh and 83% in Madhya Pradesh. Even the non-forest fringe Adivasi villages are at a maximum distance of 1.4 km. Sal (*Shorea robusta*), teak (*Tectona grandis*), bija (*Pterocarpus marsupium*), harra (*Terminalia chebula*), babool (*Acacia nilotica*), and bamboo (*Bambusa sp.*) are some of the main species in the deciduous forests of both these states. Both in Madhya Pradesh and in Chhattisgarh people expressed dependence on the forest for fuel, fodder, food, medicine, etc. They reported collecting inter-alia, firewood, Tendu (*Diospyros melanoxylon*), Mahua (*Madhuca Longifolia*), Char-Chironjee, (*Buchanania cochinchinensis*), Bilva (*Aegle marmelos*), Mushroom, Sal Seed (*Shorea robusta*), Datum (tooth brush), Sargi Paan, different fruits, Banjit, Vanatulasi (*Ocimum gratissimum* Linn.), Charota (*Cassia tora*), Puttu, Amla (*Phyllanthus Emblica*), Chirata (*Swertia chirata*), Jamela, Jamun (*Syzygium cumini*), Boda, Harra (*Terminalia chebula*) and Bahera (*Terminalia bellirica*) from the forest for selling as well as consumption in the households. When sold, Sal seeds fetch the highest price in the market, followed by Char, tendu and Mahua. However, villagers expressed concern over the depletion of forests and their biodiversity leading to the unavailability of firewood and other minor forest products. Villagers blamed themselves for over-exploitation and the forest department for not replanting these species.

The Forest Rights Act (FRA) of 2006 was a landmark act for providing access and rights to Adivasis. Chhattisgarh, with an 89.9% approval rate for community forest rights (CFR), has had the highest approval rate in the last 16 years of the act. However, the approval rate of individual forest rights (IFR) approval remains at just 51.18% of total claims in Chhattisgarh; for Madhya Pradesh, it is only 45.55% of total claims. Nevertheless, the Centre for Environment & Development estimates that the CFR potential in Chhattisgarh is 53,843 sq. km. which is 96% of the total forest area, compared to Madhya Pradesh's 57,948 sq. km., i.e., 61% of the total forest area. This itself reflects the potential that FRA has towards Adivasi rights and livelihoods. However, it is important to note that the forest area is shrinking. From 2001 to 2021, Chhattisgarh lost 1.4% of its primary forest area, while during the same period, Madhya Pradesh experienced a loss of 0.82%. The decreasing forest cover has led to a rise in human-animal conflict, even in villages located far from the forests. These conflicts pose a threat to safety and cause crop losses in Adivasi settlements. According to the survey, 57% of the villages reported encountering animal attacks in the past year, with 45-47% of villages reporting crop damage caused by wild animals (Annexure D, table 10 and 18).

3.2 WATER RESOURCE

The annual average rainfall is 1276 mm in Chhattisgarh and 1172 mm in Madhya Pradesh. The rainfall in the Bhil region in Madhya Pradesh is however both limited to 900 mm and is more unpredictable. A plethora of seasonal streams and major rivers flow through and drain the Adivasi lands. Mahanadi, Indravati, Narmada, Son, Betwa, etc. are some of the major rivers that greatly influence the lives and livelihoods of the people of these two states.

Farming and livestock rearing are important livelihood activities for Adivasis, and historically, their settlements have been near water bodies. However, in the decades of development, there has been no focus on water resource development for Adivasis in their own areas. The water harvesting structures that were created mainly catered to non-Adivasi areas downstream. Even the groundwater development in Madhya Pradesh is significantly higher in non-Adivasi regions. According to the survey, 41% of villages in Chhattisgarh reported having reservoirs/tanks or ponds, whereas only 19 % in Madhya Pradesh did so. (see Annexure D, Table 7 and 15). As per the Socio-Economic Caste Census (SECC) 2011, the percentage of land with assured two-season irrigation for Adivasi households in Chhattisgarh and Madhya Pradesh is 12.6% and 39.1% respectively. Only 3.6% of Adivasi households in Chhattisgarh have any kind of irrigation equipment; while in Madhya Pradesh, this percentage is 15.2%. The survey reveals that 12.4% of Adivasi households in Chhattisgarh reported having all-season irrigation facilities against the non-Adivasi percentage of 17.2%. In Madhya Pradesh, the percentages are 17.5% and 28% respectively (See Annexure C, Table 1).

Regarding drinking water facilities, 99% of villages reported having public drinking water facilities in Chhattisgarh; 22% of villages have private drinking water facilities against 48% in non-Adivasi villages. While in Madhya Pradesh, 97% of the villages reported having public drinking water facilities. 25% of villages have private drinking water facilities against 63% in non-Adivasi villages (see Annexure D, Table 7 and 15).

In the Focus Group Discussions, it emerged in many villages that there was a shortage of water for domestic use during the summer months. There are wells, borewells, and handpumps in villages. But accessing drinking water remains a struggle, especially during the summer months. In some villages, women reported that even though there was water supply to households under the Jal Nal Yojna in the village; the pipes still run dry. Many hand pumps in some villages also run dry, while

others have contaminated water, with only a few yielding clean and potable water. Households with wells also face difficulties during the summer as the water level drops and the wells dry up. Moreover, in some villages, people shared that they experienced health issues during the rainy season due to consuming contaminated water.

3.3 LAND RESOURCE

In both these states, land is generally classified as upland, medium upland, and lowland, with different uses in agriculture and other activities. The net sown area of Chhattisgarh and Madhya Pradesh is 33.94% and 49.91% of the geographic area, with current fallows being 1.94% and 1.26% respectively. However, over decades of development, Adivasis have been alienated from land resources by either losing lands to reserved/protected forests or losing lands to industries. SECC 2011 shows that only 53.3% of Adivasi households in Chhattisgarh and 45.3% of Adivasi households in Madhya Pradesh have land assets (See Annexure C, Table 1). For farming purposes, only about 4% of Adivasi households take lands on lease, the percentage is the same in non-Adivasi households as well.

3.4 ANIMAL RESOURCE

The 19th Livestock Census 2012 reported a total livestock population of 15.04 million in Chhattisgarh and 36.33 million in Madhya Pradesh. Grazing in forest areas is a common practice and animal stocks are also fed minor millets, as well as stalks and stovers of these plants, which easily grow on their lands. For high-yielding breeds, the investment in feed is high, as well as initial capital investment is high. Adivasis, with fragile income sources and their nature of their settlement, are unable to invest significant capital to achieve higher returns. Free grazing in the area creates tension in protecting crops and dealing with the issue of stray cows. This is one reason why rabi cultivation is not common in Adivasi areas.

All the natural and man-made resources available in Adivasi villages are summed up in Annexure D for both the states.



REFERENCES AND NOTES

- ⁱSinha, D. K. (N.A.) 15 Agro-Climatic Zones in India Categorised by the Planning Commission.
<https://www.yourarticlelibrary.com/geography/15-agro-climatic-zones-in-india-categorised-by-the-planning-commission/42307>.
-
- ⁱⁱForest Survey of India (2019) India State of Forest Report 2019. <https://fsi.nic.in/isfr19/vol2/isfr-2019-vol-ii-chhattisgarh.pdf>.
-
- ⁱⁱⁱForest Survey of India (2019) India State of Forest Report 2019.
<https://fsi.nic.in/isfr19/vol2/isfr-2019-vol-ii-madhya-pradesh.pdf>.
-
- ^{iv}Tripathi, A. (2022) The Long Wait: 16 years on, only 50% claims settled under the Forest Rights Act, Gaon Connection, Lead Story, 28 December 2022.
<https://www.gaonconnection.com/lead-stories/forest-rights-act-land-titles-tribals-ativasi-claims-settlement-indigenous-community-india-laws-analysis-51526>.
-
- ^vLele, S. et al. (2020) Estimating and Mapping CFR potential For Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, and Maharashtra, Centre for Environment and Development, ATREE.
https://www.atree.org/sites/default/files/reports/CFR_Potential_Mapping_Report_compressed.pdf.
-
- ^{vi}Global Forest Watch (2021) <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IND/7>.
-
- ^{vii}Global Forest Watch (2021) <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IND/19>.
-
- ^{viii}Singh, M. (2022) 'Access to Resources Eludes Tribals', India Water Portal
<https://www.indiawaterportal.org/articles/access-resources-eludes-tribals>.
-
- ^{ix}Ministry of Agriculture (2014) Agricultural Statistics at a Glance 2014, Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation Directorate of Economics & Statistics.
<https://eands.dacnet.nic.in/PDF/Agricultural-Statistics-At-Glance2014.pdf>.
-
- ^xKakvi, K (2019) MP Tops in Tiger Conservation, But Lost 17,781 Acres Forest Land, Says FSI report, News Archive, NEWS CLICK. <https://www.newsclick.in/mp-tops-tiger-conservation-lost-17781-acres-forest-land-says-fsi-report>.
-
- ^{xi}Mazoomdaar, J (2022) 'Explained: Chhattisgarh's forest 'by mistake'', News Archive, The Indian Express.
<https://indianexpress.com/article/explained/explained-chhattisgarh-forest-by-mistake-8114153/>.
-
- ^{xii}See endnote ii and iii
-
- ^{xiii}Catalyst Management Services (2009) Impact Assessment of Agriculture Interventions in Tribal Areas in Madhya Pradesh.
<https://mpplanningcommission.gov.in/international-aided-projects/pmpsu/publication/Impact%20Assessment%20of%20Agriculture%20Interventions%20in%20Tribal%20Areas%20in%20Madhya%20Pradesh%20.pdf>.
-
- ^{xiv}Chand, P. et al. (2018) 'How profitable is dairying in tribal Chhattisgarh?', Indian Journal of Animal Sciences, 88 (6): 749–754.
DOI: 10.56093/ijans.v88i6.80899.



#04

**INFRASTRUCTURE
AND
RESOURCE
DEVELOPMENT**





7 areas of external interventions were identified by the villagers to be covered in this study. These included education, water, health and nutrition, food, access and communication, electricity and the presence of NGOs (development agencies) in the village. These interventions were selected as key external factors that have an impact on livelihoods. These interventions can be categorised as material and personnel as Buhr (2003) has done while categorising infrastructures. Material infrastructure refers to capital goods, while personnel infrastructure represents the human capital required to construct and run the material infrastructure. Buhr also suggests a third category called instructional infrastructure, which encompasses institutional structures, rules and procedures. However, we have not utilized this category. Instead, we have focused on the services and facilities provided by the institutions. This is indicated in Table 4.1 below

Table 4.1: Classes of External Interventions

AREAS	INTERVENTIONS	
	Material infrastructure	Personnel and services
Education	Distance of primary school, secondary school, higher secondary school, college	
Water	Tank/pond/reservoir, public drinking water source	
Health and nutrition	Anganwadi centre, average distance of primary health centre, CHC and pharmacy shop from villages	ASHA worker, vaccination in anganwadi centre, mid-day-meal in the school, take home ration service from anganwadi centre
Food	PDS outlet	
Communication	All-weather road connecting to block headquarter, all-weather inter-village road, mobile network	Connected with public transport
Other	Electricity	Non-government organisation's presence

Most of the existing literature on the link between infrastructure and well-being suggests a positive correlation. World Development Report by the World Bank identified infrastructure as an important tool for poverty alleviation (World Bank, 1990), (World Bank, 2000). Ifzal and Ernesto (2003), argue that sustainable and socially inclusive development is possible when economic growth is accompanied by macroeconomic management and good governance which includes infrastructure creation. Nikhil Anand (2017) shows how infrastructure is a dynamic social process that shapes and is shaped by differentiated forms of living. However, Aschauer (1990) discussed about both the positive and negative impacts of infrastructure on the well-being of different sections of people.

Studies conducted in India show similar results. One study by Jalan and Ravallion (2002) indicates that a significant proportion of poverty in poor areas can be attributed to a gap in

infrastructure and its deficiency, even after controlling for household attributes. The lack of access to products and markets resulting from such deficiencies is considered a primary cause of poverty. Other similar studies that link poverty with infrastructure in the Indian context such as those by Rao, Gupta and Sharma (1986), Amis and Kumar (2003) also show a positive correlation between infrastructure and well-being.

A set of data shared by the Honourable Union Minister for Tribal Affairs, Arjun Munda, in response to a parliamentary question raised in the Lok Sabha on November 18, 2019, further confirms the deprivation of infrastructure in tribal areas. The data shows that 34% of tribal villages are not connected by all-weather roads, 30% of villages lack public transport facilities, and 12% of tribal villages do not have schools.



Our primary data on the presence of primary schools, Anganwadi centres, primary health centres, pharmacy shops, PDS outlets, mobile networks, electricity, all-weather roads, public transport, etc. has been captured from the sampled villages and presented in tables 4.2 and 4.3 below. The data shows that the entire Adivasi region is suffering from poor infrastructure. However, within the region, Adivasi villages are more neglected.

In both states, the average distance of villages from block headquarters is highest for PVTG villages, followed by Adivasi villages. Non-Adivasi villages, on the other hand are closer to block headquarters. In Madhya Pradesh, 42% of Adivasi villages and only 30% of Adivasi and 9% of PVTG villages in Chhattisgarh are connected to block headquarters through public transport. For non-Adivasi villages, the percentages are 63% and 40% respectively for Madhya Pradesh and Chhattisgarh. However, 80% of PVTG villages in Madhya Pradesh have public transport linking them to block headquarters.

In Madhya Pradesh, 51% of Adivasi, 63% of non-Adivasi and 50% of PVTG villages have a Public Distribution System (PDS) outlet. In Chhattisgarh, the percentages are 63% for Adivasi villages, 88% for non-Adivasi villages, and 36% for PVTG villages.

In terms of Community Forest Rights (CFR) claims, in Chhattisgarh, 22% of the villages were able to settle their claims under CFR, while 29% of villages raised demands for CFR. In Madhya Pradesh, the percentages are 3% and 11% respectively, indicating lower settlement rates for CFR claims compared to Chhattisgarh.

66% of Adivasi villages in Madhya Pradesh and 72% of Adivasi villages in Chhattisgarh can access at least one mobile network. This is 84% for non-Adivasis in Madhya Pradesh. In Chhattisgarh, 100% of sampled non-Adivasi villages have access to at least one mobile network. For PVTG villages, the percentages are 90% and 64% for Madhya Pradesh and Chhattisgarh respectively.

The average distance of the Primary Health Centre in the case of Adivasi villages is 7.5 km in Madhya Pradesh and 6.8 km in Chhattisgarh. For PVTG villages, it is 8.7 km and 5.8 km and for non-Adivasi villages, it is 5.5 km and 15.6 km, respectively in Madhya Pradesh and Chhattisgarh.





Table 4.2 : Madhya Pradesh public service access in the villages

Public Infrastructure	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of villages with tank/pond/reservoir	19.0	16.0	40.0
Villages with public drinking water sources	97.0	95.0	100.0
Average distance from block headquarters (km)	25.0	22.0	26.0
Percentage of villages with all-weather road to block headquarters	78.0	79.0	80.0
Connecting road in not bad condition at the time of survey (percentage)	79.0	68.0	80.0
Percentage of villages connected to block headquarters by public transport	42.0	63.0	80.0
Percentage of villages with all-weather intra-village road	53.0	79.0	80.0
Intra-village road in not bad conditions at the time of survey (percentage)	67.0	74.0	90.0
Electricity connection in all hamlets – percentage	80.0	95.0	100.0
Mobile network access – percentage	66.0	84.0	90.0
Village with primary school – percentage	97.0	100.0	100.0
Average distance of the nearest primary school (km) when not in village	4.0		
Villages with secondary school – percentage	11.0	16.0	30.0
Average distance of the nearest secondary school (km) when it is not in village	7.0	6.0	10.0
Villages with higher secondary school – percentage	9.0	26.0	0.0
Average distance of the nearest higher secondary school (km) when it is not in village	9.0	6.0	16.0
Villages with college – percentage	1.0	0.0	0.0
Average distance of the nearest college (km) when it is not in village	23.0	17.0	21.0
Villages with mines nearby – percentage	4.0	11.0	30.0
Villages with polluted waterbodies as a result of mining - percentage	0.0	50.0	33.0
Villages close to forest - percentage	83.0	68.0	100.0
Average distance from forest when nearby	1.4	3.2	1.9
Villages applied for CFR - percentage of total	11.0	0.0	30.0
Villages received CFR - percentage of total	3.0	0.0	10.0
Villages with ICDS/Anganwadi - percentage of total	98.0	95.0	100.0
Villages associated with at least one NGO - percentage of total	36.0	42.0	80.0
Villages with PDS outlet- percentage of total	51.0	63.0	50.0
Villages with functioning Take Home Ration (THR) programme of Anganwadi - percentage of total	29.0	53.0	80.0
Villages with functioning mid-day meal scheme - percentage of total	75.0	84.0	100.0
Average village distance from PHC (km)	7.5	5.5	8.7
Average village distance from CHC (km)	16.9	13.8	18.0
Average distance from nearest pharmacy shop (km)	10.0	4.9	11.6



Table 4.3: Chhattisgarh public service access in the villages

Public Infrastructure	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of villages with tank/pond/reservoir	41.0	40.0	27.0
Villages with public drinking water sources	99.0	92.0	100.0
Average distance from block headquarters (km)	20.0	14.0	32.0
Percentage of villages with all-weather road to block headquarters	80.0	100.0	82.0
Connecting road in not bad condition at the time of survey (percentage)	78.0	88.0	64.0
Percentage of villages connected to block headquarters by public transport	30.0	40.0	9.0
Percentage villages with all-weather intra-village road	62.0	84.0	55.0
Intra-village road in not bad condition at the time of survey (percentage)	66.0	80.0	55.0
Electricity connection in all hamlets – percentage	87.0	96.0	91.0
Mobile network access – percentage	72.0	100.0	64.0
Village with primary school – percentage	98.0	100.0	100.0
Average distance of the nearest primary school (km) when not in village	4.0		
Villages with secondary school – percentage	21.0	24.0	27.0
Average distance of the nearest secondary school (km) when it is not in village	6.0	4.0	8.0
Villages with higher secondary school – percentage	13.0	20.0	36.0
Average distance of the nearest higher secondary school (km) when it is not in village	9.0	4.0	7.0
Villages with college – percentage	1.0	12.0	0.0
Average distance of the nearest college (km) when it is not in village	19.0	14.0	15.0
Villages with mines nearby – percentage	5.0	4.0	0.0
Villages with polluted waterbodies as a result of mining - percentage	33.0	100.0	
Villages close to forest - percentage	93.0	80.0	100.0
Average distance from forest when nearby	1.4	2.9	0.6
Villages applied for CFR - percentage of total	29.0	0.0	18.0
Villages received CFR - percentage of total	22.0	0.0	9.0
Villages with ICDS/Anganwadi - percentage of total	100.0	100.0	100.0
Villages associated with at least one NGO - percentage of total	59.0	56.0	45.0
Villages with PDS outlet- percentage of total	63.0	88.0	36.0
Villages with functioning Take Home Ration (THR) programme of Anganwadi - percentage of total	18.0	24.0	18.0
Villages with functioning Mid-day meal scheme - percentage of total	97.0	100.0	100.0
Average village distance from PHC (km)	6.8	15.6	5.8
Average village distance from CHC (km)	14.9	20.8	17.7
Average distance from nearest pharmacy shop (km)	12.7	6.6	10.6



The survey also gathered information on the morbidity experienced by the respondent households. They were asked about illnesses occurring in the family, the diagnosis if they were aware of it, and the type of treatment they sought and received. The data presented in Tables 4.4 through 4.11 is based on recall, where the incidence of sickness refers to one month prior to the date of the contact and the incidence of death refers to a year prior to the date of the contact.

Table 4.4 Incidence of Sickness and Medical Expenses, Madhya Pradesh

Health indicator	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
HH had sick member/s (%)	19.00	23.8	41.3
Average expenditure on treatment (Rs)	5,917	10,029	1,994
HH with sick member/s who borrowed money (%)	44.4	59.3	28.9
HH with sick member/s who used welfare scheme	13.3	20.9	12
HHs reporting death of a member (%)	4.3	3.6	9.0

From above Table 4.4, it is evident that PVTG households experience a slightly larger incidence of ill-health in Madhya Pradesh, yet they are able to afford the lowest out-of-pocket costs for treatment of their illness treatment. In Chhattisgarh, as indicated in Table 4.5, non-Adivasi households have reported higher number of illnesses, but they have also reported quite high out-of-pocket costs for their treatment. In both states, health expenditure by non-Adivasi households is much higher compared to tribal or PVTG households. This could be attributed to greater awareness of wellness and a willingness to incur costs to achieve it, rather than solely reflecting the actual ill-health. It can be plausibly argued that PVTG or Adivasis may simply live with a health issue, while non-tribal households surface it, resulting in higher expenditure. Furthermore, PVTG households demonstrate a strong reliance on traditional healers for healthcare services.

Table 4.5 Incidence of Sickness and Medical Expenses, Chhattisgarh

Health indicator	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
HH had sick member/s (%)	17.9	24.4	20.8
Average expenditure on treatment (Rs)	6,847	11,604	2,334
HH with sick member/s who borrowed money (%)	19.6	29.1	7.5
HH with sick member/s who used welfare scheme	17.9	21.3	7.5
HHs reporting death of a member (%)	4.3	3.6	9.0

Tables 4.6 through 4.11 show how the households behave in regard to seeking health services. In summary, it may be stated that there is a fairly high reliance on private registered medical practitioners as well as informal practitioners in both states. This may be due to the relatively insufficient reach of the state health system.



Table 4.6 Major types of treatment sought by Adivasis, Madhya Pradesh

Disease	Govt. Hospital	Pvt. Hospital	Ayurvedic doctor	ASHA	ANM	Traditional herbs	Informal practitioner	Pharmacist	No treatment	Other
Diarrhoea/Stomach disease	20.3	49.4	13.9	3.8	0.0	1.3	8.9	1.3	1.3	0.0
Malaria	26.4	46.2	8.8	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	1.1	0.0
Other fever	17.5	47.9	6.0	0.4	0.9	4.3	13.2	7.7	2.1	0.0
Measles	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TB	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Asthma	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jaundice	18.2	36.4	18.2	0.0	0.0	9.1	18.2	0.0	0.0	0.0
Diabetes	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0
Cancer	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Heart disease	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Covid-19	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Hypertension	50.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
Other	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Table 4.7 Major types of treatment sought by Adivasis, Chhattisgarh

Disease	Govt. Hospital	Pvt. Hospital	Ayurvedic doctor	ASHA	ANM	Traditional herbs	Informal practitioner	Pharmacist	No treatment	Other
Diarrhoea/Stomach disease	22.6	32.1	2.8	9.4	3.8	0.0	20.8	0.9	7.5	0.0
Malaria	29.5	38.6	2.3	4.5	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
Other fever	16.8	18.4	1.6	16.8	1.1	2.2	38.4	3.2	1.6	0.0
Measles	60.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TB	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Asthma	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jaundice	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Diabetes	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0
Cancer	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heart disease	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Covid-19	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hypertension	55.6	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	5.6	0.0
Other	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

**Table 4.8 Major types of treatment sought by Non-Adivasi, Madhya Pradesh**

Disease	Govt. Hospital	Pvt. Hospital	Ayurvedic doctor	ASHA	ANM	Traditional herbs	Informal practitioner	Pharmacist	No treatment	Other	N
Diarrhoea/Stomach disease	26.3	36.8	15.8	0.0	0.0	0.0	5.3	15.8	0.0	0.0	19
Malaria	30.8	46.2	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	7.7	0.0	0.0	13
Other fever	36.7	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	3.3	0.0	0.0	30
Measles	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
TB	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Asthma	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
Jaundice	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Diabetes	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	3
Cancer	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
Heart disease	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3
Covid-19	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
Hypertension	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6
Other	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0

Table 4.9 Major types of treatment sought by Non-Adivasi, Chhattisgarh

Disease	Govt. Hospital	Pvt. Hospital	Ayurvedic doctor	ASHA	ANM	Traditional herbs	Informal practitioner	Pharmacist	No treatment	Other	N
Diarrhoea/Stomach disease	39.1	39.1	0.0	8.7	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	23
Malaria	50.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	12.5	0.0	8
Other fever	42.4	15.3	0.0	5.1	0.0	0.0	28.8	6.8	1.7	0.0	59
Measles	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
TB	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
Asthma	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
Jaundice	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2
Diabetes	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6
Cancer	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Heart disease	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
Covid-19	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
Hypertension	60.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	5
Other	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0



Table 4.10 Major types of treatment sought by PVTG, Madhya Pradesh

Disease	Govt. Hospital	Pvt. Hospital	Ayurvedic doctor	ASHA	ANM	Traditional herbs	Informal practitioner	Pharmacist	No treatment	Other	N
Diarrhoea/Stomach disease	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4
Malaria	57.1	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	7
Other fever	34.9	19.0	7.9	0.0	0.0	0.0	34.9	1.6	1.6	0.0	63
Measles	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
TB	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Asthma	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
Jaundice	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Diabetes	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Cancer	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
Heart disease	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
Covid-19	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
Hypertension	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
Other	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0

Table 4.11 Major types of treatment sought by PVTG, Chhattisgarh

Disease	Govt. Hospital	Pvt. Hospital	Ayurvedic doctor	ASHA	ANM	Traditional herbs	Informal practitioner	Pharmacist	No treatment	Other	N
Diarrhoea/Stomach disease	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
Malaria	42.9	14.3	0.0	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7
Other fever	4.5	0.0	0.0	40.9	0.0	40.9	13.6	0.0	0.0	0.0	22
Measles	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
TB	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Asthma	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
Jaundice	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
Diabetes	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
Cancer	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
Heart disease	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
Covid-19	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
Hypertension	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	1
Other	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0

The survey also collected data about the extent of knowledge about and satisfaction that the respondents felt about various state welfare schemes. The tables reflect two points. In the first place, other than benefits under RTE, there is a moderately high degree of satisfaction with other welfare programs. In some programs like Ujjwala scheme, the satisfaction level is quite impressive. The second point is that while non-tribal households report greater knowledge about these schemes, they are also less satisfied with them.

Table 4.12 Satisfaction with welfare schemes in MP

WELFARE SCHEME	PROPORTION OF RESPONDENTS SATISFIED WITH THE SCHEME	
	Adivasi	Non-Adivasi
Right to Education with School System	42.1	38.7
Ujjwala cooking gas scheme	69	55.6
Swachhh Bharat Mission	53.6	45.2
Ayushman Bharat	35.4	39.1
PMAY	44.8	35.4
PM-Kisan	59.4	70.9
JSY	31.1	26.1

Table 4.13 Knowledge about welfare schemes among households in MP

WELFARE SCHEME	% ADIVASI RESPONDENTS WHO KNOW ABOUT IT	% NON-ADIVASI RESPONDENTS
RTE	23.7	25.8
Ujjwala	71.5	74.2
Swachhh Bharat	68.9	68.7
Ayushman Bharat	61.1	63.7
PMAY	73.8	71.2
PM-Kisan	49.5	49.6
JSY	48.2	48.8

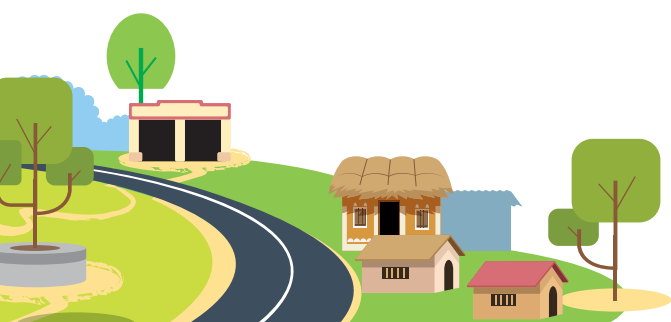


Table 4.14 Satisfaction with welfare schemes in Chhattisgarh

WELFARE SCHEME	PROPORTION OF RESPONDENTS SATISFIED WITH THE SCHEME	
	Adivasi	Non-Adivasi
RTE	41.8	37.9
Ujjwala	65.9	73.4
Swachhh Bharat	64.3	69
Ayushman Bharat	65.1	74.1
PMAY	35.7	29.1
PM-Kisan	44.3	48.7
JSY	33.9	33.5

Table 4.15 Knowledge about welfare schemes in Chhattisgarh

WELFARE SCHEME	% ADIVASI RESPONDENTS WHO KNOW ABOUT IT	% NON-ADIVASI RESPONDENTS
RTE	23.4	29.4
Ujjwala	78.4	83.8
Swachhh Bharat	78.6	78.1
Ayushman Bharat	80.5	87.7
PMAY	73.6	76
PM-Kisan	43.1	45.4
JSY	42.9	50





REFERENCES AND NOTES

Amis, P., & Kumar, S. (2003). Urban economic growth, infrastructure and poverty in India: lessons from Visakhapatnam. ERD Policy Brief No. 13, Economics and Research Department, Asian Development Bank, Manila.

Aschauer, D. A. (1990). Why is infrastructure important? Federal Reserve Bank of Boston, vol. 34, , (pp. 21-68.). Boston.

Buhr, W. (2003). What is infrastructure? Universit t Siegen, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht, Volkswirtschaftliche Diskussionsbeitraege.

Chakraborty, S., Bakshi, A., & Verma, A. (2012). Rural Infrastructure Availability And Wellbeing. Journal of Regional Development and Planning, vol. 1(2), pages 169-179.

Datar, A., Mukherji, A., & Sood, N. (2007). Health infrastructure & immunization coverage in rural India. Indian Journal of Medical Research, 125, 31-42.

Hati, K. K., & Majumder, R. (2013). Health Infrastructure, Health Outcome and Economic Wellbeing: A District Level Study in India. MPRA Paper 53363, University Library of Munich, Germany.

Ifzal, A., & Ernesto, P. M. (2003). Infrastructure and Poverty Reduction: What is the Connection? Manila: Asian Development Bank.

Jalan, J., & Ravallion., M. (2002). Geographic poverty traps? A micro model of consumption growth in rural China. . Journal of applied econometrics 17.4, 329-346.

Majumder, R. (2012). Removing poverty and inequality in India: the role of infrastructure. MPRA Paper 40941, University Library of Munich, Germany.

Rao, C., Gupta, D., & Sharma, P. (1986). Infrastructural Development and Rural Poverty in India: A Cross Sectional Analysis. In J. M. (eds), Agricultural Change and Rural Poverty. Oxford University Press.

World Bank. (1990). World Development Report. Oxford Univerity Press.

World Bank. (2000). World Development Report. Oxford University Press.



#05

**HOUSEHOLD
ATTRIBUTES**





This section presents data on a range of attributes about households in the sample. These attributes help us form an overall assessment of the level of social awareness and development manifested in these households. The attributes cover family size, education, levels of literacy, land holding, access to irrigation, access to the public distribution system (which is possibly the most demanded and hence ubiquitous public amenity in rural areas), and distance from the forest. The data is presented in self-explanatory tables below, and comments are inserted only when warranted.

5.1

SAMPLE
CHARACTERIZATION

Table 5.1: Average household size in Madhya Pradesh

AVERAGE HOUSEHOLD SIZE		HOUSEHOLDS(N)	
ADIVASIS	4.8	ADIVASIS	2,405
NON-ADIVASIS	4.4	NON-ADIVASIS	361
PVTGs	4.7	PVTGs	201



Table 5.2: Average household size in Chhattisgarh

AVERAGE HOUSEHOLD SIZE		HOUSEHOLDS(N)	
ADIVASIS	4.5	ADIVASIS	2,340
NON-ADIVASIS	4.2	NON-ADIVASIS	520
PVTGs	3.9	PVTGs	192

From the above two tables (table 5.1 and 5.2), it appears that PVTG families in Chhattisgarh are small. Whether this is due to high morbidity and mortality among the PVTG or due to conscious choice by the couples in the family needs to be explored, but the difference between the family size of PVTG and other ST households seems remarkable. In MP, non-Adivasi show the smallest family size.



Table 5.3: Education attainment of household heads in Madhya Pradesh

Education level (% of total)	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
No school education	58.3	31.3	69.0
Less than primary	8.8	4.9	4.0
Primary	9.3	18.6	9.5
Less than matriculation and more than primary	15.2	28.4	13.5
Matriculation	4.9	9.9	3.0
More than matriculation and less than HSC	1.5	3.2	0.0
HSC	0.7	0.6	0.5
Attended college but did not complete	0.2	0.9	0.0
College graduate and incomplete post-graduation	0.8	1.7	0.5
Postgraduate	0.2	0.0	0.0
More than post-graduation	0.0	0.6	0.0
Professional diploma	0.1	0.0	0.0
N	2,326	345	200



Table 5.4: Education attainment of household heads in Chhattisgarh

Education level (% of total)	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
No school education	49.0	38.2	65.6
Less than primary	6.8	9.5	12.0
Primary	11.5	12.2	12.0
Less than matriculation and more than primary	20.3	24.9	8.3
Matriculation	6.2	6.2	1.0
More than matriculation and less than HSC	2.1	2.9	0.5
HSC	2.6	2.7	0.0
Attended college but did not complete	0.2	0.2	0.0
College graduate and incomplete post-graduation	0.5	1.5	0.5
Postgraduate	0.2	0.8	0.0
More than post-graduation	0.1	0.4	0.0
Professional diploma	0.5	0.6	0.0
N	2,277	518	192

Tables 5.3 and 5.4 reveal the sad state of education among the ST and PVTG in particular.

Madhya Pradesh

PVTG households 83%

ST households 75%

are headed by a person who is not educated beyond the primary stage, and a bulk of them have no school education. These proportions in

Chhattisgarh

PVTG households 87%

ST households 66%

As shown in tables 5.5 and 5.6 below, the situation is worse among women who head households. In all these tables, education among non-Adivasi shows a better picture.



Table 5.5: Education attainment of women who head a household in Madhya Pradesh

Education level (% of total)	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
No school education	75.3	57.6	78.8
Less than primary	4.3	1.5	4.5
Primary	3.5	10.6	4.5
Less than matriculation and more than primary	11.1	22.7	6.1
Matriculation	3.0	6.1	6.1
More than matriculation and less than HSC	1.0	1.5	0.0
HSC	0.5	0.0	0.0
Attended college but did not complete	0.3	0.0	0.0
College graduate and incomplete post-graduation	1.0	0.0	0.0
Postgraduate	0.0	0.0	0.0
More than post-graduation	0.0	0.0	0.0
Professional diploma	0.0	0.0	0.0
N	397	66	66

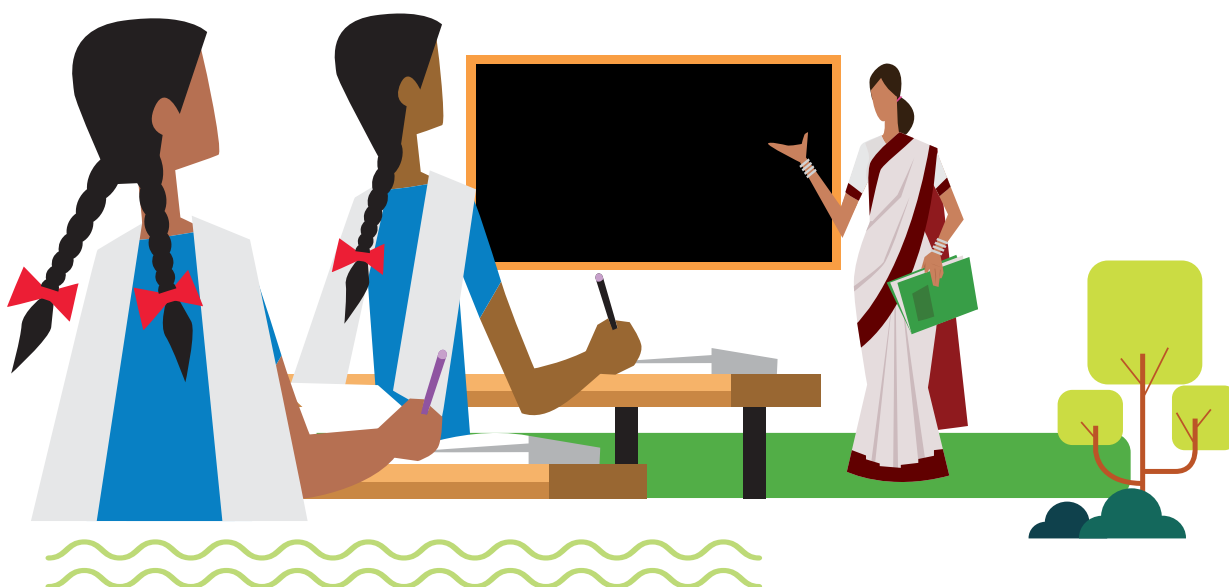


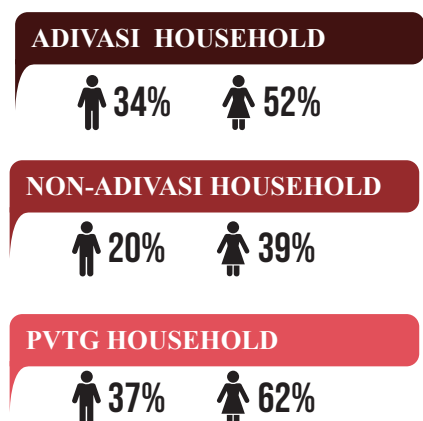
Table 5.6: Education attainment of women who head a household in Chhattisgarh

Education level (% of total)	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
No school education	72	60.9	84.4
Less than primary	5.2	8.7	6.7
Primary	7.0	7.8	4.4
Less than matriculation and more than primary	10.2	14.8	2.2
Matriculation	3.4	5.2	0.0
More than matriculation and less than HSC	0.5	0.9	2.2
HSC	1.6	0.0	0.0
Attended college but did not complete	0.0	0.9	0.0
College graduate and incomplete post-graduation	0.0	0.9	0.0
Postgraduate	0.0	0.0	0.0
More than post-graduation	0.0	0.0	0.0
Professional diploma	0.2	0.9	0.0
N	443	115	45

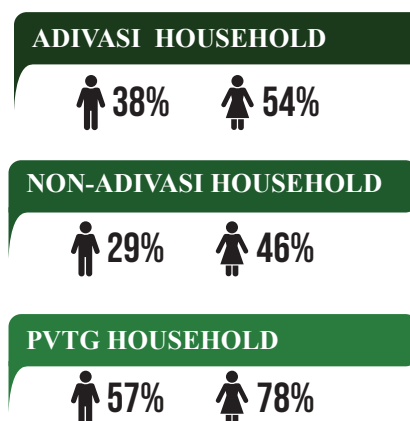
In the surveyed villages, the head of households and spouses were given a functional literacy test. The test result shows that around



Madhya Pradesh



Chhattisgarh



can't read, write and do basic calculations at all. In non-Adivasi households



Table 5.7: Male functional literacy, Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average reading score (out of 10)	2.9	4.8	1.4
Average writing score (out of 10)	3.7	6.5	2.6
Average numeracy score (out of 10)	2.3	4.1	2.2
Average functional literacy score (out of 30)	8.9	15.4	6.2
Total number of male household members given functional literacy test	1,658	248	126
Percentage of men who scored more than 80% in reading	16.2	25.8	4.0
Percentage of men who scored more than 80% in writing	28.3	56.5	17.5
Percentage of men who scored more than 80% in numeracy test	10.1	22.2	7.1
Percentage of total number of men with more than 80% overall functional literacy score	11.9	24.6	5.6

Table 5.8: Male functional literacy, Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average reading score (out of 10)	4.1	5.2	2.3
Average writing score (out of 10)	4.6	5.5	2.0
Average numeracy score (out of 10)	3.4	4.4	1.3
Average functional literacy score (out of 30)	12.1	15.1	5.6
Total number of male household members given functional literacy test	1,747	404	129
Percentage of men who scored more than 80% in reading	30.2	43.1	13.2
Percentage of men who scored more than 80% in writing	38.0	48.5	14.0
Percentage of men who scored more than 80% in numeracy test	24.0	34.9	5.4
Percentage of total number of men with more than 80% overall functional literacy score	26.6	37.4	8.5

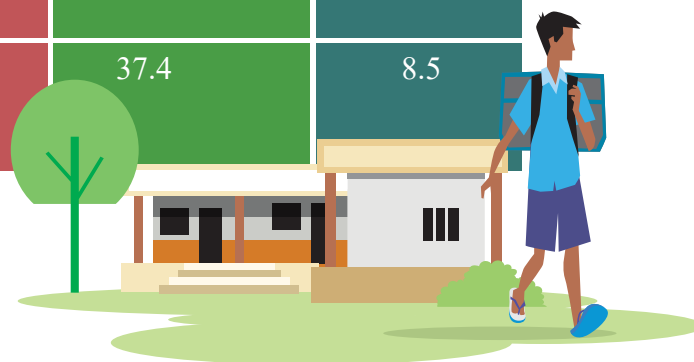


Table 5.9: Female functional literacy, Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average reading score (out of 10)	1.9	2.9	1.1
Average writing score (out of 10)	2.3	4.2	1.1
Average numeracy score (out of 10)	1.6	2.7	1.3
Average functional literacy score (out of 30)	5.9	9.8	3.6
Total number of male household members given functional literacy test	1,806	297	176
Percentage of men who scored more than 80% in reading	11.7	14.1	8.5
Percentage of men who scored more than 80% in writing	17.9	34.7	8.0
Percentage of men who scored more than 80% in numeracy test	7.8	14.8	6.3
Percentage of total number of men with more than 80% overall functional literacy score	8.7	15.2	6.3

Table 5.10: Female functional literacy, Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average reading score (out of 10)	2.7	3.6	0.5
Average writing score (out of 10)	3.1	3.8	0.6
Average numeracy score (out of 10)	2.3	3.0	0.5
Average functional literacy score (out of 30)	8.0	10.4	1.6
Total number of male household members given functional literacy test	1,987	441	180
Percentage of men who scored more than 80% in reading	17.7	29.5	2.2
Percentage of men who scored more than 80% in writing	24.9	31.1	4.4
Percentage of men who scored more than 80% in numeracy test	15.5	21.3	2.2
Percentage of total number of men with more than 80% overall functional literacy score	16.8	24.0	2.2





5.2 ASSETS AND ACCESS

As shown in Tables 5.11 and 5.12, the average landholding of Adivasi households in Madhya Pradesh and Chhattisgarh is 3.9 acres and 3.2 acres respectively. Female-headed Adivasi households have a higher average landholding in Chhattisgarh and lower average landholding in Madhya Pradesh as compared to male-headed households in the same states. PVTGs have the lowest average land holding in Madhya Pradesh whereas non-Adivasi households have the lowest average land holding in Chhattisgarh as compared to the other two categories.

Table 5.11: Average land holding (in acres) Madhya Pradesh

	Adivasis	PVTG	Total
Female headed HH	2.7	2.4	6.2
Male headed HH	4.2	4	4.1
Total	3.9	3.4	4.4

Landholding data for Non-Adivasi households in Madhya Pradesh is withheld because of a very small sample and outliers in the case of female-headed households.

Table 5.12: Average land holding (in acres) Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTG	Total
Female headed HH	3.5	1.5	3.5	3.2
Male headed HH	3.1	2.1	2.2	2.9
Total	3.2	2	2.5	3

Based on landholding patterns in the two states, households were classified into the following categories:

LANDLESS	NO OWN LAND
MARGINAL	OWN UP TO 2.47 ACRES
SMALL	OWN BETWEEN 2.47 AND 4.94 ACRES
SMALL-MEDIUM	OWN BETWEEN 4.94 AND 9.88 ACRES
MEDIUM	OWN BETWEEN 9.88 AND 24.7 ACRES
LARGE	OWN ABOVE 24.7 ACRES.



In Madhya Pradesh, 36.1% of Adivasi households reported being landless; this is almost double the percentage of landless Adivasi households in Chhattisgarh. 51.8% of Adivasi households in Chhattisgarh and 38.3% of Adivasi households in MP have marginal landholding, i.e., less than 1 hectare of land. Landlessness among these households needs deeper exploration to know whether the data refers only to formally owned land or whether this refers to operational land holdings including “encroached” lands.





Table 5.13: Household landholding pattern (values indicate percentage of households) in Madhya Pradesh

Landholding Class	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Landless	36.1	42.8	36.4
Marginal	38.3	32.4	36.3
Small	12.9	12.7	12.4
Small-medium	11.4	9.1	10.9
Medium	0.9	1.9	3.5
Large	0.4	1.1	0.5
Number of households	2,405	361	201

Table 5.14: Landholding pattern for female-headed households (values indicate percentage of households) in Madhya Pradesh

Landholding Class	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Landless	40.6	42.5	25.8
Marginal	39.5	34.8	54.5
Small	10.8	10.6	7.6
Small-medium	8.1	4.5	10.6
Medium	0.5	1.5	1.5
Large	0.5	6.1	0.0
Number of Female-headed Households	397	66	66



Table 5.15: Landholding pattern of households in Chhattisgarh

Landholding Class	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Landless	15.2	32.1	48.4
Marginal	51.8	48.3	34.4
Small	18.8	12.7	8.3
Small-medium	12.4	6.5	6.8
Medium	1.3	0.4	2.1
Large	0.5	0	0
Number of households	2,340	520	192

Table 5.14: Landholding pattern for female-headed households (values indicate percentage of households) in Madhya Pradesh

Landholding Class	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Landless	23.0	49.6	57.8
Marginal	53.3	40.9	24.4
Small	13.5	8.7	11.1
Small-medium	9.0	0.9	4.4
Medium	0.7	0.0	2.2
Large	0.5	0.0	0.0
Number of Female-headed Households	443	115	45



5.3

ACCESS TO THE PUBLIC
DISTRIBUTION SYSTEM

Madhya Pradesh

ADIVASI 9.1%

NON-ADIVASI 24.1%

PVTG 12.9%

Chhattisgarh

ADIVASI 1.9%

NON-ADIVASI 0.8%

PVTG 8.9%

households reported that they didn't have any PDS cards; however, the remaining households either possesses BPL cards or Antyodaya Anna Yojana (AAY) cards (see Tables 5.15 and 5.16 below).

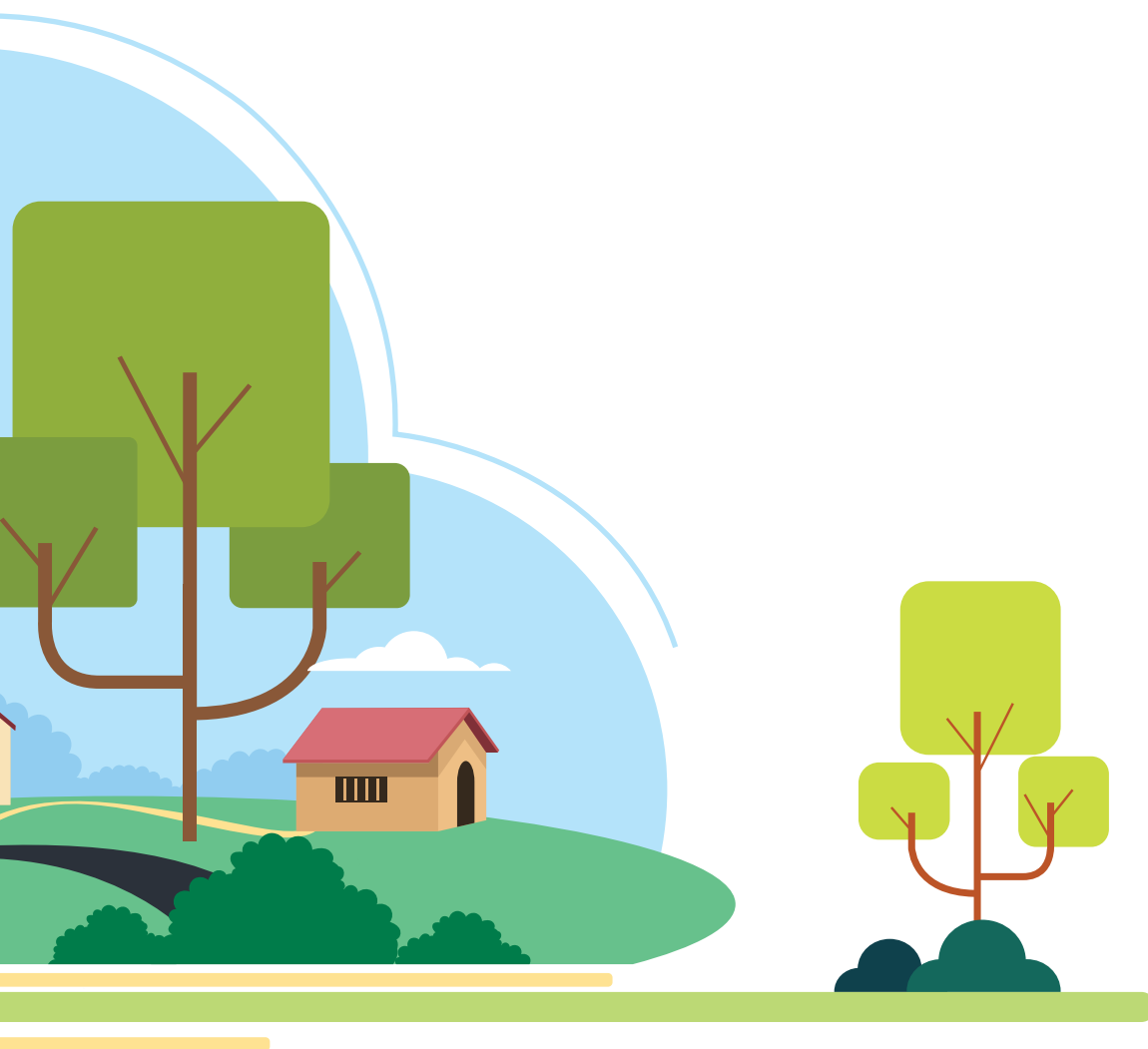


Table 5.17: PDS card type Madhya Pradesh (cell entries are the percentage of total)

	APL	BPL	Antyodaya	No Card	N
Adivasis	17.7	63.2	10.1	9.1	2,405
Non-Adivasis	21.6	49.6	4.7	24.1	361
PVTGs	8.0	54.2	24.9	12.9	201

Table 5.18: PDS card type Chhattisgarh (cell entries are the percentage of total)

	APL	BPL	Antyodaya	No Card	N
Adivasis	3.2	83.0	11.9	1.9	2,340
Non-Adivasis	4.4	81.5	13.3	0.8	520
PVTGs	0.0	33.9	57.3	8.9	192





5.4 ALL-SEASON ACCESS TO IRRIGATION

Table 5.19: All season irrigation availability in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Own land (Percentage)	17.5	28.0	30.2
Leased in land (Percentage)	20.2	28.6	36.8
Shared in land (Percentage)	21.9	16.7	46.2

Table 5.20: All season irrigation availability in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Own land (Percentage)	12.4	17.2	2.0
Leased in land (Percentage)	6.0	26.7	0.0
Shared in land (Percentage)	10.1	12.5	0.0







5.5 DISTANCE FROM FORESTS

As tables 5.21 and 5.22 (below) show, in both states, PVTG villages are geographically closest to the forest, followed by Adivasis. The average distance from forests for Adivasis is slightly higher in Madhya Pradesh than in Chhattisgarh. Among Adivasis and non-Adivasis, dependency on the forest is much less in the case of Madhya Pradesh as compared to Chhattisgarh. 62% of Adivasis and 40% Non-Adivasis reported dependency on the forest for livelihoods in Madhya Pradesh, while a whopping 90% of Adivasis and 64% non-Adivasis reported forest dependency for livelihoods in Chhattisgarh. In both states, 98% PVTGs reported forest dependency for livelihoods.

Table 5.21: Forest distance (Madhya Pradesh)

	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Average distance from the forest for households dependent on them for livelihood (km)	2.0	3.2	1.8
Households depending on forest for livelihood (%)	62	40	98
Average distance from the forest for households not dependent on forest for livelihood (km)	6.8	9.2	0.2
Households not dependent on forest for livelihood (%)	38	60	2



Table 5.22: Forest distance (Chhattisgarh)

	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Average distance from the forest for households dependent on them for livelihood (km)	1.8	2.1	0.3
Households depending on forest for livelihood (%)	90	64	98
Average distance from the forest for households not dependent on forest for livelihood (km)	2.6	9.4	0.3
Households not dependent on forest for livelihood (%)	10	36	2

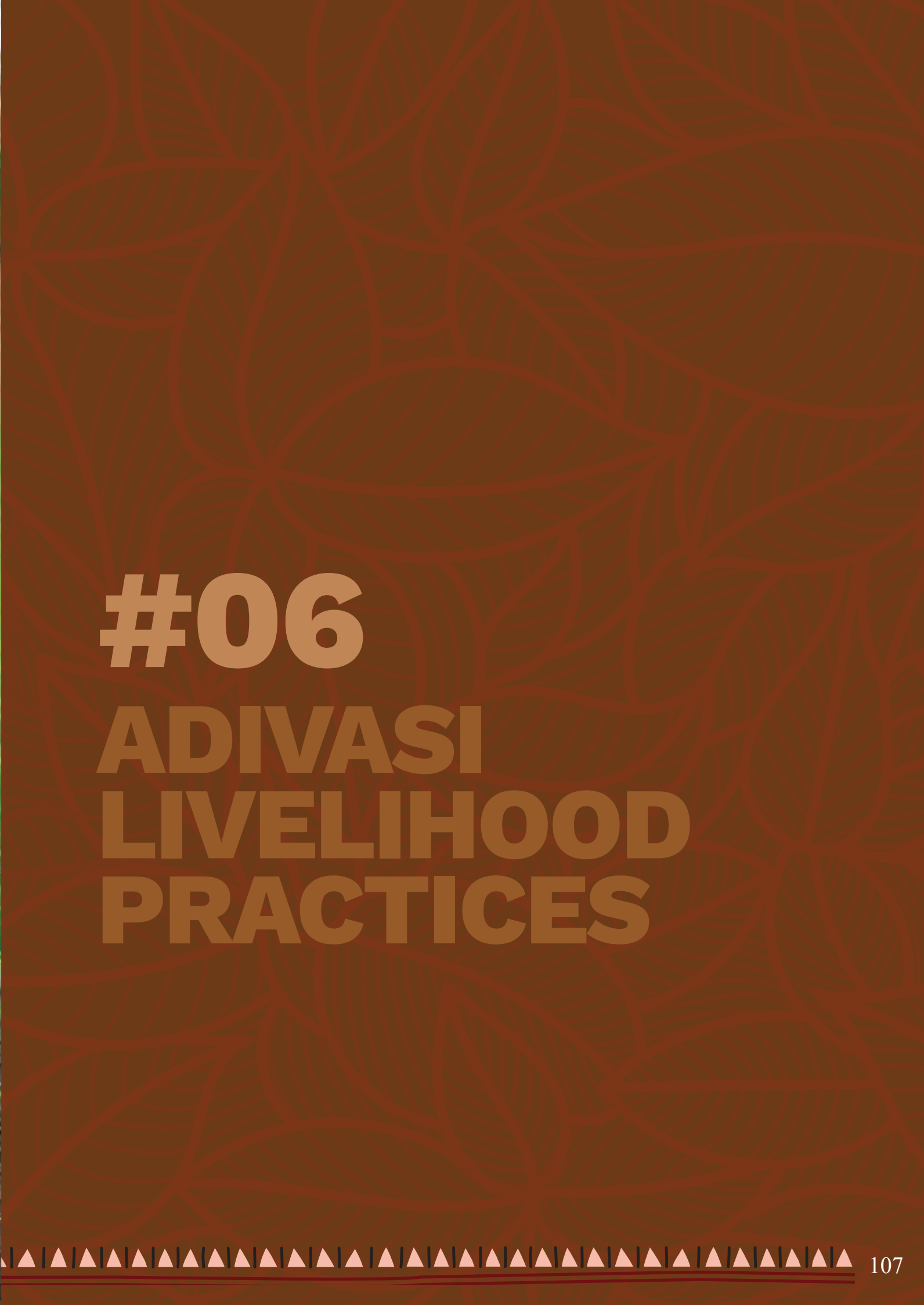
Notes:

Landholding: Landholding refers to the ownership or possession of an area of land by an individual, organization, or entity. It encompasses the legal rights and control that one has over a specific piece of land, including the ability to use, occupy, transfer, or make changes to the land as permitted by law.

All-Season Access to Irrigation: All-season access to irrigation refers to the infrastructure, systems, and practices put in place to provide water for agricultural purposes throughout the year, regardless of seasonal variations or climatic conditions.







#06

ADIVASI LIVELIHOOD PRACTICES



6.1

INCOME FROM DIFFERENT SOURCES

Farming, animal husbandry, collection from the forest, wage work, non-farm activities (such as making bamboo objects, engaging in pottery, providing laundry service, running general petty shops, tea shops, mahua liquor shops, vegetable shops, and providing services for cycle and machine repairing, etc), are the major livelihood activities of Adivasi, non-Adivasi, and PVTGs in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. In addition, salaries, pensions, and remittances also contribute significantly to their livelihoods.

According to Table 6.1, among the Adivasi households in Madhya Pradesh that reported income, a total of 2297 households, the highest number of households, 1594 (69%), mentioned wage earning as one of their sources of livelihood. Farming was reported by 68% of households, animal husbandry by 61%, forest collection and remittance by 29% each, pensions or salaries by 19%, and non-farm activities by 5%.

In Chhattisgarh, as is shown in Table 6.2, 2311 Adivasi households reported income, out of which the highest number of households, 1957 (85%), reported engagement in farming, followed by animal husbandry (80%), wage income (72%), forest collections (51%), pension and salary (18%), remittance (6%) and non-farm (4%).

Both tables indicate that nearly three-fourths of Adivasi households depend on wage income. In both states, this proportion is much higher than those who reported deriving

income from forest collection. This appears to significantly differ from the traditional beliefs that Adivasis derive their livelihoods mainly from forests and agriculture.

The total percentages in the tables do not add up to 100 since households typically engage in multiple activities. They do so to mitigate the risk of relying solely on one income source, or because one activity alone is insufficient to sustain their families. The latter reason is likely the most common.

In both states across all categories, except PVTG households in Chhattisgarh, income from animal husbandry is showing negative figures. Negative income is possible in activities where income is calculated by subtracting costs from the revenue. Farming (crops and vegetables) and animal husbandry are two activities where households have reported their output (farming) or revenue (animal husbandry) and costs. Hence, farming and animal husbandry incomes can be negative.

Negative income indicates that the household has suffered losses in such activity in the last 365 days. Negative income is not an error, but a result of the method and reality to which the method is applied.

A large number of households engaged in animal husbandry have reported costs but no sales. Since our income calculation method subtracts costs from receipts, these households end up



ANIMAL HUSBANDRY

Madhya Pradesh	61%
Chhattisgarh	80%



FARMING

Madhya Pradesh	68%
Chhattisgarh	85%





WAGE INCOME

Madhya Pradesh	69%
----------------	-----

Chhattisgarh	72%
--------------	-----



FOREST COLLECTION *and* REMITTANCE

Madhya Pradesh	29%
----------------	-----

Chhattisgarh	51%
--------------	-----



PENSION *and* SALARY

Madhya Pradesh	19%
----------------	-----

Chhattisgarh	18%
--------------	-----

NON-FARM ACTIVITIES

Madhya Pradesh	5%
----------------	----

Chhattisgarh	4%
--------------	----

with negative income from animal husbandry. Since these households are a large fraction of total households reporting animal husbandry, we have negative income from animal husbandry as a whole. We have positive income from animal husbandry if we consider only those households who report the sale.

It is possible that many households have recently started animal husbandry or some of them are facing challenges in accessing the market or using it primarily for self-consumption. Further investigation is necessary to gain a deeper understanding of the underlying reasons.

In the case of farming, there is a possibility that for a household with negative income in farming and considerable self-consumption of farming output, prices differ from those applied to evaluate the imputed income that could have led to

positive incomes. But in the case of animal husbandry, both revenue and costs are reported by the households, thus negative income is solely the result of reported information.

(Note for Tables 6.1, 6.2, 6.3 and 6.4: Incomes reported from different components are averages for the number of households practising that activity and not averages for the whole sample. As such, rows will not add to the total household income figure. All figures are in rupees for one year, except salary/pension which is in Rs per month. All these are derived from recall data)



Table 6.1: Average income from different sources in Madhya Pradesh

	Farming	Animal Husbandry	Forest Produce	Wage	Salary/ Pension	Remittance	Non-farm	Households Income
Adivasi (Rs.)	48,366	-4,127	5,478	38,999	3,703	17,500	26,078	73,900
Adivasi households that reported income from the source (Nos.)	1,553	1,404	657	1,594	447	655	128	2,297
Non-Adivasi (Rs.)	70,559	-4,995	4,758	41,736	2,829	16,580	29,793	84,033
Non-Adivasi households that reported income from the source (Nos.)	212	190	62	215	73	69	42	335
PVTG (Rs.)	33,962	-3,414	6,014	31,171	3,912	14,805	1,250	68,726
PVTG households that reported income from the source (Nos.)	147	73	149	156	50	65	2	201

Table 6.2: Average income from different sources in Chhattisgarh

	Farming	Animal Husbandry	Forest Produce	Wage	Salary/ Pension	Remittance	Non-farm	Households Income
Adivasi (Rs.)	32,187	-2,812	7,848	25,051	2,242	16,180	15,388	53,610
Adivasi households that reported income from the source (Nos.)	1,957	1,853	1,186	1,672	422	132	93	2,311
Non-Adivasi (Rs.)	36,737	-1,501	6,102	29,612	1,937	17,812	3,190	53,766
Non-Adivasi households that reported income from the source (Nos.)	332	324	133	373	124	16	30	499
PVTG (Rs.)	26,161	224	8,169	16,715	2,790		4,500	43,012
PVTG households that reported income from the source (Nos.)	103	88	140	126	68	0	4	192

From the above two tables it appears that on average, a typical Adivasi household in Chhattisgarh earns Rs. 8000 or 17% less from farming than its counterpart in MP, the average non-Adivasi household in Chhattisgarh earns just a little over half from farming compared to its counterpart in MP and the average PVTG household earns Rs. 7000 or over 20% less than its counterpart in MP. Whether this is to be attributed to poorer soils or poorer market access is an interesting field for exploration. Animal husbandry appears to be a losing proposition in both States.

Data in the Tables below refers to women-headed households, a subset of the total sample. Women headed Adivasi households in MP appear to earn about 8% more total income than the sample average for all households. Non-Adivasi households show a difference of over 13% in the reverse direction. Women-headed households earn less than the sample averages for all categories in Chhattisgarh.



Table 6.3: Average household income source wise for female-headed households in Madhya Pradesh

	Farming	Animal Husbandry	Forest Produce	Wage	Salary/Pension	Remittance	Non-farm	Households Income
Adivasi (Rs.)	40,847	-2,827	6,320	35,712	4,009	11,974	22,142	79,108
Adivasi households that reported income from the source (Nos.)	240	195	165	273	174	118	32	386
Non-Adivasi (Rs.)	64,094	-4,249	7,522	26,137	1,640	12,000	29,125	74,904
Non-Adivasi households that reported income from the source (Nos.)	40	29	9	40	30	16	8	61
PVTG (Rs.)	23,138	-1,025	7,032	41,119	5,159	16,438	2,000	79,291
PVTG households that reported income from the source (Nos.)	55	20	51	41	27	16	1	66

Table 6.4: Average household income source wise for female-headed households in Chhattisgarh

	Farming	Animal Husbandry	Forest Produce	Wage	Salary/Pension	Remittance	Non-farm	Households Income
Adivasi (Rs.)	29,962	-2,934	5,723	28,366	1,424	13,867	12,250	52,109
Adivasi households that reported income from the source (Nos.)	335	312	215	318	163	30	22	439
Non-Adivasi (Rs.)	29,121	-2,807	4,904	32,246	1,330	25,000	10,314	45,994
Non-Adivasi households that reported income from the source (Nos.)	54	58	26	77	53	3	7	109
PVTG (Rs.)	27,645	747	6,852	14,680	1,186		3,000	34,223
PVTG households that reported income from the source (Nos.)	18	15	30	26	31	0	1	45

Tables 6.1, 6.2, 6.3, and 6.4 indicate average incomes from different streams for those households that reported income from those streams. However, not all surveyed households have each of these income streams. Therefore, to put the matter in perspective, we constructed a 'Representative Household' for each income category and for that representative household, we put the income figure by taking averages for that stream.

These proportions tell the real significance of different income streams for Adivasi, Non-Adivasi and PVTG households.



Table 6.5: Madhya Pradesh representative household income in INR

Income heads	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Farming	31,232	41,436	24,838
Animal husbandry	-2,410	-2,629	-1,240
Forest produce	1,497	817	4,458
Non-farm business	1,388	3,466	12
Wages	25,848	24,857	24,192
Salary/pension	8,260	6,864	11,678
Remittances	4,766	3,169	4,788
Household income	70,581	77,981	68,726

Table 6.6: Madhya Pradesh percentage share of income streams for representative household

Income heads	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Farming	44.2	53.1	36.1
Animal husbandry	-3.4	-3.4	-1.8
Forest produce	2.1	1	6.5
Non-farm business	2	4.4	0
Wages	36.6	31.9	35.2
Salary/pension	11.7	8.8	17
Remittances	6.8	4.1	7
Household income	70,581	77,981	68,726

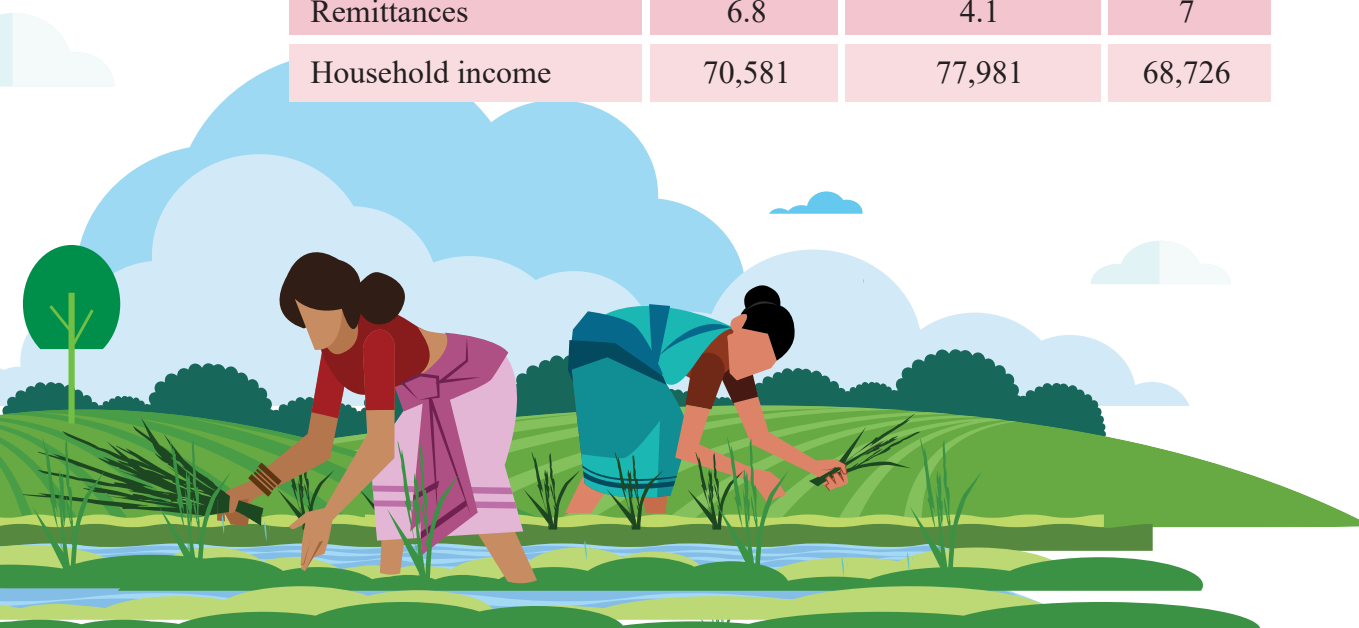


Table 6.7: Chhattisgarh representative household income in INR

Income heads	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Farming	26,919	23,455	14,034
Animal husbandry	-2,226	-935	103
Forest produce	3,978	1,561	5,956
Non-farm business	612	184	94
Wages	17,899	21,241	10,969
Salary/pension	4,852	5,541	11,855
Remittances	913	548	-
Household income	52,946	51,595	43,012

Table 6.8: Chhattisgarh percentage share of income streams for representative household

Income heads	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Farming	50.8	45.5	32.6
Animal husbandry	-4.2	-1.8	0.2
Forest produce	7.5	3	13.8
Non-farm business	1.2	0.4	0.2
Wages	33.8	41.2	25.5
Salary/pension	9.2	10.7	27.6
Remittances	1.7	1.1	0
Household income	52,946	51,595	43,012

Clearly, farming accounts for almost 44% and 51% of the income for a typical Adivasi household in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, respectively. This is followed by wage employment and then salaries/pensions. Forest produce accounts for around 8% of income in Chhattisgarh; for Madhya Pradesh, it is merely 2%.

What comes as a surprisingly clear inference is the very small contribution of forest produce to the income basket of Adivasi households. This is a minuscule 2.1% in MP and 7.5% in Chhattisgarh. Some other smaller studies (the feasibility study

of NTFP in Nagri, Chhattisgarh by PRADAN) and observations from fieldwork (by Dr S J Phansalkar for the same study) among forest producer-gatherers appear to stress the importance of forest produce for the Adivasi economy. This may be because such studies focus exclusively on communities staying in or close to rich forests and who devote energy to the collection of forest produce. Forests in Western MP and Northern Chhattisgarh are perhaps quite depleted of NTFP which can be collected and that has pulled down the sample averages to these low levels.



6.2

REGION-WIDE VARIATION OF INCOME SOURCES

Table 6.9 shows that in the Gond region of Madhya Pradesh, the highest percentage of Adivasi households reported income from farming. In the Bhil region, the highest percentage of Adivasi households reported engagement in animal husbandry. In other ITDP regions, wages have been reported by the maximum percentage of Adivasi households as their source of income. Almost similar patterns can be seen for non-Adivasi and PVTG households. Only 2% of Adivasi households from the Bhil region reported income from forests. This is 44% in the case of the Gond region. For PVTG households, 81% reported income from forests in the Gond region.

Table 6.10 shows that in north and south Chhattisgarh, the maximum percentage of Adivasi households reported engagement in farming. Whereas in central Chhattisgarh, the highest percentage of Adivasi households reported income from wages. For the PVTGs, animal husbandry and forest gathering have been reported as sources of income by 100% of households in South Chhattisgarh. 72% of Adivasi households reported income from forest in central Chhattisgarh, this is more than the percentage of Adivasi households reporting income from forest in north and south Chhattisgarh.

Table 6.9: Percentage of households reporting engagement in different livelihood activities, region-wise.

Income source	B	G	O	T	B	G	O	T	B	G	O	T
Farming	56	84	55	65	40	75	48	59	#N/A	90	62	73
Animal husbandry	66	67	41	58	35	63	48	53	#N/A	51	27	36
Forest produce	2	44	39	27	0	19	22	17	#N/A	81	69	74
Wage	43	80	79	66	35	63	66	60	#N/A	80	76	78
Non-farming enterprises	5	5	6	5	13	14	8	12	#N/A	1	1	1
Remittance	20	43	20	27	8	30	11	19	#N/A	16	43	32
Salary and pensions	18	22	16	19	13	27	15	20	#N/A	42	13	25

B= Bhil region, G= Gond region, O=Other ITDP blocks, T= Madhya Pradesh Total

Table 6.10: Percentage of households reporting engagement in different livelihood activities, Chhattisgarh region-wise.

Income source	S	C	N	T	S	C	N	T	S	C	N	T
Farming	87	77	86	84	67	42	80	64	94	49	42	54
Animal husbandry	87	68	81	79	68	44	72	62	100	16	44	46
Forest produce	53	72	32	51	47	12	17	26	100	86	56	73
Wage	60	93	64	71	64	86	67	72	57	95	52	66
Non-farming enterprises	8	1	3	4	8	7	3	6	0	7	0	2
Remittance	9	6	3	6	3	4	2	3	0	0	0	0
Salary and pensions	16	18	20	18	26	23	23	24	54	30	32	35

S=South Chhattisgarh, C= Central Chhattisgarh, N= North Chhattisgarh, T= Chhattisgarh Total



As far as contribution to the total income is concerned, farming and salary or pension are jointly the highest contributors in the Bhil region for Adivasi households. In the Gond region, one-third of the contributions have been reported from each farming, wage and salary/pension by the Adivasi households. In the other ITDP blocks, the wage is the maximum contributor to the household income of Adivasis. For PVTG households, the wage is the highest contributor in the Gond region whereas the contribution of the farming is the highest in Other ITDP regions. The contribution of forest gathering to the total income is very low in all the regions across categories varying

from zero in Bhil region for both Adivasi and non-Adivasi households to 7% in the case of PVTGs in other ITDP regions.

In Chhattisgarh, the contribution of forest gathering to the total income is highest for Adivasi households in central Chhattisgarh. However, the wages have been reported as the largest contributor to the total income of Adivasi households in this region. In the south and north of Chhattisgarh, the contribution of farming is the highest. The contribution of forest gathering to the total income is the highest in the case of PVTG households in north of Chhattisgarh. In central Chhattisgarh, too, it is significantly higher than other categories.

Table 6.11: Percentage contribution of different sources in total income, Madhya Pradesh region-wise

Income source	B	G	O	T	B	G	O	T	B	G	O	T
Farming	60	33	26	44	62	57	44	53	#N/A	16	53	36
Animal husbandry	-3	-4	-3	-3	-1	-4	-4	-3	#N/A	-1	-2	-2
Forest produce	0	4	4	2	0	2	1	1	#N/A	6	7	6
Wage	28	35	57	37	27	22	45	32	#N/A	43	29	35
Non-farming enterprises	2	1	3	2	5	6	3	4	#N/A	0	0	0
Remittance	6	8	6	7	2	5	4	4	#N/A	4	9	7
Salary and pensions	7	23	8	12	5	12	8	9	#N/A	31	4	17

B= Bhil region, G= Gond region, O=Other ITDP blocks, T= Madhya Pradesh Total

Table 6.12: Percentage contribution of different sources in total income, Chhattisgarh region-wise

Income source	S	C	N	T	S	C	N	T	S	C	N	T
Farming	56	37	59	51	46	34	57	45	41	27	24	33
Animal husbandry	-2	-8	-3	-4	-1	-3	-2	-2	1	0	-1	0
Forest produce	6	13	4	8	6	1	1	3	4	15	30	14
Wage	24	53	25	34	32	63	29	41	6	44	39	26
Non-farming enterprises	1	0	2	1	1	-1	1	0	0	1	0	0
Remittance	2	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0
Salary and pensions	14	3	11	9	14	5	13	11	48	13	8	28

S=South Chhattisgarh, C= Central Chhattisgarh, N= North Chhattisgarh, T= Chhattisgarh Total



6.3 CROP DIVERSIFICATION

Households of all categories in these regions diversify their farm activities by growing a large number of crops. This can be seen in tables 6.13 and 6.14 below.

Table 6.13: Crops grown by households in Madhya Pradesh (values indicate percentage of the households growing a particular crop for the season*)

Crop	Kharif	Rabi	Summer
Maize	50.7	4.8	40.0
Paddy	45.9	0.7	3.0
Soybean	16.9	0.2	2.0
Arhar	9.3	1.3	0.0
Barley	6.3	0.2	2.0
Urad	5.5	0.4	15.0
Kodo and Kutki	4.2	0.0	0.0
Cotton	2.4	0.1	0.0
Mustard	0.5	3.5	2.0
Wheat	0.3	91.4	10.0
Chana	0.3	7.9	4.0
Oilseeds	0.3	0.0	0.0
Linseed	0.1	0.2	0.0
Rajma	0.1	0.0	0.0
Kulth	0.1	0.0	0.0
Masoor	0.0	5.7	0.0
Cultivating households	1,854	1,284	100

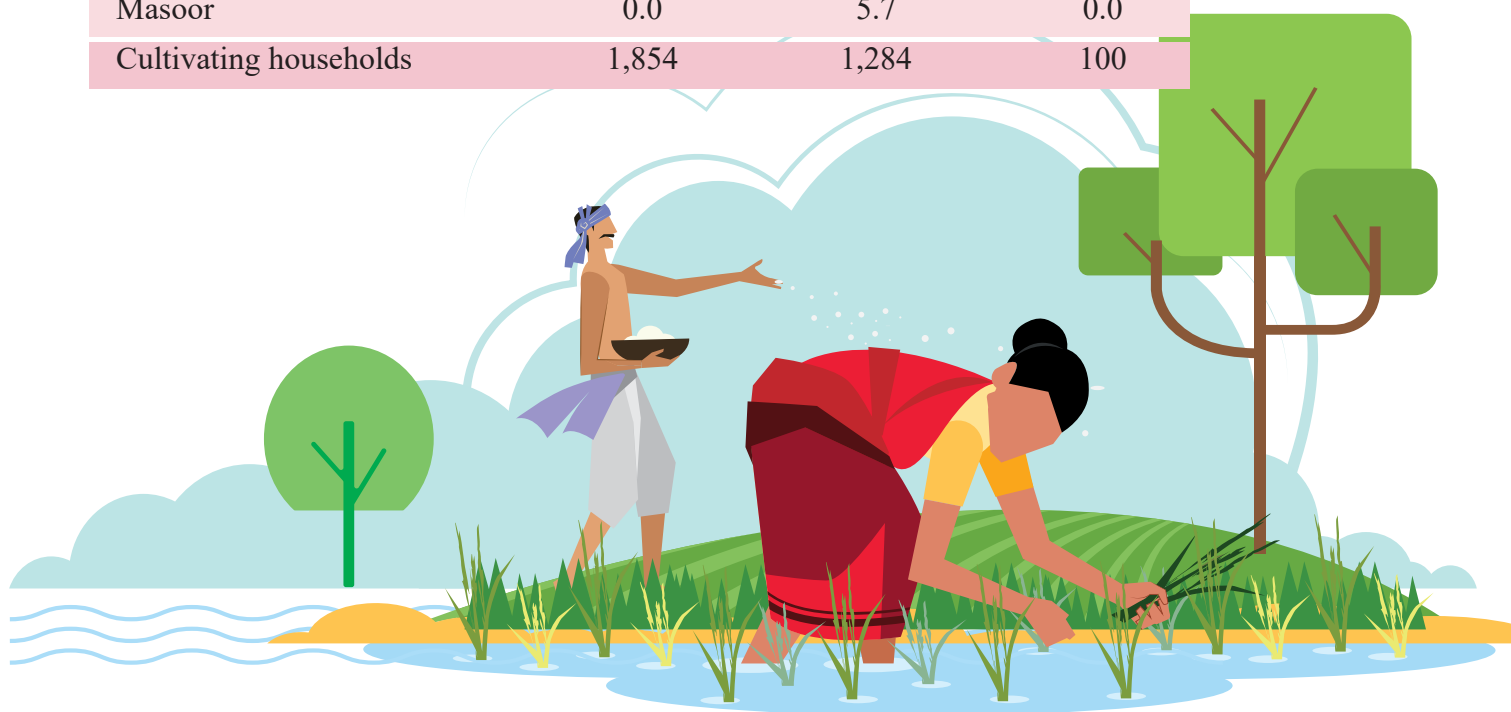


Table 6.14: Crops grown by households in Chhattisgarh (values indicate percentage of the households growing a particular crop for the season*)

Crop	Kharif	Rabi	Summer
Maize	32.9	15.7	48.1
Wheat	0.0	19.2	3.1
Paddy	97.5	13.4	48.1
Barley	0.0	1.6	0.8
Siur_Marsha_Chalai	0.0	0.3	0.0
Phoolan	0.0	1.0	0.8
Phapra	0.1	0.0	1.6
Sugarcane	0.1	1.6	1.6
Mash	0.0	0.3	0.0
Kulth	1.3	4.8	0.0
Soybean	0.0	0.3	0.0
Masoor	0.0	4.5	0.8
Arhar	7.8	3.5	0.8
Urad	11.2	20.8	7.8
Oilseeds	0.0	1.0	0.0
Mustard	0.6	23.0	0.0
Linseed	0.0	1.6	0.8
Kodo and Kutki	2.6	0.0	0.0
Cotton	0.0	0.0	0.0
Chana	0.0	1.9	0.0
Cultivating households	2,365	313	129

*Any given household may cultivate more than one crop in a season; hence, the total will not add up to 100.

Sample households in Madhya Pradesh reported cultivating 16 different crops, while households in Chhattisgarh reported cultivating 20 different crops.

Among the households that engage in Kharif cultivation, approximately, 65% do so in Madhya Pradesh and 79% in Chhattisgarh. In Madhya Pradesh, around 51% of Kharif-cultivating households grow maize, 46% cultivate paddy and 17% cultivate soybean. In contrast, in Chhattisgarh, 98% of households reported cultivating paddy and 33% cultivated maize. Kodo and Kutki are cultivated by 4.2% and 2.6% of households in Madhya Pradesh and Chhattisgarh

respectively. Regarding Rabi cultivation, approximately 45% of households in Madhya Pradesh practise it, with 91% of them cultivating wheat. Only 10% of households in Chhattisgarh practise Rabi cultivation; the major crops are wheat, mustard and pulses. In both states, merely around 5% of households grow summer crops.

Such preponderance of cereal crops despite well-functioning PDS which supplies staples at quite low prices is a matter that needs to be understood properly.



6.4 INCOME AND OTHER DEPENDENCE ON FORESTS

The forest dependency of a community is defined by their strong reliance on forests for their livelihoods, cultural practices, and identity. Adivasis have historically inhabited forested regions and have deep connections to the natural resources found within these ecosystems.

Forest dependency among Adivasis can manifest in several ways such as the collection of Non-timber Forest Products (NTFPs), subsistence agriculture, livestock grazing, hunting and gathering, and cultural and spiritual practices.

The key observations regarding dependency on forests for livelihoods are as follows:

- 1) In Chhattisgarh, 90% of Adivasis and 98% of PVTGs reported their dependency on forests for their livelihoods. This is much lower in the case of Adivasis in Madhya Pradesh. From the Bhil region of Madhya Pradesh, the lowest percentage of Adivasi households reported dependency on the forest.
- 2) Those who reported dependency on the forest also live closer to the forest, within an average distance of 2 km.

- 3) Most of the forest-dependent households in both states collect fuel wood and around 98% of the households use fuel wood for their own consumption. The highest average income comes from the sale of Mahua.
- 4) The contribution of forest income to the total income is very low in the case of Madhya Pradesh, and moderately low in Chhattisgarh.
- 5) The average income from forest products is highest in central Chhattisgarh and lowest in the Bhil region of Madhya Pradesh.

As shown in Tables 6.15 and 6.16 (below), there is a notable difference in forest, dependency between Adivasis and non-Adivasis, in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. 62% of Adivasis and 40% Non-Adivasis reported dependency on the forest for their livelihoods in Madhya Pradesh whereas a whopping 90% of Adivasis and 64% non-Adivasis reported forest dependency for livelihoods in Chhattisgarh. In both states, 98% PVTGs reported forest dependency for their livelihoods.

Table 6.15: Forest distance (Madhya Pradesh)

	Adivasis	Non-Asivasis	PVTGs
Average distance from forest for households in km (dependent on them for livelihood)	2.0	3.2	1.8
Households depending on forest for livelihood (%)	62	40	98
Average distance from forest for households in km (not dependent on forest for livelihood)	6.8	9.2	0.2
Households not dependent on forest for livelihood (%)	38	60	2

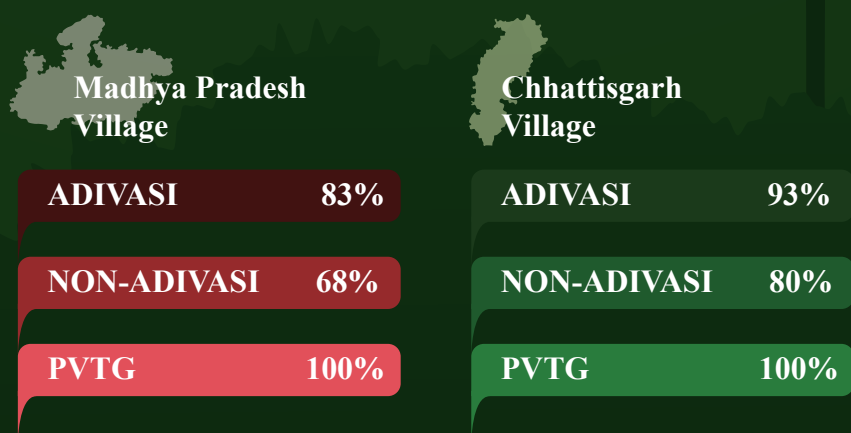


Table 6.16: Forest distance (Chhattisgarh)

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average distance from forest for households in km (dependent on them for livelihood)	1.8	2.1	0.3
Households depending on forest for livelihood (%)	90	64	98
Average distance from forest for households in km (not dependent on forest for livelihood)	2.6	9.4	0.3
Households not dependent on forest for livelihood (%)	10	36	2

There are region-wide variations in forest dependency. In north and central Chhattisgarh, the highest percentage of Adivasi households reported dependency on forests for livelihoods. The average distance of forests from forest-dependent households in those regions is 1.8 km and 1.4 km for north and central Chhattisgarh, respectively. In all the regions, almost all PVTG households reported dependency on the forest; their

households are situated closest to the forest, if not within it. The highest number of non-Adivasis reporting forest dependency is in south Chhattisgarh. On the other hand, in the Bhil region of Madhya Pradesh, the lowest percentage of households, both Adivasi and non-Adivasi, reported dependency on forests.



The Adivasi villages that were reported to be close to the forest have an average distance of 1.4 km from the forest in both states. The non-Adivasi villages that were reported to be close to the forest have an average distance of 3 km in both states. The same distance is 1.9 km and 0.6 km in Madhya Pradesh and Chhattisgarh respectively for all the PVTG villages.





Table 6.17.1, Average distance of forest (Km) from households which depend on forest for livelihoods, Bhil region in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Average distance for dependent households	1.7	1	
Percentage of dependent households	35.8	5.0	
Average distance for non-dependent households	8.1	23	
Percentage of non-dependent households	64.2	95.0	

Table 6.17.2, Average distance of forest (Km) from households which depend on forest for livelihoods, Gond region in Madhya Pradesh



	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Average distance for dependent households	2.8	3.8	2.2
Percentage of dependent households	75.1	49.4	95.1
Average distance for non-dependent households	7	5	0
Percentage of non-dependent households	24.9	50.6	4.9

Table 6.17.3, Average distance of forest (Km) from households which depend on forest for livelihoods, Other in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Average distance for dependent households	1.4	2.5	1.5
Percentage of dependent households	80.6	43.4	99.2
Average distance for non-dependent households	2	3.6	1
Percentage of non-dependent households	19.4	56.6	0.8

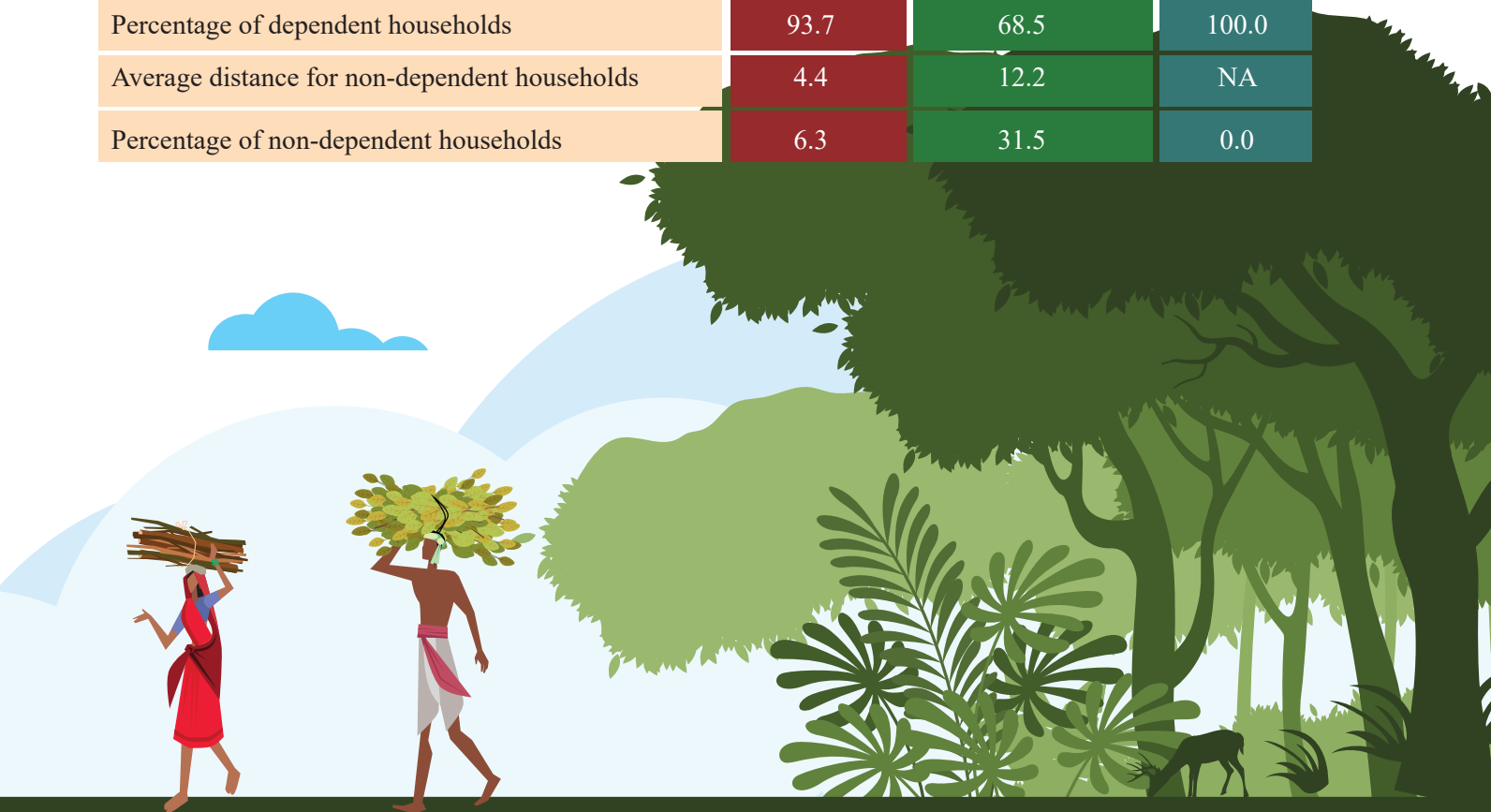


Table 6.18.1, Average distance of forest (Km) from households which depend on forest for livelihoods, South region in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Average distance for dependent households	2.4	1.8	0
Percentage of dependent households	85.0	81.0	100.0
Average distance for non-dependent households	1.5	2.6	NA
Percentage of non-dependent households	15.0	19.0	0.0

Table 6.18.2, Average distance of forest (Km) from households which depend on forest for livelihoods, Central region in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Average distance for dependent households	1.4	3.1	0.2
Percentage of dependent households	93.7	68.5	100.0
Average distance for non-dependent households	4.4	12.2	NA
Percentage of non-dependent households	6.3	31.5	0.0





Households from both states reported collecting fodder, fuel wood, sal and Tendu (*also known as Kendu*) leaves, and Mahua for own consumption, sale, or both. Tables 6.19 and 6.20 show the percentage of households using the products for household consumption, sale, or both. For example, in Madhya Pradesh 49% of households reported collecting fuel wood from the forest; 99.7% use it for household consumption and 1.1% sell it. Those who sell reported an average income of Rs 4780 per year from the sale. In Chhattisgarh, 68% of households reported collecting fuel wood from the forest; 100% use it for household consumption and 0.3% sell it. The

tables also show the percentage of respondents who reported varied levels of satisfaction with the sale price. Overall, households in Chhattisgarh are more dependent on the forest for not only fuel wood but also for fodder - 12% of households, sal -10% of households, Mahua - 38% of households and Tendu - 36% of households as compared to households from Madhya Pradesh where the dependency on forests for various products are 7%, 19% and 16% respectively for fodder, Mahua and Tendu leaves. As we do not have the imputed value of self-consumption for forest gathering, this has led to some underestimation.

Madhya Pradesh



49%
of HOUSEHOLDS REPORTED
COLLECTING FUEL WOOD
from the FOREST

99.7%
use it for
household
consumption

1.1%
Sell it

Chhattisgarh



68%
of HOUSEHOLDS REPORTED
COLLECTING FUEL WOOD
from the FOREST

100%
use it for
household
consumption

0.3%
Sell it

Table 6.19 Forest produce- wise income for Madhya Pradesh

		Fuelwood	Fodder	Mahua	Tendu
Households reported collection (%)		48.9	7.0	18.8	16.3
Households reported only consumption (%)		98.9	99.5	12.9	7.6
Households reported only sale (%)		0.3	0	70.1	90.9
Households reported both sale and consumption (%)		0.8	0.5	17	1.4
Average sale amount last year (in Rs.)		4,780	3,000	4,238	2,888
Satisfaction with the sale price (%)	Pleased	18.8	100	51.7	47
	Mostly satisfied	68.8	0	26.3	28.2
	Mostly dissatisfied	6.3	0	17.9	21.3
	Unhappy	6.3	0	4.1	3.6

Table 6.20 Forest produce wise income for Chhattisgarh

		Fuelwood	Fodder	Sal	Mahua	Tendu
Households reported collection (%)		67.9	11.6	10.1	38.3	35.6
Households reported only consumption (%)		99.7	100	80.6	39.3	4.5
Households reported only sale (%)		0	0	14.6	42.9	94.5
Households reported both sale and consumption (%)		0.3	0	4.9	17.7	1
Average sale amount last year (in Rs.)		3,929	0	2,463	5966	3,988
Satisfaction with the sale price (%)	Pleased	71.4		53.3	56.4	66.5
	Mostly satisfied	0		23.3	25.2	24.8
	Mostly dissatisfied	28.6		16.7	13.5	5.7
	Unhappy	0		6.7	4.8	3

6.5 INCOME FROM FORESTS

Table 6.1 and Table 6.2, at the beginning of this chapter, show that income dependence from the forest is more in the case of Chhattisgarh both in terms of the number of households reporting income and the average income from forest collection. 29% of Adivasi households in Madhya Pradesh and 51% of Adivasi households in Chhattisgarh reported income

from forest produce. For non-Adivasi households, the figures are 19% and 27% and for PVTG households these are 36% and 74% respectively for Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

The households reported collecting a variety of forest produce. The forest produce collected is listed in Tables 6.21

Table 6.21: NTFP list





With minor variations, caused by different dialects, the list of forest produce harvested in the two states is quite similar. In quite a few cases, a portion of the produce was consumed by the households, but certain produce, like Tendu leaves, is collected mainly for the market.

Tables 6.22 and 6.23 give the correlation between the average reported income from forest produce and the household distance from the forest. The average household income from

NTFP sales declines as the village distance from the forest rises, with two exceptions in Madhya Pradesh:

- 1) where the average income from the forest is highest in villages with a 3 km distance from the forest, and
- 2) average income from the forest for villages beyond 5 km of the forest is more than that of villages with a 4 km distance from the forest.

Table 6.22: Distance of village from the forest and average forest-based annual income in Madhya Pradesh

Distance (km)	Average income from NTFP (Rs.)	Number of households
0	6,108	256
1	5,316	293
2	5,130	135
3	6,669	67
4	4,248	22
5 km or more	4,594	95





Table 6.23: Distance of village from the forest and average forest-based annual income in Chhattisgarh

Distance (km)	Average income from NTFP (Rs.)	Number of households
0	9,715	621
1	6,727	382
2	6,443	229
3	5,610	96
4	4,955	37
5 km or more	4,927	94



Region-wise also there are a lot of variations in income from forests. The highest average annual income, more than Rs 10,000, from forest produce by Adivasi households was reported from central Chhattisgarh. The lowest income from forest reported by Adivasi households is from the Bhil region of Madhya Pradesh. PVTG households reported the highest average income from north Chhattisgarh.

Table: 6.24.1, Average income from the forests in Bhil region Madhya Pradesh

	Average income from forest produce	Households reporting
Adivasis	4928	19
Non-Adivasis		0
PVTGs		0

Table 6.24.2, Average income from the forests in Gond region Madhya Pradesh

	Average income from forest produce	Households reporting
Adivasis	5495	339
Non-Adivasis	5453	30
PVTGs	6301	66

Table 6.24.3, Average income from the forests in Other region Madhya Pradesh

	Average income from forest produce	Households reporting
Adivasis	5495	299
Non-Adivasis	4106	32
PVTGs	5787	83

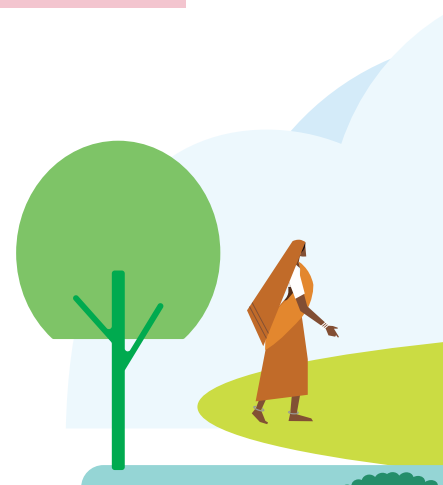


Table 6.25.1, Average income from the forest in South region Chhattisgarh

	Average income from forest produce	Households reporting
Adivasis	5798	393
Non-Adivasis	6994	84
PVTGs	4474	35

Table 6.25.2, Average income from the forests in Central region Chhattisgarh

	Average income from forest produce	Households reporting
Adivasis	10083	507
Non-Adivasis	5605	19
PVTGs	8176	49

Table 6.25.3, Average income from the forests in North region Chhattisgarh

	Average income from forest produce	Households reporting
Adivasis	6704	286
Non-Adivasis	3920	30
PVTGs	10472	56





6.6 PER CAPITA INCOME

Table 6.1 shows that the average annual income for Adivasi households in Madhya Pradesh is Rs. 73,900. With an average household size of 4.8 (for average household size, see tables 5.1 and 5.2 in chapter 5), the average annual per capita income amounts to Rs. 15,396. The corresponding number for non-Adivasi households is Rs. 19,098 and for PVTG households is Rs 14,622. In Chhattisgarh, the average annual per capita income is Rs. 11,930, Rs. 12,801, and Rs. 11,028 for Adivasi, Non-Adivasi, and PVTG households, respectively. These figures highlight the overall income poverty among Adivasi households in both states.

Turning to Table 6.6 and 6.8, it is evident that the contribution of forest income is only 2.1% for Adivasi households in Madhya Pradesh and 6.5% for PVTG households. In Chhattisgarh, these percentages are slightly higher, with Adivasi households at 7.5% and PVTG households at 13.8%.

As per one estimate, per capita income in Chhattisgarh is likely to reach 1,33,000 in 2022-23.¹ The per capita income in MP is estimated at Rs. 1,40,000.² A note explaining the apparent disparity between GSDP per capita and average per capita household disposable income from SAL 2022 is given below.

A NOTE ON THE APPARENT DISPARITY BETWEEN STATE DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA AND AVERAGE PER CAPITA HOUSEHOLD DISPOSABLE INCOME FROM SAL 2022

Firstly, these two numbers, per capita Net State domestic product (NSDP) and per capita household income from the SAL survey, are not comparable. Per capita state domestic product is the total domestic product divided by the population. Total state domestic product is the sum of value added across all production activities in the economy. It includes not only households but firms as well. Only a fraction of the domestic economic product is earned by the households. The fraction of the economy's domestic product earned by rural households will be even smaller. Hence, per capita household disposable income will be lesser than per capita domestic product

of the economy unless the whole of the economy is made up of proprietors whose income is the value added in their business activity or all value addition of the firm (profits) is paid as dividend to the individual shareholders by the corporations. Since there are large corporations and not all of the profit earned by them is paid back as dividends, household disposable income will be lower than per capita domestic product. In fact, there has been a recognition of the divergence between per capita domestic product and disposable per capita household income at the national level for OECD countries.³

In the case of SAL, the divergence of per capita Net State Domestic Product (NSDP) and average per capita household income from the survey data is likely to be higher than what could be at the state level since the survey is focused predominantly on rural tribal households from blocks which are predominantly tribal. One can expect the average of rural tribal income to be lower than that of rural income which is

again expected to be lower than that of state-level household income. One can see such a typical pattern in Table 1 through the 76th round (2018) of the National Sample Survey.⁴ National Sample Survey (NSS) records the value of consumption and not of income. But for poor households, expenditure is likely to be close to that of the income, if not higher considering subsidized consumption like PDS.

Table 6.26: Monthly Consumer expenditure from NSS 76th round (2018) - in Rs

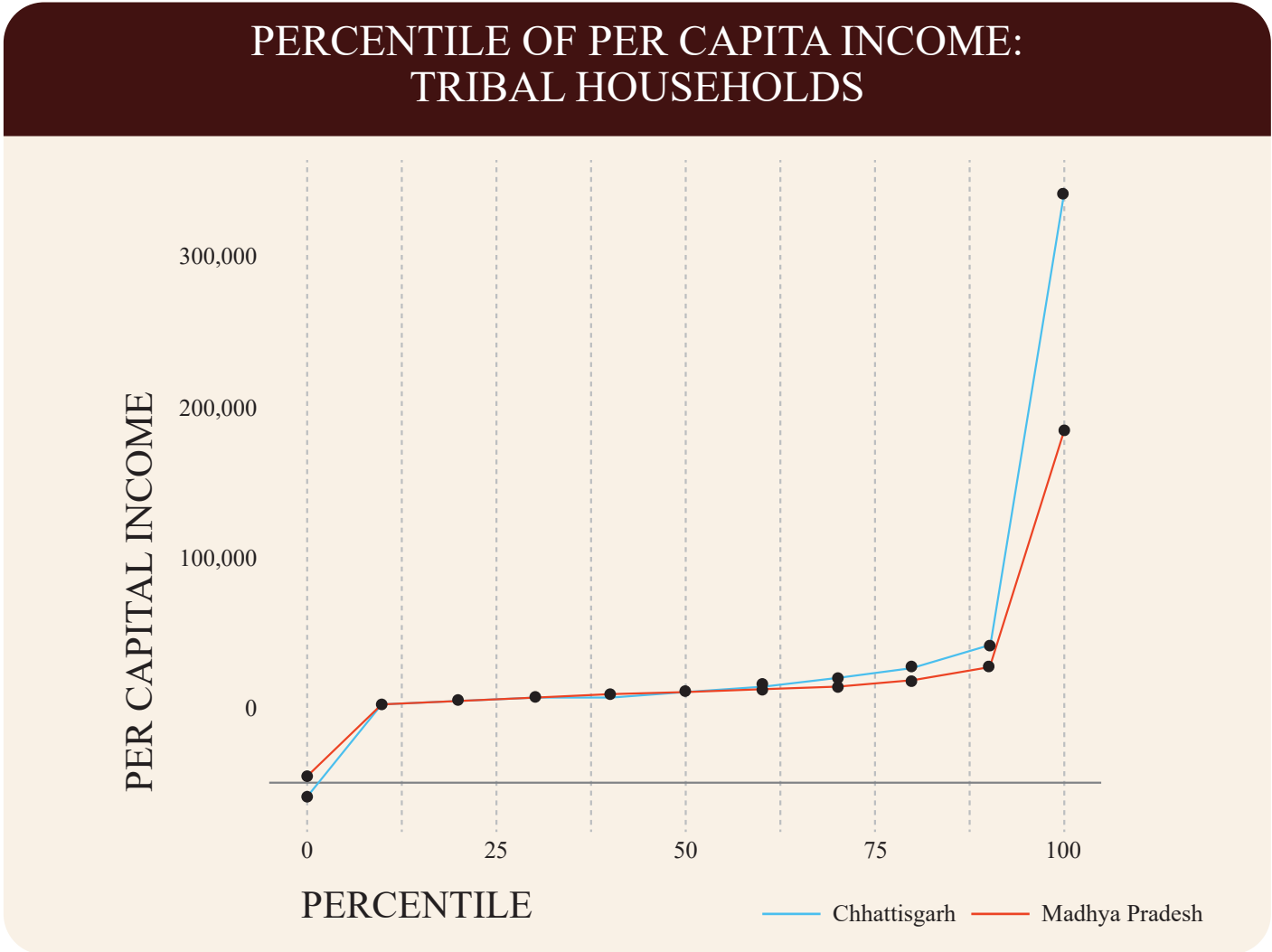
 Madhya Pradesh		 Chhattisgarh	
TRIBAL	6155	TRIBAL	5317
RURAL	7000	RURAL	5947
ALL	8793	ALL	7892
Khargone		Bastar	
TRIBAL	6125	TRIBAL	4275
RURAL	7248	RURAL	4383

As per the NSS 76th round (2018), the average monthly consumer expenditure for rural tribal households in Madhya Pradesh was Rs. 6155 and Rs. 8793 for the whole of Madhya Pradesh. For Chhattisgarh, the corresponding figures were Rs. 5317 and 7892 respectively.





Figure 6.1: Distribution of per capita income



In SAL data, we have nearly 10% of the tribal households in each state who have reported negative or nearly zero earnings. In other words, they have made large losses in their livelihood activities. These negative earnings have reduced the average earnings. On the other side, there are very few households with high per capita income. The average per capita income for 90th – 100th percentile group is 46463 for Chhattisgarh and Rs. 69959 for Madhya Pradesh. Hence, average per capita income has remained low.

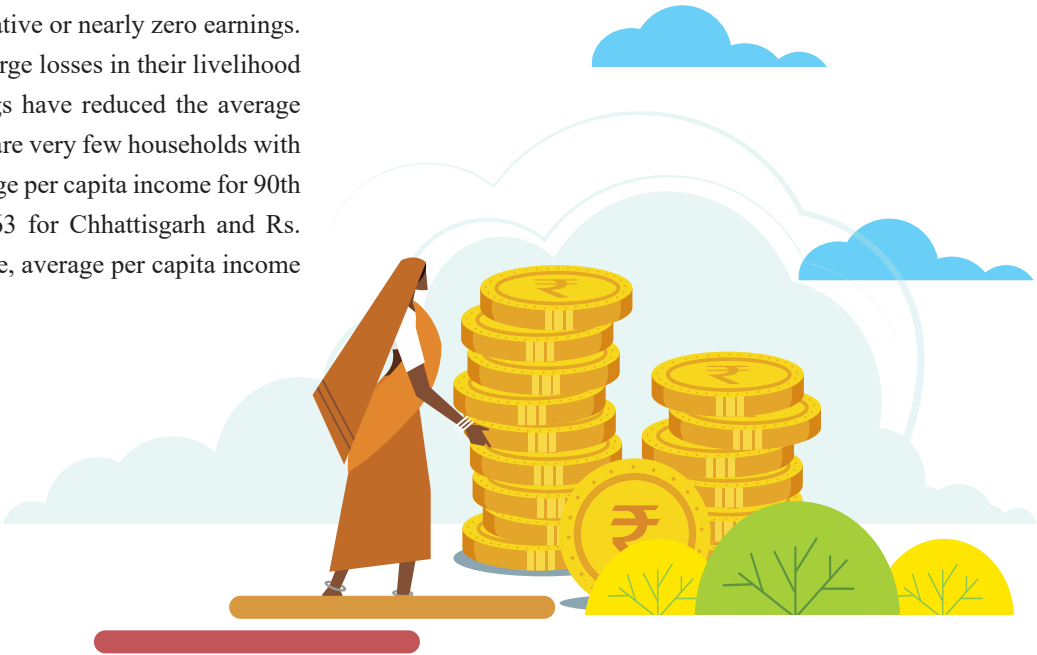


Figure 6.2: NSS 76th round Monthly consumer expenditure

MONTHLY CONSUMER EXPENDITURE: RURAL TRIBAL HOUSEHOLDS NSS 76TH ROUND (2018)

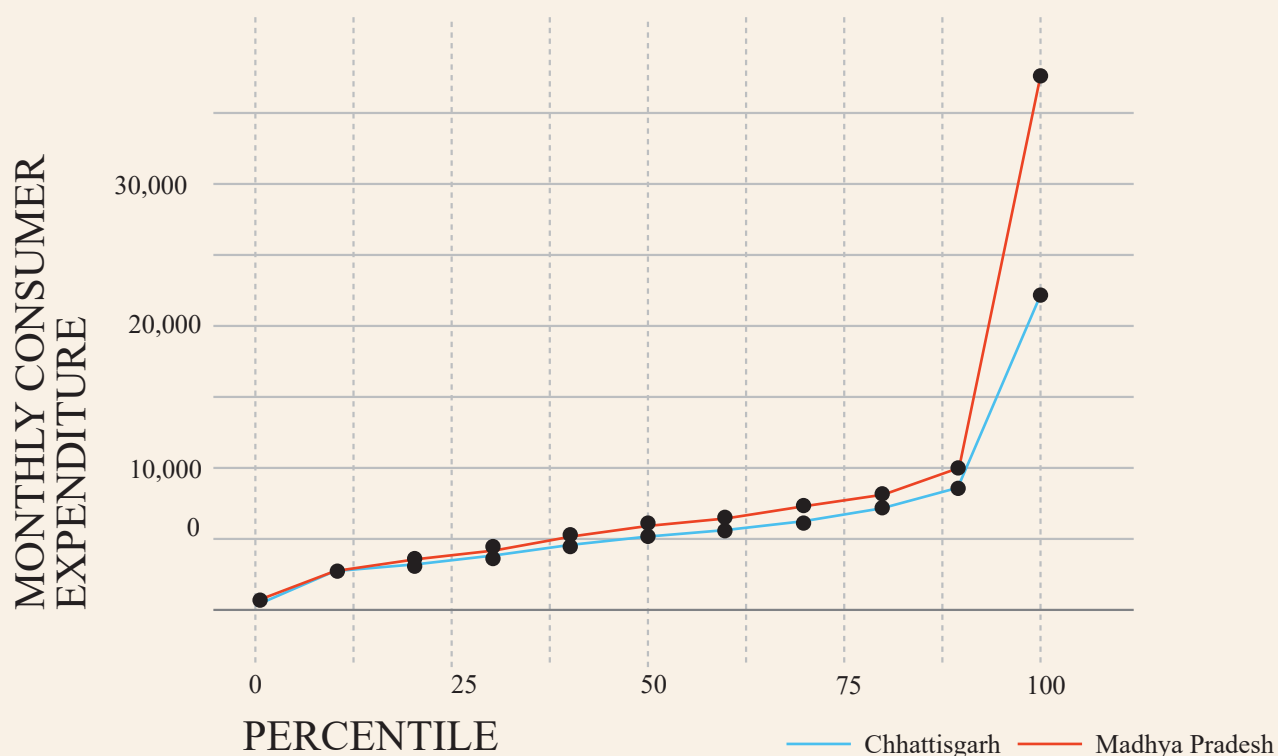


Figure 1 and Figure 2 show that the distribution of households in SAL is not radically different from what has been observed in the NSS 76th round barring the first decile. Since NSS records the consumption, it always has positive values for the same while SAL records the earnings which can be negative when households incur large losses.

The disconcerting observation from the comparison of NSS 76th round with SAL 2nd round is income from SAL in 2021-22 is lower than consumption in 2018 across the percentiles. But this can be explained by the fact that SAL has not accounted for the imputed income arising out of PDS and any other assistance received. SAL calculates what a household earns through various livelihood channels while NSS calculates what a household consumes through various

channels. For households at lower income levels, consumption can be higher than income considering the role of welfare schemes in the lives of such households.

The only point that perhaps has induced systematic downward bias in SAL numbers is the absence of stratification at the basic sampling unit. The 20 households to be surveyed in the village in the SAL survey were selected randomly without any stratification based on a priori estimate of the income of these households. NSS sample at the village level is sub-sampled into income classes through house listing and a priori estimate of the income.



REFERENCES AND NOTES

¹https://www.business-standard.com/article/economy-policy/chhattisgarh-gsdp-to-grow-by-8-at-constant-prices-economic-survey-123030300692_1.html

²<https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/mp-net-per-capita-income-140583-shivraj-elated/articleshow/98321930.cms?from=mdr>

³See Nolan Brian, Roser Max, and Thewissen Stefan GDP per capita versus median household income: what gives rise to divergence over time? Social Macroeconomics: Working paper series, OECD, May 2016

⁴It must be noted that sample for the survey was not designed to calculate average for any sub-group within the state.



#07

LIVELIHOOD OUTCOMES





The survey was conducted to assess the livelihood status of Adivasi and PVTG households in Madhya Pradesh and Chhattisgarh and compare it that of non-Adivasi households. The sampling plan was designed to achieve this objective. In both states, the sample was divided equally into three regions:

South, Central, and North regions in the case of Chhattisgarh and Bhil, Gond, and other ITDP blocks region in the case of Madhya Pradesh. This division allows us to provide an indicative scenario of income, dietary diversity, and food security in these regions of both states.

7.1 INCOME VARIATIONS ACROSS REGIONS

Among all the regions in both states, the Bhil region in Madhya Pradesh shows the highest average household income for Adivasi and non-Adivasi households. In fact, the average income here is around 1.5 times or more than that in

the other regions. In the rest of the five regions in both states, the per capita income of Adivasi households varies between Rs 12,000 to Rs 15,000. In the Bhil region, it is much higher, at Rs 24,571.

Table- 7.1.1, Bhil region Annual Average Household Income in INR, Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average household income	99,211	1,45,289	
Per capita income	24,571	36,875	
Number of households	820	45	0

Table- 7.1.2, Gond region Annual Average Household Income in INR, Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average household income	66,724	69,755	79,564
Per capita income	15,077	13,800	20,732
Number of households	758	156	81

Table- 7.1.3, Other ITDP Blocks Annual Average Household Income in INR' in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average household income	52,597	80,084	61,411
Per capita income	12,596	20,034	13,043
Number of households	719	134	120



Table-7.2.1, South region Annual Average Household Income in INR, Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average household income	54,961	60,092	1,06,223
Per capita income	12,137	13,944	17,366
Number of households	742	172	35

Table-7.2.2, Central region Annual Average Household Income in INR, Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average household income	57,072	52,980	45,468
Per capita income	14,177	14,668	14,198
Number of households	708	159	57

Table-7.2.3, North region Annual Average Household Income in INR, Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average household income	49,599	48,033	19,488
Per capita income	13,063	12,071	6,969
Number of households	861	168	100





7.2 INCOME VARIATIONS ACROSS DISTRICTS

The number of respondent households in each of the three categories and their spread across districts permitted us to make only indicative statements about income variations across districts. In Madhya Pradesh, the highest average annual income for an Adivasi household has occurred in Khargone (West Nimar), Seoni and Dhar, which is almost 1 lakh rupees. Non-Adivasi households' income is also high in

these three districts, along with Barwani, Harda and Umaria. In Chhattisgarh, the highest average annual income for an Adivasi household has occurred in Gariyabandh and Bijapur districts, whereas the income of non-ativasi households is highest in Bastar and Kondagaon districts. In Chhattisgarh, the average annual income of PVTG households has taken place in Narayanpur and in Madhya Pradesh, it is in Shahdol.

Table 7.3: District wise income: Madhya Pradesh

Districts	Average household income (Rs.)				Number of households			
	Total	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG	Total	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
Barwani	68,572	67,052	96,875	NA	320	300	20	0
Chhindwara	51,115	47,264	70,817	NA	479	400	79	0
Dhar	1,00,101	92,299	1,51,999	NA	400	340	60	0
Harda	78,268	68,330	1,27,460	NA	120	100	20	0
Jabalpur	50,041	49,090	54,697	NA	484	401	83	0
Khargone (West Nimar)	1,56,403	1,65,105	1,07,384	NA	220	180	40	0
Seoni	1,04,624	1,06,110	97,156	NA	241	201	40	0
Shahdol	64,675	66,383	37,665	85,025	242	161	41	40
Umaria	58,445	51,481	1,03,362	NA	300	260	40	0
Sheopur	61,411	NA	NA	61,411	120	0	0	120
Mandla	74,236	NA	NA	74,236	41	0	0	41



Table 7.4: District wise income: Chhattisgarh

Districts	Average household income (Rs.)				Number of households			
	Total	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG	Total	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
Bastar	61,346	58,343	73,065	NA	404	322	82	0
Bijapur	57,121	60,744	42,538	NA	201	161	40	0
Bilaspur	55,329	56,178	51,876	NA	304	244	60	0
Gariyabandh	64,990	71,758	58,810	45,468	297	200	40	57
Jashpur	46,916	54,912	45,323	19,488	522	362	60	100
Kabeerdham	45,549	45,828	44,697	NA	81	61	20	0
Kondagaon	48,358	45,746	61,030	NA	322	262	60	0
Koriya	40,638	37,150	58,078	NA	240	200	40	0
Surajpur	50,290	51,573	44,515	NA	402	321	81	0
Narayanpur	1,06,223	NA	NA	1,06,223	35	0	0	35
GPM	48,049	47,055	53,093	NA	244	204	40	0





7.3 BENEFIT FROM PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM (PDS)

Presently, the benefit from the social welfare schemes is not calculated as the family income. Among these schemes, PDS is the most crucial and it helps families to reduce their vulnerability to a great extent. Tables 7.5 and 7.6 show 98% of

Adivasi and non-Adivasi households and 91% of PVTG households from Chhattisgarh received rice from PDS. In Madhya Pradesh, 91% of Adivasi households received rice and 90% received wheat from PDS.

Table-7.5, Percentage of households received items from the PDS Shop in Madhya Pradesh

Item	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Rice consumption reported	91	70	87
Wheat consumption reported	90	69	86
Pulses consumption reported	2	4	5
Sugar consumption reported	8	5	50
Kerosene consumption reported	15	15	14
Number of households	2,405	361	201



Table- 7.6 Percentage of households received items from the PDS Shop in Chhattisgarh

Item	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Rice consumption reported	98	98	91
Wheat consumption reported	1	1	0
Pulses consumption reported	22	22	2
Sugar consumption reported	96	98	91
Kerosene consumption reported	24	28	6
Number of households	2,339	520	192





Tables 7.7. and 7.8 show per month out-of-pocket household expenditure for purchasing items from PDS. The last row in these tables shows the market price of all items together. Households of all categories in Chhattisgarh receive higher

benefits from PDS as compared to Madhya Pradesh. In both states PDS compensates the low household income from livelihood activities.

Table 7.7, Average household expenditure (Rs per month) on PDS items in Madhya Pradesh

Item	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Rice expenditure (out of pocket)	9	11	10
Wheat expenditure (out of pocket)	18	15	19
Pulses expenditure (out of pocket)	6	1	1
Sugar expenditure (out of pocket)	21	11	24
Kerosene expenditure (out of pocket)	94	94	71
Total expenditure (out of pocket)	43	46	55
Total consumption value (Market price)	865	849	1,098

Table 7.8, Average household expenditure (Rs per month) on PDS items in Chhattisgarh

Item	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Rice expenditure (out of pocket)	23	21	20
Wheat expenditure (out of pocket)	4	3	#N/A
Pulses expenditure (out of pocket)	11	11	10
Sugar expenditure (out of pocket)	19	18	19
Kerosene expenditure (out of pocket)	81	101	88
Total expenditure (out of pocket)	64	70	45
Total consumption value (Market price)	1,518	1,433	1,340



7.4 DIETARY DIVERSITY

To understand the dietary diversity of the members in the households, we used the Food Consumption Score (FCS), a tool developed by the United Nations World Food Programme. A brief description of the tool is provided in Annexure J.

In our study, we calculated the FCS of the female members of each household and separately for the rest of the household

members. In tables 7.3 and 7.5, 'household' means all household members other than the female members. Similarly, in tables 7.4 and 7.6, the FCS of female members of the households refers to the FCS of those female members who responded to our questionnaire.

Table 7.8: Dietary diversity of the households (%): Madhya Pradesh

	Poor dietary diversity	Borderline dietary diversity	Acceptable dietary diversity	Households reporting (N)
Adivasis	4.2	37.1	58.7	1,774
Non-Adivasis	2.4	25.4	72.2	291
PVTGs	1.1	34.5	64.4	177

Data from Madhya Pradesh shows a wide gap between Adivasi and non-Adivasi, concerning the percentage of households having acceptable dietary diversity. 58.7% of Adivasis and 72.2% of non-Adivasi people have acceptable dietary intake. The percentage of Adivasi people with borderline dietary diversity is also higher than that of the

non-Adivasi people having borderline dietary diversity. The percentage of PVTGs with acceptable dietary diversity is higher than Adivasis. Further, there are only 1.1% of PVTG households with poor dietary diversity as compared to 4.2% of Adivasi and 2.4% non-Adivasi households.

Table 7.9: Dietary diversity of the female member of the households in Madhya Pradesh

	Poor dietary diversity	Borderline dietary diversity	Acceptable dietary diversity	Households reporting (N)
Adivasis	4.2	37.7	58.1	1,774
Non-Adivasis	2.7	26.5	70.8	291
PVTGs	1.1	35.6	63.3	177

The dietary diversity of the female members of the households in Madhya Pradesh shows a pattern similar to that of the other members of the household. However, the percentage of female

members with acceptable dietary diversity is slightly lower than the same for other members of the households.



The data from Chhattisgarh shows a much lower percentage of households from all categories with acceptable dietary diversity as compared to Madhya Pradesh. Only 36.3% Adivasi households, 42.9% non-Adivasi households, and

merely 16.8% PVTG households have acceptable dietary diversity. 19% of PVTG households have poor dietary diversity, while most of the households from all categories are on the borderline.

Table 7.10: Dietary diversity of the households (%): Chhattisgarh

	Poor dietary diversity	Borderline dietary diversity	Acceptable dietary diversity	Households reporting (N)
Adivasis	2.2	61.5	36.3	1,956
Non-Adivasis	2.5	54.6	42.9	441
PVTGs	19.0	64.2	16.8	179

Table 7.11: Dietary diversity of the female member of the households in Chhattisgarh

	Poor dietary diversity	Borderline dietary diversity	Acceptable dietary diversity	Households reporting (N)
Adivasis	2.0	61.9	36.1	1,956
Non-Adivasis	2.0	54.2	43.8	441
PVTGs	19.6	64.2	16.2	179

In Chhattisgarh, the dietary diversity of female household members also follows a similar pattern as the other members of the households.

Region-wise also, there is variation in the dietary diversity score (FCS). The Bhil region shows a very high percentage of

Adivasi (81%) and non-Adivasi (93%) households with acceptable dietary diversity. On the other hand, the central region of Chhattisgarh shows the lowest percentage of Adivasi households (0.6%) with poor dietary diversity and the south region in Chhattisgarh shows the lowest percentage of PVTG households (0%) with poor dietary diversity.



Table 7.12.1, Dietary diversity of households (%), Bhil region in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Poor (≤ 21)	2.2	2.3	
Borderline (21-35)	16.7	4.7	
Acceptable (>35)	81.1	93.0	

Table 7.12.2, Dietary diversity of households (%), Gond region in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Poor (≤ 21)	2.7	1.5	1.5
Borderline (21-35)	44.6	31.1	36.4
Acceptable (>35)	52.7	67.4	62.1

Table 7.12.3, Dietary diversity of households (%), Other ITDP blocks in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Poor (≤ 21)	7.3	3.4	0.9
Borderline (21-35)	46.1	26.7	33.3
Acceptable (>35)	46.6	69.8	65.8

Table 7.13.1, Dietary diversity of households (%), South region in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Poor (≤ 21)	2.2	1.4	0.0
Borderline (21-35)	48.9	48.6	56.0
Acceptable (>35)	48.9	50.0	44.0

Table 7.13.2, Dietary diversity of households (%), Central region in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Poor (≤ 21)	0.6	2.1	1.8
Borderline (21-35)	66.7	49.3	69.1
Acceptable (>35)	32.7	48.6	29.1

Table 7.13.3, Dietary diversity of households (%), North region in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Poor (≤ 21)	3.5	3.9	33.3
Borderline (21-35)	66.1	65.4	63.6
Acceptable (>35)	30.3	30.7	3.0



7.5 HOUSEHOLD FOOD SECURITY

The FCS gives information about the diversity of diets but does not indicate access and adequacy of food. To measure access and adequacy of food at the household level, we used the Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) tool. A brief description of the tool is given in Annexure K.

Similar to FCS, the HFIAS score of the female member of each household and the HFIAS score of the rest of the household members were calculated separately. In tables 7.7 and 7.9, 'household' refers to all members of a household other than the female members who were the respondents. Similarly, in tables

7.8 and 7.10, the HFIAS score of the female members of the households refers to female members who were the respondents of our questionnaire.

The score shows that in Madhya Pradesh, 31.8% of Adivasi, 26.8% non-Adivasi, and a large percentage of PVTG households, 60.8%, are severely food insecure. 42.8% non-Adivasi households are food secure, whereas only 25.9% of Adivasi and 25.6% of PVTG households are food secure.

Table 7.14: Food security of the households (%): Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Food secure	25.9	42.8	25.6
Mildly food insecure	18.4	14.4	5.7
Moderately food insecure	23.8	16.0	8.0
Severely food insecure	31.8	26.8	60.8

The situation is by and large similar for the female members of households in Madhya Pradesh. However, the food security of female members is a little higher as compared to other members in Adivasi households.

Table 7.15: Food security of the female members of the households: Madhya Pradesh (%)

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Food secure	30.1	43.8	25.6
Mildly food insecure	15.8	14.4	7.4
Moderately food insecure	22.5	16.3	6.3
Severely food insecure	31.7	25.5	60.8







In Chhattisgarh, the percentages of food secure Adivasi (49.7%) and PVTG (48.6%) households are almost double the percentage of the same in Madhya Pradesh. The percentage of non-Adivasi food secure households here is lower than that of the Adivasi and PVTG households. The percentage of households with severe food insecurity is 27% for Adivasi, 28.8% for non-Adivasi and 41.4% for PVTG households.

Table 7.16: Food security of the households (%): Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Food secure	49.7	46.4	48.6
Mildly food insecure	15.3	17.2	4.4
Moderately food insecure	8.0	7.6	5.5
Severely food insecure	27.0	28.8	41.4

Table 7.17: Food security of the female members of the households: Chhattisgarh (%)

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Food secure	49.3	47.3	48.1
Mildly food insecure	15.0	17.4	4.4
Moderately food insecure	9.6	7.4	5.5
Severely food insecure	26.0	27.9	42.0

The pattern for food security in the case of female members is by and large similar to the rest of the members of the households in Chhattisgarh.

Region-wise also food security varies. The south region of Chhattisgarh shows the highest percentage of Adivasi households (58%) being food secure and the lowest percentage of Adivasi households (15%) being severely food insecure. In the central Chhattisgarh region, 100% of PVTG households reported being food secure. At the same time, 44% of Adivasi

households reported being severely food insecure in Central Chhattisgarh; this is the highest among the regions. In the same region, non-Adivasi households also show the highest percentage of severe food insecurity among the regions. The other ITDP blocks outside the Bhil and Gond regions in Madhya Pradesh show the lowest percentage of Adivasi households being food secure.



7.18.1, Food security of the households (%), Bhil reason in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Food secure	33.8	45.2	
Mildly food insecure	28.0	21.4	
Moderately food insecure	9.4	7.1	
Severely food insecure	28.9	26.2	
Number of households	533	42	0

Table 7.18.2, Food security of the households (%), Gond reason in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Food secure	28.2	43.9	23.1
Mildly food insecure	12.8	7.9	10.8
Moderately food insecure	17.2	15.8	9.2
Severely food insecure	41.7	32.4	56.9
Number of households	662	139	65

Table 7.18.3, Food security of the households (%), Other ITDP blocks in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Food secure	17.1	40.8	27.0
Mildly food insecure	16.4	19.2	2.7
Moderately food insecure	42.4	19.2	7.2
Severely food insecure	24.1	20.8	63.1
Number of households	648	125	111





Table 7.19.1, Food security of the households (%), South region in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Food secure	57.9	61.6	92.3
Mildly food insecure	21.2	12.6	3.8
Moderately food insecure	6.2	9.9	0.0
Severely food insecure	14.7	15.9	3.8
Number of households	585	151	26

Table 7.19.2, Food security of the households (%), Central region in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Food secure	38.0	32.6	100.0
Mildly food insecure	9.0	12.5	0.0
Moderately food insecure	8.5	4.2	0.0
Severely food insecure	44.4	50.7	0.0
Number of households	655	144	55

Table 7.19.3, Food security of the households (%), North region in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Food secure	53.4	44.4	9.0
Mildly food insecure	16.2	26.1	7.0
Moderately food insecure	8.9	8.5	10.0
Severely food insecure	21.5	20.9	74.0
Number of households	785	153	100



7.4 HEAD CIRCUMFERENCE OF CHILDREN BELOW FIVE YEARS

Head circumference is one of the indicators of malnutrition among children below five years. The Head circumference of a child should ideally fall within the 3-97 percentiles of the recommended population scores.

In Madhya Pradesh, the percentage of male children below five years with malnutrition (outside the 3-97 percentile) is 52.2%, 63.3% and 61.4% for Adivasi, non-Adivasi and PVTG

households, respectively (see table 7.11 for the percentage of children within 3-97 percentile). A similar pattern is observed for female children in Adivasi households, while the situation is slightly better in non-Adivasi households and worse in PVTG households.

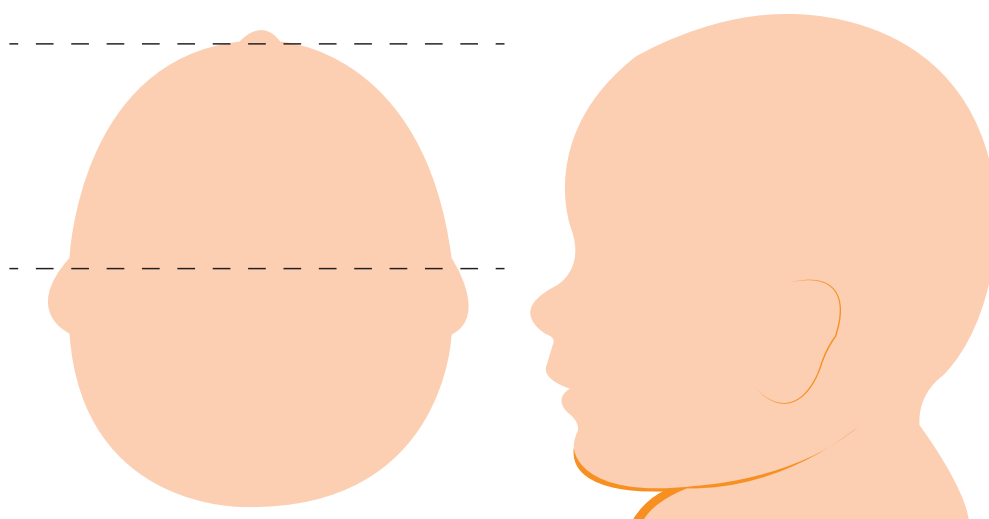


Table 7.20: Head circumference of male and female children (age up to 60 months):

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Male children with head circumference in 3-97 percentile (%)	47.8	36.7	38.6
The number of male children, aged up to 60 months, assessed	276	30	44
Female children with head circumference in 3-97 percentile (%)	48.3	51.9	27.5
The number of female children, aged up to 60 months, assessed	240	27	40

In Chhattisgarh, 42.7%, 41.3% and 54.2% of male children below five years from Adivasi, non-Adivasi and PVTG households, respectively have malnutrition. The percentage of female children with malnutrition is much lower in the case of

non-Adivasi (32.6%) and PVTGs (35.7%) as compared to the male children in those categories. In Adivasi, the situation is slightly worse for female children (see table 7.20).



Table 7.21: Head circumference of male and female children (age up to 60 months): Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Male children with head circumference in 3-97 percentile (%)	57.3	58.7	45.8
The number of male children, aged up to 60 months, assessed	239	46	24
Female children with head circumference in 3-97 percentile (%)	56.0	67.4	64.3
The number of female children, aged up to 60 months, assessed	216	43	14

PLEASE NOTE

Dietary diversity:

Dietary diversity, as defined by the World Health Organization (WHO), refers to the variety and number of different food groups consumed by individuals or households over a specific period. It measures the extent to which an individual's diet incorporates a wide range of food groups, reflecting the nutritional quality and adequacy of their food intake (for more details, see Annexure - J).

Household Food security:

Household food security is defined as the availability, adequacy, and utilization of food within a household (for more details, see Annexure -K).



In the Focus Group Discussion (FGD) and Personal Interviews (PI) conducted during this study, it was shared multiple times that Adivasi women within Adivasi society hold better positions than their counterparts in non-Adivasi societies. They are more mobile and autonomous, and there is no taboo in going out for work and to market.

However, it was also mentioned that Adivasi women shoulder most of the household work, engage in collecting fuel wood and other forest products from the forests, and they take up significant portion of agriculture labor. In the FGDs, it was revealed that Adivasi women work diligently and almost throughout the day. At times, they have to work outside as wage labourers outside their preference, solely to meet the household needs. They also participate in selling vegetables at the market and purchasing daily essentials.

When the male member of the household migrates, the women who stay back face a shortage of money, leaving them unable



to buy necessary items or go places they may need to. As a result, the household chores and responsibilities of the women increase significantly. On the other hand, when women migrate, children often stay behind, and elderly family members take on the responsibility of looking after them. In some cases, the entire family migrates, and in both situations, children's education is negatively affected.

Gender discrimination is evident in customary practices/ laws, role division, decision making within the society. The customary law denies women's right to land and they justify this with their value of prioritising community over individuals. With changing times, the position of women and the gender relationship are also changing. Media plays an influential role in this. CSOs and the Government have been working to strengthen women's organisations, SHGs and associative tiers and facilitated their participation in the decision-making processes in the village. Some women respondents, who are also part of SHGs, shared that this had

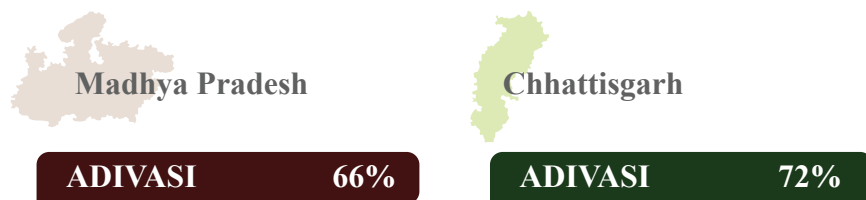
helped women to have some control over decision-making, within the family as well as in the village. Some facilitating policies related to women's ownership of land also have helped change the position of women in Adivasi society.

This chapter presents data on women's position in the Adivasi livelihoods scenarios in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Some of these could be repetitions from earlier chapters.





8.1 OWNERSHIP OF MOBILE AND SMARTPHONES



settlements have mobile network coverage.



Adivasi households have mobile phones of their own.

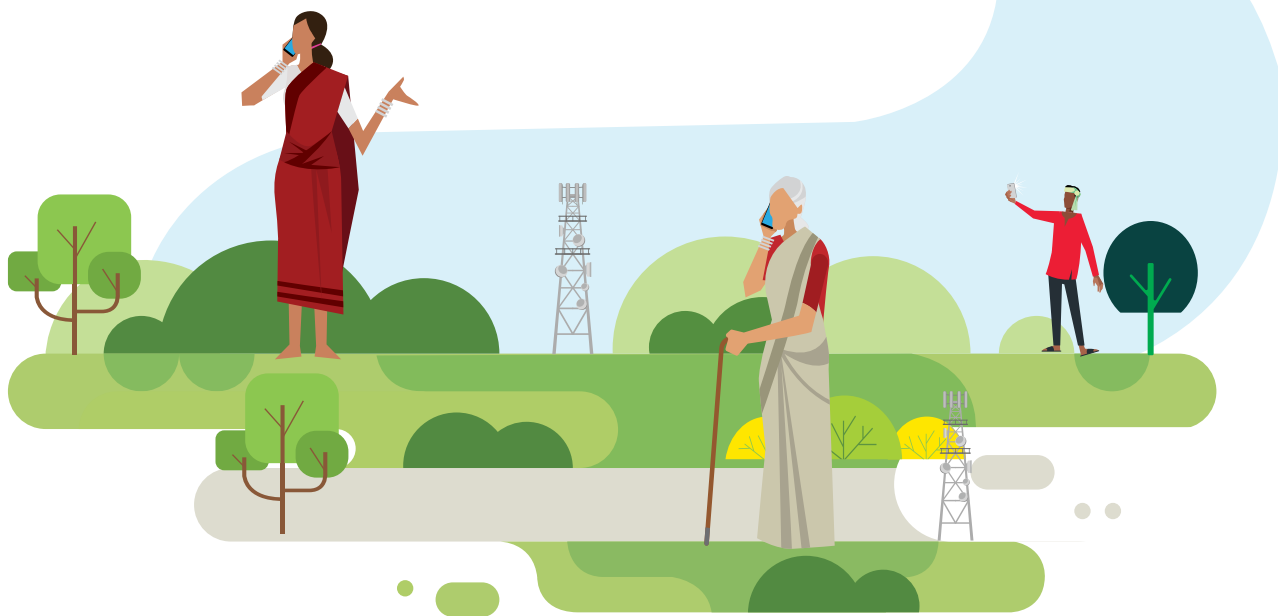


Table 8.1: Mobile phone ownership among female members of the households (%) in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Female members of households who have mobile phones	6.9	13.5	6.5
Female with smartphone	4.0	8.9	3.9

Table 8.2: Mobile phone ownership among female members of the households (%) in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Female members of households who have mobile phones	11.2	17.6	4.4
Female with smartphone	7.2	12.7	2.6

8.2 FUNCTIONAL LITERACY REGION-WISE

A region-wise functional literacy result shows that the percentage of females who scored 80% or more in the literacy test is highest in the North Chhattisgarh region. The percentage of non-Adivasi females who scored more than 80% is highest in south Chhattisgarh among the six regions in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The average literacy score

of women from Adivasi households is highest in north Chhattisgarh. The average literacy score of women from non-Adivasi households is highest in South Chhattisgarh and that from PVTG households is highest in the Gond region of Madhya Pradesh.



Table 8.3.1, Female functional literacy, Bhil region Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average reading score (out of 10)	1.5	2.8	
Average writing score (out of 10)	1.6	4.3	
Average numeracy score (out of 10)	1.6	2.5	
Average functional literacy score (out of 30)	4.7	9.7	
Total number of women household members given functional literacy test	521	42	
Percentage of women who scored more than 80% in reading	10.7	11.9	
Percentage of women who scored more than 80% in writing	12.9	38.1	
Percentage of women who scored more than 80% in numeracy test	2.3	2.4	
Percentage of total number of women with more than 80% overall functional literacy score	4.2	9.5	



Table 8.3.2, Female functional literacy, Gond region Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average reading score (out of 10)	2.5	3.0	2.4
Average writing score (out of 10)	3.0	3.9	2.2
Average numeracy score (out of 10)	1.9	2.6	1.6
Average functional literacy score (out of 30)	7.4	9.6	6.1
Total number of women household members given functional literacy test	652	136	67
Percentage of women who scored more than 80% in reading	15.8	17.6	22.4
Percentage of women who scored more than 80% in writing	25.2	32.4	17.9
Percentage of women who scored more than 80% in numeracy test	14.3	20.6	11.9
Percentage of total number of women with more than 80% overall functional literacy score	14.3	21.3	13.4

Table 8.3.3, Female functional literacy, Other ITDP blocks Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average reading score (out of 10)	1.7	2.8	0.3
Average writing score (out of 10)	2.3	4.6	0.5
Average numeracy score (out of 10)	1.3	2.8	1.2
Average functional literacy score (out of 30)	5.3	10.2	2.0
Total number of women household members given functional literacy test	633	119	109
Percentage of women who scored more than 80% in reading	8.4	10.9	0.0
Percentage of women who scored more than 80% in writing	14.7	36.1	1.8
Percentage of women who scored more than 80% in numeracy test	5.7	12.6	2.8
Percentage of total number of women with more than 80% overall functional literacy score	6.6	10.1	1.8



Table 8.4.1, Female functional literacy, South region Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average reading score (out of 10)	2.0	3.6	0.4
Average writing score (out of 10)	2.4	3.7	0.4
Average numeracy score (out of 10)	1.7	3.2	0.4
Average functional literacy score (out of 30)	6.1	10.5	1.1
Total number of women household members given functional literacy test	561	151	26
Percentage of women who scored more than 80% in reading	13.0	32.5	3.8
Percentage of women who scored more than 80% in writing	17.6	30.5	3.8
Percentage of women who scored more than 80% in numeracy test	10.7	23.2	3.8
Percentage of total number of women with more than 80% overall functional literacy score	12.5	26.5	3.8

Table 8.4.2, Female functional literacy, Central region Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average reading score (out of 10)	2.4	3.7	0.7
Average writing score (out of 10)	2.6	3.9	0.8
Average numeracy score (out of 10)	1.8	2.9	0.3
Average functional literacy score (out of 30)	6.8	10.5	1.8
Total number of women household members given functional literacy test	647	140	54
Percentage of women who scored more than 80% in reading	16.7	27.9	1.9
Percentage of women who scored more than 80% in writing	19.2	29.3	5.6
Percentage of women who scored more than 80% in numeracy test	10.5	18.6	0.0
Percentage of total number of women with more than 80% overall functional literacy score	13.3	22.1	0.0

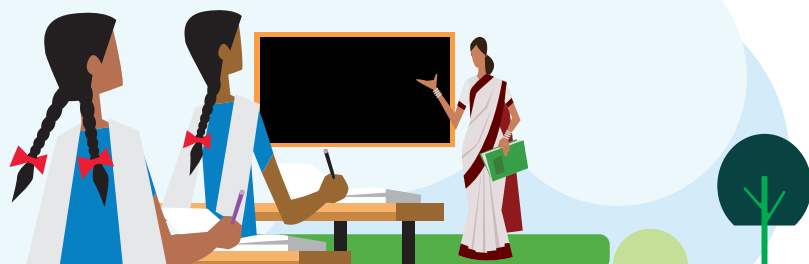




Table 8.4.3, Female functional literacy, North region Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Average reading score (out of 10)	3.4	3.4	0.5
Average writing score (out of 10)	3.9	3.7	0.5
Average numeracy score (out of 10)	3.1	2.9	0.7
Average functional literacy score (out of 30)	10.3	10.1	1.6
Total number of women household members given functional literacy test	779	150	100
Percentage of women who scored more than 80% in reading	21.8	28.0	2.0
Percentage of women who scored more than 80% in writing	34.8	33.3	4.0
Percentage of women who scored more than 80% in numeracy test	23.0	22.0	3.0
Percentage of total number of women with more than 80% overall functional literacy score	22.8	23.3	3.0

8.3 DIETARY DIVERSITY

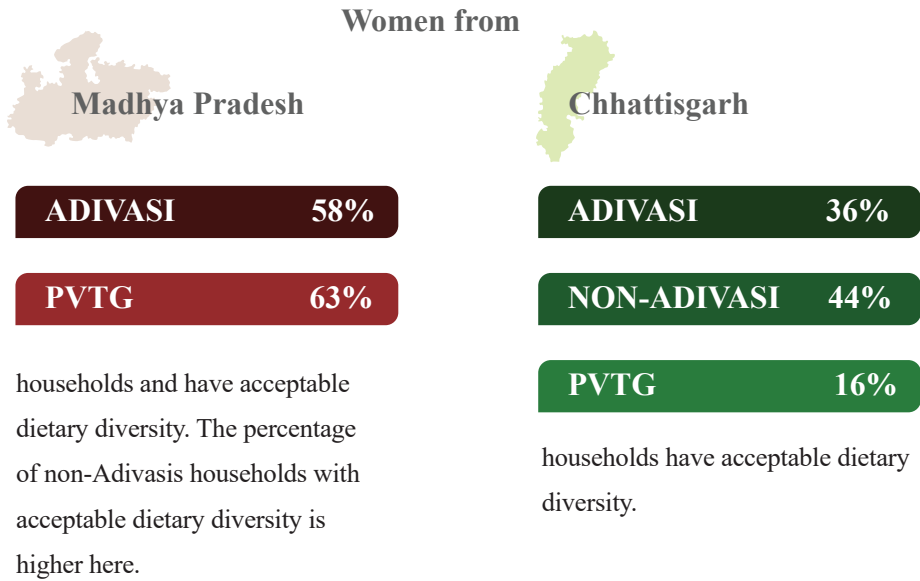


Table 8.5: Dietary diversity of female members of households (%) in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Poor (≤ 21)	4.2	2.7	1.1
Borderline (21.5-35)	37.7	26.5	35.6
Acceptable (>35)	58.1	70.8	63.3
Households reporting (N)	1,774	291	177

Table 8.6: Dietary diversity of female members (%) in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Poor (≤ 21)	2.0	2.0	19.6
Borderline (21.5-35)	61.9	54.2	64.2
Acceptable (>35)	36.1	43.8	16.2
Households reporting (N)	1,956	441	179





Region-wise disaggregated data on female dietary diversity shows that the Bhil region in Madhya Pradesh has the highest percentage of Adivasi and non-Adivasi households with acceptable dietary diversity. However, the percentage of

Adivasi and non-Adivasi households where women reported poor dietary diversity is lowest in the case of central Chhattisgarh. In south Chhattisgarh, no woman from PVTG households reported poor dietary diversity.

Table 8.7.1, Dietary diversity of the female member of households (%), Bhil region in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Poor(≤ 21)	2.0	2.3	0
Borderline (21-35)	17.5	9.3	0
Acceptable (>35)	80.5	88.4	0

Table 8.7.2, Dietary diversity of the female member of households (%), Gond region in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Poor(≤ 21)	2.5	1.5	1.5
Borderline (21-35)	45.9	29.5	34.8
Acceptable (>35)	51.6	68.9	63.6

Table 8.7.3, Dietary diversity of the female member of households (%), Other ITDP blocks in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Poor (≤ 21)	7.8	4.3	0.9
Borderline (21-35)	45.8	29.3	36.0
Acceptable (>35)	46.4	66.4	63.1

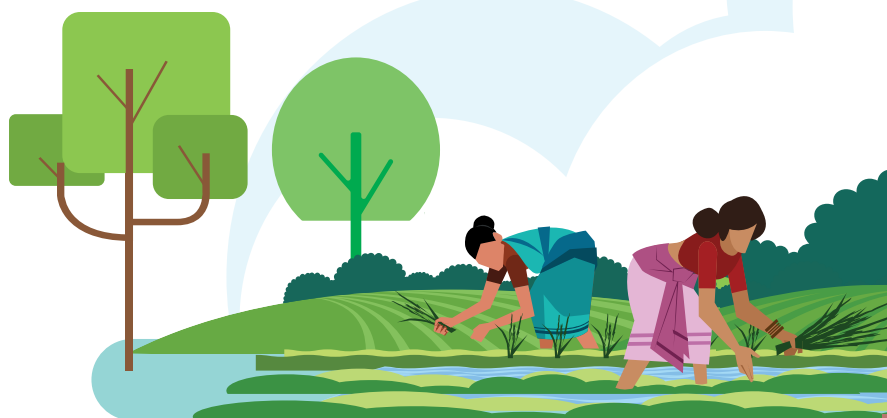


Table 8.8.1, Dietary diversity of the female member of households (%), South region in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Poor (≤ 21)	2.4	2.7	0.0
Borderline (21-35)	50.2	47.9	48.0
Acceptable (>35)	47.4	49.3	52.0

Table 8.8.2, Dietary diversity of the female member of households (%), Central region in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Poor (≤ 21)	0.5	0.7	1.8
Borderline (21-35)	65.6	49.3	74.5
Acceptable (>35)	34.0	50.0	23.6

Table 8.8.3, Dietary diversity of the female member of households (%), North region in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Poor (≤ 21)	3.0	2.6	34.3
Borderline (21-35)	67.2	64.7	62.6
Acceptable (>35)	29.8	32.7	3.0





8.4 FOOD SECURITY

Table 8.9: Food security among female members (%) in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Severely food insecure	31.7	25.5	60.8
Moderately food insecure	22.5	16.3	6.3
Mildly food insecure	15.8	14.4	7.4
Food secure	30.1	43.8	25.6
Number of households	1,843	306	176

Table 8.10: Food security among female members (%) in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Severely food insecure	26.0	27.9	42.0
Moderately food insecure	9.6	7.4	5.5
Mildly food insecure	15.0	17.4	4.4
Food secure	49.3	47.3	48.1
Number of households	2,025	448	181

Region-wise desegregated data shows the percentage of Adivasi and non-Adivasi households where women reported being food secure is highest in south Chhattisgarh. The

percentage of PVTG households where women reported being food secure is highest in central Chhattisgarh.

Table 8.11.1, Food security of the female member households (%), Bhil reason in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Food secure	39.4	47.6	
Mildly food insecure	23.8	14.3	
Moderately food insecure	9.4	11.9	
Severely food insecure	27.4	26.2	
Number of households	533	42	



Table 8.11.2, Food security of the female member households (%), Gond reason in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Food secure	31.9	46.0	23.1
Mildly food insecure	11.6	10.1	10.8
Moderately food insecure	14.5	14.4	7.7
Severely food insecure	42.0	29.5	58.5
Number of households	662	139	65

Table 8.11.3, Food security of the female member households (%), Other ITDP blocks in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Food secure	20.5	40.0	27.0
Mildly food insecure	13.4	19.2	5.4
Moderately food insecure	41.4	20.0	5.4
Severely food insecure	24.7	20.8	62.2
Number of households	648	125	111

Table 8.12.1, Food security of the female member households (%), South region in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Food secure	58.1	61.6	88.5
Mildly food insecure	19.7	16.6	7.7
Moderately food insecure	8.4	7.3	0.0
Severely food insecure	13.8	14.6	3.8
Number of households	585	151	26

Table 8.12.2, Food security of the female member households (%), Central region in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Food secure	37.1	35.4	100.0
Mildly food insecure	8.9	11.8	0.0
Moderately food insecure	10.2	3.5	0.0
Severely food insecure	43.8	49.3	0.0
Number of households	655	144	55



Table 8.12.3, Food security of the female member households (%), North region in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Food secure	53.0	44.4	9.0
Mildly food insecure	16.7	23.5	6.0
Moderately food insecure	10.1	11.1	10.0
Severely food insecure	20.3	20.9	75.0
Number of households	785	153	100

8.5 INCOME FROM DIFFERENT SOURCES

Table 8.13: Average annual household income source wise for female-headed households in Madhya Pradesh

	Farming	Animal Husbandry	Forest Produce	Wage	Salary /Pension	Remittance	Non-farm	Households Income
Adivasi (Rs.)	40,847	-2,827	6,320	35,712	4,009	11,974	22,142	79,108
Adivasi households that reported income from the source (Nos.)	240	195	165	273	174	118	32	386
Non-Adivasi (Rs.)	64,094	-4,249	7,522	26,137	1,640	12,000	29,125	74,904
Non-Adivasi households that reported income from the source (Nos.)	40	29	9	40	30	16	8	61
PVTGs (Rs.)	64,094	-4,249	7,522	26,137	1,640	12,000	29,125	74,904
PVTGs households that reported income from the source (Nos.)	55	20	51	41	27	16	1	66



Table 8.14: Average annual household income source wise for female-headed households in Chhattisgarh

	Farming	Animal Husbandry	Forest Produce	Wage	Salary /Pension	Remittance	Non-farm	Households Income
Adivasi (Rs.)	29,962	-2,934	5,723	28,366	1,424	13,867	12,250	52,109
Adivasi households that reported income from the source (Nos.)	335	312	215	318	163	30	22	439
Non-Adivasi (Rs.)	29,121	-2,807	4,904	32,246	1,330	25,000	10,314	45,994
Non-Adivasi households that reported income from the source (Nos.)	54	58	26	77	53	3	7	109
PVTGs (Rs.)	27,645	747	6,852	14,680	1,186		3,000	34,223
PVTGs households that reported income from the source (Nos.)	18	15	30	26	31	0	1	45

8.6 DECISION MAKING

During the survey, the respondents were asked “who within the households takes a decision” on a variety of matters concerning the households. This data is captured in Tables 8.8 to 8.12 for Adivasi, PVTG and non-Adivasi villages. The term ‘Dada’ refers to the male respondent (or her husband, if the respondent were a woman); ‘Didi’ refers to the female respondent (or his wife, if the respondent were a male) and ‘Joint’ refers to the claim of the household that the couple or all the household members decide on it jointly. Other terms are self-explanatory.

On most of the topics, the decisions are taken “jointly” for the Adivasi and PVTG families in Madhya Pradesh. In non-Adivasi families also most of the decisions are taken jointly, however, the percentage of decisions made jointly is lower in comparison to Adivasi and PVTG households. The percentage of the decision taken by father/father-in-law is

higher in non-Adivasi families in comparison to the other two categories. In Chhattisgarh, across categories joint decisions have been reported in almost all cases and the percentage is also higher than in Madhya Pradesh.

On most matters, the proportion of women taking the decision was much lower than the proportion of males taking the decision in Madhya Pradesh, whereas in Chhattisgarh, the proportion of women taking decisions is slightly higher in the case of Adivasi and non-Adivasis and significantly higher in case of PVTG households.



Table 8.15: Household decision making among Adivasis (%), Madhya Pradesh

Decisions	Female respondent/ spouse of male respondent	Male respondent/ spouse of female respondent	Joint	Adult son	Adult daughter	Daughter-in-law	Young daughter	Young son	Mother/ Mother in law	Father/ Father in law	Brother/ Brother in law	Other
Child Education	8.0	17.2	47.8	4.7	0.1	0.5	0.1	1.4	4.3	12.3	0.0	0.0
Livelihood	6.8	18.2	46.6	4.1	0.1	0.3	0.2	1.6	4.4	11.5	0.0	0.0
Daily Purchase	12.1	15.2	43.9	3.8	0.2	0.5	0.2	1.6	5.9	10.6	0.0	0.0
Asset	6.6	17.8	47.2	3.6	0.2	0.4	0.2	1.7	3.4	12.9	0.0	0.0
Loan	6.4	17.3	47.6	4.1	0.1	0.5	0.1	1.8	3.2	12.9	0.0	0.0
SHG loan	9.9	14.6	47.8	4.5	0.2	0.7	0.1	0.7	6.0	9.5	0.0	0.0
Visit maternal place (Mayaka)	8.8	15.2	50.2	3.2	0.1	0.4	0.2	0.8	7.9	7.8	0.0	0.0
Family Size	6.2	14.7	52.1	3.5	0.1	0.7	0.1	0.9	7.4	7.6	0.0	0.0



Table 8.16: Household decision making among Non-Adivasis (%), Madhya Pradesh

Decisions	Female respondent/ spouse of male respondent	Male respondent / spouse of female respondent	Joint	Adult son	Adult daughter	Daughter-in-law	Young daughter	Young son	Mother/ Mother in law	Father/ Father in law	Brother/ Brother in law	Other
Child Education	11.1	20.4	53.1	0.6	0	2.5	0	1.2	1.9	8.6	0.6	0
Livelihood	9.7	20.6	54.5	0.6	0	0.6	0	1.8	0.6	10.9	0.6	0
Daily Purchase	26.3	18	41.3	0.6	0	0.6	0	1.8	2.4	8.4	0.6	0
Asset	10.9	21.2	53.3	0.6	0	0	0	1.8	1.2	9.7	0.6	0
Loan	10.4	21.5	54	0.6	0	0	0	1.8	0.6	10.4	0.6	0
SHG loan	10.6	17	55.3	0.7	0	0	0	2.1	0.7	12.8	0.7	0
Visit maternal place (Mayaka)	9.5	19	56.5	0.6	0	1.2	0	1.2	2.4	8.3	0.6	0
Family Size	8.5	15.8	61.8	0.6	0	0	0	1.8	1.2	9.1	0.6	0



Table 8.17: Household decision making among PVTGs (%), Madhya Pradesh

Decisions	Female respondent/ spouse of male respondent	Male respondent/ spouse of female respondent	Joint	Adult son	Adult daughter	Daughter-in-law	Young daughter	Young son	Mother/ Mother in law	Father/ Father in law	Brother/ Brother in law	Other
Child Education	11.1	20.4	53.1	0.6	0	2.5	0	1.2	1.9	8.6	0.6	0
Livelihood	9.7	20.6	54.5	0.6	0	0.6	0	1.8	0.6	10.9	0.6	0
Daily Purchase	26.3	18	41.3	0.6	0	0.6	0	1.8	2.4	8.4	0.6	0
Asset	10.9	21.2	53.3	0.6	0	0	0	1.8	1.2	9.7	0.6	0
Loan	10.4	21.5	54	0.6	0	0	0	1.8	0.6	10.4	0.6	0
SHG loan	10.6	17	55.3	0.7	0	0	0	2.1	0.7	12.8	0.7	0
Visit maternal place (Mayaka)	9.5	19	56.5	0.6	0	1.2	0	1.2	2.4	8.3	0.6	0
Family Size	8.5	15.8	61.8	0.6	0	0	0	1.8	1.2	9.1	0.6	0



Table 8.18: Household decision making among Adivasis (%), Chhattisgarh

Decisions	Female respondent/ spouse of male respondent	Male respondent/ spouse of female respondent	Joint	Adult son	Adult daughter	Daughter-in-law	Young daughter	Young son	Mother/ Mother in law	Father/ Father in law	Brother/ Brother in law	Other
Child Education	6.7	2.1	72.4	5.0	0.3	0.3	0.1	0.8	2.8	7.9	0.1	0.0
Livelihood	6.9	2.8	72.7	4.4	0.4	0.3	0.3	0.7	2.4	7.7	0.1	0.0
Daily Purchase	8.3	1.2	70.6	5.4	0.3	0.6	0.2	0.8	5.6	5.6	0.1	0.0
Asset	6.8	2.8	71.7	4.8	0.2	0.3	0.2	0.9	2.9	7.9	0.1	0.0
Loan	6.7	2.6	71.4	5.4	0.3	0.4	0.3	0.8	2.6	7.8	0.1	0.0
SHG loan	13.9	1.6	67.7	3.6	0.3	1.9	0.3	0.6	4.7	3.3	0.1	0.0
Visit maternal place (Mayaka)	7.8	3.0	72.0	3.6	0.4	0.7	0.3	1.1	3.6	5.8	0.0	0.0
Family Size	5.3	2.0	75.3	5.8	0.2	0.4	0.2	0.8	1.6	5.8	0.1	0.0



Table 8.19: Household decision making among Non-Adivasis (%), Chhattisgarh

Decisions	Female respondent/ spouse of male respondent	Male respondent/ spouse of female respondent	Joint	Adult son	Adult daughter	Daughter-in-law	Young daughter	Young son	Mother/ Mother in law	Father/ Father in law	Brother/ Brother in law	Other
Child Education	7.2	6.7	71.7	1.7	0.2	0.2	0.7	1.0	3.7	5.2	0.0	0.0
Livelihood	7.9	7.4	70.9	2.6	0.5	0.2	0.5	0.7	2.6	5.3	0.0	0.0
Daily Purchase	8.5	3.1	68.5	3.1	0.5	0.5	0.5	0.7	9.9	3.5	0.0	0.0
Asset	7.6	7.2	70.6	2.9	0.7	0.2	0.5	0.5	3.1	5.3	0.0	0.0
Loan	7.5	6.8	71.0	2.4	0.5	0.2	0.5	0.7	3.3	5.4	0.0	0.0
SHG loan	11.6	6.9	69.9	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	5.4	0.8	0.0	0.0
Visit maternal place (Mayaka)	8.1	6.9	70.0	2.2	0.5	0.7	1.0	0.5	5.9	2.7	0.0	0.0
Family Size	5.4	6.2	75.8	3.0	0.0	0.8	0.3	0.5	1.9	2.4	0.0	0.0



Table 8.20: Household decision making among PVTGs (%), Chhattisgarh

Decisions	Female respondent/ spouse of male respondent	Male respondent/ spouse of female respondent	Joint	Adult son	Adult daughter	Daughter-in-law	Young daughter	Young son	Mother/ Mother in law	Father/ Father in law	Brother/ Brother in law	Other
Child Education	10.6	1.4	81.6	2.8	0.7	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0
Livelihood	15.1	2.8	76.5	2.2	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	1.7	0.0	0.0
Daily Purchase	16.7	0.6	78.3	2.2	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	1.1	0.0	0.0
Asset	15.3	1.7	77.3	2.3	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0
Loan	15.7	1.8	77.1	2.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.8	0.0	0.0
SHG loan	36.9	0.0	59.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Visit maternal place (Mayaka)	15.9	3.4	77.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0
Family Size	4.4	2.2	89.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0



#09

ANALYSIS:

ASSOCIATION BETWEEN RESOURCES AND LIVELIHOODS OUTCOMES





In this chapter, we have tried to understand how asset ownership and access to resources affect the livelihood outcomes of Adivasi households. This chapter analyses the impact of the size of landholding, access to irrigation, and distance from forests on income, education, food security, and dietary diversity among the Adivasis.

The multivariant analysis shows that three features of the Adivasi households significantly influence the conditions and outcomes of their livelihoods. The first is landholding, is important as an asset to produce food, fodder, and other necessities. It also defines the status of an Adivasi household in the community and tends to shape access to other resources such as irrigation. The second important influencer is the location of their homes in relation to forests. In Madhya Pradesh, Adivasi households belonging to the highest income

group are situated at the furthest distance from the forest, more than 6 km. In Chhattisgarh, the situation is just the opposite. The third influencer is education, more precisely functional literacy, those who have higher education tend to have more income.

The analysis of associations of these parameters (landholding, income, and location) with development outcomes is given as tables in Annexure E for land as the anchor, Annexure F for distance from forests as an anchor, and Annexure G for income as an anchor. A full set of tables is contained in these Annexes. The following sections repeatedly refer to them. However, only significant (and not all the Tables) in these Annexes are covered in the text appearing below. Readers are encouraged to explore the details provided in the Annexes.



9.1 ASSOCIATION OF LANDHOLDING, LOCATION AND INCOME WITH THE DEVELOPMENT

Adivasi and non-Adivasi households surveyed were classified into different classes as per their landholding. Landlessness is high in Madhya Pradesh with around 36.1% of Adivasi households being landless and 50.3% being small and marginal farmers in Madhya Pradesh. In Chhattisgarh, 15.2% of Adivasi households are landless and 70.6% are small and marginal farmers. Nevertheless, the percentage of Adivasi households either landless or small marginal farmers is around 86% in both states. Landlessness among PVTGs is higher in both states with approximately 48% of households in Chhattisgarh and 36.3% in Madhya Pradesh being landless. Landlessness is also high among non-Adivasis in this region. 42.7% in Madhya Pradesh and 32.1% in Chhattisgarh, non-Adivasi households are being landless.

In general, farm income appears to rise with landholding. However, in Madhya Pradesh, landless Adivasis households

have a higher average income than marginal Adivasi farmers. For non-Adivasi households in Madhya Pradesh, although landless households have lower average income than marginal land-holding households, the difference in average annual household income is not significant between these two categories. Similar is the case for Adivasis and non-Adivasis in Chhattisgarh. This may be due to the factor that land held by marginal farmers tends to be of inferior quality or maybe they are unable to till land owing to the migration of member/s for work outside the village. This needs to be probed further. However, in the case of PVTG households, the difference in average annual income between landless and marginal land-holding households is quite large. In Tables 9.1 and 9.2, figures represent incomes in Rupees per annum.





9.2

LANDHOLDING AND INCOME CORRELATION

Table 9.1: Association between the size of landholding and income in Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Landless	61,298	54,565	44,037
Marginal	55,543	55,568	66,690
Small	78,193	1,26,315	1,09,339
Semi-medium and above	1,56,680	2,01,247	99,915

Table 9.2: Association between the size of landholding and income in Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasis	PVTGs
Landless	43,127	43,723	22,014
Marginal	46,189	44,883	34,942
Small	63,228	83,611	66,863
Semi-medium and above	78,816	1,09,988	1,66,765



9.3

ASSOCIATION BETWEEN INCOME AND
HOUSEHOLD LOCATION IN RELATION TO FOREST

We divided the households into 5 income groups by percentile in the income distribution data. The proportion of households in an income group was then divided and reported by distance from the forest. These data are shown in Tables 9.3 and 9.4 for MP Madhya Pradesh and Chhattisgarh respectively.

PVTG households are situated very close to the forest, if not within the forest, in both states. In Chhattisgarh, PVTG households with higher income live closer to the forest or in the forest. The pattern is, by and large, opposite in Madhya Pradesh.

In Madhya Pradesh, Adivasi households belonging to the highest income group are situated at the furthest distance from the forest, more than 6 km. In Chhattisgarh, the situation is just the other way around; Adivasi households with the highest income are located nearest to the forest with an average distance of 1.8 km.

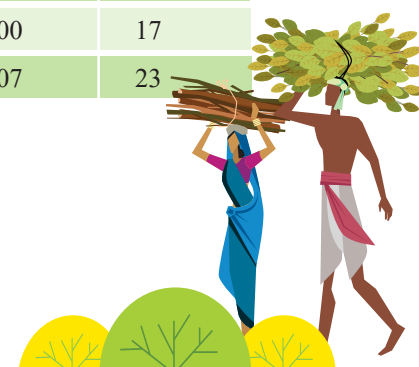
Non-Adivasi households are more distant from the forest compared to Adivasi or PVTG households. The highest income group are farthest from the forest in Madhya Pradesh; however, there is no such pattern in Chhattisgarh.

Table 9.3: Income groups and their distance from forests in Madhya Pradesh

Income group (percentile)	Average distance of the household from the forest			Number of households		
	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
0-20	3.7	4.9	1.3	462	63	42
20-40	2.3	4.8	0.8	450	66	50
40-60	2.7	4.0	1.0	465	67	35
60-80	4.0	4.7	2.7	469	58	39
80-100	6.1	11.6	3.0	451	81	35

Table 9.4: Income groups and their distance from forests in Chhattisgarh

Income group (percentile)	Average distance of the household from the forest			Number of households		
	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
0-20	2.2	4.7	0.4	428	109	64
20-40	2.0	5.2	0.2	461	91	48
40-60	1.9	4.8	0.2	468	92	40
60-80	1.8	4.3	0.3	483	100	17
80-100	1.8	5.1	0.0	471	107	23





9.4

INFLUENCERS OF THE
FUNCTIONAL LITERACY

Reading, writing and numeracy levels were assessed by administering standard tests to the sample respondents in Adivasi, PVTG and non-Adivasi homes. Each of these levels was assessed on a scale of 1-10 with a total of three attributes assessed on a scale of 1-30. For all three attributes, the scores of males in the household / among respondents were substantially higher than the scores of the women, for both Adivasi and non-Adivasi households in Madhya Pradesh as well as Chhattisgarh. The scores, by and large, seem to improve with an increase in the size of landholding except for the male score in Adivasi households, where it is the other way round (see Tables 36.1 to 37.4 in Annexure E).

The sample households were grouped into 5 categories depending on percentile incomes. The group categorised in the 0-20% income percentile shows the poorest homes, while those in the 80-100% percentile show the highest income recorded in the survey. The literacy scores show an almost uniform increase from the lowest to the highest income group for both Adivasi and non-Adivasi homes and in both states. However, the pattern is not very clear in the case of males in Adivasi households when per capita income is taken into consideration. (See Tables 63.1 to 66.4 in Annexure G).

In summary, male gender, income and landholding positively correlate with literacy scores.



9.5 INFLUENCERS OF EDUCATION

The study also assessed how the education of the Head of the Household (HoHo) varies with these anchor factors of the landholding, distance from forests and household income. The sample households were grouped in several levels from no schooling of the HoHo to a college degree. It needs to be noted that one should not expect a direct association since there are several intervening variables such as the age of the HoHo, location, and the year from which schools or colleges became reasonably accessible, influencing educational attainment.

In Madhya Pradesh, 62.3% HoHo in Adivasi households with marginal land holdings have no school education. Though this is the highest among the land-holding classes, in other classes also more than 50% of HoHo have no school education. In Chhattisgarh, Adivasi households with more landholding tend

to have HoHo with no school education. In PVTG households in Madhya Pradesh, a higher percentage of HoHo have no school education. In Chhattisgarh, HoHo from landless PVTGs households is mostly deprived of school education. In non-Adivasi households, in both states, the percentage of HH with no school education is much less (See tables 4.21 to 43.4 in Annexure F).

However, in both states, the lowest income percentile group have the highest number of households with HoHo having no schooling. This holds true for all categories except non-Adivasi households in Chhattisgarh and PVTG households in Madhya Pradesh (see Tables 55.1 to 56.4 in Annexure G).

9.6 INFLUENCERS OF FOOD SECURITY

Observations on the levels of food security for different landholding classes are presented in Tables 38.1 to 39.4 of Annexure E. In general, in both states among all categories, food security increases and severe food insecurity decreases with an increase in landholding.

A high proportion of semi-medium and above landholders in Adivasi communities in Madhya Pradesh have reported severe food insecurity. A large landholding may not necessarily translate into remunerative outcomes; an Adivasi household may “own” a whole hillock which produces virtually nothing.

No specific pattern of relationship between location in relation to forest and level of food security emerges from the data (see Tables 49.1 to 50.4 in Annexure F).

Adivasi households in both Madhya Pradesh and Chhattisgarh do not show any pattern in the relationship between household income and food security. However, non-Adivasi households in both states and PVTG households in Chhattisgarh tend to be more food secure and tend to have less severe food insecurity with increasing income (see table 62.1 to 63.4).





9.7 INFLUENCERS OF DIET QUALITY

Except for Adivasi and PVTG households in Madhya Pradesh, in all other cases, diet quality shows a positive relationship with land holding size. With the increase in landholding, households tend to have an acceptable diet. Furthermore, the percentage of households with poor dietary diversity becomes less with increasing land size. (see Tables 40.1 and 42.4 in Annexure E).

No specific pattern of association is reported between location (distance from forests) and diet quality either for Adivasi or Non-Adivasi households in either of the two states (see Tables 51.1 to 52.4 in Annexure F).

Diet quality clearly improves as one moves from households in lower-income percentile groups to higher-income percentile groups across all the categories (see Tables 59.1 to 60.4).

9.8 INFLUENCERS OF OPINIONS AND ASSESSMENT OF GOVERNMENT/ NGO

In Madhya Pradesh, more than 60% of Adivasi and around 69% non-Adivasi households expressed their satisfaction with the government's effort to improve their lives and livelihoods. In Chhattisgarh, around 69% of Adivasi households expressed their satisfaction with the same. Among PVTGs the level of satisfaction is lower as compared to the other two categories in both states.

A lower percentage of households across categories are satisfied with the effort of NGOs as compared to the efforts of the government in Madhya Pradesh. In Chhattisgarh, it is the other way around.

The satisfaction level with the efforts of government and NGOs tends to increase with the increase in income in Adivasi households in both states. In non-Adivasi and PVTG households, no such correlation has been observed.

A small percentage of respondents across categories claimed that life has improved in the last year. By and large, households in the higher income percentile reported that life had improved in the last year (see Tables 65.1 to 66.4).

REFERENCES AND NOTES

¹Here only legally held land holding is considered and this may differ from operational holding.

Notes:

Dietary diversity, as defined by the World Health Organization (WHO), refers to the variety and number of different food groups consumed by individuals or households over a specific period. It measures the extent to which an individual's diet incorporates a wide range of food groups, reflecting the nutritional quality and adequacy of their food intake (for more details, see Annexure - J).



#10

CONCLUSION





This report shows significant deprivation of the entire Adivasi region in Madhya Pradesh and Chhattisgarh in comparison to the rest of the country, particularly concerning livelihood outcomes are concerned. The Adivasi and PVTG households, by and large, experience poor livelihood outcomes, even within this region, when compared with the non-Adivasis residing in the same area.

Madhya Pradesh exhibits a higher household-level annual average income for Adivasis than Chhattisgarh. The Bhil region in Madhya Pradesh notably ahead of other regions in terms of annual household income, despite being a drought-prone area with low forest cover. However, its proximity to the industrial belt may be the reason for the higher household-level income. A further in-depth study may reveal the contributing factors.

The state of Chhattisgarh demonstrates better food security at the household level as compared to Madhya Pradesh. Region-wise analysis shows South and North Chhattisgarh have much higher household level food security among the regions. This improvement in food security may be attributable

to the better functioning of the Public Distribution Systems (PDS) in Chhattisgarh. Notably, very few Adivasi households in Chhattisgarh(1.9%) do not have a PDS card and the percentage of villages with a PDS outlet is much higher in Chhattisgarh as compared to the national average.

The food subsidy through PDS also has reduced the stress the households would have faced due to lower income. In Chhattisgarh, the food and other items consumed by an Adivasi household in a year have a market price of almost Rs. 18000. Only around 13% of this amount is spent by households to procure those goods. The rest 87% of the amount, the subsidy given by the government, contributes significantly to reducing the income stress of the households. Without this subsidy, households would have been in a more distressed situation. In Madhya Pradesh too, the Adivasi household in a year procures goods from PDS worth Rs. 10,000 market price, spending only 22% of the amount to procure them.

Madhya Pradesh shows higher dietary diversity at the household level as compared to Chhattisgarh. Among the



regions, the Bhil region of Madhya Pradesh shows the best dietary diversity. The low dietary diversity at the household level in Chhattisgarh may be due to their over-dependence on rice procured from the PDS. A deeper study is needed to understand the proper reason.

The contribution of income from forest gathering to the total income is very low in the case of Madhya Pradesh, and moderately low in Chhattisgarh. The percentage of Adivasi households dependent on the forest is much higher in the case of Chhattisgarh than in Madhya Pradesh. However, most of the forest-dependent households in both states collect fuel wood and around 98% of the households use fuel wood for their own consumption. The low income may be attributable to the lower availability of minor forest products due to different reasons, such as the forest department's exclusive focus on timber species and other species being considered as weeds, or may be due to climate change. This also needs further exploration.

Madhya Pradesh shows a high percentage of Adivasis being landless, 36.1% as compared to 15.2% in Chhattisgarh. It is important to understand the reason. But, more importantly,

exploring whether landlessness has been increasing during the last decade or so and, identifying the responsible factors is crucial. Displacement and dispossession from the land for development projects are generally considered key reasons for the landlessness of the people, especially Adivasis, in the mineral-rich areas of the central Indian belt. However, there may be other reasons. A deeper study is necessary to understand the phenomenon in more detail.

The percentage of children below five years with malnutrition is high in both states; however, the situation in Madhya Pradesh is worse compared to Chhattisgarh. This is an area of concern. In this study, the head circumference has been used as the indicator for malnutrition. This data may be cross-checked with other data obtained using other reliable methods. Further, there is some probability of errors in measurement.





The aim of this report is to present the current status of Adivasi Livelihoods. It is not intended to offer any recommendations for improving the situation of Adivasi or PVTGs. However, during the personal interviews, some interviewees provided suggestions for potential improvements that they believe could positively impact the lives of people, especially Adivasis and PVTGs in the area. Here are some of the suggestions shared by several interviewees:

1. The provision of quality education for Adivasis is identified as one of the crucial areas requiring significant attention and effort.
2. Development priorities should be determined at the Gram Sabha level, ensuring the opinions and consent of local people who have a deep understanding of their needs and priorities. This approach is preferable to imposing decisions from higher authorities.
3. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA 2006) grants the right to "protect, regenerate or conserve or manage" community forest resources (CFR). Many interviewees stressed the need for effective implementation of FRA 2006, as it could help Adivasi people rejuvenate the forests and preserve their biodiversity for their well-being.
4. Adivasi identity, tradition, culture, and customs emerged as critical areas requiring attention. Adivasi worldview and knowledge may be incorporated into the education system, ensuring the preservation and promotion of Adivasi tradition, culture, customs, and practices.

The data from the SAL indicates that livelihood outcomes vary across regions. Moreover, the livelihood context differs in various Adivasi regions within the two states. Hence, it is essential to devise context-specific solutions to address the specific needs and challenges in each area.



#11

ANNEXURE





ANNEXURE **A**

PERSPECTIVES OF ADIVASI LEADERS, ACTIVISTS, SCHOLARS, SOCIAL WORKERS AND INTELLECTUAL

About this section:

This section is based on the interviews with eminent personalities who are well-known in their respective areas of expertise and have profound views about the issues of Adivasis. They either belong to the Adivasi society or are working with Adivasis for a considerably long time and are actively engaged in addressing the issues in their own ways. The diversity was captured through an initial set of traits such as age, gender, tribe, professional background, political belief, etc. An underlying hypothesis was that one could expect multiple and often conflicting perceptions, opinions and experiences across these traits.

Altogether 28 respondents were interviewed – 17 from Chhattisgarh and 11 from Madhya Pradesh; 22 are Adivasis. They were from the tribes of Gond, Baiga, Oraon, Bhil, Agariya, and Pradhan. There were 11 female respondents. Respondents were from various occupational groups. However, most of them were community leaders or social activists. A detailed list of the interviewees is given below.

Name of the interviewee's	Profession/expertise/occupation
Alice Lakra	COO, CGSRLM- BIHAN, Chhattisgarh
Anusuya Maravi	Janpad Sadasya, Madhya Pradesh
Arjun Singh Dhurve	Teacher and Padma Awardee, Madhya Pradesh
Arvind Netam	Ex-Central Minister of State (Agriculture) and MP Kanker Constituency, Kanker, Chhattisgarh
Ashwini Kange	Founder KBKS(Koya Bhumkal Kranti Sena), Joint Secretary- Sarv Adivasi Samaj , Chhattisgarh
Balwant Rahangdale	CSO (NIWCYD) Representative, Madhya Pradesh
Bhuri Bai	Indian Bhil artist, Padma Awardee ,Madhya Pradesh
Chandrakali Markam	Ex president poultry cooperative and community leader, Participated in Jagriti yatra and a awardee of many accolades by Government. Madhya Pradesh
Dharampal Saini	Teacher, Social Worker, Pioneer of Mata Rukmini Devi Ashram chain of schools, Bastar, Chhattisgarh
Dr. Saibal Jana	Chief Physician of Shaheed Hospital at Dalli Rajhara, Kanker, Chhattisgarh
Etwari Machiya Baiga	State President, Aadim Jati Baiga Samaj, Kavirdham, Chhattisgarh
Gangaram Paikra	President, Chaupal Gramin Vikas Prashikshan Evam Shodh Sansthan, Ambikapur, Chhattisgarh
Godavari Maravi	Community Leader (Gender Master CRP), Madhya Pradesh
Harivansh Singh Miri	Deputy Collector-Durg, President- Kanwar Samaj Chhattisgarh
Indra Mandavi	Social worker, Vice President- SAHABHAGI SAMAJ SEVI SANSTHA, Kanker, Chhattisgarh
Kalawati Kashyap	Secretary, SAHABHAGI SAMAJ SEVI SANSTHA, Kanker, Chhattisgarh
Keshav Shori	Secretary, Founder- Disha Samaj Sevi Santhan, Kanker, Chhattisgarh



Name of the interviewee's	Profession/expertise/occupation
Lata Netam	President, Lok Astha Seva Santhan, Gariyaband, Chhattisgarh
Lata Usendi	Member Chhattisgarh Assembly in Kondagaon Constituency
Mamta Kujur	Secretary, JASHPUR JANVIKAS SANTHA, Jashpur, Chhattisgarh
Manak Darpatti	District President- Sarv Adivasi Samiti, Kanker, Chhattisgarh
Mohan Mandavi	Member of the Lok Sabha, Kanker Constituency, Chhattisgarh
Nikhil Desai	Co-Founder , Ideas Unbound Innovations, Bangalore
Pallavi Jain Govil	Principal Secretary, Tribal and SC Welfare, at Government of Madhya Pradesh
Sampatiya Uikey	Ex. Rajya sabha member, Madhya Pradesh
Sher Singh Achla	Teacher-Gondi scholars, Bhanupratpur, Kanker, Chhattisgarh
Venkat Ramanujam Ramani	Post doctoral Research Associate, Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE), Bengaluru
Vijay Dhurve	Community leader, Madhya Pradesh

Most of the interviews were conducted face to face in Raipur, Kanker, Keshkal, and Charama in the case of Chhattisgarh; and in Jabalpur and in various blocks of Dindori in case of Madhya Pradesh.

With each respondent, an hour to hour-and-half-long interview was undertaken. With the prior consent of the interviewees, the interviews were recorded. Subsequently, these interviews were translated and transcribed and subjected to content analysis. The transcriptions were further clustered under various analytical categories that emerged from the interviews and an overall trend, the similarities and differences within these categories were then analyzed. In this section, we have used certain quotes from the interviewees which seemed to aptly summarise the sense we got from more than one respondent.

What do they think about *Adivasiyat* and how they are different from non-*adivasis*?

Although there are 42 and 46 different tribes respectively in Chhattisgarh and Madhya Pradesh, there are some overarching values which define and differentiate ‘*adivasiyat*’ from the way of life of non-*adivasis*. The most important, shared by every respondent, were the collective ethos and non-hierarchical as well as non-extractive relationship with nature. All their relationships, languages, art forms, life skills, rituals, social systems and processes reflect these values.

For example, the collective ethos is visible in all forms of the dance and songs. There is no *Adivasi* dance form which is performed individually, those are performed in groups. The

responsibility of birth, marriage and death rituals of any family is not entirely individual responsibility, those are shared by the community. The traditional agricultural practices were based on sharing of labours and seeds. Mutual help can be observed also in the form of offering food, clothes, and shelter to the needy people in the community.

“Adivasis help each other in challenging situations. For example, one of my neighbours was alone and badly ill. All Adivasi neighbours came together, helped her with treatment, also collected money and helped her to be hospitalized. When she died, people helped in her last rituals, some people gave money, some gave ration. Adivasis generally help each other for food/money in the time of distress, they lend money as a loan if needed”, says Anusuya Maravi, one of the active community leaders and former Janpad Sadasya.

The non-hierarchical relationship with nature is visible in their paintings. All their traditional agriculture practices are based on need rather than greed; therefore, those are non-extractive, meant to rejuvenate. Although this aspect is shared by most of the interviewees, it can be summarised well with what Sampatiya Uikey, who was also a former Member of Parliament, said, *“Adivasis do not accumulate wealth. They work to meet their needs. They work hard. Adivasis have a high level of self-esteem, they never beg”*. The methods of collecting necessary items from the forest also ensure rejuvenation and maintenance of the bio-diversity and therefore more sustainable ecologically. Ashwini Kange, a social worker and *Adivasi* leader said, *“The Adivasi samaj is divided into Totem systems and inmost of the cases these*



Totems are different species of local flora and fauna. The people from a particular totem protectprotects their totem and if there are 500 totems in an area, 500 species will be protected. So, protecting the natural diversity is ingrained in their system.” On the contrary, in non-advasi societies, human beings are put in the center and all other components of nature are looked at as a resource to serve the human race. Therefore, all practices are designed to have maximum profit from natural resources leading to ecological unsustainability. Unlike most non-advasi communities, Advasis prioritise community wellbeing over individual prosperity. They also are generally honest and trustworthy and do not believe in show off, summarised well by Ashwini Kange- *“We say that we Advasis are Bhitawale and non- Advasis are Pitawale. This means advasis do not believe in show-offs, all their festivals and rituals are simple and focus on celebrating together. On the other hand, in most of the cases, non-advasis celebrate their festivals to show off who is doing better than whom.”* In most cases, Advasis also share a strong communal identity.

Inter-tribal relationships and diversity:

There are 42 different tribal groups in Chhattisgarh; and 46 in Madhya Pradesh. The major groups are mostly dependent on settled agriculture and forest gatherings for their livelihoods. Whereas the smaller groups are mostly artisans.

Although there are common values and worldviews that are upheld by all the tribes, they are not homogeneous. First, they consider themselves different from each other and therefore inter-tribe marriage is not welcome. Both parties, in terms of inter-tribe marriage, need marriage need to pay a penalty and, in many cases, they are outcast from the community. They are not allowed to take part in any social and cultural activities.

Some tribes; such as Gond, Pradhan; put themselves in higher ladder of the social hierarchy. *“Although advasis are not part of the caste system, it is not completely free from hierarchies. Within advasi communities there are certain hierarchies and differences in rituals and practices.”*, says Alice Lakra, a Government employee. Sampatiya Uikley also indicated this hierarchy, *“In MP, Gond is considered to have the highest rank in the caste hierarchy among tribes. Gonds have settled mostly near the Narmada river. Other tribes have settled further away from the Narmada river”*.

The songs, dance forms and paintings may depict the value of collectivismcollectiveness and symbiotic relationship with nature, but those are not exactly the sameexactly same for all the tribes. Arjun Dhurve, a folk artist and recipient of many national awards, pointed out, *“There are differences between Baiga and other tribal groups. For example, there are four major forms of Baiga dance- Baiga prabhumi, Baiga Karma, Baiga phaag aur Ghodi Pethaai. Whereas the Gond dance forms are- Saila, Reena aur Danda. They also have Karma which is different from Baiga Karma. Baiga tattoo and that of Gonds are also visually different.”*



All Advasiadvasi groups have their own languages, however, some of those are first disappearing as the younger generations do not speak their language anymore. Some major Advasi Samaj, such as Gond, are puttingis putting in efforts to protect their language by including them in the primary school curriculum. These languages belong to different language groups, such as Baigani language spoken by Baigas belongs to Indo-Aryan; Gondi, Dhurvea, Kurukh belong to Dravidian; Korku, Ho belongsbelong to Astro Asiatic language groups.



All Adivasi groups have their own languages, however, some of those are first disappearing as the younger generations do not speak their language anymore. Some major Adivasi Samaj, such as Gond, are putting in efforts to protect their language by including them in the primary school curriculum. These languages belong to different language groups, such as Baigani language spoken by Baigas belongs to Indo-Aryan; Gondi, Dhurvaa, Kurukh belong to Dravidian; Korku, Ho belongs to Astro Asiatic language groups.

Adivasis are divided into three categories according to their religious beliefs. A section of the population follows the older traditions, another section is Christian and a third section is tilted towards Hinduism. On one hand, some interviewees said that they follow Hinduism and worship Hindu deities; some strongly shared that Adivasis have different religions and therefore different religious practices and rituals. In both the states some of the major tribes have organised themselves in ‘Samaj’ and are trying to codify their religious norms and rituals. They also have developed systems for a penalty in case of aberration by any Samaj member. All Adivasi samaj together formed as Sarv Adivasi Samaj. Arvind Netam, former union minister, expressed his view, *“When I used to visit north Bastar, the elders would say that the non-Adivasis were Hindus*

and our rituals and their rituals were different. Our rituals had no similarity with Sanatan or Hinduism; we buried the corpses for cremation unlike Hindus; we didn't worship deities, but rather we worshiped nature. However, in the last 3 decades, many things have become similar, Adivasis started to worship Ganeshji, Durga Ji and the difference is getting blurred”

Interestingly, among Gonds, which is a major tribe in both the states, this division is visible. A section of the tribe has assimilated many rituals and practices of Hinduism, such as, they build Mandir and worshipping deities; the women wore sindoor to make their marital status. On one hand, Sampatiya Uikey said, *“Adivasis’ dress (attire), customs and practices, and culture are different from non-Adivasis. However, that does not mean that Adivasis are not Hindu. Even 500 years ago, Hindu Gods and Goddesses such as Durga, Ganesh, etc. were worshipped by Adivasis”*. On the other hand Gond samaj is one of the prominent Adivasi samaj which is claiming that their religion and religious practices are different from that of Hindus. Bhuri Bai said, *“We do not have any Mandir or Masjid for worship and prayer. We believe that a tree or even a stone can be our God”*



Women in Adivasi societies:

There is a broader sense that Adivasi women within Adivasi society have better positions than their counterparts in non-Adivasi societies. Different respondents shared different examples of this, such as: Alice Lakra said, *"In most Adivasi communities the girls choose their partners and the community respects their choices and participates in the union process. They are encouraged to go to a haat bazaar adorning the best of clothes and explore who can be their partners. I don't visualise that happening in our so-called modern, urban elite families. Presently the modern urban middle-class society is struggling to open up about 'taboos' such as live-in relationships, exploring sexualities, etc. but these are part of many Adivasi societies from the beginning."* One of the respondents, Godavari Maravi, who is a Janpad Sadasya, shared that widow remarriage is an accepted practice- *"There is no taboo about widow remarriage. Unlike non-advansi society, women who remarried after the death of their husband, are not looked down upon or discriminated against."* Adivasi women do most of the household work, they also go to the forest and collect forest products, they do most of the work in agriculture, and there is no taboo in going out for work and to market. Apparently, these lead to more mobility and autonomy, as summarised by Pallavi Jain, Principal Secretary, Tribal Affairs, GoMP, *"I have served a lot in Adivasi areas almost throughout my career, and I have always felt that in tribal areas the women's workload is more as compared to other areas. Mainly they do all the hard work for crop cultivation but at the same time, they also enjoy a much more egalitarian position in their society as compared to their counterparts in other societies."* However, with a closer look, the discrimination is visible in their customary practices/ laws, role division, decision-making, etc. Anusuya Maravi shared about the workload, *"Adivasi women work harder than adivasi men. If they start to plow or thatch roofs, men will be left with no work and will be totally dependent on women."* The

customary law denies women's right to land and they justify this with their value of prioritising community over individuals. One of the explanations shared by Ashwini Kange was *"In Adivasi, samaj land is considered to be the property of a particular gotra, even if those are cultivated by individual families. As marriage is not possible within the same gotra, daughters of the family do not get the land share."*

With changing times, the position of women and the gender relationship are also changing, both towards good and towards bad. Exposure to the outer world, media, etc. plays an influential role. *"TV serials and movies have a very strong cultural influence. You might have never heard about tribal women observing Karwa Chauth, but now the TV has epitomised women getting dressed up and observing fast for spouses. Adivasi girls have also started imbibing these practices"*, said Alice Lakra. There was no system of dowry, the marriage used to be a simple affair with no show off, and women were free to choose their partners. However, gradually, dowry in the forms of gold, car/bike, cash, etc. are being started. Anusuya Maravi shared, *"We were not used to giving dowry in our marriages, now our people have started giving dowry as they see in other societies, people have started giving the jewellery."* On the other hand, CBOs and Govt. worked to strengthen women's organisations, SHGs and associated tiers and facilitated them to participate in the village decision-making process. Some women respondents, who are also part of SHGs, shared that this has helped women to have some control over decision-making, within the family as well as in the village. However, there is still a long way to go. Some facilitating policies related to women's ownership of assets including land ownership also helped in some gradual changes. Harvansh Singh Miri, a Govt. employee, said, *"According to the land law in Chhattisgarh, one cannot deny land rights to women. The daughters have equal rights to inheritance."*





Changing access and livelihoods:

Forest:

In both MP and Chhattisgarh all the respondents shared that Forest has been part and parcel of Adivasi life and livelihoods. Many people shared that until very recently, to the range of 30-40 years ago, Adivasis used to get almost everything from the forest. There is a saying shared by many of the respondents that Adivasis were dependent on the market only for salt and clothes, rest were all available in the forest. Balwant Rahangdale, a social worker, informed, *“Baigas used to collect around 43 types of greens, more than 15 types of roots, more than 20 types of fruits in different seasons from the forest. These are used to ensure their nutrient requirement in different seasons.”* Because of this dependency, their traditional NTFP collection methods ensure that the biodiversity of the region is not harmed; such as, the food is collected in a way that it ensures regrowth/ rejuvenation; there are ways and seasons/months of cutting as well as planting trees for ensuring forest sustainability. They also ensured that they collected only what they needed. In the Adivasi tradition they do not believe in accumulation of excess amounts, be it food or money or any other product. However, the scenario is changing rapidly. The Government and Forest department looks at the forest as a resource for income, therefore all the projects and schemes mostly protect the timber, wood trees and plants having market demand. This does not consider the symbiotic relationship that Adivasis have with their forests. This is one of the reasons for reducing biodiversity, as shared by many of the respondents.

Also, the market has been playing an important role in changing the mindset gradually and Adivasis, especially the younger generation have started believing in accumulating ‘extra’ for future safety, leading to collecting more than they need from the forest and in many cases that is harming the biodiversity. E.g. Malihan is almost disappearing from Baiga Chak as people collected the leaves as per huge market demand, but on the other hand, it was treated as a weed by forest department and therefore no new plantation of this creeper is done. According to most of the respondents, FRA, if implemented in its true spirit, may be helpful. In many areas the government along with the CSOs are working to ensure FRA through IFR and CFR; but there are gaps. *“The responsibility of implementing the FRA was given to the tribal department and most of the staff who are responsible do not have any clear understanding of the context as well as the act. If the act is to be implemented in its true spirit, those who are responsible for implementing it need to be well-intended and properly equipped”*, added Balwant Rahangdale. Some respondents thought that IFR is not in alignment with Adivasi values as it promotes individualism over communitarian values.

Agriculture:

There are two groups of Adivasis, one, who traditionally were dependent on farming for many generations; two, who are mainly artisans. In the second group there are still many landless families.

Traditionally Adivasis had a deep knowledge of natural cycles and seasons, they were conscious of regenerating flora and fauna and they used to follow regenerative methods of agriculture which include crop choices, seed selection and farming methods. The value of togetherness was also embedded in these methods and rituals that are related to farming; e.g. seed-sharing/exchange; labour sharing; celebrating the harvest together ‘*Nawakhai*’. Similar to forest products, traditionally, Adivasis were cultivated to meet their subsistence needs; not for accumulating extra food or income by selling the extra yield in the market. Like several other farming communities, most of the farm work is done by the women while men prepare the land for sowing.

A gradual change is visible in these regions where in the last 10-15 years people have started replacing the native seeds with high-yielding variety seeds; they have started using non-organic fertilisers and pesticides; the crops like millets are also replaced with paddy/wheat in many cases. “*Earlier we used to cultivate millets, but these days we cultivate paddy more. We have levelled our lands for paddy. We did not use*

chemical fertilisers but these days we do.”, shared by Godavari Maravi. The changing food habit also reinforced the change in crop choices. Godavari continued, “*Children do not prefer eating Kodo Kutki anymore. In PDS also paddy is distributed. It takes less time and effort to make rice, therefore it is easy for women to cook. You can find rice-mills everywhere, but there is no mechanised facility available to process kodo-kutki*”. The CSOs and extension departments of government have played a major role in this shift. They helped the Adivasi farmers to follow the package of practices provided by the scientists and seed companies in order to increase the yield through training, hand holding supports, seed distribution, etc. Shersingh Achla, a veteran teacher thinks, “*Earlier we used to cultivate crops like millets, pigeon peas, etc. which needed less water. From the forest we used to get greens, roots, fruits and edible flowers. Gradually, people from outside started to reach out and told us to change our seeds and farming practices with modern seeds and fertilisers. We started to follow their advice.*” In this process, the Adivasis’ knowledge system related to farm and forest were also getting redundant and they became beneficiaries and lost control over their own knowledge and judgement about agriculture. Along with various other factors, this lack of control and scope of creativity made the Adivasi youth less interested in Agriculture.



Migration:

Some respondents shared that a section of Adivasis migrates to other places such as Kerala, Andhra Pradesh, Maharashtra for income mainly because of low farm output, decreasing access to and increasing pressure on the forests, and lack of other options for income. As their education levels are low, a majority of Adivasi youth migrate for the low-paying casual menial work. A few respondents find that less people are migrating for work presently. Godavari Maravi said, *“People are migrating less these days. They can find wage work under MGNREGA in the village itself for 100 days”*.

Artistry:

There are various small artisan groups in both states who are traditionally painters or dancers or metalsmiths. The respondents include some renowned artists including Gond and Bhil painters, blacksmiths, Baiga dancers, etc. According to all of them, traditionally everyone in their tribe would have the skill of that particular art form; however, the interest is gradually decreasing among the younger generation. Therefore, only a few, who are either recognised by outsiders or are able to earn livelihood by selling their talent in the market; are continuing the artforms. Recognition by the government also helped them to be recognised by the national and international market. They also needed to modify the products according to the market demand. Such as, Gond painting was traditionally done on the walls, doors etc. However, to cater to urban market the painters now come up with clothes, cutlery, framed paintings, etc. During Covid-19 pandemic the usual marketing channels were disrupted and due to lack of access to marketing technology, the artisans also struggled to sell the products. Vijay Dhurve, who himself is a renowned blacksmith artist said, *“During Covid-19 period the scope of marketing reduced. Order for items and articles has also reduced and the possibility of putting up stalls at Melas and exhibitions also reduced.”* Some respondents think that Govt. can play a critical role in regenerating the interest among the youth. Bhuri Bai, a Bhil artist, also a Padma awardee suggested, *“It is good that some of us are recognised by the urban elite, but I think that the Government should also focus on how the skill is picked up by more and more village youth”*.

Market and Enterprise:

Almost all the respondents said that generally Adivasis are not good as entrepreneurs and that is why markets in Adivasi-populated areas are also dominated by non-Adivasis. *“I think one thing that Adivasis should learn from non-Adivasis is being a little more business-minded. Adivasis are not good as entrepreneurs, they are happy with whatever little they have.”* said Godavari Maravi. There are a slow yet gradual changes in this aspect. Govt. and CSOs have been working in Adivasi areas to inculcate entrepreneurial energy through formulating and implementing various schemes and projects such as promoting FPOs so that Adivasis can claim their space in the market. Several programmes were launched to support Adivasi youth in this as shared by Sampatiya Uikey, *“The younger generation is gradually getting inclined towards business. Prime Minister’s Make in India programme is encouraging many Adivasi youths to start their own businesses.”* She, along with some other respondents, thought through SHGs and its associated tiers also this process was getting strengthened. *“SHGs have helped women to improve their economic situation through saving, taking loans and doing business.”* The nature of the market also changed a lot as aptly summarised by Arvind Netam, *“Market has changed a lot. The earlier market was limited to local, there was no road network, no web network. Whatever was produced, there used to be hardly any surplus and most of it were consumed locally. The sense of need was also less. Now, we are connected with the world, the forest and agriculture produced from Bastar are sold in the international market. The aspirations of the younger generation are also shaped by the market in many ways. Things like chips and Maggi are available in every local market.”*

Government Schemes and Programmes:

Indravati Mandavi, a social worker, thinks that some of the schemes are implemented at the village level and benefitted the Adivasi community *“In most of the Adivasi villages people have access to Integrated Child Development Services (ICDS). As the ICDS provides mid-day meals, the children are able to get nutritious cooked meals.”* There are existing acts and provisions which acknowledge the nuanced differences and



can be extremely helpful in addressing the development issues of Adivasis. Alice Lakra gives an example, *“Adivasi communities have their own customs and that has been recognised through the PESA. The Act very categorically says about respecting and acknowledging the customary laws. This act can be a strength of the Adivasi communities and can differentiate them from the rest of the mainstream society.”* Some also have some ideas about what the Government should focus on; e.g. Mamta Kujur, a social worker said, *“Our ancestors worked hard to make the agricultural lands and handed them over to us. But the younger ones who are migrating to earn are getting alienated from their land. Gradually someone else will take control over their land and the next generation will be left with no land in their possession. It will be helpful if the Government creates more income generating options in the village itself using the existing land and other resources. This is the only way to protect Adivasi values and culture.”* Dr. Saibal Jana, a veteran social worker, said *“Before designing anything for the people we need to understand the cultural heritage of those people. It is very important, because our perspectives and ideas may not match with their needs and priorities. And because of this mismatch, many schemes and projects are not reaching the intended goal. It is not essential that the community will accept anything given to them and programme planners and policy makers*

’need to take note of this.” Etwari Baiga, the state leader of Baiga Samaj gives more specific example of how the Govt, projects can be more effective for PVTGs and Adivasis. *“Govt. is working for the upliftment of Adivasis and PVTGs through various schemes and projects. However, in many cases that is leading to the loss of their traditional knowledge and practices. For example, through Pradhan Mantri Awas Yojana, old mud houses are being replaced with concrete structures. But with that, their knowledge about how to make houses suitable for their needs and weather is also getting redundant. The knowledge of growing and processing the grass, and long leaves that were being used for making those traditional houses are getting lost. It will be helpful if the traditional knowledge is taken into consideration while drafting these schemes. In this example improving the houses using their traditional material and methods will also cost less than the concrete houses.”*

Overall, the interviewees reflected on various important aspects which influence the status of livelihoods in Adivasi families. In some cases, they shared similar views. There are cases where we received conflicting views too. There are some profound insights and suggestions shared by them. Those can further be taken into account by the stakeholders while designing any programme or formulating any policy.





ANNEXURE **B**

A SUMMARY OF THE FOCUS GROUP DISCUSSION

Focus Group Discussion (FGD) was conducted in 50 villages. Due to discrepancies in data four FGDs were not considered for the analysis. A details list of the FGDs is shared below in Tables 1 and 1.

Table 1.1 : Blocks sampled for FGD in Madhya Pradesh

FGD WITH WOMEN		
Village type	Name of Blocks	Number of FGD
Adivasi Village	Barwani, Jamai(Junnardeo), Badnawar, Khirkiya, Panagar, Kahnepas(Ghansaur)Sohagpur	7
Non-Adivasi Village	Tamia	1
PVTG Village	-	-
TOTAL		8

FGD WITH YOUTH		
Village type	Name of Blocks	Number of FGD
Adivasi Village	Majholi, Maheshwar, Pati, Parasia, Dahi	5
Non-Adivasi Village	-	-
PVTG Village	Mawai	1
TOTAL		6

FGD WITH MIXED GROUP		
Village type	Name of Blocks	Number of FGD
Adivasi Village	Niwali, Bagh, Jhiranya, Seoni, Manpur', Pandhurna	6
Non-Adivasi Village	Shahpura	1
PVTG Village	Karahal	1
TOTAL		8

TOTAL
FGD

22

Adivasi
Village

18

Non-Adivasi
Village

02

PVTG
Village

02



Table 1.2: Blocks sampled for FGD in Chhattisgarh

FGD WITH WOMEN		
Village type	Name of Blocks	Number of FGD
Adivasi Village	Bakaband, Bhopalpatnam Marwahil, Chhura, Jashpurnagar, Pandariya, Farasgon, Bhaiyathen	8
Non-Adivasi Village	Tonkapal	1
PVTG Village	Gariyaband	1
TOTAL		10

FGD WITH YOUTH		
Village type	Name of Blocks	Number of FGD
Adivasi Village	Lohanandiguda, Gaurella No .2, Kondagaon, Bharatpur(Janakpur), Premnagar	5
Non-Adivasi Village	Surajpur	1
PVTG Village	-	-
TOTAL		5

FGD WITH MIXED GROUP		
Village type	Name of Blocks	Number of FGD
Adivasi Village	Keshkal,Baikunthpur, Masturi, Mainpur, Pratappur, Jagdalpur,	6
Non-Adivasi Village	Kota	1
PVTG Village	Bagicha	1
TOTAL		9

TOTAL
FGD

24

Adivasi
Village

19

Non-Adivasi
Village

03

PVTG
Village

02



On various topics the opinions of different sections of villagers are shared below.

A. Adivasi cultural and social practices

A1. Youth Group

Chhattisgarh:

Almost all youth groups in Adivasi villages shared that the Adivasi culture is different from non-Adivasis. The adivasi samaj worships nature. They celebrate festivals like Diyari, Amush, Navakhani, etc. All villagers, both men and women, get together in the evening and dance to the sound of Mandar. Similarly, in the case of marriage, the responsibility is taken by the whole village. Marriage for them is a festival and not a ritual.

When an Adivasi person dies, there is a tradition of playing drums in Adivasi culture. Some of the youth shared that they want to change this tradition because it is not good to play drums when someone dies, it seems as if they are celebrating.

Many youth groups shared that the consumption of alcohol by Adivasis makes them spend more and it should be stopped.

Some youth groups reported that girls are now getting more educated in their villages. In a village, the youths said that in their tribe, love marriage is accepted. They can also marry from different tribes/castes, but they need to pay the samaj.

In the Non-Adivasi village also the youth group shared that the Adivasi society is a little different as they dance and worship in a slightly different way, unlike the non-Adivasis.

Madhya Pradesh:

In Madhya Pradesh, many youth groups in Adivasi villages shared that there is not much difference between Adivasi and non-Adivasi culture. Some groups shared that they are proud of their Adivasi culture.



A2. Mixed Group

Chhattisgarh:

What the mixed group shared regarding this was not very different from what youth groups said. Most villagers shared that Adivasis have their own unique ways of lifestyle, culture and lifestyle. They have rights and systems to resolve social issues at the village level and have norms for maintaining order in the village.

One group shared that they were following the non-tribal society (Sundi society of the village itself) and not eating chicken and mutton in any social programme.

During the group discussion in the Non Adivasi village it was shared that there were just two Adivasi families in the village and so they had adapted to the non Adivasi ways of living.

In the PVTG (Pahari Korwa) village, it was shared that Korva understand that they have still preserved their culture, they still speak their own language and make their own cultural festivals. It is very fanatical about its culture and ideology.

Madhya Pradesh:

In the Adivasi villages in Madhya Pradesh, most villagers shared that the Adivasi people live in harmony with nature and at the same time worship nature. By and large, they shared similar things as the youth group.





B. Idea of a good life

B1. Youth Group

Chhattisgarh:

For youths in Adivasi villages, the idea of a good life is when there is dignified and remunerative employment, every member of the family gets enough food, all the members of the house are together, they have enough money to buy clothes and other essential goods, members of the house are educated, and children are getting a good education. Some of them also prefer not to go far from the village to get a job. They want to do agriculture well so that they can get more income.

Some of the groups also mentioned concrete houses as an indicator of a good life. Participants in one The group said that a good life comes with owning a motorbike. In one group, participants shared that for a good life, alcohol has to be banned in the village.

B2. Women Group

Chhattisgarh:

Few women shared about having a peaceful life with significantly higher incomes fulfilling their substantial needs while few women visualized having developed a system of better schools, irrigation infrastructures, drinking water, roads, electricity, and hospitals in the village premises which would improve their conditions. They envisaged an environment free from alcohol consumption; women are given liberty to express their views and children get good education and food. There is a public place in the village where everyone has a space to speak about the implementation of programs for village development. As the Adivasis have a strong connection with the forest, they shared about the initiatives to be taken for forest protection. Women of non-Adivasi villages shared their idea of having a good life with a good income and employment; all the family members can pursue education and remain healthy.

Madhya Pradesh:

Most of the youth groups in Adivasi villages shared that if they get dignified and remunerative employment, they will be able to make a good living. Some of the youth shared that they are willing to do small work or pretty business as well to make more money. In a nutshell, youths shared that good lives come with better employment and more money. In one village, some youth shared that a good life comes with staying with family.

During the group discussion in a PVTG (Baiga) village, youth shared that a good life comes from irrigated agriculture, clean drinking water, proper education for children, and better health facilities. Also, if they get a chance, they would prefer to stay back and work in the village

The PVTG women shared about having a house, a water system, and harmony in the family.

Madhya Pradesh:

Women in a few Adivasi villages imagined having a peaceful and happy life; their children held values for a meaningful life. The elderly people should be respected and stay together with their families. They aspire for good employment and income opportunities that improve their quality of life. Few women also shared about women being independent in terms of education, jobs, and fulfilling their aspirations. They envision having significant land holdings so that their dependency on wages gets reduced. Their children can get a better education so that they can have better opportunities for a sustainable life.



B3. Mixed group

Chhattisgarh:

In many Adivasi villages people in mixed groups said that happiness is having a wealthy life spent with family. Other components are irrigation infrastructure, high income from agriculture, good roads and network, electricity, clean drinking water, pakka house with toilets, medical facilities, old age pension, literate family members, good education for children, etc.

In one village people said that a good life is where family members do not drink alcohol and don't have any domestic violence. In another village, people talked about remunerative employment.

In the Non Adivasi village, it was shared that the idea of a good life would be one when they work all day and sleep well at night. They also talked about better schools, good health facilities, clean and fresh air, water, medical facilities, more Anganwadi centers, etc.

In the PVTG (Pahari Korwa) village it was shared by the mixed group that there should be rights on the land. The

government should make special projects for their development and bring them to fruition. Their education should be improved and get proper nurturing support. Hand pump, well, pond should be there in the village.

Madhya Pradesh:

In Adivasi villages of Madhya Pradesh, people shared that good life comes with remunerative employment that is necessary to have good house, good clothes, education, medicines, and other essential commodities.

In one group people shared that a good value system was necessary for a good life. In another group people talked about peace in the house as a necessary condition for a good life.

For the non adivasi mixed group, the idea of a good life is to have better houses with toilet, availability of water, remunerative employment, education for children, etc.





C. Forest and forest rights

C1. Women Group

Chhattisgarh:

Almost every woman of Adivasi villages shared about forests as an integral part of their sustenance, majorly dependent on the forest. They said women are primarily responsible for collecting forest produce. The Minor Forest Products (MFP) like fruits, herbs, mushrooms, tamarind, sal seed (*Shorea robusta*), datun, *tendupatta* (*Diospyros melanoxylon* leaves), *sargi paan*, etc. are significant sources of supplementary income in their livelihood. The density of the forest has been lost because of forest depletion, serving the purpose of developmental activities. The forest products are gradually abating now. The lives of the Adivasis are affected which has led to vulnerability. The members of the village are also responsible for deforestation as the forests are cleared for agricultural work and domestic use.

Forests as a home to many wild animals have increased such as wild pigs, jackals, and wild deer. The wild animals began to attack domestic animals and birds; causing danger to humans and a record has not maintained by such attacks.

Madhya Pradesh:

Few women of villages shared about the restrictions imposed on the movement of the people collecting wood from the forest, by the officials of the forest department having fear of wood shortage. Thus, they demand gas supply and apprehended the need to refill the very expensive gas. Many women admitted that they are mainly responsible for getting wood for household needs; by taking the pain of loading wood on their heads, they have to walk miles on uneven roads. The majority of women reported that the availability of firewood is declining and deforestation is a big threat to the animals and birds that reside within the forests. Several animals and birds were seen earlier and they are gradually disappearing now.

The villagers are even responsible for the current situation of getting wood from the forest leading to deforestation.

Tendu leaves (*Diospyros melanoxylon*), *mahua* (*Madhuca longifolia*), *temeru*, *kai*, and *achar leaves* are the five major Minor Forest Products (MFP) that they harness. Once, the forest offered a lot in terms of livelihood and food consumption whereas the forest has changed with limited scopes compelling them to search for daily wage work to get some cash and fulfill their basic needs. The women of villages urged for more initiatives and programs by the Government for forest rejuvenation.







C2. Mixed Group

Chhattisgarh:

In general villagers from Adivasi village in the mixed group shared that almost all of them depend on it for firewood. They get wood for making their houses and mud for construction. The forest is an integral part of their life. Lots of leafy plants and tuber crops which they cook are available in the forest. Many villagers complain that the availability of tubers, creepers that they eat are disappearing from forests.

Some villagers reported that they got IFR while others said that they also cultivated in the forest but didn't receive the IFR. Many of them do not have any idea about the BLCC and DLCC but they have approval of their documents of IFR in the gram sabha and submitted them to the Block level CEO. They haven't got any responses to the submitted documents and they do not know what the rights say but they have submitted the required documents as suggested by forest department officials. They are aware of the CFR but haven't applied for it yet. They are willing to claim the rights if we are guided about the processes.

However, in many villages, villagers said that they did not have any knowledge about forest rights. They also said that when the cattle were taken for grazing in the forest, they were harassed a lot by forest guards.

In some said that though they did not know about the CFR and IFR Acts but some of them had land in the forest and they got the land patta. Some shared that the Pattas were distributed by the Chief Minister.

In one Adivasi village, it was shared that their village comes under forest rights provisions, all the villagers of the village are eligible, and a forest protection committee has been formed in the village which prevents the cutting of trees in the forests. The community forest patta of a small forest area is easily available in the village, but the members of the village are not able to get a forest patta of a large area. The tribal villagers who had applied for individual forest patta have got it, but the non-tribals are not getting it.

In the Non Adivasi village the jungle is 7 km away from the village. That's why the villagers are not that much dependent on the forest.

During the group discussion amongst mixed groups in the PVTG (Pahari Korwa) village it was shared that the Community forest rights have not been granted in this village, only one or two families have access to patta.

Madhya Pradesh:

In most of the Adivasi villages, people shared that they did not have any information on IFR or CFR.

However, villages that are closer to the forest reported that they collect firewood from forest.

In the Non Adivasi village, people shared that they were aware of the forest rights and their village comes under the forest rights, however, one of the participants shared that they were facing a lot of difficulty to attain the patta from the government, There is no hearing even after applying.



D. Changing livelihood contexts in terms of dependency on the forest, agriculture, wage, and migration.

D1. Women Group

Chhattisgarh:

The women of Adivasi villages shared that the dependency on forests in earlier times was high whereas The dependency is getting reduced with an increase of deforestation. The availability of various forest products are observed to be reduced and thus villagers are shifting towards gas cylinders. In a few villages, villagers are mostly dependent on forests for income generation. Few of them shared that they earn more from MFPs rather than agriculture products. Most of the women explained that the ploughing was easy on the field using bullocks and now these are replaced by tractor farming. The farming practices have changed; from organic farming to conventional- the use of intensive chemical pesticides has affected human health with several diseases. Because of weather changes, and lack of irrigation infrastructure,

The villagers opt for migration. In a few villages, the women shared the wages in the village for **women is Rs. 120** and **men is Rs. 150**. There is no such work demand in villages rather than MGNREGA. They find it suitable to move outside as there are more days of work and better wages offered.



Madhya Pradesh:

Women of the Adivasi villages shared about the threat of reducing trees manifested to inadequate rainfall and wood shortage. Forests play a crucial role in the lives of Adivasis and women collect forest produce from the forest which fetches them with cash for their livelihoods. The unfavourable climate conditions harm the quantity and quality of crops. Excessive use of chemical fertilizers on agricultural fields affects human health and the environment. Most of the women shared that every year, they incur losses from the crops that they grow. Having no work opportunities in the periphery of the village, they have to travel outside to fulfill the needs and expectations of their family. The women stressed the critical part of leaving their children at home alone.





D2. Mixed group

Chhattisgarh:

Some villagers shared that there is no forest or extremely degraded forest around the village. In those villages get negligible NTPF from their own village and go to neighboring forests for firewood.

In general also, villagers reported that the resources in forests are decreasing compared to the last few years due to felling of trees. Earlier minor forest products were much more abundant in the forest. Now the availability of forest produce has reduced. In most cases, forests are dominated by rocks mostly bauxite. Villagers shared that they would not prefer industries to come although they would get employment in that case.

Many villages shared that there was a threat from wild animals like hyena, bears and leopard but even Those animals were also decreasing in numbers. Overall, many groups shared that their dependency on the forests is becoming less.

Migration has increased due to lack of employment opportunities in the village. Lots of youth go to southern states like Andhra Pradesh and stay back for years. The employment provided by MGNREGA is not preferred by youth since the work provided is less. Agriculture is not profitable as it follows traditional methods and without any irrigation sources.

However, in some villages, people reported that now they were getting employment under MGNREGA in the village itself and there are many other supporting government programmes because of which migration decreased. One village reported that they were getting work from the forest department also.

In one village, due to the introduction of new techniques in winter, crops are being produced in large quantities and the income of the people is increasing. Farmers who used to earn 10,000 earlier are now earning up to 1 lakh by taking 2-3 crops.

During the group discussion in the Non-Adivasi, villagers shared that earlier they used to migrate. Farming has become costly and loss-making. 80% of the villagers are without labour. Only 20% are cultivators.

In the PVTG (Pahari Korwa) village, it was shared that due to lack of means of livelihood, the youth are migrating, they have not been given forest rights.

Madhya Pradesh:

Most villagers shared that the main difference that happened through the years is in the livelihood options related to forest and migration. Falling of trees and decreasing of biodiversity in the village have been the major reasons why dependency on and return from forest has decreased. Even the nearby forest is disappearing fast. This is affecting the availability of firewood, timber, tendu leaves and other minor forest products.

In one case the forest near the village was declared a national reserve forest and that also causes declining of income from forest gathering.

One group shared that the introduction of machines for earthwork has reduced the opportunity of manual work and hence wage opportunities are decreasing in villages.

People from most villages shared that they are now migrating more in numbers as there is less opportunity for work in the village.

One group shared that they are already doing good farming, moving from kodo kutki millets to paddy and maize. During the winter they sow vegetables. But still, many of them go to Kerala and Maharashtra to earn more.



E. Impact of migration on women's involvement and decision-making in agriculture and households

E1. Women group

Chhattisgarh:

Women of both Adivasi and non-Adivasi villages stated that men generally migrate for work; if women migrate, it would create difficulties in household responsibilities- taking care of children, maintaining grocery and ration items, and any other needs. Decisions are usually taken with the mutual consent of both spouses. If women face an economic crisis, they opt for working as labourers in agricultural fields.

Few women also shared about the challenges faced in migration like health issues, meeting urgent household needs, and children's education gets affected. To improve the conditions of the family, the whole family is compelled to migrate. The migration often occurs after they manage the farming activities on their lands. They migrate to repay the loans that they take in the agricultural season for the crops they grow. Few women expressed that women contribute to farming and also make decisions. The decision depends upon the family size; nuclear families have more scope for women to make decisions. Women of PVTG villages shared that no one migrates from their area.

Madhya Pradesh:

Women of Adivasi villages exchanged thoughts on women traveling away from the village to work, leaving children at home, and returning home after 6 months. The women do not take the responsibility of agriculture, men usually manage farming. Many women shared the concern of getting low-paid wages more than men, thus they migrate in search of better wages. Few women were sharing about the demand for women in managing both household and agricultural fields. During agricultural periods, the children are usually left in their homes and the women are unable to provide sufficient time for their children. Most of the women shared that they have to work in the agricultural fields and after returning home, meet the household needs. They feel exhausted from the physical work and sometimes, they go to sleep without having any meal. Women find issues in performing both household and farm levels on time, but they have to manage because of livelihood needs.





F. Position of women in Adivasi society

F1. Youth group

Chhattisgarh:

Most of the youth groups in Adivasi villages shared that Adivasi women are not able to speak openly anywhere; they are less educated in comparison to non-Adivasi women. Adivasi women do all kinds of work, like plowing the field, sowing paddy, etc. They are not shy about working. Some groups shared that Adivasi women can tolerate more hardship than non-Adivasi women. One youth group shared that Adivasi women face domestic violence.

The youths in Adivasi villages further said that some women were coming forward and men's mindset was also changing. One person said, *"The elders of our house try to suppress the women, which we oppose, we stop them from doing so"*.

In the Non Adivasi village, a youth group shared that women in non-Adivasi societies dress up well as most of the Non Adivasi society is educated.

Madhya Pradesh:

Youth groups in Adivasi villages shared that women in the Adivasi society are less educated, many of them are illiterate, they do household chores and also work in others' fields, they go far away to fetch drinking water, they get married early, can not participate and enjoy social programme or marriage, do not have good clothes and victims of domestic violence.

In the PVTG (Baiga) village of Sathiya in the Mandla district of Madhya Pradesh, it was shared that In their village, there is no difference between women in Gaur Adivasi society, they all do farming, and Both non-Adivasi and Adivasi women go to work in NREGA.



F2. Women group

Chhattisgarh:

In a few Adivasi villages, tribal women shared the ability to perform all kinds of activities like managing agricultural fields and additional households, wage earnings, and labour on other's houses while non-tribal women had no role to perform such laborious work. The Adivasi women rarely express their thoughts and views. The status of women in tribal society has been substantially different as compared to non-tribal women. Because of a good income, education, and employment, the economic status of non-tribal society is improved; the tribal communities struggle with land ownership, unemployment, and education. Alcohol consumption and early marriages are found to be rising in tribal societies. Tribal women remain engaged in agriculture and forest, which adversely affects their health. Few tribal women

shared that have more mobility and exposure to the external world than the other women. The PVTG women shared about their lack of education and thus remained confined within themselves.

Madhya Pradesh:

Mostly, Adivasi women are required to work harder and they experience poverty. Lack of quality Education is a common problem among Adivasi women and thus they have to remain engaged in labour work. The rate of alcohol consumption is high; the tribal women shared their distress about getting better clothes and affording to provide a good education to their children. The Adivasi communities face a wide range of discriminatory practices like untouchability, caste, social exclusion, etc. The Adivasi communities own less land and are unable to access different assets and opportunities.





G. Women's involvement in the market

G1. Women group

Chhattisgarh:

Many women said that there has been a change in the participation of women in the market; they are able to access markets because of the convenience of transportation. The Adivasi women mostly shared They go to markets to sell paddy and other crop products, based on household demands. Even traders visit villages to purchase the crop produced and the prices are offered by the traders. Men usually go to the big markets to directly sell the crop produced whereas women go to the markets to buy clothes. Few women shared that the money from selling the forest products is managed by themselves. Few women even said that the vegetables they grow are not sufficient and thus buy from the market which are at a higher price. A few Adivasi women stated women are now advanced in accessing markets in terms of buying or selling goods, enabling the potential of bargaining.

Madhya Pradesh:

Few women of Adivasi villages have spoken about the need of accessing markets to take care of all the needs of family members. They go to sell vegetables, purchase clothes, utensils, and even agricultural inputs. In terms of marketing cash crops, they are not familiar with market prices as they lack information on the market. Women are now not dependent on men as they have a good hold in the market, providing them with more voice and power in the market. Some women cited examples of households where women are managing households, who do not have male members in the house. There has been a trend of increasing women from the village getting a good education with employment choices. Women are now confident about the changes happening in the village.



H. Participation and role of women in Gram Sabha

H1. Women group

Chhattisgarh:

Women of Adivasi villages shared about the lack of adequate knowledge of the purpose of Gram Sabha. The participation of women in attending Gram Sabha meetings is low and the space is limited to raise their voice in the Gram Sabha. Even though few women attend the Gram Sabha, they hesitate to express their opinions on topics about women. The decisions are mostly taken by the Sarpanch and the Secretary. In a few Adivasi villages, the Kotwal (the traditional messenger) of the village visits door-to-door to inform the names of both spouses who can attend the meetings. Few women stated that there are discussions on women's issues where they can voice their concerns and share the problems to be taken forward.

In non-Adivasi villages, women shared that they are not even aware when the Gram Sabha meetings are held. They are usually holding the responsibility of managing the household and thus are not oriented on the significance of such meetings.

Madhya Pradesh:

Women of the Adivasi villages have experienced participating in the Gram Sabha meetings. They can place their opinions in the Gram Sabhas where their voices are heard and discussed. Whereas few women shared that their views are not considered which lacks in encouraging women's involvement. Most of the women shared that the Gram Sabha meetings are commonly referred for men and persons holding a good financial status or power positions; the Sarpanch plays a vital role in undertaking decisions. Most of the women expressed the need and interest to join these meetings, share their views, and be a part of resolving their concerns.





I. Water for domestic use

11. Women group

Chhattisgarh:

Women from many villages reported a lack of access to adequate water, especially in the summer season. They are usually dependent on wells, borewells, and hand pumps for water for domestic use. In a few villages, women shared that they faced a shortage of adequate water throughout the year. Although initiatives are taken by the government for water distribution; in some cases, the pipes run out of water, and in other cases, water is not safe for drinking. Some women reported an increased iron content and contamination in the water supplied through pipes. One group said that the quality of water was so poor that it was unfit for cooking, cleaning, and other household purposes. The erratic supply of electricity has been a concern. A woman has to travel at least 500 meters to fetch clean water which takes about 3-4 hours during summer while the other seasons take 15-20 minutes. It becomes difficult for them to contribute to agricultural activities and manage the daily wage work. The consumption of contaminated water affects health during the monsoon.

Madhya Pradesh:

In Madhya Pradesh also, Adivasi women from many villages reported water stress during summer. The taps, borewells, and river surface water dry out, thus compelling the women to collect water from far places. During the summer months in some villages, at times they also have to arrange water tankers to fill wells in the village so that everyone has access to water.



J. How youth are engaged

J1. Youth group

Chhattisgarh:

Most of the youth in Adivasi villages shared that they were unemployed even after finishing higher secondary. Many people were working in MNREGA but they stopped working as wages are not paid on time. Mostly, youth are engaged in agriculture. In one village youth shared that they go to forests to collect mahua, tendu leaves, etc.

From most of the Adivasi villages, youth groups shared that they migrate to other states for work. There they face threats and frequently lack access to food and money. In case they or someone from their family falls sick and they are unable to come to get treatment. The youth, who migrate do not get a good education.

Madhya Pradesh:

Youth in Adivasi villages mostly shared that they do labor work, farming, and even migrate to get work. Some of them go outside the village to get work on a daily basis. They work in

others' fields - cut sugarcane or dig tubers. They leave their village early in the morning and return when the night falls.

They usually don't get a vehicle and they face difficulty commuting. There are days when they don't get I have to work for days and have to stay at home. When they go out to work, they don't come back on time. If there is an emergency, they can not reach on time.

Youth groups in Adivasi villages also shared that there is a lot of unemployment. It is difficult to get an education by being in the village. On the other hand, they can't afford to go to the city for education. Some youths shared that there was no point to study, they would remain unemployed. Youth in one of the groups shared that the infrastructure is so bad in their village that during rains their children cannot go to school.

In a PVTG (Baiga) village, the youth shared that most of them are engaged in farming and NREGA work in the village itself and sometimes they go to Kerala for work.







K. PESA

K1. Mixed group

Chhattisgarh:

Most of the villagers said that they do not know anything about PESA and it's not in their village yet. However, some villagers said that they would get many benefits if it's implemented in their village. In some villages, people shared that they do not go to Gram Sabha. They shared that no action was taken on the applications given in the Gram Sabha.

In the non-tribe village of Rani Sagar, Bilaspur district it was shared that their village does not come under the PESA act.

In the PVTG (Pahari Korwa) village, it was shared that the people of this village neither know about PESA nor can give information about their rights.

Madhya Pradesh:

In the Adivasi village of Dhar, Khargone, Seoni, villagers during the FGD said that they do not have any information and knowledge about PESA. In other districts, this question was not applicable.



L. Priority areas for development

L1. Youth group

Chhattisgarh:

By and large the youth groups in Adivasi villages shared that development priorities should be given to remunerative employment of youth, improved agriculture, good education including higher education, proper medical facilities, proper housing, peaceful environment, irrigation, and clean drinking water. Some youth groups also talked about electricity, transport facilities and connectivity to mobile networks as well. One group shared about the availability of work and payment under MGNREGA, the placing of veterinary doctors in their village and the proper functioning of the government pension schemes.

In the non-Adivasi village, the youth group shared that the major priorities of their lives are better housing, agriculture, money, better jobs, and lastly, their respect from others. They further shared that the five priorities of the government include electricity, running water, better roads, rationing, and lastly, opportunities to get government jobs.



Madhya Pradesh:

Most of the youth groups in Adivasi villages shared that the government should prioritise housing, drinking water, sewage system, roads, school and pensions and other government social security schemes.

In the PVTG (Baiga) village, the youth group said that the priority should be agriculture, education, health, NREGA work, and tribal customs.





ANNEXURE

STATE OF THE ADIVASI LIVELIHOODS AS IT WAS: SEEING THROUGH THE SOCIO-ECONOMIC CASTE CENSUS- 2011

1. SCHEDULED TRIBE HOUSEHOLDS

As per the Socio-Economic Caste Census (SECC)¹ 2011, the percentage of ST households in India is 10.98%, with a high concentration in North-Eastern States with Mizoram having the highest percentage of ST households with 98.79%. In Central and Eastern India, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are among the states with a high proportion of ST households. The percentage of ST Households in Chhattisgarh as per SECC 2011 stands at 36.83% with high variation within the state. The Northern and Southern districts of Chhattisgarh have a high concentration of ST households, while the Central districts of Chhattisgarh have a relatively low concentration. Dakshin Bastar Dantewada with 86.64% has the highest percentage of ST households followed by the adjoining district of Bijapur having 84.64%, while Janjgir Champa with 13.02% has the lowest percentage. In Madhya Pradesh, the percentage of ST households stands at 25.29%, with a high concentration in the Southern and Eastern parts of Madhya Pradesh, the districts bordering Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, and Chhattisgarh. Alirajpur district of Madhya Pradesh sharing its border with Gujarat and Maharashtra has the highest ST household concentration, which is 94.36%. This is followed by the Jhabua district which borders Gujarat and Rajasthan, where the percentage of ST households is 91.64%. All the Southern districts of Madhya Pradesh bordering Maharashtra and Chhattisgarh form a distinct belt having a high proportion of ST households with Dindori having ST households at 64.32% followed by Mandla having 62.44%.

2. LIVELIHOODS ENGAGEMENT

The SECC 2011 data captured a wide range of livelihood sources for rural households. Manual casual labour is reported to be the most important source of livelihood for rural ST households followed by agriculture and domestic work. Other kinds of livelihood sources are also captured as non-agriculture enterprises, foraging, and non-descript other activities.

2.1. Livelihood Engagement: manual casual labour, agriculture, and domestic work

51.18% of rural households and 51.28% of rural ST households in India depend on manual casual labour as their primary source of income apart from other side hustles. It is followed by agriculture as 30.1% of rural households in India reported agriculture as the main source of income. In the case of ST households, dependence on agriculture is higher than the average with 37.98% of rural ST households reporting cultivation as their primary source of income. The Central India region shares the India-level trend with 55.56% of rural ST households reporting manual casual labour as their primary source, followed by 39.23% of rural ST households depending on agriculture. Contrary to this, rural ST households in the North-Eastern region reported agriculture as their primary source (54.59%) followed by manual casual labour (24.56%). The same trend can be seen in Chhattisgarh, which is opposite to data of the Central India region, where 51.97% of rural ST households reported agriculture as their primary source of income followed by 42.54% reporting manual casual labour as their main source of livelihoods. However, Madhya Pradesh data shows that 63.58% of rural ST households, one of the highest in India, reported manual casual labour as their main livelihood. It is followed by agriculture as the prime source reported by 31.95% of rural ST households.

Apart from manual casual labour and cultivation, part-time or full-time domestic service is reported to be the third most important source of income for rural households. Lakshadweep with 11.42% of rural households and 11.21% of rural ST households reported domestic work as their main source of income is the highest among all the districts followed by the Indian states of the North-Eastern region. In the Central India region, 2.13% of rural households and 1.19% of rural ST households reported domestic work as their prime source of income, which is lower than India's figure of 2.5% in rural

¹The SECC website, <https://secc.gov.in/>



households and 2% in rural ST households. Chhattisgarh and Madhya Pradesh follow the same trend as the Central India region with 1.19% and 1.07% of rural ST households reporting domestic work as their prime source of income. Domestic work as a primary source of income is slightly higher in average rural households of Chhattisgarh and Madhya Pradesh with figures of 1.66% and 1.62% respectively.

2.2. Livelihood Engagement: Non-Farm Sector

SECC 2011 covers two indicators in the non-farm sector:

- (a) Number of households having non-agricultural own account enterprises.
- (b) Number of Households Own/Operate an Enterprise Registered with the Government.

1.61% of rural households in India reported having non-agriculture own account enterprises. But the dependence of rural ST households on non-agriculture rural enterprises is quite less standing at just 0.64%. Tamil Nadu with 3.64% has the highest percentage of rural households depending on non-agricultural rural enterprises followed by states like

Telangana, Sikkim, Himachal Pradesh, and Haryana. This percentage is quite low in the Central Indian region, with Chhattisgarh and Madhya Pradesh 0.34% and 0.4% respectively. When it comes to rural ST households only 0.14% and 0.12% respectively for these two states.

2.72% of rural households and 2.05% of rural ST households in India own or operate enterprises registered with the government. The dependence of rural households on registered enterprises is highest in the National Capital Territory (NCT) of Delhi at 19.54% followed by other Union Territories like Daman & Diu and Dadra and Nagar Haveli. This high dependence can be seen in states like Gujarat, Haryana, Goa, and Himachal Pradesh. Daman & Diu with 16.49% has the highest percentage of rural ST households having enterprises registered with the government followed by Haryana at 15.99%. The dependence of rural and rural ST households on registered enterprises is quite low in the Central India region. 0.57% of rural households and 0.55% of rural ST households in the case of Chhattisgarh and 0.82% and 0.54% in the case of Madhya Pradesh reported this making these states have the lowest within the region.





2.3. Other Livelihood Activities

SECC 2011 also captured the prevalence of foraging, rag picking, begging, charity, and alms collection as sources of income for 0.6% of rural households and 0.46% of rural ST households. The dependence of rural households on this set of activities is highest in West Bengal at 1.49% followed by Karnataka at 1.38%. Rural households in the Central Indian region on this set of activities are among the lowest. The percentage of rural households' dependence on foraging, rag picking, and charity in Chhattisgarh and Madhya Pradesh stands at 0.65% and 0.69% respectively. In the case of rural ST households, the dependence on this set of activities is reported highest in Karnataka at 1.21% followed by West Bengal at 0.83%. The dependence of rural ST households in the North-Eastern region of India is the lowest at 0.13% followed by the Central India region at 0.46%. In Chhattisgarh and Madhya Pradesh, this dependence is relatively lower at 0.41% and 0.43% respectively.

The term "other" income sources refer to any source of income for a household not included in the above mentioned sources. 13.97% of rural households and 7.56% of rural ST households in India reported other sources as their primary source of income. 4.99% of rural households in Chhattisgarh and 5.80% of rural households in Madhya Pradesh reported other sources as their primary source of income. However, the percentage of rural ST households reporting other sources as their primary income is relatively lower in Chhattisgarh and Madhya Pradesh with 3.64% and 2.85% respectively. Therefore, among ST households in Chhattisgarh and Madhya Pradesh, manual casual labour and agriculture are the two most significant sources of income, both of which fall under informal unorganized work with less assured outcomes. Moreover, the variations among sources of income among rural ST households across different parts of India need to be understood by superimposing resource base and landholding percentages as explained in Section 5.

3. INCOME SLAB

SECC 2011 enumerated the number of households based on their different income slabs of the highest-earning member of the household. The three income slabs used were: <5000, 5000-10000, and >10000. These metrics can be used to understand the differential income range in the population, as a measure to understand the economic or economic vulnerability of rural of the rural households.

About 75% of the rural households and 87% of rural STs in India reported that the monthly Income of the highest-earning household member is less than Rs 5,000. This percentage is the highest in the Eastern region at 79% and the lowest in the Union Territories at 36% of rural households reporting this. In the case of Chhattisgarh it is 91% and the same is 83% in Madhya Pradesh. In case of rural ST households Odisha is the highest at 96% and Lakshadweep is the lowest at 44%. This stands at 93% in both Chhattisgarh and Madhya Pradesh.

17% of the rural households and 9% of rural ST households in India reported that the monthly Income of the highest-earning household member is in the range of Rs 5,000-10,000. The percentage of households reporting this figure is highest in the Union Territories region at 38% and the lowest in the



North-Eastern region of India at 15%. However, in case of rural ST households Punjab is the highest at 44% and Odisha is at 3%. In Chhattisgarh 6% rural households and 5% rural ST households reported this income slab. In Madhya Pradesh this is 11% and 5% respectively for rural and rural ST households.

The percentage of rural households and rural ST households in India reporting monthly income of the highest-earning household member is greater than Rs 10,000 is 8% and 4% respectively. This percentage is highest in the Union Territories region at 26% followed by the Northern region at 18% for rural households whereas the Eastern India region fares poorly at 6% rural households reporting this. Lakshadweep has the highest percentage of ST households at 42% and the lowest percentage is recorded in Chhattisgarh and Madhya Pradesh along with Odisha and Tamil Nadu with just 2% of the ST households reporting a monthly income of more than Rs 10,000 by the highest earning member.





4. FOOTPRINT IN THE SALARIED JOB MARKET

The presence of rural households in the market for salaried employment was quantified by SECC 2011 data. Three subcategories of salaried employment were listed: (i) government jobs, (ii) public sector jobs, and (iii) private sector jobs. The expansion of the salaried labour market has several effects, including an increase in the formalization of the labour force, greater assurance of income, and, consequently, less risk, and greater prosperity.

The percentage of rural households in India with any member in a salaried job stands at 9.65%, with Union Territories having the highest percentage of rural households in salaried jobs at 59.14%. The lowest percentage is reported in the Eastern region of India at 7.18% followed by the Central India region at 7.86%. The dependence of rural households in Chhattisgarh and Madhya Pradesh on salaried jobs is even lower at 5.34% and 5.05% respectively, just after Andhra Pradesh at 4.57%. For rural ST households, the percentage of households with a member in salaried jobs is comparatively lower at 6.43% but a huge variation in India was registered in SECC 2011 with a range of 2.72% in Odisha to 70.18% in Daman & Diu. Overall, the Union Territories region has the highest average percentage of 32.11, and the lowest average is in the Central region of India at 3.92%. The respective percentages of rural ST households with a member in salaried jobs in Chhattisgarh and Madhya Pradesh are 4.61% and 3.08%.

5. RESOURCE CONDITION

Scheduled Tribe households, with most of their settlements near forest fringe areas with flowing streams and rivers, have a strong attachment to their land and water resources. This is equally seen in all the agrarian communities residing in the rural settlements. The primary means of production and the foundation (natural capital base) of rural (agrarian) livelihoods is 'land'. Land becomes the foundation of identity in rural places (also in the periphery of areas developed/redeveloped as urban areas). India's hinterland has long been affected by land alienation, land acquisition, land disputes, and conflicts. The same nature of disputes and conflicts is on the rise in the case of claims, utilization, and sharing of water resources.

5.1. Resource Condition: Landholding

SECC 2011 data shows that 43.59% of rural households have land. Chandigarh (Union Territory) has the least percentage of rural households having land at 2.31%, while Himachal Pradesh ranks highest in terms of rural households having land at 78%. The Central region of India ranks highest in terms of rural households having land at 52.48% followed by the Northern region of India at 51.58%, higher than the national average. In Chhattisgarh and Madhya Pradesh, the percentage of rural households with land is 53.27% and 45.28% respectively, which again is higher than the national average.

In India, the proportion of rural landlessness is the highest in the Union Territory region at 91.51% followed by the Southern region of India at 65.50%. Among the ST population, 35.65% of the rural ST households are landless and depend on manual casual labour for their income. Punjab has the highest percentage of rural ST households depending on manual casual labour at 69.38%. While Andaman & Nicobar Islands have the lowest percentage of landlessness among rural ST households depending on manual casual labour at 2.30%. In Chhattisgarh, the percentage of landlessness among ST households depending on manual casual labour is lower than the national average at 28.47%. However, there is a wide variation within Chhattisgarh with ST households having better landholding in the Northern and Southern regions marked by hilly topography and dense forests as compared to the Central Plain region of Chhattisgarh. The Narayanpur and Dakshin Bastar Dantewada districts in Southern Chhattisgarh are among the districts with the lowest landlessness among ST households depending on manual casual labour at 6.61% and 8.78% respectively. Bilaspur and Mahasamund districts in the Central Plain region are among the areas with a high percentage of landlessness among ST households depending on manual casual labour at 45.82% and 46.19% respectively, which is quite higher than the national and state average. Madhya Pradesh is among the top 10 states in India with a high proportion of landlessness among ST households depending on manual casual labour at 48.78%. Most of the districts in Madhya Pradesh fall under the high proportion of landlessness among ST households at 40% or more except 4 districts in the South-Western and South-Eastern parts of Madhya Pradesh. In the South-Western



part of Madhya Pradesh, the Alirajpur district fares better with only 7.88% of ST households landless and depending on manual casual labour for their income followed by Jhabua district at 18.45%. In the South-Eastern part of Madhya Pradesh, the districts with low levels of landlessness depending on manual casual labour among ST households are Anuppur at 26.11% and Dindori at 36.86%.

5.2. Resource Condition: Control over Water

Water resources are the most critical thing when it comes to the livelihood and well-being of rural households, especially in the context when the rural economy is fundamentally agrarian. Irrigation, therefore, is an important marker signifying the control over water resources. As per SECC 2011, 40.46% of the total farming area in India is unirrigated. It implies that only about 60% of the area has some kind of irrigation and the rest is dependent on rainfall. Moreover, only 36.79% of the total irrigated area in India has assured irrigation for at least two crops. This also predicts the uncertainty of crop production beyond the normal rainy season in India. The percentage of unirrigated area is highest in the North-Eastern region of India at 60.10% with only 22.94% of irrigated area with assured

irrigation for two crops. The Central region of India is better placed as compared to India's average with 32.57% unirrigated area with 47.94% irrigated area having assured irrigation for two seasons. However, Chhattisgarh and Madhya Pradesh, fare poorly with the percentage of the unirrigated area being 68.74% and 42.70% respectively. The percentage of irrigated areas with assured irrigation for two seasons is quite lower in Chhattisgarh at 12.59%, but comparatively better in Madhya Pradesh at 39.12%.

In India, the percentage of ST households owning unirrigated land is 42.59% with only 18.05% owning irrigated land. Tripura ranks bottommost with the lowest percentage of irrigated land among ST households at 3.36%, while Himachal Pradesh ranks at the top with 46.72% of ST households owning irrigated land. Chhattisgarh also has the lowest percentage of ST households having irrigated land at 4.56%. There is a state-wide variation, but this percentage lies in the range of 2.35% in the Jashpur district (the lowest) and 9.63% in the Dhamtari district (the highest). Madhya Pradesh fares much better in terms of ST households owning irrigated land at 15%, i.e., 3 times of Chhattisgarh. However, there is a wide variation within Madhya Pradesh, with irrigation situation better towards Soth-Western and Northern Madhya Pradesh.



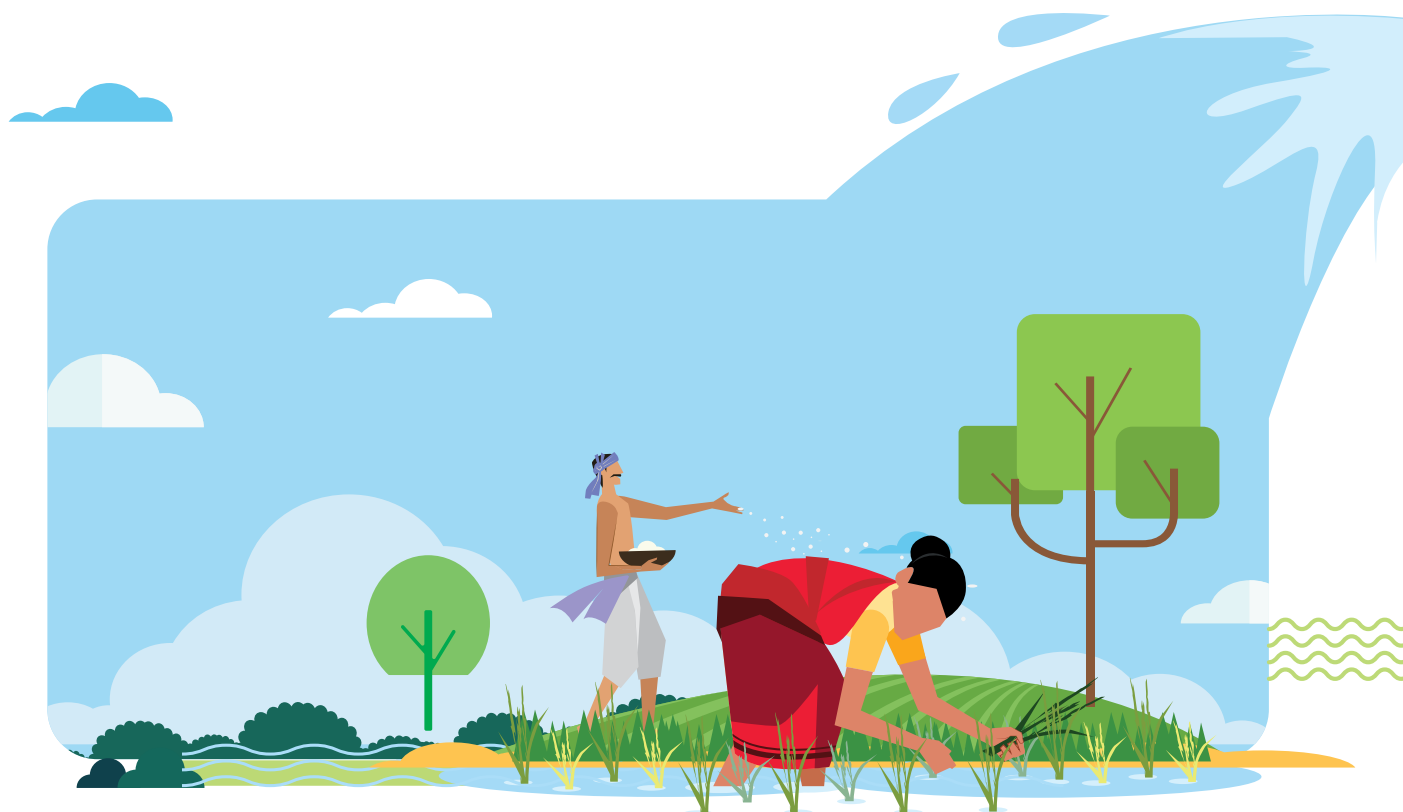


The percentage of ST households having irrigated land is the lowest in the Rewa district at 3.10% followed by Balaghat at 4%. While the percentage of ST households having irrigated land is the highest in the Bhind district at 28.12% followed by the Dhar district at 27.40%.

Moreover, the percentage of ST households in India having or owning agriculture irrigation equipment stands at 5.10%. There is a wide variation across different regions of India, with as low as 0.49% of ST households in Andaman & Nicobar Islands and as high as 13.70% of ST households in Rajasthan having ownership of irrigation equipment. In Chhattisgarh, only 2.13% of ST households have irrigation equipment. Overall, ST households in Chhattisgarh have lower access and ownership of irrigation equipment with a variation from 0.25% in the Dakshin Bastar Dantewada district (the lowest in Chhattisgarh) and 4.88% in the Dhamtari district (the highest in Chhattisgarh). In Madhya Pradesh, the situation is slightly better with 6.82% of ST households having irrigation equipment, almost 3 times of Chhattisgarh. However, there is a very large disparity in access and ownership of agriculture equipment among different regions with as low as 1.24% in the Balaghat district and as high as 18.57% in the Mandsaur district.

6. DEPRIVATION OF ST HOUSEHOLDS IN CHHATTISGARH AND MADHYA PRADESH: COMPARED TO THE OTHER PARTS OF INDIA

Seven criteria of deprivation have been outlined in the SECC data, based on which vulnerability of the rural households has been mapped. One of the criteria has been the status of belonging to the SC/ST category itself. This is more so in the case of rural parts of India where settlements and social relations are generally based on caste and ethnic stratification. Almost 22% of rural households in India are found to be under the SC/ST category. This percentage is the highest in Meghalaya at 63% with the lowest in Daman and Diu at 2.4%. There is a regional variation in the deprived households falling under SC/ST category with the Eastern region in total having the highest percentage at 26% and the Union Territorial region the lowest at 5%. Chhattisgarh with 42% and Madhya Pradesh with 31% are among the states with one of the highest proportions of the population in the SC/ST category, higher than the national average and the average of the states in the Central India region. The criteria and the respective percentages of deprivation are outlined in the sub-points below.



6.1. ST households considered for deprivation.

74% of the rural ST households have been considered deprived. Among different regions of India, the highest percentage of rural ST households considered deprived is in the Eastern region at 83%, Odisha being the uppermost at 89%. The lowest percentage of rural ST households considered deprived lies in the Union Territories at 55%, the lowermost being Lakshadweep at 13%. In the Central India region, the average percentage of rural ST households considered deprived is 77%. In Chhattisgarh and Madhya Pradesh, the percentages of rural ST households categorized as deprived are 82% and 76% respectively, which is higher than the national average and comparable with the status in the Eastern region of India.

6.2. Housing

The percentage of rural deprived households with deprivation criteria- only one room with kucha walls and kucha roof is found to be around 13% in India. This deprivation is the lowest in the NCT of Delhi at 0.3%. Overall if we look at different regions of India, Union Territories record the lowest

percentage at 2%, while the Eastern region of India records the highest at 21%. Among the rural ST population, this deprivation percentage is 22% in India, with the highest recorded in Rajasthan at 44% and the lowest in Andaman & Nicobar Islands at 0.16%. In Chhattisgarh, the percentage of rural ST households deprived of proper housing stands at 27%. This is less than the overall percentage of rural households in Chhattisgarh deprived of proper housing, which stands at 29%. In Madhya Pradesh, the percentage of rural ST households deprived of proper housing conditions stands at 32%, which is higher than the rural households' housing deprivation by about 7% at 25%.

6.3. No adult member between the ages of 16 to 59

The percentage of rural deprived households with deprivation criteria- no adult member between ages 16 and 59 stands at 4% in India. This deprivation is the lowest in the NCT of Delhi at 0.34% followed by Chandigarh at 0.42%. However, the regional variation depicts that this deprivation is at the lowest in the Union Territories at about 1%, and the highest in the Southern region of India at around 5%. Chhattisgarh, 6.47% of the rural households, the highest in India, reported this. The corresponding deprivation percentage in rural Madhya Pradesh is 5.18%, greater than the Indian and Central India region's average. Among the rural ST population in India, the percentage is about 4%, comparable to the deprivation among the total rural population in India. With a percentage of deprivation at about 1%, the states like Haryana, Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, and the Union Territories like Daman & Diu and Lakshadweep are among the areas with the lowest deprived percentage under this category. The highest deprivation among rural ST households under this category is recorded in Chhattisgarh at 5.58%, which is lower than the rural households' average of 6.47% in Chhattisgarh. Similarly in Madhya Pradesh, the deprivation among rural ST households under this category at 4.66% is lower than the average rural households of Madhya Pradesh at 5.18%. Therefore, it can be said that the percentage of deprivation under this category for average rural households is higher than the rural ST households of Chhattisgarh and Madhya Pradesh.





1.1. Female-headed households with no adult male member between the ages of 16 to 59

The percentage of rural deprived households in India with deprivation criteria- female-headed households with no adult male membersmember between the ages of 16 to 59 stands at about 4%. The lowest is reported in the NCT at 0.4%, while Tamil Nadu has the highest percentage at 6.84%. The regional variation in this criterion depicts that the female-headed rural households with no adult male members are lowest in the Union Territories at about 1%, while this deprivation is highest in the rural areas of the Southern region at 5.64%. Among the rural ST population, it stands at about 5%, slightly higher than the national average. The regional variation depicts this deprivation as lowest in the Northern region of India at 2.59%, with Punjab being the lowestlowermost in India at 1.25%. The Southern region of India is highly deprived in this criterion at 5.56% followed by the Central India region at 5.47%, with deprivation in Chhattisgarh being highest in India at 6.61%. The corresponding percentage in Madhya Pradesh is 4.46%. It is to be noted that the percentage of rural deprived households in Chhattisgarh with deprivation criteria of female-headed households with no adult male member between the ages of 16 to 59 is 6.79%, higher than the percentage of the state's rural ST households. While in Madhya Pradesh, rural households at 3.6% deprivation under this criterion are slightly less deprived as compared to the state's rural ST households.

6.5. Disabled member and no able-bodied adult member

The percentage of deprived rural households with deprivation criteria- disabled members and no able-bodied adult members in India stand at 0.40%. This deprivation is almost at similar levels across all the regions of India, except the Union Territories where the percentage of rural households is around 0.08% with the lowest levels of deprivation recorded in Punjab at 0.04% followed by the NCT at 0.05%. It is to be noted that Chhattisgarh and Madhya Pradesh are among the states with the highest level of deprivation of rural households under this criterion at 0.81% and 0.73% respectively.

Among the ST population, it stands at 0.50%, which is slightly higher than the percentage of average rural households. This deprivation among the rural ST households is recorded at the lowest in the Union Territories, and highest in the Central India region at 0.60%. Among the states in the Central India region as well as compared to other parts of India, Chhattisgarh and Madhya Pradesh have high levels of deprivation under this criterion except for Sikkim at 0.80%. In Chhattisgarh and Madhya Pradesh, the respective percentage of deprivation among rural ST households with deprivation criteria- disabled members and no able-bodied adult members are 0.70% and 0.60%.



6.6. No literate adult above 25 years

24% of the rural households in India are reported to be deprived with deprivation criteria- no literate adult above 25 years. This percentage of deprivation is the highest among the rural households of the Eastern India region at 30% and the lowest in the Union Territorial region at 6%. Among different states and Union Territories, Bihar (34.12%) records the highest percentage of rural households with no literate adult above 25 years, while Lakshadweep records the lowest at 0.64%. In the Central Indian region, the average percentage of rural households with no literate above the age of 25 years stands at 25%. However, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are among the states with the highest percentage with 34% and 33% respectively.

The percentage of rural ST households with no literate above 25 years of age stands at 39%, which is quite higher than the

average of rural households under this deprivation criterion. The North-Eastern region of India at 21% has the least proportion of rural ST households with illiterate members above the age of 25 years. This percentage is highest in the Central India region at 46% followed by the Eastern India region at 43%. Among all the states and Union Territories of India, Lakshadweep has the least proportion of adult illiterates with the percentage of rural ST households with no literate adult above 25 years at 0.63%. While Rajasthan (51.01%) has the highest percentage of rural ST households with no literate adult members above the age of 25 years. In Chhattisgarh, the percentage of rural ST households with no literate above 25 years of age is 41%. Madhya Pradesh, as compared to Chhattisgarh, has a higher proportion of rural ST households with no literate above 25 years of age, which is about 50%.





6.7. Landless households derive a major part of their income from manual casual labour

About 30% of rural households are deprived of deprivation criteria- landless households derive a major part of their income from manual casual labour. There is a wide variation in different regions of India in a range from 3% to 47%. The average lowest level of deprivation under this criterion is in the Union Territories of India at 7%, the lowest in Lakshadweep at 3.1% followed by Arunachal Pradesh at 3.68%. However, the deprivation of being landless with dependence on manual casual labour is the highest in the Eastern region of India at 41%, with Bihar being the most deprived where 47% of rural households are landless deriving a major part of their income from manual casual labour. In the Central region of India, the percentage of rural landless households deriving a major part of their income from manual casual labour is 27%. However, the deprivation under this criterion is higher in Chhattisgarh and Madhya Pradesh as compared to the average of the Central India region at 34% and 38% respectively.

There is not much difference in the deprivation among rural ST households as compared to the average rural households, with about 30% reporting this. However, the variation among rural ST households highly varies, lying in the range of 1% to 50%. The average lowest level of deprivation under this criterion is in the Northern region of India at 5%. However, among states and Union Territories, Andaman & Nicobar Islands has the lowest level of deprivation under this criterion at 1.09% followed by Arunachal Pradesh at 1.54%. Moreover, rural ST households are the most deprived under this criterion in West Bengal at 50.28% followed by Bihar at 49.68%. Among the regional variations, comparatively, the Central region of India has the highest percentage of rural ST households at 34%, who reported to be landless deriving a major portion of their income from manual casual labour. It is to be noted that Chhattisgarh has a low level of deprivation under this criterion at about 25%. However, the deprivation in Madhya Pradesh is much higher than in Chhattisgarh and Central India average, where 40% of rural ST households are reported to be landless deriving a major part of their income from manual casual labour.

7. EXCLUSION OF ST HOUSEHOLDS FOR THE CALCULATION OF DEPRIVATION: COMPARED TO THE OTHER PARTS OF INDIA

The analysis of deprivation excludes households based on criteria related to ownership of land and irrigation, housing type, amenities in the households, ownership of motorized vehicles and equipment, access to credit, occupation, and tax-paying status. The basis of exclusion is the 14 criteria (mentioned in the sub-points from 7.1 to 7.14.), which depicts that about 21.51% of the rural ST households (India) are excluded from the SECC 2011 data analysis with at least one of the 14 exclusion criteria. The exclusion of rural ST households in at least one exclusion criteria widely varies across different regions of India with as high as 86.60% in Lakshadweep to as low as 8.97% in Odisha. There is also a regional variation of the rural ST households excluded from the SECC data analysis for deprivation. The Union Territories have the highest average percentage of rural ST households considered for exclusion in at least one exclusion criteria at 44.50%, while the lowest average is in the Central India region at 14.88%. In the Central India region, the percentages of excluded rural ST households in at least one exclusion criteria in Chhattisgarh and Madhya Pradesh are 12.44% and 14.43% respectively.

In Chhattisgarh, there is a wide variation in the percentage of exclusion of rural ST households in at least one exclusion criteria for the calculation of deprivation, lying in the range of 8.16% (Narayanpur district) and 22.35% (Durg district). The regional variation in Chhattisgarh also depicts that most of the districts with low levels of exclusion (in at least one exclusion criteria) of rural ST households are in the Central region except Narayanpur (8.16%) and Bijapur (10.48%). In the rest of the districts of Chhattisgarh, the exclusion of rural ST households (in at least one exclusion criterion) for deprivation calculation is at similar levels except for Durg (22.35%) and Dhamtari (17.54%). As compared to Chhattisgarh, the regional variations in the exclusion of rural ST households (in at least one exclusion criteria) are much higher in Madhya Pradesh, with the highest recorded in Bhind district at 69.71% and the lowest recorded in Gwalior at 7.55%. In Madhya Pradesh, the low level of exclusion of rural ST households in at least one exclusion criterion is recorded across the states where a high



percentage of the ST population exists, predominantly towards the Southern districts of Madhya Pradesh. The criteria-wise exclusion has been discussed below:

7.1 Number of Excluded Households with exclusion criteria ‘Households owning motorized two/three/four wheelers/fishing boats’: The percentage of rural ST households in India excluded from the calculation of deprivation based on households having motorized two/three/four wheelers/fishing boats is reported to be 9.88%. There is high variation in the exclusion of rural ST households based on this criterion, with the highest in Goa at 54.75% and the lowest in West Bengal at 3.35%. The respective figures for Chhattisgarh and Madhya Pradesh are 6.58% and 6.77%, which is lower than India’s average.

7.2 Number of Excluded Households with exclusion criteria ‘Households owning mechanized three/four wheelers agricultural equipment’: 1.61% of the rural ST households in India are excluded from the calculation of deprivation based on the criterion. Among the states and Union Territories, the exclusion of rural ST households under this criterion is the highest in Uttarakhand at 6.55%, while the NCT of Delhi records 0. In Chhattisgarh and Madhya Pradesh, the percentages are 0.62% and 1.02% respectively, which shows that the exclusion based on this criterion is lower in these two states as compared to India’s and the Central India region’s average.

7.3 Number of Excluded Households with exclusion criteria ‘Households having Kisan Credit Card (KCC) with a credit limit of Rs.50,000 and above’: The percentage of excluded rural ST households with exclusion criterion stands at 1.64% in India. Among different states and Union Territories, the highest recorded percentage is in Uttarakhand at 11.93%, while the NCT of Delhi records 0. The percentages recorded in Chhattisgarh and Madhya Pradesh are 1.27% and 1.90% respectively.

7.4 Number of Excluded Households with exclusion criteria ‘Households with any member as a government employee’: The percentage of excluded rural ST households with this exclusion criterion in India stands at 4.36%. Among

all the states and Union Territories, Odisha recorded the lowest exclusion at 2.01%, and the highest in Lakshadweep at 40.50%. This is recorded at 4.19% and 2.35% respectively for Chhattisgarh and Madhya Pradesh.

7.5 Number of Excluded Households with exclusion criteria ‘Households with non-agricultural enterprises registered with the government’: The percentage of excluded rural ST households with this exclusion criterion stands at 2.05% in India. Among the different states and the Union Territories of India, the highest recorded figure is 16.49% in Daman & Diu and the lowest recorded is 0.43% in Kerala. Chhattisgarh and Madhya Pradesh record lower figures under this exclusion criteria at 0.55% and 0.54% respectively.

7.6 Number of Excluded Households with exclusion criteria ‘Households with any member earning more than Rs. 10,000 per month’: The percentage of rural ST households excluded on this basis is 4.48% in India. Among different states and Union Territories, the highest recorded exclusion is found to be in Lakshadweep at 42.49%, while the lowest recorded in Odisha at 1.63%. In Chhattisgarh and Madhya Pradesh, the percentages of this exclusion are found to be 2.38% and 1.89% respectively.

7.7 Number of Excluded Households with exclusion criteria ‘Households paying income tax’: Income tax-paying households is one of the criteria for exclusion of households from the calculation of deprivation and as per SECC 2011, 3.35% of rural ST households are excluded in India. Considering all the states and Union Territories in India, this exclusion of rural ST households is highest recorded in Lakshadweep at 18.93% and the lowest in Odisha at 1.12%. The percentages in Chhattisgarh and Madhya Pradesh are 1.54% and 1.15% respectively.

7.8 Number of Excluded Households with exclusion criteria ‘Households paying professional tax’: In the calculation of deprivation, households paying professional tax is also one of the criteria of exclusion, and 3.35% of rural ST households in India fall under this category. The percentage of rural ST households paying income tax and professional tax are found to be the same. Hence, the exclusion of rural ST



households under this criterion is highest recorded in Lakshadweep at 18.93% and the lowest in Odisha at 1.12%, like the percentages reported in tax-paying households (See Section 7.7.). In Madhya Pradesh and Chhattisgarh, respectively, 1.54% and 1.15% of rural ST households meet the exclusion criteria for paying income tax.

7.9 Number of Excluded Households with exclusion criteria ‘Households with three or more rooms with pucca walls and pucca roof’: According to this criterion 6.34% of rural ST households are excluded in India. Among all the states and Union Territories, Tripura records the lowest exclusion of rural ST households based on this criterion at 1.21%, while Lakshadweep records the highest at 49.30%. The exclusion percentages of rural ST households in Chhattisgarh and Madhya Pradesh with the criterion of three or more rooms with pucca walls and the pucca roof stand at 2.28% and 1.99% respectively.

7.10 Number of Excluded Households with exclusion criteria ‘Households owning a refrigerator’: 3.43% of rural ST households are excluded under this criterion and there is a wide variation between the lowest percentage as recorded in Odisha at 1.18%, and the highest in Punjab at 78.75%. In Chhattisgarh and Madhya Pradesh, the percentages of exclusion of rural ST households based on this criterion are found to be 1.90% and 1.72% respectively.

7.11 Number of Excluded Households with exclusion criteria ‘Households owning landline phones’: In India, 1.24% of rural ST households are excluded based on this criterion. Among all the states and Union Territories of India,

the highest percentage of exclusion of rural ST households on the criterion of owning a landline phone is recorded in Lakshadweep at 35.28%, while the NCT of Delhi records 0. The percentage of excluded rural ST households is recorded at 0.44% in both Chhattisgarh and Madhya Pradesh.

7.12 Number of Excluded Households with exclusion criteria ‘Households owning 2.5 acres or more irrigated land with at least one irrigation equipment’: The percentage of rural ST households excluded based on households owning 2.5 acres or more irrigated land with at least one irrigation equipment is recorded to be 1.70% in India. Among all the states and Union Territories, the highest exclusion under this category is recorded in Uttarakhand at 6.67%, the NCT of Delhi recorded 0. This exclusion percentage is recorded at 0.58% in Chhattisgarh, while a higher percentage of rural ST households are excluded based on this criterion in Madhya Pradesh at 2.76%.

7.13 Number of Excluded Households with exclusion criteria ‘Household owning 5 acres or more land irrigated for two or more crop seasons’: The percentage of rural ST households excluded based on households owning 5 acres or more irrigated land for two or more crop seasons is recorded to be 1.32% in India. Among different states and Union



Territories, the lowest excluded percentage is recorded in the NCT of Delhi at 0 followed by 0.02% in Lakshadweep, while the highest excluded percentage is recorded in Uttarakhand at 4.59% followed by 3.64% in Assam. In Chhattisgarh and Madhya Pradesh, the recorded percentages of exclusion under this criterion are 0.36% and 1.46% respectively.

7.14 Number of Excluded Households with exclusion criteria 'Households owning 7.5 acres or more land with at least one irrigation equipment': The percentage of rural ST households excluded based on this criterion is recorded to be 0.90% in India. Among different states and Union Territories, the lowest excluded percentage is recorded in the NCT of Delhi and Lakshadweep at 0 followed by 0.01% in Andaman & Nicobar Islands, while the highest excluded percentage is recorded in Uttarakhand at 3.34% followed by 3.23% in Haryana. The respective percentages in Chhattisgarh and Madhya Pradesh are 0.49% and 1.43%.





8. SCHEDULED TRIBE RURAL HOUSEHOLDS OF CHHATTISGARH AND MADHYA PRADESH: A COMPARATIVE ANALYSIS

Both Chhattisgarh and Madhya Pradesh have a high percentage of ST households at 36.83% and 25.29%. The ST households of both states are largely settled in forest fringe areas with high dependence on the primary sector- agriculture & allied and forest-based activities. However, there is a slight difference in the sources of income for rural ST households in both states. In Chhattisgarh, 51.97 percent of rural ST households indicated that agriculture is their main source of income, while 42.54% indicated that manual casual labour is. However, data from Madhya Pradesh shows that manual casual labour is the primary source of income for 63.58% of rural ST households, followed by agriculture for 31.95% of these households. The percentage of rural ST households in Chhattisgarh and Madhya Pradesh reporting non-agriculture own account enterprises as their primary source of income is at similar levels, 0.14% and 0.12% respectively. In Chhattisgarh and Madhya Pradesh, the proportion of rural ST households that depend on begging, picking up trash, and charitable giving is 0.41% and 0.43%, respectively. Therefore, in both these states agriculture and manual casual labour are the major sources, where rural ST households of Chhattisgarh are more dependent on agriculture as compared to Madhya Pradesh for their income.

In both these states, the levels of income are almost at similar levels, especially considering the record of earning members' income range. In both Chhattisgarh and Madhya Pradesh, 93% of ST households reported that their household's highest-earning member earns less than Rs 5,000 per month. In Madhya Pradesh, 5% of ST households reported a monthly income of Rs 5,000–10,000 from the highest-earning member of their family, compared to 4% in Chhattisgarh. Moreover, only 2% of rural ST households in Chhattisgarh and Madhya Pradesh reported that the highest-earning member of their households had a monthly income of more than Rs 10,000. Even the footprint of rural ST households in the job market is quite low in both states, however, the percentage of rural ST households with a member in salaried jobs is higher in Chhattisgarh at 4.61%, while the corresponding percentage for

Madhya Pradesh is 3.08%. Furthermore, the proportion of rural ST households with a member working for the government is higher in Chhattisgarh at 4.19% as compared to 2.35% in Madhya Pradesh. Moreover, Chhattisgarh has the lowest percentage of rural ST households with a member working in the public sector (0.19%), while Madhya Pradesh has a slightly higher level (0.27%). Again, at 0.23%, Chhattisgarh has the lowest percentage of rural ST households with a member working in the private sector; by comparison, Madhya Pradesh has a percentage of 0.46%, which is double that of Chhattisgarh. The trajectory of rural ST households participating in the labour force in both Madhya Pradesh and Chhattisgarh shows that there is less dependence on jobs that provide a guaranteed monthly income.

In Chhattisgarh, the percentage of rural ST households categorized as deprived is 82%, while this percentage is 76% for Madhya Pradesh. The deprivation can also be seen in housing conditions, where the percentage of rural ST households in Chhattisgarh lacking adequate housing is 27%. The percentage of ST rural households in Madhya Pradesh who lack adequate housing conditions is 32%, higher than in Chhattisgarh. Chhattisgarh also fares better in households having literate adults. The percentage of rural ST households in Chhattisgarh with no literate above 25 years of age is 41%. Madhya Pradesh, as compared to Chhattisgarh, has a higher proportion of rural ST households with no literate above 25 years of age, which is about 50%. The percentage of landlessness among the rural ST households in Chhattisgarh that rely on manual casual labour is 28.47%. Madhya Pradesh, on the other hand, has a substantially higher rate of landlessness among rural ST households that rely on casual manual employment, at 48.78%. At 4.56%, Chhattisgarh has the lowest proportion of ST rural families with irrigated land. In terms of the percentage of rural ST households with irrigated land, Madhya Pradesh performs substantially better at 15%. Additionally, only 2.13% of ST households in Chhattisgarh have irrigation equipment. The situation is a little better in Madhya Pradesh, where 6.82% of ST households have irrigation equipment.



9. CONCLUSION

The SECC 2011 data show low levels of ownership and access to resources (land and water), access to investment and capital, and access to government schemes and irrigation systems, which are clear indications of the vicious cycle of poverty that affects a significant portion of the ST population. This also has implications on equity outcomes such as low adult literacy rates, predominant reliance on manual casual labour (ad hoc and unassured) as a source of income and lack of basic amenities. The data reflects that rural ST households in Chhattisgarh still live in areas with abundant forest resources as compared to Madhya Pradesh, which also gets reflected in the sources of income. The dependence of the ST population on agriculture followed by forest resources is higher in Chhattisgarh as compared to Madhya Pradesh. However, as a region, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh along with the Eastern ST regions of India have a high dependence on

agriculture followed by manual casual labour. In both Chhattisgarh and Madhya Pradesh, the access to credit, irrigation, schemes, etc. is lower among the ST population as compared to the non-ST population but disaggregated data with other communities, like scheduled caste (SC) has not been compared so confirming that ST is in the most vulnerable situation would be difficult. Moreover, there is a regional variation within both these states as well with not much difference between ST and non-ST households sharing the same habitation or area. The national level gaps between ST and non-ST households do not get reflected at a district or sub-district level. It calls for understanding the regional disparity and how it shapes the life and livelihoods of ST and non-ST households including other vulnerable communities for a better comparison.





Table 2: Development profile of rural ST Households in Madhya Pradesh and Chhattisgarh

Indicators	Madhya Pradesh (Values in percentage)	Chhattisgarh (Values in percentage)
ST households in total rural household	25.3	36.8
ST households with monthly income of highest earning household member < 5000	92.7	93.3
ST households with monthly income of highest earning household member 5000 – 10000	5.4	4.2
ST households with monthly income of highest earning household member > 10000	1.9	2.4
ST households with agriculture as the only source of income	31.9	52.0
ST households with manual casual labour as income source	63.6	42.6
ST households with part-time or full-time domestic service as source of income	1.0	1.2
ST households with foraging or rag picking as source of income	0.1	0.1
ST households with non-agricultural Own Account Enterprise as income source	0.1	0.1
ST households with Begging/Charity/ Alms collection as source of income	0.3	0.3
ST households with other income source	2.9	3.6
ST households with salaried jobs in Govt	2.3	4.2
ST households with salaried jobs in private sector	0.5	0.2
ST households owning motorized two/three/four wheelers/fishing boats	6.8	6.6
ST households owning mechanized three/four-wheeler agricultural equipment	1.0	0.6
ST households having kisan credit card with the credit limit of Rs.50,000 and above	1.9	1.3
ST households with any member as government & Public sec. employee	2.6	4.4
ST households with non-agricultural enterprises registered with government	0.5	0.6
ST households with any member earning more than Rs. 10,000 p.m	1.9	2.4
ST households with three or more rooms with pucca walls and pucca roof	2.0	2.3
ST households owning refrigerator	1.7	1.9
ST households owning 2.5 acres or more irrigated land with at least one irrigation equipment	0.4	0.3
ST household owning 5 acres or more land irrigated for two or more crop seasons	0.2	0.2
ST households owning 7.5 acres or more land with at least one irrigation equipment	0.2	0.3
ST households only one room with kucha walls and kucha roof	32	27



ST households with no adult member between age 16 to 59	4.7	5.6
ST female-headed households with no adult male member between age 16 to 59	4.5	6.6
Deprived ST households with deprivation criteria: a disabled member or no able bodied adult member	0.6	0.7
ST households with no literate adult above 25 years	49.9	40.7
ST landless households deriving major part of their income from manual casual labour	40.2	25.3
Household with land	45.3	53.3
Unirrigated land	42.7	68.7
Land with assured two-season irrigation	39.1	12.6
Other irrigated land	18.2	18.7
Landowning households who also own mechanized three/four wheeler agricultural equipment	4.16	1.17
Landowning households owning irrigation equipment (including diesel/kerosene/electric pumpset, sprinkler/drip irrigation system, etc.)	15.2	3.6
Households with Kisan Credit Card with credit limit of Rs 50,000 or above	6.7	2.2
ST households considered as deprived	76	82
Deprived ST Households with criteria 1	2.07	7.98
Deprived ST Households with criteria 2	6.04	11.43
Deprived ST Households with criteria 3	6.72	6.8
Deprived ST Households with criteria 4	3.54	2.95
Deprived ST Households with criteria 5	0.58	0.9
Deprived ST Households with criteria 6	0.16	0.28
Deprived ST Households with criteria 7	0.01	0.02





ANNEXURE **D**

VILLAGE LEVEL DATA

MADHYA PRADESH

Table 3: Village access and communication, Madhya Pradesh

Indicator	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Average Distance distance from block headquarters (km)	25.0	22.0	26.0
Percentage of village having all-weather road to block headquarters	78.0	79.0	80.0
Percentage of villages with pucca connecting road at the time of survey	79.0	68.0	80.0
Percentage of villages connected to block headquarters via public transport	42.0	63.0	80.0
Percentage of villages with all-weather intra-village road	53.0	79.0	80.0
Percentage of villages with motorable intra-village road	67.0	74.0	90.0
Percentage of villages with electricity connection in all hamlets	80.0	95.0	100.0
Percentage of villages with mobile network availability	66.0	84.0	90.0
Total number of villages	118	19	10



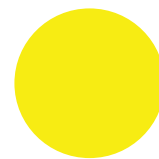


Table 4: Village school and college access, Madhya Pradesh

Indicator	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of villages with primary school	97.0	100.0	100.0
Average distance of the nearest primary school (km) when it is not in village	4.0		
Percentage of villages with secondary school	11.0	16.0	30.0
Average distance of the nearest secondary school (km) when it is not in village	7.0	6.0	10.0
Percentage of villages with higher secondary school	9.0	26.0	0.0
Average distance of the nearest higher secondary school (km) when it is not in village	9.0	6.0	16.0
Percentage of villages with a college	1.0	0.0	0.0
Average distance of the nearest college (km) when it is not in village	23.0	17.0	21.0
Total number of villages	118	19	10





Table 5: Villages in close proximity of mines, Madhya Pradesh

Indicator	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of villages with mines nearby	4.0	11.0	30.0
Percentage of villages with contaminated water bodies due to the presence of mines	0.0	50.0	33.0
Total number of villages	118	19	10

Table 6: Village toilet-use and sanitation, Madhya Pradesh

Indicator	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of villages with growing trend in toilet use	52.0	63.0	10.0
Percentage of villages with drainage system	41.0	53.0	0.0
Percentage of villages with closed drainage system	96.0	70.0	-
Total number of villages	118	19	10



Table 7: Village with water source, Madhya Pradesh

Indicator	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of villages with tank/pond/reservoir	19.0	16.0	40.0
Villages with public drinking water sources	97.0	95.0	100.0
Villages with private drinking water sources	25.0	63.0	10.0
Total number of villages	118	19	10

Table 8: Village proximity to forest and CFR access, Madhya Pradesh

Indicator	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of villages with forest nearby	83.0	68.0	100.0
Average distance of forest from village when not nearby	1.4	3.2	1.9
Percentage of villages that have applied for CFR	11.0	0.0	30.0
Percentage of villages that have received CFR	3.0	0.0	10.0
Total number of villages	118	19	10

Table 9: Village household welfare outreach, Madhya Pradesh

Indicator	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of villages with ICDS/Anganwadi centre	98.0	95.0	100.0
Percentage of villages that receive routine child vaccination at ICDS/Anganwadi	97.0	95.0	100.0
Percentage of villages with ASHA didi	97.0	95.0	100.0
Percentage of villages where ASHA didi has essential medicine kit	92.0	95.0	90.0
Percentage of villages that received medicine from ASHA didi	98.0	100.0	100.0
Average village distance from PHC – km	7.5	5.5	8.7
Average village distance from CHC – km	16.9	13.8	18.0
Average distance from nearest pharmacy shop – km	10.0	4.9	11.6
Percentage of village households associated with NGO	36.0	42.0	80.0
Percentage of villages with PDS shop	51.0	63.0	50.0
Percentage of villages with functional THR programme	29.0	53.0	80.0
Percentage of villages with functional mid-day meal scheme	75.0	84.0	100.0
Total number of villages	118	19	10



Table 10: Crop damage due to animal attack, Madhya Pradesh

Indicator	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of villages that reported incidence of crop damage due to animal attack in last 12 months	47.0	42.0	40.0
Percentage of villages that encountered animal attack in the past 12 months	57.0	75.0	75.0
Total number of villages	118	19	10



C H H A T T I S G A R H

Table 9: Village household welfare outreach, Madhya Pradesh

Indicator	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Average distance from block headquarters (km)	20.0	14.0	32.0
Percentage of village having all-weather road to block headquarters	80.0	100.0	82.0
Percentage of villages with pucca connecting road at the time of survey	78.0	88.0	64.0
Percentage of villages connected to block headquarters via public transport	30.0	40.0	9.0
Percentage of villages with all-weather intra-village road	62.0	84.0	55.0
Percentage of villages with motorable intra-village road	66.0	80.0	55.0
Percentage of villages with electricity connection in all hamlets	87.0	96.0	91.0
Percentage of villages with mobile network availability	72.0	100.0	64.0
Total number of villages	116	25	11

Table 12: Village school and college access, Chhattisgarh

Indicator	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of villages with primary school	98.0	100.0	100.0
Average distance of the nearest primary school (km) when it is not in village	4.0		
Percentage of villages with secondary school	21.0	24.0	27.0
Average distance of the nearest secondary school (km) when it is not in village	6.0	4.0	8.0
Percentage of villages with higher secondary school	13.0	20.0	36.0
Average distance of the nearest higher secondary school (km) when it is not in village	9.0	4.0	7.0
Percentage of villages with a college	1.0	12.0	0.0
Average distance of the nearest college (km) when it is not in village	19.0	14.0	15.0
Total number of villages	116	25	11



Table 13: Villages in close proximity of mines, Chhattisgarh

Indicator	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of villages with mines nearby	5.0	4.0	0.0
Percentage of villages with contaminated water bodies due to the presence of mines	33.0	100.0	
Total number of villages	116	25	11

Table 14: Village toilet-use and sanitation, Chhattisgarh

Indicator	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of villages with growing trend in toilet use—	53.0	68.0	27.0
Percentage of villages with drainage system	20.0	16.0	9.0
Percentage of villages with closed drainage system	100.0	100.0	100.0
Total number of villages	116	25	11

Table 15: Village with water source, Chhattisgarh

Indicator	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of villages with tank/pond/reservoir	41.0	40.0	27.0
Villages with public drinking water sources	99.0	92.0	100.0
Villages with private drinking water sources	22.0	48.0	9.0
Total number of villages	116	25	11

Table 16: Village proximity to forest and CFR access, Chhattisgarh

Indicator	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of villages with forest nearby	93.0	80.0	100.0
Average distance of forest from village when not nearby	1.4	2.9	0.6
Percentage of villages that have applied for CFR	29.0	0.0	18.0
Percentage of villages that have received CFR	22.0	0.0	9.0
Total number of villages	116	25	11

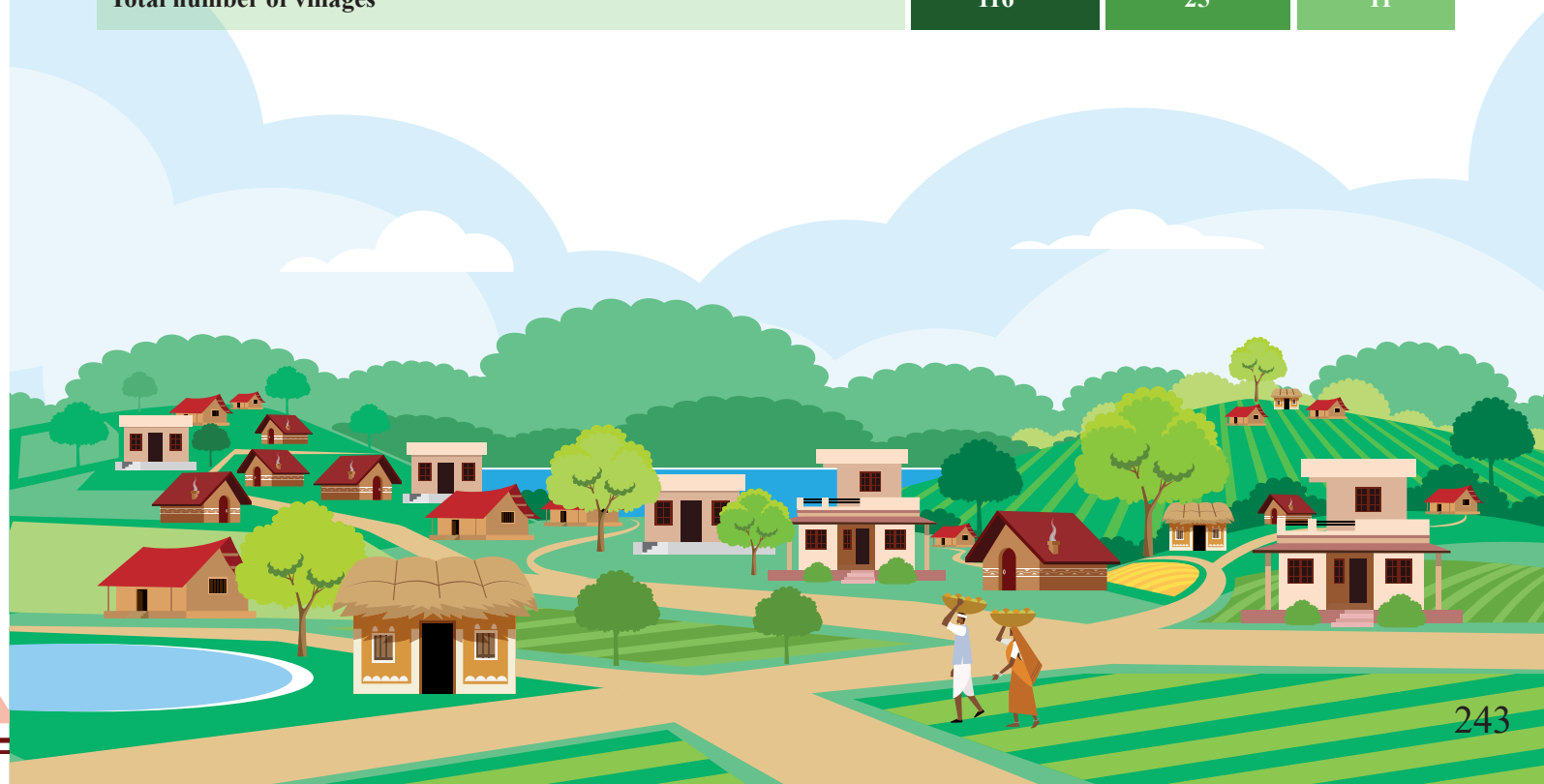


Table 17: Village household welfare outreach, Chhattisgarh

Indicator	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of villages with ICDS/Anganwadi centre	100.0	100.0	100.0
Percentage of villages that receive routine child vaccination at ICDS/Anganwadi -	100.0	100.0	100.0
Percentage of villages with ASHA didi	99.0	100.0	100.0
Percentage of villages where ASHA didi has essential medicine kit	100.0	100.0	91.0
Percentage of villages that received medicine from ASHA didi	100.0	100.0	100.0
Average village distance from PHC – km	6.8	15.6	5.8
Average village distance from CHC – km	14.9	20.8	17.7
Average distance from nearest pharmacy shop – km	12.7	6.6	10.6
Percentage of village households associated with NGO	59.0	56.0	45.0
Percentage of villages with PDS shop	63.0	88.0	36.0
Percentage of villages with functional THR programme	18.0	24.0	18.0
Percentage of villages with functional mid-day meal scheme	97.0	100.0	100.0
Total number of villages	116	25	11

Table 18: Crop damage due to animal attack, Chhattisgarh

Indicator	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of villages that reported incidence of crop damage due to animal attack in last 12 months	45.0	40.0	73.0
Percentage of villages that encountered animal attack in the past 12 months	57.0	62.0	150.0
Total number of villages	116	25	11





ANNEXURE E

SURVEY FINDINGS BASED ON LAND SIZE

Table 19: Definitions of landholding classification

Landless	No owned land
Marginal	Owned land up to 2.47 acres
Small	Owned land more than 2.47 acres and up to 4.94 acres
Small-medium	Owned land more than 4.94 acres and up to 9.88 acres
Medium	Owned land more than 9.88 acres and up to 24.70 acres
Large	Owned land more than 24.7 acres

Table 20.1: Household land ownership, Madhya Pradesh

Land size	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
Landless	36.1	42.7	36.3
Marginal	38.3	32.4	36.3
Small	12.9	12.7	12.4
Small-medium	11.4	9.1	10.9
Medium	0.9	1.9	3.5
Large	0.4	1.1	0.5
Households surveyed	2,405	361	201



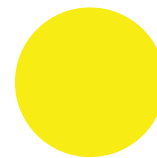


Table 20.2: Household land ownership, Chhattisgarh

Land size	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
Landless	15.2	32.1	48.4
Marginal	51.8	48.3	34.4
Small	18.8	12.7	8.3
Small-medium	12.4	6.5	6.8
Medium	1.3	0.4	2.1
Large	0.5	0.0	0.0
Households surveyed	2,340	520	192





Table 21.1: Land Ownership among female headed household, Madhya Pradesh

Land size class	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
Landless	40.6	42.4	25.8
Marginal	39.5	34.8	54.5
Small	10.8	10.6	7.6
Small-medium	8.1	4.5	10.6
Medium	0.5	1.5	1.5
Large	0.5	6.1	0.0
Female headed households	397	66	66

Table 21.2: Land Ownership among female headed household, Chhattisgarh

Land size class	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
Landless	23.0	49.6	57.8
Marginal	53.3	40.9	24.4
Small	13.5	8.7	11.1
Small-medium	9.0	0.9	4.4
Medium	0.7	0.0	2.2
Large	0.5	0.0	0.0
Female headed households	443	115	45

Table 22.1: Average Landholding, Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Average landholding for female headed households	2.7	32.8	2.4
Average landholding for female headed households	4.2	3.2	4.0
Total	3.9	8.6	3.4
Total HH with owned land	1,537	207	128

Table 22.2: Average Landholding, Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Average landholding for female headed households	3.5	1.5	3.5
Average landholding for female headed households	3.1	2.1	2.2
Total	3.2	2.0	2.5
Total HH with owned land	1,984	353	99







Table 23.1: Association between irrigation and farm income, Madhya Pradesh

	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of households with irrigation	17.5	28.0	30.2
Percentage of households with non-irrigation	82.5	72.0	69.8
Average income for those with irrigation (Rs)	71,473	1,11,048	63,459
Average income for those with non-irrigation (Rs)	45,068	57,968	25,881
No of households with owned land	1,547	207	129

Table 23.2: Association between irrigation and farm income, Chhattisgarh

	Adivasis	Non-Adivasi	PVTG
Percentage of households with irrigation	12.4	17.2	2.0
Percentage of households with non-irrigation	87.6	82.8	98.0
Average income for those with irrigation (Rs)	57,724	60,783	66,937
Average income for those with non-irrigation (Rs)	29,173	31,944	26,744
No of households with owned land	2,004	360	99

Table 24.1: Irrigation access across land holding classes, Madhya Pradesh

	Adivasi%	Non-Adivasi%	PVTG%
Marginal	17.4	23.9	30.1
Small	18.3	21.7	32.0
Small-medium	16.1	39.4	27.3
Medium	28.6	71.4	42.9
Large	30.0	50.0	0.0



Table 24.2: Irrigation access across land holding classes, Chhattisgarh

	Adivasi%	Non-Adivasi%	PVTG%
Marginal	11.0	12.0	1.5
Small	15.5	31.8	0.0
Small-medium	14.1	26.5	7.7
Medium	19.4	50.0	0.0
Large	8.3	#N/A	#N/A

Table 25.1: Association between landholding and farm income, Madhya Pradesh

	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
Landless	61,298	54,565	44,037
Marginal	55,543	55,568	66,690
Small	78,193	1,26,315	1,09,339
Semi-medium and above	1,56,680	2,01,247	99,915

Table 25.2: Association between landholding and farm income, Chhattisgarh

	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
Landless	43,127	43,723	22,014
Marginal	46,189	44,883	34,942
Small	63,228	83,611	66,863
Semi-medium and above	78,816	1,09,988	1,66,765





Table 26.1: Relationship between landholding and farm income as a percentage of total income, Madhya Pradesh

Landholding	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
Landless	-130.0	50.0	22.0
Marginal	39.0	44.0	27.0
Small	69.0	72.0	-107.0
Semi-medium and above	89.0	122.0	69.0

Table 26.2: Relationship between landholding and farm income as a percentage of total income, Chhattisgarh

Landholding	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
Landless	49.0	38.0	12.0
Marginal	54.0	55.0	40.0
Small	69.0	77.0	68.0
Semi-medium and above	70.0	74.0	61.0

Table 27.1: Association between landholding and farm income (values in INR), Madhya Pradesh

Landholding	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
Landless	25,862	18,377	14,382
Marginal	21,096	21,890	15,142
Small	45,079	95,198	58,183
Semi-medium and above	1,40,152	1,84,151	73,511

Table 27.2: Association between landholding and farm income (values in INR), Chhattisgarh

Landholding	Adivasi	Non-Adivasi	PVTG
Landless	19,602	18,065	3,340
Marginal	22,400	25,667	13,641
Small	43,244	60,469	45,733
Semi-medium and above	56,813	76,275	62,930



Table 28.1: Association between Adivasi household landholding and HH income percentiles, Madhya Pradesh

Income Group (Percentile)	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
0-20	23.6	20.8	13.2	7.9
20-40	13.9	26.0	19.9	8.9
40-60	16.9	23.1	20.3	13.8
60-80	21.4	19.0	20.9	14.1
80-100	12.6	10.4	25.1	55.3

Table 28.2: Association between Adivasi household landholding and HH income percentiles, Chhattisgarh

Income Group (Percentile)	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
0-20	27.0	19.3	12.3	13.2
20-40	20.8	23.8	14.1	10.8
40-60	19.9	22.7	18.2	12.6
60-80	17.4	19.4	27.1	20.1
80-100	12.1	13.8	26.9	42.9

Table 29.1: Association between non-Adivasi household landholding and HH income percentiles, Madhya Pradesh

Income Group (Percentile)	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
0-20	22.7	17.1	8.7	9.1
20-40	15.6	28.2	13.0	6.8
40-60	15.6	29.1	10.9	9.1
60-80	16.9	17.1	15.2	11.4
80-100	12.3	8.5	52.2	63.6



Table 29.2: Association between non-Adivasi household landholding and HH income percentiles, Chhattisgarh

Income Group (Percentile)	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
0-20	27.5	21.9	3.0	16.7
20-40	17.4	21.1	12.1	2.8
40-60	18.6	18.3	19.7	5.6
60-80	17.4	20.3	19.7	19.4
80-100	17.4	20.3	19.7	19.4

Table 30.1: Association of Adivasi household landholding with per-capita income percentiles, Madhya Pradesh

Income Group (Percentile)	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
0-20	16.9	24.8	16.7	10.5
20-40	16.8	25.3	21.5	9.9
40-60	13.9	23.4	24.1	17.1
60-80	20.4	18.1	18.3	14.5
80-100	20.4	7.7	18.3	48
Number of households in landsize group	868	922	311	304
Households_not_reporting_pci	100	6	3	0



Table 30.2: Association of Adivasi household landholding with per-capita income percentiles, Chhattisgarh

Income Group (Percentile)	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
0-20	22.5	20.4	14.6	16.2
20-40	21.1	21.5	18.7	15.0
40-60	19.1	23.0	18.9	16.2
60-80	19.7	18.9	22.6	18.3
80-100	14.9	15.2	23.9	33.9
Number of households in landsize group	356	1,212	439	333
Households_not_reporting_pci	10	12	6	1

Table 31.1: Association of non-Adivasi household landholding with per-capita income percentiles, Madhya Pradesh

Income Group (Percentile)	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
0-20	24.7	16.2	4.3	9.1
20-40	10.4	21.4	10.9	6.8
40-60	8.4	30.8	23.9	6.8
60-80	24.0	21.4	13.0	25.0
80-100	15.6	10.3	47.8	52.3
Number of households in landsize group	154	117	46	44
Households_not_reporting_pci	26	0	0	0



Table 31.2: Association of non-Adivasi household landholding with per-capita income percentiles, Chhattisgarh

Income Group (Percentile)	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
0-20	21.0	23.9	9.1	19.4
20-40	15.6	17.9	9.1	8.3
40-60	16.8	20.7	13.6	0.0
60-80	22.2	19.5	27.3	16.7
80-100	18.6	15.9	34.8	50.0
Number of households in landsize group	167	251	66	36
Households_not_reporting_pci	10	5	4	2





Table 31.3: Association of PVTG household landholding with per-capita income percentiles, Madhya Pradesh

Income Group (Percentile)	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
0-20	37.0	15.1	16.0	3.3
20-40	24.7	21.9	16.0	10.0
40-60	15.1	21.9	12.0	33.3
60-80	15.1	23.3	24.0	26.7
80-100	8.2	17.8	32.0	26.7
Number of households in landsize group	73	73	25	30
Households_not_reporting_pci	0	0	0	0

Table 31.4: Association of PVTG household landholding with per-capita income percentiles, Chhattisgarh

Income Group (Percentile)	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
0-20	25.8	33.3	6.2	5.9
20-40	31.2	30.3	6.2	11.8
40-60	20.4	6.1	18.8	5.9
60-80	12.9	19.7	18.8	17.6
80-100	9.7	10.6	50	58.8
Number of households in landsize group	93	66	16	17
Households_not_reporting_pci	0	0	0	0



Table 32.1 : Gender segregated income percentiles for Adivasis, Madhya Pradesh

Income Group (Percentile)	Female Headed Household (in %)	Male Headed Household (in %)
0-20	20.7	20.2
20-40	22.0	19.0
40-60	18.7	20.3
60-80	18.4	20.8
80-100	20.2	19.7

Table 32.2: Gender segregated income percentiles for Adivasis, Chhattisgarh

Income Group (Percentile)	Female Headed Household (in %)	Male Headed Household (in %)
0-20	23.2	16.6
20-40	19.4	20.1
40-60	21.2	20.3
60-80	18.5	21.8
80-100	17.8	21.3





Table 33.1: Gender segregated income groups among non-Adivasis, Madhya Pradesh

Income Group (Percentile)	Female Headed Household (in %)	Male Headed Household (in %)
0-20	21.3	16.8
20-40	26.2	17.6
40-60	23.0	20.2
60-80	9.8	19.5
80-100	19.7	26.0

Table 33.2: Gender segregated income groups among non-Adivasis, Chhattisgarh

Income Group (Percentile)	Female Headed Household (in %)	Male Headed Household (in %)
0-20	26.6	20.4
20-40	20.2	17.8
40-60	15.6	19.3
60-80	19.3	20.1
80-100	18.3	22.4

Table 33.3: Gender segregated income groups among PVTG, Madhya Pradesh

Income Group (Percentile)	Female Headed Household (in %)	Male Headed Household (in %)
0-20	12.1	25.4
20-40	25.8	24.6
40-60	18.2	16.4
60-80	21.2	18.7
80-100	22.7	14.9



Table 33.4: Gender segregated income groups among PVTG, Chhattisgarh

Income Group (Percentile)	Female Headed Household (in %)	Male Headed Household (in %)
0-20	35.6	32.7
20-40	33.3	22.4
40-60	11.1	23.8
60-80	6.7	9.5
80-100	13.3	11.6

Table 34.1 : Adivasi HH Head wise Income group, Madhya Pradesh

Income Group (Percentile)	Female Headed Household (in %)	Male Headed Household (in %)
0-20	14.2	21.4
20-40	21.0	20.7
40-60	21.0	19.9
60-80	22.8	18.4
80-100	21.0	19.7

Table 34.2: Adivasi HH Head wise Income group, Chhattisgarh

Income Group (Percentile)	Female Headed Household (in %)	Male Headed Household (in %)
0-20	17.5	19.1
20-40	23.7	19.2
40-60	18.0	22.0
60-80	19.6	20.1
80-100	21.2	19.6



Table 35.1: Non-Adivasi HH Head wise Income group, Madhya Pradesh

Income Group (Percentile)	Female Headed Household (in %)	Male Headed Household (in %)
0-20	19.7	17.2
20-40	24.6	12.6
40-60	11.5	20.2
60-80	29.5	22.9
80-100	14.8	27.1

Table 35.2: Non-Adivasi HH Head wise Income group, Chhattisgarh

Income Group (Percentile)	Female Headed Household (in %)	Male Headed Household (in %)
0-20	17.4	22.7
20-40	16.5	16.0
40-60	16.5	18.3
60-80	27.5	20.4
80-100	22.0	22.7

Table 35.3: PVTG HH Head wise Income group, Madhya Pradesh

Income Group (Percentile)	Female Headed Household (in %)	Male Headed Household (in %)
0-20	13.6	25.4
20-40	16.7	22.4
40-60	19.7	19.4
60-80	24.2	19.4
80-100	25.8	13.4



Table 35.4: PVTG HH Head wise Income group, Chhattisgarh

Income Group (Percentile)	Female Headed Household (in %)	Male Headed Household (in %)
0-20	24.4	25.2
20-40	24.4	27.9
40-60	22.2	11.6
60-80	6.7	19.0
80-100	22.2	16.3

**Table 36.1: Association between Adivasi HH landholding and literacy score (Individual literacy indicator is scored out of 10, total scored out of 30), Madhya Pradesh**

Land size class	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
Landless	2.0	2.6	1.4	6.0	2.8	3.8	2.1	8.7
Marginal	1.7	2.0	1.5	5.2	2.8	3.5	2.4	8.7
Small	2.0	2.4	1.9	6.3	3.2	3.9	2.4	9.5
Semi-Medium and above	2.9	3.1	2.3	8.3	3.3	3.7	2.5	9.5

Table 36.2: Association between Adivasi HH landholding and literacy score (Individual literacy indicator is scored out of 10, total scored out of 30), Chhattisgarh

Land size class	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
Landless	2.4	2.6	1.8	6.9	4.6	4.8	3.5	12.9
Marginal	2.7	3.2	2.3	8.3	4.1	4.6	3.5	12.2
Small	2.9	3.2	2.5	8.5	4	4.5	3.2	11.8
Semi-Medium and above	2.6	2.7	2.2	7.6	4	4.3	3.1	11.4



Table 37.1: Association between Non-Adivasi HH landholding and literacy score
(Individual literacy indicator is scored out of 10, total scored out of 30), Madhya Pradesh

Land size class	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
Landless	3.2	5.0	3.0	11.2	4.7	7.4	4.5	16.7
Marginal	1.8	2.8	2.2	6.8	3.9	5.2	3.4	12.5
Small	4.1	5.6	2.5	12.2	5.6	6.3	4.1	16.0
Semi-Medium and above	4.1	4.5	3.5	12.2	6.4	7.5	4.4	18.3

Table 37.2: Association between Non-Adivasi HH landholding and literacy score
(Individual literacy indicator is scored out of 10, total scored out of 30), Chhattisgarh

Land size class	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
Landless	3.6	3.8	3.0	10.3	5.3	5.9	4.7	15.9
Marginal	3.2	3.4	2.7	9.3	4.5	4.7	3.8	13.1
Small	4.7	4.7	3.4	12.7	7.0	7.3	6.2	20.5
Semi-Medium and above	4.7	5.0	4.5	14.2	5.7	6.1	4.2	15.9

Table 37.3: Association between PVTG HH landholding and literacy score
(Individual literacy indicator is scored out of 10, total scored out of 30), Madhya Pradesh

Land size class	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
Landless	0.6	0.7	1.0	2.4	1.2	2.3	2.3	5.9
Marginal	1.2	1.3	1.1	3.6	1.9	3.0	1.9	6.9
Small	1.8	1.9	2.5	6.3	1.3	2.0	2.1	5.4
Semi-Medium and above	1.3	1.2	1.6	4.2	1.4	2.8	2.5	6.7

Table 37.4: Association between PVTG HH landholding and literacy score
(Individual literacy indicator is scored out of 10, total scored out of 30), Chhattisgarh

Land size class	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
Landless	0.3	0.3	0.4	1.0	1.6	1.4	0.5	3.5
Marginal	0.9	1.0	0.8	2.6	2.2	1.8	1.4	5.3
Small	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.3	1.1	7.4
Semi-Medium and above	0.9	1.0	1.0	3.0	4.5	4.3	3.7	12.5







Table 38.1: Association between Adivasi HH landholding and food security, Madhya Pradesh

Land size class	Food Secure insecure(In %)	Mildly Food insecure(In %)	Moderately Food insecure(In %)	Severely food insecure(In %)
Landless	25.5	17.2	24.3	33.0
Marginal	23.5	17.6	24.1	34.7
Small	29.5	24.0	24.0	22.4
Semi-Medium and above	34.1	18.3	20.1	27.4

Table 38.2: Association between Adivasi HH landholding and food security, Chhattisgarh

Land size class	Food Secure insecure(In %)	Mildly Food insecure(In %)	Moderately Food insecure(In %)	Severely food insecure(In %)
Landless	39.1	8.3	6.8	45.8
Marginal	47.5	15.5	9.2	27.8
Small	54.0	18.8	7.4	19.9
Semi-Medium and above	65.3	18.4	5.8	10.5

Table 39.1: Association between non-Adivasi HH landholding and food security, Madhya Pradesh

Land size class	Food Secure insecure(In %)	Mildly Food insecure(In %)	Moderately Food insecure(In %)	Severely food insecure(In %)
Landless	32.8	16.4	13.3	37.5
Marginal	35.2	13.3	25.7	25.7
Small	67.5	7.5	10.0	15.0
Semi-Medium and above	75.8	18.2	3.0	3.0

Table 39.2: Association between non-Adivasi HH landholding and food security, Chhattisgarh

Land size class	Food Secure insecure(In %)	Mildly Food insecure(In %)	Moderately Food insecure(In %)	Severely food insecure(In %)
Landless	37.3	12.0	8.0	42.7
Marginal	47.7	18.8	7.3	26.1
Small	58.5	24.5	3.8	13.2
Semi-Medium and above	63.0	18.5	14.8	3.7

Table 39.3: Association between PVTG HH landholding and food security, Madhya Pradesh

Land size class	Food Secure insecure(In %)	Mildly Food insecure(In %)	Moderately Food insecure(In %)	Severely food insecure(In %)
Landless	15.9	1.4	7.2	75.4
Marginal	25.4	11.9	10.2	52.5
Small	50.0	9.1	4.5	36.4
Semi-Medium and above	30.8	0.0	7.7	61.5



Table 39.4: Association between PVTG HH landholding and food security, Chhattisgarh

Land size class	Food Secure insecure(In %)	Mildly Food insecure(In %)	Moderately Food insecure(In %)	Severely food insecure(In %)
Landless	36.3	4.4	3.3	56.0
Marginal	48.4	4.7	9.4	37.5
Small	86.7	6.7	6.7	0.0
Semi-Medium and above	100.0	0.0	0.0	0.0

Table 40.1: Association of Adivasi HH diet quality and landholding, Madhya Pradesh

Land size class	Poor	Borderline	Acceptable	N
Landless	5.3	34.8	60.0	587
Marginal	3.4	39.9	56.7	789
Small	4.5	38.0	57.4	242
Semi-Medium and above	3.8	37.2	59.0	156

Table 40.2: Association of Adivasi HH diet quality and landholding, Chhattisgarh

Land size class	Poor	Borderline	Acceptable	N
Landless	4.1	66.2	29.6	314
Marginal	1.7	64.7	33.6	1,043
Small	0.9	56.3	42.8	332
Semi-Medium and above	1.9	52.8	45.3	267

Table 41.1: Association of non-Adivasi HH diet quality and landholding, Madhya Pradesh

Land size class	Poor	Borderline	Acceptable	N
Landless	4.2	27.1	68.6	118
Marginal	1.0	33.0	66.0	100
Small	5.0	17.5	77.5	40
Semi-Medium and above	0.0	15.2	84.8	33

Table 41.2: Association of non-Adivasi HH diet quality and landholding, Chhattisgarh

Land size class	Poor	Borderline	Acceptable	N
Landless	2.7	58.5	38.8	147
Marginal	2.3	57.2	40.5	215
Small	0.0	37.3	62.7	51
Semi-Medium and above	0.0	39.3	60.7	28



Table 41.3: Association of PVTG HH diet quality and landholding, Madhya Pradesh

Land size class	Poor	Borderline	Acceptable	N
Landless	0.0	36.2	63.8	69
Marginal	1.7	36.7	61.7	60
Small	0.0	36.4	63.6	22
Semi-Medium and above	3.8	30.8	65.4	26

Table 41.4: Association of PVTG HH diet quality and landholding, Chhattisgarh

Land size class	Poor	Borderline	Acceptable	N
Landless	25.8	67.4	6.7	89
Marginal	16.9	63.1	20.0	65
Small	7.1	64.3	28.6	14
Semi-Medium and above	0.0	45.5	54.5	11



Table 42.1: Relationship between Adivasi HH land holding and education of the head of household, Madhya Pradesh

Education attainment	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
No school education	54.8	62.3	60.3	54.2
Less than primary	10.1	5.0	10.1	15.4
Primary	09.6	8.1	8.4	12.7
Less than matriculation and more than primary	14.7	16.7	14.1	12.7
Matriculation	6.0	4.7	4.7	3.0
More than matriculation and less than HSC	2.5	0.8	1.3	0.7
HSC	1.1	0.8	0.0	0.3
Attended college but did not complete	0.2	0.1	0.3	0.0
College graduate and incomplete post-graduation	0.7	0.9	0.7	1.0
Postgraduate	0.2	0.2	0.0	0.0
More than post-graduation	0.0	0.1	0.0	0.0
Professional diploma	0.0	0.2	0.0	0.0
No. of hhs in land size group	834	896	297	299





Table 42.2: Relationship between Adivasi HH land holding and education of the head of household, Chhattisgarh

Education attainment	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
No school education	42.8	47.1	52.4	59.0
Less than primary	6.2	7.4	7.2	4.7
Primary	14.7	10.7	10.2	12.5
Less than matriculation and more than primary	23.5	20.6	19.9	15.9
Matriculation	5.9	7.2	4.8	4.7
More than matriculation and less than HSC	2.0	2.8	0.9	1.0
HSC	2.8	3.0	2.3	1.0
Attended college but did not complete	0.6	0.3	0.0	0.0
College graduate and incomplete post-graduation	0.8	0.3	0.9	0.3
Postgraduate	0.3	0.2	0.2	0.3
More than post-graduation	0.0	0.0	0.5	0.0
Professional diploma	0.3	0.6	0.7	0.3
No. of hhs in land size group	353	1196	433	295

Table 43.1: Relationship between Non-Adivasi HH land holding and education of the head of household, Madhya Pradesh

Education attainment	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
No school education	29.7	41.8	19.6	22.7
Less than primary	2.1	4.5	15.2	4.5
Primary	17.9	14.5	21.7	27.3
Less than matriculation and more than primary	32.4	22.7	30.4	27.3
Matriculation	11.7	10.0	6.5	6.8
More than matriculation and less than HSC	3.4	1.8	4.3	4.5
HSC	0.0	0.9	0.0	2.3
Attended college but did not complete	1.4	0.9	0.0	0.0
College graduate and incomplete post-graduation	0.7	2.7	2.2	2.3
Postgraduate	0.0	0.0	0.0	0.0
More than post-graduation	0.7	0.0	0.0	2.3
Professional diploma	0.0	0.0	0.0	0.0
No. of hhs in land size group	145	110	46	44



Table 43.2: Relationship between Non-Adivasi HH land holding and education of the head of household, Chhattisgarh

Education attainment	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
No school education	40.4	42.0	28.8	19.4
Less than primary	7.8	9.6	10.6	13.9
Primary	10.8	13.6	10.6	11.1
Less than matriculation and more than primary	28.3	19.6	31.8	33.3
Matriculation	4.8	7.2	6.1	5.6
More than matriculation and less than HSC	4.2	2.4	0.0	5.6
HSC	1.2	2.4	7.6	2.8
Attended college but did not complete	0.0	0.4	0.0	0.0
College graduate and incomplete post-graduation	1.2	1.2	3.0	2.8
Postgraduate	0.6	0.4	1.5	2.8
More than post-graduation	0.0	0.8	0.0	0.0
Professional diploma	0.6	0.4	0.0	2.8
No. of hhs in land size group	166	250	66	36

Table 43.3: Relationship between PVTG HH land holding and education of the head of household, Madhya Pradesh

Education attainment	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
No school education	72.6	63.9	72.0	70.0
Less than primary	1.4	5.6	4.0	6.7
Primary	4.1	15.3	12.0	6.7
Less than matriculation and more than primary	16.4	11.1	12.0	13.3
Matriculation	2.7	4.2	0.0	3.3
More than matriculation and less than HSC	0.0	0.0	0.0	0.0
HSC	1.4	0.0	0.0	0.0
Attended college but did not complete	0.0	0.0	0.0	0.0
College graduate and incomplete post-graduation	1.4	0.0	0.0	0.0
Postgraduate	0.0	0.0	0.0	0.0
More than post-graduation	00.0	0.0	0.0	0.0
Professional diploma	0.0	0.0	0.0	0.0
No. of hhs in land size group	73	72	25	30



Table 43.4: Relationship between PVTG HH land holding and education of the head of household, Chhattisgarh

Education attainment	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
No school education	74.2	59.1	56.2	52.9
Less than primary	12.9	15.2	6.2	0.0
Primary	7.5	13.6	25.0	17.6
Less than matriculation and more than primary	4.3	10.6	12.5	17.6
Matriculation	0.0	1.5	0.0	5.9
More than matriculation and less than HSC	1.1	0.0	0.0	0.0
HSC	0.0	0.0	0.0	0.0
Attended college but did not complete	0.0	0.0	0.0	0.0
College graduate and incomplete post-graduation	0.0	0.0	0.0	5.9
Postgraduate	0.0	0.0	0.0	0.0
More than post-graduation	0.0	0.0	0.0	0.0
Professional diploma	0.0	0.0	0.0	0.0
No. of hhs in land size group	93	66	16	17

Table 44.1 Relationship between landholding and head circumference of children among Adivasis, Madhya Pradesh

Children with head circumference not between 3-97 percentiles	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
Female %	47.4	50.5	50.0	39.1
Total female children	76	103	38	23
Male %	45.5	51.3	52.4	33.3
Total male children	88	119	42	27

Table 44.2 Relationship between landholding and head circumference of children among Adivasis, Chhattisgarh

Children with head circumference not between 3-97 percentiles	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
Female %	54.5	60.7	61.5	37.8
Total female children	33	107	39	37
Male %	61.5	59.1	48.8	57.1
Total male children	39	115	43	42



Table 45.1 Relationship between landholding and head circumference of children among non-Adivasis, Madhya Pradesh

Children with head circumference not between 3-97 percentiles	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
Female %	61.5	33.3	33.3	100.0
Total female children	13	9	3	2
Male %	42.9	25.0	100.0	33.3
Total male children	14	12	1	3

Table 45.2 Relationship between landholding and head circumference of children among non-Adivasis, Chhattisgarh

Children with head circumference not between 3-97 percentiles	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
Female %	58.3	75.0	50.0	80.0
Total female children	12	20	6	5
Male %	45.5	65.2	50.0	75.0
Total male children	11	23	8	4

Table 45.3 Relationship between landholding and head circumference of children among PVTG, Madhya Pradesh

Children with head circumference not between 3-97 percentiles	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
Female %	29.4	36.4	25	12.5
Total female children	17	11	4	82
Male %	22.2	61.5	60.0	25.0
Total male children	18	13	5	8

Table 45.4 Relationship between landholding and head circumference of children among PVTG, Chhattisgarh

Children with head circumference not between 3-97 percentiles	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
Female %	50.0	100.0	0.0	50.0
Total female children	6	5	1	2
Male %	71.4	27.3	50.0	50.0
Total male children	7	11	2	4



Table 46.1: Adivasi HH landholding types and relative distance from forests, Madhya Pradesh

Forest Access	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
Average distance (Km)	4.8	2.7	2.5	5.8
Depend on forest for livelihood (%)	51.0	76.7	68.8	45.4
No. of Household	868	922	311	304

Table 46.2: Adivasi HH landholding types and relative distance from forests, Chhattisgarh

Forest Access	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
Average distance (Km)	1.9	1.9	1.7	2.3
Depend on forest for livelihood (%)	87.6	90.8	89.7	93.4
No. of Household	356	1212	439	333

Table 47.1: Non-Adivasi HH landholding types and relative distance from forests, Madhya Pradesh

Forest Access	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
Average distance (Km)	7.1	3.6	10.8	10.1
Depend on forest for livelihood (%)	30.5	64.1	26.1	20.5
No. of Household	154	117	46	44

Table 47.2: Non-Adivasi HH landholding types and relative distance from forests, Chhattisgarh

Forest Access	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
Average distance (Km)	5.0	4.5	4.5	5.7
Depend on forest for livelihood (%)	54.5	70.1	63.6	61.1
No. of Household	167	251	66	36



Table 47.3: PVTG HH landholding types and relative distance from forests, Madhya Pradesh

Forest Access	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
Average distance (Km)	2.7	1.2	0.9	1.3
Depend on forest for livelihood (%)	100.0	97.3	92.0	96.7
No. of Household	73	73	25	30

Table 47.4: PVTG HH landholding types and relative distance from forests, Chhattisgarh

Forest Access	Landless	Marginal	Small	Semi-Medium and above
Average distance (Km)	0.20	0.40	0.20	0.00
Depend on forest for livelihood (%)	97.80	98.50	100.00	100.00
No. of Household	93	66	16	17



ANNEXURE **F**

FOREST DISTANCE BASED RESULTS



Table 48.1: Adivasi Income group distribution for given forest distance, Madhya Pradesh

Forest distance	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 km	20.1	20.1	21.1	19.6	19.0
2-3 km	18.1	24.9	24.1	22.2	10.7
4-5 km	23.0	25.1	18.7	18.7	14.4
6 km or more	20.5	9.9	14.3	22.6	32.7

Table 48.2: Adivasi Income group distribution for given forest distance, Chhattisgarh

Forest distance	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 km	18.0	20.0	19.8	21.0	21.1
2-3 km	17.8	18.0	21.6	22.5	20.2
4-5 km	17.9	25.4	21.4	17.9	17.3
More than 5 km	26.5	20.5	17.9	17.2	17.9

Table 48.3: Non-Adivasi Income group distribution for given forest distance, Madhya Pradesh

Forest distance	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 km	32.6	20.7	17.4	14.1	15.2
2-3 km	10.7	21.4	27.4	28.6	11.9
4-5 km	10.9	12.5	29.7	10.9	35.9
6 km or more	17.9	22.1	9.5	14.7	35.8



Table 48.4: Non-Adivasi Income group distribution for given forest distance, Chhattisgarh

Forest distance	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 km	22.9	16.6	20.0	21.1	19.4
2-3 km	20.4	24.8	18.6	18.6	17.7
4-5 km	25.3	13.2	16.5	19.8	25.3
More than 5 km	19.2	18.3	17.5	20.0	25.0

Table 48.5: PVTG Income group distribution for given forest distance, Madhya Pradesh

Forest distance	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 km	17.2	30.3	20.0	16.6	15.9
2-3 km	34.0	12.8	10.6	27.7	14.9
4-5 km	20.0	0.0	20.0	0.0	60.0
6 km or more	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0

Table 48.6: PVTG Income group distribution for given forest distance, Chhattisgarh

Forest distance	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 km	32.0	24.9	21.5	8.8	12.7
2-3 km	54.5	27.3	9.1	9.1	0.0
4-5 km	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
More than 5 km	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Table 48.7: Adivasi distance distribution for given income group, Madhya Pradesh

Income Group	0-1 km	2-3 km	4-5 km	More than 5 km
0-20	59.3	14.3	9.3	17.1
20-40	60.9	20.2	10.4	8.4
40-60	61.7	18.9	7.5	11.8
60-80	56.7	17.3	7.5	18.6
80-100	57.4	8.6	6.0	27.9

Table 48.8: Adivasi distance distribution for given income group, Chhattisgarh

Income Group	0-1 km	2-3 km	4-5 km	More than 5 km
0-20	59.3	24.1	7.2	9.3
20-40	61.2	22.6	9.5	6.7
40-60	59.6	26.7	7.9	5.8
60-80	61.3	26.9	6.4	5.4
80-100	63.1	24.8	6.4	5.7



Table 48.9: Non-Adivasi distance distribution for given income group, Madhya Pradesh

Income Group	0-1 km	2-3 km	4-5 km	More than 5 km
0-20	47.6	14.3	11.1	27.0
20-40	28.8	27.3	12.1	31.8
40-60	23.9	34.3	28.4	13.4
60-80	22.4	41.4	12.1	24.1
80-100	17.3	12.3	28.4	42.0

Table 48.10: Non-Adivasi distance distribution for given income group, Chhattisgarh

Income Group	0-1 km	2-3 km	4-5 km	More than 5 km
0-20	36.7	21.1	21.1	21.1
20-40	31.9	30.8	13.2	24.2
40-60	38.0	22.8	16.3	22.8
60-80	37.0	21.0	18.0	24.0
80-100	31.8	18.7	21.5	28.0

Table 48.9: Non-Adivasi distance distribution for given income group, Madhya Pradesh

Income Group	0-1 km	2-3 km	4-5 km	More than 5 km
0-20	59.5	38.1	2.4	0.0
20-40	88.0	12.0	0.0	0.0
40-60	82.9	14.3	2.9	0.0
60-80	61.5	33.3	0.0	5.1
80-100	65.7	20.0	8.6	5.7

Table 48.12: PVTG distance distribution for given income group, Chhattisgarh

Income Group	0-1 km	2-3 km	4-5 km	More than 5 km
0-20	90.6	9.4	0.0	0.0
20-40	93.8	6.2	0.0	0.0
40-60	97.5	2.5	0.0	0.0
60-80	94.1	5.9	0.0	0.0
80-100	100.0	0.0	0.0	0.0

Table 49.1: Adivasi household food security status and distance from forest, Madhya Pradesh

Forest distance	Food Secure	Food Mildly Food insecure	Moderately Food insecure	Severely food insecure
0-1 km	22.5	21.4	29.1	27
2-3 km	27.9	17.2	19.7	35.1
4-5 km	28.4	11.9	15.9	43.8
6 km or more	35.4	12.4	13.1	39.1



Table 49.2: Adivasi household food security status and distance from forest, Chhattisgarh

Forest distance	Food Secure	Food Mildly Food insecure	Moderately Food insecure	Severely food insecure
0-1 km	53.9	14.7	8.3	23.1
2-3 km	34.8	19.7	9.7	35.8
4-5 km	57.0	11.4	4.4	27.2
6 km or more	64.6	7.1	2.4	26.0

Table 50.1: Non-Adivasi household food security status and distance from forest, Madhya Pradesh

Forest distance	Food Secure	Food Mildly Food insecure	Moderately Food insecure	Severely food insecure
0-1 km	36.9	14.3	15.5	33.3
2-3 km	42.5	10	21.2	26.2
4-5 km	47.5	20.3	18.6	13.6
6 km or more	45.8	14.5	9.6	30.1

Table 50.2: Non-Adivasi household food security status and distance from forest, Chhattisgarh

Forest distance	Food Secure	Food Mildly Food insecure	Moderately Food insecure	Severely food insecure
0-1 km	59.9	12.5	7.2	20.4
2-3 km	45.5	17.3	12.7	24.5
4-5 km	32.2	21.1	5.6	41.1
6 km or more	39.6	20.8	4.2	35.4

Table 50.3: PVTG household food security status and distance from forest, Madhya Pradesh

Forest distance	Food Secure	Food Mildly Food insecure	Moderately Food insecure	Severely food insecure
0-1 km	26.8	6.5	8.9	57.7
2-3 km	26.1	4.3	6.5	63.0
4-5 km	0.0	0.0	0.0	100.0
6 km or more	0.0	0.0	0.0	100.0

Table 50.4: PVTG household food security status and distance from forest, Chhattisgarh

Forest distance	Food Secure	Food Mildly Food insecure	Moderately Food insecure	Severely food insecure
0-1 km	50.0	2.9	5.9	41.2
2-3 km	27.3	27.3	0.0	45.5
4-5 km	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
6 km or more	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A



Table 51.1: Effect of HH distance from forest on diet quality among Adivasis, Madhya Pradesh

Dietary diversity	Poor	Borderline	Acceptable	N
0 km	4.5	36.3	59.2	672
1 km	4.6	41.3	54.1	351
2 km	4.1	44.2	51.6	217
3 km	4.1	33.0	62.9	97
4 km	10.2	42.9	46.9	49
5 km or more	2.8	33.8	63.4	388

Table 51.2: Effect of HH distance from forest on diet quality among Adivasis, Chhattisgarh

Dietary diversity	Poor	Borderline	Acceptable	N
0 km	2.2	65.1	32.7	602
1 km	1.6	64.8	33.6	571
2 km	1.7	53.4	44.9	350
3 km	1.2	61.8	37.0	165
4 km	4.0	48.0	48.0	75
5 km or more	3.1	64.2	32.6	193

Table 52.1: Effect of HH distance from forest on diet quality among non-Adivasis, Madhya Pradesh

Dietary diversity	Poor	Borderline	Acceptable	N
0 km	12.0	24.0	64.0	25
1 km	1.9	36.5	61.5	52
2 km	0.0	31.2	68.8	48
3 km	3.6	21.4	75.0	28
4 km	0.0	0.0	100.0	6
5 km or more	2.3	23.5	74.2	132

Table 52.2: Effect of HH distance from forest on diet quality among non-Adivasis, Chhattisgarh

Dietary diversity	Poor	Borderline	Acceptable	N
0 km	2.2	44.4	53.3	90
1 km	0.0	60.0	40.0	60
2 km	3.8	66.2	30.0	80
3 km	3.6	53.6	42.9	28
4 km	6.1	54.5	39.4	33
5 km or more	0.7	51.3	48.0	150



Table 52.3: Effect of HH distance from forest on diet quality among PVTG, Madhya Pradesh

Dietary diversity	Poor	Borderline	Acceptable	N
0 km	2.4	23.8	73.8	42
1 km	0.0	44.0	56.0	84
2 km	3.1	31.2	65.6	32
3 km	0.0	15.4	84.6	13
4 km	0.0	0.0	100.0	1
5 km or more	0.0	80.0	20.0	5

Table 52.4: Effect of HH distance from forest on diet quality among PVTG, Chhattisgarh

Dietary diversity	Poor	Borderline	Acceptable	N
0 km	19.4	63.2	17.4	144
1 km	8.3	75.0	16.7	24
2 km	16.7	83.3	0.0	6
3 km	80.0	20.0	0.0	5
4 km	#N/A	#N/A	#N/A	0
5 km or more	#N/A	#N/A	#N/A	0

Table 53.1: Adivasis women's diet quality and HH distance from forests, Madhya Pradesh

Dietary diversity	Poor	Borderline	Acceptable	N
0 km	4.5	36.3	59.2	672
1 km	4.6	41.3	54.1	351
2 km	4.1	44.2	51.6	217
3 km	4.1	33.0	62.9	97
4 km	10.2	42.9	46.9	49
5 km or more	2.8	33.8	63.4	388

Table 53.2: Adivasis women's diet quality and HH distance from forests, Chhattisgarh

Dietary diversity	Poor	Borderline	Acceptable	N
0 km	2.2	65.1	32.7	602
1 km	1.6	64.8	33.6	571
2 km	1.7	53.4	44.9	350
3 km	1.2	61.8	37.0	165
4 km	4.0	48.0	48.0	75
5 km or more	3.1	64.2	32.6	193



Table 54.1: Non-Adivasis women's diet quality and HH distance from forests, Madhya Pradesh

Dietary diversity	Poor	Borderline	Acceptable	N
0 km	12.0	24.0	64.0	25
1 km	1.9	36.5	61.5	52
2 km	0.0	31.2	68.8	48
3 km	3.6	21.4	75.0	28
4 km	0.0	0.0	100.0	6
5 km or more	2.3	23.5	74.2	132

Table 54.2: Non-Adivasis women's diet quality and HH distance from forests, Chhattisgarh

Dietary diversity	Poor	Borderline	Acceptable	N
0 km	2.2	44.4	53.3	90
1 km	0.0	60.0	40.0	60
2 km	3.8	66.2	30.0	80
3 km	3.6	53.6	42.9	28
4 km	6.1	54.5	39.4	33
5 km or more	0.7	51.3	48.0	150

Table 54.3: PVTG women's diet quality and HH distance from forests, Madhya Pradesh

Dietary diversity	Poor	Borderline	Acceptable	N
0 km	2.4	23.8	73.8	42
1 km	0.0	44.0	56.0	84
2 km	3.1	31.2	65.6	32
3 km	0.0	15.4	84.6	13
4 km	0.0	0.0	100.0	1
5 km or more	0.0	80.0	20.0	5

Table 54.4: PVTG women's diet quality and HH distance from forests, Chhattisgarh

Dietary diversity	Poor	Borderline	Acceptable	N
0 km	19.4	63.2	17.4	144.0
1 km	8.3	75.0	16.7	24.0
2 km	16.7	83.3	0.0	6.0
3 km	80.0	20.0	0.0	5.0
4 km	#N/A	#N/A	#N/A	0
5 km or more	#N/A	#N/A	#N/A	0



ANNEXURE

INCOME BASED RESULTS



Table 55.1: Impact of HH income on education in Adivasi households, Madhya Pradesh

Household head education	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
No school education	64.0	62.8	56.8	56.8	55.7
less than primary	4.6	4.8	6.9	9.9	18.1
Primary	6.8	8.9	6.9	12.1	11.3
less than matriculation and more than primary	13.2	16.1	21.3	14.5	10.2
Matriculation	6.0	4.4	4.9	5.0	2.3
More than matriculation and less than HSC	1.8	1.6	1.6	0.9	0.7
HSC	1.1	0.5	0.7	0.2	0.2
Attended college but did not complete	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0
College graduate and incomplete post-graduation	1.3	0.7	0.7	0.2	1.4
Postgraduate	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2
More than post-graduation	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Professional diploma	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0
No. of HHs in income group	453	436	447	456	442



Table 55.2: Impact of HH income on education in Adivasi households, Chhattisgarh

Household head education	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
No school education	58.1	46.7	45.9	46.5	49.7
less than primary	4.7	9.2	7.2	8.2	4.3
Primary	7.4	11.2	12.2	12.6	12.7
less than matriculation and more than primary	18.1	20.5	23.5	20.0	19.2
Matriculation	4.7	7.1	6.1	6.7	6.7
More than matriculation and less than HSC	2.0	2.0	2.4	2.1	1.9
HSC	2.7	2.0	2.0	2.5	3.7
Attended college but did not complete	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0
College graduate and incomplete post-graduation	0.2	0.9	0.2	0.2	0.9
Postgraduate	0.2	0.2	0.0	0.2	0.4
More than post-graduation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Professional diploma	1.7	0.2	0.2	0.2	0.2
No. of HHs in income group	403	448	460	475	463

Table 56.1: Impact of HH income on education in non-Adivasi households, Madhya Pradesh

Household head education	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
No school education	42.1	37.1	35.8	21.1	20.0
less than primary	1.8	1.6	3.0	7.0	11.2
Primary	21.1	17.7	16.4	19.3	21.2
less than matriculation and more than primary	21.1	29.0	37.3	26.3	28.7
Matriculation	5.3	9.7	6.0	17.5	7.5
More than matriculation and less than HSC	5.3	1.6	1.5	3.5	3.8
HSC	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
Attended college but did not complete	1.8	0.0	0.0	3.5	0.0
College graduate and incomplete post-graduation	1.8	1.6	0.0	1.8	3.8
Postgraduate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
More than post-graduation	0.0	1.6	0.0	0.0	1.2
Professional diploma	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
No. of HHs in income group	57	62	67	57	80



Table 56.2: Impact of HH income on education in non-Adivasi households, Chhattisgarh

Household head education	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
No school education	45.4	46.2	30.4	42.4	29.9
less than primary	8.3	5.5	6.5	11.1	15.0
Primary	9.3	12.1	17.4	13.1	8.4
less than matriculation and more than primary	26.9	25.3	27.2	17.2	25.2
Matriculation	3.7	5.5	4.3	11.1	7.5
More than matriculation and less than HSC	0.9	0.0	8.7	1.0	4.7
HSC	2.8	1.1	2.2	3.0	3.7
Attended college but did not complete	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
College graduate and incomplete post-graduation	1.9	2.2	1.1	0.0	2.8
Postgraduate	0.0	1.1	0.0	1.0	1.9
More than post-graduation	0.9	0.0	1.1	0.0	0.0
Professional diploma	0.0	1.1	0.0	0.0	0.9
No. of HHs in income group	108	91	92	99	107

Table 56.3: Impact of HH income on education in PVTG households, Madhya Pradesh

Household head education	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
No school education	71.4	72.0	58.8	69.2	71.4
less than primary	0.0	6.0	11.8	0.0	2.9
Primary	11.9	4.0	8.8	17.9	5.7
less than matriculation and more than primary	9.5	14.0	17.6	12.8	14.3
Matriculation	2.4	4.0	2.9	0.0	5.7
More than matriculation and less than HSC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HSC	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Attended college but did not complete	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
College graduate and incomplete post-graduation	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Postgraduate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
More than post-graduation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Professional diploma	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
No. of HHs in income group	42	50	34	39	35



Table 56.4: Impact of HH income on education in PVTG households, Chhattisgarh

Household head education	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
No school education	82.8	54.2	67.5	35.3	60.9
less than primary	12.5	20.8	5.0	17.6	0.0
Primary	1.6	12.5	15.0	23.5	26.1
less than matriculation and more than primary	3.1	6.2	12.5	23.5	8.7
Matriculation	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
more than matriculation and less than HSC	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
HSC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
attended college but did not complete	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
college graduate and incomplete post-graduation	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
Postgraduate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
more than post-graduation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
professional diploma	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
No. of HHs in income group	64	48	40	17	23

Table 57.1 : Head circumference of children by income class, Adivasi household, Madhya Pradesh

Children with head circumference not between 3-97 percentiles	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
Female %	56.9	33.3	49.1	55.4	34.4
Total female children	51	39	57	56	32
Male %	47.2	46.3	45.7	46.7	46.5
Total male children	53	41	70	60	43

Table 57.2 : Head circumference of children by income class, Adivasi household, Chhattisgarh

Children with head circumference not between 3-97 percentiles	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
Female %	48.5	51.2	61.4	68.6	53.3
Total female children	33	43	44	35	602
Male %	60.5	56.5	59.3	52.9	55.8
Total male children	43	46	54	51	43



Table 58.1: Head circumference of children by income class, non-Adivasi household, Madhya Pradesh

Children with head circumference not between 3-97 percentiles	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
Female %	75.0	75.0	0.0	#N/A	40.0
Total female children	8	8	3	0	5
Male %	66.7	22.2	40	37.5	40
Total male children	3	9	5	8	5

Table 58.2: Head circumference of children by income class, non-Adivasi household, Chhattisgarh

Children with head circumference not between 3-97 percentiles	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
Female %	90.0	75.0	70.0	57.1	42.9
Total female children	10	8	10	7	7
Male %	66.7	71.4	57.1	55.6	50.0
Total male children	6	7	14	9	8

Table 58.3: Head circumference of children by income class, PVTG household, Madhya Pradesh

Children with head circumference not between 3-97 percentiles	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
Female %	33.3	22.2	22.2	0.0	75.0
Total female children	12	9	9	6	4
Male %	36.4	35.3	25	44.4	66.7
Total male children	11	17	4	9	3

Table 58.4: Head circumference of children by income class, PVTG household, Chhattisgarh

Children with head circumference not between 3-97 percentiles	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
Female %	66.7	50	100	100	33.3
Total female children	3	4	3	1	3
Male %	66.7	50.0	14.3	50.0	60.0
Total male children	6	4	7	2	5



Table 59.1 : Diet quality by income class Adivasi households, Madhya Pradesh

Income group	Poor (≤ 21)	Borderline (21-35)	Acceptable (>35)	Total
0-20	4.9	45.0	50.1	367
20-40	4.6	47.0	48.4	372
40-60	4.6	35.3	60.1	388
60-80	3.7	32.8	63.5	348
80-100	3.6	25.9	70.4	247

Table 59.2 : Diet quality by income class Adivasi households, Chhattisgarh

Income group	Poor (≤ 21)	Borderline (21-35)	Acceptable (>35)	Total
0-20	4.9	45.0	50.1	367
20-40	4.6	47.0	48.4	372
40-60	4.6	35.3	60.1	388
60-80	3.7	32.8	63.5	348
80-100	3.6	25.9	70.4	247

Table 60.1: Diet quality by income class non-Adivasi households, Madhya Pradesh

Income group	Poor (≤ 21)	Borderline (21-35)	Acceptable (>35)	Total
0-20	0.0	39.1	60.9	46
20-40	8.6	46.6	44.8	58
40-60	0.0	27.9	72.1	61
60-80	2.1	19.1	78.7	47
80-100	1.5	7.5	91.0	67

Table 60.2: Diet quality by income class non-Adivasi households, Chhattisgarh

Income group	Poor (≤ 21)	Borderline (21-35)	Acceptable (>35)	Total
0-20	3.4	61.4	35.2	88
20-40	4.1	62.2	33.8	74
40-60	1.3	56.4	42.3	78
60-80	1.1	52.7	46.2	91
80-100	0.0	38.3	61.7	94



Table 60.3: Diet quality by income class PVTG households, Madhya Pradesh

Income group	Poor (≤ 21)	Borderline (21-35)	Acceptable (>35)	Total
0-20	0.0	27.5	72.5	40
20-40	4.3	34.8	60.9	46
40-60	0.0	42.4	57.6	33
60-80	0.0	36.4	63.6	33
80-100	0.0	40.0	60.0	25

Table 60.4: Diet quality by income class PVTG households, Chhattisgarh

Income group	Poor (≤ 21)	Borderline (21-35)	Acceptable (>35)	Total
0-20	41.0	55.7	3.3	61
20-40	13.3	73.3	13.3	45
40-60	7.9	73.7	18.4	38
60-80	6.2	62.5	31.2	16
80-100	0.0	52.6	47.4	19

Table 61.1 : Food security by income class, Adivasi households, Madhya Pradesh

Income group	Food Secure	Mildly Food insecure	Moderately Food insecure	Severely food insecure
0-20	26.5	12.3	19.4	41.7
20-40	18.9	16.3	31.8	33.1
40-60	23.1	19.0	25.8	32.1
60-80	22.2	26.7	26.7	24.4
80-100	40.5	19.3	15.1	25.1

Table 61.2 : Food security by income class, Adivasi households, Chhattisgarh

Income group	Food Secure	Mildly Food insecure	Moderately Food insecure	Severely food insecure
0-20	52.6	14.9	7.8	24.7
20-40	45.4	16.4	10.3	27.9
40-60	45.9	16.1	9.5	28.5
60-80	49.0	15.1	7.2	28.8
80-100	54.8	14.6	5.7	24.9



Table 62.1 : Food security by income class, non-Adivasi households, Madhya Pradesh

Income group	Food Secure	Mildly Food insecure	Moderately Food insecure	Severely food insecure
0-20	38.0	8.0	14.0	40.0
20-40	25.0	18.3	16.7	40.0
40-60	38.3	13.3	21.7	26.7
60-80	44.2	15.4	23.1	17.3
80-100	67.1	11.4	7.1	14.3

Table 62.2 : Food security by income class, non-Adivasi households, Chhattisgarh

Income group	Food Secure	Mildly Food insecure	Moderately Food insecure	Severely food insecure
0-20	16.1	6.5	6.5	71.0
20-40	44.4	2.2	2.2	51.1
40-60	71.8	5.1	2.6	20.5
60-80	75.0	6.2	18.8	0.0
80-100	94.7	0.0	5.3	0.0

Table 62.3 : Food security by income class, PVTG households, Madhya Pradesh

Income group	Food Secure	Mildly Food insecure	Moderately Food insecure	Severely food insecure
0-20	15.8	2.6	13.2	68.4
20-40	19.6	8.7	10.9	60.9
40-60	21.2	6.1	12.1	60.6
60-80	41.2	5.9	0.0	52.9
80-100	36.0	4.0	0.0	60.0

Table 62.4 : Food security by income class, PVTG households, Chhattisgarh

Income group	Food Secure	Mildly Food insecure	Moderately Food insecure	Severely food insecure
0-20	16.1	6.5	6.5	71.0
20-40	44.4	2.2	2.2	51.1
40-60	71.8	5.1	2.6	20.5
60-80	75.0	6.2	18.8	0.0
80-100	94.7	0.0	5.3	0.0



Table 63.1: Variation in literacy levels by income class, Adivasi households, Madhya Pradesh

Income group	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
0-20	1.7	2.1	1.4	5.3	2.8	3.4	2.2	8.4
20-40	1.8	2.0	1.6	5.4	2.8	3.4	2.1	8.3
40-60	2.1	2.5	1.6	6.2	3.2	3.9	2.3	9.5
60-80	1.8	2.3	1.5	5.6	2.8	3.6	2.2	8.7
80-100	2.3	2.7	2.0	7.0	3.1	3.8	2.4	9.3

Table 63.2: Variation in literacy levels by income class, Adivasi households, Chhattisgarh

Income group	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
0-20	2.3	2.8	2.2	7.2	3.6	4.1	3.0	10.7
20-40	2.5	2.8	2.0	7.3	3.6	4.3	2.8	10.8
40-60	2.6	3.1	2.2	7.9	4.1	4.4	3.3	11.8
60-80	2.8	3.1	2.2	8.0	4.4	4.9	3.6	12.9
80-100	3.1	3.3	2.5	9.0	4.8	5.0	3.8	13.6

Table 64.1: Variation in literacy levels by income class, non-Adivasi households, Madhya Pradesh

Income group	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
0-20	1.6	2.4	1.7	5.8	3.8	4.8	3.1	11.8
20-40	3.1	3.5	2.8	9.3	3.6	4.6	3.5	11.7
40-60	3.0	4.6	2.8	10.4	4.6	6.5	3.9	15.0
60-80	3.1	5.2	3.5	11.8	5.3	7.9	4.4	17.5
80-100	3.6	5.6	3.0	12.1	6.0	7.8	5.0	18.8

Table 64.2: Variation in literacy levels by income class, non-Adivasi households, Chhattisgarh

Income group	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
0-20	2.5	2.6	2.2	7.3	4.6	5.0	3.8	13.5
20-40	2.7	2.6	2.1	7.4	4.3	4.2	3.1	11.6
40-60	3.7	3.8	3.1	10.7	5.7	6.2	4.8	16.8
60-80	3.6	4.1	3.0	10.8	4.6	5.2	4.3	14.1
80-100	4.7	5.1	3.9	13.7	6.2	6.7	5.5	18.4

**Table 64.3: Variation in literacy levels by income class, PVTG households, Madhya Pradesh**

Income group	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
0-20	1.9	2.0	1.2	5.2	1.1	1.8	1.6	4.5
20-40	0.5	0.5	1.0	2.0	1.0	1.6	2.1	4.7
40-60	1.1	1.3	1.7	4.1	1.8	3.6	2.9	8.3
60-80	0.4	0.3	1.1	1.8	1.7	2.8	2.1	6.6
80-100	1.8	1.9	1.8	5.6	1.8	3.7	2.5	8.0

Table 64.4: Variation in literacy levels by income class, PVTG households, Chhattisgarh

Income group	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
0-20	0.2	0.2	0.4	0.8	0.8	0.7	0.5	2.0
20-40	0.7	0.7	0.6	2.0	2.5	1.8	0.6	4.9
40-60	0.5	0.7	0.3	1.5	1.6	1.4	0.7	3.8
60-80	1.2	1.3	1.3	3.8	3.8	3.4	2.1	9.3
80-100	0.5	0.6	0.6	1.6	4.3	4.6	3.6	12.5

Table 65.1: Literacy variation by per capita income, Adivasi households, Madhya Pradesh

PCI group	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
0-20	2.0	2.4	1.7	6.1	3.1	3.7	2.4	9.3
20-40	1.7	2.0	1.4	5.1	2.5	3.1	1.9	7.5
40-60	2.0	2.3	1.6	5.9	3.0	3.7	2.4	9.2
60-80	2.0	2.6	1.7	6.3	3.1	3.9	2.5	9.5
80-100	1.9	2.4	1.4	5.8	3.0	3.7	1.9	8.6

Table 65.2: Literacy variation by per capita income, Adivasi households, Chhattisgarh

PCI group	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
0-20	2.8	3.3	2.5	8.6	3.8	4.4	3.1	11.2
20-40	2.3	2.7	2.0	7.0	3.9	4.4	3.0	11.2
40-60	2.6	2.9	2.2	7.7	4.0	4.4	3.2	11.6
60-80	2.6	3.0	2.1	7.7	4.1	4.6	3.4	12.1
80-100	3.0	3.2	2.5	8.7	4.9	5.2	4.1	14.2



Table 66.1: Literacy variation by per capita income, non-Adivasi households, Madhya Pradesh

PCI group	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
0-20	1.8	2.7	1.9	6.4	3.5	4.3	3.1	10.9
20-40	3.6	4.1	2.8	10.5	4.4	5.4	3.6	13.3
40-60	2.1	2.9	2.1	7.2	4.7	5.6	3.6	13.9
60-80	3.5	5.6	3.6	12.7	5.1	7.7	4.5	17.3
80-100	3.6	5.6	2.9	12.1	5.6	7.8	4.8	18.2

Table 66.2: Literacy variation by per capita income, non-Adivasi households, Chhattisgarh

PCI group	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
0-20	2.7	2.9	2.4	8.0	4.2	4.6	3.4	12.3
20-40	3.3	3.3	2.8	9.5	5.4	5.6	4.1	15.1
40-60	3.5	3.4	2.8	9.7	4.8	5.1	4.2	14.1
60-80	3.5	3.8	2.8	10.1	5.0	5.4	4.3	14.7
80-100	4.3	4.8	3.5	12.6	6.2	6.8	5.5	18.5

Table 66.3: Literacy variation by per capita income, PVTG households, Madhya Pradesh

PCI group	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
0-20	1.6	1.6	1.2	4.4	0.9	1.6	2.1	4.7
20-40	0.9	0.9	1.3	3.0	1.5	2.4	2.2	6.1
40-60	0.7	0.8	1.5	3.0	1.6	3.2	2.2	7.0
60-80	0.8	0.9	1.4	3.1	1.6	2.7	2.3	6.6
80-100	1.5	1.5	1.3	4.3	1.6	3.4	2.3	7.3

Table 66.4: Literacy variation by per capita income, PVTG households, Chhattisgarh

PCI group	Female reading	Female writing	Female numeracy	Female total	Male reading	Male writing	Male numeracy	Male total
0-20	0.3	0.4	0.4	1.0	0.9	1.0	0.5	2.4
20-40	0.5	0.5	0.6	1.7	2.2	1.6	1.2	5.1
40-60	0.7	0.7	0.7	2.2	2.2	1.4	0.3	3.9
60-80	0.4	0.6	0.2	1.2	2.7	2.5	1.7	6.8
80-100	0.7	0.7	0.7	2.1	3.4	3.7	2.2	9.2



ANNEXURE

FEEDBACK ON GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT AGENCIES

Table 65.1: Adivasi household income and life improvement satisfaction, Madhya Pradesh

Income percentile	Satisfied with the government effort	Satisfied with non-government agencies efforts	Life has improved in last year
0-20	53.5	46.5	10.6
20-40	59.3	52.9	6.4
40-60	60.9	55.1	5.4
60-80	67.2	60.8	6.6
80-100	61.2	55.4	6.9

Table 65.2: Adivasi household income and life improvement satisfaction, Chhattisgarh

Income percentile	Satisfied with the government effort	Satisfied with non-government agencies efforts	Life has improved in last year
0-20	60.0	65.9	9.8
20-40	71.4	73.5	9.3
40-60	72.4	71.2	7.1
60-80	71.2	67.9	8.1
80-100	71.8	66.7	10.0

Table 66.1: Non-Adivasi household income and life improvement satisfaction, Madhya Pradesh

Income percentile	Satisfied with the government effort	Satisfied with non-government agencies efforts	Life has improved in last year
0-20	77.8	73.0	23.8
20-40	59.1	62.1	10.6
40-60	70.1	65.7	7.5
60-80	77.6	74.1	15.5
80-100	61.7	58.0	19.8





**Table 66.2: Non-Adivasi household income and life improvement satisfaction, Chhattisgarh**

Income percentile	Satisfied with the government effort	Satisfied with non-government agencies efforts	Life has improved in last year
0-20	43.1	50.5	0.9
20-40	61.5	62.6	4.4
40-60	57.6	63.0	8.7
60-80	56.0	66.0	6.0
80-100	57.0	51.4	20.6

Table 66.3: PVTG household income and life improvement satisfaction, Madhya Pradesh

Income percentile	Satisfied with the government effort	Satisfied with non-government agencies efforts	Life has improved in last year
0-20	31.0	40.5	23.8
20-40	26.0	42.0	14.0
40-60	28.6	45.7	0.0
60-80	48.7	56.4	10.3
80-100	28.6	42.9	11.4

Table 66.4: PVTG household income and life improvement satisfaction, Chhattisgarh

Income percentile	Satisfied with the government effort	Satisfied with non-government agencies efforts	Life has improved in last year
0-20	28.1	71.9	0.0
20-40	39.6	79.2	0.0
40-60	77.5	62.5	2.5
60-80	64.7	47.1	5.9
80-100	73.9	65.2	17.4



Table 67.1: Variation in the Life improvement/development opinions of Adivasi household based on the income class, Madhya Pradesh

PCI group	Satisfied with the government effort	Satisfied with non-government agencies efforts	Life has improved in last year
0-20	59.3	52.2	11.7
20-40	57.1	52.7	6.1
40-60	64.0	57.5	5.4
60-80	64.5	53.0	5.8
80-100	57.2	55.2	6.9

Table 67.2: Variation in the Life improvement/development opinions of Adivasi household based on the income class, Chhattisgarh

PCI group	Satisfied with the government effort	Satisfied with non-government agencies efforts	Life has improved in last year
0-20	60.9	65.2	9.4
20-40	73.3	71.2	10.0
40-60	74.2	70.9	8.1
60-80	70.6	70.4	7.0
80-100	68.1	67.5	9.7





Table 68.1: Variation in the Life improvement/development opinions of non-Adivasi household based on the income class, Madhya Pradesh

PCI group	Satisfied with the government effort	Satisfied with non-government agencies efforts	Life has improved in last year
0-20	71.4	69.8	23.8
20-40	65.3	63.3	10.2
40-60	74.6	71.4	11.1
60-80	64.6	62.0	12.7
80-100	67.9	64.2	18.5

Table 68.2: Variation in the Life improvement/development opinions of non-Adivasi household based on the income class, Chhattisgarh

PCI group	Satisfied with the government effort	Satisfied with non-government agencies efforts	Life has improved in last year
0-20	52.8	55.6	1.9
20-40	55.0	58.8	6.2
40-60	51.7	57.3	6.7
60-80	61.8	67.3	8.2
80-100	51.8	52.7	17.0

Table 68.3: Variation in the Life improvement/development opinions of PVTG household based on the income class, Madhya Pradesh

PCI group	Satisfied with the government effort	Satisfied with non-government agencies efforts	Life has improved in last year
0-20	23.3	32.6	18.6
20-40	26.8	41.5	14.6
40-60	35.0	55.0	5.0
60-80	40.5	54.8	9.5
80-100	37.1	42.9	14.3



Table 68.4: Variation in the Life improvement/development opinions of PVTG household based on the income class, Chhattisgarh

PCI group	Satisfied with the government effort	Satisfied with non-government agencies efforts	Life has improved in last year
0-20	27.1	58.3	0.0
20-40	38.5	84.6	0.0
40-60	44.4	66.7	0.0
60-80	77.4	58.1	6.5
80-100	79.4	70.6	11.8





ANNEXURE I

IMPORTANT GOVERNMENT SCHEMES AND PROGRAMMES FOR ADIVASIS IN MADHYA PRADESH & CHHATTISGARH.

Chhattisgarh

State Schemes (Scheduled Tribes)

Ashram Shala Yojana, Chhatrawas Yojana, Ashaasakeey Sansthaan Ko Anudaan, Pandit Jawaharlal Nehru Utkarsh Yojana, Chhatrawas/Aashram Evan Shaala Bhavanon Ka Nirmaan, Shaheed Veer Narayan Singh Puraskaar Evan Sv. Dr Bhanvar Singh Pote Aadivasee Seva Sammaan, Chhaatr Bhojan Sahaay Yojana, Vishesh Shikshan Kendr Tyooshan Yojana, Khaady Suraksha Aadhiniyaan Ke Antargat Chhatrawasiyon Ko Khaadyaann, Yuva Kariyar Nirmaan Yojana, Mukhyamantree Baal Bhavishy Suraksha Yojana, Aaryabhata Vaanijy / Vigyaan Vikaas Kendra

Centrally Sponsored Scheme

Naagarik Adhikaar Evan Sanrakshan Prakoshth Antargat Prachar-Prasaar, Aprshyaata Nivaranaarth Aayojan, ST/SC Atyaachar Nivaaran Adhiniyam Poonarvaas Evan Anurakshan Anudaan, Antarjaateey Vivaah Protsaahan Yojana, Alpasankhyak Bahuuddesheey Vikaas, Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana, ST Post Matric, Chhaatravrti, SC Post Matric, Chhaatravrti

Education related and other major schemes run by the department

Chhatrawas Aashram Yojana, Online Chhaatravrti Vitaran, Chhaatraavrti Vidyaarthee Vitaran, Chhaatraavrti Vidyaarthee Ke Lie Vishesh Shikshan Kendr Yojana, Svaasthy Tan -Svaasthy Man Yojana, Chhaatr Bhojan Sahaay Yojana, Khaadyaann Suraksha Yojana, Gurukul Aadarsh Vidyaalay Evan Kanya Shiksha Parisar Antargat Sanchaalit Vishesh Chhatrawas, Ekalavy Aadarsh Aavaaseey Vidhaalay Yojana, Vishesh Pichhadee Janajaatiyon (Pvtg) Hetu Aavaaseey Vidyaalay, Krīdā Parisara Yōjanā, Online Post Maitrik Chhaatravrti

Employment Oriented Schemes

B.Sc. Narsing Paathyakram Mein Nihshulk Adhyayan Suvidha Yojana, Nihshulk Vaahan Chaalak Prashikshan Yojana, Ravidaas Charmashilp Yojana, Hosapeelitee Evan Hotal Mainejament Prashikshan Yojana

Schemes related to conservation and development of tribal culture

Aadivaasee Saanskrtik Dalon Ko Sahaayata Yojana, Devagundee Nirmaan / Marammat Yojana, SC & ST (Atyaachar Nivaaran) Adhiniyam 1989, Sanshodhan Adhiniyam -2015 Tatha Sanshodhit Adhiniyam-2018 Antargat Raahat Yojana, Antarjaateey Vivaah Protsaahan Yojana, Pradhaanamantree Aadarsh Graam Yojana, Sammaan Evan Puraskaar Tatha Lokakala Mahotsav

Flagship Plans

Raajeev Yuva Utthaan Yojana Evan Traibal Yuva Hostal, Nae Dillee, Aadim Jaati Tatha Anusoochit Jaati Pree. Medikal Tatha Pree. Injeeniyaring Pareeksha Poorv Prashikshan (Koching) Yojana, Mukhyamantree Baal Bhavishy Suraksha Yojana, Aaryabhata Vigyaan-Vaanijy Shikshan Protsaahan Yojana

Other Schemes

Pradhaanamantree Jan Vikaas Kaaryakram, Aadarsh Chhatrawas Bhavan Ke Roop Mein Unnayan



Madhya Pradesh

State Scheme

Janpad Panchayat Grants for Tribal Areas, Ladli Laxmi Yojana, Baiga Mahapanchayat, , Chief Minister's Small Entrepreneur Scheme, Chief Minister's Tendu Leaf Collection Bonus Scheme, , Samanya Pichhada Varg Alpsankhyak Kalyan Vibhag, Ashram Shala Scheme, Gondwana Museum, Tantya Mama Arthik Kalyan Scheme 2023

Incentive Scheme

Aavaas Sahaayata Yojana, Chhaatravrtti Yojana, Kanya Saaksharata Protsaahan Yojana, Saekaal Protsaahan Yojana, Vidyaarthee Kalyaan Yojana, Pratibha Yojana, Aakaanksha Yojana, Shaikshanik Vikaas Yojana

Beneficiary Oriented Scheme

Aahaar Anudaan Yojana, Vanadhikaar Adhiniyam Antaragat Hitagrahee Even Samudaayik Yojana, Vishesh Kendreey Sahaayata Antaragat Pariyojanaen

Employment Scheme

Mukhyamantree Kaushal Even Kaushal Yojana, Akhil Bhaarateey Sevaon Kee Pareeksha Hetu Nijee Sansthaan Dvaara Coaching, Civil Seva Protsaahan, Mukhyamantree Svarojagaar Yojana, Mukhyamantree Aarthik Kalyaan Yojana, Mukhyamantree Yuva Udyamee Yojana

Central scheme

Special Central Assistance to Tribal Sub-Plan (SCA to TSP), Van Dhan Yojana , Eklavya Model Residential Schools (EMRS), Ashram Schools, Scheduled Tribes Cooperative Finance and Development Corporation (TRIFED), Integrated Tribal Development Projects (ITDPs), Forest Rights Act (Recognition of Forest Rights), Housing Scheme, Student welfare scheme, SC / ST relief scheme, Scheduled Caste / Tribe Atrocities Act-2016 Scheme, Bhagwan Birsa Munda Self-Employment Scheme



ANNEXURE

DIETARY DIVERSITY

FCS is a composite score based on dietary diversity, food frequency, and relative nutritional importance of different food groups. (United Nations World Food Programme, Food security analysis (VAM). Food Consumption Score Nutritional Quality Assessment Guideline (FCS-N). VAM assessment team, WFP HQ, July 2015)

According to the FCS construction guideline, we have collected information on the list of food items and food groups that are generally consumed in the Adivasi regions of

Jharkhand and Odisha. The interviewees were asked about the frequency of consumption (in days) of those food items over a recall period of the past 7 days.

Food items were grouped into 8 standard food groups. Each food group was assigned a weight based on its nutrient content. We followed the justification provided by the WFP.

Food group	Weight	Justification
Cereals and tubers	2	Energy dense, protein content lower and poorer quality (PER less) than legumes, micro-nutrients (bound by phytates).
Pulses	3	Energy dense, high amounts of protein but of lower quality (PER less) than meats, micronutrients (inhibited by phytates), low fat.
Vegetables	1	Low energy, low protein, no fat, micro-nutrients
Fruits	1	Low energy, low protein, no fat, micro-nutrients
Meat and Fish	4	Highest quality protein, easily absorbable micronutrients (no phytates), energy dense, fat. Even when consumed in small quantities, improvements to the quality of diet are large.
Milk	4	Highest quality protein, micro-nutrients, vitamin A, energy. However, milk could be consumed only in very small amounts and should then be treated as a condiment and therefore reclassification in such cases is needed.
Sugar	0.5	Empty calories. Usually consumed in small quantities.
Oil	0.5	Energy dense but usually no other micronutrients. Usually consumed in small quantities
Condiment	0	

The consumption frequency of each food group is multiplied by the assigned weight and then summed up to get the Food Consumption Score (FCS).



Based on the scores, the food consumption profiles of each of the households are drawn as below:

FCS	Profiles
0 – 21 (0 – 28)	Poor food consumption
21.5 – 35 (28.5 – 42)	Borderline food consumption
>35 (>42)	Acceptable food consumption

FCS figures within the bracket are for households that consume sugar and oil on a daily basis.





ANNEXURE **K**

HOUSEHOLD-LEVEL FOOD FOOD SECURITY

(Coates, Jennifer, Anne Swindale and Paula Bilinsky. Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement of Household Food Access: Indicator Guide (v. 2). Washington, D.C.: Food and Nutrition Technical Assistance Project, Academy for Educational Development, July 2006.)

In this tool, food security has been defined as a state in which “all people at all times have both physical and economic access to sufficient food to meet their dietary needs for a productive and healthy life”.

Each of the questions in this tool is asked with a recall period of 30 days. The respondent is first asked an occurrence question – that is, whether the condition in the question happened at all in the past 30 days (yes or no).

There are nine Occurrence Questions in the tool which are as follows:

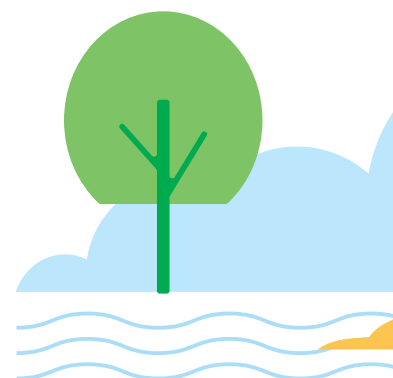
1. Did you worry that your household would not have enough food?
2. Were you or any household member not able to eat the kinds of foods you preferred because of a lack of resources?
3. Did you or any household member eat a limited variety of foods due to a lack of resources?
4. Did you or any household member eat food that you preferred not to eat because of a lack of resources to obtain other types of food?
5. Did you or any household member eat a smaller meal than you felt you needed because there was not enough food?
6. Did you or any other household member eat fewer meals in a day because there was not enough food?
7. Was there ever no food at all in your household because there were no resources to get more?
8. Did you or any household member go to sleep at night hungry because there was not enough food?

9. Did you or any household member go a whole day without eating anything because there was not enough food?

If the respondent answers “yes” to an occurrence question, a frequency-of-occurrence question is asked to determine whether the condition happened rarely (once or twice), sometimes (three to ten times) or often (more than ten times) in the past 30 days. For ‘rarely’ occurrences the corresponding score is 1, for ‘sometimes’ occurrences the score is 2 and for ‘often’ it is 3. If the respondent answers “no” to an occurrence question, the corresponding score is 0.

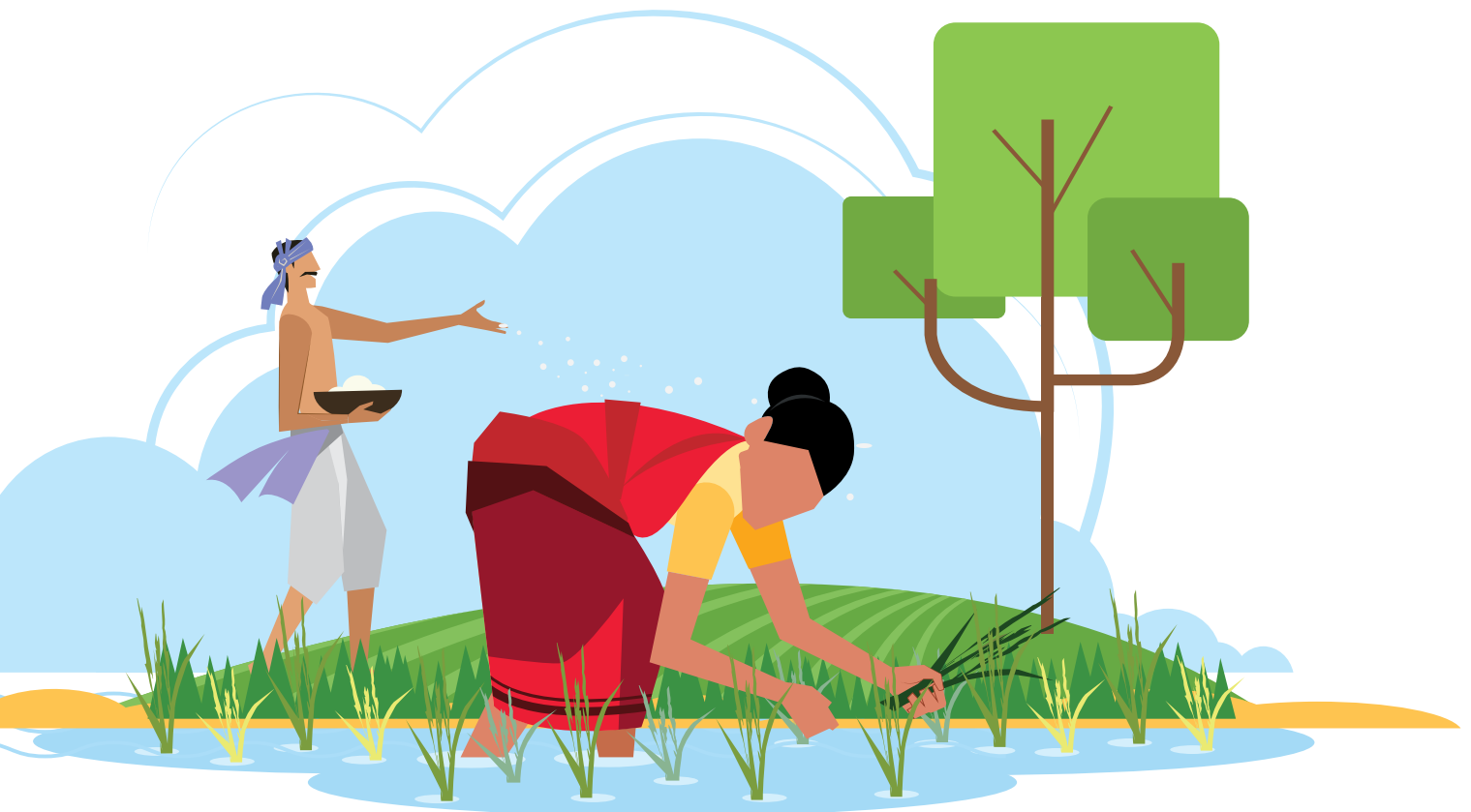
Like the other tools, we piloted this tool too after translating the questions in the localin local language to make sure that the respondents understand the questions properly.

To get a total HFIAS score for each household the score for each frequency-of-occurrence question is summed. The maximum score for a household can be 27 if the household’s response to all nine frequency-of-occurrence questions is “often”. The minimum score is 0 when the household responds “no” to all occurrence questions. The higher the score, the more food insecurity (access) the household experienced. The lower the score, the less food insecurity (access) a household experiences.



Households are categorized into four levels of household food insecurity (access): food secure, and mild, moderately and severely food insecure. A food-secure household experiences none of the food insecurity (access) conditions, or just experiences worry, but rarely. A mild food insecure (access) household worries about not having enough food sometimes or often, and/or is unable to eat preferred foods, and/or eats a monotonous diet or less-preferred foods, but only rarely. But it does not cut back on quantity nor experience any of the three most severe conditions (going a whole day without eating, going to bed hungry, or running out of food). A moderate food insecure household sacrifices quality more frequently, by eating a monotonous diet or less-preferred foods sometimes or often, and/or has started to cut back on quantity by reducing size of meals or the number of meals, rarely or sometimes. But it does not experience any of the three most severe conditions.

A severely food insecure household has graduated to cutting back on meal size or number of meals often, and/or experiences any of the three most severe conditions (going a whole day without eating, going to bed hungry, or running out of food), even as infrequently as rarely. In other words, any household that experiences one of these three conditions even once in the last 30 days is considered severely food insecure.





ANNEXURE L

L1 INSTRUMENTS USED DURING THE STUDY

(The table numbers in this Annexures are not in sequence with the table numbers in the last Annexure, and starts from 1)

- Development Status of Adivasis of Central Indian Plateau
- Schedule for Household Survey
- Information the person/household interviewed for the objective of the survey and consent.

Table 1: Consent and date and location of the survey

Date:			
State:	District:	Block:	Village:
Household number:			
Name of surveyor:			
Consent Read Out:		Signature:	Thumb impression:
Is the household tribal & Non tribal	1- Tribale 2- PVTG 3- Non Tribal	Drop down	
Caste/tribe of household	If code 1 & 2 “Tribal group of MP & Chhattisgarh” If code 3” then SC, OBC & General”		

- Respondent name
- Sex of the respondent
- Age of the respondent
- Marital status
- Highest formal education till date of survey
- Primary activity engaged in last 365 days

1. BASIC INFORMATION

Table 2: Household information roster

Sr/ HH ID	Name	Relation to household head	Gender	Age	Marital status	Highest formal Education till date of survey	Primary activity engaged in last 365 days (code)	Do they have a mobile phone? (1- Yes, 0- No)	If yes, is it a smartphone? (1- Yes, 0- No)	Is a person a divyang? (1- Yes, 0- No)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Codes for relationship with household head

1- self, 2 – husband, 3 – wife, 4 – mother, 5 – father, 6 – son, 7 – daughter, 8 – daughter in law, 9 – son in law, 10- grandfather, 11 – grandmother, 12- granddaughter, 13 – grandson, 14 – uncle, 15 – aunt, 99 – other

Gender code

1- Female, 2 – Male, 3 – Other

Codes for marital status

1- never married, 2- currently married, 3- divorced, 4 – separated, 5- widowed, 9- other

Code for formal Education

0 – No school education, 1- less than primary, 2 – primary (class 4), 3- less than matriculation but more than primary, 4 – class 10 or matriculation, 5 – more than matriculation but less than HSC, 6 – HSC, 7 – attended collage but did not finish, 8 – college graduate and above but not post-graduate, 9 – postgraduate, 10- more than post-graduation, 11- professional diploma after 10th or 12th

Codes for primary activity/occupation

1- Agricultural Labor/Labour, 2-Non-agricultural labor/labour, 3-Retired, 4-Government Job, 5-Private Job (formal as well as informal), 6-not working, 7- Livestock, 8- Agricultural enterprise, 9 – Non-agricultural enterprise, 10- Cultivation, 11-housewife/1-house wife, 12 – Student, 13-Other specify



FOOD SECURITY (HFIAS QUESTIONNAIRE) – TO BE ANSWERED BY FEMALE MEMBER OF THE HOUSEHOLD

Table 3: Food security of the household

			Code (for household)
1	In the past four weeks, did you worry that your household would not have enough food?	0 = No (skip to Q2) 1=Yes	
1.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	
2	In the past four weeks (one month), were you or any household member not able to eat the kinds of foods you preferred because of a lack of resources?	0 = No (skip to Q3) 1=Yes	
2.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	
3	In the past four weeks (one month), did you or any household member have to eat a limited variety of foods due to a lack of resources?	0 = No (skip to Q4) 1=Yes	
3.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	
4	In the past four weeks (one month), did you or any household member have to eat some foods that you really did not want to eat because of a lack of resources to obtain other types of food?	0 = No (skip to Q5) 1=Yes	
4.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	

² Questions in this section are adopted from Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement of Food Access: Indicator Guide VERSION 3 (2007) by USAID



			Code (for household)
5	In the past four weeks (one month), did you or any household member have to eat a smaller meal than you felt you needed because there Was there not enough food?	0 = No (skip to Q6) 1=Yes	
5.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	
6	In the past four weeks (one month), did you or any other household member have to eat fewer meals in a day because there was not enough food?	0 = No (skip to Q7) 1=Yes	
6.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	
7	In the past four weeks (one month), was there ever no food to eat of any kind in your household because of lack of resources to get food?	0 = No (skip to Q8) 1=Yes	
7.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	
8	In the past four weeks (one month), did you or any household member go to sleep at night hungry because there was not enough food?	0 = No (skip to Q9) 1=Yes	
8.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	
9	In the past four weeks (one month), did you or any household member go a whole day and night without eating anything because there was not enough food?	0 = No (End of questionnaire) 1=Yes	
9.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	



FOOD SECURITY (HFIAS QUESTIONNAIRE) – TO BE ANSWERED BY FEMALE MEMBER OF THE HOUSEHOLD

Table 3: Food security of the household

			Code (for household)
1	In the past four weeks, did you worry that your household would not have enough food?	0 = No (skip to Q2) 1=Yes	
1.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	
2	In the past four weeks (one month), were you or any household member not able to eat the kinds of foods you preferred because of a lack of resources?	0 = No (skip to Q3) 1=Yes	
2.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	
3	In the past four weeks (one month), did you or any household member have to eat a limited variety of foods due to a lack of resources?	0 = No (skip to Q4) 1=Yes	
3.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	
4	In the past four weeks (one month), did you or any household member have to eat some foods that you really did not want to eat because of a lack of resources to obtain other types of food?	0 = No (skip to Q5) 1=Yes	
4.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	

² Questions in this section are adopted from Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement of Food Access: Indicator Guide VERSION 3 (2007) by USAID



			Code (for household)
5	In the past four weeks (one month), did you or any household member have to eat a smaller meal than you felt you needed because there Was there not enough food?	0 = No (skip to Q6) 1=Yes	
5.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	
6	In the past four weeks (one month), did you or any other household member have to eat fewer meals in a day because there was not enough food?	0 = No (skip to Q7) 1=Yes	
6.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	
7	In the past four weeks (one month), was there ever no food to eat of any kind in your household because of lack of resources to get food?	0 = No (skip to Q8) 1=Yes	
7.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	
8	In the past four weeks (one month), did you or any household member go to sleep at night hungry because there was not enough food?	0 = No (skip to Q9) 1=Yes	
8.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	
9	In the past four weeks (one month), did you or any household member go a whole day and night without eating anything because there was not enough food?	0 = No (End of questionnaire) 1=Yes	
9.a	How often did this happen?	1 = Rarely (once or twice in the past four weeks) 2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks (one month)) 3 = Often (more than ten times in the past four weeks (one month))	



**DIETARY DIVERSITY :-
(TO BE ANSWERED BY FEMALE MEMBER OF THE HOUSEHOLD)**

Table 5: Diversity of Diet of the household

Srl.	Food Group	No. of days in last 7 days borrowed, (week) when consumption took place	Source (for household) 1- own production, 2- purchased, 3- 4-bartered, exchanged for labour, 5- gift from friends and relatives, 6- food aid from government, 7- other
1	Cereals and Tubers		
2	Pulses		
3	Vegetables		
4	Fruits		
5	Meat, egg and Fish		
6	Milk, curd		
7	Sugar		
8	Oil, butter		
9	Condiments		
10	Fortified foods		

Table 6: Dietary diversity of the female member of the household

Srl.	Food Group	No. of days in last 7 days borrowed, (week) when consumption took place	Source (for household) 1- own production, 2- purchased, 3- 4-bartered, exchanged for labour, 5- gift from friends and relatives, 6- food aid from government, 7- other
1	Cereals and Tubers		
2	Pulses		
3	Vegetables		
4	Fruits		
5	Meat, egg and Fish		
6	Milk, curd		
7	Sugar		
8	Oil, butter		
9	Condiments		
10	Fortified foods		

³ Questions in this section are adopted from 'Guidelines for measuring household and individual dietary diversity' by Gina Kennedy, Terri Ballard and MarieClaude Dop, Nutrition and Consumer Protection Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations (<http://www.fao.org/3/a-i1983e.pdf>)



HEALTH AND SICKNESS

Table 7: Age and head circumference for children below age 5

Srl (from household roster, for children below age 5)	Age (Year and month)	Head circumference (in cm)

Table 8: Details of sickness of household members

Srl. (same as from household Roster table 2)	Number of days in last four weeks (month) when person was sick	Reason for sickness Code)	Type of treatment received (Codes)	Expenditure on treatment (₹)	Did you have to borrow money for the treatment? 1- Yes, 2- No	Use of any welfare scheme like Ayushman Bharat (Yes/No)

Codes

1-Diarrhea/dysentery/other stomach related disease, 2—Malaria, 3- Other fever,

4- Measles5-TB, 6- Asthma, 7-Jaundice, 8- Diabetes, 9-Cancer, 10-Heart diseases 11- Covid-19, 12-Blood pressure 13 – Others specify.

Consultation codes

1-Government Hospital, 2-Private hospital, 3- Ayurvedic doctor 4-ASHA, 5-ANM, 6-Use traditional herbs 7- Jholachhaap doctor(informal medical practitioner), 8- Buy medicine from chemist himself/herself , 9- Did not consult anyone and did not use any medicine, 10- Other specify

Was there any death in the household during the last 12 months (year)? 0 – No, 1- Yes



Functional Literacy Reading paragraph

लोहारदगा जिला का सितारामपूर गाँव में 20 दीदी लोगों ने एक महिला समिति बनाए। सभी दीदी ने प्रति सप्ताह 10 रुपये जमा कर के कुल 1 लाख रुपये के आस पास बचत कर लिए। करीब करीब सभी दीदी को बैंक से लोन (कर्ज) मिला। इस कर्ज से सभी दीदी ने आजीविका के लिए कुछ न कुछ काम चालू किया।

Table 9: Writing response

	Word (to be said aloud, slowly and clearly by interviewer)	Response
1	Market	
2	Prime Minister	
3	Mahua	
4	सरना	
5	Family	

Numeracy test

1. $10 + 15 =$
2. $45 - 23 =$
3. $85 - 39 =$
4. $13 \times 26 =$
5. $98 \div 7 =$

Table 10: Details of literacy of an adult male and adult female member of the household

Srl.(from Household Roster)	Correctly read words (only from underlined in the paragraph for reading)	Correctly written words	Correctly solved sums



ACCESS TO LAND, WATER, AND FOREST

Table 11

	Own Land Decimal (100 decimal = 1 acre	Leased/rented/ mortgage Land in Decimal	Leased/rented/ mortgage Land out Decimal	Sharecropping in Decimal	Share Cropping out Decimal
Total Land					
Cultivable area as on kharif season in last 365 days					
Cultivable area as on Rabi season in last 365 days					
Cultivable area as on Summer season in last 365 days					
Facility available for three seasons? 1-Yes, 2-No					
If not, in which season irrigation is not available? 5.Kharif 6.Rabi 7.Summer					
If yes, For How much land is irrigation available in Kharif 1.All the land 2.Most of the land 3.Half of the land 4.Less than half 5.None					
Source of Irrigation in kharif (mark all that applies) 1.Well 2.Pond 3.River or Stream 4.Canal 5.Tube-well / Bore-well 6.Other specify					
If yes, For How much land is irrigation available in Summer 1.All the land 2.Most of the land 3.Half of the land 4.Less than half 5.None					



	Own Land Decimal (100 decimal = 1 acre	Leased/rented/ mortgage Land in Decimal	Leased/rented/ mortgage Land out Decimal	Sharecropping in Decimal	Share Cropping out Decimal
Source of Irrigation in Summer(mark all that applies) 1.Well 2.Pond 3.River or Stream 4.Canal 5.Tube-well / Bore-well 6.OthersOther specify...					
If yes, For How much land is irrigation available in Rabi 1.All the land 2.Most of the land 3.Half of the land 4.Less than half 5.None					
Source of Irrigation in(Rabi mark all that applies) 1.Well 2.Pond 3.River or Stream 4.Canal 5.Tube-well / Bore-well 6.OthersOther specify...					

Crop codes (for Table 12, Table 13, and Table 14)

CEREALS

- 1.Maize
- 2.Wheat
- 3.paddy
- 4.barley
- 5.siur/marsha/chalai
- 6.phoolan
- 7.ogla
- 8.phapra
- 9.kodra/madua
- 10.Gangdi
- 11.Sugar cane
- 12.Other, specify

PULSES

13. Rajma
14. Mash
15. Kulth
16. Soyabean
17. Masoor
18. Arhar
19. Urad
20. Other, specify _____

VEGETABLES

21. Potatoes
22. Peas
23. Beans
24. Cabbage
25. Tomatoes

26. Garlic
27. Katcha aloo
28. Chillies
29. Onion
30. Cow pea
31. Bengal gram
32. Green gram
33. Katchoo
34. Kanda
35. Cauliflowers

36. Lladylady fingers
37. Cucumber
38. Garlic, coriander, ginger.
39. Bitter gourd
40. Other gourd
41. Brinjal
42. Other,specify _____

OIL SEED

43. Oil seeds
44. Mustard
45. Linseeds
46. Other seeds, specify



Table 12: Kharif farming details

	Cereals/Pulses/Oil seed				Vegetable			
	Crop 1	Crop 2	Crop 3	Crop 4	Veg 1	Veg 2	Veg 3	Veg 4
1 Name of Crop								
2 Crop Code								
3 Area cultivated under this crop(Bigha)								
4 Total Production quintal								
5 What did you do to the crop? 1-Only consume 2-Only sell 3-Both								
6 If code 2&3, What quantity did your HH sell? (in quintal)								
7 Total (Gross) income from sell (in ₹)								
8 Cost of cultivation(in ₹)								
9 Net income (Total income from sell – cost of cultivation) in ₹								
10 Kharif net income (in ₹)								

Table 13: Rabi farming details

	Cereals/Pulses/Oil seed				Vegetable			
	Crop 1	Crop 2	Crop 3	Crop 4	Veg 1	Veg 2	Veg 3	Veg 4
11. Name of Crop								
12. Crop Code								
13. Area cultivated under this crop(Bigha)								
14. Total Production quintal								
15. What did you do to the crop? 1-Only consume 2-Only sell 3-Both								
16. If code 2&3, What quantity did your HH sell? (in quintal)								
17. Total (Gross) income from sell (in ₹)								
18. Cost of cultivation(in ₹)								
19. Net income (Total income from sell – cost of cultivation) in ₹								
20. Rabi Net income (in ₹)								



Table 14: Summer farming details

	Cereals/Pulses/Oil seed				Vegetable			
	Crop 1	Crop 2	Crop 3	Crop 4	Veg 1	Veg 2	Veg 3	Veg 4
21. Name of Crop								
22. Crop Code								
23. Area cultivated under this crop(Bigha)								
24. Total Production quintal								
25. What did you do to the crop? 1-Only consume 2-Only sell 3-Both								
26. If code 2&3, What quantity did your HH sell? (in quintal)								
27. Total (Gross) income from sell (in ₹)								
28. Cost of cultivation(in ₹)								
29. Net income (Total income from sell – cost of cultivation) in ₹								
30. Summer net income (in ₹)								

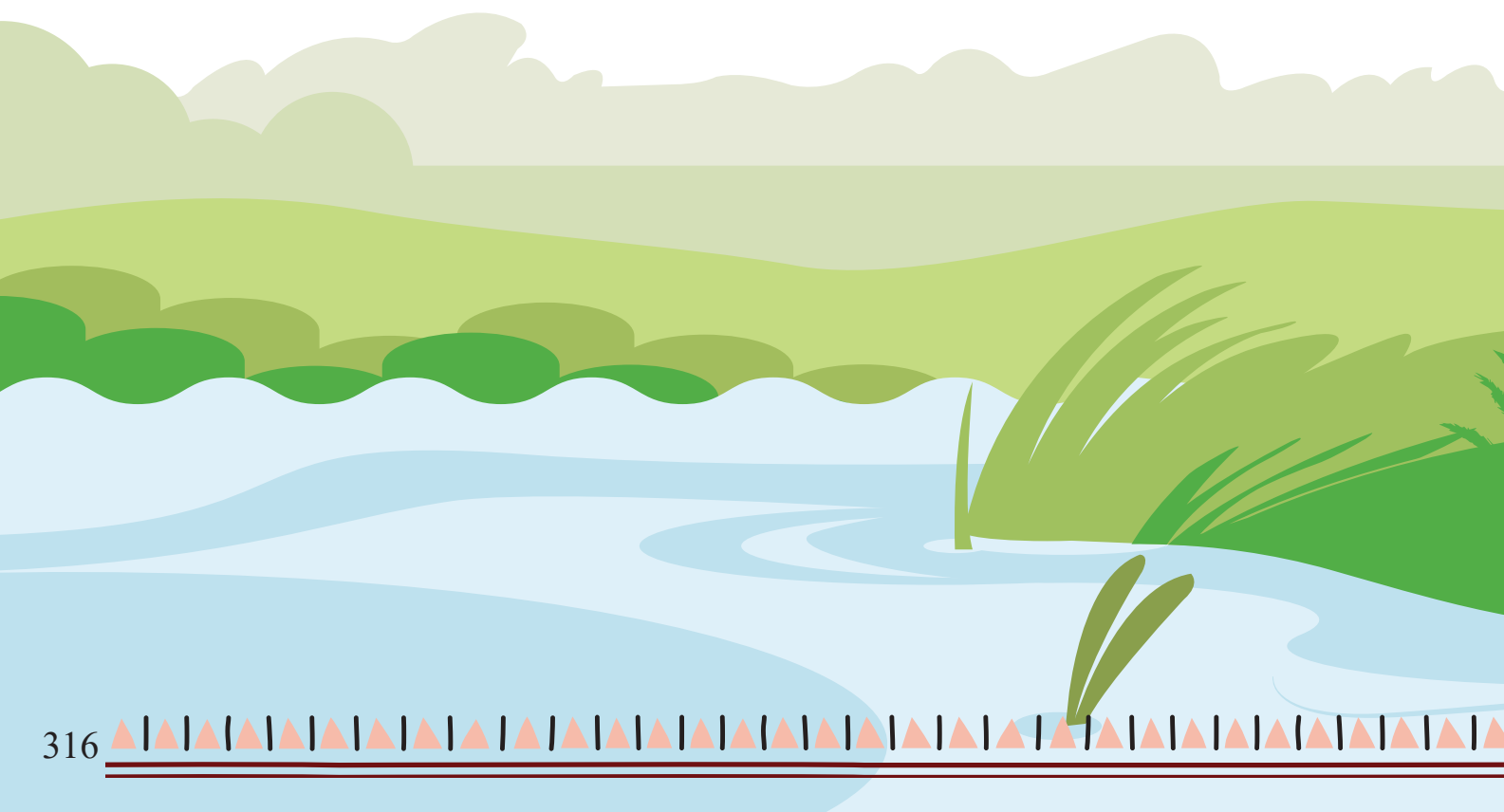


Table 15: Crops outside Kharif, Rabi and Summer seasons

	Crop Name	Code	Do you use it only for self-consumption?	Number of times sold produce in the market in last 12 months	Amount from last sell (₹)	Cost for last cycle (₹)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Code

1- Mango, 2 – Lemon, 3 – Papaya, 4 – Litchi, 5 – Guava, 6 – Jackfruit, 7 – Pomegranate, 8 – Sugarcane, 9 – Flowers, 10 – Others

1. Net income from farming (Kharif net income + Rabi net income + Summer net income + other crop net income) in ₹ - _____





Table 16: Livestock/Animal husbandry details

	Buffaloes	Cows	Goats	Poultry birds	Pigs	Fish	Other2
No. of Adult Female							
No. of Adult Male							
No. of Kids/Young							
Did you sell animals/animal produce? (1 -Yes, 0 – No_							
Total income from sell (in ₹)							
Cost of rearing (in ₹)							
Net income from animal husbandry (in ₹)							

2. How far is the forest from the village? ____ km
3. Do you depend on the forest to make your livelihoods? Yes/No
4. If Yes, please provide the details in Table 16.



Table 17: Forest produce details

Forest Produce	For Sale/household old consumption / Both	If sold, sale amount in Rs. (last year)	How satisfied are you with the sale price? (1= Pleased 2=Mostly Satisfied 3=Mostly dissatisfied 4= Unhappy)	If for sale, whom do you sell? Local market/Forest Department/Private contractor/Local Moneylender/Some community organization/Private Company/Others (Specify)	If sale, do you produce any value-added product or sell it as it is? Value addition takes place/Sell as it is
Fuelwood					
Fodder					
Saal / siali leaves /seeds					
Mahua flower /seeds					
Kendu leaves					
Seasonal fruits					
Honey					
Bamboo					
Tadi					
Mushrooms					
Chironji					
Surteli					
Timber					
Food (except seasonal fruits)					
Total income (in ₹)					

5. Have you heard about the Forest Rights Act? Yes/No
6. Do you have any land for which you have applied for IFR? Yes/No
7. If Yes, have you received a IFR for that land? Yes/No
8. How many gram sabha took place in the last year?
9. If any, did you attend?
10. If attended, did you raise any issue/demand/claim?
11. What is the source of drinking water for your household



Table 18: Drinking water source details

Source of drinking water	Yes/No	Do you get sufficient water from this source in summer? (1 -Yes, 0 – No)	Do you get sufficient water from this source in monsoon? (1 -Yes, 0 – No)	Do you get sufficient water from this source in monsoon? (1 -Yes, 0 – No)	According to you, is this a clean and safe source of drinking water?	Time to fetch water (in minutes and when source water is outside the premise)
Tap (inside premise)						
Handpump (inside premise)						
Dug well (inside premise)						
Public Stand-post						
Public Hand Pump						
Public Dug well						
Pond						
River						
Spring						
Tanker						

12. What sanitation facility do you have in your household? toilet/ under construction / No facility



ACCESS TO RIGHT AND ENTITLEMENTS

Table 19: Details of awareness and access to rights and entitlements

Srl.	Scheme name	Do you know about the scheme? 0- No, 1- Yes	If yes anyone from the household is eligible	If yes, have you applied for the scheme?	If yes, have you received the benefit? 0- No, 1-Yes	In case the benefit is monetary, what is the amount received? Rs.	In case the benefit was in kind, what was the received benefit? Rs.	Are you satisfied with this scheme? Yes -1, No-0
	RTE							
	Ujjwala							
	Swachh Bharat(Toilet)							
	Ayushman Bharat (Health card)							
	PM Awas xYojana							
	PM Kisan							
	Janani Suraksha							
	Yojana							

What is the PDS card type of the household?

1-APL, 2- BPL, 3- Antyoday, 4- No PDS card

Sex of the Cardholder-

1- Male, 2- Female, 3-Other

Table 20: Information about PDS use

Srl.	Item name	Quantity obtained in last 30 days (month)	Expenditure
1	Rice		
2	Wheat		
3	Pulses		
4	Sugar		
5	Oil		
6	Kerosene		
7			



MIGRATION

1. Has this member left the village for work even for a day during last one year? _____,

1-Yes, 2-No,

2. if No then go to Next Section

Table 21: Migration details

ID from HH roster	Month(s) in which migrated (it can be more than one) Months	How many days does he / she spend out of the village ? # Days	What is his/ /her main occupation as a migrant? Occupation Code	Total earning amount in this migration instance Rs.	How much money did he/she send to the household? Rs.	Name of the state/ location where migrated Drop down State

Occupation code for migration:

1. Daily wage laborer/labourer
2. Labor/labour intensive work with monthly wages (factory, cottage industry)
3. Small trader (e.g. fruit or vegetable cart, eatables)
4. Employed as service providers (excluding maid servants – e.g. barber, laundry, beauty parlor/parlour, waiter)
5. Entrepreneur in service provision ((excluding maid servants – e.g. barber, laundry)
6. Maid servants or household servant
7. Salaried employee with outdoor work (sales executives, commission agents, CSO, security)
8. Salaried employee with desk-based job in government owned establishment
9. Salaried employee with desk-based job in private sector establishment



NON-FARM ACTIVITIES**Table 22: Non-farm activities details**

	Non-farm activity 1	Non-farm activity 2	Non-farm activity 3
Nature of activity			
For how long one or more members of the household were involved in the activity in the last 365 days?			
Total receipts (in ₹)			
Cost of operation (in ₹)			

10. WAGE, SALARY, AND PENSION EARNINGS**Table 23**

HH roster ID	Number of days in last 365 days when member was engaged in the wage-earning activity	Nature of activity	Total wage earnings earnings in last 365 days (in ₹)

Table 24 : Earning from Salary or pension

HH roster ID	Salary or pension received in last month (in ₹)

CREDIT

Table 25: Credit details

Sr.	Source of credit	Credit taken in last one year (Yes/No)	Number of times loan taken in last one year	Highest amount in the last year (Rs.)	Annual Rate of Interest (%)	Reason for credit (Health/ /Business/ Education/ House Repair/ Others (Specify))	Any outstanding loans (Yes/No)	Amount outstanding (in ₹)
1	Bank (Private Commercial)							
2	Bank (Public Commercial)							
3	Bank (Regional Rural)							
4	Bank (Cooperative)							
5	MFI							
6	SHG							
7	Friends and Relatives							
8	Moneylender							



DECISION MAKING WITHIN HOUSEHOLD
(TO BE ANSWERED BY FEMALE MEMBER OF THE HOUSEHOLD)

Table 26

	Decision	Codes: - Who makes the final decision?
		1= Didi 2- Dada 3=Joint (Didi & Dada) 4=Adult son 5=Adult daughter 6=Daughter-in-law 7=Young daughter 8=Young son 9=Mother/Mother in law 10= Father/Father in law 11=Brother/ Brother in law 12=Other specify 99=not applicable
1	Children's education	
2.	Livelihood investments (crop choices, etc)	
3.	Daily household purchases	
4.	Asset purchase or sale	
5.	Taking loans	
6.	Use of SHG loans	
7.	(Ask only if married) respondent visiting natal family	
8.	(Ask only if married) family size	

REPORT CARD OR PERCEPTION RATINGS

- Are you satisfied with the efforts of the Government to develop the life and livelihoods of Adivasi (tribal) communities? 1- Yes, 0- No
- Are you satisfied with the efforts of non-governmental agencies to develop life and livelihoods of Adivasi (tribal) communities? 1- Yes, 0- No
- On the following scale, how much do you think your life has improved during the last year?
 1- great improvement, 2- somewhat improved, 3- no improvement, 4- somewhat worsened, 5- greatly worsened

Table 2: Access to natural resources

Are there any common/ public water bodies (River, tank, Pond, reservoir, etc.) in and around the village? Yes/No			If yes, Distance from the nearest water body: _____kms/Inside village boundary				
Who is the owner of the waterbody? Panchayat/Irrigation/Forest/Others (Specify)			Do villagers/people in the hamlet use the waterbody? Yes/No				
If Yes, what purpose?			How old is the waterbody?				
Has there been any changes in the size/ depth of the waterbody recently? Yes/No			If Yes, What?				
No. of waterbodies			Has there been any changes in the use that the villagers drew from the waterbody? Yes/No				
If yes, What?			Currently who manages the waterbody?				
Drinking water source in the village/hamlet:	Source	Individual Tap connection	Public Hand Pump	Public Standpost	Public Dug well	Public sanitary well	Private Hand Pump
	Nos.						
Change in the dependence on different drinking water sources in last 5 years:	Source	Individual Tap connection	Public and Pump	Public Standpost	Public Dug well	Public sanitary well	Private Hand Pump
	Increased/ Decreased/ Constant						
Are there mines nearby? (Yes/No)	Are water bodies being contaminated due to the presence of mines? (Yes/No)						
What proportion of households have toilets? _____			Has there been any change in the trend of having toilets in the village in recent years? Increased/Decreased/No change				
Is there any drainage system in the village? Yes/No			If Yes, what is the system like? Open/Closed/ Not applicable.				
Is there any forest nearby? Yes/No			If yes, how far? _____kms				
Do people from the village/hamlet depend on the forest for the following? Yes/No			Has there been any change in availability in the last one decade? Availability has increased /Decreased/Remain same				
Fuelwood			Fuelwood				
Fodder			Fodder				
Timber			Timber				
Food items			Food items				
Medicine			Medicine				



Number of households in the village have applied for IFR? ____/N.A.	Number of households have received IFR? ____/N.A.					
Has the village applied for any CFR? Yes/No/N.A.	Has the village received any CFR? Yes/No/N.A.					
What proportion of/how many households are landless?						
Approximately number of households in the village/hamlet having irrigation pump sets?						
Approximately, how many households in the village/hamlet engage in summer and rabi agriculture?	Season	Winter (Rabi)		Summer	Both	
	Number					
Approximately, how many households in the village/hamlet engage in animal husbandry	Dairy	Poultry	Goattery	Sheep	Fishery	Piggery
In the last 12 months, were there any incidences of crop-damage due to animal attack (like Elephant / Monkey/Wild boar)? Yes/No	If yes, has there been an increase of such incidents? Yes/No					
Has contract farming started in your village?						
Do people in the village leave their cattle for free grazing post Kharif cultivation? Yes/No	If yes, does such practice constraint rabi/summer cultivation? Yes/No			If yes, has the village/hamlet collectively taken any action to stop free grazing (<i>paashubaandi</i>)? Yes/No		

Table 3: Access to state's development services/agencies

Do you have primary school in the hamlet/village? Yes/No	If No, what is the distance of nearest primary school? ____ kms	Do you have secondary school in the village? Yes/No	If No, what is the distance of the nearest secondary school? ____ kms
Do you have a higher secondary school in the village? Yes/no	If No, what is the distance of the nearest higher secondary school? ____ kms	Do you have a college in the village? Yes/No	If No, what is the distance of the nearest college? ____ kms
% of households having a member who has passed class X:	% of households having a member who has passed class XII:	% of households having a college drop-out member:	% of households having a graduate member:
ICDS/Anganwadi Centre in the hamlet/village: Yes/No			
Does a monthly vaccination programme take place at the ICDS/Anganwadi centre? (Yes/No)			



Is there any ASHA didi in the hamlet/Village? Yes/No		Does ASHA didi have an essential medicine kit with her? Yes/No		If yes, has anyone from hamlet received medicine from this kit? Yes/No	
Distance from PHC? _____ kms	Distance from CHC? _____ kms	Nearest pharmacy shop from the village: _____ kms/ Inside village		Are households from the hamlet/village associated with any NGO (Sanstha)? Yes/No	
PDS shop inside village/hamlet premises: Yes/No					
THE program functional in village: Yes/No					
Mid-day Meal program functional in the village? Yes/No					



L3 SCHEDULE FOR FOCUSSED GROUP DISCUSSION AT THE VILLAGE/HAMLET LEVEL

Sampling Strategy:

Altogether there are 56 blocks sampled for the study. The details are given below:

State	No. of Tribal Block	No. of PVTG block	Total
MP	24	3	26 (1 PVTG block is common with tribal block)
Chhattisgarh	27	3	30
Total	51	6	56

FGD in Adivasi village:

One Adivasi village has to be selected by the investigator in each of the selected 45 blocks for FGD with Adivasis. Out of those 45 blocks, 15 each have been selected for FGDs with women, youth (age between 18 to 35 and people from all sexes) and the mixed group (in terms of age and sex). The name of blocks for the FGD with Adivasis, mentioning FGD type (mixed, youth and women),

FGD in PVTG villages:

A PVTG village will also be selected from each of the three selected PVTG blocks for FGD. The details are given below:

FGD in non-Adivasi villages:

FGDs have to be conducted with the non-Adivasis in the six non-Adivasi villages.

Changing FGD type:

If the investigators want to change the FGD type in any block, they have to inform the central team before doing so.

Group size for FGD:

Group size should be a minimum of 12 people and a maximum of 20 people.

Common Set of Question

1. Village
2. Block
3. District
4. State
5. Number of hamlets in the village
6. Number of Adivasi hamlets
7. Number of households in the Adivasi hamlets/village:



Set of Questions to be administered during FGD with women residents in the village:

1. Do you face any problems regarding water for drinking and other domestic use in different seasons? Please elaborate.
2. How are government programs such as ICDS, Anganwadi, MDM and THR working in the village?
3. How is forest important in your life? Is the forest changing in terms of density, species, access, the safety of women, etc.? Is the change good or bad? Who/what is responsible for this change? What are the major MFPs
4. Do you people harness it/harness? Please prioritise five major MFPs in the context of the amount of harness. What is the most painful work for you at the time of harnessing the MFP(s)?
5. How is the livelihood of people changing in terms of dependency on the forest, agriculture, wage and migration? What are the reasons? How have women been impacted by these changes?
6. How is women's involvement in the market changing?
7. Do women participate in Gram Sabha? Are issues raised by women discussed? Who takes the decision in Gram Sabha? What are the norms of Gram Sabha meetings in your area?
8. What issues do women in migrants' households face, both when women migrate and when they stay back?
9. How has migration impacted women's involvement and decision making in agriculture?
10. What is the position of women in Adivasi society in comparison to non-Adivasi society? -What kind of the response we expect.
11. What is your idea of a good life?

Set of Questions to be administered during FGD with mixed group in the village:

1. Do you know about the provisions around Forest Rights? Are your village and villagers eligible? What issues are you facing related to accessing the forest rights, both CFR and IFR? If received, what have been the benefits and challenges?
2. Do you know about the PESA? Do you think that PESA is getting implemented in letter and spirit? -Better to exclude this question in Chhattisgarh because of several recent incidents in the State around it.
3. How is the livelihood of people changing in terms of dependency on the forest, agriculture, wage and migration? What is the reason? What is the impact?
4. Do you think Adivasi society and its culture are different from the rest? What are the Adivasi cultural and social practices that you cherish? Are there any non-Adivasi practices that you feel are worth absorbing in Adivasi culture? Is there any area in Adivasi culture/ lifestyle that which you think should be changed?
5. What is the position of women in Adivasi society in comparison to non-Adivasi society?
6. What is your idea of a good life?

Set of Questions to be administered during FGD with young residents (20-35 years) in the village:

1. Do you think Adivasi society and culture are different from the rest? What are the Adivasi cultural and social practices that you cherish? Are there any non-Adivasi practices that you feel are worth absorbing in Adivasi culture? Is there any area in Adivasi culture/ lifestyle which you think should be changed?
2. What are youths from this village doing, by and large (e.g. Studying, working in the village, working outside, etc.)? What issues are they facing in whatever they are doing?
3. What is your idea of a good life? Given an opportunity, what do you want to do in life?
4. Rank five major priorities of your life?? What should be the five major priorities of the government for your Panchayat, Block and State??
5. What is the position of women in Adivasi society in comparison to non-Adivasi society?
6. What is the response of men in the village to see the change in women?



L4 PERSONAL INTERVIEW WITH EMINENT ADIVASI LEADERS

Sampling Strategy:

We want to interview Adivasi leaders who are concerned about Adivasi communities and have ideas/ bird's eye view about Adivasi life and livelihoods. PRADAN and partner agencies, who will undertake the data collection, will identify a list of some 40-45 of them in Chhattisgarh and Madhya Pradesh. The sample should be diverse in terms of gender, age, tribe, profession, region. These Adivasi leaders will act as key informants with whom semi-structured interviews will be undertaken by a select group of field investigators/- study team.

Method:

1) Introduction and sharing the objectives, 2) Taking permission for recording the interview, 3) Ask Questions one by one from copy-book/ print out

Material:

Questionnaire, recording device

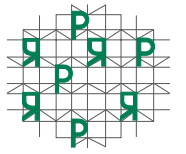
Semi-structured Interview Questions:

1. Do you think Adivasi society and culture are different from the rest? If so, in what ways do you think these societies are different?
2. What are the Adivasi cultural and social practices that you cherish?
3. Are there any non-Adivasi practices that you feel are worth absorbing in Adivasi culture?
4. How have the inter-tribal relationships (Adivasi-PVTG or Adivasi-Adivasi) evolved in MP/ Chhattisgarh?
5. Are traditionally held values, cultures and practices in different Adivasi societies changing? If yes, how? What are the factors that are resulting in such a change?
6. How are the aspirations of different sections of Adivasi people changing?
7. How do you look at the position of women in different Adivasi communities in MP/Chhattisgarh? Do you see any change in gender relationships? If yes, why and how?
8. Do you see a change in the way the tribal people associate themselves with the forest? Is there any change in access and control over the forest? Is FRA making any difference?
9. How is landholding changing? What are the factors for this change? What about women's ownership of land?
10. How have the traditional agriculture practices changed/evolved over time?
11. To what extent the traditional systems in the tribal society had a built-in component to avoid extreme kinds of deprivation resulting in starvation or death? Can you give specific instances of such systems? Are those changing?
12. How has the relationship with the market (as an arena where the monetary transaction takes place against the sale of goods or services) evolved/changed within tribal society?
13. Has there been any change in the livelihood activities and practices? What are the possible factors contributing to that change?
14. How do you see the status of education? Is there any difference in different Adivasi communities? Has there been any change? What are the possible factors contributing to that change?
15. What roles are different actors (Govt. CSOs, bank, etc.) playing? What is working well, and what needs improvement?
16. According to you, what could be the most crucial factor to impact well-being?



Prepared by
Professional Assistance for
Development Action (PRADAN)





आदिवासी आजीविका की स्थिति 2022

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

Status of Adivasi Livelihoods 2022



मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल
जिलों में घरेलू सर्वेक्षणों के व्यापक विश्लेषण के माध्यम
से अंतर्दृष्टि को उजागर करना और परिवर्तन लाना





अर्जुन मुंडा
ARJUN MUNDA



भारत सरकार
SHRI SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110001



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

मंत्री
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110001

संदेश

मुझे प्रसन्नता है कि "प्रदान" संस्था ने आदिवासी समुदायों के आजीविका से संबंधित उल्लेखनीय अध्ययन पिछले कई वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों में किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जनजातीय बहुल राज्य हैं और यहां निवासरत विभिन्न समुदायों के जीविकोपार्जन का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। संस्था ने दोनों राज्यों के लगभग 6,000 परिवारों के सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट संकलित किया है। इस रिपोर्ट में जनजातीय समुदायों के विभिन्न पहलुओं जैसे शैक्षिक स्तर, भूमि संबंधी जानकारी, वन संपदा पर निर्भरता, जीवन-यापन के मार्ग एवं आय के विभिन्न संसाधनों पर जानकारी दी गई है।

मैं "प्रदान" संस्था के इस प्रयास की सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि उनकी यह उपलब्धि दोनों राज्यों में आदिवासी समाज के कल्याण हेतु कारगर सिद्ध होगी। जनजातीय समुदाय की उपलब्धियां देश की प्रगति के लिए काफी अहम हैं।

संस्था द्वारा आदिवासी समाज कल्याण की दिशा में योगदान हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(अर्जुन मुंडा)

नई दिल्ली

दिनांक:- 10 अगस्त, 2023



मुझे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल करते हुए “ आदिवासी आजीविका स्थिति” पर वर्ष 2022 की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है।

पूरे इतिहास में, इन समुदायों को खनिज संसाधन निष्कर्षण, बांध निर्माण, औद्योगिक सेटअप और वन्यजीव अभयारण्यों के कारण विस्थापन और बेदखली का सामना करना पड़ा है। सीमांत भूमि जोत, ऊबड़-खाबड़ इलाके, सीमित सिंचाई और घटते वन संसाधनों ने आदिवासियों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिस कारण अक्सर उन्हें शहरी क्षेत्रों में छोटी-मोटी नौकरियाँ तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा है। परिणामस्वरूप, आदिवासी, विशेषकर मध्य भारतीय क्षेत्र के आदिवासी, हमारे देश में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले वर्गों में से एक बन गए हैं।

हाल के वर्षों में भारत सरकार आदिवासियों के विकास के लिए गंभीरता से काम कर रही है। वर्तमान केंद्र सरकार, विशेष रूप से, अनुसूचित जनजाति (एसटी) से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) समुदायों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को समर्पित निधि में पर्याप्त वृद्धि के साथ, अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) हेतु महत्वपूर्ण बजट आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, अगले तीन वर्षों में उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समर्पित ₹15,000 करोड़ की निधि प्रदान की गयी है। इसके साथ-साथ, पीवीटीजी की जीवन स्थितियों को ऊपर उठाने के लिए नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।

इन प्रयासों के अनुरूप, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने भी आदिवासी विकास और रोजगार योजनाओं के लिए पर्याप्त धन आवंटित करके सक्रिय कदम उठाए हैं।

चार दशकों से मध्य भारतीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करते हुए, प्रदान हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आजीविका स्थिति में सुधार के लिए समर्पित है, लगभग 60% अनुसूचित जनजाति समुदाय तक हमारी पहुँच है। कई अन्य नागरिक समाज संगठन भी आदिवासियों के कल्याण और आजीविका व अन्य आवश्यक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से योगदान कर रहे हैं।

इस यात्रा में, हमने आदिवासी आजीविका की वर्तमान स्थिति, उनके सामने आने वाली चुनौतियाँ और सार्थक कार्यशीलता के अवसरों को समझने के लिए सामूहिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता की पहचान की है। अब तक, इस तरह की जानकारी की कमी है, जिसने हमें 2021 से आदिवासी आजीविका की स्थिति (एसएएल) पर सामयिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया है।

शुरुआती साल में हमने, झारखंड और ओडिशा पर ध्यान केंद्रित किया था। इस वर्ष, हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को शामिल कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का उद्देश्य एक मजबूत डेटाबेस तैयार करना है जो अनुसूचित जनजाति समुदायों और आसपास रहने वाले अन्य लोगों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को सक्षम बनाता है, साथ ही सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और चिकित्सकों के लिए उनके काम की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु साक्ष्य भी तैयार करता है।

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, हमने दोनों राज्यों में नागरिक समाज संगठनों और सरकारी अधिकारियों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित की हैं, और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में उनके बहुमूल्य इनपुट को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, हमने इस रिपोर्ट के प्रसार के लिए पीरामल फाउंडेशन के अनामया आदिवासी स्वास्थ्य समूह के साथ सहयोग किया है।

मैं आशा करता हूँ कि यह रिपोर्ट भारत में आदिवासी लोगों के समावेशी और स्व-निर्धारित विकास की दिशा में चल रहे प्रयासों की दक्षता में तेजी लाने, हितधारकों को निर्णय लेने में सक्षम बनाने के साथ-साथ उनके ज्ञान परंपरा को संवर्धित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सरोज महापात्रा

कार्यकारी निदेशक, प्रदान
दिल्ली, अगस्त 2023



‘प्रदान’ ने 2022 में आदिवासियों की आजीविका की स्थिति (एसएएल) पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी किया है, जो झारखंड और ओडिशा राज्यों के आदिवासियों की आजीविका की स्थिति पर केंद्रित है। रिपोर्ट का उद्देश्य इन क्षेत्रों की आजीविका पर प्रदान और विभिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले पहल के प्रभावों को समझना था। विशेष रूप से यह रिपोर्ट व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ, जिला विशिष्टताएं, आजीविका के स्रोत, पारिस्थितिक सेटिंग्स, भौतिक बुनियादी ढांचे (जैसे सड़क की स्थिति और संचार साधन), सामाजिक बुनियादी ढांचे (शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित) सहित विभिन्न कारकों को शामिल करते हुए एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। व्यक्तिगत और सामुदायिक संपत्ति, और सांस्कृतिक गतिशीलता के साथ साथ, यह आबादी, क्षेत्रों और राज्यों में अलग-अलग परिणामों पर प्रकाश डालता है।

आदिवासी आजीविका की स्थिति (SAL) 2022

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि प्रदान ने इस पहल में एक कदम आगे बढ़ाया है और अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए एक समान रिपोर्ट लेकर आया है। यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 22 जिलों के 55 ब्लॉकों में फैले 6019 घरों के अध्ययन पर आधारित है। इसके निष्कर्ष रोचक और कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट झारखंड और ओडिशा के लिए जारी रिपोर्ट में उल्लेखित प्रासंगिक मापदंडों के साथ एकरूपता बनाए रखती है, जिससे भविष्य में विभिन्न राज्यों में आदिवासी आजीविका के मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा सुनिश्चित होती है।

यह रिपोर्ट न केवल प्रदान के लिए बल्कि छात्रों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों और व्यापक जन समूहों के लिए भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। यदि ऐसे अध्ययन वार्षिक आवधिक अंतराल पर किए जाएं तो ऐसी रिपोर्टों का मूल्य और अधिक बढ़ जाता है। निस्संदेह, यह प्रयास हस्तक्षेप के स्थायी और दूरगामी प्रभाव को समझने और मूल्यांकित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

वर्जिनियस खाखा

राजेश तिवारी
सलाहकार
घान्नीय मुख्यमंत्री



छत्तीसगढ़ शासन
D-1/R, ऑफिसर्स कॉलोनी, देवेन्द्र नगर,
रायपुर, छत्तीसगढ़
ई-मेल : tiwarikanker@gmail.com

क्रमांक : 150
दिनांक : 27.07.2023

संदेश

—00—

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान इसके आदिवासी समुदायों, उनकी अनूठी भाषाओं, जीवन त्योहारों, लोक संगीत और नृत्य रूपों, उत्कृष्ट हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजनों और आध्यात्मिक मान्यताओं से है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि इसके मूल निवासी की गहरी विरासत को दर्शाती है और राज्य के अद्वितीय सांस्कृतिक ताने-बाने में योगदान करती है। छत्तीसगढ़ का लगभग 44 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है, जो अच्छी वर्षा और तुलनात्मक रूप से कम जैविक हस्तक्षेप जैसी अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों के कारण जैव विविधता में बहुत समृद्ध है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न पहल लागू की हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, भूमि अधिकार, कौशल विकास और आजीविका संवर्धन से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार को मान्यता देने में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। अनुसूचित जनजाति समुदाय और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को 4.41 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 46000 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार वितरित किये गये हैं। हालांकि, आदिवासियों के जीवन में पर्याप्त सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासों और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने, भूमि अधिकार सुरक्षित करने, स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देने, कौशल विकास के अवसर प्रदान करने और सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने पर केंद्रित हो। प्रदेश के वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर 61 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। नागरिक समाज संगठनों, एजेंसियों, और स्वयं आदिवासी समुदायों के बीच सहयोग टिकाऊ समाधान बनाने के लिए आवश्यक है जो आदिवासियों की आजीविका को ऊपर उठाकर छत्तीसगढ़ को समग्रविकास की ओर लेके जा सकता है।

भवदीय,

(राजेश तिवारी)

विषय – सूची

आभार ज्ञापन	8
इन्फोग्राफिक्स (आलेख जानकारी)	11
परिचय	46
भारत में अनुसूचित जनजातियाँ	48
"विकास" और आदिवासी लोग	50
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़	51
इस रिपोर्ट के बारे में	53
01 - अध्ययन की पद्धति	55
02 - सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार, जिसमें आजीविका चलती है	65
03 - आजीविका चलाने वाले संसाधन आधार	71
04 - अवसंरचना और संसाधन विकास	75
05 - परिवार की विशेषताएँ	87
06 - आदिवासियों की आजीविका संबंधी प्रथाएँ	107
07 - आजीविका संबंधी परिणाम	133
08 - आदिवासी समाज में महिलाएँ और आजीविकाएँ	151
09 - विश्लेषण: संसाधनों और आजीविका परिणामों के बीच का संबंध	173
10 - निष्कर्ष	181
11 - अनुलग्नक	185





इस रिपोर्ट को तैयार करने में मिलने वाले सहयोग के लिए हम सभी योगदानकर्ताओं के प्रति प्रदान की तरफ से आभार ज्ञापित करते हैं।

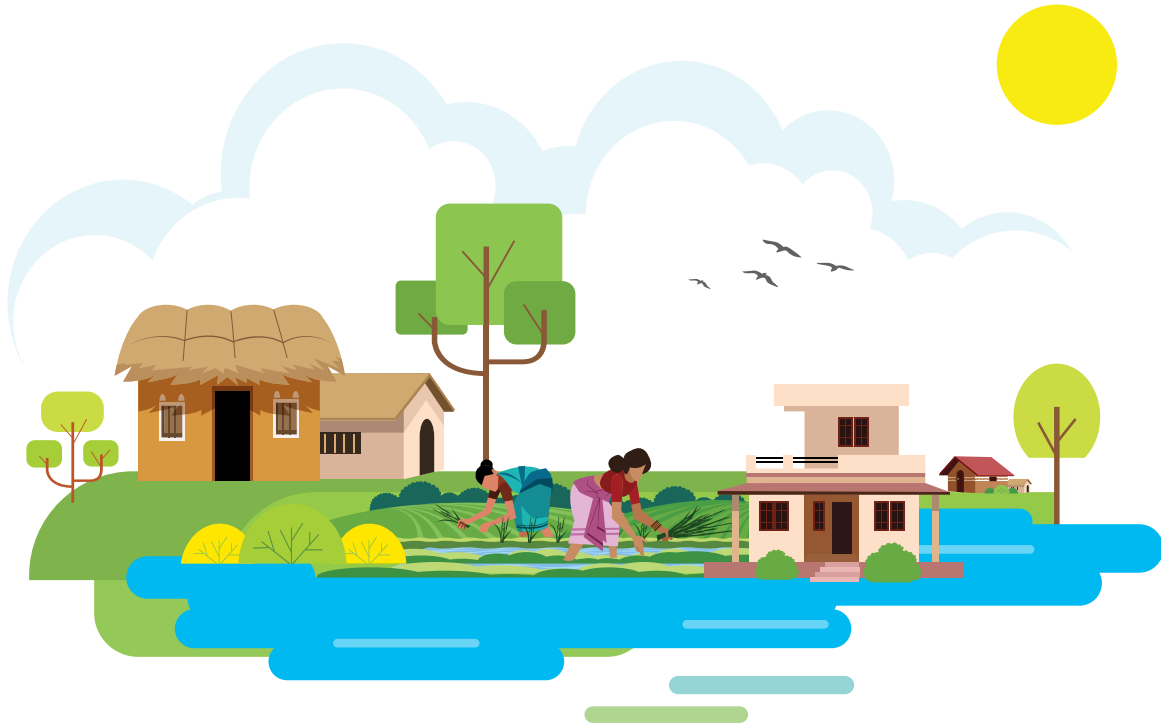
अध्ययन समूह: यह एक मुख्य समूह है, जो अध्ययन पद्धति और अध्ययन उपकरण तैयार करने के साथ साथ डेटासंग्रह, डेटा विश्लेषण के समन्वय और रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने से संबंधित है। इस समूह के सदस्यों द्वारा आदिवासी बुद्धिजीवियों और नेताओं के साथ साक्षात्कार भी लिए गए। अध्ययन समूह के सदस्यों में - अमित कुमार (प्रदान), अमित कुमार सिंह (प्रदान), दिब्येंदु चौधरी (प्रदान), किरण लिमये (सलाहकार), नलिनीकांत गौड़ो (प्रदान), पारिजात घोष (प्रदान), रमणीक पनेसर (प्रदान), सुदर्शन ठाकुर (प्रदान) शामिल हैं।

आभार ज्ञापन

आंकड़ा संग्रह और समेकन टीम: अकांश सोनी (मस्ट), अनुराध सिंगरौरे (प्रदान), भरत नामदेव (जेबीएसके), भूपेंद्र सिंह (संगता सहभागी ग्रामीणविका संस्थान), चिराग शकुंतला बारिया (प्रदान), दिनेश जायसवाल (प्रदान), धीरेंद्र मिश्रा (एग्रोक्रेट्स सोसाइटी फॉर रुरल डेवलपमेंट), जी तरुणकुमार (प्रदान), हिमाद्रि दास (प्रदान), कमलसिंह देवल (काई), खुशबू बिसेन (प्रदान), ममता कुजूर (जशपुर जनविका संस्था), प्राजक्ता काले (एमजीएसए), प्रीतम गुप्ता (प्रदान), राजेशकुमार मिश्रा (सृजन), रामदास नागरे (पार्थ समिति), रिजवान (प्रदान), रोशन पाटिल (ग्रीन फाउंडेशन), सबीरा याकूब (प्रदान), संकेत जोशी (प्रदान), शाकिर पठान (समावेश), शिव झाड़ी (साथी समाजसेवी संस्था), सोहन विश्वकर्मा (प्रदान), सोमेश विजय धोंगड़े (प्रदान), सौम्य रंजन (समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट), सुरेश पटेल (कर्म-दक्ष), तुलसी चरण प्रधान (प्रदान)।

198 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा ग्राम स्तरीय आंकड़े और घरेलू आंकड़े एकत्र किए गए।



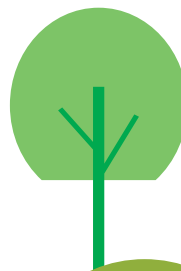
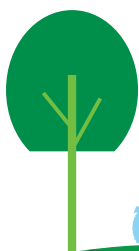


रिपोर्ट और वेबपेज डिजाइनिंग: प्रदान की एक टीम जिसमें दिव्येंदु चौधरी, पारिजात घोष, सुपणों चटर्जी और सुधीर साहनी शामिल थे, द्वारा रिपोर्ट की हार्ड कॉपी और वेबपेज लेआउट डिजाइन किया।

आंतरिक समीक्षा: इस रिपोर्ट की समीक्षा एक टीम द्वारा की गई जिसमें दिवा रस्मी चौधरी, कुंतल मुखर्जी, मनोजकुमार, समीरकुमार, संकेत रंजन जोशी, सतीश पटनायक, सोनुबल आई .वी., सुमेन्दर पुनिया शामिल रहे।

सलाहकार टीम: डॉ. वर्जिनियस खाखा, मानस सत्पथी, डॉ. संजीव फणसलकर, सरोज महापात्रा, तमाली कुंडु।

प्रसार भागीदार: अनामया, जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगी
इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारी मदद करने में हमारी गिनती से कहीं अधिक लोग सहयोगी रहे, उनका सहयोग और समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण था। उनके बहुमूल्य योगदान के बिना हम अध्ययन पूरा करने और इस रिपोर्ट को संकलित करने में सक्षम नहीं होते। हम उनमें से प्रत्येक के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।



इन्फोग्राफिक्स (आलेख जानकारी)



ए. कार्यप्रणाली

इस अध्ययन में अनुसूचित जनजातियों/जनजातियों/आदिवासियों की आजीविका की स्थिति का आकलन करने के लिए निम्नलिखित छह पहलुओं को शामिल किया गया है:

- सांस्कृतिक लोकाचार, जिसके अनुसार आजीविका चलाई जाती है
- वह संसाधन आधार जिसके अंतर्गत आजीविका चलती है
- बुनियादी ढांचे और संसाधन विकास के संदर्भ में बाहरी हस्तक्षेप
- परिवारों के स्वयं के गुण
- आजीविका में अपनाई जाने वाली विशिष्ट गतिविधियाँ
- आजीविका संबंधी परिणाम



मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 22 जिलों और 55 ब्लॉकों में 6,019 परिवारों का एक घरेलू सर्वेक्षण; इनमें से 4,745 आदिवासी हैं, 393 पीवीटीजी हैं, और बाकी 881 गैर-आदिवासी परिवार थे। आदिवासी समुदायों की टिप्पणियों और विचारों को प्राप्त करने के लिए 50 गांवों में फोकस समूह चर्चा। आदिवासी प्रश्न से निकटता से जुड़े और जानकारी 28 प्रमुख आदिवासी और गैर-आदिवासी व्यक्तियों से गहन बातचीत की गई। यह सर्वेक्षण मध्य प्रदेश में मई 2022 से जुलाई 2022 तक और छत्तीसगढ़ में मई 2022 से अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, इस रिपोर्ट की तालिकाएँ प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

बी. सांस्कृतिक लोकाचार



“सांस्कृतिक प्रथाएँ, विचारधाराएँ और आकांक्षाएँ बदल रही हैं और मेरे विचार से, यह विकास की प्रक्रिया है। 40 साल पहले जैसी स्थिति थी वैसी नहीं हैं; बाहरी दुनिया के साथ संपर्क और अंतर-सांस्कृतिक शिक्षा के चलते परिवर्तन हुआ है। हालाँकि, हम इस परिवर्तन को रोकने के लिए बाहरी दुनिया के साथ अपनी बातचीत को रोक नहीं सकते हैं; ऐसा करना हमारे अस्तित्व के लिए हानिकारक होगा।

-ऐलिस लाकड़ा

“बैगा और दूसरा जनजाति, जैसे गोंड, उनमें भी अंतर है। जैसे नृत्य में देखें तो हमारा जो है चार नृत्य है- बैगा प्रभु, बैगा कर्मा, बैगा फाग और घोड़ी पेठाई और गोंड के है सैला, रीना और डंडा। कर्मा भी करते हैं गोंड, लेकिन उनका कर्मा और बैगा का कर्मा पद्धति में अंतर होता है। और अगर आप गोदना (टैटू) देखेंगे गोंड और बैगा का, वो भी अलग होगा।

-अर्जुन सिंह धुर्वे

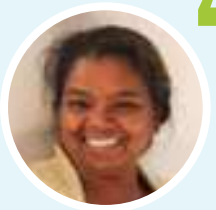


“हालाँकि आदिवासी जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन यह पदानुक्रम से पूरी तरह मुक्त नहीं है। आदिवासी समुदायों के भीतर, अनुष्ठानों और प्रथाओं में कुछ पदानुक्रम और अंतर हैं।

-ऐलिस लाकड़ा

“अगर आदिवासी अपने मूल्यों, विश्वदृष्टि, जीवन शैली को बदलते हैं, तो वे अब आदिवासी नहीं कहलाएंगे। पारंपरिक व्यवस्थाएँ और जीवन शैली आदिवासी समाज के स्तंभ हैं और हम इन्हें कमजोर नहीं करना चाहते हैं, अन्यथा हमें या तो हिंदू धर्म या ईसाई धर्म की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

-मानक दरपट्टी



“हमारे पुरखों ने बहुत मेहनत करके जमीन बनाई और हमें दिया। पर अभी जो पीढ़ी है, उनका ज़मीन से लगाव ख़तम हो रहा है। युवा पीढ़ी अपने गांव से, अपनी ज़मीन छोड़ कर निकलते जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए। अगर आने वाले समय में उनके ज़मीन पर दूसरे लोगों का कब्ज़ा हो जाएगा तो अगली पीढ़ी के पास ज़मीन नहीं रहेगी। ज़्यादातर गाँव में हमारे पास जो ज़मीन और संसाधन है, सरकार अगर उसमें में से ही रोज़गार का प्रावधान करे तो ही, एक आदिवासी और उनके संस्कृति का अस्तित्व बच सकता है, साथ में युवाओं को रोज़गार मूलक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए एवं जो गांव से पलायन कर रहे हैं उन्हें संवैधानिक अधिकार (सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक) मिलने चाहिए ताकि उनकी संस्कृति बचे रहे।

-ममता कुंजूर

“मुझे लगता है कि आदिवासियों को गैर-आदिवासियों से जो एक चीज़ सीखनी चाहिए वह है थोड़ा अधिक व्यवसायिक मानसिकता वाला होना। आदिवासी उद्यमी के रूप में अच्छे नहीं हैं, उनके पास जो कुछ भी है उससे वे खुश हैं।

-गोदावरी मरावी





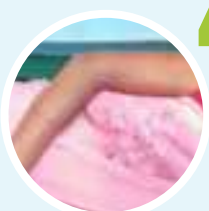
“ आदिवासी समाज को टोटेम सिस्टम में बांटा गया है और ज्यादातर मामलों में ये टोटेम स्थानीय वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियां हैं। एक विशेष कुलदेवता के लोग अपने कुलदेवता की रक्षा करते हैं और यदि किसी क्षेत्र में 750 कुलदेवता हैं, तो 750 प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। इसलिए, प्राकृतिक विविधता की रक्षा करना उनके सिस्टम में शामिल है।

-अश्विनी कांगे

“ आदिवासी धन का संचय नहीं करते हैं। वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं। आदिवासियों में उच्च स्तर का आत्म-सम्मान होता है, वे कभी भीख नहीं मांगते।



-संपतिया उड्के



“ आदिवासी भविष्य के बारे में नहीं सोचते/परवाह नहीं करते, वे केवल आज के भोजन के बारे में सोचते हैं। दूसरी ओर, गैर-आदिवासी भविष्य के बारे में सोचते हैं और उसकी परवाह करते हैं और उसी के अनुसार अपना व्यवसाय करते हैं। गैर-आदिवासी समुदाय के बच्चे बचपन से ही अपना काम-धंधा शुरू कर देते हैं लेकिन हमारे बच्चे ऐसा नहीं करते। हमें भी ऐसा ही करना सीखना चाहिए ताकि हम भी कल (भविष्य) के लिए तैयारी कर सकें।

-अनुसुइया मरावी

सी. सरकारी और गैर-सरकारी हस्तक्षेप



“ अगर हम सीएफआर की बात करें, तो उसका सपोर्ट सिस्टम को और मजबूत करना चाहिए ताकि आदिवासी सीएफआर में दिए गए प्रबंधन को अपने हाथों में ले सकें। पेसा के क्रियान्वयन गांव स्तर में जाने की जरूरत है तकी हर एक व्यक्ति को इसका पता चले।

-लता नेताम



“ एफ आर ए (FRA) को लागू करने की जिम्मेदारी आदिवासी विभाग को दी गई थी और जिम्मेदार अधिकांश कर्मचारियों को संदर्भ के साथ-साथ अधिनियम के बारे में कोई स्पष्ट समझ नहीं है। यदि अधिनियम को उसकी वास्तविक भावना में लागू करना है, तो कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार लोगों को नेक इरादे और उचित रूपरेखा की आवश्यकता होगी।

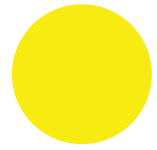
-बलवंत रहांगडाले



“ सरकार विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से आदिवासियों और पीवीटीजी के उत्थान के लिए काम कर रही है। हालाँकि, कई मामलों में इससे उनके पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का नुकसान हो रहा है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, पुराने मिट्टी के घरों को कंक्रीट संरचनाओं से बदला जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही उनकी जरूरत और मौसम के अनुकूल घर कैसे बनाएं, इसकी जानकारी भी अनावश्यक होती जा रही है। घास, लंबी पत्तियों को उगाने और उससे संसाधित करने का ज्ञान जो उन पारंपरिक घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, वह लुप्त हो रहा है। यदि इन योजनाओं का तैयार प्रारूप करते समय पारंपरिक ज्ञान को ध्यान में रखा जाए तो यह मददगार होगा। इस उदाहरण में पारंपरिक सामग्री और तरीकों का उपयोग करके घरों को बेहतर बनाने में कंक्रीट के घरों की तुलना में कम लागत आएगी।

-एतवारी मचिया बैगा





“ आदिवासी समुदायों के अपने रीति-रिवाज हैं और उन्हें 'पेसा' के माध्यम से मान्यता दी गई है। इस अधिनियम में बहुत स्पष्ट रूप से प्रथागत कानूनों का सम्मान करने और उन्हें स्वीकार करने के बारे में कहा गया है। यह अधिनियम आदिवासी समुदायों की ताकत बन सकता है तथा उनकी पहचान बाकी मुख्य-धारा के समाज से अलग दर्शा सकता है।

-ऐलिस लाकरा



“ एसएचजी ने बचत करने, ऋण लेने और व्यवसाय करने के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद की है।

-संपतिया उइके



“ लोगों के लिए कुछ भी डिज़ाइन करने से पहले हमें उन लोगों की सांस्कृतिक विरासत को समझने की ज़रूरत है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि हमारा दृष्टिकोण और विचार उनकी आवश्यकता और प्राथमिकताओं से मेल न खाएं। और इसी विसंगति के कारण कई योजनाएं और परियोजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ज़रूरी नहीं कि समुदाय उन्हें दी गई प्रत्येक चीज़ को स्वीकार करेगा, अतः कार्यक्रम नियोजकों और नीति-निर्माताओं को इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है।

-सैबल जाना



“ पीएम आवास योजना भी आदिवासी महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद रही है। पहले कई बार पुरुष दूसरी महिलाओं से शादी करने के लिए अपनी पत्नियों को छोड़ देते थे। परित्यक्त महिलाओं को अपना ससुराल छोड़ना पड़ता था। अब पीएम आवास के तहत बनने वाले घर महिलाओं के नाम पर है। इससे महिलाओं को मदद मिली है क्योंकि उन्हें उनके घरों से बाहर नहीं निकाला जा सकता है।

-संपतिया उइके



“ एफआरए से एक अच्छी शुरुआत हुई है, हालाँकि और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वन आधारित आजीविका में सुधार एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार और सीएसओ, दोनों को काम करने की ज़रूरत है ताकि उन्हें वन उपज का अधिक मूल्य मिल सके। बाज़ार तक पहुँच अभी भी एक मुद्दा है और मूल्यवर्धन से बाज़ार से जुड़ने में मदद मिल सकती है।

-पल्लवी जैन गोविल



“ छत्तीसगढ़ में सरकार ने यह माना है कि किसी भी समुदाय के विकास में भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए, सरकार ने स्थानीय बोली और भाषा को प्राथमिक शिक्षा के माध्यमों में से एक के रूप में शामिल किया। उदाहरण के लिए, बस्तर में बच्चों को हल्बी या गोंडी भाषा में पढ़ाया जा रहा है।

-ऐलिस लाकरा



सड़क से संपर्क

गांव बारहमासी सड़कों द्वारा ब्लॉक मुख्यालयों से जुड़े हुए हैं



मध्य प्रदेश

आदिवासी 78%

सड़कें अच्छी स्थिति में 62%

गैर-आदिवासी 79%

सड़कें अच्छी स्थिति में 54%

पीवीटीजी 80%

सड़कें अच्छी स्थिति में 64%



छत्तीसगढ़

आदिवासी 80%

सड़कें अच्छी स्थिति में 78%

गैर-आदिवासी 100%

सड़कें अच्छी स्थिति में 88%

पीवीटीजी 82%

सड़कें अच्छी स्थिति में 64%

SAL 2021 से पता चलता है

गांव बारहमासी सड़कों द्वारा ब्लॉक मुख्यालयों से जुड़े हुए हैं



ओडिशा

आदिवासी 72%

सड़कें अच्छी स्थिति में 47%



झारखंड

आदिवासी 74%

सड़कें अच्छी स्थिति में 58%

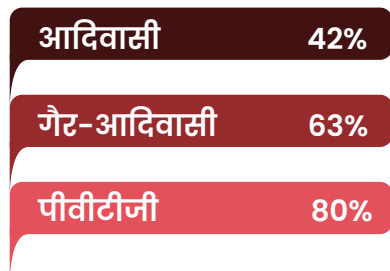
वर्ष 2020 में मिशन अंत्योदय, भारत सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय औसत **68%** है



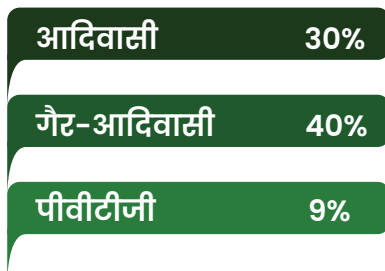
सार्वजनिक परिवहन



मध्य प्रदेश



छत्तीसगढ़



गांव सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से अपने ब्लॉक मुख्यालयों से जुड़े हुए हैं

SAL 2021 से पता चलता है



ओडिशा



झारखंड



मिशन अंत्योदय, भारत सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020 में राष्ट्रीय औसत 69.11% है





मोबाइल नेटवर्क

मध्य प्रदेश

आदिवासी	66%
गैर-आदिवासी	84%
पीवीटीजी	90%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	72%
गैर-आदिवासी	100%
पीवीटीजी	64%

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

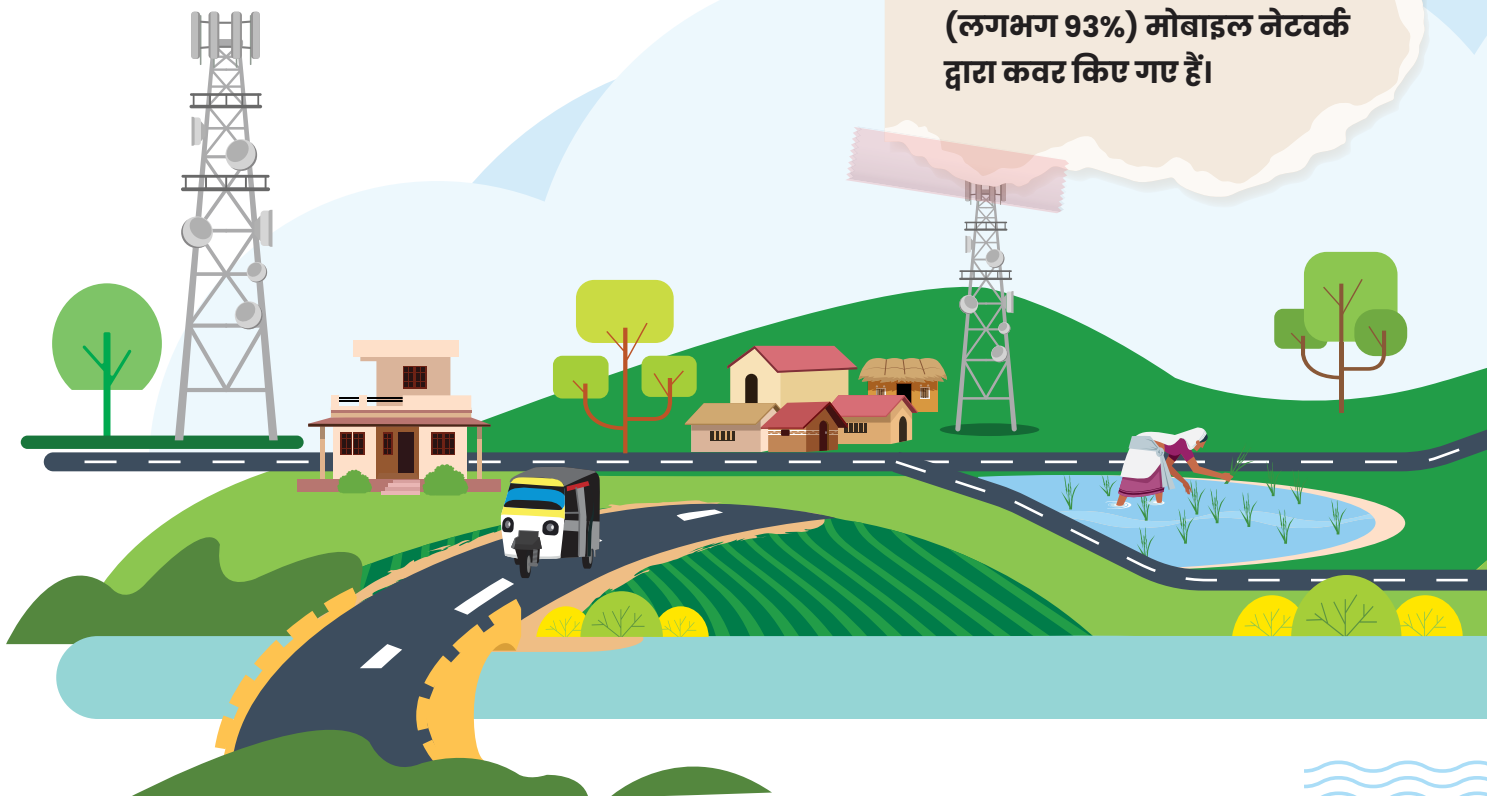
आदिवासी	74%
---------	-----

गांव कम से कम एक मोबाइल नेटवर्क द्वारा कवर किए गए हैं।

झारखंड

आदिवासी	73%
---------	-----

टाइम्स ऑफ इंडिया की 31 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के आंकड़ों से पता चला कि मार्च 2022 तक, भारत के 6,44,131 गांवों में से 5,98,951 गांव (लगभग 93%) मोबाइल नेटवर्क द्वारा कवर किए गए हैं।



स्मार्टफोन का स्वामित्व

मध्य प्रदेश

आदिवासी परिवार

♂ 18% ♀ 7%

गैर-आदिवासी परिवार

♂ 45% ♀ 27%

पीवीटीजी परिवार

♂ 15% ♀ 4%

छत्तीसगढ़

आदिवासी परिवार

♂ 20% ♀ 11%

गैर-आदिवासी परिवार

♂ 42% ♀ 29%

पीवीटीजी परिवार

♂ 7% ♀ 3%

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

आदिवासी परिवार

♂ 6% ♀ 5%

झारखंड

आदिवासी परिवार

♂ 21% ♀ 9%

न्यूज़ की ग्लोबल मोबाइल मार्केट रिपोर्ट² के अनुसार, भारत में 659 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं, जो आबादी का लगभग 46.5% है।



²<https://newzoo.com/resources/rankings/top-countries-by-smartphone-penetration-and-users>



गांवों में

आंगनवाड़ी

मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़

आदिवासी 98%

गैर-आदिवासी 95%

पीवीटीजी 100%

आदिवासी 100%

गैर-आदिवासी 100%

पीवीटीजी 100%



SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

आदिवासी 89%

झारखंड

आदिवासी 84%

गांवों में एक आंगनवाड़ी केंद्र है।

वर्ष 2020 में भारत सरकार के मिशन अंत्योदय के सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत के 79% गांवों में आंगनवाड़ी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

मध्य प्रदेश

आदिवासी 51%

गैर-आदिवासी 63%

पीवीटीजी 50%

छत्तीसगढ़

आदिवासी 63%

गैर-आदिवासी 88%

पीवीटीजी 36%

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

आदिवासी 31%

झारखंड

आदिवासी 58%

गांवों में पीडीएस आउटलेट है।

वर्ष 2020 में मिशन अंत्योदय के सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत के 48.27% गांवों में पीडीएस आउटलेट है।





डी. परिवार की विशेषताएं



सरकार ने अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु आदिवासी क्षेत्रों में छात्रावास सुविधाओं के साथ प्राथमिक और आवासीय विद्यालय स्थापित करने में काफी अच्छा काम किया है। इससे पता चलता है कि आदिवासी स्कूलों के नतीजे अन्य पब्लिक स्कूलों की तुलना में अच्छे या उससे भी बेहतर हैं। इसलिए आदिवासियों को अच्छी शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के मामले में, हमने (सरकार ने) कुछ इलाकों को छोड़कर, जहां स्कूल छोड़ने की दर अभी भी बहुत अधिक है, काफी अच्छा काम किया है।

-पल्लवी जैन गोविल



गैर-आदिवासी हमारे साथ भेदभाव करते हैं क्योंकि हमारी जीवनशैली, पहनावा अलग है, हम आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अगर किसी बैंक में जाएं और कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें, तो कभी-कभी गैर-आदिवासी कहेंगे, "हटो जरा तुम और बड़े लोग आगे चले जाएंगे।" जिनके पास अधिक संपत्ति होती है उनका समाज में ऊंचा स्थान होता है।

-अनुसुइया मरावी



अन्य क्षेत्रों की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों में बाजार के साथ संबंध धीरे-धीरे बदल रहे हैं। हालाँकि, बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा गेम चेंजर साबित होगी। जब वे सीबीएसई डिप्लोमा या कॉलेज डिप्लोमा पूरा करके अच्छे के विश्वास के साथ एक शैक्षणिक संस्थान से निकालेंगे, तो वे बाजार में अपना काम बेहतर ढंग से करने में सक्षम होंगे।

-पल्लवी जैन गोविल



यदि हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी अपनी जड़ों, अंतर-पीढ़ीगत ज्ञान और अधिकारों के बारे में जाने, तो स्कूलों में ग्राम सभा, पेसा, कृषि, वन, प्रकृति, कलात्मकता आदि के बारे में उनके ज्ञान के बारे में पढ़ाने की आवश्यकता है।

-गंगाराम पैकरा



साक्षरता



पीवीटीजी परिवार	83%
आदिवासी परिवार	75%

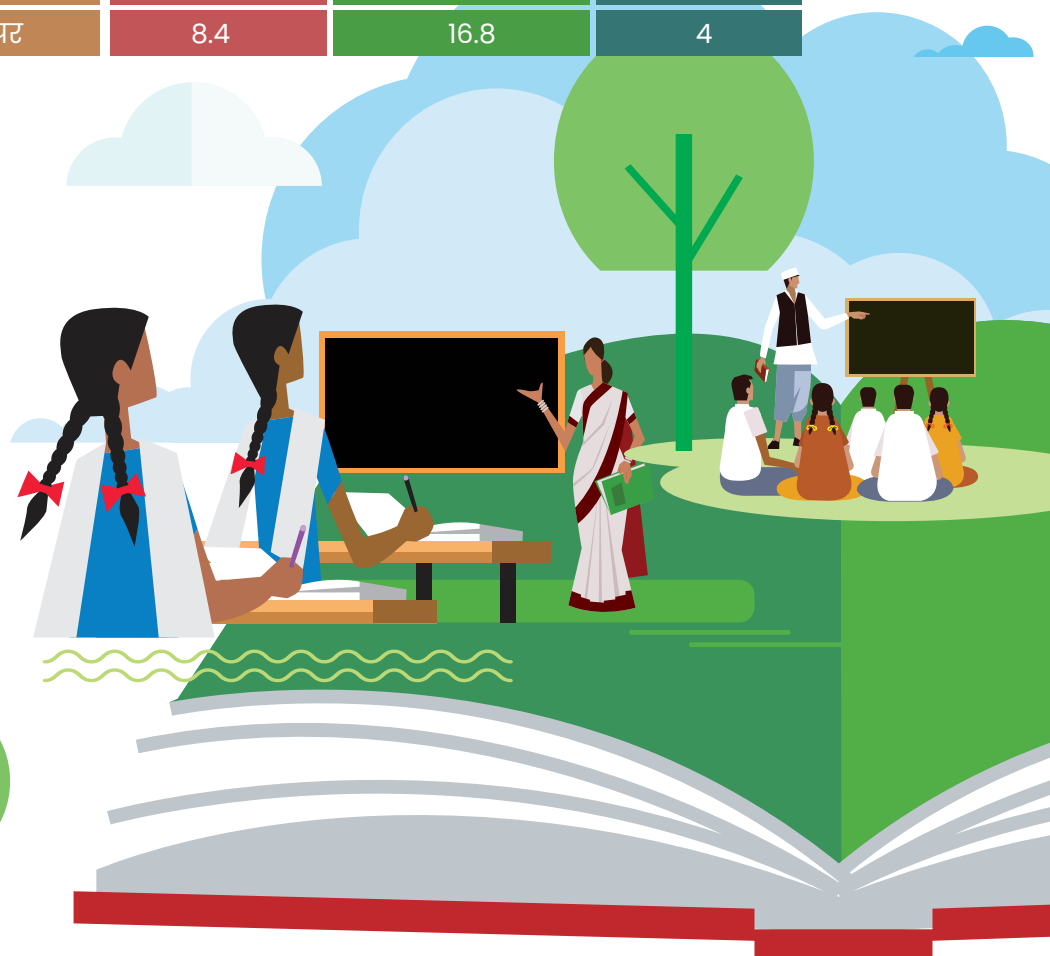
परिवारों का मुखिया एक ऐसा व्यक्ति है जो प्राथमिक स्तर से आगे शिक्षित नहीं है, और उनमें से अधिकांश की कोई स्कूली शिक्षा नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में ये अनुपात:



पीवीटीजी परिवार	87%
आदिवासी परिवार	66%

मध्य प्रदेश में परिवार के मुखिया की शिक्षा प्राप्ति

शिक्षा का स्तर (कुल का%)	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
स्कूली शिक्षा नहीं	58.3	31.3	69
प्राथमिक से कम	8.8	4.9	4
प्राथमिक	9.3	18.6	9.5
मैट्रिक से कम और प्राइमरी से ज्यादा	15.2	28.4	13.5
मैट्रिकुलेशन और उससे ऊपर	8.4	16.8	4



छत्तीसगढ़ में परिवार के मुखिया की शिक्षा प्राप्ति

शिक्षा का स्तर (कुल का%)	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
स्कूली शिक्षा नहीं	49	38.2	65.6
प्राथमिक से कम	6.8	9.5	12
प्राथमिक	11.5	12.2	12
मैट्रिक से कम और प्राइमरी से ज्यादा	20.3	24.9	8.3
मैट्रिकुलेशन और उससे ऊपर	12.4	15.2	2.1

SAL 2021 से पता चलता है



झारखंड

आदिवासी परिवार	82%
गैर-आदिवासी परिवार	72%

के मुखिया मैट्रिक से कम पढ़े हैं



ओडिशा

आदिवासी परिवार	87%
गैर-आदिवासी परिवार	82%
पीवीटीजी परिवार	90%

के मुखिया मैट्रिक से कम पढ़े हैं

राष्ट्रीय औसत: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के बारे में एनएसएस के 75वें दौर की रिपोर्ट (जुलाई 2017 - जून 2018) के अनुसार साक्षरता दर लगभग 77.7% थी, जिसमें पुरुषों के लिए 84.7% और महिलाओं के लिए 70.3% थी। यही रिपोर्ट शहरी क्षेत्रों में 87.7% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 73.5% दर्शाती है।

जमीन की जोत



मध्य प्रदेश

आदिवासी 36%

गैर-आदिवासी 43%

पीवीटीजी 36%



छत्तीसगढ़

आदिवासी 5%

गैर-आदिवासी 32%

पीवीटीजी 48.4%

SAL 2021 से पता चलता है



ओडिशा

आदिवासी 15%

गैर-आदिवासी 28%

पीवीटीजी 47%



झारखंड

आदिवासी 12%

गैर-आदिवासी 30%

परिवार भूमिहीन हैं।

राष्ट्रीय औसत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587 -77/33.1/1 से पता चलता है कि 8.2% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं।



मध्य प्रदेश

भूमिधारिता श्रेणी	आदिवासी		गैर-आदिवासी		पीवीटीजी	
	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार
भूमिहीन	36.1	40.6	42.8	42.5	36.4	25.8
सीमांत	38.3	39.5	32.4	34.8	36.3	54.5
छोटी	12.9	10.8	12.7	10.6	12.4	7.6
छोटी-मध्यम	11.4	8.1	9.1	4.5	10.9	10.6
मध्यम	0.9	0.5	1.9	1.5	3.5	1.5
बड़ी	0.4	0.5	1.1	6.1	0.5	0.0





छत्तीसगढ़

भूमिधारिता श्रेणी	आदिवासी		गैर-आदिवासी		पीवीटीजी	
	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार
भूमिहीन	15.2	23.0	32.1	49.6	48.4	57.8
सीमांत	51.8	53.3	48.3	40.9	34.4	24.4
छोटी	18.8	13.5	12.7	8.7	8.3	11.1
छोटी-मध्यम	12.4	9.0	6.5	0.9	6.8	4.4
मध्यम	1.3	0.7	0.4	0.0	2.1	2.2
बड़ी	0.5	0.5	0	0.0	0	0.0

औसत भूमि जोत



मध्य प्रदेश

आदिवासी 3.9 एकड़

पीवीटीजी 4.4 एकड़



छत्तीसगढ़

आदिवासी 3.2 एकड़

पीवीटीजी 3.0 एकड़

SAL 2021 से पता चलता है



ओडिशा

आदिवासी 1.9 एकड़

पीवीटीजी 1.3 एकड़



झारखंड

आदिवासी 2.3 एकड़

राष्ट्रीय औसत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587

-77/33.1/1 से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार के स्वामित्व वाला औसत क्षेत्र 0.876 हेक्टेयर है।





सिंचाई

मध्य प्रदेश में सभी मौसमों में सिंचाई तक पहुंच की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
स्वयं की भूमि (प्रतिशत)	17.5	28.0	30.2
भूमि पट्टे पर (प्रतिशत)	20.2	28.6	36.8
भूमि में हिस्सेदारी (प्रतिशत)	21.9	16.7	46.2

छत्तीसगढ़ में सभी मौसमों में सिंचाई तक पहुंच की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
स्वयं की भूमि (प्रतिशत)	12.4	17.2	2.0
भूमि पट्टे पर (प्रतिशत)	6.0	26.7	0.0
भूमि में हिस्सेदारी (प्रतिशत)	10.1	12.5	0.0





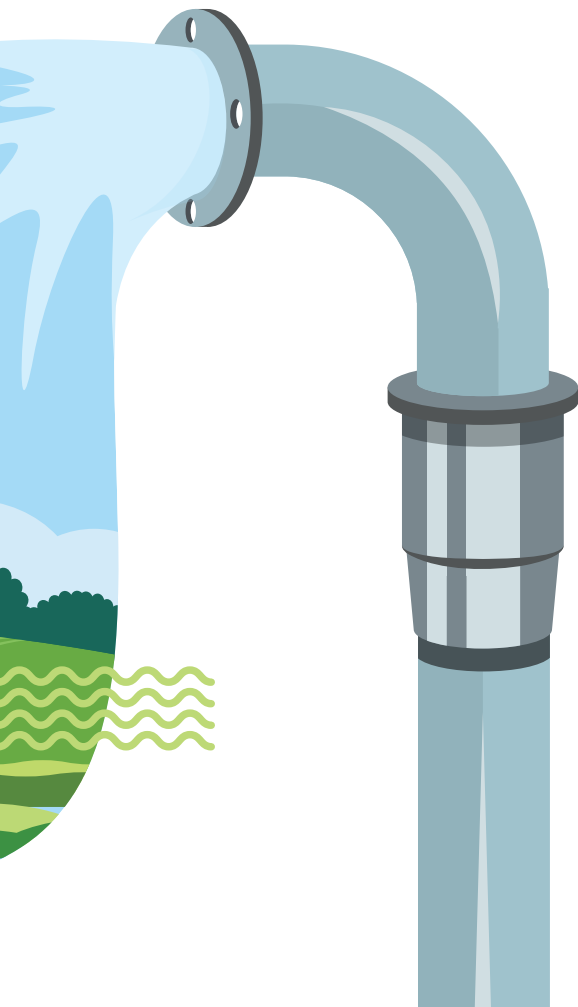
झारखंड में सभी मौसमों में सिंचाई तक पहुंच की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत

आदिवासी परिवार	18.5%
गैर-आदिवासी परिवार	16.4%



ओडिशा में सभी मौसमों में सिंचाई तक पहुंच की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत

आदिवासी परिवार	7.4%
गैर-आदिवासी परिवार	12.4%
पीवीटीजी परिवार	42.9%



ओडिशा

आदिवासी 7.4%

गैर-आदिवासी 12.4%

पीवीटीजी 42.9%



झारखंड

आदिवासी 18.5%

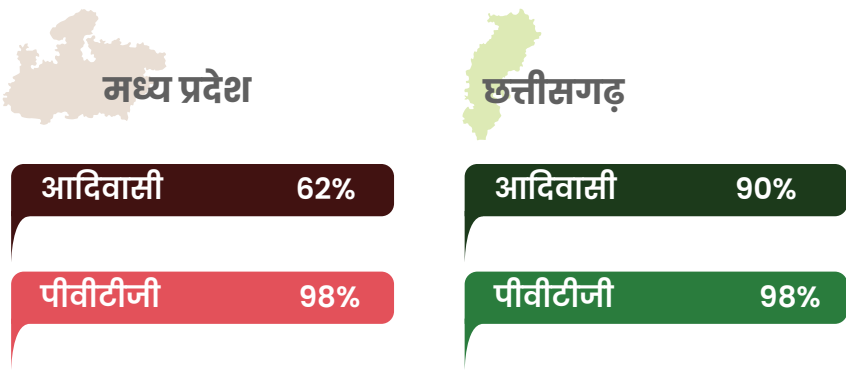
गैर-आदिवासी 16.4%

परिवारों के पास सभी मौसमों के लिए सिंचाई की सुविधा है





वनों तक पहुंच



वे आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता बताई।



वन दूरी (मध्य प्रदेश)	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर परिवारों की जंगल से औसत दूरी (किमी)	2.0	3.2	1.8
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवार (%)	62	40	98
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर नहीं रहने वाले परिवारों के लिए जंगल से औसत दूरी (किमी)	6.8	9.2	0.2
वे परिवार जो आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं हैं (%)	38	60	2

वन दूरी (छत्तीसगढ़)	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर परिवारों की जंगल से औसत दूरी (किमी)	1.8	2.1	0.3
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवार (%)	90	64	98
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर नहीं रहने वाले परिवारों के लिए जंगल से औसत दूरी (किमी)	2.6	9.4	0.3
वे परिवार जो आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं हैं (%)	10	36	2



ओडिशा

आदिवासी 75%



झारखंड

आदिवासी 53%

परिवार जंगल पर निर्भर हैं।





ई. आजीविका संबंधी गतिविधियाँ



“ पहले हम कुटकी, मरुआ, अरहर जैसे जितने भी पानी या कम पानी की जरूरत वाला फसल लेते थे। इसके अलावा वन से फल, फूल, कांदा, साग, भाजी मिल जाता था। फिर बाहरी लोगों का आगमन, व्यवसायों का आगमन से धीरे-धीरे फसल का स्थिति बदलना शुरू हुआ। फिर वो सीखने लग गए की आधुनिक खाद डालो इसे तुम्हारा उत्पादन अच्छा होगा, तो हम लोगों ने उपयोग और इससे बनाना भी शुरू किया।

-शेर सिंह अचला

“ जंगल के सामान को जब सिर्फ़ पैसे से तौला जाता है तो बाकी सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बाज़ार से लोगो के पास डिमांड आती है कि हमें इतना सामान चाहिए और इतना पैसा मिलेगा। इस चक्कर में लोग पूरा का पूरा पेड़ काट डालते हैं और एक साल काट देते हैं तो दूसरा साल फिर कहां मिलेगा? ऐसे करके अब भी बहुत सारा पेड़ पौधा जैसे चार, चिरौंजी, हर्रा, बांस ये सब खत्म हो गया।

-अर्जुन सिंह धुर्वे



“ बैगा जंगल से विभिन्न मौसमों में लगभग 43 प्रकार की साग-सब्जियाँ, 15 से अधिक प्रकार की जड़ें, 20 से अधिक प्रकार के फल इकट्ठा करते थे। ये विभिन्न मौसमों में उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता को सुनिश्चित करते थे।

-बलवंत रहांगडाले

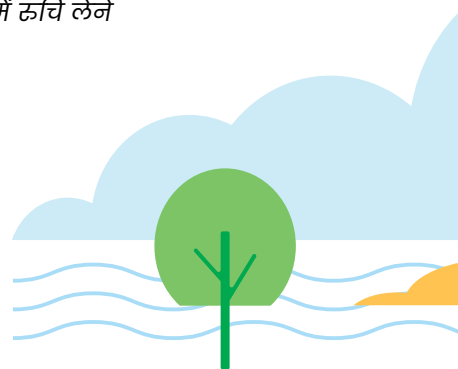
“ पहले लोगों को जंगल से विभिन्न प्रकार का भोजन मिलता था जो बहुत पौष्टिक होता था और बीमारियों को रोकने में मदद करता था। उदाहरण के तौर पर, पहले आदिवासियों में मधुमेह का रोगी नहीं पाया जाता था। हम कोड़ो, कुटकी, मक्का खाते थे। इन्हें बिना किसी रासायनिक इनपुट के उगाया जाता था। धीरे-धीरे चावल और गेहूं का प्रचलन शुरू हुआ और ये आदिवासियों के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं थे। आदिवासियों ने चावल और गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए रासायनिक खेती भी करना शुरू कर दिया। इससे उनकी भूमि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

-संपतिया उड्डे



“ पलायन को कम करने और आदिवासी युवाओं को अपनी संस्कृति और कृषि में रुचि लेने के लिए गांवों में आजीविका के अवसर पैदा करना महत्वपूर्ण है।

- लता उसेंडी





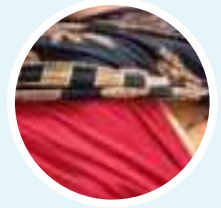
छत्तीसगढ़ के मामले में अगर आप देखेंगे कि सक्रिय राजनीति में कौन-कौन हैं, तो वहां गोंड या उरांव या कंवरा जैसे समुदाय होंगे। इसी तरह उरांव सरकारी नौकरी में भी हैं। आप शायद ही किसी पंडो या मांझी या मझवार को इन आजीविका विकल्पों को चुनते हुए पाएंगे। वे ज्यादातर कृषि या मजदूरी पर निर्भर होते हैं। बैगा और पहाड़ी कोरवा कुछ अन्य जनजातियों की अपेक्षा वनों पर अधिक निर्भर रहते हैं।

-गंगाराम पैकरा

“

आजकल लोग कम पलायन कर रहे हैं। वे गांव में ही मनरेगा के तहत 100 दिनों तक मजदूरी का काम पा सकते हैं।

-गोदावरी मरावी



यह अच्छी बात है कि हममें से कुछ लोगों की पहचान शहरी अभिजात वर्ग में की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक ग्रामीण युवा कौशल को कैसे अपना सकते हैं।

-भूरी बाई





कुल आय में विभिन्न स्रोतों का प्रतिशत योगदान, मध्य प्रदेश क्षेत्रवार

आय का स्रोत	आदिवासी				गैर-आदिवासी				पीवीटीजी			
	बी	जी	अन्य	कुल	बी	जी	अन्य	कुल	बी	जी	अन्य	कुल
खेती	60	33	26	44	62	57	44	53	#N/A	16	53	36
पशुपालन	-3	-4	-3	-3	-1	-4	-4	-3	#N/A	-1	-2	-2
वनोपज	0	4	4	2	0	2	1	1	#N/A	6	7	6
मजदूरी	28	35	57	37	27	22	45	32	#N/A	43	29	35
गैर-कृषि उद्यम	2	1	3	2	5	6	3	4	#N/A	0	0	0
प्रेषण	6	8	6	7	2	5	4	4	#N/A	4	9	7
वेतन और पेंशन	7	23	8	12	5	12	8	9	#N/A	31	4	17

बी= भील क्षेत्र, जी= गोंड क्षेत्र, अन्य = अन्य आईटीडीपी ब्लॉक, कुल= मध्यप्रदेश कुल



कुल आय में विभिन्न स्रोतों का प्रतिशत योगदान, छत्तीसगढ़ क्षेत्रवार

आय का स्रोत	आदिवासी				गैर-आदिवासी				पीवीटीजी			
	द	मध्य	उत्तर	कुल	द	मध्य	उत्तर	कुल	द	मध्य	उत्तर	कुल
खेती	56	37	59	51	46	34	57	45	41	27	24	33
पशुपालन	-2	-8	-3	-4	-1	-3	-2	-2	1	0	-1	0
वनोपज	6	13	4	8	6	1	1	3	4	15	30	14
मजदूरी	24	53	25	34	32	63	29	41	6	44	39	26
गैर-कृषि उद्यम	1	0	2	1	1	-1	1	0	0	1	0	0
प्रेषण	2	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0
वेतन और पेंशन	14	3	11	9	14	5	13	11	48	13	8	28

द= दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य = मध्य छत्तीसगढ़, उत्तर = उत्तर छत्तीसगढ़, कुल = छत्तीसगढ़ कुल





एफ. आजीविका संबंधी परिणाम



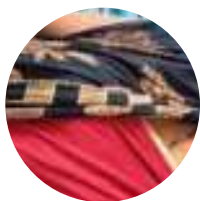
“ बाजार बहुत बदल गया है। पहले बाजार लोकल तक ही सीमित था, न सड़क न वेब नेटवर्क था। जो कुछ भी उत्पादित होता था, उस में शायद ही कुछ बचा हुआ करता था और उनमें से अधिकांश का स्थानीय स्तर पर उपभोग किया जाता था। जरूरत का एहसास भी कम था। अब हम दुनिया से जुड़ गए हैं, बस्तर के वन और कृषि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकते हैं। युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को भी कई तरह से बाजार ने आकार दिया है। चिप्स और मैगी जैसी चीजें हर स्थानीय बाजार में उपलब्ध हैं।

-अरविन्द नेताम

“

क्या है कि मार्केटिंग अभी भी कोरोना काल से थोड़ा सा डाउन हो गया है। जो ऑर्डर-वोर्ड आते थे अपने पास में वो नहीं आ पा रहे हैं। और एग्जिबिशन वगैरा, मेला वेला लगते थे बहुत सारी जगह तो वो सारी चीजें नहीं हो पा रहा है।

-विजय धुर्वे



“ बच्चे अब कोदो कुटकी खाना पसंद नहीं करते। पी डी एस (PDS) में भी धान का वितरण किया जाता है। चावल बनाने में कम समय और मेहनत लगती है इसलिए महिलाओं के लिए इसे बनाना आसान होता है। चावल-मिल आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन कोदो-कुटकी को प्रोसेसिंग करने के लिए कोई मशीनीकृत सुविधा उपलब्ध नहीं है।

-गोदावरी मरावी

“

अधिकांश आदिवासी गांवों में लोगों को एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) का पहुंच प्राप्त है। चूंकि आईसीडीएस मध्याह्न भोजन प्रदान करता है, इसलिए बच्चों को पौष्टिक पका हुआ भोजन मिल पाता है।

-इंदिरा मंडावी



औसत वार्षिक घरेलू आय

राज्यवार

औसत वार्षिक आय :



मध्य प्रदेश

आदिवासी रु. 73,900

गैर-आदिवासी रु. 84,033

पीवीटीजी रु. 68,726



छत्तीसगढ़

आदिवासी रु. 53,610

गैर-आदिवासी रु. 53,766

पीवीटीजी रु. 43,012





क्षेत्र-वार

भील क्षेत्र में वार्षिक औसत घरेलू आय, भारतीय रुपये में, मध्य प्रदेश

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	99,211	1,45,289	
प्रति-व्यक्ति आय	24,571	36,875	
परिवारों की संख्या	820	45	0

गोंड क्षेत्र में वार्षिक औसत घरेलू आय, भारतीय रुपये में, मध्य प्रदेश

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	66,724	69,755	79,564
प्रति-व्यक्ति आय	15,077	13,800	20,732
परिवारों की संख्या	758	156	81

अन्य आईटीडीपी ब्लॉक में वार्षिक औसत घरेलू आय भारतीय रुपये में, मध्य प्रदेश

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	52,597	80,084	61,411
प्रति-व्यक्ति आय	12,596	20,034	13,043
परिवारों की संख्या	719	134	120

दक्षिण क्षेत्र में वार्षिक औसत घरेलू आय भारतीय रुपये में, छत्तीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	54,961	60,092	1,06,223
प्रति-व्यक्ति आय	12,137	13,944	17,366
परिवारों की संख्या	742	172	35



मध्य क्षेत्र में वार्षिक औसत घरेलू आय भारतीय रुपये में, छत्तीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	57,072	52,980	45,468
प्रति-व्यक्ति आय	14,177	14,668	14,198
परिवारों की संख्या	708	159	57

उत्तर क्षेत्र में वार्षिक औसत घरेलू आय भारतीय रुपये में, छत्तीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	49,599	48,033	19,488
प्रति-व्यक्ति आय	13,063	12,071	6,969
परिवारों की संख्या	861	168	100

SAL 2021 से पता चलता है -परिवारों की वार्षिक आय



ओडिशा

आदिवासी

रु. 61,263

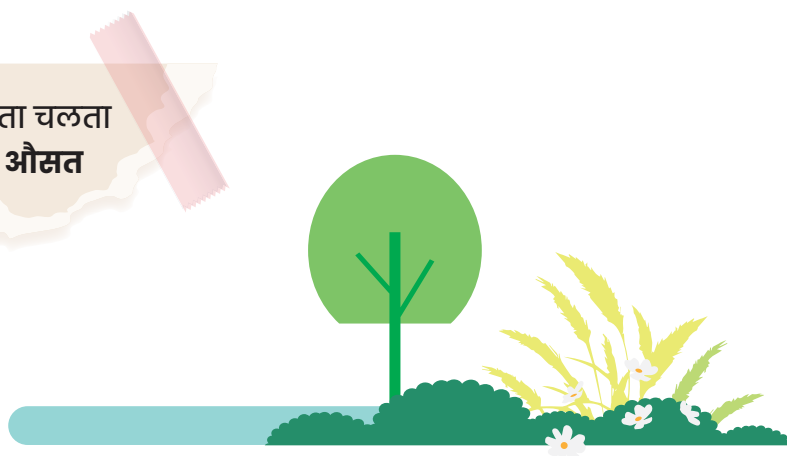


झारखंड

आदिवासी

रु. 75,378

एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587 -77/33.1/1 से पता चलता है कि वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि परिवारों की औसत वार्षिक आय रु. 122,616 है





खाद्य सुरक्षा



मध्य प्रदेश

आदिवासी 32%

गैर-आदिवासी 27%

पीवीटीजी 61%



छत्तीसगढ़

आदिवासी 27%

गैर-आदिवासी 42%

पीवीटीजी 29%



परिवार गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित होने की सूचना देते हैं।





मध्य प्रदेश

आदिवासी	4.2%
गैर-आदिवासी	2.4%
पीवीटीजी	1.1%



छत्तीसगढ़

आदिवासी	2.2%
गैर-आदिवासी	2.5%
पीवीटीजी	19%

परिवार खराब आहार विविधता वाले हैं।

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा में परिवार गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित हैं।



ओडिशा

आदिवासी	12%
---------	-----



झारखंड

आदिवासी	25%
---------	-----

यूएन-इंडिया के अनुसार, भारत में लगभग 195 मिलियन लोग कुपोषित लोग हैं, जो इसकी आबादी का लगभग 16% है





परिचय

आदिवासी आजीविका की स्थिति 2022 (SAL 2022) विषयक यह रिपोर्ट इस विषय पर आवधिक रिपोर्ट प्रकाशन की श्रृंखला में दूसरी है। SAL 2021 में झारखंड और ओडिशा राज्यों को शामिल किया गया था। SAL 2022 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं। इस रिपोर्ट में राज्य के आदिवासियों की आजीविका की वर्तमान स्थिति को एक तरफ राज्य द्वारा किए जा रहे औपचारिक प्रयासों और दूसरी तरफ विस्थापन और बेदखली की समस्याओं के मद्देनजर दर्शाया गया है।



इस रिपोर्ट का लक्ष्य है:

- एक मजबूत डेटाबेस तैयार करना, जिससे अनुसूचित जनजाति के लोगों और उनके निकट रहने वाले अन्य लोगों के बीच तुलना की जा सके।
- आदिवासी समुदायों के कल्याण और विकास के लिए किए जा रहे विविध उपायों के प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध कराना।
- आदिवासी लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी वाले प्रशासन और नीति निर्माताओं को तथ्य प्रदान करना:
- आदिवासी कल्याण से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों और अन्य शामिल व्यक्तियों के कार्य गुणवत्ता हेतु साक्ष्य उपलब्ध कराना।
- देश के नागरिकों को आदिवासी जीवन स्थितियों, उनके संघर्षों और देश की आर्थिक प्रगति में उनके योगदान के बारे में अवगत कराना।





भारत में अनुसूचित जनजातियाँ

भारत के विभिन्न हिस्सों में निवास करने वाली लगभग 8.6% जनसंख्या 705 जातीय समूहों के रूप में अनुसूचित जनजातियों में शामिल है।

"ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातियों के रूप में पहचाने और प्रगणित किए गए समूहों और समुदायों को 1950 में संविधान को अपनाने के बाद अनुसूचित जनजातियों के रूप में फिर से वर्गीकृत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, इन समूहों को अनुसूची में सूचीबद्ध करने का प्रावधान किया गया है ताकि निश्चित रूप से उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक रियायतें दी जा सकें"- भारत के जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, मई 2014। यह जनसंख्या जातीयता, संस्कृति और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संदर्भ में विविध है। इसमें दुनिया के कुछ अंतिम संपर्क रहित आदिम समुदायों जैसे अंडमान के सेंटिनलीज़ से लेकर मध्य भारत के गोंड और संथाल जैसे कुछ





सबसे बड़े जातीय समूह शामिल हैं। हालाँकि, इन विविधताओं के बावजूद, एसटी भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रभाव और शक्ति हासिल नहीं कर सके हैं।

भारत में, जनजाति, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति शब्द आम तौर पर एक दूसरे के लिए उपयोग किए जाते हैं, हालांकि उनका मतलब एक नहीं है। अनुसूचित जनजातियों की सूची में लोगों के एक समूह को शामिल करने की पहल राज्य सरकार द्वारा की जाती है, और भारत के राष्ट्रपति, जो समावेशन के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं, अक्सर इसे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए, कई सामाजिक-राजनीतिक कारकों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की सूची एक राज्य में दूसरे राज्य से भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल और झारखंड में संथालों को अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया गया है, जबकि असम के चाय बागानों में संथालों को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे ही और भी उदाहरण हैं। मध्य भारतीय क्षेत्र में एसटी लोग खुद को आदिवासी कहलाना पसंद करते हैं। उनमें से अधिकांश ने कहा कि वे आदिवासी कहलाना चाहते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं और जिस भूमि पर वे अब रहते हैं उस पर उनका ऐतिहासिक अधिकार है। इस रिपोर्ट में, हमने एसटी, जनजाति और आदिवासी शब्दों का बराबर उपयोग किया है।

हालांकि वे पूरी तरह से "आदिवासी" हैं, हम विशेष नामित समुदायों के लिए पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह) शब्द का उपयोग करेंगे और जहां तक उपलब्ध हो, उनके बारे में अलग से जानकारी प्रदान करेंगे। वर्ष 1973 में डेबर आयोग द्वारा आदिवासी समूहों के लिए आदिम आदिवासी समूह (पीटीजी) नामक एक श्रेणी बनाई गई थी, जिसे निम्न आधार पर पहचाना जा सकता है: (i) उनके द्वारा कृषि में प्राचीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना (ii) साक्षरता का निम्न स्तर (iii) आर्थिक पिछड़ापन और (iv) घटती या स्थिर जनसंख्या। वर्ष 2013 में उस श्रेणी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया। वे ऐसे समूह हैं जिनके कारीगर होने या स्थानांतरण खेती करने की अधिक संभावना है, प्रमुख आदिवासी समूहों के विपरीत जो स्थायी कृषि करते हैं। देश में 75 जातीय समूहों के लगभग 29 लाख

व्यक्तियों, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी का लगभग 3% हैं, को पीवीटीजी के रूप में चिह्नित किया गया है।

आदिवासी सबसे अधिक संसाधन संपन्न क्षेत्रों में रहते हैं। इन क्षेत्रों में खनिज भंडार के साथ-साथ वन भी स्थित हैं। इसके अलावा, मध्य भारतीय जनजातीय समुदाय अधिकांश प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में रहते हैं। जिस ज़मीन पर उनका निवास है, वह उद्योगपतियों और राज्य के लिए महत्वपूर्ण रही है। हालाँकि अनुसूचित जनजातियाँ कुल जनसंख्या का 8.6% हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से विस्थापित लोगों में 55% से अधिक आदिवासी ऐसे हैं, जिन्हें खनिजों के निष्कर्षण, बड़े बाँधों के निर्माण या वन्य-जीवन अभयारण्यों की स्थापना के लिए उनकी अपनी भूमि से बेदखल कर दिया गया है।

भारतीय संविधान ने ऐसे समुदायों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए हैं और भारतीय शासन द्वारा कानून और नीतियां बनाई गयी हैं। विधायी प्रावधानों के कुछ उदाहरण जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों के अधिकारों को सक्षम बनाते हैं। इनमें पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पीईएसए) 1996, उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम (एलएआरआर), 2013, अनुसूचित जनजाति और वन निवासी अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 और 275 शामिल हैं।

आजादी के बाद से, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन आदिवासियों के कल्याण हेतु काम कर रहे हैं। फिर भी, विकास उनसे दूर है। इसके लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं; निरंतर विस्थापन और बेदखली उनमें से एक रहा है। साथ ही, मुख्यधारा की विकास नीतियां और कार्यक्रम उनपर ऊपर से थोपे गए हैं। इन नीतियों को एक तरफ आदिवासियों की विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को समझे बिना और दूसरी तरफ उनके पुनर्वास को ध्यान में रखे बिना लागू किया जाता है।



ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासियों के कुछ क्षेत्रों- वर्तमान नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के भौगोलिक क्षेत्र, असम और मणिपुर के कुछ हिस्से, मद्रास प्रेसीडेंसी में गोदावरी एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र, छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र, बस्तर और तत्कालीन गोंडवाना के कुछ हिस्सों (ओडिशा के आदिवासी बसे हुए हिस्से) आदि को भारत सरकार अधिनियम, 1935 के दायरे से "मुक्त या आंशिक रूप से बाहर" (भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत) रखा गया था।



"विकास" और आदिवासी लोग

भारत के संविधान ने इस अधिनियम से आदिवासी लोगों की सुरक्षा और पोषण और उनके क्षेत्रों के भौगोलिक सीमांकन की आवश्यकता और राज्य की जिम्मेदारी दोनों भावना को वहीं से लिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 244 और उसकी अनुसूची V और VI उक्त संवैधानिक प्रावधान निर्धारित करते हैं। यह अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को राज्य की संवैधानिक रूप से अनिवार्य जनजातीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों के अनुसार जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करने का निर्देश देता है। संविधान का अनुच्छेद 275(1) भारत की संचित निधि के एक हिस्से को जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को अनुदान के रूप में निर्धारित करता है, जिससे राज्यों के राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श से जनजातियों की सुरक्षा और उनके पोषण संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहाय्य मिल सके।

आदिवासी बहुल इलाकों के विकास की रणनीति के रूप में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) 1974-75 में अस्तित्व में आई। जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के तहत- जिसे अब अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के रूप में जाना जाता है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग हर साल अपने कुल योजना आवंटन के 4.3 से 17.5 प्रतिशत तक की राशि को आदिवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि,

सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित किया जा रहा है। डीएपीएसटी फंड आवंटन वर्ष 2013-14 से लगभग साढ़े पांच गुना बढ़ गया है। यह वर्ष 2013-14 के 21,525.36 करोड़ रुपये (वास्तविक व्यय) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1,17,943.73 करोड़ रुपये (बजट व्यय) हो गया। यहां तक कि, जनजातीय मामलों के मंत्रालय का बजट आवंटन वर्ष 2013-14 के 4295.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 में 12461.88 करोड़ रुपये कर दिया गया है, यानी लगभग 190.01% की वृद्धि और पिछले वर्ष के बजट से 5,160.88 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि की गयी है। इसके अलावा, अब पीवीटीजी की जीवन स्थिति में सुधार पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। समूह के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वर्ष 2023-24 से शुरू होकर अगले तीन वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भी आदिवासी विकास के लिए 36,950 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा, राज्य के वित्त मंत्री ने एक योजना के लिए 252 करोड़ रुपये की घोषणा की, जो घुमंतू जनजातियों को रोजगार प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी आदिवासी विकास के लिए राज्य के बजट से 21,682 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।



मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, दोनों राज्य मध्य भारत के भूमि से घिरे राज्य हैं। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत मध्य प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। 33 जिलों वाला छत्तीसगढ़ भारत का नौवां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल 135192 वर्ग किमी और जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। वहीं 52 जिलों वाला मध्यप्रदेश 308252 वर्ग किमी क्षेत्रफल के साथ दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।

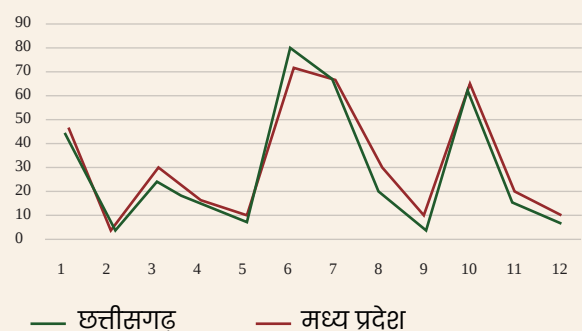
मध्य प्रदेश में 46 मान्यता-प्राप्त अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें से तीन की पहचान 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)' के रूप में की गई है। जबकि छत्तीसगढ़ में पांच पीवीटीजी सहित 42 आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति (एसटी) जनसंख्या का प्रतिशत 30.62% है, जबकि मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 21.09% है।

2011 की जनगणना के अनुसार, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 25.54 मिलियन है, जबकि मध्य प्रदेश की जनसंख्या 72.62 मिलियन है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 से 2011 तक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्रमशः 22.61 और 20.35 प्रतिशत रही है।

छत्तीसगढ़ में हिंदी के बाद छत्तीसगढ़ी व्यापक रूप से बोली जाती है, जबकि गोंडी जैसी अन्य आदिवासी भाषाएँ भी बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश में, हिंदी आधिकारिक भाषा है, जिसमें उर्दू बोलने वालों का प्रतिशत बहुत कम है। बघेली, बुंदेली, निमाड़ी, मालवा आदि कई

क्षेत्रीय बोलियाँ भी बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश में गोंडी बोलने वालों का एक छोटा सा हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 991 है, जो मध्य प्रदेश के 931 और भारत के 943 की तुलना में बेहतर है।

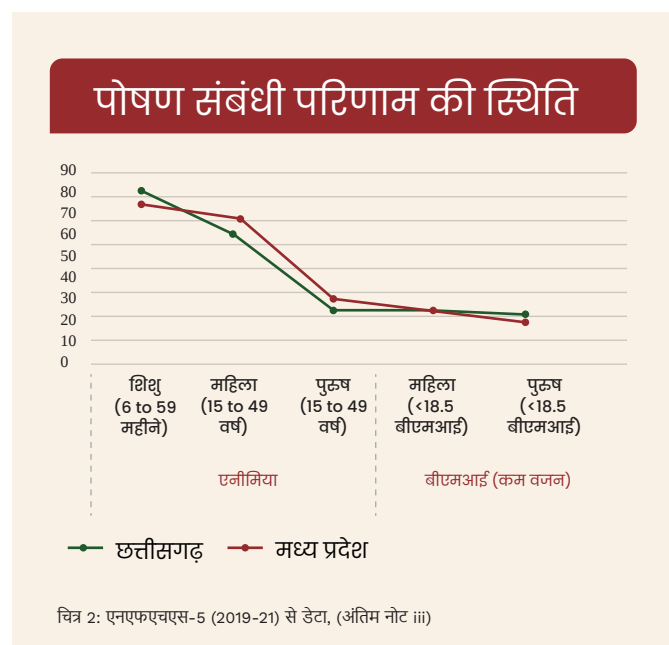
कुल बंचित जनसंख्या का प्रतिशत



राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-- 4 (वर्ष 2015-16) पर आधारित बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट दर्शाती है कि मध्यप्रदेश का एमपीआई स्कोर छत्तीसगढ़ के एमपीआई स्कोर 0.173 के मुकाबले 0.134 है, जो खराब है। एमपीआई का अनुमान है कि छत्तीसगढ़ में 29.91% आबादी गरीब है और गरीबों में वंचितों का भाग 44.64% है। मध्य प्रदेश के लिए यही आंकड़े क्रमशः 36.65% और 47.25% हैं। हालाँकि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतकों को शामिल करने वाली एमपीआई गणना समुदाय विशिष्ट जानकारी को निरूपित नहीं करती है।



वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, छत्तीसगढ़ की कुल साक्षरता दर 70.28% है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.27% और महिला साक्षरता दर 60.24% है। जबकि मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कम यानी 69.32% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 78.73% और महिला साक्षरता दर 59.24% है। एनएफएचएस-5 (2019-20)³ से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 10 या अधिक वर्षों तक स्कूली शिक्षा पाने वाली महिलाएं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्रमशः 32.1% और 21.7% हैं। पुरुषों के संदर्भ में, ये प्रतिशत क्रमशः 38.1% और 35% हैं। एनएफएचएस-5 से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में 20.8% और मध्य प्रदेश में 20.1% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं। जबकि इन राज्यों में पुरुषों संदर्भ में संबंधित आंकड़े क्रमशः 50.4% और 49.3% हैं।



आकलन वर्ष, 2015-19 में, यह पाया गया है कि भारत में औसत जीवन-प्रत्याशा 69.7⁴ वर्ष के मुकाबले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में औसत जीवन-प्रत्याशा क्रमशः 65.3 और 67 वर्ष है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) (2016-18)⁵ की नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारत के 113 के मुकाबले क्रमशः 150 और 173 पर उच्च मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) है।

इसी प्रकार, एनएफएचएस- 5 रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 44.3 और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) 50.4 है। मध्य प्रदेश में आईएमआर और U5MR

क्रमशः 41.3 और 49.2 हैं। पोषण संबंधी परिणाम इन दोनों राज्यों में जनसंख्या की कमजोर स्थिति को दर्शाते हैं (चित्र-2 देखें)। एसआरएस या एनएफएचएस रिपोर्ट में, आदिवासियों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में विशेष जानकारी का कोई डेटा नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक शोध अध्ययन⁶ में कहा गया है कि योग्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में कुपोषण, एनीमिया, सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी, बीटा थैलेसीमिया के लक्षण और जी 6 पीडी एंजाइम की कमी की दर बहुत अधिक है। मलेरिया का बार बार होना भी एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का मुद्दा रहा है। इसी प्रकार, एक अन्य शोध अध्ययन⁷ से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की समग्र संख्या कम है। योग्य डॉक्टर शहरीकृत स्थानों पर अधिक केंद्रित होते हैं। आदिवासी बस्तियां, जो ज्यादातर ग्रामीण और वन सीमांत क्षेत्र में हैं, वहां चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच बहुत कम है।

31 मार्च 2017 तक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई क्रमशः 3232 किमी और 7854 किमी है। तदनुसार, इन दोनों राज्यों में राज्य राजमार्गों की लंबाई 4438 किमी और 11389 किमी⁸ है। इस कारण छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का घनत्व 5.67 किमी और 6.24 किमी प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र है, जबकि भारत का औसत 10.26 किमी⁹ है। सड़कों का कम घनत्व खराब कनेक्टिविटी का संकेत देता है; हालांकि, यह आदिवासी बस्तियों में कनेक्टिविटी के बारे में उल्लेख नहीं करता है।

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश उन राज्यों में से हैं जहां आदिवासी आबादी का अनुपात अधिक है, जिनकी आजीविका काफी हद तक कृषि, पशुपालन और वन उपज के संग्रह पर निर्भर करती है। हालांकि, इन दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान प्राथमिक क्षेत्र से कहीं अधिक है। छत्तीसगढ़ (वर्ष 2012-13) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में उद्योगों की हिस्सेदारी 40.3% है, जबकि कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.7%¹⁰ है। वर्ष 2011-12 में, मध्य प्रदेश में भी प्राथमिक क्षेत्र का क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है, जिसमें जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक 46.96% और कृषि का योगदान 20%¹¹ से कम है। इसके बावजूद, छत्तीसगढ़ में 52% आदिवासी परिवारों और मध्य प्रदेश में 31.9% आदिवासी परिवारों ने कृषि को अपनी आय का एकमात्र स्रोत बताया (एसईसीसी¹², 2011)। जबकि छत्तीसगढ़ में 42.6% आदिवासी परिवारों और मध्य प्रदेश में 63.6% आदिवासी परिवारों ने शारीरिक श्रम/ मजदूरी को



उनकी आय का मुख्य स्रोत बताया है। छत्तीसगढ़ में 4.2% आदिवासी परिवारों और मध्य प्रदेश में 2.3% आदिवासी परिवारों ने बताया कि उनके परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है। इन राज्यों के एसटी परिवार, जहां कोई एक व्यक्ति प्राइवेट नौकरी में है, का प्रतिशत क्रमशः केवल 0.2% और 0.5% हैं। इसलिए, आदिवासी परिवारों के लिए कृषि अभी भी बहुत बड़ा योगदान देती है। सिंचित भूमि पर मालिकाना हक रखने वाले आदिवासी परिवार छत्तीसगढ़ में केवल 4.56% और मध्य प्रदेश में 15% (एसईसीसी, 2011) हैं। छत्तीसगढ़ में केवल 0.62% आदिवासी परिवारों और मध्य प्रदेश में 1.02% आदिवासी परिवारों के पास मशीनीकृत कृषि उपकरण हैं। यहां तक कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसे सरकारी प्रावधानों तक

उनकी पहुंच बेहद कम है, 50,000 रुपये और उससे अधिक की केसीसी सीमा वाले आदिवासी परिवारों का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में केवल 1.27% और मध्य प्रदेश में 1.9% है। भारत में 75% ग्रामीण परिवारों ने बताया कि सबसे अधिक कमाई करने वाला सदस्य 5000 रुपये प्रति माह से कम कमाता है। (एसईसीसी, 2011)। छत्तीसगढ़ के आदिवासी परिवारों में यह अनुपात बढ़कर 93.3% और मध्य प्रदेश के आदिवासी परिवारों में 92.7% हो गया है। कम आय से स्पष्ट है कि आदिवासी घरों में आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता भी तुलनात्मक रूप से कम है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में केवल 6% आदिवासी परिवारों के पास मोटरसाइकिल है, और रेफ्रिजरेटर रखने वाले परिवारों की संख्या 2% से भी कम है।

इस रिपोर्ट के बारे में

यह रिपोर्ट आजीविका और अन्य मापदंडों से संबंधित स्थिति के आंकड़ों को स्पष्ट करती है। इसका अगला भाग अनुसंधान के दौरान अपनाई गई पद्धति और नमूनाकरण प्रक्रिया की व्याख्या करता है। खंड 9 "मूलभूत चरों" और परिणामों के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है। अंतिम खंड में अध्ययन का निष्कर्ष और भविष्य की रणनीति है।

नोट: अध्ययन में बड़े पैमाने पर डेटा एकत्र किया गया है। मुख्य रिपोर्ट केवल मुख्य बिंदु और तालिकाएँ प्रदान करती है। अनुलग्नकों में डेटा और विश्लेषण का विवरण शामिल है। संपूर्ण रिपोर्ट में इनका भी उल्लेख किया गया है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि यदि उनकी रुचि हो तो पूरा प्रासंगिक अनुबंध पढ़ें।





संदर्भ

¹ भारत की जनगणना (2011) रिपोर्ट (links mentioned below).

- a. <https://www.censusindia.co.in/states/chhattisgarh>
- b. <https://www.censusindia.co.in/states/madhya-pradesh>
- c. <https://www.censusindia2011.com/chhattisgarh-population.html>
- d. <https://www.censusindia2011.com/madhya-pradesh-population.html>

² नीति आयोग (2021) राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बेसलाइन रिपोर्ट, एनएफएचएस-4 (2015-16) पर आधारित, नीति आयोग, भारत, नई दिल्ली।
https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-11/National_MPI_India-11242021.pdf

³ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एनएफएचएस-5, राज्य तथ्य पत्रक।

International Institute for Population Sciences (IIPS) (2022) National Family Health Survey- 5, 2020-21, State Fact Sheet Chhattisgarh, Ministry of Health and Family Welfare. <https://www.im4change.org/docs/NFHS-5%20Chhattisgarh.pdf>

a. International Institute for Population Sciences (IIPS) (2022) National Family Health Survey- 5, 2019-21, State Fact Sheet Madhya Pradesh, Ministry of Health and Family Welfare. http://rchiips.org/nfhs/NFHS-5_FCTS/Madhya_Pradesh.pdf

⁴ Times of India (2022) Life expectancy up: The best places to be born, work, and retire in India, Times of India, June 13, 2022.

<https://timesofindia.indiatimes.com/india/where-in-india-will-you-live-the-longest-and-where-shortest/articleshow/92178313.cms>

⁵ Press Information Bureau (2021) Maternal Mortality Rate (MMR), Press Information Bureau, Delhi, 12 February 2021.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1697441>

⁶ Galhotra, A., Padhy, G. K., Pal, A., Giri, A. K. and Nagarkar, N. M. (2014) 'Mapping the health indicators of Chhattisgarh: A public health perspective', International Journal of Medicine and Public Health, 4 (1), pp. 23-28. DOI:10.4103/2230-8598.127117

⁷ De Costa, A., Al-Muniri, A., Diwan, V. K. and Eriksson, B. (2009) Where are healthcare providers? Exploring relationships between context and human resources for health Madhya Pradesh province, India', Health Policy, 93 (1), pp. 41-47.

DOI: 10.1016/j.healthpol.2009.03.015

⁸ Ministry of Road Transport & Highways (2019) Basic Road Statistics of India [2016-17], Ministry of Road Transport & Highways, Government of India. https://morth.nic.in/sites/default/files/Basic%20_Road_Statics_of_India.pdf

⁹ See the reference viii

¹⁰ National Skill Development Corporation (NSDC) (2013) District wise skill gap study for the State of Chhattisgarh (2012-2017, 2017-22), NSDC, June 18, 2013. https://nsdcindia.org/sites/default/files/files/chattisgarh-district-skill-gap-study-final-report_18thJune.pdf

¹¹ National Skill Development Corporation (NSDC) (2013) District wise skill gap study for the State of Madhya Pradesh, NSDC, January 2013. <https://nsdcindia.org/sites/default/files/files/madhya-pradesh-sg.pdf>

¹² SECC (2011) Socio-Economic and Caste Census, Ministry of Rural Development, Government of India. <https://secc.gov.in/>



#01

अध्ययन की पद्धति



1.1 वैचारिक रूपरेखा

इस रिपोर्ट में अनुसूचित जनजातियों/आदिवासियों की आजीविका की स्थिति का आकलन करने के लिए छह पहलुओं का अध्ययन किया गया है। ये पहलू हैं :

1. सांस्कृतिक लोकाचार, जिसमें आजीविका चलती है
2. वह संसाधन आधार, जिसके अंतर्गत आजीविका चलती है
3. बुनियादी ढांचे और संसाधन विकास के संदर्भ में बाहरी हस्तक्षेप
4. परिवारों की अपनी विशेषताएं
5. आजीविका हेतु अपनाई जाने वाली विशिष्ट गतिविधियाँ
6. आजीविका संबंधी परिणाम

इनमें से कुछ कारकों पर जानकारी परिवारों द्वारा, कुछ ग्राम समुदाय से और कुछ उन लोगों से एकत्र की गयी थी, जिनके पास व्यापक दृष्टिकोण है। इस खंड में किया गया विमर्श कार्यप्रणाली के औचित्य को स्पष्ट करता है।

इस रिपोर्ट के कुछ अध्यायों में संदर्भ जोड़ने या तुलना करने के लिए सेकेन्डरी डेटा और प्रासंगिक साहित्य का उपयोग किया गया है। संबंधित अध्याय के अंत में लेखन के संदर्भों का उल्लेख किया गया है।

सांस्कृतिक लोकाचार और जीवन लक्ष्य

किसी समुदाय का सांस्कृतिक लोकाचार जीवन के लक्ष्यों और संसाधनों के साथ परस्पर संबंध के संदर्भ में उनके विचारों को प्रभावित करता है। आकांक्षाएँ और जीवन लक्ष्य एक व्यक्तिगत परिवार और समुदाय द्वारा की जाने वाली गतिविधियों और प्रयासों का मार्गदर्शन करते हैं। आकांक्षाएँ सांस्कृतिक लोकाचार से आकार लेती हैं जो पीढ़ियों से विकसित होती हैं और बच्चों के पालन-पोषण और समाजीकरण प्रथाओं में खुद को प्रतिबिंबित करती हैं, और बड़े होने पर लोगों की सोच को प्रभावित करती हैं।

संसाधन आधार

भूमि, जल, पेड़, जंगल और पशु संसाधन आधार का निर्माण करते हैं, जो परिभाषित करता है कि ग्रामीण लोग किस प्रकार अपनी आजीविका चलाते हैं। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से पूर्वी पठार और पहाड़ियों के रूप में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्र VII के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश तीन कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है - पूर्वी पठार और पहाड़ियाँ (क्षेत्र VII),

मध्य पठार और पहाड़ियाँ (क्षेत्र VIII), और पश्चिमी पठार और पहाड़ियाँ (क्षेत्र IX)। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा 1100 से 1500 मिमी के बीच है जबकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी आदिवासी जिलों में यह 800 और 900 मिमी के बीच है। ये सभी संसाधन आधार आजीविका संबंधी निर्णयों और परिणामों को निर्धारित करते हैं। नमूनाकरण पदहट्टी और डेटा का विश्लेषण क्षेत्रीय भिन्नता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

बाहरी हस्तक्षेपों के माध्यम से संसाधनों को पुनः आकार देना

बाहरी हस्तक्षेपों ने आदिवासियों के संसाधन आधार को नया आकार दिया है। कुछ हस्तक्षेपों का उनके संसाधनों और उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ये बाहरी प्रभाव वनों के निष्कर्षण उपयोग या खनिजों के निष्कर्षण के लिए या औद्योगिक खपत के लिए पानी जमा करने के लिए बड़ी संरचनाओं के निर्माण से संबंधित हैं। 1882 के वन अधिनियम ने आदिवासियों से वन और वन भूमि का अधिकार छीन लिया और इसे राज्य के हाथ में दे दिया है। इससे आदिवासी लोग अपनी भूमि में अवांछित हस्तक्षेपकर्ता बन गए, और उन्हें केवल निस्तार अधिकार प्राप्त हुए हैं। खनन संरचनाओं के लिए आवश्यक निर्माण गतिविधियाँ, विशाल खनन अपशिष्ट और बांधों के मामले में नदी के ऊपरी हिस्से में जलमग्नता के चलते कई आदिवासियों बस्तियों को नष्ट किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापन और उनकी भूमि से बेदखली का सामना करना पड़ा है। आदिवासियों के निवास वाले क्षेत्रों में 'विकास की पहल' उन्हें एक ऐसी मूल्य प्रणाली के साथ संघर्ष में लाती है जो उनके लिए अलग है। विस्थापन-प्रेरित जनसांख्यिकीय परिवर्तन ने आमतौर पर आदिवासियों को नुकसान पहुंचाया है।

कुछ बाहरी हस्तक्षेप आदिवासियों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों, स्कूलों, रेलवे, सड़कों और इलेक्ट्रॉनिक (और हाल ही में डिजिटल) कनेक्टिविटी तक पहुंच से संबंधित हैं। हालांकि स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच ने आदिवासियों में जीवन प्रत्याशा बढ़ाने में योगदान दिया है, तथा रेल, सड़क और इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी ने व्यापार और गतिशीलता के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं।

आदिवासी परिवारों की विशेषताएं

परिचालन जोत का आकार, भूमि स्थलाकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, सिंचाई तक पहुंच, घर पर श्रम की उपलब्धता, कृषि संपत्ति, परिवार का आकार, आयु और शैक्षिक स्तर, आवश्यक न्यूनतम आय, घरेलू

[1] See for instance Buch MN, "The Madhya Pradesh Forests, Their Degradation, and Their Implications," India International Centre Quarterly; Vol. 17, No. 2 (Monsoon 1990), pp. 117-124 (8 pages)



ऋणग्रस्तता, परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति, गैर कृषि स्रोत से आय (यदि कोई हो), ऋण तक पहुंच, बाजार, सामाजिक और संस्थागत आश्वासन (उदाहरण के लिए स्थानीय एसएचजी की सदस्यता) आदि आजीविका विकल्पों और पारिवारिक स्थितियों को आकार देते हैं। एक परिवार व एक ही कबीले और एक ही गांव के परिवार भी इनमें से कई मापदंडों पर भिन्न होते हैं, जो अलग-अलग आजीविका विकल्पों के चयन और अपने समग्र कल्याण के कारक हैं।

आजीविका संबंधी गतिविधियाँ:

आदिवासी अपनी भूमि पर खेती करते हैं, छोटे पालतू पशुओं का पशुपालन करते हैं, घरेलू उपभोग और बिक्री के लिए एनटीएफपी इकट्ठा करते हैं और आसपास के खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। उनमें से एक बड़ी संख्या कभी-कभी अपने परिवारों के साथ दूर-दराज के स्थानों पर मौसमी व्यवसायों के लिए पलायन कर जाती है। आदिवासियों का कुछ गैर-कृषि गतिविधियाँ- जैसे छोटी

दुकानें चलाना, सांस्कृतिक कला और शिल्पकला, पारंपरिक चिकित्सा का अभ्यास और मनरेगा जैसे सरकारी मजदूरी कार्यक्रमों से जुड़ना आम बात है। आदिवासी परिवार बाहर काम करने वाले अपने रिश्तेदारों से धन और सरकारी योजनाओं के तहत नकद सहायता भी प्राप्त करते हैं।

आजीविका परिणाम :

आय, पर्याप्त और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खपत, स्वास्थ्य की स्थिति, बच्चों की शिक्षा, उपभोग के अन्य आयाम जैसे कपड़े, मनोरंजन, डिजिटल इंफोटेनमेंट का उपभोग और घरेलू और उत्पादक संपत्तियों का अधिग्रहण (टीवी, एलपीजी कनेक्शन, रेफ्रिजरेटर), मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर या पावर-टिलर, पंप सेट, ढोने वाले जानवर, निराई करने वाले उपकरण, भंडारण) आदि आजीविका के कुछ प्रमुख परिणाम हैं।





1.2 त्रिस्तरीय जांच

अध्याय की शुरुआत में आदिवासी आजीविका की स्थिति हेतु करीब छह पहलुओं: परिवारों का नजरिया, गाँवों, आदिवासी मुद्दों पर काम करने वाले बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों, आदिवासी समुदाय के नेताओं और आदिवासी समुदायों के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। हमने परिवार का नजरिया जानने के लिए एक परिवार-स्तरीय प्रश्नावली (अनुलग्नक L1 देखें), एक विलेज फैक्ट शीट (अनुलग्नक L2 देखें) और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड फोकस ग्रुप डिस्कशन (एफजीडी) प्रारूप (अनुलग्नक L3 देखें) का उपयोग किया है। हमने विद्वानों, कार्यकर्ताओं और समुदाय के नेताओं के दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए सेमी स्ट्रक्चर्ड व्यक्तिगत साक्षात्कार (पीआई) प्रारूप (अनुलग्नक एल 3 देखें) का उपयोग किया है। नीचे दी गई तालिका 1.1 में आजीविका स्थिति के छह पहलुओं के आसपास, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों का उल्लेख है।

तालिका 1.1: आजीविका पहलुओं से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किए गए साधन

अध्ययन का पहलू	उपयोग किए गए साधन
सांस्कृतिक लोकाचार, जिसमें आजीविका चलती है	पीआई
वह संसाधन आधार, जिसके अंतर्गत आजीविका चलती है	द्वितीयक आंकड़े, विलेज फैक्ट शीट, एफजीडी, पीआई
बुनियादी ढांचे और संसाधन विकास के संदर्भ में बाहरी हस्तक्षेप	विलेज फैक्ट शीट, एचएच प्रश्नावली, एफजीडी, पीआई
परिवारों की अपनी विशेषताएं	एचएच प्रश्नावली, एफजीडी, पीआई
आजीविका हेतु अपनाई जाने वाली विशिष्ट गतिविधियाँ	एचएच प्रश्नावली, पीआई
आजीविका परिणाम	एचएच प्रश्नावली, पीआई

नमूना आकार और नमूनाकरण (सैम्पलिंग) की पद्धति:

इस कार्य का उद्देश्य आदिवासी आजीविका की कार्यात्मक साक्षरता, आय, खाद्य सुरक्षा और आहार विविधता जैसे कई मापदंडों को समझना था। इस विचार के आधार पर, कुल 5000 परिवारों का नमूना आकार रखने का निर्णय लिया गया और गहन जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी) के तहत कवर किए गए "आदिवासी बहुल" प्रशासनिक ब्लॉकों को शामिल किया गया।

नमूनाकरण (सैम्पलिंग)

सैपलिंग के लिए 2011 की जनगणना से मिलने वाली जानकारी का उपयोग किया गया है। सर्वेक्षण के समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक जिले, उप-जिले और ब्लॉक, 2011 की जनगणना में बताए गए विवरणों से भिन्न थे। इसमें नमूने में प्रयुक्त जिले, ब्लॉक और गांव शब्द 2011 की जनगणना से संदर्भित हैं। हमने एक बहु-चरण, स्तरीकृत गैर-उद्देश्यीय नमूनाकरण पद्धति का अनुसरण किया है।

हमने गाँव को सैपलिंग ढांचे की मूल इकाई के रूप में चुना है। प्रत्येक नमूना गाँव में, गैर-उद्देश्यपूर्ण रूप से चुने गए 20 परिवारों का साक्षात्कार लिया गया। अध्ययन के लिए दो प्रकार के गाँव - आदिवासी गाँव और गैर-आदिवासी गाँव लिए गए। आदिवासी गाँव वह है जिसकी जनसंख्या 300 से अधिक है और 70% या अधिक जनसंख्या एसटी है। गैर-आदिवासी गाँव वह गाँव है जिसकी जनसंख्या 300 से अधिक है और एसटी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 30% से कम है।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के आईटीडीपी ब्लॉकों के 300 गाँवों का नमूना लिया गया। नमूनों को दो राज्यों में समान रूप से विभाजित किया गया। राज्यों के गाँव और प्रकारों का वितरण निम्नलिखित है।



तालिका 1.2: गांवों के नमूनों का चयन

मध्य प्रदेश			छत्तीसगढ़		
आदिवासी और गैर पीवीटीजी (TNP)	115	+	आदिवासी और गैर पीवीटीजी (TNP)	115	= 230
गैर-आदिवासी	25	+	गैर-आदिवासी	25	= 50
पीवीटीजी	10	+	पीवीटीजी	10	= 20
कुल	150	+	कुल	150	= 300

राज्य का नमूना मध्य प्रदेश के 9 जिलों से लिया गया है। मध्य प्रदेश के जिलों के आईटीडीपी ब्लॉकों को तीन व्यापक समूहों: भील क्षेत्र (जिले - झाबुआ, धार, बड़वानी और खरगोन), गोंड क्षेत्र (जिले - डिंडोरी, छिंदवाड़ा, मंडला, बैतूल, सिवनी और शहडोल), और आईटीडीपी ब्लॉक वाले शेष जिले में विभाजित किया गया है। राज्य के नमूने को इन तीन क्षेत्रों में समान रूप से विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र से तीन जिलों को यादृच्छिक रूप से चुना गया है।

इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, राज्य के नमूने को तीन क्षेत्रों में समान रूप से विभाजित किया गया है: दक्षिण, मध्य और उत्तर क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिलों के आईटीडीपी ब्लॉक शामिल हैं। ये सातों जिले पुराने अविभाजित बस्तर जिले के हिस्से हैं। मध्य क्षेत्र में बालोद, बिलासपुर, धमतरी, गरियाबंद, कबीरधाम, कोरबा, मुंगेली और राजनांदगांव जिलों के आईटीडीपी ब्लॉक शामिल हैं। उत्तरी क्षेत्र में बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, रायगढ़, सूरजपुर और सरगुजा जिलों के आईटीडीपी ब्लॉक शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्र से 3 जिलों को यादृच्छिक रूप से चुना गया है।

जैसा कि हमने इसे नमूने के लिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र को भौगोलिक प्रकृति के आधार पर - उत्तरी पठार, मध्य छत्तीसगढ़ में महुंदी बेसिन और दक्षिणी पठार में विभाजित किया है। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश को उस क्षेत्र में मुख्य जनजाति की उपस्थिति के आधार पर विभाजित किया गया है। हालाँकि, मध्य प्रदेश में ये विभाजन मालवा (भील) और सतपुड़ा-बघेलखंड (गोंड) जैसे भौगोलिक क्षेत्रों के साथ भी ओवरलैप हो रहे हैं। आजीविका परिणाम अध्याय में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के संभागों के बीच आजीविका की स्थिति की तुलना की गई है। हालाँकि, नमूना आकार से हम विशिष्ट जनजातीय समूहों (जैसे माडिया गोंड) के स्तर पर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा होने के लिए, कुल नमूना आकार बहुत बड़ा होना चाहिए। विशिष्ट जनजातीय समूहों के लिए निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रदान और अन्य इच्छुक संगठनों के बीच सहयोगात्मक प्रयास और लागत-साझाकरण की आवश्यकता होगी।

मध्य प्रदेश के 9 जिलों में 114 आदिवासी गांवों और छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 115 आदिवासी गांवों का नमूना जनसंख्या के अनुपात में जिलों में आवंटित किया गया था: यदि x इन 9 जिलों की कुल जनसंख्या है (2011 की जनगणना के अनुसार आईटीडीपी ब्लॉक में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या)) और m_i जिले की जनसंख्या और कुल 9 जिले की जनसंख्या का अनुपात है, आवंटित i^{th} जिले का मान $115 \times m_i$ होगा।

जिले के नमूने को उस जिले के आईटीडीपी ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। सर्वेक्षण के लिए प्रति ब्लॉक अधिकतम 5 गांवों को शामिल किया गया। जैसे यदि जिले में 17 नमूना गांवों का आवंटन है, तो 4 ब्लॉकों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। फिर 3 ब्लॉकों से 5 एसटी गांवों को यादृच्छिक रूप से चुना गया और चौथे ब्लॉक से 2 गांवों का चयन किया गया। विचार किए गए ब्लॉकों का क्रम उनके प्रशासनिक क्रम के अनुसार था। मध्य प्रदेश में नमूना ब्लॉकों की कुल संख्या 24 थी और छत्तीसगढ़ में 27 थी।

यद्यपि उपलब्ध जानकारी के अनुसार पीवीटीजी जनसंख्या, जनसंख्या का लगभग 4% है, पर्याप्त नमूना आकार सुनिश्चित करने के लिए 8% नमूना पीवीटीजी गांवों को आवंटित किया गया था। सर्वेक्षण के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़- दोनों से मुख्य रूप से पीवीटीजी आबादी वाले 10 गांवों पर विचार किया गया। पीवीटीजी गांवों और पीवीटीजी परिवारों के चयन का निर्णय पास के ब्लॉकों के बनाय पीवीटीजी के स्थान के आधार पर किया गया जहां शेष आदिवासी नमूने आवंटित किए गए थे।

सर्वेक्षण के लिए आईटीडीपी ब्लॉकों से 1000 गैर-आदिवासी परिवारों का एक नमूना तैयार किया गया। प्रत्येक ब्लॉक से जहां आदिवासी नमूना आवंटित किया गया है, सभी गैर-एसटी गांवों में से एक गैर-आदिवासी गांव को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गैर-आदिवासी गांवों की संख्या क्रमशः 24 और 27 थी। अब तक की चर्चा डिज़ाइन से संबंधित है। चर्चा के अनुरूप निम्नलिखित तालिकाएँ उन परिवारों के समूह के बारे में हैं, जिनका सर्वेक्षण किया गया था।

तालिका 1.3: सर्वे में पीवीटीजी ब्लॉक

मध्य प्रदेश		छत्तीसगढ़	
जिला	ब्लॉक	जिला	ब्लॉक
शहडोल	जयसिंगना	गरियाबंध	गरियाबंध
शिवपुर	करहल	जशपुर	बगीचा
मांडला	नारायणग	नारायणपुर	ओरछा

तालिका 1.4: सर्वेक्षित परिवारों के जिलों और गाँवों की संख्या

जिला	नमूने वाले ब्लॉक की संख्या	गावों की संख्या	जिला	नमूने वाले ब्लॉक की संख्या	गावों की संख्या
बरवानी	3	16	बस्तर	4	20
छिंदवारा	4	24	बीजापुर	1	10
धार	4	20	बिलासपुर	3	15
हरदा	1	6	गरियाबंध	3	15
जबलपुर	4	24	जशपुर	4	26
खरगौन (पश्चिम नीमार)	2	11	कबीरधाम	1	4
सेयोन	2	12	कोंडागाँव	3	16
शहडोल	3	12	कोरिया	2	13
उमारिया	2	15	सूरजपुर	4	20
शिवपुर	1	6	नारायणपुर	1	2
मांडला	1	2	जीपीएम	2	12
कुल योग	27	148	कुल योग	28	153
कुल		नमूने वाले ब्लॉक की संख्या 45	गावों की संख्या 301		

सर्वेक्षण उपकरणों, फोकस ग्रुप परिचर्चा केन्द्रित प्रश्नों और लिए गए साक्षात्कार के प्रमुख बिन्दुओं को अनुलग्नक-एल में दिया गया है।



तालिका 1.5 सम्पूर्ण आंकड़ा आकार



मध्य प्रदेश



छत्तीसगढ़

कुल परिवार	2,967	+	कुल परिवार	3,052	=	6,019
आदिवासी परिवार	2,405	+	आदिवासी परिवार	2,340	=	4,745
पीवीटीजी परिवार	201	+	पीवीटीजी परिवार	192	=	393
गैर-आदिवासी परिवार	361	+	गैर-आदिवासी परिवार	520	=	881
कुल गाँव	148	+	कुल गाँव	153	=	301
आदिवासी गाँव	117	+	आदिवासी गाँव	117	=	234
पीवीटीजी गाँव	10	+	पीवीटीजी गाँव	10	=	20
गैर आदिवासी गाँव	21	+	गैर आदिवासी गाँव	26	=	47
नमूने लिए गए ब्लॉक	27	+	नमूने लिए गए ब्लॉक	28	=	55
नमूने लिए गए जिले	11	+	नमूने लिए गए जिले	11	=	22
कुल एफ़जीडी	24	+	कुल एफ़जीडी	26	=	50
कुल साक्षात्कार	11	+	कुल साक्षात्कार	17	=	28

मध्यप्रदेश में मई 2022 और जुलाई 2022 की अवधि और छत्तीसगढ़ में मई 2022 से अगस्त 2022 के दौरान सभी आंकड़े इकट्ठे किए गए।





व्याख्यात्मक नोट:

नमूनाकरण पद्धति पिछले भाग में दी गई है। आंकड़े और उसके निष्कर्ष यहां प्रस्तुत किए गए हैं:

1. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के डेटा में तीन श्रेणियां हैं: आदिवासी, गैर-आदिवासी और पीवीटीजी। पीवीटीजी अनिवार्य रूप से आदिवासी हैं, लेकिन उन पर डेटा अलग से दिखाया गया है क्योंकि उन्हें आदिवासी लोगों के बीच एक विशेष श्रेणी माना जाता है। "गैर-आदिवासी" श्रेणी एकसमान नहीं है। इस श्रेणी में शामिल परिवार विभिन्न जातियों के हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक भी शामिल हैं।

2. महिला प्रधान परिवारों का डेटा भी लिंग और आजीविका खंड में अलग से प्रस्तुत किया गया है।

3. हमने जैसा है, उसी रूप में स्थिति को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ऐसा क्यों है? के स्पष्टीकरण पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है।

4. पारिवारिक आय में दो घटक शामिल हैं: कृषि उपज से वर्ष के दौरान अर्जित वास्तविक नकद आय, प्राप्त मजदूरी, बैंक खातों में जमा पेंशन आदि, व्यवसायों से आय, आदि। दूसरा घटक उत्पादित वस्तुओं के "अध्यारोपित मूल्य" का है या जिसका उत्पादन अथवा एकत्रण कर घर में ही उपभोग किया गया।

कृषि उपज और वन संग्रह का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर पारिवारिक जीविका के उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि पारिवारिक आय की गणना हेतु कृषि या संग्रह उद्यमों के उत्पादन को बाजार में प्रचलित कीमतों पर मूल्यांकित करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप आंशिक अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि घर में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं, उनकी मात्रा और गुणवत्ता की एक बार में गणना करना कठिन होता है। वहीं दूसरी तरफ 'मुख्यधारा' आर्थिकी से आजीविका चलाने वाले परिवारों की मुद्रिकृत आय के आंकड़े जुटाना तुलनात्मक रूप से आसान है। बहरहाल, हमें आजीविका परिणामों और परिवारों की स्थिति की बेहतर समझ के लिए अनुमानित खपत को महत्व देना होगा। इसलिए, इस अध्ययन में उत्तरदाताओं से मुद्रिकृत आय के साथ-साथ उपभोग से अर्जित आय के बारे में डेटा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। हालांकि उनकी कुल आय का आकलन करने में अभी भी अंतर हो सकता है। राज्य विशेष के लिए बाजार मूल्य

अथवा परिवार की औसत आय का उपयोग आरोपित खपत का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। अनिवार्य रूप से, हमारा माप परिवार विशेष द्वारा की गई खपत के आधार पर विशिष्ट मूल्य निर्धारण जानकारी का उपयोग करके मुद्रिकृत आय को कैप्चर करने में बेहतर है और कम विशिष्ट और अधिक सामान्य (राज्य या प्रतिनिधि परिवार के स्तर पर) तरीके से की गई खपत के मूल्य को कैप्चर करते हैं।

5. आय के कुल आंकड़े जब खर्च को घटाकर बनाया गया है। पारिवारिक श्रम या घर के अहाते में (फार्मियाई खाद, पशु मसौदा शक्ति) की लागत को सकल बिक्री आय में शामिल नहीं किया गया है।

6. हर मौसम के लिए फसल की कीमत की गणना सर्वेक्षण डेटा से की गई है। डेटा-आधारित मूल्य की गणना का सूत्र इस प्रकार था:

$$\left(\sum_{i=1}^n \text{Gross income}_{ij}^{st} \right) / \left(\sum_{i=1}^n \text{Quantity sold}_{ij}^{st} \right)$$

जहां सकल आय ($\text{Gross income}_{ij}^{st}$), i^{th} परिवार (मध्यप्रदेश अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के) की आय है, जो j^{th} फसल की बिक्री से t^{th} महीने (खरीफ, रबी और गर्मी) को दर्शाती है। विक्रय सामग्री ($\text{Quantity sold}_{ij}^{st}$) के रूप में और फसल की मात्रा j^{th} फसल की बिक्री t^{th} वें मौसम में i^{th} परिवार को राज्य में दर्शाती है। गणना की गई इन कीमतों की तुलना कृषि वर्ष 2021-22 के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से की गई है (सब्जी के मामले में यह राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रदान की गई वार्षिक कीमतों से संदर्भित हैं)। जहां कहीं भी गणना की गई कीमत एमएसपी से 20% भिन्न (कम और अधिक दोनों) थी, वहां एमएसपी को लिया गया है।

ऐसे मामले जहां एमएसपी तुलना के लिए उपलब्ध नहीं है, वहाँ गणना की गई कीमत का उपयोग किया गया है। ऐसे मामलों में, जहां परिकल्पित मूल्य उपलब्ध नहीं है, वहाँ एमएसपी को उस मौसम में उस फसल की कीमत के रूप में माना गया है। ऐसे मामलों के लिए जहां किसी फसल के लिए न तो एमएसपी है, और ना ही राज्य द्वारा कोई कीमत तय की गयी हो, वहाँ कीमत की गणना ₹1000 प्रति क्विंटल के दर से मानी गयी है।

²Income has been calculated by subtracting the operating cost from the revenue earned from the particular activity



7. सब्जियों के सन्दर्भ में, जहाँ कहीं भी डेटा-आधारित कीमतें उपलब्ध नहीं थी अथवा बहुत कम या बहुत अधिक (जैसे कुछ रुपये प्रति क्विंटल) रहने पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) द्वारा प्रदान की गई कीमत के अनुसार गणना की गयी। किसी विशिष्ट मौसम के लिए किसी सब्जी के भारत औसत सीजन मूल्य की गणना राज्य के प्रमुख बाज़ार, मध्यप्रदेश के लिए भोपाल और

छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर के अनुसार तय की गई है। जब ऐसी कीमत उपलब्ध नहीं होती है, उदाहरण के लिए, मध्यप्रदेश में मटर की ग्रीष्मकालीन कीमत, के लिए 2021की वार्षिक भारत औसत कीमत का उपयोग किया गया है। जहाँ एनएचबी की जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहाँ उस सीजन के लिए अन्य राज्य से गणना की गई कीमतों का उपयोग किया गया है।

तालिका 1.6: कृषि आय गणना हेतु फसलों के दाम (रुपए प्रति क्विंटल)

मध्य प्रदेश				छत्तीसगढ़			
फसल	खरीफ	रबी	गर्मी	खरीफ	रबी	गर्मी	
मक्का	1741	1829	2029	1870	1593	1870	
गेहूँ	2455	2002	2143	2015	1716	1888	
धान	1755	1700	1950	2033	1950	1768	
जौ	1473	1635	1635	1635	1635	1635	
सिउर_मारसा_चलाइ	1050	1050	1050	1050	1050	1050	
फूलन	6296	6296	6296	6296	6296	6296	
ओगला	1050	1050	1050	1050	1050	1050	
फापरा	1050	1050	1050	1050	1050	1050	
कोदो-कुटकी	2690	2690	2690	2690	2690	2690	
गंगराई	1050	1050	1050	1050	1050	1050	
गन्ना	290	290	290	260	290	290	
राजमा	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
सानी	1050	1050	1050	1050	1050	1050	
कुलथी	2000	2500	2250	5979	2500	4240	
सोयाबीन	5027	3950	4750	3950	3950	3950	
मसूर	5500	5500	5500	5500	5500	5500	
अरहर	4960	6300	6300	5562	6300	6300	
उड़द	6300	6300	3797	7434	6300	6300	
तेल बीज	3940	3940	3940	3940	3940	3940	
सरसों	5818	5667	5050	5417	5050	5050	
अलसी	8333	8333	8333	8333	8333	8333	





तालिका 1.7: कृषि आय गणना हेतु सब्जियों के दाम (रुपए प्रति क्विंटल)



मध्य प्रदेश



छत्तीसगढ़

सब्जियाँ	खरीफ	रबी	गर्मी	खरीफ	रबी	गर्मी
आलू	2000	1248	1000	1702	844	1500
मटर	1284	3920	1284	1169	2434	2444
बीन्स	4110	4400	4255	4110	4400	4255
पत्तागोभी	1300	1300	1300	2568	1149	1545
टमाटर	2119	828	3000	2092	2482	1934
लहसुन	1915	4407	8000	7863	5781	4851
कच्चा आलू	1000	1000	1000	1000	1000	1000
मिर्च	5556	2569	2569	4495	1982	1922
प्याज	1217	1551	806	1713	1643	2571
बर्बट्टी	2418	2660	1282	2418	2660	1282
बंगाल चना	5000	4725	4912	4530	4694	3900
हरा चना	4501	4855	5350	5200	5200	5200
कच्चा	1000	1000	1000	1000	1000	1000
कांदा	1000	1000	1000	1000	1000	1000
गोभी	3500	4667	1841	2941	1843	3857
भिंडी	6708	4364	1846	2743	982	2428
खीरा	1300	1667	800	5543	1000	1235
धनिया/अदरक	2577	2577	2577	3300	3051	2385
करेला	5896	4129	2662	3586	1500	2704
अन्य कद्दू	1333	1333	1333	1333	1333	1333
बैंगन	1408	1408	1408	2313	1504	1577

संदर्भ और टिप्पणी

¹See for instance Buch MN, "The Madhya Pradesh Forests, their Degradation and its Implications"; India International Centre Quarterly; Vol. 17, No. 2 (Monsoon 1990), pp. 117-124 (8 pages)

²तालिका सैपल डिजाइन को दर्शाती है। क्षेत्रीय स्थिति के कारण इसमें थोड़े परिवर्तन हो सकते हैं।

³आय की गणना विशेष गतिविधि से अर्जित राजस्व से परिचालन लागत को घटाकर की गई है।



#02

सामाजिक और
सांस्कृतिक
लोकाचार, जिसमें
आजीविका
चलती है





यह अध्याय उन लोगों के साक्षात्कार पर आधारित है जो अपने संबंधित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं और आदिवासियों के मुद्दों के जानकार माने जाते हैं। कुल मिलाकर 28 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया, जिनमें- 17 छत्तीसगढ़ से और 11 मध्य प्रदेश से थे। इनमें से 22 एसटी समुदाय के हैं। वे गोंड, बैगा, ओरांव, भील, अगरिया और प्रधान जनजातियों से थे। इनमें 11 महिलाएं भी शामिल थीं। सांस्कृतिक लोकाचार के विविध पहलुओं पर इन साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा साझा की गई जानकारी और विचारों का सारांश नीचे दिया गया है।

आदिवासीयत

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, क्रमशः 42 और 46 अलग-अलग आदिवासी समूह हैं जिन्हें या तो अनुसूचित जनजाति (एसटी) या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रूप में मान्यता प्राप्त है। इन सभी में कुछ सांस्कृतिक मूल्य समान हैं। ये मूल्य 'आदिवासी' (आदिवासी की मूल विश्वास प्रणाली और प्रकृति) को परिभाषित करते हैं और उन्हें गैर-आदिवासियों से अलग करते हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य, जो लगभग हर उत्तरदाता द्वारा साझा किए गए, उनमें एकजुटता व भेदभाव रहित समाज और प्रकृति के साथ गैर-दोहनकारी संबंध थे। उनके सभी रिश्ते, भाषाएँ, कला रूप, जीवन कौशल, अनुष्ठान, सामाजिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ और आजीविकाएँ इन मूल्यों से आकार ग्रहण करती हैं।

उदाहरण के लिए, पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ श्रम और बीजों के बंटवारे पर आधारित थीं। समुदाय में जरूरतमंद लोगों को रोटी, कपड़े और आश्रय स्थल के रूप में भी पारस्परिक सहायता को देखा जा सकता है। आदिवासियों की अधिकांश पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ लालच के बनिस्पत आवश्यकता पर आधारित हैं; इसलिए, वे गैर- दोहनकारी हैं और सततजीवी हैं। जैव-विविधता के पुनर्विकास और अनुरक्षण के लिए पर्याप्त जगह छोड़कर जंगल से संग्रहण किया जाता है। इसके विपरीत, गैर-आदिवासी समाजों में मानव प्रजाति को केंद्र में रख कर और प्रकृति के अन्य सभी घटकों, सजीव या निर्जीव, को मानव जाति की सेवा हेतु संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए, उनकी सभी कार्य प्रणालियाँ प्राकृतिक संसाधनों से अधिकतम लाभ निकालने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो पारिस्थितिक अस्थिरता को जन्म देती है।

अंतर-जनजातीय संबंध और विविधता:

यद्यपि सभी जनजाति समाज द्वारा सामान्य मूल्यों और विश्व-दृष्टिकोण का समर्थन किया जाता है, परंतु जनजातीय संस्कृतियाँ सजातीय नहीं हैं। हालांकि अधिकांश जनजातीय समूह स्थायी कृषि करते हैं, पीवीटीजी कुल मिलाकर कारीगर हैं। उनके गीत, नृत्य रूप और पेंटिंग सामूहिकता के मूल्य और प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं। लेकिन ऐसे प्रतिनिधित्व सभी जनजातियों के संदर्भ में बिल्कुल समान नहीं हैं। उदाहरण के लिए, गोंड पेंटिंग अपने रूप और संभवतः संदेश में भील पेंटिंग से बहुत अलग हैं।



आदिवासी समाज में महिलाएँ:

कुल मिलाकर, उत्तरदाताओं ने बताया कि आदिवासी समाज में आदिवासी महिलाओं की स्थिति गैर-आदिवासी समाज में उनके समकक्षों की तुलना में बेहतर है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने आदिवासी समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति के लिए गतिशीलता और स्वायत्तता को कारण बताया। काम के लिए बाहर निकलना और बाजार जाना कोई वर्जित नहीं है। हालाँकि, यह भी साझा किया गया कि आदिवासी महिलाएँ अधिकांश घरेलू काम करती हैं, वे जंगलों में भी जाती हैं और वन उत्पाद इकट्ठा करती हैं, और वे कृषि में भी अधिकांश काम करती हैं।

इसके बाद भी, पितृसत्तात्मक भेदभाव उनकी प्रथागत प्रथाओं/कानूनों, भूमिका विभाजन, निर्णय लेने आदि में दिखाई देता है। प्रथागत कानून महिलाओं को जमीन के मालिक होने के अधिकार से वंचित करता है और वे व्यक्तियों पर समुदाय को प्राथमिकता देने के अपने मूल्य के साथ इसे उचित ठहराते हैं। बदलते समय के साथ महिलाओं की स्थिति और लैंगिक संबंध भी बदल रहे हैं। विशेषज्ञों ने परिवर्तन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को साझा किया। एक ओर, उन्होंने बताया कि कैसे लैंगिक समानता के इर्द-गिर्द मुख्यधारा के विमर्श ने आदिवासी समाज को प्रभावित किया है और कैसे अधिक आदिवासी महिलाओं के पास अब भूमि स्वामित्व है। वहीं दूसरी ओर, उन्होंने बताया कि मुख्यधारा की मीडिया और फिल्मों में महिलाओं को वस्तु के रूप में प्रदर्शित किए जाने के कारण आदिवासी समाज में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के

मामलों में हालिया वृद्धि हुई है। हाल ही में, सीबीओ और सरकारी कार्यक्रम महिला संगठनों, एसएचजी और सहयोगी स्तरों को मजबूत करने और गांव में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ महिला उत्तरदाताएँ, जो एसएचजी का भी हिस्सा हैं, ने साझा किया कि इससे महिलाओं को परिवार के साथ-साथ गांव में भी निर्णय लेने में सहायता मिली है। भूमि पर महिलाओं के स्वामित्व से संबंधित कुछ सुविधाजनक नीतियों ने भी आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बदलते मूल्य, रिश्ते और आकांक्षाएँ:

विशेषज्ञों ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि युवा पीढ़ी प्रकृति के साथ एकजुटता और गैर-दोहनकारी संबंध के इस विश्व-दृष्टिकोण को पूरी तरह से अपना नहीं पा रही है। ये युवा अपने पारंपरिक ज्ञान, कौशल और संस्कृति के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते हैं। शहरों के संपर्क, आधुनिक तकनीक और मुख्यधारा की शिक्षा को इस बदलाव के प्रमुख कारकों के रूप में देखा गया है।

गाँव में स्थायी रूप से जीवनयापन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल स्कूली शिक्षा में नहीं सिखाए जाते हैं। शिक्षा देने का माध्यम भी उनकी अपनी भाषा में नहीं है। यह स्थिति आदिवासी ग्रामीण युवाओं को न तो अपने गांव से स्थायी जीवनयापन करने में सक्षम बना पाती है और न ही शहरों में लाभकारी रोजगार पाने में अन्य गैर-आदिवासी समुदायों या शहरवासियों के युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बना पाती है।





पहुंच में बदलाव और आजीविका :

वन (जंगल)

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में, सभी उत्तरदाताओं ने बताया कि वन आदिवासी जीवन और आजीविका का अभिन्न अंग रहे हैं। कई उत्तरदाताओं ने बताया कि हाल तक, 30-40 साल पहले तक, आदिवासियों को लगभग सब कुछ जंगल से मिलता था। कई उत्तरदाताओं ने एक कहावत साझा की है कि आदिवासी केवल नमक और कपड़ों के लिए बाजार पर निर्भर थे, बाकी सब कुछ जंगल में उपलब्ध था। इस निर्भरता के कारण, उनकी पारंपरिक एनटीएफपी संग्रह विधियां यह सुनिश्चित करती हैं कि क्षेत्र की जैव-विविधता को नुकसान न पहुंचे। उदाहरण के लिए, पौधों से भोजन इस तरह से एकत्र किया जाता है, जिससे पौधे का पुनर्विकास/जीवनचक्र सुनिश्चित रहे। वनों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पेड़ों को काटने के साथ-साथ उन्हें लगाने के भी अपने तरीके और मौसम/महीने हैं।

उन्होंने यह भी सुनिश्चित करते हैं कि वे केवल वही इकट्ठा करें जिसकी उन्हें आवश्यकता है। आदिवासी परंपरा में वे अधिक मात्रा में संचय करने में विश्वास नहीं करते, चाहे वह भोजन हो या धन या कोई अन्य उत्पाद। हालाँकि, यह परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। सरकार और वन विभाग वनों को आय के संसाधन के रूप में देखते हैं, इसलिए सभी परियोजनाएं और योजनाएं ज्यादातर बाजार की मांग वाले इमारती लकड़ी के पेड़ों और पौधों की ही रक्षा करती हैं। यह चलन आदिवासियों के अपने जंगलों के साथ सहजीवी संबंध पर ध्यान नहीं देती है।

इसके अलावा, बाजार मानसिकता को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मल्लिहान (बौहिनिया वाहली) का मामला द्रष्टव्य है। बैगा चक से यह लगभग लुप्त होता जा रहा है। बाजार में भारी मांग के कारण पतियां एकत्र की जाती हैं। दूसरी ओर, वन विभाग द्वारा इसे एक खरपतवार के रूप में माना गया और इसलिए इस लता का कोई नया रोपण नहीं किया गया। अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार, यदि वन अधिकार अधिनियम 2006 को इसकी वास्तविक भावना से लागू किया जाए, तो यह वनों के पुनर्जनन में सहायक सिद्ध हो सकता है।

कृषि:

कई विशेषज्ञों ने बताया कि आदिवासियों को प्राकृतिक चक्रों और ऋतुओं का गहन ज्ञान था और वे वनस्पतियों और जीवों के पुनर्जनन के प्रति सचेत थे। इसने फसल की पसंद, बीज चयन या खेती के

तरीकों को प्रभावित किया है। एकजुटता का मूल्य उनकी कृषि पद्धतियों में अंतर्निहित है। यह उन अनुष्ठानों में भी प्रकट होता है जो खेती से संबंधित हैं; जैसे बीज विनिमय; श्रम बँटवारा; या 'नवाखाई' उत्सव आदि में एक साथ फसल का जश्न मनाना।

इन क्षेत्रों में धीरे-धीरे बदलाव दिखाई दे रहा है, जहां पिछले 10-15 वर्षों में लोगों ने देशी बीजों की जगह अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। कई मामलों में बाजार जैसी फसलों का स्थान धान/गेहूं ने ले लिया है। फसल की पसंद में बदलाव से खान-पान की आदतों में बदलाव को भी बल मिला है।

नागरिक समाज संगठनों और सरकार के संबंधित विभागों ने इस बदलाव में प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने आदिवासी किसानों को उपज बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और बीज कंपनियों द्वारा प्रदान की गई विधियों के पैकेज का पालन करने में मदद की। इसे प्रशिक्षण, सहायता, बीज वितरण आदि के माध्यम से सुदृढ़ किया गया। इस प्रक्रिया में, आदिवासियों की खेतों और जंगलों से संबंधित ज्ञान परंपरा धीरे-धीरे निरर्थक सिद्ध होने लगी है। अब आदिवासी लाभार्थी बन गए और कृषि के बारे में अपने स्वयं के ज्ञान और निर्णय पर नियंत्रण खो दिया है। विभिन्न अन्य कारकों के साथ-साथ नियंत्रण की कमी और रचनात्मकता के विस्तार ने आदिवासी युवाओं की कृषि में रुचि कम कर दी है।

प्रवासन:

कुछ उत्तरदाताओं ने बताया कि आदिवासियों का एक वर्ग आय के लिए केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे अन्य स्थानों पर पलायन करता है, जिसका मुख्य कारण कम कृषि उत्पादन, जंगलों तक पहुंच में कमी और बढ़ते दबाव और आय के लिए अन्य विकल्पों की कमी है। चूंकि उनकी शिक्षा का स्तर निम्न है, अधिकांश आदिवासी युवा कम वेतन वाले आकस्मिक छोटे-मोटे काम के लिए पलायन कर जाते हैं। कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि कोविड के बाद कम लोग काम के लिए पलायन कर रहे थे।

कला और शिल्प :

दोनों राज्यों में विभिन्न छोटे कारीगर समूह हैं जिनकी पेंटिंग, गायन, नृत्य और धातु शिल्प करने की परंपरा रही है। विशेषज्ञों में गोंड और भील समुदायों के कुछ प्रसिद्ध चित्रकार, धातुकार, बैगा समुदाय के नर्तक आदि शामिल थे। उनके अनुसार, परंपरागत रूप से, उनकी जनजाति में हर किसी के पास अपनी विशेष कला का कौशल होता



था। कई विशेषज्ञों ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि अब केवल कुछ ही कलाकार हैं, जो बाहरी लोगों द्वारा पहचाने जाते हैं, और बाजार में अपनी कला रूपों को बेचकर आजीविका कमाने में सक्षम हैं। सरकार द्वारा मान्यता से उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने में भी मदद मिली है। उन्हें बाजार की माँग के अनुसार अपने उत्पादों में संशोधन करने की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, गोंड पेंटिंग पारंपरिक रूप से दीवारों या दरवाजों पर की जाती थी। हालाँकि, शहरी बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब चित्रकार कपड़े, कटलरी, कागज आदि पर पेंटिंग के साथ सामने आ रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, सामान्य मार्केटिंग चैनल के बाधित होने और मार्केटिंग तकनीक तक पहुँच की कमी के कारण कारीगरों को भी उत्पादों बेचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। कुछ उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि सरकार युवाओं में इन रुचियों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

उद्यम:

लगभग सभी उत्तरदाताओं ने कहा कि कुल मिलाकर आदिवासी उद्यमी के रूप में अच्छे नहीं हैं। यही कारण है कि आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों के बाजारों पर भी गैर-आदिवासियों का वर्चस्व है। कुछ विशेषज्ञों द्वारा इस पहलू में धीमे लेकिन क्रमिक परिवर्तन की ओर भी इशारा किया गया। सरकार और सीएसओ, एफपीओ को बढ़ावा देने जैसी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करके उद्यमशीलता उत्साह का संचार करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ताकि आदिवासी बाजार में अपना स्थान पुनः पा सकें।





#03

**आजीविका
चलाने वाले
संसाधन आधार**





इन राज्यों में आदिवासियों की आजीविका ऐतिहासिक रूप से जंगलों पर निर्भर रही है। यहां तक कि उनकी कृषि प्रणाली भी अद्वितीय है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस प्रकार की वन सीमा वाली बस्तियों में मौजूद हैं। जल, जंगल, जमीन और जानवर आदिवासियों के प्रमुख संसाधन हैं। यह खंड इन दोनों राज्यों में संसाधन उपलब्धता और इसकी विशेषताओं का विवरण दर्शाता है। इसमें आदिवासियों की आजीविका पर इनके प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

छत्तीसगढ़ पूरी तरह से पूर्वी पठार और पहाड़ियों के रूप में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्र VII के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत

का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्यप्रदेश तीन कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है- इनमें पूर्वी पठार और पहाड़ी (क्षेत्र VII), केंद्रीय पठार और पहाड़ी (क्षेत्र VIII) और पहाड़ी क्षेत्र (क्षेत्र IX)¹ शामिल है। आदिवासी आबादी पूरे छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, जिसमें बस्तर पठार क्षेत्र में सबसे अधिक सघनता है। मध्यप्रदेश में, मध्यप्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी जिलों (अर्थात् छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सटे जिलों में क्रमिक आदिवासी बसावट) में आदिवासियों की सबसे सघन बसावट है।

3.1 वन संसाधन

छत्तीसगढ़² और मध्यप्रदेश³ में वन आवरण क्रमशः 41.14% और 25.14% है। छत्तीसगढ़ में, सघन जंगल के अंतर्गत 5.23% क्षेत्र और 0.45% क्षेत्र में झाड़ियाँ हैं, जबकि मध्यप्रदेश में ये क्रमशः 2.17% और 1.95% हैं। हमारे अध्ययन के अनुसार, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में वन सीमा क्षेत्र में आदिवासी गांवों का प्रतिशत क्रमशः 93% और 83% है। यहां तक कि गैर-वनक्षेत्र के आदिवासी गांव भी वन से अधिकतम 1.4 किमी की दूरी पर हैं। साल(शोरिया रोबस्टा), सागौन (टेक्टोनाग्रैडिस), बीजा (टेरोकार्पस मासूँपियम), हर्रा (टर्मिनलिया चेबुला), बबूल (अकेसिया निलोटिका), औरबांस (बम्बुसा एसपी) इन दोनों राज्यों⁴ के पर्णपाती जंगलों की कुछ मुख्य प्रजातियाँ हैं। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में लोगों ने ईंधन, चारा, भोजन, दवा आदि के लिए जंगल पर निर्भरता व्यक्त की। उन्होंने अन्य बातों के अलावा, जलावन लकड़ी, तेंदू (डायस्पायरोस मेलानॉक्सिलॉन), महुआ (मधुका लॉगिफोलिया), चार-चिरौजी (बुचानियाकोचीनिनेसिस), बिल्वा (एगल मार्मेलोस), मथरूम, साल (शोरिया रोबस्टा) बीज, दातुम (टूथ ब्रश), सरगीपान, विभिन्न फल, बंजीत, वनतुलसी (ओसिमम ग्रैटिसिमम लिन), चरोटा (कैसिया टोरा), पुट्टू, आंवला (फाइलेंथस एम्बलिका), चिराता (स्वर्टियाचिराटा), जमेल, जामुन (साइजियम क्यूमिनी), बोरा, हर्रा (टर्मिनलिया चेबुला) और बहेरा (टर्मिनलिया बेलिरिका) आदि को बाजार में बेचने के साथ-साथ घरों में उपभोग के लिए जंगल से निकाल कर इकट्ठा किया जाता है। बेचे जाने पर, साल के बीजों की बाजार में सबसे अधिक कीमत मिलती है, उसके बाद चार, तेंदू और महुआ का स्थान आता है। हालाँकि, ग्रामीणों ने जंगलों और उनकी जैव-विविधता की कमी पर चिंता व्यक्त की, जिसके कारण जलावन लकड़ी और अन्य लघु वन उत्पादों की अनुपलब्धता हो रही है।

ग्रामीणों ने अत्यधिक दोहन के लिए स्वयं को और इन प्रजातियों को दोबारा न रोपने के लिए वन विभाग को दोषी ठहराया।

2006 का वन अधिकार अधिनियम (FRA) आदिवासियों को वन तक पहुंच और अधिकार प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक अधिनियम था। पिछले 16 वर्षों में सामुदायिक वन अधिकारों (सीएफआर) के लिए दावों की 89.9% स्वीकृति के साथ छत्तीसगढ़ में अधिनियम के उच्चतम अनुमोदन की दर रही है। हालाँकि, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) अनुमोदन कुल दावों का केवल 51.18% है; मध्यप्रदेश के लिए, यह कुल दावों का केवल 45.55%⁵ है। फिर भी, पर्यावरण एवं विकास केंद्र का अनुमान है कि छत्तीसगढ़ में सीएफआर क्षमता 53,843 वर्ग किमी है। यानी, मध्यप्रदेश के 57,948 वर्ग किमी की तुलना में कुल वनक्षेत्र का 96%, जो कुल वनक्षेत्र⁶ का 61% है। यह स्वयं आदिवासी अधिकारों और आजीविका के प्रति एफआरए की क्षमता को दर्शाता है। लेकिन वनक्षेत्र सिकुड़ रहा है। 2001 से 2021 तक, छत्तीसगढ़ में प्राथमिक वन का 1.4% खत्म हो गया, जब कि इसी अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश के लिए नुकसान 0.82% है। वन क्षेत्र घटने सेवनों से दूर गांवों के लिए भी मानव-पशु संघर्ष बढ़ रहा है। ये संघर्ष आदिवासी बस्तियों में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं और फसल के नुकसान का भी कारण बनते हैं। सर्वेक्षण में, 57% गांवों ने पिछले वर्ष जानवरों के हमलों का सामना करने की सूचना दी, 45-47% गांवों द्वारा जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति की सूचना दी गयी। (अनुलग्नक-डी तालिका 10 और 18)।

3.2 जल संसाधन

छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा 1276 मिमी और मध्य प्रदेश में 1172 मिमी है। हालाँकि, मध्य प्रदेश में भील क्षेत्र में वर्षा 900 मिमी तक सीमित है और अधिक अप्रत्याशित है। बहुत सारी मौसमी धाराएँ और प्रमुख नदियाँ आदिवासी भूमि से होकर बहती हैं और वहाँ की भूमि को बहा देती हैं। महानदी, इंद्रावती, नर्मदा, सोन, बेतवा आदि कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो इन दोनों राज्यों के लोगों के जीवन और आजीविका को काफी हद तक प्रभावित करती हैं।

खेती और पशुपालन आदिवासियों की महत्वपूर्ण आजीविका गतिविधियाँ होने के कारण, उनकी बस्ती ऐतिहासिक रूप से जल निकायों के पास रही है। लेकिन हालिया विकास के दशकों में आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए जल संसाधन विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जो भी सिंचाई संरचनाएँ बनाई गईं, वे निचले क्षेत्र स्थित गैर-आदिवासी क्षेत्रों में ही बनाई गईं। यहाँ तक कि मध्यप्रदेश में गैर-आदिवासी क्षेत्रों में भूजल विकास बेहतर है। सर्वेक्षण में, छत्तीसगढ़ के 41% गांवों में जलाशय/टैंक या तालाब होने की सूचना मिली, लेकिन मध्यप्रदेश में केवल 19% में ही ऐसा था। (अनुलग्नक-डी, तालिका 7 और 15 देखें)। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अनुसार, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में आदिवासी परिवारों के लिए सुनिश्चित दो-मौसम सिंचाई के साथ भूमि प्रतिशत क्रमशः 12.6% और 39.1% है। छत्तीसगढ़ में केवल 3.6% आदिवासी परिवारों के पास किसी भी प्रकार के सिंचाई उपकरण हैं; मध्यप्रदेश में यह प्रतिशत 15.2% है। सर्वेक्षण में, छत्तीसगढ़ में गैर-आदिवासियों 17.2% के मुकाबले 12.4% आदिवासी परिवारों के पास हर मौसम में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। मध्यप्रदेश में यह प्रतिशत क्रमशः 17.5% और 28% है (अनुलग्नक सी, तालिका 1 देखें)। पेयजल सुविधाओं पर नजर डालें तो, छत्तीसगढ़ में 99% गांवों में सार्वजनिक पेयजल सुविधाएँ होने की सूचना है। गैर-आदिवासी गांवों के 48% की तुलना में 22% गांवों में निजी पेयजल सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जबकि मध्यप्रदेश में, 97% गांवों में सार्वजनिक पेयजल सुविधाएँ होने की सूचना है। गैर-आदिवासी गांवों में 63% की तुलना में 25% गांवों में निजी पेयजल सुविधाएँ हैं (अनुलग्नक डी, तालिका 7 और 15 देखें)।

फोकस समूह चर्चा में यह बात सामने आई कि कई गांवों में गर्मी के महीनों में घरेलू उपयोग के लिए पानी की कमी हो जाती है। गांवों में कुएं, बोरवेल और हैंडपंप उपलब्ध हैं। लेकिन गर्मी के महीनों के दौरान पीने के पानी की उपलब्धता अभी भी एक संघर्ष है। कुछ गांवों में, महिलाओं ने बताया कि भले ही गांव में नलजल योजना के तहत घरों में पानी की आपूर्ति की जा रही थी; परंतु पाइप अभी भी सूखे हैं। कुछ गांवों में, कई हैंडपंप सूख गए हैं, कुछ अन्य में दूषित पानी है और

केवल कुछ से ही साफ और पीने योग्य पानी मिलता है। जिन घरों में कुएं हैं उन्हें भी गर्मियों के दौरान संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि पानी का स्तर गिर जाता है और कुएं सूख जाते हैं। इसके अलावा, कुछ गांवों में लोगों ने बताया कि दूषित पानी के सेवन के कारण उन्हें बरसात के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है।

3.3 भूमि संसाधन

इन दोनों राज्यों में, भूमि को आमतौर पर कृषि और अन्य गतिविधियों में अलग-अलग उपयोग के साथ ऊपरी भूमि, मध्यम भूमि और निचली भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.94% और 49.91% है, जिसमें वर्तमान परती क्षेत्र क्रमशः 1.94 % और 1.26% है। हालाँकि, विकास के दशकों में, आदिवासी अपनी भूमि संसाधनों से दूर होते जा रहे हैं, जिसका कारण आरक्षित/संरक्षित वनों में भूमि जाने अथवा उद्योगों के लिए भूमि छोड़ना रहा है। एसईसीसी 2011 से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में केवल 53.3% आदिवासी परिवारों और मध्यप्रदेश में 45.3% आदिवासी परिवारों के पास ही भूमि संपत्ति है (अनुलग्नक सी, तालिका 1 देखें)। खेती के उद्देश्य से केवल 4% आदिवासी परिवार ही पट्टे पर ज़मीन लेते हैं, गैर-आदिवासी परिवारों में भी यह प्रतिशत समान है।

3.4 पशु संसाधन

19 वीं पशुधन जनगणना 2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल पशुधन आबादी 15.04 मिलियन और मध्यप्रदेश में 36.33 मिलियन बताई गई है। वन क्षेत्रों में चराई प्रचलन में है। पशुधन को मामूली बाजरा के साथ-साथ इन पौधों के पत्ते और इंटल भी खिलाए जाते हैं, जो उनकी भूमि पर आसानी से उगते हैं। अधिक उपज देनेवाली नस्लों के लिए, भोजन में अधिक निवेश होता है, साथ ही प्रारंभिक पूंजी निवेश भी अधिक है। कमजोर आय स्रोतों और आदिवासियों की बसावट प्रकृति के कारण आदिवासी, उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए उच्च पूंजी निवेश नहीं कर सकते हैं। क्षेत्र में मुक्त चराई फसलों की सुरक्षा के साथ-साथ आवारा गायों से उत्पन्न होने वाली समस्या को लेकर तनाव पैदा करती है। यही एक कारण है कि आदिवासी इलाकों में रबी की खेती आम नहीं है।

दोनों राज्यों के आदिवासी गांवों में उपलब्ध सभी प्राकृतिक और मानवनिर्मित संसाधनों के बारे में अनुलग्नक डी में बताया गया है।



संदर्भ

¹ Sinha, D. K. (N.A.) 15 Agro-Climatic Zones in India Categorised by the Planning Commission. <https://www.yourarticlelibrary.com/geography/15-agro-climatic-zones-in-india-categorised-by-the-planning-commission/42307>.

² Forest Survey of India (2019) India State of Forest Report 2019. <https://fsi.nic.in/isfr19/vol2/isfr-2019-vol-ii-chhattisgarh.pdf>.

³ Forest Survey of India (2019) India State of Forest Report 2019. <https://fsi.nic.in/isfr19/vol2/isfr-2019-vol-ii-madhya-pradesh.pdf>.

⁴ छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों की संख्या अधिक है तथा शुष्क पर्णपाती वनों का क्षेत्रफल कम है। मध्यप्रदेश में स्थिति बिल्कुल उलट है।

⁵ Tripathi, A. (2022) The Long Wait: 16 years on, only 50% claims settled under the Forest Rights Act, Gaon Connection, Lead Story, 28 December 2022. <https://www.gaonconnection.com/lead-stories/forest-rights-act-land-titles-tribals-advansi-claims-settlement-indigenous-community-india-laws-analysis-51526>.

⁶ Lele, S. et al. (2020) Estimating and Mapping CFR potential For Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, and Maharashtra, Centre for Environment and Development, ATREE. https://www.atree.org/sites/default/files/reports/CFR_Potential_Mapping_Report_compressed.pdf.

⁷ Singh, M. (2022) 'Access to Resources Eludes Tribals', India Water Portal <https://www.indiawaterportal.org/articles/access-resources-eludes-tribals>.

⁸ Ministry of Agriculture (2014) Agricultural Statistics at a Glance 2014, Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation Directorate of Economics & Statistics. <https://eands.dacnet.nic.in/PDF/Agricultural-Statistics-At-Glance2014.pdf>.

⁹ Kakvi, K (2019) MP Tops in Tiger Conservation, But Lost 17,781 Acres Forest Land, Says FSI report, News Archive, NEWS CLICK. <https://www.newsclick.in/mp-tops-tiger-conservation-lost-17781-acres-forest-land-says-fsi-report>.

¹⁰ Mazoomdaar, J (2022) 'Explained: Chhattisgarh's forest 'by mistake', News Archive, The Indian Express. <https://indian-express.com/article/explained/explained-chhattisgarh-forest-by-mistake-8114153/>.

¹¹ See endnote ii and iii

¹² Catalyst Management Services (2009) Impact Assessment of Agriculture Interventions in Tribal Areas in Madhya Pradesh. <https://mpplanningcommission.gov.in/international-aided-projects/pmpsu/publication/Impact%20Assessment%20of%20Agriculture%20Interventions%20in%20Tribal%20Areas%20in%20Madhya%20Pradesh%20.pdf>.

¹³ Chand, P. et al. (2018) 'How profitable is dairying in tribal Chhattisgarh?', Indian Journal of Animal Sciences, 88 (6): 749–754. DOI: 10.56093/ijans.v88i6.80899.



#04

अवसंरचना और संसाधन विकास



इस अध्ययन में ग्रामीणों द्वारा सुझाए गए बाहरी हस्तक्षेप के सात क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य और पोषण, भोजन, पहुंच और संचार, बिजली और गांव में गैर-सरकारी संगठनों (विकास एजेंसियों) की उपस्थिति शामिल थी। इसके पश्चात इन क्षेत्रों को आजीविका को प्रभावित करनेवाले प्रमुख बाहरी हस्तक्षेपों के रूप में चुना गया। इन हस्तक्षेपों को भौतिक और कार्मिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसा कि बुहर (2003) ने बुनियादी ढांचे को वर्गीकृत करते समय किया था। भौतिक अवसंरचना पूंजीगत वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है जबकि कार्मिक अवसंरचना भौतिक अवसंरचना के निर्माण और संचालन के लिए आवश्यक मानव पूंजी है। बुहर ने अनुदेशात्मक बुनियादी ढांचे नामक एक तीसरी श्रेणी का भी सुझाव दिया है, जो संस्थागत संरचनाओं, नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में है। हमने उसका उपयोग नहीं किया है, बजाय इसके, हमने संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं/सुविधाओं का उपयोग किया है।

इसे नीचे तालिका 4.1 में निर्देशित किया गया है।

तालिका 4.1: बाहरी हस्तक्षेप की श्रेणियाँ

क्षेत्र	हस्तक्षेप	
	भौतिक अवसंरचना	कार्मिक एवं सेवाएँ
शिक्षा	प्राथमिक स्कूल/ माध्यमिक स्कूल/ उच्च माध्यमिक विद्यालय से दूरी	
जल	टैंक/तालाब/जलाशय सार्वजनिक पीने के पानी का स्रोत	
स्वास्थ्य एवं पोषण	आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से औसत दूरी, सीएचसी एवं फार्मसी की दुकान से गाँव की दूरी	आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण, स्कूल में मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी केंद्र में राशन सेवा
भोजन	पीडीएस केंद्र	
संचार	ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाली कच्ची सड़क, गाँव के अंदर की पक्की सड़क, मोबाइल नेटवर्क	सार्वजनिक परिवहन से जुड़ाव
अन्य	बिजली	गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति

बुनियादी ढांचे और लोक कल्याण के बीच संबंधों पर अधिकांश मौजूदा साहित्य एक सकारात्मक सह-संबंध की तरफ इशारा करते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट (विश्व बैंक, 1990), (विश्व बैंक, 2000) में बुनियादी ढांचे को गरीबी उन्मूलन हेतु एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना है। इफज़ल और अर्नेस्टो (2003) का तर्क है कि सतत और सामाजिक रूप से समावेशी विकास तभी संभव है जब आर्थिक विकास के साथ-साथ व्यापक आर्थिक प्रबंधन और सुशासन हो, जिसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल हो। निखिल आनंद (2017) ने बताया है कि कैसे बुनियादी ढांचा एक गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है जो जीवन के विभिन्न रूपों को आकार देती है। हालाँकि, एस्चौएर (1990) ने विभिन्न वर्गों के जनकल्याण पर

बुनियादी ढांचे के सकारात्मक और नकारात्मक-दोनों प्रभावों के बारे में चर्चा की है।

भारत में अध्ययन समान परिणाम दिखाते हैं। इस तरह के एक और अध्ययन में जालान और टैवेलियन (2002) संकेत देते हैं कि पारिवारिक विशेषताओं के बारे में सोचने के बाद, गरीब क्षेत्रों में गरीबी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बुनियादी ढांचे में अंतर और इसकी कमी के कारण होता है। स्पष्ट कारण यह है कि इस तरह की कमी से उत्पादों और बाजारों तक पहुंच में कमी हो जाती है, जिसे गरीबी के मुख्य कारण के रूप में देखा जा सकता है। अन्य समान अध्ययन जो भारतीय संदर्भ में गरीबी को बुनियादी ढांचे से जोड़ते हैं जैसे कि राव,



गुप्ता और शर्मा (1986), एमिस और कुमार (2003) के अध्ययन बुनियादी ढांचे और कल्याण के बीच एक सकारात्मक संबंध दर्शाते हैं।

18 नवंबर, 2019 को लोकसभा में उठाए गए एक संसदीय प्रश्न के जवाब में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के एक सेट से पता चलता है कि आदिवासी क्षेत्र बुनियादी ढांचे के अस्तित्व से वंचित हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 34% आदिवासी गाँव पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं, 30% गाँवों में सार्वजनिक परिवहन सुविधाएँ नहीं हैं, और 12% आदिवासी गाँवों में कोई स्कूल नहीं है।

प्राथमिक विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, फार्मसी दुकानों, पीडीएस दुकानों, मोबाइल नेटवर्क, बिजली, पक्की सड़क, सार्वजनिक परिवहन आदि की उपस्थिति पर केन्द्रित हमारा प्राथमिक डेटा चयनित गाँवों से लिया गया है, जिसे तालिका 4.2 और नीचे 4.3 में प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि पूरा आदिवासी क्षेत्र खराब बुनियादी ढांचे की समस्या से जूझ रहा है। हालाँकि, क्षेत्र के भीतर, आदिवासी गाँव अधिक उपेक्षित हैं।

दोनों राज्यों में, ब्लॉक मुख्यालयों से गाँवों की औसत दूरी पीवीटीजी गाँवों में सबसे अधिक है, इसके बाद आदिवासी गाँवों का नंबर आता है; गैर-आदिवासी गाँव ब्लॉक मुख्यालय के करीब हैं। मध्य प्रदेश में 42% आदिवासी गाँव और छत्तीसगढ़ में केवल 30% आदिवासी और

9% पीवीटीजी गाँव सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालयों से जुड़े हुए हैं। यह गैर-आदिवासी गाँवों के संदर्भ में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रमशः 63 और 40 प्रतिशत है। हालाँकि, मध्य प्रदेश के 80% पीवीटीजी गाँवों में सार्वजनिक परिवहन है, जो उन्हें ब्लॉक मुख्यालयों से जोड़ता है।

मध्य प्रदेश में, 51% आदिवासी, 63% गैर-आदिवासी और 50% पीवीटीजी गाँवों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आउटलेट है। छत्तीसगढ़ में यह प्रतिशत क्रमशः 63, 88 और 36 है। छत्तीसगढ़ में 29% गाँवों के सीएफआर मांग के मुकाबले 22% गाँव सीएफआर के तहत अपने दावों का निपटान प्राप्त कर सके। मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत क्रमशः 11% और 3% रहा है।

मध्य प्रदेश के 66% आदिवासी गाँव और छत्तीसगढ़ के 72% आदिवासी गाँव कम से कम एक मोबाइल नेटवर्क के दायरे में आते हैं। मध्य प्रदेश में गैर-आदिवासियों के संदर्भ में यह 84% है। छत्तीसगढ़ में, 100% गैर-आदिवासी नमूना गाँवों में कम से कम एक मोबाइल नेटवर्क तक पहुंच है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पीवीटीजी गाँवों के लिए ये आंकड़े क्रमशः 90 और 64 प्रतिशत हैं।

मध्य प्रदेश में आदिवासी गाँवों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की औसत दूरी 7.5 किमी और छत्तीसगढ़ में 6.8 किमी है। पीवीटीजी गाँवों के संदर्भ में, यह 8.7 किमी और 5.8 किमी है, वहीं गैर-आदिवासी गाँवों के संदर्भ में, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रमशः 5.5 किमी और 15.6 किमी है।





तालिका 4.2 : मध्य प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं की गाँव तक पहुँच

अवसंरचना	आदिवासी	गैर- आदिवासी	पीवीटीजी
टैंक/ तालाब/ जलाशय-युक्त गाँवों का प्रतिशत	19.0	16.0	40.0
सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था-युक्त गाँव	97.0	95.0	100.0
गाँव से ब्लॉक मुख्यालय की औसत दूरी (किमी)	25.0	22.0	26.0
गाँव से ब्लॉक मुख्यालय तक के लिए पक्की सड़क का प्रतिशत	78.0	79.0	80.0
सर्वेक्षण के समय कनेक्टिंग सड़कों के खराब स्थिति में नहीं होने का प्रतिशत	79.0	68.0	80.0
सार्वजनिक परिवहन द्वारा गाँव और ब्लॉक मुख्यालय के जुड़ाव का प्रतिशत	42.0	63.0	80.0
पक्की सड़क-युक्त गाँवों का प्रतिशत	53.0	79.0	80.0
सर्वेक्षण के समय गाँवों को जोड़नेवाली सड़कों के खराब नहीं होने की स्थिति	67.0	74.0	90.0
सभी मुहल्लों में बिजली आपूर्ति सुविधा का प्रतिशत	80.0	95.0	100.0
मोबाइल नेटवर्क पहुँच का प्रतिशत	66.0	84.0	90.0
प्राथमिक विद्यालय-युक्त गाँवों का प्रतिशत	97.0	100.0	100.0
प्राथमिक विद्यालय (जब गाँव में नहीं हो) से गाँव की दूरी	4.0		
माध्यमिक विद्यालय-युक्त गाँव का प्रतिशत	11.0	16.0	30.0
माध्यमिक विद्यालय (जब गाँव में नहीं हो) से गाँव की दूरी	7.0	6.0	10.0
उच्च माध्यमिक विद्यालय-युक्त गाँव का प्रतिशत	9.0	26.0	0.0
नजदीकी उच्च माध्यमिक विद्यालय (जब गाँव में नहीं हो) से गाँव की दूरी	9.0	6.0	16.0
महाविद्यालय युक्त गाँव का प्रतिशत	1.0	0.0	0.0
नजदीकी महाविद्यालय से औसत दूरी (किमी), जब गाँव में न हो	23.0	17.0	21.0
नजदीक में खदान युक्त गाँव का प्रतिशत	4.0	11.0	30.0
खनन के कारण दूषित जलाशय-युक्त गाँव का प्रतिशत	0.0	50.0	33.0
जंगल के निकट गाँव का प्रतिशत	83.0	68.0	100.0
जंगल के निकट गाँव से औसत दूरी	1.4	3.2	1.9
सीएफ़आर हेतु आवेदित गाँव - कुल का प्रतिशत	11.0	0.0	30.0
सीएफ़आर प्राप्त गाँव - कुल का प्रतिशत	3.0	0.0	10.0
आईसीडीएस/आंगनवाड़ी-युक्त गाँव - कुल का प्रतिशत	98.0	95.0	100.0
कम से कम एक एनजीओ से जुड़ा हुआ गाँव - कुल का प्रतिशत	36.0	42.0	80.0
पीडीएस आउटलेट-युक्त गाँव -कुल का प्रतिशत	51.0	63.0	50.0
घर तक राशन कार्यक्रम वाले आंगनवाड़ी-युक्त गाँव - कुल का प्रतिशत	29.0	53.0	80.0
मिड डे मील योजना कार्यान्वित गाँव - कुल का प्रतिशत	75.0	84.0	100.0
गाँव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की औसत दूरी (किमी)	7.5	5.5	8.7
गाँव से सीएचसी की औसत दूरी (किमी)	16.9	13.8	18.0
गाँव से नजदीकी फार्मसी की दुकान की औसत दूरी (किमी)	10.0	4.9	11.6



तालिका 4.3: छत्तीसगढ़ सार्वजनिक सेवाओं की गाँव तक पहुँच

अवसंरचना	आदिवासी	गैर- आदिवासी	पीवीटीजी
टैंक/ तालाब/ जलाशय-युक्त गाँवों का प्रतिशत	41.0	40.0	27.0
सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था-युक्त गाँव	99.0	92.0	100.0
गाँव से ब्लॉक मुख्यालय की औसत दूरी (किमी)	20.0	14.0	32.0
गाँव से ब्लॉक मुख्यालय तक के लिए पक्की सड़क का प्रतिशत	80.0	100.0	82.0
सर्वेक्षण के समय कनेक्टिंग सड़कों के खराब स्थिति में नहीं होने का प्रतिशत	78.0	88.0	64.0
सार्वजनिक परिवहन द्वारा गाँव और ब्लॉक मुख्यालय के जुड़ाव का प्रतिशत	30.0	40.0	9.0
पक्की सड़कयुक्त गाँवों का प्रतिशत	62.0	84.0	55.0
सर्वेक्षण के समय गाँवों को जोड़नेवाली सड़कों के खराब नहीं होने की स्थिति	66.0	80.0	55.0
सभी मुहल्लों में बिजली आपूर्ति सुविधा का प्रतिशत	87.0	96.0	91.0
मोबाइल नेटवर्क पहुँच का प्रतिशत	72.0	100.0	64.0
प्राथमिक विद्यालय-युक्त गाँवों का प्रतिशत	98.0	100.0	100.0
नजदीकी माध्यमिक विद्यालय (जब गाँव में नहीं हो) से गाँव की दूरी	4.0		
माध्यमिक विद्यालय-युक्त गाँव का प्रतिशत	21.0	24.0	27.0
माध्यमिक विद्यालय (जब गाँव में नहीं हो) से गाँव की दूरी	6.0	4.0	8.0
उच्च माध्यमिक विद्यालय-युक्त गाँव का प्रतिशत	13.0	20.0	36.0
नजदीकी उच्च माध्यमिक विद्यालय (जब गाँव में नहीं हो) से गाँव की दूरी	9.0	4.0	7.0
महाविद्यालय युक्त गाँव का प्रतिशत	1.0	12.0	0.0
नजदीकी महाविद्यालय से औसत दूरी (किमी), जब गाँव में न हो	19.0	14.0	15.0
नजदीक में खदान-युक्त गाँव का प्रतिशत	5.0	4.0	0.0
खनन के कारण दूषित जलाशय-युक्त गाँव का प्रतिशत	33.0	100.0	
जंगल के निकट गाँव का प्रतिशत	93.0	80.0	100.0
जंगल के निकट गाँव से औसत दूरी	1.4	2.9	0.6
सीएफ़आर हेतु आवेदित गाँव -कुल का प्रतिशत	29.0	0.0	18.0
सीएफ़आर प्राप्त गाँव -कुल का प्रतिशत	22.0	0.0	9.0
आईसीडीएस/आंगनवाड़ी युक्त गाँव -कुल का प्रतिशत	100.0	100.0	100.0
कम से कम एक एनजीओ से जुड़ा हुआ गाँव -कुल का प्रतिशत	59.0	56.0	45.0
पीडीएस आउटलेट-युक्त गाँव -कुल का प्रतिशत	63.0	88.0	36.0
घर तक राशन कार्यक्रमवाले आंगनवाड़ी-युक्त गाँव -कुल का प्रतिशत	18.0	24.0	18.0
मिडडे मील योजना कार्यान्वित गाँव -कुल का प्रतिशत	97.0	100.0	100.0
गाँव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की औसत औसत दूरी (किमी)	6.8	15.6	5.8
गाँव से सीएचसी की औसत औसत दूरी (किमी)	14.9	20.8	17.7
गाँव से नजदीकी दवा दुकान की औसत दूरी (किमी)	12.7	6.6	10.6



सर्वेक्षण में उत्तरदाता परिवारों द्वारा अनुभव की गई रुग्णता के बारे में भी जानकारी एकत्र की गई। उनसे परिवार में होनेवाली बीमारियों, यदि वे जागरूक हों तो उनके निदान और उनके द्वारा मांगे गए और प्राप्त किए जानेवाले उपचार के प्रकार के बारे में पूछा गया। तालिका 4.4 से 4.11 में प्रस्तुत यह डेटा रिकॉल पर आधारित है। बीमारी की घटना संपर्क की तारीख से एक महीने पहले तक की है। मृत्यु की घटना संपर्क की तारीख से एक वर्ष पहले तक की है।

तालिका 4.4 बीमारी की स्थिति और चिकित्सा व्यय : मध्यप्रदेश

स्वास्थ्य संकेतक	आदिवासी	गैर- आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार में बीमार सदस्य (%)	19.00	23.8	41.3
उपचार हेतु किए गए औसत खर्च (रुपए)	5,917	10,029	1,994
बीमार सदस्य वाले परिवार, जिन्होंने पैसे उधार लिए (%)	44.4	59.3	28.9
बीमार सदस्य वाले परिवार जिन्होंने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया	13.3	20.9	12
परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बारे में रिपोर्ट करने वाले (%)	4.3	3.6	9.0

उपरोक्त तालिका 4.4 से, यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में पीवीटीजी बीमारी की थोड़ी अधिक घटनाओं का अनुभव करते हैं, फिर भी बीमारी के इलाज के लिए सबसे कम खर्च/लागत वहन कर सकते हैं। जैसा कि तालिका 4.5 से देखा जा सकता है, छत्तीसगढ़ में गैर-आदिवासियों ने अधिक बीमारियों की सूचना दी है, लेकिन उन्होंने अपने इलाज के लिए काफी अधिक खर्च की भी सूचना दी है। दोनों राज्यों में गैर-आदिवासियों द्वारा स्वास्थ्य व्यय आदिवासी या पीवीटीजी परिवारों की तुलना में बहुत अधिक है। क्या यह वास्तव में रुग्णता को दर्शाता है या स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूकता और इसे प्राप्त करने के लिए लागत वहन करने की इच्छा को भी व्यक्त करता है, इसे जानने की जरूरत है। (यह तर्क पूर्ण रूप से तर्क दिया जा सकता है कि पीवीटीजी या आदिवासी एक स्वास्थ्य समस्या के साथ जी सकते हैं, जबकि गैर-आदिवासी परिवार इसे सामने लाते हैं, इसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पास ले जाते हैं, इसलिए इस पर खर्च होता है।) पीवीटीजी परिवार पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा अधिक इलाज करवाते हैं।

तालिका 4.5 बीमारी की स्थिति और चिकित्सा व्यय : छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य संकेतक	आदिवासी	गैर- आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार में बीमार सदस्य (%)	17.9	24.4	20.8
उपचार हेतु किए गए औसत खर्च (रुपए)	6,847	11,604	2,334
बीमार सदस्य वाले परिवार, जिन्होंने पैसे उधार लिए (%)	19.6	29.1	7.5
बीमार सदस्य वाले परिवार, जिन्होंने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया (%)	17.9	21.3	7.5
परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बारे में रिपोर्ट करने वाले (%)	4.3	3.6	9.0

तालिकाएँ 4.6 से 4.11 दर्शाती हैं कि परिवार स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने के संबंध में कैसा व्यवहार करते हैं। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि दोनों राज्यों में निजी पंजीकृत चिकित्सकों के साथ साथ अनौपचारिक चिकित्सकों पर काफी अधिक निर्भरता है। इसका कारण राज्य स्वास्थ्य प्रणाली की अपेक्षाकृत अपर्याप्त पहुंच हो सकती है।



तालिका 4.6 आदिवासियों द्वारा मांगे जाने वाले प्रमुख प्रकार के उपचार, मध्य प्रदेश

Disease	सरकारी अस्पताल	निजी अस्पताल	आयुर्वेदिक चिकि	आशा	एएनएम	पारंपरिक जड़ीबूटी	अनौपचारिक चिकित्सक	फार्मसिस्ट	उपचार नहीं	अन्य	सं.
डायरिया/पेट की बीमारी	20.3	49.4	13.9	3.8	0.0	1.3	8.9	1.3	1.3	0.0	79
मलेरिया	26.4	46.2	8.8	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	1.1	0.0	91
अन्य बुखार	17.5	47.9	6.0	0.4	0.9	4.3	13.2	7.7	2.1	0.0	234
खसरा	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
टीबी	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
अस्थमा	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
पीलिया	18.2	36.4	18.2	0.0	0.0	9.1	18.2	0.0	0.0	0.0	11
डायबिटीज़	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	5
कैंसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हृदय रोग	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2
कोविड-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हाइपरटेंशन	50.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

तालिका 4.7 आदिवासियों द्वारा मांगे जाने वाले प्रमुख प्रकार के उपचार, छत्तीसगढ़

Disease	सरकारी अस्पताल	निजी अस्पताल	आयुर्वेदिक चिकि	आशा	एएनएम	पारंपरिक जड़ीबूटी	अनौपचारिक चिकित्सक	फार्मसिस्ट	उपचार नहीं	अन्य	सं.
डायरिया/पेट की बीमारी	22.6	32.1	2.8	9.4	3.8	0.0	20.8	0.9	7.5	0.0	106
मलेरिया	29.5	38.6	2.3	4.5	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	44
अन्य बुखार	16.8	18.4	1.6	16.8	1.1	2.2	38.4	3.2	1.6	0.0	185
खसरा	60.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5
टीबी	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6
अस्थमा	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
पीलिया	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
डायबिटीज़	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	6
कैंसर	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
हृदय रोग	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3
कोविड-19	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
हाइपरटेंशन	55.6	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	5.6	0.0	18
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0



तालिका 4.8 गैर- आदिवासियों द्वारा मांगे जाने वाले प्रमुख प्रकार के उपचार, मध्य प्रदेश

Disease	सरकारी अस्पताल	निजी अस्पताल	आयुर्वेदिक चिकि	आशा	एएनएम	पारंपरिक जड़ीबूटी	अनौपचारिक चिकित्सक	फार्मसिस्ट	उपचार नहीं	अन्य	सं.
डायरिया/पेट की बीमारी	26.3	36.8	15.8	0.0	0.0	0.0	5.3	15.8	0.0	0.0	19
मलेरिया	30.8	46.2	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	7.7	0.0	0.0	13
अन्य बुखार	36.7	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	3.3	0.0	0.0	30
खसरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
टीबी	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
अस्थमा	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
पीलिया	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
डायबिटीज़	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	3
कैंसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हृदय रोग	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3
कोविड-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हाइपरटेंशन	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

तालिका 4.9 गैर- आदिवासियों द्वारा मांगे जाने वाले प्रमुख प्रकार के उपचार, छत्तीसगढ़

Disease	सरकारी अस्पताल	निजी अस्पताल	आयुर्वेदिक चिकि	आशा	एएनएम	पारंपरिक जड़ीबूटी	अनौपचारिक चिकित्सक	फार्मसिस्ट	उपचार नहीं	अन्य	सं.
डायरिया/पेट की बीमारी	39.1	39.1	0.0	8.7	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	23
मलेरिया	50.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	12.5	0.0	8
अन्य बुखार	42.4	15.3	0.0	5.1	0.0	0.0	28.8	6.8	1.7	0.0	59
खसरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
टीबी	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
अस्थमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
पीलिया	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2
डायबिटीज़	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6
कैंसर	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
हृदय रोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
कोविड-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हाइपरटेंशन	60.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	5
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0



तालिका 4.10 पीवीटीजी द्वारा मांगे जाने वाले प्रमुख प्रकार के उपचार, मध्य प्रदेश

Disease	सरकारी अस्पताल	निजी अस्पताल	आयुर्वेदिक चिकि	आशा	एएनएम	पारंपरिक जड़ीबूटी	अनौपचारिक चिकित्सक	फार्मसिस्ट	उपचार नहीं	अन्य	सं.
डायरिया/ पेट की बीमारी	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4
मलेरिया	57.1	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	7
अन्य बुखार	34.9	19.0	7.9	0.0	0.0	0.0	34.9	1.6	1.6	0.0	63
खसरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
टीबी	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
अस्थमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
पीलिया	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
डायबिटीज़	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
कैंसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हृदय रोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
कोविड-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हाइपरटेंशन	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

तालिका 4.11 पीवीटीजी द्वारा मांगे जाने वाले प्रमुख प्रकार के उपचार, छत्तीसगढ़

Disease	सरकारी अस्पताल	निजी अस्पताल	आयुर्वेदिक चिकि	आशा	एएनएम	पारंपरिक जड़ीबूटी	अनौपचारिक चिकित्सक	फार्मसिस्ट	उपचार नहीं	अन्य	सं.
डायरिया/ पेट की बीमारी	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
मलेरिया	42.9	14.3	0.0	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7
अन्य बुखार	4.5	0.0	0.0	40.9	0.0	40.9	13.6	0.0	0.0	0.0	22
खसरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
टीबी	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
अस्थमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
पीलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
डायबिटीज़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
कैंसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हृदय रोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
कोविड-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हाइपरटेंशन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	1
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

सर्वेक्षण में यह भी डेटा एकत्र किया गया कि उत्तरदाताओं को राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कितनी जानकारी है और उससे कितनी संतुष्टि है। तालिकाएँ दो बिंदुओं को दर्शाती हैं। शिक्षा का अधिकार योजना के तहत लाभों के अलावा, अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ परिवारों की संतुष्टि का एक उच्च स्तर है। उज्ज्वला योजना जैसे कुछ कार्यक्रमों में संतुष्टि का स्तर काफी प्रभावशाली है। दूसरी बात यह है कि जहां गैर-आदिवासी परिवार इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं, और वे इन योजनाओं से कम संतुष्ट भी हैं।

तालिका 4.12 कल्याणकारी योजनाओं से संतुष्टि : मध्यप्रदेश

कल्याणकारी योजनाएँ	योजनाओं से संतुष्ट उत्तरदाताओं का अनुपात	
	आदिवासी	गैर- आदिवासी
शिक्षा का अधिकार और स्कूल सिस्टम	42.1	38.7
उज्जवला कुकिंग गैस योजना	69	55.6
स्वच्छ भारत मिशन	53.6	45.2
आयुष्मान भारत	35.4	39.1
पीएमएवाई	44.8	35.4
पीएम-किसान	59.4	70.9
जेएसवाई	31.1	26.1

तालिका 4.13 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में परिवार की जानकारी : मध्यप्रदेश

कल्याणकारी योजनाएँ	जानने वाले आदिवासी उत्तरदाता %	जानने वाले गैर आदिवासी उत्तरदाता %
शिक्षा का अधिकार	23.7	25.8
उज्जवला कुकिंग गैस योजना	71.5	74.2
स्वच्छ भारत मिशन	68.9	68.7
आयुष्मान भारत	61.1	63.7
पीएमएवाई	73.8	71.2
पीएम-किसान	49.5	49.6
जेएसवाई	48.2	48.8



तालिका 4.14 कल्याणकारी योजनाओं से संतुष्टि : छत्तीसगढ़

कल्याणकारी योजनाएँ	योजनाओं से संतुष्ट उत्तरदाताओं का अनुपात	
	आदिवासी	गैर- आदिवासी
शिक्षा का अधिकार	41.8	37.9
उज्जवला कुकिंग गैस योजना	65.9	73.4
स्वच्छ भारत मिशन	64.3	69
आयुष्मान भारत	65.1	74.1
पीएमएवाई	35.7	29.1
पीएम-किसान	44.3	48.7
जेएसवाई	33.9	33.5

तालिका 4.15 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में परिवार की जानकारी : छत्तीसगढ़

कल्याणकारी योजनाएँ	जानने वाले आदिवासी उत्तरदाता %	जानने वाले गैर आदिवासी उत्तरदाता %
शिक्षा का अधिकार	23.4	29.4
उज्जवला कुकिंग गैस योजना	78.4	83.8
स्वच्छ भारत मिशन	78.6	78.1
आयुष्मान भारत	80.5	87.7
पीएमएवाई	73.6	76
पीएम-किसान	43.1	45.4
जेएसवाई	42.9	50





संदर्भ

आमिश पी. एवं कुमार एस. (2003). अर्बन इकोनोमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोवर्टी इन इंडिया: लेसनस् फ्रम विशाखापतनम. ईआरडी पॉलिसी ब्रीफ सं. 13, इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च डिपार्टमेंट, एशियन डेवेलपमेंट बैंक, मनीला

एस्चौएर, डी. ए. (1990). वाइ इंफ्रास्ट्रक्चर इंपोर्टेंट? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ बोस्टन, vol. 34, , (pp. 21-68.). Boston.

बुहर, डबल्यू. (2003). वॉट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? Universit t Siegen, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht, Volkswirtschaftliche Diskussionsbeitraege.

चक्रवर्ती, एस., बक्शी, ए., एवं वर्मा, ए. (2012). रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एवेलिबिलिटी एंड वेलबिंग. जर्नल ऑफ रिजनल डेवेलपमेंट एंड प्लानिंग, vol. 1(2), pages 169-179.

दातार, ए., मुखर्जी, ए., एंड सूद, एन. (2007). हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्यूनिजाइजेशन कवरेज इन रूरल इंडिया इंडियन जर्नल ऑफ मेडिसिन रिसर्च , 125, 31-42.

हाती, के. के., एवं मजूमदार, आर. (2013). हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ आउटकम एंड इकोनोमिक ग्रोथ आउटकम एंड इकोनोमिक वेलबिंग : ए डिस्टिंक्ट लेवल स्टडी इन इंडिया. MPRA Paper 53363, University Library of Munich, Germany.

इफजल, ए., एव,एर्नेस्टो, पी. एम. (2003). इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर्टी रीडक्सन: वॉट इज द कनेक्सन?मनीला: एशियन डेवेलपमेंट बैंक

जालान, जे ., एवं रेवेलियन., एम. (2002). ज्योग्राफिक पोवर्टी ट्रेप्स? ए माइक्रो मॉडल ऑफ कंजंप्शन ग्रोथ इन रूरल चाइना . जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमेट्रिक्स 17.4, 329-346.

मजूमदार, आर. (2012). रिमुविंग पावर्टी एंड इनइक्वेलिटी इन इंडिया: थे रोल ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर,MPRA Paper 40941, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ म्यूनिख, जर्मनी

राव, सी., गुप्ता एवं शर्मा पी,(1986). इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवेलपमेंट एंड रूरल पावर्टी इन इंडिया: ए क्रॉस सेक्सनल एनालिसिस जे.एम. (संपा), एग्रीकल्चरल चेंज एंड रूरल पावर्टी , ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

वर्ल्ड बैंक (1990). वर्ल्ड डेवेलपमेंट रिपोर्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस .

वर्ल्ड बैंक (2000). वर्ल्ड डेवेलपमेंट रिपोर्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस



#05

परिवार की विशेषताएं



इस भाग में नमूना लिए गए परिवारों के बारे में कई विशेषताओं पर आंकड़े प्रस्तुत किये गए हैं। ये विशेषताएँ हमें इन परिवारों में सामाजिक जागरूकता और विकास के स्तर का समग्र मूल्यांकन करने में सहायता करती हैं। इन विशेषताओं में परिवार का आकार, शिक्षा, साक्षरता का स्तर, भूमि का स्वामित्व, सिंचाई तक पहुंच, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच (यह संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक मांगवाली और इसलिए सर्वव्यापी सार्वजनिक सुविधा है) तथा जंगल से दूरी शामिल है। यह डेटा नीचे स्व-व्याख्यात्मक तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है और आवश्यकता होने पर ही टिप्पणियाँ दी गयी हैं।

5.1 नमूना विवरण परिवार का आकार

तालिका 5.1: मध्यप्रदेश में परिवार का औसत आकार

परिवार का औसत आकार

आदवासी 4.8

गैर - आदवासी 4.4

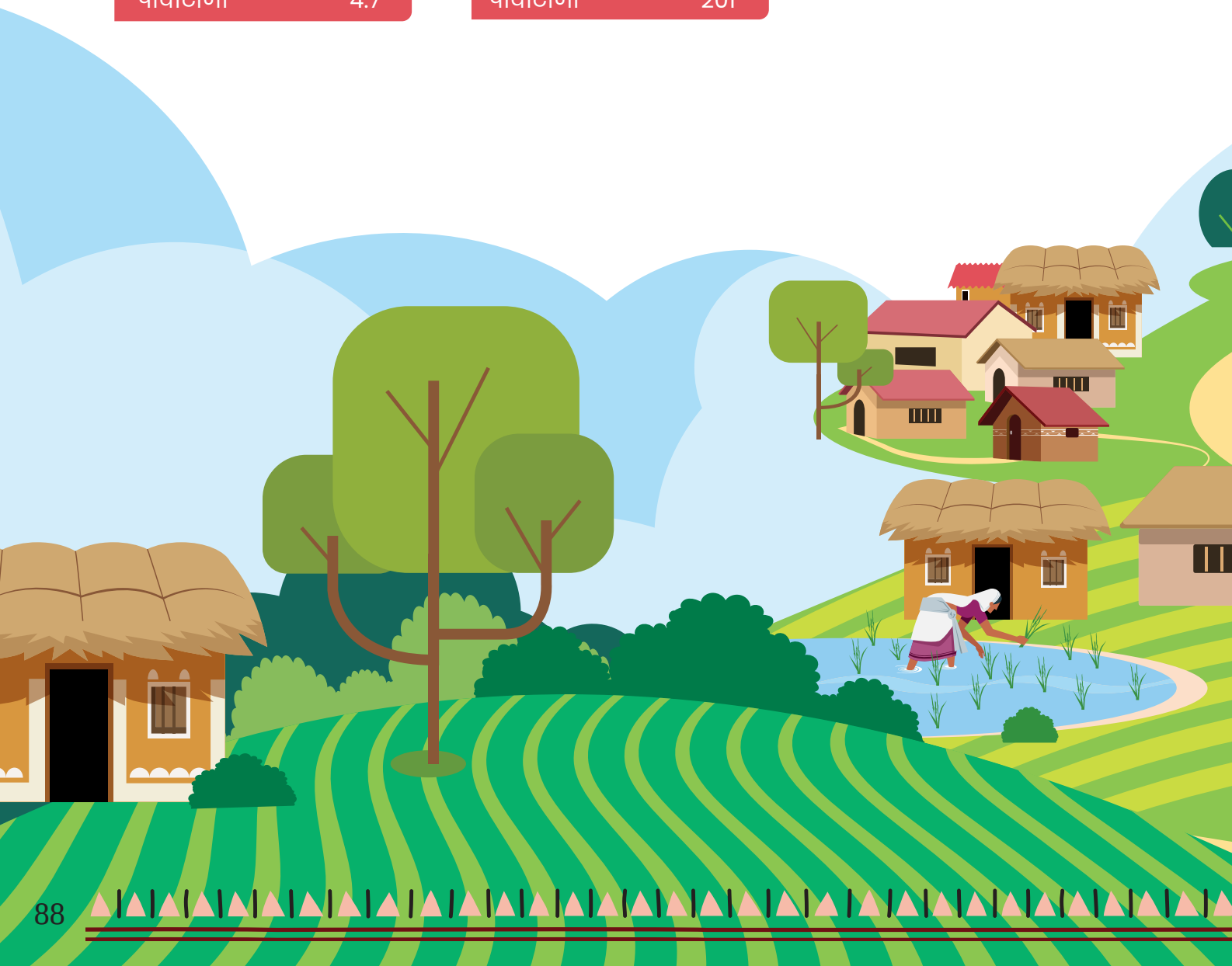
पीवीटीजी 4.7

परिवारों की संख्या

आदवासी 2,405

गैर - आदवासी 361

पीवीटीजी 201



तालिका 5.2: छत्तीसगढ़ में परिवार का औसत आकार

परिवार का औसत आकार

आदिवासी 4.5

गैर - आदिवासी 4.2

पीवीटीजी 3.9

परिवारों की संख्या

आदिवासी 2,340

गैर - आदिवासी 520

पीवीटीजी 192

उपरोक्त दो तालिकाओं (तालिका 5.1 और 5.2) से ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी परिवार छोटे हैं। क्या यह पीवीटीजी के बीच उच्च रुग्णता और मृत्युदर के कारण है या परिवार के युगलों द्वारा चुने गए सजग विकल्प के कारण है, इसका पता लगाने की जरूरत है, लेकिन पीवीटीजी और अन्य एसटी परिवारों के आकार के बीच अंतर उल्लेखनीय प्रतीत होता है। मध्यप्रदेश में गैर-आदिवासियों के परिवार का आकार सबसे छोटा है।



तालिका 5.3: मध्यप्रदेश में परिवार के प्रधान द्वारा शिक्षा प्राप्ति का स्तर (सभी मान कुल के प्रतिशत में)

शिक्षा का स्तर	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	58.3	31.3	69.0
प्राइमरी से कम	8.8	4.9	4.0
प्राइमरी	9.3	18.6	9.5
प्राइमरी से अधिक और मैट्रिक से कम	15.2	28.4	13.5
मैट्रिकुलेशन	4.9	9.9	3.0
मैट्रिकुलेशन से अधिक एचएससी से कम	1.5	3.2	0.0
एचएससी	0.7	0.6	0.5
कॉलेज गए लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की	0.2	0.9	0.0
कॉलेज से स्नातक लेकिन स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं	0.8	1.7	0.5
स्नातकोत्तर	0.2	0.0	0.0
स्नातकोत्तर से अधिक	0.0	0.6	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.1	0.0	0.0
परिवारों की संख्या	2,326	345	200



तालिका 5.4: छत्तीसगढ़ में परिवार के प्रधान द्वारा शिक्षा प्राप्ति का स्तर (सभी मान कुल के प्रतिशत में)

शिक्षा का स्तर	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	49.0	38.2	65.6
प्राइमरी से कम	6.8	9.5	12.0
प्राइमरी	11.5	12.2	12.0
प्राइमरी से अधिक और मैट्रिक से कम	20.3	24.9	8.3
मैट्रिकुलेशन	6.2	6.2	1.0
मैट्रिकुलेशन से अधिक एचएससी से कम	2.1	2.9	0.5
एचएससी	2.6	2.7	0.0
कॉलेज गए लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की	0.2	0.2	0.0
कॉलेज से स्नातक लेकिन स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं	0.5	1.5	0.5
स्नातकोत्तर	0.2	0.8	0.0
स्नातकोत्तर से अधिक	0.1	0.4	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.5	0.6	0.0
परिवारों की संख्या	2,277	518	192

तालिकाएँ 5.3 और 5.4 विशेष रूप से एसटी और पीवीटीजी के बीच शिक्षा की चिंताजनक स्थिति को दर्शाती हैं।

मध्य प्रदेश

पीवीटीजी परिवार 83%

एसटी परिवार 75%

यदि कोई पहली तीन पंक्तियों (प्राथमिक को पूरा करते हुए) तक अनुपात जोड़ता है, तो वह पाता है कि मध्यप्रदेश में 83% पीवीटीजी परिवारों और 75% एसटी परिवारों का मुखिया एक ऐसा व्यक्ति है जो प्राथमिक स्तर से आगे शिक्षित नहीं है, और एक बड़े भाग को कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है।

छत्तीसगढ़

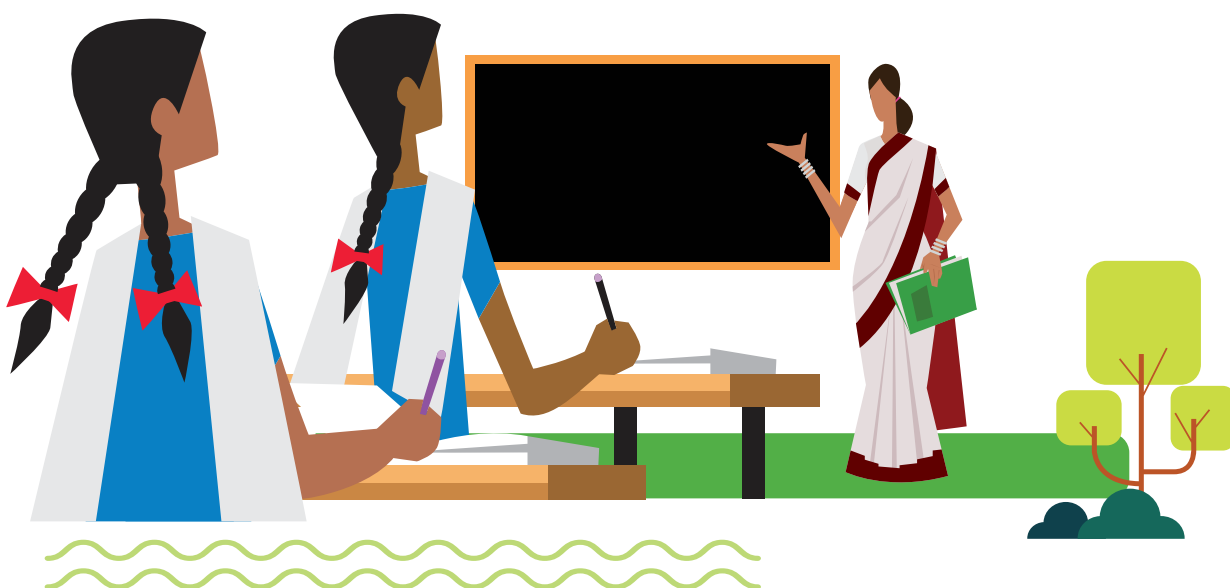
पीवीटीजी परिवार 87%

एसटी परिवार 66%

छत्तीसगढ़ में ये अनुपात क्रमशः 87% और 66% हैं। जैसा कि नीचे दिए गए तालिका 5.5 और 5.6 के आंकड़ों से पता चलता है कि महिला प्रधान परिवार में महिलाओं की स्थिति बदतर है। इन सभी तालिकाओं में गैर-आदिवासियों के बीच शिक्षा की बेहतर तस्वीर दिखाती है।

तालिका 5.5: मध्यप्रदेश में परिवार के महिला प्रधान द्वारा शिक्षा प्राप्ति का स्तर (सभी मान कुल के प्रतिशत में)

शिक्षा का स्तर	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	75.3	57.6	78.8
प्राइमरी से कम	4.3	1.5	4.5
प्राइमरी	3.5	10.6	4.5
प्राइमरी से अधिक और मैट्रिक से कम	11.1	22.7	6.1
मैट्रिकुलेशन	3.0	6.1	6.1
मैट्रिकुलेशन से अधिक एचएससी से कम	1.0	1.5	0.0
एचएससी	0.5	0.0	0.0
कॉलेज गए लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की	0.3	0.0	0.0
कॉलेज से स्नातक लेकिन स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं	1.0	0.0	0.0
स्नातकोत्तर	0.0	0.0	0.0
स्नातकोत्तर से अधिक	0.0	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	0.0	0.0
परिवारों की संख्या	397	66	66



तालिका 5.6: छत्तीसगढ़ में परिवार के महिला प्रधान द्वारा शिक्षा प्राप्ति का स्तर (सभी मान कुल के प्रतिशत में)

शिक्षा का स्तर	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	72	60.9	84.4
प्राइमरी से कम	5.2	8.7	6.7
प्राइमरी	7.0	7.8	4.4
प्राइमरी से अधिक और मैट्रिक से कम	10.2	14.8	2.2
मैट्रिकुलेशन	3.4	5.2	0.0
मैट्रिकुलेशन से अधिक एचएससी से कम	0.5	0.9	2.2
एचएससी	1.6	0.0	0.0
कॉलेज गए लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की	0.0	0.9	0.0
कॉलेज से स्नातक लेकिन स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं	0.0	0.0	0.0
स्नातकोत्तर	0.0	0.0	0.0
स्नातकोत्तर से अधिक	0.0	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.2	0.9	0.0
परिवारों की संख्या	443	115	45

सर्वेक्षण किए गए गांवों में, परिवारों के प्रधान और उनके जीवनसाथी का कार्यात्मक साक्षरता परीक्षण किया गया। परीक्षण के परिणाम से पता चलता है कि



मध्य प्रदेश

आदिवासी परिवार

♂ 34% ♀ 52%

गैर -आदिवासी परिवार

♂ 20% ♀ 39%

पीवीटीजी परिवार

♂ 37% ♀ 62%



छत्तीसगढ़

आदिवासी परिवार

♂ 38% ♀ 54%

गैर -आदिवासी परिवार

♂ 29% ♀ 46%

पीवीटीजी परिवार

♂ 57% ♀ 78%

महिलाएँ बिल्कुल भी पढ़, लिख और बुनियादी गणना नहीं कर सकते हैं।

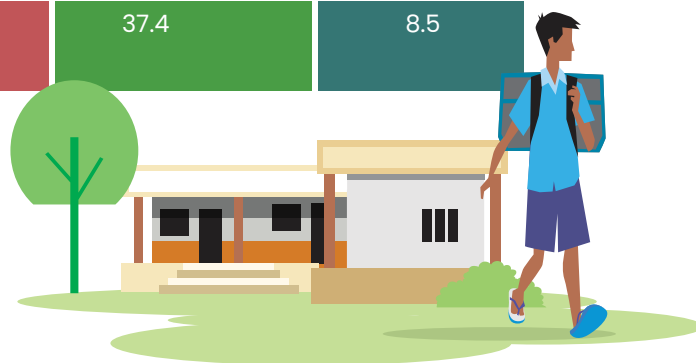


तालिका 5.7: पुरुषों की कार्यात्मक साक्षरता, मध्यप्रदेश

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
पाठन का औसत स्कोर (10 में से)	2.9	4.8	1.4
लेखन का औसत स्कोर (10 में से)	3.7	6.5	2.6
अंक ज्ञान का औसत स्कोर (10 में से)	2.3	4.1	2.2
कार्यात्मक साक्षरता का औसत स्कोर (30 में से)	8.9	15.4	6.2
परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा दिया कार्यात्मक साक्षरता टेस्ट	1,658	248	126
पाठन में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले पुरुष	16.2	25.8	4.0
लेखन में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले पुरुष	28.3	56.5	17.5
अंक ज्ञान में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले पुरुष	10.1	22.2	7.1
पूरे कार्यात्मक साक्षरता स्कोर में 80% से अधिक प्राप्त करने वाले कुल पुरुष	11.9	24.6	5.6

तालिका 5.8: पुरुषों की कार्यात्मक साक्षरता, छत्तीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
पाठन का औसत स्कोर (10 में से)	4.1	5.2	2.3
लेखन का औसत स्कोर (10 में से)	4.6	5.5	2.0
अंक ज्ञान का औसत स्कोर (10 में से)	3.4	4.4	1.3
कार्यात्मक साक्षरता का औसत स्कोर (30 में से)	12.1	15.1	5.6
परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा दिया कार्यात्मक साक्षरता टेस्ट	1,747	404	129
पाठन में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले पुरुष	30.2	43.1	13.2
लेखन में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले पुरुष	38.0	48.5	14.0
अंक ज्ञान में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले पुरुष	24.0	34.9	5.4
पूरे कार्यात्मक साक्षरता स्कोर में 80% से अधिक प्राप्त करने वाले कुल पुरुष	26.6	37.4	8.5



तालिका 5.9: महिला कार्यात्मक साक्षरता, मध्यप्रदेश

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
पाठन का औसत स्कोर (10 में से)	1.9	2.9	1.1
लेखन का औसत स्कोर (10 में से)	2.3	4.2	1.1
अंक ज्ञान का औसत स्कोर (10 में से)	1.6	2.7	1.3
कार्यात्मक साक्षरता का औसत स्कोर (30 में से)	5.9	9.8	3.6
परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा दिया कार्यात्मक साक्षरता टेस्ट	1,806	297	176
पाठन में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले महिलाएं	11.7	14.1	8.5
लेखन में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले महिलाएं	17.9	34.7	8.0
अंक ज्ञान में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले महिलाएं	7.8	14.8	6.3
पूरे कार्यात्मक साक्षरता स्कोर में 80% से अधिक प्राप्त करने वाले कुल महिलाएं	8.7	15.2	6.3

तालिका 5.10: महिला कार्यात्मक साक्षरता, छत्तीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
पाठन का औसत स्कोर (10 में से)	2.7	3.6	0.5
लेखन का औसत स्कोर (10 में से)	3.1	3.8	0.6
अंक ज्ञान का औसत स्कोर (10 में से)	2.3	3.0	0.5
कार्यात्मक साक्षरता का औसत स्कोर (30 में से)	8.0	10.4	1.6
परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा दिया कार्यात्मक साक्षरता टेस्ट	1,987	441	180
पाठन में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले महिलाएं	17.7	29.5	2.2
लेखन में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले महिलाएं	24.9	31.1	4.4
अंक ज्ञान में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले महिलाएं	15.5	21.3	2.2
पूरे कार्यात्मक साक्षरता स्कोर में 80% से अधिक प्राप्त करने वाले कुल महिलाएं	16.8	24.0	2.2





5.2 संपत्ति और उन तक पहुँच

जैसा कि तालिका 5.11 और 5.12 में दिखाया गया है, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों की औसत भूमिजोत क्रमशः 3.9 एकड़ और 3.2 एकड़ है। वहीं महिला-प्रधान आदिवासी परिवारों के पास छत्तीसगढ़ में पुरुष-प्रधान आदिवासी परिवार की तुलना में अधिक औसत जोत है, जबकि मध्यप्रदेश में पुरुष-प्रधान आदिवासी परिवारों की तुलना में कम औसत जोत है। पीटीवीजी के पास मध्यप्रदेश में सबसे कम औसत भूमिजोत है, जबकि गैर-आदिवासी परिवारों के पास छत्तीसगढ़ में अन्य दो श्रेणियों की तुलना में सबसे कम औसत भूमिजोत है।

तालिका 5.11: औसत भूमि जोत (एकड़ में) मध्यप्रदेश

	आदिवासी	पीटीवीजी	कुल
महिला-प्रधान परिवार	2.7	2.4	6.2
पुरुष-प्रधान परिवार	4.2	4	4.1
कुल	3.9	3.4	4.4

मध्यप्रदेश में गैर-आदिवासी परिवारों के महिला-प्रधान परिवारों के मामले में भूमि स्वामित्व डेटा के सैंपल साइज के बहुत छोटा और बाहरी होने के कारण आंकड़ों को नहीं दर्शाया गया है।

तालिका 5.12: औसत भूमि जोत (एकड़ में), छत्तीसगढ़

	आदिवासी	पीटीवीजी	पीटीवीजी	कुल
महिला-प्रधान परिवार	3.5	1.5	3.5	3.2
पुरुष-प्रधान परिवार	3.1	2.1	2.2	2.9
कुल	3.2	2	2.5	3

दोनों राज्यों में भूमिजोत के आधार पर परिवारों को निम्न श्रेणियों में बाँटा गया है:

भूमिहीन:	जिनके पास अपनी भूमि नहीं है
सीमांत:	जिनके पास 2.47 एकड़ तक जमीन है
छोटा:	जिनके पास 2.47 से 4.94 एकड़ तक जमीन है
छोटे - मध्यम:	जिनके पास 4.94 से 9.88 एकड़ तक जमीन है
मध्यम:	जिनके पास 9.88 से 24.7 एकड़ तक है
बड़े:	जिनके पास 24.7 एकड़ से अधिक है



मध्यप्रदेश में, 36.1% आदिवासी परिवारों ने भूमिहीन होने की सूचना दी; यह छत्तीसगढ़ में भूमिहीन आदिवासी परिवारों का लगभग दोगुना है। छत्तीसगढ़ में 51.8% आदिवासी परिवारों और मध्यप्रदेश में 38.3% आदिवासी परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। इन परिवारों की भूमिहीनता को समझने के लिए इस बात की गहन पड़ताल करने की जरूरत है कि क्या ये आंकड़ा औपचारिक भूस्वामित्व वाली भूमि को अथवा "अतिक्रमित" भूमिसहित परिचालन जोत भूमि को संदर्भित करता है।



तालिका 5.13: मध्यप्रदेश में परिवारों का भूमिजोत पैटर्न (ये मान परिवारों के प्रतिशत को दर्शाते हैं)

भूमिजोत श्रेणी	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	36.1	42.8	36.4
सीमांत	38.3	32.4	36.3
छोटे	12.9	12.7	12.4
छोटे -मध्यम	11.4	9.1	10.9
मध्यम	0.9	1.9	3.5
बड़े	0.4	1.1	0.5
परिवारों की संख्या	2,405	361	201

तालिका 5.14: मध्यप्रदेश में महिला-प्रधान परिवारों का भूमिजोत पैटर्न (ये मान परिवारों के प्रतिशत को दर्शाते हैं)

भूमिजोत श्रेणी	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	40.6	42.5	25.8
सीमांत	39.5	34.8	54.5
छोटे	10.8	10.6	7.6
छोटे -मध्यम	8.1	4.5	10.6
मध्यम	0.5	1.5	1.5
बड़े	0.5	6.1	0.0
महिला-प्रधान परिवार	397	66	66



तालिका 5.15: छत्तीसगढ़ में परिवारों का भूमिजोत पैटर्न (ये मान परिवारों के प्रतिशत को दर्शाते हैं)

भूमिजोत श्रेणी	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	15.2	32.1	48.4
सीमांत	51.8	48.3	34.4
छोटे	18.8	12.7	8.3
छोटे -मध्यम	12.4	6.5	6.8
मध्यम	1.3	0.4	2.1
बड़े	0.5	0	0
परिवारों की संख्या	2,340	520	192

तालिका 5.16: छत्तीसगढ़ में महिला-प्रधान परिवारों का भूमिजोत पैटर्न (ये मान परिवारों के प्रतिशत को दर्शाते हैं)

भूमिजोत श्रेणी	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	23.0	49.6	57.8
सीमांत	53.3	40.9	24.4
छोटे	13.5	8.7	11.1
छोटे -मध्यम	9.0	0.9	4.4
मध्यम	0.7	0.0	2.2
बड़े	0.5	0.0	0.0
महिला-प्रधान परिवार	443	115	45





5.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुँच

मध्य प्रदेश

आदिवासी 9.1%

गैर - आदिवासी 24.1%

पीवीटीजी 12.9%

छत्तीसगढ़

आदिवासी 1.9%

गैर - आदिवासी 0.8%

पीवीटीजी 8.9%

परिवारों ने बताया कि उनके पास कोई पीडीएस कार्ड नहीं है; हालाँकि, बाकी सभी के पास या तो बीपीएल कार्ड या अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड हैं (नीचे तालिका 5.15 और 5.16 देखें)।



तालिका 5.17: पीडीएस कार्ड प्रकार, मध्यप्रदेश (इसमें कुल का प्रतिशत दिया गया है।)

	एपीएल	बीपीएल	अंत्योदय	कार्ड नहीं	संख्या
आदिवासी	17.7	63.2	10.1	9.1	2,405
गैर-आदिवासी	21.6	49.6	4.7	24.1	361
पीवीटीजी	8.0	54.2	24.9	12.9	201

तालिका 5.18: पीडीएस कार्ड प्रकार, छत्तीसगढ़ (इसमें कुल का प्रतिशत दिया गया है।)

	एपीएल	बीपीएल	अंत्योदय	कार्ड नहीं	संख्या
आदिवासी	3.2	83.0	11.9	1.9	2,340
गैर-आदिवासी	4.4	81.5	13.3	0.8	520
पीवीटीजी	0.0	33.9	57.3	8.9	192





5.4 सभी मौसमों में सिंचाई की सुविधा

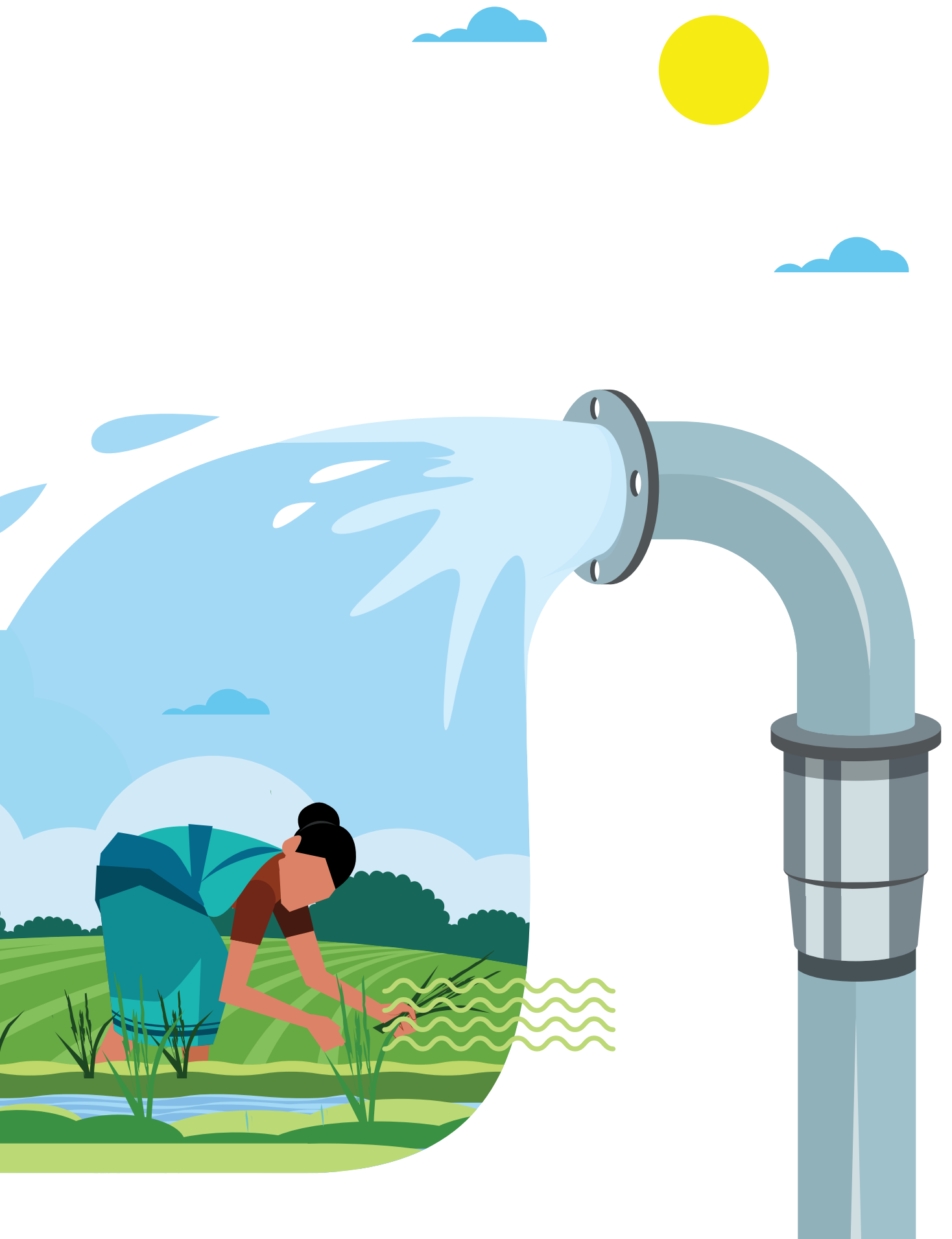
तालिका 5.19: मध्य प्रदेश में सभी मौसमों में सिंचाई की सुविधा

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
अपनी भूमि (प्रतिशत)	17.5	28.0	30.2
लीज पर ली गयी भूमि (प्रतिशत)	20.2	28.6	36.8
साझे की भूमि (प्रतिशत)	21.9	16.7	46.2

तालिका 5.20: छत्तीसगढ़ में सभी मौसमों में सिंचाई की सुविधा

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
अपनी भूमि (प्रतिशत)	12.4	17.2	2.0
लीज पर ली गयी भूमि (प्रतिशत)	6.0	26.7	0.0
साझे की भूमि (प्रतिशत)	10.1	12.5	0.0







5.5 वनों से दूरी

जैसा कि तालिका 5.21 और 5.22 (नीचे) से पता चलता है, दोनों राज्यों में, पीवीटीजी गांव भौगोलिक रूप से जंगल के सबसे करीब हैं, उसके बाद आदिवासी गांव हैं। आदिवासियों की जंगलों से औसत दूरी छत्तीसगढ़ की तुलना में मध्य प्रदेश में थोड़ी अधिक है। आदिवासियों और गैर-आदिवासियों में, छत्तीसगढ़ की तुलना में मध्य प्रदेश में जंगल पर निर्भरता बहुत कम है। मध्य प्रदेश में 62% आदिवासियों और 40% गैर-आदिवासियों ने आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता की सूचना दी, जबकि छत्तीसगढ़ में 90% आदिवासियों और 64% गैर-आदिवासियों ने आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता की सूचना दी। दोनों राज्यों में, 98% पीवीटीजी ने आजीविका के लिए वन पर निर्भरता की सूचना दी।

तालिका 5.21: वन से दूरी (मध्य प्रदेश)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर परिवारों की वनों से औसत दूरी (किमी)	2.0	3.2	1.8
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवार (%)	62	40	98
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं रहने वाले परिवारों की वनों से औसत दूरी (किमी)	6.8	9.2	0.2
ऐसे परिवार, जो अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं हैं (%)	38	60	2



तालिका 5.22: वन से दूरी (छत्तीसगढ़)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर परिवारों की वनों से औसत दूरी (किमी)	1.8	2.1	0.3
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवार (%)	90	64	98
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं रहने वाले परिवारों की वनों से औसत दूरी (किमी)	2.6	9.4	0.3
ऐसे परिवार, जो अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं हैं (%)	10	36	2

टिप्पणियाँ:

भूमिधारण: भूमिधारण का तात्पर्य किसी व्यक्ति, संगठन या इकाई द्वारा भूमि के एक क्षेत्र के स्वामित्व या कब्जे से है। इसमें भूमि के एक विशिष्ट टुकड़े पर किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार और नियंत्रण शामिल हैं, जिसमें कानून द्वारा अनुमति के अनुसार भूमि का उपयोग करने, कब्जा करने, स्थानांतरित करने या उसमें परिवर्तन करने की क्षमता शामिल है।

सभी मौसमों में सिंचाई तक पहुंच: सभी मौसमों में सिंचाई तक पहुंच का तात्पर्य मौसमी विविधताओं या जलवायु परिस्थितियों की किसी भी स्थिति में, पूरे वर्ष कृषि उद्देश्यों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए स्थापित बुनियादी ढांचे, प्रणालियों और प्रथाओं से है।





#06

आदिवासियों की आजीविका संबंधी प्रथाएं





6.1 विभिन्न स्रोतों से आय

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी, गैर-आदिवासी और पीवीटीजी की खेती, पशुपालन, जंगल से संग्रहण, मजदूरी कार्य, गैर-कृषि गतिविधियाँ (बांस की वस्तुएँ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े धोने की सेवा, सामान्य छोटी दुकानें, चाय की दुकानें, महुआ शराब की दुकानें, सब्जी की दुकानें चलाना, साइकिल और मशीन की मरम्मत के लिए सेवाएँ प्रदान करना आदि), वेतन, पेंशन और प्रेषण प्रमुख आजीविका संबंधी गतिविधियाँ हैं।

जैसा कि तालिका 6.1 से देखा जा सकता है, मध्य प्रदेश में 2297 आदिवासी परिवारों में से सबसे अधिक 1594 (69%) परिवारों ने अपने आजीविका के स्रोत के रूप में मजदूरी कमाई की सूचना दी है, इसके बाद खेती (68%), पशुपालन (61%) वन से संग्रहण और प्रेषण (दोनों 29%), विभिन्न प्रकार की पेंशन या वेतन (19%), और गैर-कृषि गतिविधियों (5%) का क्रम आता है।

छत्तीसगढ़ में, जैसा कि तालिका 6.2 में दिखाया गया है, 2311 आदिवासी परिवारों ने अपनी आय की सूचना दी, जिनमें से सबसे अधिक संख्या 1957 (85%) ने खेती में संलग्नता, उसके बाद पशुपालन (80%), मजदूरी से आय (72%), वन से संग्रहण (51%), पेंशन और वेतन (18%), प्रेषण (6%) और गैर-कृषि गतिविधियों (4%) में संलग्न होने के बारे में सूचना दी।

दोनों तालिकाओं से पता चलता है कि लगभग तीन-चौथाई आदिवासी परिवारों की मजदूरी से आय पर निर्भरता है। दोनों राज्यों में,

यह अनुपात उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक है जिन्होंने वन संग्रहण से आय प्राप्त करने की सूचना दी है। यह उन पारंपरिक मान्यताओं से काफी भिन्न प्रतीत होता है कि आदिवासी अपनी आजीविका मुख्य रूप से कृषि के साथ-साथ जंगलों से प्राप्त करते हैं। परिवार आमतौर पर एक से अधिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, अतः ये संख्याएँ 100 तक नहीं जाती हैं। वे ऐसा अपनी कुल आय जोखिम को कम करने या शायद एक गतिविधि परिवार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होती, इसलिए लिए करते हैं। आखिरी कारण संभवतः सबसे आम है।

दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी परिवारों को छोड़कर, सभी श्रेणियों में पशुपालन से होने वाली आय नकारात्मक आंकड़े दर्शा रही है। उन गतिविधियों में नकारात्मक आय संभव है जहां आय की गणना राजस्व से लागत घटाकर की जाती है। खेती (फसलें और सब्जियाँ) और पशुपालन ये दो गतिविधियाँ हैं जहाँ परिवारों ने अपने उत्पादन (खेती) या राजस्व (पशुपालन से) और लागत की सूचना दी है। इसलिए, खेती और पशुपालन की आय नकारात्मक हो सकती है। नकारात्मक आय इंगित करती है कि पिछले 365 दिनों में परिवार को ऐसी गतिविधि में नुकसान हुआ है। नकारात्मक आय कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि उस पद्धति और वास्तविकता का परिणाम है जिस पर यह पद्धति लागू की जाती है।

पशुपालन करने वाले परिवारों के एक बड़े हिस्से ने लागत की सूचना देते समय कोई बिक्री नहीं होने की बात कही है। चूँकि हमारा आय



पशुपालन

मध्य प्रदेश 61%

छत्तीसगढ़ 80%



खेती

मध्य प्रदेश 68%

छत्तीसगढ़ 85%



मजदरी

मध्य प्रदेश 69%

छत्तीसगढ़ 72%



वन से संग्रहण और प्रेषण

मध्य प्रदेश 29%

छत्तीसगढ़ 51%



वेतन/पेंशन

मध्य प्रदेश 19%

छत्तीसगढ़ 18%

गैर-कृषि गतिविधि

मध्य प्रदेश 5%

छत्तीसगढ़ 4%

दृष्टिकोण प्राप्तियों से लागत को घटाने पर है, ऐसे परिवारों के बारे में, पशुपालन आय नकारात्मक हो जाती है। ऐसे परिवारों में पशुपालन की सूचना देनेवाले कुल परिवारों का एक बड़ा हिस्सा है, अतः कुल मिलाकर पशुपालन से हमें नकारात्मक आय का संकेत मिलता है। यदि हम केवल उन परिवारों के बारे में विचार करते हैं जो बिक्री के बारे में सूचना देते हैं तो पशुपालन से हमारी सकारात्मक आय होती है। यह संभव है कि कई परिवारों ने हाल ही में पशुपालन शुरू किया है या उनमें से कुछ को बाजार नहीं मिल रहा है और/या वे इसका उपयोग स्व-उपभोग (कम से कम आंशिक रूप से) के लिए नहीं कर रहे हैं। इसके कारणों को समझने के लिए गहन जांच करने की आवश्यकता है।

खेती के संदर्भ में, ऐसी संभावना है कि खेती में नकारात्मक आय वाले और खेती के उत्पादन का काफी स्व-उपभोग करने वाले परिवार के लिए, अनुमानित आय का मूल्यांकन करने के लिए लागू की गई

कीमतों से भिन्न कीमतें सकारात्मक आय का कारण बन सकती हैं। लेकिन पशुपालन के मामले में, राजस्व और लागत दोनों परिवारों द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं, इस प्रकार नकारात्मक आय पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जानकारी का परिणाम है।

(तालिका 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 के लिए नोट: विभिन्न घटकों से रिपोर्ट की गई आय उस गतिविधि को करने वाले परिवारों की संख्या का औसत है और पूरे नमूने का औसत नहीं है। इस प्रकार, पंक्तियाँ कुल पारिवारिक आय के आंकड़ों में नहीं जुड़ेंगी। सभी वेतन/पेंशन को छोड़कर, जो प्रति माह रुपये में हैं, एक वर्ष के आंकड़े रुपये में हैं। ये सभी रिकॉल डेटा से प्राप्त किए गए हैं)



तालिका 6.1: मध्य प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से औसत आय

	खेती	पशुपालन	वन उपज	मजदरी	वेतन/ पेंशन	प्रेषण	गैर-कृषि	परिवार की आय
आदिवासी (रुपये)	48,366	-4,127	5,478	38,999	3,703	17,500	26,078	73,900
आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	1,553	1,404	657	1,594	447	655	128	2,297
गैर-आदिवासी (रुपये)	70,559	-4,995	4,758	41,736	2,829	16,580	29,793	84,033
गैर-आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	212	190	62	215	73	69	42	335
पीवीटीजी (रुपये)	33,962	-3,414	6,014	31,171	3,912	14,805	1,250	68,726
पीवीटीजी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	147	73	149	156	50	65	2	201

तालिका 6.2: छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्रोतों से औसत आय

	खेती	पशुपालन	वन उपज	मजदरी	वेतन/ पेंशन	प्रेषण	गैर-कृषि	परिवार की आय
आदिवासी (रुपये)	32,187	-2,812	7,848	25,051	2,242	16,180	15,388	53,610
आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	1,957	1,853	1,186	1,672	422	132	93	2,311
गैर-आदिवासी (रुपये)	36,737	-1,501	6,102	29,612	1,937	17,812	3,190	53,766
गैर-आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	332	324	133	373	124	16	30	499
पीवीटीजी (रुपये)	26,161	224	8,169	16,715	2,790		4,500	43,012
पीवीटीजी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	103	88	140	126	68	0	4	192

उपरोक्त दो तालिकाओं से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का एक सामान्य आदिवासी परिवार मध्य प्रदेश के अपने समकक्ष की तुलना में, खेती से औसतन 8000 रुपये या 17% कम कमाता है, छत्तीसगढ़ का औसत गैर-आदिवासी परिवार मध्य प्रदेश के अपने समकक्ष की तुलना में खेती से आधे से थोड़ा अधिक कमाता है और औसत पीवीटीजी परिवार मध्य प्रदेश के अपने समकक्ष की तुलना में 7000 रुपये या 20% कम कमाता है। क्या इसका कारण खराब मिट्टी को माना जाए या खराब बाजार पहुंच को, यह जांच का एक दिलचस्प क्षेत्र है। दोनों राज्यों में पशुपालन घाटे का सौदा प्रतीत होता है।

नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत डेटा महिला-प्रधान परिवारों को संदर्भित करता है, जो कुल नमूने का एक उपसमूह है। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी परिवारों की मुखिया महिलाएं सभी परिवारों के नमूना औसत से लगभग 8% अधिक कुल आय अर्जित करती हैं। गैर-आदिवासी परिवारों में विपरीत दिशा में 13% से अधिक का अंतर दिखता है। छत्तीसगढ़ में महिला-प्रधान परिवार सभी श्रेणियों के नमूना औसत से कम कमाते हैं।



तालिका 6.3: मध्य प्रदेश में महिला-प्रधान परिवारों की औसत पारिवारिक आय का स्रोत

	खेती	पशुपालन	वन उपज	मजदरी	वेतन/ पेंशन	प्रेषण	गैर-कृषि	परिवार की आय
आदिवासी (रुपये)	40,847	-2,827	6,320	35,712	4,009	11,974	22,142	79,108
आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	240	195	165	273	174	118	32	386
गैर-आदिवासी (रुपये)	64,094	-4,249	7,522	26,137	1,640	12,000	29,125	74,904
गैर-आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	40	29	9	40	30	16	8	61
पीवीटीजी (रुपये)	23,138	-1,025	7,032	41,119	5,159	16,438	2,000	79,291
पीवीटीजी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	55	20	51	41	27	16	1	66

तालिका 6.4: छत्तीसगढ़ में महिला-प्रधान परिवारों की औसत पारिवारिक आय का स्रोत

	खेती	पशुपालन	वन उपज	मजदरी	वेतन/ पेंशन	प्रेषण	गैर-कृषि	परिवार की आय
आदिवासी (रुपये)	29,962	-2,934	5,723	28,366	1,424	13,867	12,250	52,109
आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	335	312	215	318	163	30	22	439
गैर-आदिवासी (रुपये)	29,121	-2,807	4,904	32,246	1,330	25,000	10,314	45,994
गैर-आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	54	58	26	77	53	3	7	109
पीवीटीजी (रुपये)	27,645	747	6,852	14,680	1,186		3,000	34,223
पीवीटीजी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	18	15	30	26	31	0	1	45

बॉक्स 2: एक प्रतिनिधि परिवार की आय के स्रोत

तालिकाएँ- 6.1, 6.2, 6.3, और 6.4 उन परिवारों की विभिन्न स्रोतों से औसत आय को दर्शाती हैं जिन्होंने उन स्रोतों से अपनी आय की सूचना दी है। हालाँकि, सर्वेक्षण में शामिल सभी परिवारों के पास इनमें से प्रत्येक आय स्रोत नहीं है। इसलिए, हमने इस मामले को परिप्रेक्ष्य में रखने हेतु, प्रत्येक आय श्रेणी के लिए एक "प्रतिनिधि परिवार" का निर्माण किया और उस प्रतिनिधि परिवार के लिए, हमने उस स्रोत का औसत लेकर आय का आंकड़ा प्रस्तुत किया।

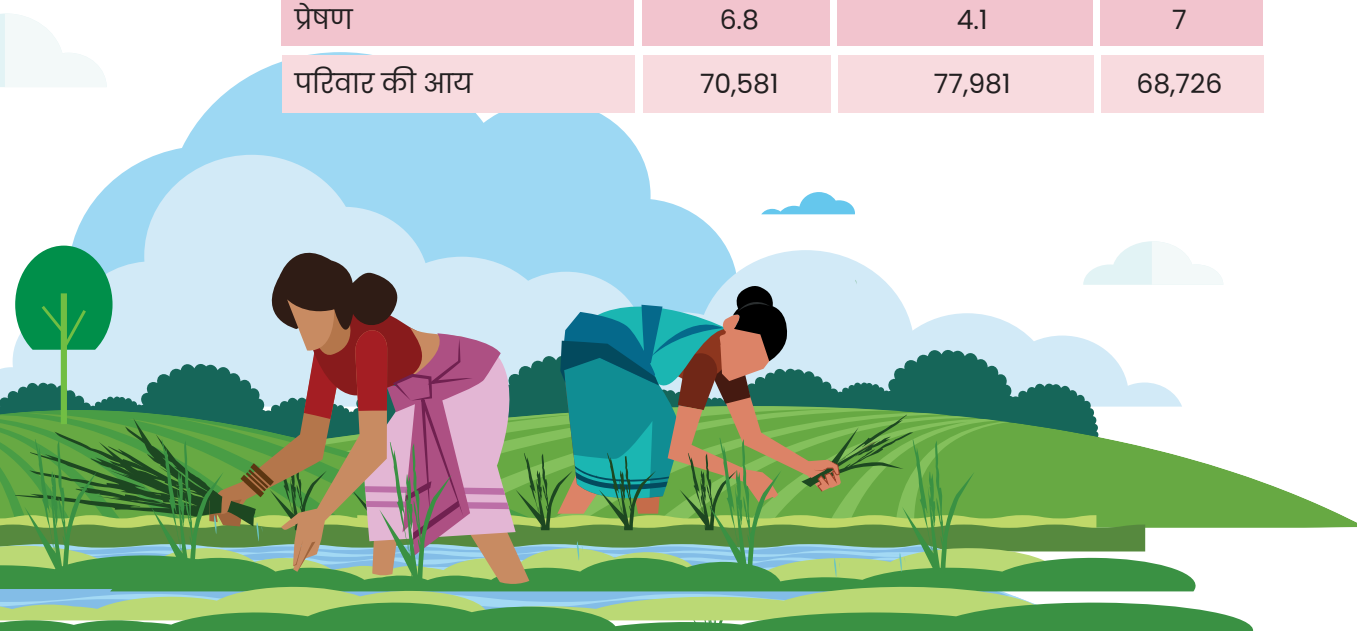
ये अनुपात आदिवासी, गैर-आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों के आय के विभिन्न स्रोतों के वास्तविक महत्व को दर्शाते हैं।

तालिका 6.5: मध्य प्रदेश में प्रतिनिधि परिवार की आय, भारतीय रुपये में

आय शीर्ष	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खेती	31,232	41,436	24,838
पशुपालन	-2,410	-2,629	-1,240
वन से उपज	1,497	817	4,458
गैर-कृषि व्यवसाय	1,388	3,466	12
मजदूरी	25,848	24,857	24,192
वेतन/पेंशन	8,260	6,864	11,678
प्रेषण	4,766	3,169	4,788
परिवार की आय	70,581	77,981	68,726

तालिका 6.6: प्रतिनिधि परिवार के आय स्रोतों में मध्य प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा

आय शीर्ष	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खेती	44.2	53.1	36.1
पशुपालन	-3.4	-3.4	-1.8
वन से उपज	2.1	1	6.5
गैर-कृषि व्यवसाय	2	4.4	0
मजदूरी	36.6	31.9	35.2
वेतन/पेंशन	11.7	8.8	17
प्रेषण	6.8	4.1	7
परिवार की आय	70,581	77,981	68,726



तालिका 6.7: छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधि परिवार की आय, भारतीय रुपये में

आय शीर्ष	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खेती	26,919	23,455	14,034
पशुपालन	-2,226	-935	103
वन से उपज	3,978	1,561	5,956
गैर-कृषि व्यवसाय	612	184	94
मजदूरी	17,899	21,241	10,969
वेतन/पेंशन	4,852	5,541	11,855
प्रेषण	913	548	
परिवार की आय	52,946	51,595	43,012

तालिका 6.8: प्रतिनिधि परिवार के आय स्रोतों में छत्तीसगढ़ का प्रतिशत हिस्सा

आय शीर्ष	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खेती	50.8	45.5	32.6
पशुपालन	-4.2	-1.8	0.2
वन से उपज	7.5	3	13.8
गैर-कृषि व्यवसाय	1.2	0.4	0.2
मजदूरी	33.8	41.2	25.5
वेतन/पेंशन	9.2	10.7	27.6
प्रेषण	1.7	1.1	0
परिवार की आय	52,946	51,595	43,012

स्पष्ट रूप से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक सामान्य आदिवासी परिवार की आय में खेती का योगदान क्रमशः लगभग 44% और 51% है। इसके बाद वेतन रोजगार और फिर वेतन/पेंशन आता है। छत्तीसगढ़ में वन से उपज का योगदान लगभग 8% आय है; मध्य प्रदेश के लिए यह मात्र 2% है।

आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि आदिवासी परिवारों की आय में वन से उपज का योगदान बहुत कम है। मध्य प्रदेश में यह मामूली 2.1% और छत्तीसगढ़ में 7.5% है। कुछ अन्य लघु अध्ययन (प्रदान द्वारा नगरी, छत्तीसगढ़ में एनटीएफपी का व्यवहार्यता

अध्ययन) और वन उत्पादक-संग्रहकर्ताओं के बीच फील्डवर्क (डॉ एस जे फणसलकर द्वारा वही अध्ययन) के अवलोकन आदिवासी अर्थव्यवस्था के लिए वन से उपज के महत्व पर जोर देते प्रतीत होते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस तरह के अध्ययन विशेष रूप से समृद्ध जंगलों में या उसके करीब रहने वाले समुदायों पर ध्यान केंद्रित होते हैं, जो वन से उपज के संग्रह के लिए अपनी ऊर्जा समर्पित करते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के जंगलों में शायद एनटीएफपी काफी कम हो गया है जिसे एकत्र किया जा सकता है और इसके कारण नमूना औसत निम्न स्तर तक आया है।



6.2 आय स्रोतों की क्षेत्रवार भिन्नता

तालिका 6.9 से पता चलता है कि मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में, आदिवासी परिवारों के उच्चतम प्रतिशत ने खेती से आय की सूचना दी है। भील क्षेत्र में, आदिवासी परिवारों का उच्चतम प्रतिशत पशुपालन में संलग्न है। अन्य आईटीडीपी क्षेत्रों में, अधिकतम प्रतिशत आदिवासी परिवारों द्वारा मजदूरी को उनकी आय का स्रोत बताया गया है। गैर-आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों के संदर्भ में लगभग समान पैटर्न देखा जा सकता है। भील क्षेत्र के केवल 2% आदिवासी परिवारों ने वनों से आय की सूचना दी। गोंड क्षेत्र के मामले में यह 44% है। पीवीटीजी परिवारों के संदर्भ में, 81% ने गोंड क्षेत्र में वनों से आय की सूचना दी।

तालिका 6.10 से पता चलता है कि उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में, अधिकतम प्रतिशत में आदिवासी परिवार खेती में संलग्न हैं। जबकि मध्य छत्तीसगढ़ में, उच्चतम प्रतिशत में आदिवासी परिवारों ने मजदूरी से आय की सूचना दी। पीवीटीजी के लिए, दक्षिण छत्तीसगढ़ में 100% परिवारों द्वारा पशुपालन और वन संग्रहण को आय के स्रोत के रूप में बताया गया है। मध्य छत्तीसगढ़ में 72% आदिवासी परिवारों ने वनों से आय की सूचना दी, यह प्रतिशत उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में वनों से आय की रिपोर्ट करने वाले आदिवासी परिवारों के प्रतिशत से अधिक है।

तालिका 6.9: मध्य प्रदेश क्षेत्रवार विभिन्न आजीविका गतिविधियों में संलग्नता की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत

आय का स्रोत	आदिवासी				गैर-आदिवासी				पीवीटीजी			
	B	G	O	T	B	G	O	T	B	G	O	T
खेती	56	84	55	65	40	75	48	59	-	90	62	73
पशुपालन	66	67	41	58	35	63	48	53	-	51	27	36
वन से उपज	2	44	39	27	0	19	22	17	-	81	69	74
वेतन	43	80	79	66	35	63	66	60	-	80	76	78
गैर-कृषि उद्यम	5	5	6	5	13	14	8	12	-	1	1	1
प्रेषण	20	43	20	27	8	30	11	19	-	16	43	32
वेतन तथा पेंशन	18	22	16	19	13	27	15	20	-	42	13	25

B = भील क्षेत्र, G = गोंड क्षेत्र, O = अन्य आईटीडीपी ब्लॉक, T = मध्य प्रदेश कुल

तालिका 6.10: छत्तीसगढ़ क्षेत्र-वार विभिन्न आजीविका गतिविधियों में संलग्नता की रिपोर्ट करने वाले परिवारों का प्रतिशत

आय का स्रोत	आदिवासी				गैर-आदिवासी				पीवीटीजी			
	S	C	N	T	S	C	N	T	S	C	N	T
खेती	87	77	86	84	67	42	80	64	94	49	42	54
पशुपालन	87	68	81	79	68	44	72	62	100	16	44	46
वन से उपज	53	72	32	51	47	12	17	26	100	86	56	73
मजदूरी	60	93	64	71	64	86	67	72	57	95	52	66
गैर-कृषि गतिविधियाँ	8	1	3	4	8	7	3	6	0	7	0	2
प्रेषण	9	6	3	6	3	4	2	3	0	0	0	0
वेतन तथा पेंशन	16	18	20	18	26	23	23	24	54	30	32	35

S = दक्षिणी छत्तीसगढ़, C = मध्य छत्तीसगढ़, N = उत्तरी छत्तीसगढ़, T = छत्तीसगढ़ कुल



जहां तक कुल आय में योगदान का सवाल है, आदिवासी परिवारों में भील क्षेत्र में खेती और वेतन/पेंशन का संयुक्त रूप से सबसे अधिक योगदान है। गोंड क्षेत्र में, आदिवासी परिवारों द्वारा खेती, मजदूरी और वेतन/पेंशन- प्रत्येक से एक-तिहाई योगदान बताया गया है। अन्य आईटीडीपी ब्लॉकों में, आदिवासियों की पारिवारिक आय में मजदूरी का योगदान सबसे अधिक है। पीवीटीजी परिवारों में, गोंड क्षेत्र में मजदूरी का योगदान सबसे अधिक है जबकि अन्य आईटीडीपी क्षेत्रों में खेती का योगदान सबसे अधिक है। कुल आय में वन संग्रहण का योगदान सभी श्रेणियों में बहुत कम है, जो आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों परिवारों में भील क्षेत्रों में शून्य से लेकर अन्य आईटीडीपी क्षेत्रों में पीवीटीजी के मामले में 7% तक है।

छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों की कुल आय में वन संग्रहण का योगदान सबसे अधिक है। हालाँकि, इस क्षेत्र में आदिवासी परिवारों की कुल आय में मजदूरी का योगदान सबसे अधिक बताया गया है। दक्षिण एवं उत्तर छत्तीसगढ़ में खेती का योगदान सर्वाधिक है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी परिवारों के मामले में कुल आय में वन संग्रहण का योगदान सबसे अधिक है। मध्य छत्तीसगढ़ में भी यह अन्य श्रेणियों की तुलना में काफी अधिक है।

तालिका 6.11: मध्य प्रदेश क्षेत्रवार कुल आय में विभिन्न स्रोतों का प्रतिशत योगदान

आय का स्रोत	आदिवासी				गैर-आदिवासी				पीवीटीजी			
	B	G	O	T	B	G	O	T	B	G	O	T
खेती	60	33	26	44	62	57	44	53	-	16	53	36
पशुपालन	-3	-4	-3	-3	-1	-4	-4	-3	-	-1	-2	-2
वन से उपज	0	4	4	2	0	2	1	1	-	6	7	6
मजदूरी	28	35	57	37	27	22	45	32	-	43	29	35
गैर-कृषि उद्यम	2	1	3	2	5	6	3	4	-	0	0	0
प्रेषण	6	8	6	7	2	5	4	4	-	4	9	7
वेतन तथा पेंशन	7	23	8	12	5	12	8	9	-	31	4	17

B = भील क्षेत्र, G = गोंड क्षेत्र, O = अन्य आईटीडीपी ब्लॉक, T = मध्य प्रदेश कुल

तालिका 6.12: छत्तीसगढ़ क्षेत्रवार कुल आय में विभिन्न स्रोतों का प्रतिशत योगदान

आय का स्रोत	आदिवासी				गैर-आदिवासी				पीवीटीजी			
	S	C	N	T	S	C	N	T	S	C	N	T
खेती	56	37	59	51	46	34	57	45	41	27	24	33
पशुपालन	-2	-8	-3	-4	-1	-3	-2	-2	1	0	-1	0
वन से उपज	6	13	4	8	6	1	1	3	4	15	30	14
मजदूरी	24	53	25	34	32	63	29	41	6	44	39	26
गैर-कृषि उद्यम	1	0	2	1	1	-1	1	0	0	1	0	0
प्रेषण	2	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0
वेतन तथा पेंशन	14	3	11	9	14	5	13	11	48	13	8	28

S= दक्षिणी छत्तीसगढ़, C= मध्य छत्तीसगढ़, N= उत्तरी छत्तीसगढ़, T= छत्तीसगढ़ कुल



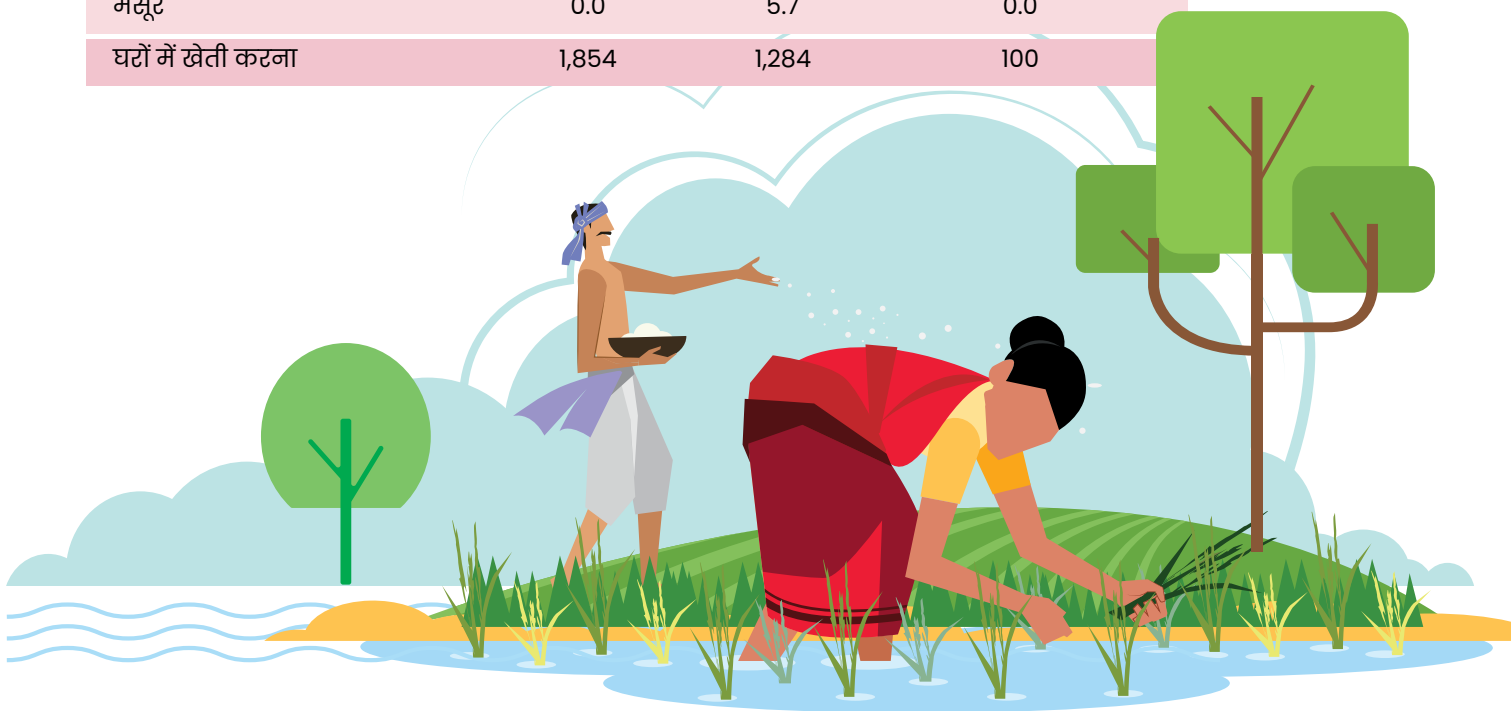
6.3

फसल विविधीकरण

इन क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के परिवार बड़ी संख्या में फसलें उगाकर अपनी कृषि गतिविधियों में विविधता लाते हैं। इसे नीचे तालिका 6.13 और 6.14 में देखा जा सकता है।

तालिका 6.13: मध्य प्रदेश में परिवारों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें (ये मान मौसम के लिए एक विशेष फसल उगाने वाले परिवारों का प्रतिशत दर्शाते हैं)

फसल	खरीफ़	रबी	ग्रीष्म
मक्का	50.7	4.8	40.0
धान का खेत	45.9	0.7	3.0
सोयाबीन	16.9	0.2	2.0
अरहर	9.3	1.3	0.0
जौ	6.3	0.2	2.0
उड़द	5.5	0.4	15.0
कोदो और कुटकी	4.2	0.0	0.0
कपास	2.4	0.1	0.0
सरसों	0.5	3.5	2.0
गेहूँ	0.3	91.4	10.0
चना	0.3	7.9	4.0
तिलहन	0.3	0.0	0.0
अलसी का बीज	0.1	0.2	0.0
राजमा	0.1	0.0	0.0
कुलथ	0.1	0.0	0.0
मसूर	0.0	5.7	0.0
घरों में खेती करना	1,854	1,284	100



तालिका 6.14: छत्तीसगढ़ में परिवारों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें (ये मान मौसम के लिए एक विशेष फसल उगाने वाले परिवारों का प्रतिशत दर्शाते हैं*)

फसल	खरीफ़	रबी	ग्रीष्म
मक्का	32.9	15.7	48.1
गेहूँ	0.0	19.2	3.1
धान का खेत	97.5	13.4	48.1
जौ	0.0	1.6	0.8
सिऊर मार्शा चलाई	0.0	0.3	0.0
फूलन	0.0	1.0	0.8
फफरा	0.1	0.0	1.6
गन्ना	0.1	1.6	1.6
मुहब्बत	0.0	0.3	0.0
कुलथ	1.3	4.8	0.0
सोयाबीन	0.0	0.3	0.0
मसूर	0.0	4.5	0.8
अरहर	7.8	3.5	0.8
उड़द	11.2	20.8	7.8
तिलहन	0.0	1.0	0.0
सरसों	0.6	23.0	0.0
अलसी का बीज	0.0	1.6	0.8
कोदो और कुटकी	2.6	0.0	0.0
कपास	0.0	0.0	0.0
चना	0.0	1.9	0.0
घरों में खेती करना	2,365	313	129

*कोई भी परिवार एक मौसम में एक से अधिक फसल उगा सकता है; इसलिए, कुल योग 100 तक नहीं पहुंचेगा।

मध्य प्रदेश में नमूना परिवारों ने 16 और छत्तीसगढ़ में 20 विभिन्न फसलों की सूचना दी, जिनकी वे खेती करते हैं।

मध्य प्रदेश में 65% और छत्तीसगढ़ में 79% परिवारों द्वारा खरीफ़ फसलें उगाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में खरीफ़ के दौरान खेती करने वाले परिवारों में से, लगभग 51% मक्के की खेती करते हैं, 46% धान की खेती करते हैं और 17% सोयाबीन की खेती करते हैं, जबकि 98% छत्तीसगढ़ में 33% परिवारों ने धान की खेती की और 33% ने मक्के की खेती की सूचना दी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रमशः 4.2% और 2.6% परिवारों द्वारा कोदो और कुटकी की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश में 45% परिवार रबी की खेती करते हैं, जिनमें से 91% गेहूँ

की खेती करते हैं। छत्तीसगढ़ में केवल 10% परिवार रबी की खेती करते हैं; प्रमुख फसलें गेहूँ, सरसों और दालें हैं। दोनों राज्यों में, लगभग 5% परिवार ही ग्रीष्मकालीन फसलें उगाते हैं।

काफी कम कीमतों पर मुख्य खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करनेवाले अच्छी तरह से क्रियान्वित पीडीएस के बावजूद अनाज फसलों की इतनी अधिकता एक ऐसा मामला है जिसे ठीक से समझने की जरूरत है।



6.4 वन पर आय एवं अन्य निर्भरता

किसी समुदाय की वन पर निर्भरता को उनकी आजीविका, सांस्कृतिक प्रथाओं और पहचान के लिए उनकी मजबूत निर्भरता से परिभाषित किया जाता है। आदिवासी ऐतिहासिक रूप से वन क्षेत्रों में बसे हुए हैं और इन पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों से उनका गहरा संबंध है।

आदिवासियों में वन पर निर्भरता कई तरीकों से प्रकट हो सकती है जैसे गैर-लकड़ी वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह, निर्वह कृषि, पशुधन चराई, शिकार और संग्रह, और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रथाएं।

आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता के संबंध में प्रमुख टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

1) छत्तीसगढ़ में 90% आदिवासियों और 98% पीवीटीजी ने अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता की सूचना दी। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मामले में यह बहुत कम है। मध्य प्रदेश के भील क्षेत्र से आदिवासी परिवारों का सबसे कम प्रतिशत वन पर निर्भरता की सूचना देता है।

2) जिन लोगों ने जंगल पर निर्भरता की सूचना दी, वे भी जंगल के करीब, औसतन 2 किमी की दूरी पर रहते हैं।

3) दोनों राज्यों में अधिकांश वन-निर्भर परिवार ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करते हैं और लगभग 98% परिवार अपने स्वयं के उपभोग के लिए ईंधन की लकड़ी का उपयोग करते हैं। सबसे अधिक औसत आय महुआ बेचने से होती है।

4) कुल आय में वन आय का योगदान मध्य प्रदेश के मामले में बहुत कम है, और छत्तीसगढ़ में थोड़ा-सा कम है।

5) वन उपज से औसत आय मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक और मध्य प्रदेश के भील क्षेत्र में सबसे कम है।

जैसा कि तालिका 6.15 और 6.16 (नीचे) से पता चलता है, आदिवासियों और गैर-आदिवासियों में, छत्तीसगढ़ की तुलना में मध्य प्रदेश के मामले में वन पर निर्भरता बहुत कम है। मध्य प्रदेश में 62% आदिवासियों और 40% गैर-आदिवासियों ने आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता की सूचना दी, जबकि छत्तीसगढ़ में 90% आदिवासियों और 64% गैर-आदिवासियों ने आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता की सूचना दी। दोनों राज्यों में, 98% पीवीटीजी ने आजीविका के लिए वन पर निर्भरता की सूचना दी।

तालिका 6.15: वनों से दूरी (मध्य प्रदेश)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आजीविका के लिए वन पर निर्भर परिवारों की औसत दूरी (किमी)	2.0	3.2	1.8
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवार (%)	62	40	98
आजीविका के लिए वन पर निर्भर नहीं रहने वाले परिवारों की वन से औसत दूरी(किमी)	6.8	9.2	0.2
वे परिवार, जो आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं हैं (%)	38	60	2



तालिका 6.16: वनों से दूरी (छत्तीसगढ़)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आजीविका के लिए वन पर निर्भर परिवारों की औसत दूरी (किमी)	1.8	2.1	0.3
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवार (%)	90	64	98
आजीविका के लिए वन पर निर्भर नहीं रहने वाले परिवारों की वन से औसत दूरी(किमी)	2.6	9.4	0.3
वे परिवार, जो आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं हैं (%)	10	36	2

वनों पर निर्भरता में क्षेत्र-व्यापी भिन्नताएँ हैं। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में, उच्चतम प्रतिशत में आदिवासी परिवार अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता की सूचना देते हैं। उन क्षेत्रों में वनों पर निर्भर परिवारों से वनों की औसत दूरी उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के लिए क्रमशः 1.8 किमी और 1.4 किमी है। सभी क्षेत्रों में लगभग सभी पीवीटीजी परिवारों ने वनों पर निर्भरता की सूचना दी है

कि उनके घर जंगल के भीतर नहीं तो उसके सबसे करीब स्थित हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ में गैर-आदिवासियों की सबसे अधिक संख्या वन पर निर्भरता की है। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के भील क्षेत्र में, आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों परिवारों का सबसे कम प्रतिशत वनों पर निर्भरता की सूचना देता है।

मध्य प्रदेश गाँव

आदिवासी 83%

गैर - आदिवासी 68%

पीवीटीजी 100%

छत्तीसगढ़ गाँव

आदिवासी 93%

गैर - आदिवासी 80%

पीवीटीजी 100%

हैं। जिन आदिवासी गांवों को जंगल के करीब बताया गया है, दोनों राज्यों में उनकी जंगल से औसत दूरी 1.4 किमी है। जिन गैर-आदिवासी गांवों को जंगल के करीब बताया गया है, उनकी दोनों राज्यों में औसत दूरी 3 किमी है। सभी पीवीटीजी गांवों के संदर्भ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में समान दूरी क्रमशः 1.9 किमी और 0.6 किमी है।





तालिका 6.17.1, मध्य प्रदेश में भील क्षेत्र, आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवारों से जंगल की औसत दूरी (किमी)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आश्रित परिवारों के लिए औसत दूरी	1.7	1	-
आश्रित परिवारों का प्रतिशत	35.8	5.0	-
गैर-निर्भर परिवारों की औसत दूरी	8.1	23	-
गैर-आश्रित परिवारों का प्रतिशत	64.2	95.0	-

तालिका 6.17.2, मध्य प्रदेश में गोंड क्षेत्र, आजीविका के लिए वन पर निर्भर परिवारों से जंगल की औसत दूरी (किमी)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आश्रित परिवारों के लिए औसत दूरी	2.8	3.8	2.2
आश्रित परिवारों का प्रतिशत	75.1	49.4	95.1
गैर-निर्भर परिवारों की औसत दूरी	7	5	0
गैर-आश्रित परिवारों का प्रतिशत	24.9	50.6	4.9

तालिका 6.17.3, आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवारों से वन की औसत दूरी (किमी), मध्य प्रदेश में अन्य

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आश्रित परिवारों के लिए औसत दूरी	1.4	2.5	1.5
आश्रित परिवारों का प्रतिशत	80.6	43.4	99.2
गैर-निर्भर परिवारों की औसत दूरी	2	3.6	1
गैर-आश्रित परिवारों का प्रतिशत	19.4	56.6	0.8

तालिका 6.18.1, छत्तीसगढ़ में दक्षिण क्षेत्र, आजीविका के लिए वन पर निर्भर परिवारों से जंगल की औसत दूरी (किमी)

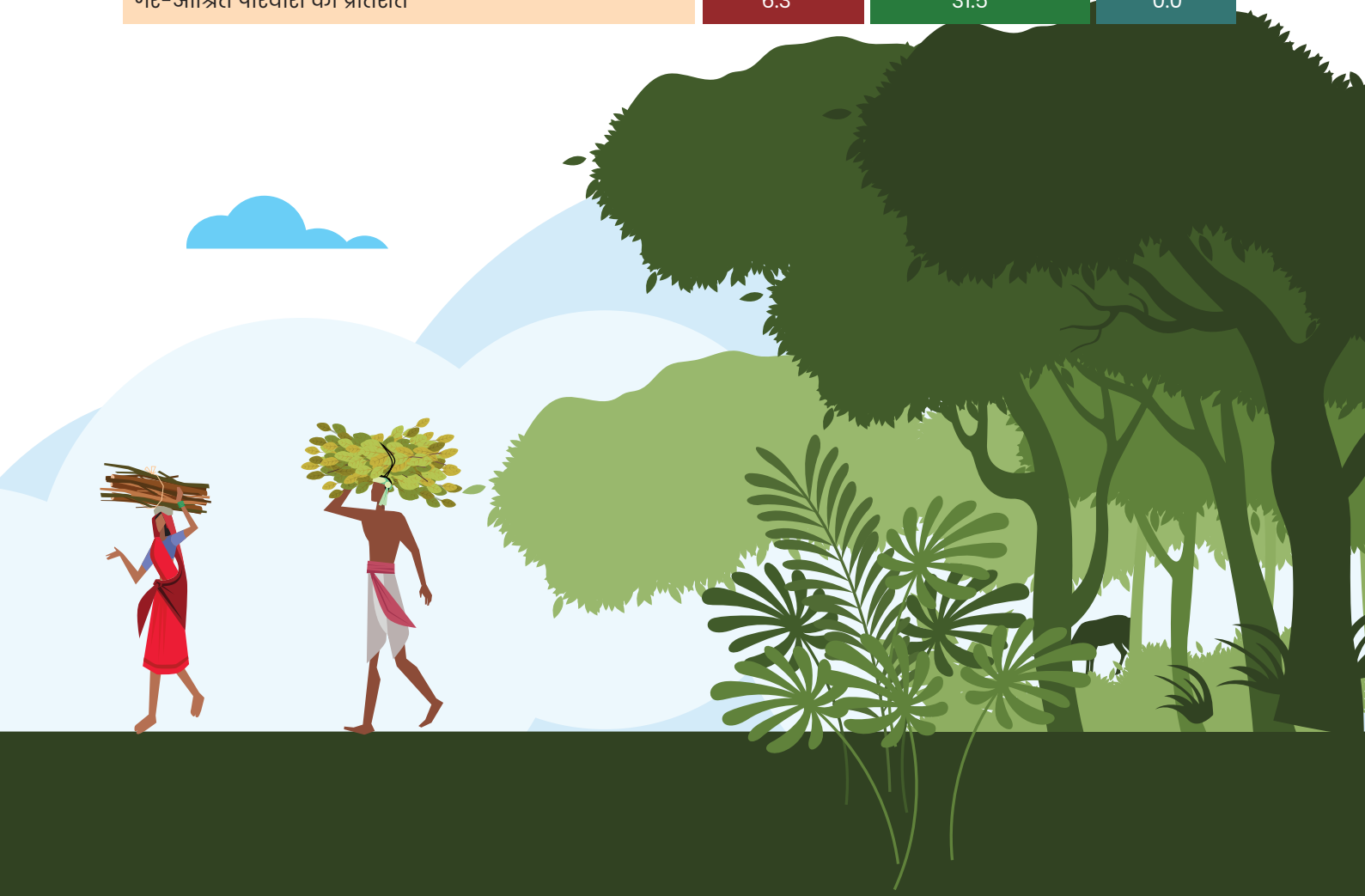
	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आश्रित परिवारों के लिए औसत दूरी	2.4	1.8	0
आश्रित परिवारों का प्रतिशत	85.0	81.0	100.0
गैर-निर्भर परिवारों की औसत दूरी	1.5	2.6	
गैर-आश्रित परिवारों का प्रतिशत	15.0	19.0	0.0

तालिका 6.18.2. आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवारों से जंगल की औसत दूरी (किमी), छत्तीसगढ़ में मध्य क्षेत्र

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आश्रित परिवारों के लिए औसत दूरी	1.4	3.1	0.2
आश्रित परिवारों का प्रतिशत	92.2	38.8	94.7
गैर-निर्भर परिवारों की औसत दूरी	2.8	10.1	0.3
गैर-आश्रित परिवारों का प्रतिशत	7.8	61.3	5.3

तालिका 6.18.3, छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में, आजीविका के लिए वन पर निर्भर परिवारों से जंगल की औसत दूरी (किमी)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आश्रित परिवारों के लिए औसत दूरी	1.8	1.9	0.4
आश्रित परिवारों का प्रतिशत	93.7	68.5	100.0
गैर-निर्भर परिवारों की औसत दूरी	4.4	12.2	
गैर-आश्रित परिवारों का प्रतिशत	6.3	31.5	0.0

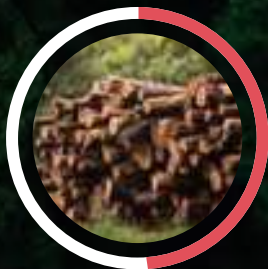




दोनों राज्यों के परिवारों ने स्वयं के उपभोग, बिक्री या दोनों के लिए चारा, ईंधन की लकड़ी, साल और तेंदू (जिसे केंदू के रूप में भी जाना जाता है) के पत्ते और महुआ एकत्र करने की सूचना दी। तालिका 6.19 और 6.20 पारिवारिक उपभोग, बिक्री या दोनों के लिए उपज का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत दर्शाती है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में 49% परिवारों ने जंगल से ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने की सूचना दी; 99.7% इसका उपयोग पारिवारिक उपभोग के लिए करते हैं और 1.1% इसे बेचते हैं। बेचने वालों ने बिक्री से प्रति वर्ष औसतन 4780 रुपये की आय दर्ज की। छत्तीसगढ़ में 68% परिवारों ने जंगल से ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने की सूचना दी; 100% इसे

पारिवारिक उपभोग के लिए उपयोग करते हैं और 0.3% इसे बेचते हैं। ये तालिकाएँ उन उत्तरदाताओं का प्रतिशत भी दर्शाती हैं जिन्होंने बिक्री मूल्य से विभिन्न स्तरों की संतुष्टि की सूचना दी। कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश जहां विभिन्न उत्पादों के लिए वनों पर निर्भरता चारे, महुआ और तेंदू पत्तों के लिए क्रमशः 7%, 19% और 16% है, की तुलना में छत्तीसगढ़ में परिवार न केवल ईंधन की लकड़ी के लिए, बल्कि चारे के लिए 12% परिवार, साल - 10% परिवार, महुआ - 38% परिवार और तेंदू - 36% परिवार भी वन पर अधिक निर्भर हैं। चूंकि हमारे पास वन संग्रहण के लिए स्व-उपभोग का आरोपित मूल्य नहीं है, इससे कुछ हद तक कम आंकलन हुआ है।

मध्य प्रदेश



49%
परिवारों ने जंगल से ईंधन की लकड़ी इकट्ठा की

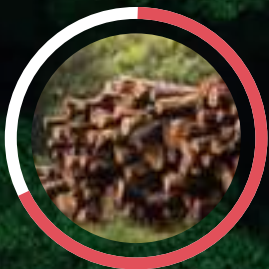
99.7%

पारिवारिक उपभोग के लिए उपयोग

1.1%

बेचते हैं

छत्तीसगढ़



68%
परिवारों ने जंगल से ईंधन की लकड़ी इकट्ठा की

100%

पारिवारिक उपभोग के लिए उपयोग

0.3%

बेचते हैं

तालिका 6.19: मध्य प्रदेश की वन उपजवार आय

		जलावन (ईंधन लकड़ी)	चारा	महुआ	तेंदू
परिवारों द्वारा रिपोर्ट किया गया संग्रहण (%)		48.9	7.0	18.8	16.3
परिवारों ने केवल उपभोग की सूचना दी (%)		98.9	99.5	12.9	7.6
परिवारों ने केवल बिक्री की सूचना दी (%)		0.3	0	70.1	90.9
परिवारों ने बिक्री और खपत दोनों की सूचना दी (%)		0.8	0.5	17	1.4
पिछले वर्ष औसत बिक्री राशि (रुपये में)		4,780	3,000	4,238	2,888
बिक्री मूल्य से संतुष्टि (%)	प्रसन्न	18.8	100	51.7	47
	अधिकतर संतुष्ट	68.8	0	26.3	28.2
	अधिकतर असंतुष्ट	6.3	0	17.9	21.3
	अप्रसन्न	6.3	0	4.1	3.6

तालिका 6.20 छत्तीसगढ़ की वन उपज वार आय

		जलावन (ईंधन लकड़ी)	चारा	साल	महुआ	तेंदू
परिवारों द्वारा रिपोर्ट किया गया संग्रहण (%)		67.9	11.6	10.1	38.3	35.6
परिवारों ने केवल उपभोग की सूचना दी (%)		99.7	100	80.6	39.3	4.5
परिवारों ने केवल बिक्री की सूचना दी (%)		0	0	14.6	42.9	94.5
परिवारों ने बिक्री और खपत दोनों की सूचना दी (%)		0.3	0	4.9	17.7	1
पिछले वर्ष औसत बिक्री राशि (रुपये में)		3,929	0	2,463	5966	3,988
बिक्री मूल्य से संतुष्टि(%)	प्रसन्न	71.4		53.3	56.4	66.5
	अधिकतर संतुष्ट	0		23.3	25.2	24.8
	अधिकतर असंतुष्ट	28.6		16.7	13.5	5.7
	अप्रसन्न	0		6.7	4.8	3

6.5 वनों से आय

तालिका 6.1 और तालिका 6.2 से पता चलता है कि आय दर्ज करने वाले परिवारों की संख्या और वन संग्रहण से औसत आय दोनों के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के मामले में वनों से आय पर निर्भरता अधिक है। मध्य प्रदेश में 29% आदिवासी परिवारों और छत्तीसगढ़ में 51% आदिवासी परिवारों ने वन उपज से आय की सूचना दी। गैर-आदिवासी

परिवारों में, ये आंकड़े 19% और 27% हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पीवीटीजी परिवारों के लिए ये क्रमशः 36% और 74% हैं।

परिवारों ने विभिन्न प्रकार की वन उपज को एकत्र करने की सूचना दी। एकत्रित वन उपज तालिका 6.21 में सूचीबद्ध है।

तालिका 6.21: एनटीएफपी सूची





अलग-अलग बोलियों के कारण मामूली बदलावों के साथ, दोनों राज्यों में काटे गए वन उपज की सूची काफी समान है। कुछ मामलों में, उपज का एक हिस्सा परिवारों द्वारा उपभोग किया जाता था, लेकिन तेंदू पत्ते जैसी कुछ उपज मुख्य रूप से बाजार के लिए एकत्र की जाती है।

तालिकाएँ 6.22 और 6.23 वन उपज से औसत सूचित आय और वन से परिवार की दूरी के बीच संबंध दर्शाती हैं। एनटीएफपी की बिक्री से

औसत पारिवारिक आय में गिरावट आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दो अपवादों के साथ जंगल से गांव की दूरी बढ़ जाती है -

1) जहां जंगल से 3 किमी की दूरी वाले गांवों में जंगल से औसत आय सबसे अधिक है, और

2) जंगल से 5 किमी दूर के गांवों के लिए औसत आय, जंगल से 4 किमी की दूरी वाले गांवों की तुलना में अधिक है।

तालिका 6.22: मध्य प्रदेश में गाँव की जंगल से दूरी और औसत वन-आधारित वार्षिक आय

दूरी (किमी)	एनटीईपी से औसत आय (रुपये)	परिवारों की संख्या
0	6,108	256
1	5,316	293
2	5,130	135
3	6,669	67
4	4,248	22
5 किमी या अधिक	4,594	95





तालिका 6.23: छत्तीसगढ़ में जंगल से गाँव की दूरी और औसत वन आधारित वार्षिक आय

दूरी (किमी)	एनटीईपी से औसत आय (रुपये)	परिवारों की संख्या
0	9,715	621
1	6,727	382
2	6,443	229
3	5,610	96
4	4,955	37
5 किमी या अधिक	4,927	94



क्षेत्रवार भी वनों से होने वाली आय में काफी भिन्नताएं हैं। मध्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों द्वारा वन उपज से सबसे अधिक औसत वार्षिक आय 10,000 रुपये से अधिक दर्ज की गई थी। आदिवासी परिवारों द्वारा बताई गई जंगल से सबसे कम आय मध्य प्रदेश के भील क्षेत्र से है। पीवीटीजी परिवारों ने उत्तरी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक औसत आय दर्ज की।

तालिका: 6.24.1, भील क्षेत्र मध्य प्रदेश में वन से औसत आय

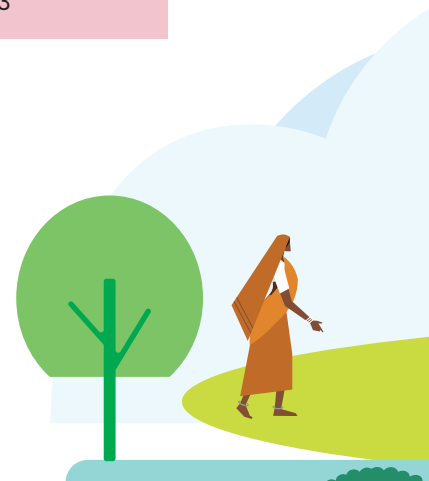
	वन उपज से औसत आय	परिवार, जिन्होंने सूचित किया
आदिवासी	4928	19
गैर-आदिवासी		0
पीवीटीजी		0

तालिका 6.24.2, गोंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश में वन से औसत आय

	वन उपज से औसत आय	परिवार, जिन्होंने सूचित किया
आदिवासी	5495	339
गैर-आदिवासी	5453	30
पीवीटीजी	6301	66

तालिका 6.24.3, अन्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश में वन से औसत आय

	वन उपज से औसत आय	परिवार, जिन्होंने सूचित किया
आदिवासी	5495	299
गैर-आदिवासी	4106	32
पीवीटीजी	5787	83



तालिका 6.25.1, दक्षिण क्षेत्र छत्तीसगढ़ में वन से औसत आय

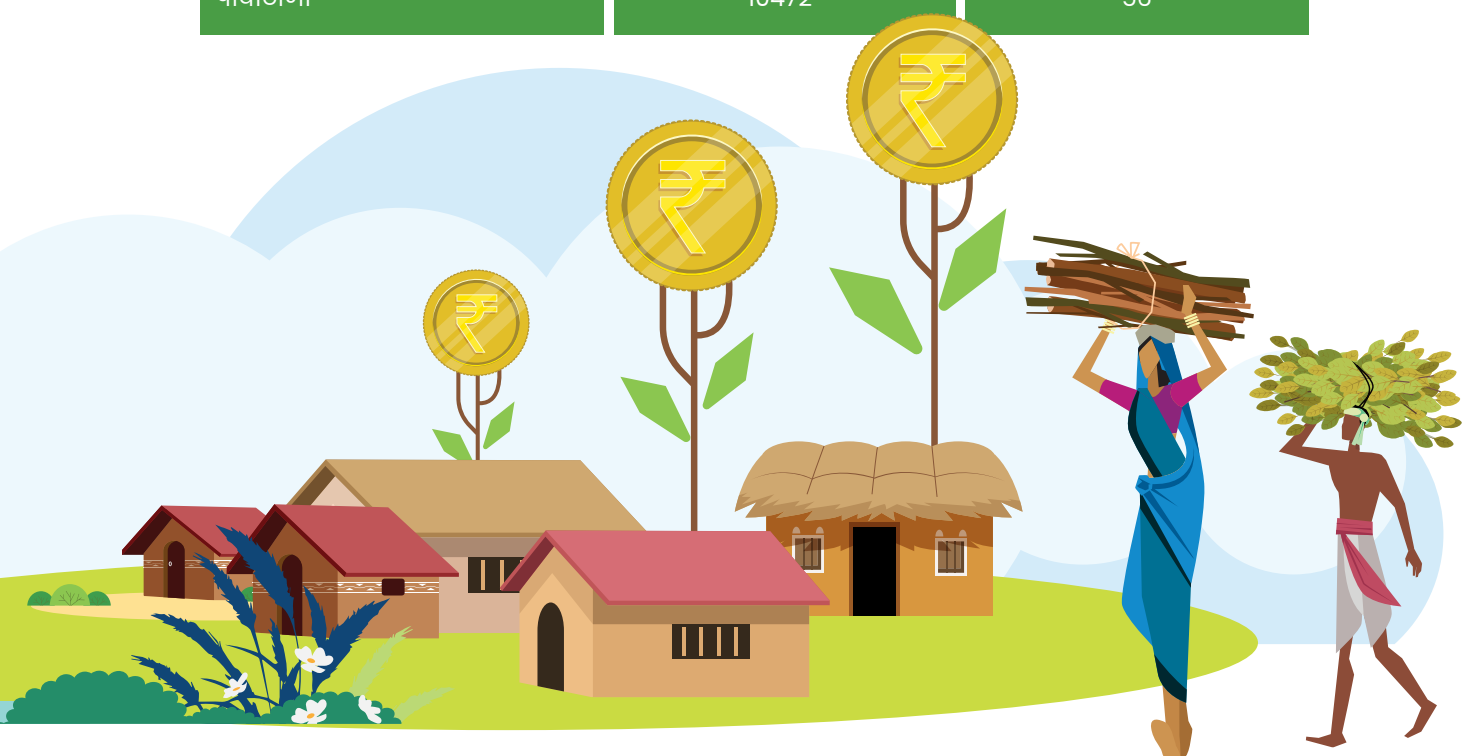
	वन उपज से औसत आय	परिवार, जिन्होंने सूचित किया
आदिवासी	5798	393
गैर-आदिवासी	6994	84
पीवीटीजी	4474	35

तालिका 6.25.2, मध्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में वन से औसत आय

	वन उपज से औसत आय	परिवार, जिन्होंने सूचित किया
आदिवासी	10083	507
गैर-आदिवासी	5605	19
पीवीटीजी	8176	49

तालिका 6.25.3, उत्तरी क्षेत्र छत्तीसगढ़ में वन से औसत आय

	वन उपज से औसत आय	परिवार, जिन्होंने सूचित किया
आदिवासी	6704	286
गैर-आदिवासी	3920	30
पीवीटीजी	10472	56





6.6

प्रति व्यक्ति आय

तालिका 6.1 से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी परिवारों की औसत वार्षिक आय रु.73,900 है। परिवार के 4.8 के औसत आकार को देखते हुए (औसत घरेलू आकार के लिए, अध्याय 5 में तालिका 5.1 और 5.2 देखें), औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय रु. 15,396 है। गैर-आदिवासी परिवारों के लिए यह संख्या रु.19,098 और पीवीटीजी परिवारों के लिए 14,622 रुपये है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी, गैर-आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय क्रमशः रु.11,930 रु.12,801, और रु. 11,028 है। यह डेटा दोनों राज्यों में आदिवासी परिवारों की समग्र आय गरीबी को प्रस्तुत करता है।

तालिका 6.6 और 6.8 से पता चलता है कि केवल मध्य प्रदेश में आदिवासी परिवारों के मामले में वन आय का योगदान 2.1% है। पीवीटीजी के संदर्भ में यह 6.5% है। छत्तीसगढ़ में यह थोड़ा अधिक है, आदिवासी परिवारों के संदर्भ में 7.5% और पीवीटीजी परिवारों के संदर्भ में 13.8% है।

एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय रु. 1,33,000 तक पहुंचने की संभावना है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित रु. 1,40,000 है²। एसएएल- 2022 से प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और औसत प्रति व्यक्ति घरेलू प्रयोज्य आय के बीच स्पष्ट असमानता को समझाने वाला एक नोट नीचे दिया गया है।

एसएएल 2022 से प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद और औसत प्रति व्यक्ति घरेलू प्रयोज्य आय के बीच स्पष्ट असमानता पर एक नोट

सबसे पहला, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) और एसएएल सर्वेक्षण से प्रति व्यक्ति घरेलू आय, ये दोनों आंकड़े तुलनीय नहीं हैं। प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद कुल घरेलू उत्पाद को जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। कुल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन गतिविधियों में जोड़े गए मूल्य का योग है। इसमें न केवल परिवार, बल्कि कंपनियां भी शामिल हैं। घरेलू आर्थिक उत्पाद का केवल एक अंश ही परिवारों द्वारा अर्जित किया जाता है। ग्रामीण परिवारों द्वारा अर्जित अर्थव्यवस्था के घरेलू उत्पाद का अंश और भी छोटा अंश होगा। इसलिए, प्रति व्यक्ति घरेलू प्रयोज्य आय अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति घरेलू

उत्पाद से कम होगी, जब तक कि पूरी अर्थव्यवस्था उन मालिकों से न बनी हो, जिनकी आय उनकी व्यावसायिक गतिविधि में जोड़ा गया मूल्य है या फर्म का सभी मूल्यवर्धन (मुनाफा) निगमों द्वारा व्यक्तिगत शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान किया जाता है। चूंकि बड़े निगम हैं और उनके द्वारा अर्जित सारा लाभ लाभांश के रूप में वापस नहीं किया जाता है, घरेलू प्रयोज्य आय प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद से कम होगी। वास्तव में, ओईसीडी देशों³ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद और डिस्पोजेबल प्रति व्यक्ति घरेलू आय के बीच अंतर को मान्यता दी गई है।



एसएसएल के मामले में, सर्वेक्षण डेटा से प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) और औसत प्रति व्यक्ति घरेलू आय का अंतर राज्य स्तर से अधिक होने की संभावना है क्योंकि सर्वेक्षण मुख्य रूप से उन ब्लॉकों के ग्रामीण आदिवासी परिवारों पर केंद्रित है, जो मुख्य रूप से आदिवासी हैं। कोई उम्मीद कर सकता है कि ग्रामीण जनजातीय आय का औसत ग्रामीण आय की तुलना में कम होगा, जो फिर से राज्य-स्तरीय घरेलू आय की तुलना में कम होने की

उम्मीद है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 4 के 76वें दौर (2018) तक तालिका 1 में ऐसा विशिष्ट पैटर्न देखा जा सकता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) आय का नहीं बल्कि उपभोग का मूल्य दर्ज करता है। लेकिन गरीब परिवारों के लिए, पीडीएस जैसी सब्सिडी वाली खपत यदि अधिक नहीं है, को ध्यान में रखते हुए, व्यय आय के करीब होने की संभावना है।

तालिका 6.26: एनएसएस 76वें दौर (2018) से मासिक उपभोक्ता व्यय - रुपये में

मध्य प्रदेश		छत्तीसगढ़	
जनजातीय	6155	जनजातीय	5317
ग्रामीण	7000	ग्रामीण	5947
सभी	8793	सभी	7892
खरगोन		बस्तर	
जनजातीय	6125	जनजातीय	4275
ग्रामीण	7248	ग्रामीण	4383

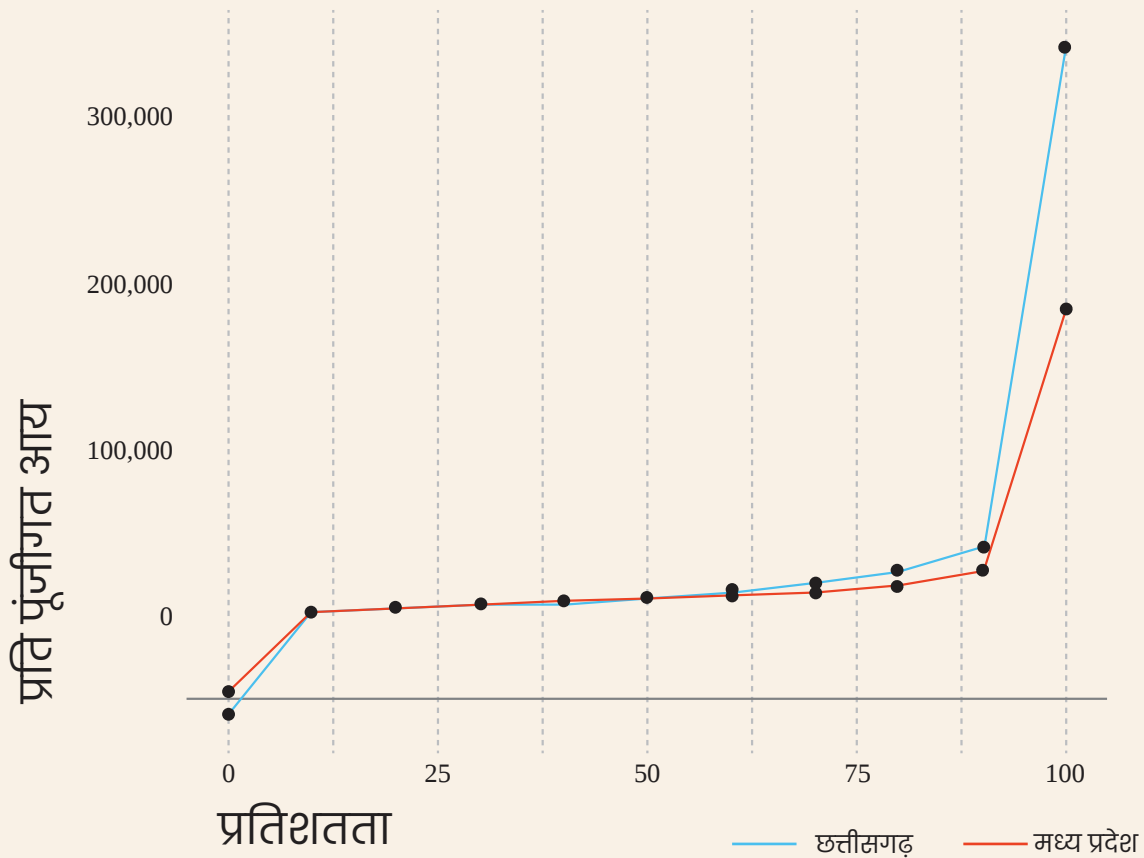
एनएसएस 76 वें दौर (2018) के अनुसार, मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए ग्रामीण आदिवासी परिवारों का औसत मासिक उपभोक्ता व्यय रु.6155 और रु.8793 है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में संबंधित आंकड़े रु. क्रमशः रु.5317 और 7892 हैं।





चित्र 6.1: प्रति व्यक्ति आय का वितरण

प्रति व्यक्ति आय का प्रतिशत: जनजातीय परिवार

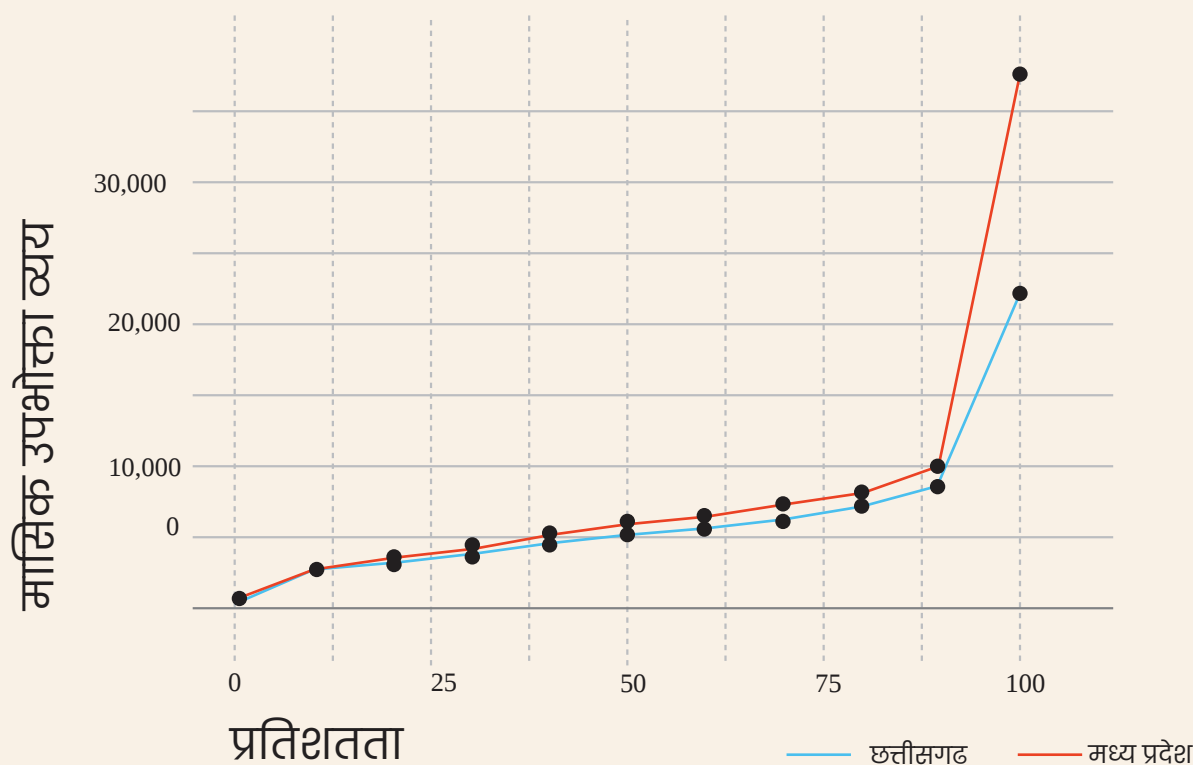


एसएएल डेटा में, हमारे पास प्रत्येक राज्य में लगभग 10% आदिवासी परिवार हैं जिन्होंने नकारात्मक या लगभग शून्य आय की सूचना दी है। दूसरे शब्दों में, उनकी आजीविका गतिविधियों में बड़ा नुकसान हुआ है। इन नकारात्मक कमाई ने औसत कमाई को कम कर दिया है। दूसरी ओर, उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले बहुत कम परिवार हैं। छत्तीसगढ़ में 90वें-100वें प्रतिशत समूह के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय 46463 रुपये है। मध्य प्रदेश के लिए रुपये 69959 है। अतः प्रति व्यक्ति औसत आय कम बनी हुई है।



चित्र 6.2: एनएसएस 76वां दौर, मासिक उपभोक्ता व्यय

मासिक उपभोक्ता व्यय: ग्रामीण जनजातीय परिवार एनएसएस 76वां राउंड (2018)



चित्र 1 और चित्र 2 से पता चलता है कि एसएएल में परिवारों का वितरण पहले दशमलव को छोड़कर एनएसएस 76वें दौर में जो देखा गया है, उससे मौलिक रूप से भिन्न नहीं है। चूंकि एनएसएस खपत को रिकॉर्ड करता है, इसलिए इसमें हमेशा इसके लिए सकारात्मक मूल्य होते हैं जबकि एसएएल कमाई को रिकॉर्ड करता है, जो तब नकारात्मक हो सकता है जब परिवारों को बड़ा नुकसान होता है।

एसएएल के दूसरे दौर के साथ एनएसएस 76वें दौर की तुलना से चिंताजनक अवलोकन यह है कि वर्ष 2021-22 में एसएएल से होने वाली आय 2018 में प्रतिशत के मुकाबले खपत से कम है। लेकिन इसे इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि एसएएल ने पीडीएस से उत्पन्न होने वाली अनुमानित आय और प्राप्त किसी भी अन्य सहायता का हिसाब नहीं दिया है। एसएएल यह गणना करता है कि एक परिवार विभिन्न आजीविका चैनलों के माध्यम से क्या कमाता

है, जबकि एनएसएस यह गणना करता है कि एक परिवार विभिन्न चैनलों के माध्यम से कितना उपभोग करता है। निम्न आय स्तर वाले परिवारों के लिए, ऐसे परिवारों के जीवन में कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका को देखते हुए उपभोग आय से अधिक हो सकता है।

एकमात्र बिंदु जिसने शायद एसएएल संख्याओं में व्यवस्थित गिरावट को प्रेरित किया है वह मूल नमूना इकाई में स्तरीकरण की अनुपस्थिति है। एसएएल सर्वेक्षण में गांव में सर्वेक्षण किए जाने वाले 20 परिवारों को इन परिवारों की आय के प्राथमिक अनुमान के आधार पर बिना किसी स्तरीकरण के यादृच्छिक रूप से चुना गया था। ग्रामीण स्तर पर एनएसएस नमूने को मकान सूचीकरण और आय के प्राथमिक अनुमान के माध्यम से आय वर्गों में उप-नमूना किया गया है।



संदर्भ

¹ https://www.business-standard.com/article/economy-policy/chhattisgarh-gsdp-to-grow-by-8-at-constant-prices-economic-survey-123030300692_1.html

² <https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/mp-net-per-capita-income-140583-shivraj-related/articleshow/98321930.cms?from=mdr>

³ See Nolan Brian, Roser Max, and Thewissen Stefan GDP per capita versus median household income: what gives rise to divergence over time? Social Macroeconomics: Working paper series, OECD, May 2016

⁴ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सर्वेक्षण के लिए नमूना राज्य के भीतर किसी भी उप-समूह के लिए औसत की गणना करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था।



#07

आजीविका संबंधी परिणाम



यह सर्वेक्षण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों की आजीविका की स्थिति का आकलन करने और गैर-आदिवासी परिवारों के साथ तुलना करने के लिए किया गया था। नमूनाकरण की योजना इसी उद्देश्य पर आधारित थी। हालाँकि, दोनों राज्यों के नमूने को समान रूप से तीन क्षेत्रों-

छत्तीसगढ़ के मामले में दक्षिण, मध्य और उत्तरी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के मामले में भील, गोंड और अन्य आईटीडीपी ब्लॉक क्षेत्र में विभाजित किया गया था। इससे हम दोनों राज्यों में क्षेत्रों के संबंध में आय, आहार विविधता और खाद्य सुरक्षा के बारे में एक सांकेतिक परिदृश्य प्रदान कर पाते हैं।

7.1 विभिन्न क्षेत्रों में आय भिन्नताएँ

इन दोनों राज्यों के सभी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश का भील क्षेत्र आदिवासी और गैर-आदिवासी परिवारों के बारे में सबसे अधिक औसत पारिवारिक आय दर्शाता है। दरअसल, यहां की औसत आय अन्य क्षेत्रों की तुलना में लगभग 1.5 गुना या उससे अधिक है। दोनों राज्यों के

बाकी पांच क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 12,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच है। भील क्षेत्र में, यह बहुत अधिक यानी 24,571 रुपये है।

तालिका-7.1.1, मध्य प्रदेश के भील क्षेत्र में वार्षिक औसत पारिवारिक आय, भारतीय रुपये में

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	99,211	1,45,289	
प्रति व्यक्ति आय	24,571	36,875	
परिवारों की संख्या	820	45	0

तालिका-7.1.2, मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में वार्षिक औसत पारिवारिक आय, भारतीय रुपये में

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	66,724	69,755	79,564
प्रति व्यक्ति आय	15,077	13,800	20,732
परिवारों की संख्या	758	156	81

तालिका-7.1.3, मध्य प्रदेश के अन्य आईटीडीपी ब्लॉक में वार्षिक औसत पारिवारिक आय, भारतीय रुपये में

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	52,597	80,084	61,411
प्रति व्यक्ति आय	12,596	20,034	13,043
परिवारों की संख्या	719	134	120



तालिका-7.2.1, दक्षिणी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में वार्षिक औसत पारिवारिक आय, भारतीय रुपये में

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	54,961	60,092	1,06,223
प्रति व्यक्ति आय	12,137	13,944	17,366
परिवारों की संख्या	742	172	35

तालिका-7.2.2, मध्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में वार्षिक औसत पारिवारिक आय, भारतीय रुपये में

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	57,072	52,980	45,468
प्रति व्यक्ति आय	14,177	14,668	14,198
परिवारों की संख्या	708	159	57

तालिका-7.2.3, उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में वार्षिक औसत पारिवारिक आय, भारतीय रुपये में,

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	49,599	48,033	19,488
प्रति व्यक्ति आय	13,063	12,071	6,969
परिवारों की संख्या	861	168	100





7.2 जिलों में आय में भिन्नता

तीनों श्रेणियों में से प्रत्येक में उत्तरदाता परिवारों की संख्या और जिलों में उनके प्रसार से हम जिलों में आय भिन्नता के बारे में केवल सांकेतिक विवरण दे सके हैं। मध्य प्रदेश में, एक आदिवासी परिवार की सबसे अधिक औसत वार्षिक आय खरगोन (पश्चिम निमाड़) सिवनी और धार में हुई है, जो लगभग 1 लाख रुपये है। बड़वानी, हरदा और उमरिया सहित इन तीन जिलों में गैर-आदिवासी परिवारों की

आय भी अधिक है। छत्तीसगढ़ में, एक आदिवासी परिवार की औसत वार्षिक आय गरियाबंद और बीजापुर जिलों में सबसे अधिक है, जबकि गैर-आदिवासी परिवारों की आय बस्तर और कोंडागांव जिलों में सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी परिवारों की औसत वार्षिक आय नारायणपुर में और मध्य प्रदेश में शहडोल में हुई है।

तालिका 7.3: जिलेवार आय: मध्य प्रदेश

जिले	परिवार की औसत आय (रुपये)				परिवारों की संख्या			
	कुल	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी	कुल	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
बड़वानी	68,572	67,052	96,875	NA	320	300	20	0
छिंदवाड़ा	51,115	47,264	70,817	NA	479	400	79	0
धार	1,00,101	92,299	1,51,999	NA	400	340	60	0
हरदा	78,268	68,330	1,27,460	NA	120	100	20	0
जबलपुर	50,041	49,090	54,697	NA	484	401	83	0
खरगोन (पश्चिम निमाड़)	1,56,403	1,65,105	1,07,384	NA	220	180	40	0
सिवनी	1,04,624	1,06,110	97,156	NA	241	201	40	0
शाहडोल	64,675	66,383	37,665	85,025	242	161	41	40
उमरिया	58,445	51,481	1,03,362	NA	300	260	40	0
श्यामपुर	61,411	NA	NA	61,411	120	0	0	120
मंडला	74,236	NA	NA	74,236	41	0	0	41



तालिका 7.4: जिलेवार आय: छत्तीसगढ़

जिलें	परिवार की औसत आय (रुपये)				परिवारों की संख्या			
	कुल	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी	कुल	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
बस्तर	61,346	58,343	73,065	NA	404	322	82	0
बीजापुर	57,121	60,744	42,538	NA	201	161	40	0
बिलासपुर	55,329	56,178	51,876	NA	304	244	60	0
गरियाबंद	64,990	71,758	58,810	45,468	297	200	40	57
जशपुर	46,916	54,912	45,323	19,488	522	362	60	100
कबीरधाम	45,549	45,828	44,697	NA	81	61	20	0
कोंडागांव	48,358	45,746	61,030	NA	322	262	60	0
कोरिया	40,638	37,150	58,078	NA	240	200	40	0
सूरजपुर	50,290	51,573	44,515	NA	402	321	81	0
नारायणपुर	1,06,223	NA	NA	1,06,223	35	0	0	35
जीपीएम	48,049	47,055	53,093	NA	244	204	40	0





7.3

सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) से लाभ

वर्तमान में सामाजिक कल्याण योजनाओं से मिलने वाले लाभ की गणना पारिवारिक आय के रूप में नहीं की जाती है। इन योजनाओं में, पीडीएस सबसे महत्वपूर्ण है और यह परिवारों को उनकी कमजोरी को काफी हद तक कम करने में मदद करती है। तालिका 7.5 और 7.6 में

दिखाया गया है कि छत्तीसगढ़ के 98% आदिवासी और गैर-आदिवासी परिवारों और 91% पीवीटीजी परिवारों को पीडीएस से चावल प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश में, 91% आदिवासी परिवारों को पीडीएस से चावल और 90% को गेहूं मिला।

तालिका-7.5, मध्य प्रदेश में पीडीएस दुकान से प्राप्त वस्तुओं का प्रतिशत

मद का नाम	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
चावल की खपत की सूचना दी गई	91	70	87
गेहूं की खपत की सूचना दी गई	90	69	86
दालों की खपत की सूचना दी गई	2	4	5
चीनी की खपत की सूचना दी गई	8	5	50
मिट्टी के तेल की खपत की सूचना दी गई	15	15	14
परिवारों की संख्या	2,405	361	201



तालिका- 7.6 छत्तीसगढ़ में पीडीएस दुकान से सामान प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत

मद का नाम	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
चावल की खपत की सूचना दी गई	98	98	91
गेहूँ की खपत की सूचना दी गई	1	1	0
दालों की खपत की सूचना दी गई	22	22	2
चीनी की खपत की सूचना दी गई	96	98	91
मिट्टी के तेल की खपत की सूचना दी गई	24	28	6
परिवारों की संख्या	2,339	520	192





तालिकाएँ 7.7. और 7.8 पीडीएस से वस्तुओं की खरीद के लिए प्रति माह अपनी जेब से पारिवारिक खर्च दर्शाती हैं। इन तालिकाओं की अंतिम पंक्ति सभी वस्तुओं का बाजार मूल्य एक साथ दर्शाती है। छत्तीसगढ़ में सभी श्रेणियों के परिवारों को मध्य प्रदेश की तुलना में

पीडीएस से अधिक लाभ मिलता है। दोनों राज्यों में पीडीएस के जरिये आजीविका गतिविधियों से होनेवाली कम पारिवारिक आय की भरपाई होती है।

तालिका 7.7, मध्य प्रदेश में पीडीएस मदों पर औसत पारिवारिक व्यय (प्रति माह रु.)

मद का नाम	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
चावल का खर्च (जेब से)	9	11	10
गेहूं का खर्च (जेब से)	18	15	19
दालों का खर्च (जेब से)	6	1	1
चीनी व्यय (जेब से)	21	11	24
केरोसिन पर व्यय (जेब से)	94	94	71
कुल व्यय (जेब से)	43	46	55
कुल उपभोग मूल्य (बाजार मूल्य)	865	849	1,098

तालिका 7.8, छत्तीसगढ़ में पीडीएस मदों पर औसत पारिवारिक व्यय (प्रति माह रु.)

मद का नाम	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
चावल का खर्च (जेब से)	23	21	20
गेहूं का खर्च (जेब से)	4	3	#N/A
दालों का खर्च (जेब से)	11	11	10
चीनी व्यय (जेब से)	19	18	19
केरोसिन पर व्यय (जेब से)	81	101	88
कुल व्यय (जेब से)	64	70	45
कुल उपभोग मूल्य (बाजार मूल्य)	1518	1433	1340



7.4 आहार की विविधता

परिवारों में सदस्यों की आहार विविधता को समझने के लिए हमने खाद्य उपभोग स्कोर (एफसीएस) का उपयोग किया, जो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा विकसित एक साधन है। इस साधन का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक-जे में दिया गया है।

अपने अध्ययन में, हम प्रत्येक परिवार की महिला सदस्यों की

एफसीएस और परिवार के बाकी सदस्यों की एफसीएस का अलग-अलग अध्ययन किया। तालिका 7.3 और 7.5 में, 'घर' का अर्थ महिला सदस्यों के अलावा घर के सभी सदस्यों से है। इसी प्रकार, तालिका 7.4 और 7.6 में, घरों की महिला सदस्यों की एफसीएस का मतलब उन महिला सदस्यों की एफसीएस है, जो हमारी प्रश्नावली के उत्तरदाता थे।

तालिका 7.8: परिवारों की आहार विविधता (%): मध्य प्रदेश

	खराब आहार विविधता	बोर्डरलाइन आहार विविधता	स्वीकार्य आहार विविधता	परिवारों द्वारा रिपोर्टिंग(एन)
आदिवासी	4.2	37.1	58.7	1,774
गैर-आदिवासी	2.4	25.4	72.2	291
पीवीटीजी	1.1	34.5	64.4	177

मध्य प्रदेश का डेटा स्वीकार्य आहार विविधता वाले परिवारों के प्रतिशत के संबंध में आदिवासी और गैर-आदिवासी के बीच व्यापक अंतर दर्शाता है। 58.7% आदिवासियों और 72.2% गैर-आदिवासी लोगों के पास स्वीकार्य आहार सेवन है। सीमावर्ती आहार विविधता वाले आदिवासी लोगों का प्रतिशत सीमावर्ती आहार विविधता वाले

गैर-आदिवासी लोगों के प्रतिशत से भी अधिक है। स्वीकार्य आहार विविधता वाले पीवीटीजी का प्रतिशत आदिवासियों में अधिक है। इसके अलावा, 4.2% आदिवासी और 2.4% गैर-आदिवासी परिवारों से तुलना की जाए तो पीवीटीजी परिवारों में केवल 1.1% ही ऐसे हैं, जिनकी आहार विविधता खराब है।

तालिका 7.9: मध्य प्रदेश में परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता

	खराब आहार विविधता	बोर्डरलाइन आहार विविधता	स्वीकार्य आहार विविधता	परिवारों द्वारा रिपोर्टिंग(एन)
आदिवासी	4.2	37.7	58.1	1,774
गैर-आदिवासी	2.7	26.5	70.8	291
पीवीटीजी	1.1	35.6	63.3	177

मध्य प्रदेश में परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता का पैटर्न परिवार के अन्य सदस्यों के समान है। हालाँकि, स्वीकार्य आहार विविधता रखने वाली महिला सदस्यों का प्रतिशत परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में थोड़ा कम है।



छत्तीसगढ़ का डेटा मध्य प्रदेश की तुलना में स्वीकार्य आहार विविधता वाले सभी श्रेणियों के परिवारों का प्रतिशत बहुत कम दर्शाता है। केवल 36.3% आदिवासी, 42.9% गैर-आदिवासी और केवल 16.8% पीवीटीजी परिवारों के पास स्वीकार्य आहार विविधता है।

19% पीवीटीजी परिवारों में आहार संबंधी विविधता खराब है। सभी वर्ग के अधिकांश परिवार बोर्डरलाइन पर हैं।

तालिका 7.10: परिवार की आहार विविधता(%): छत्तीसगढ़

	खराब आहार विविधता	बोर्डरलाइन आहार विविधता	स्वीकार्य आहार विविधता	परिवारों द्वारा रिपोर्टिंग(एन)
आदिवासी	2.2	61.5	36.3	1,956
गैर-आदिवासी	2.5	54.6	42.9	441
पीवीटीजी	19.0	64.2	16.8	179

तालिका 7.11: छत्तीसगढ़ में परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता

	खराब आहार विविधता	बोर्डरलाइन आहार विविधता	स्वीकार्य आहार विविधता	परिवारों द्वारा रिपोर्टिंग(एन)
आदिवासी	2.0	61.9	36.1	1,956
गैर-आदिवासी	2.0	54.2	43.8	441
पीवीटीजी	19.6	64.2	16.2	179

छत्तीसगढ़ में, परिवार की महिला सदस्यों की आहार विविधता भी परिवार के अन्य सदस्यों की तरह ही होती है।

दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ का मध्य क्षेत्र खराब आहार विविधता वाले आदिवासी परिवारों का सबसे कम प्रतिशत(0.6%) दर्शाता है और छत्तीसगढ़ का दक्षिण क्षेत्र खराब आहार विविधता वाले पीवीटीजी परिवारों का सबसे कम प्रतिशत(0%) दर्शाता है।

क्षेत्र-वार भी, आहार विविधता स्कोर (एफसीएस) में भिन्नता है। भील क्षेत्र में स्वीकार्य आहार विविधता वाले आदिवासी(81%) और गैर-आदिवासी(93%)परिवारों का प्रतिशत बहुत अधिक है।

तालिका 7.12.1, परिवारों की आहार विविधता (%), मध्य प्रदेश में भील क्षेत्र

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	2.2	2.3	
बोर्डरलाइन (21-35)	16.7	4.7	
स्वीकार्य (>35)	81.1	93.0	

तालिका 7.12.2, मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में परिवारों की आहार विविधता (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	2.7	1.5	1.5
बोर्डरलाइन (21-35)	44.6	31.1	36.4
स्वीकार्य (>35)	52.7	67.4	62.1

तालिका 7.12.3, मध्य प्रदेश में अन्य आईटीडीपी ब्लॉक में परिवारों की आहार विविधता (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	7.3	3.4	0.9
बोर्डरलाइन (21-35)	46.1	26.7	33.3
स्वीकार्य (>35)	46.6	69.8	65.8

तालिका 7.13.1, छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में परिवारों की आहार विविधता (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	2.2	1.4	0.0
बोर्डरलाइन (21-35)	48.9	48.6	56.0
स्वीकार्य (>35)	48.9	50.0	44.0

तालिका 7.13.2, छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में परिवारों की आहार विविधता (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	0.6	2.1	1.8
बोर्डरलाइन (21-35)	66.7	49.3	69.1
स्वीकार्य (>35)	32.7	48.6	29.1

तालिका 7.13.3, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में परिवारों की आहार विविधता (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	3.5	3.9	33.3
बोर्डरलाइन (21-35)	66.1	65.4	63.6
स्वीकार्य (>35)	30.3	30.7	3.0



7.5 पारिवारिक खाद्य सुरक्षा

एफसीएस आहार की विविधता के बारे में जानकारी देता है। यह भोजन की पहुंच और पर्याप्तता को नहीं दर्शाता है। पारिवारिक स्तर पर भोजन की पहुंच और पर्याप्तता को मापने के लिए हमने पारिवारिक खाद्य असुरक्षा पहुंच स्केल (एचएफआईएस) साधन का उपयोग किया। इस साधन का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक-के में दिया गया है।

एफसीएस के समान, प्रत्येक परिवार की महिला सदस्य का एचएफआईएस स्कोर और परिवार के बाकी सदस्यों के एचएफआईएस स्कोर की अलग-अलग गणना की गई। तालिका 7.7 और 7.9 में, 'परिवार' का तात्पर्य उन महिला सदस्यों के अलावा परिवार के सभी सदस्यों से है, जो उत्तरदाता थीं। इसी तरह, तालिका

7.8 और 7.10 में, परिवारों की महिला सदस्यों का एचएफआईएस स्कोर उन महिला सदस्यों को संदर्भित करता है, जो हमारी प्रश्नावली के उत्तरदाता थे।

स्कोर से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में 31.8% आदिवासी, 26.8% गैर-आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों का एक बड़ा प्रतिशत, 60.8% गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित है। 42.8% गैर-आदिवासी परिवार भोजन सुरक्षित हैं जबकि केवल 25.9% आदिवासी और 25.6% पीवीटीजी परिवार भोजन सुरक्षित हैं।

तालिका 7.14: मध्य प्रदेश में परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	25.9	42.8	25.6
कम खाद्य असुरक्षित	18.4	14.4	5.7
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	23.8	16.0	8.0
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	31.8	26.8	60.8

मध्य प्रदेश में परिवारों की महिला सदस्यों के बारे में भी यही स्थिति है। हालाँकि, आदिवासी परिवारों में महिला सदस्यों की खाद्य सुरक्षा अन्य सदस्यों की तुलना में थोड़ी अधिक है।

तालिका 7.15: परिवारों की महिला सदस्यों की खाद्य सुरक्षा: मध्य प्रदेश (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	30.1	43.8	25.6
कम खाद्य असुरक्षित	15.8	14.4	7.4
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	22.5	16.3	6.3
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	31.7	25.5	60.8







छत्तीसगढ़ में, खाद्य सुरक्षित आदिवासी(49.7%)और पीवीटीजी(48.6%)परिवारों का प्रतिशत मध्य प्रदेश के प्रतिशत से लगभग दोगुना है। यहां गैर-आदिवासी खाद्य सुरक्षित परिवारों का प्रतिशत आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों की तुलना में कम है। गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षा वाले परिवारों का प्रतिशत आदिवासी में 27%, गैर-आदिवासी में 28.8% और पीवीटीजी परिवारों के संदर्भ में 41.4% है।

तालिका 7.16: छत्तीसगढ़ में परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	49.7	46.4	48.6
कम खाद्य असुरक्षित	15.3	17.2	4.4
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	8.0	7.6	5.5
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	27.0	28.8	41.4

तालिका 7.17: छत्तीसगढ़ में परिवारों की महिला सदस्यों की खाद्य सुरक्षा:(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	49.3	47.3	48.1
कम खाद्य असुरक्षित	15.0	17.4	4.4
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	9.6	7.4	5.5
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	26.0	27.9	42.0

महिला सदस्यों के मामले में खाद्य सुरक्षा का पैटर्न काफी हद तक छत्तीसगढ़ के परिवारों के बाकी सदस्यों के समान ही है।

क्षेत्रवार भी खाद्य सुरक्षा अलग-अलग होती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में आदिवासी परिवारों का उच्चतम प्रतिशत(58%) खाद्य सुरक्षित है और आदिवासी परिवारों का सबसे कम प्रतिशत(15%) गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित है। मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, 100% पीवीटीजी परिवारों ने भोजन सुरक्षा मिलने की सूचना दी। उसी समय, मध्य छत्तीसगढ़ में 44% आदिवासी परिवारों ने गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित होने की

सूचना दी; यह क्षेत्रों में सबसे अधिक है। उसी क्षेत्र में, गैर-आदिवासी परिवारों में भी गंभीर खाद्य असुरक्षा का प्रतिशत सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में भील और गोंड क्षेत्रों के बाहर अन्य आईटीडीपी ब्लॉक आदिवासी परिवारों के भोजन सुरक्षित होने का प्रतिशत सबसे कम दर्शाते हैं।



तालिका 7.18.1, मध्य प्रदेश के भील क्षेत्र में परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	33.8	45.2	
कम खाद्य असुरक्षित	28.0	21.4	
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	9.4	7.1	
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	28.9	26.2	
परिवारों की संख्या	533	42	0

तालिका 7.18.2, मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	28.2	43.9	23.1
कम खाद्य असुरक्षित	12.8	7.9	10.8
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	17.2	15.8	9.2
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	41.7	32.4	56.9
परिवारों की संख्या	662	139	65

तालिका 7.18.3, मध्य प्रदेश के अन्य आईटीडीपी ब्लॉक में परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	17.1	40.8	27.0
कम खाद्य असुरक्षित	16.4	19.2	2.7
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	42.4	19.2	7.2
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	24.1	20.8	63.1
परिवारों की संख्या	648	125	111





तालिका 7.19.1, छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में परिवारों की खाद्य सुरक्षा (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	57.9	61.6	92.3
कम खाद्य असुरक्षित	21.2	12.6	3.8
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	6.2	9.9	0.0
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	14.7	15.9	3.8
परिवारों की संख्या	585	151	26

तालिका 7.19.2, छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	38.0	32.6	100.0
कम खाद्य असुरक्षित	9.0	12.5	0.0
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	8.5	4.2	0.0
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	44.4	50.7	0.0
परिवारों की संख्या	655	144	55

तालिका 7.19.3, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	53.4	44.4	9.0
कम खाद्य असुरक्षित	16.2	26.1	7.0
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	8.9	8.5	10.0
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	21.5	20.9	74.0
परिवारों की संख्या	785	153	100

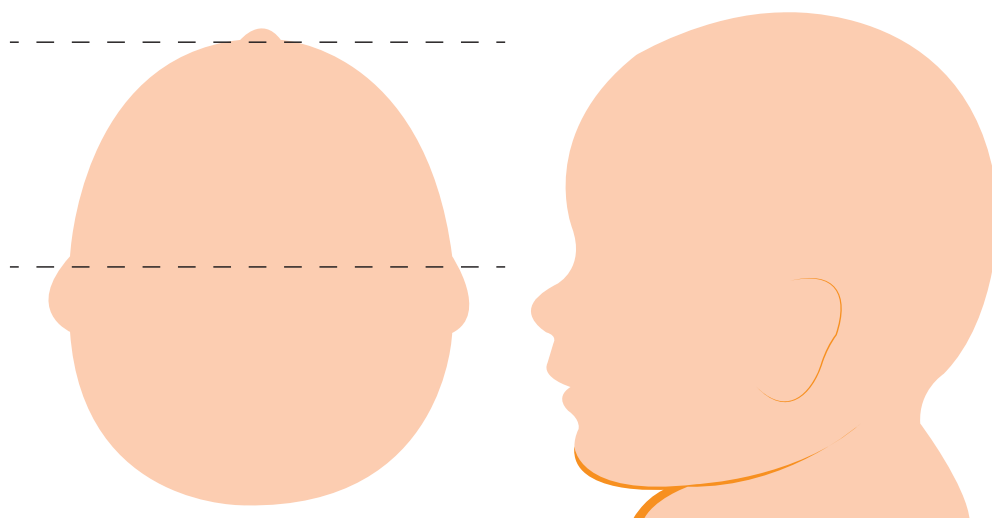


7.4 पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सिर का घेरा

सिर का घेरा पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का एक संकेतक है। किसी भी बच्चे के सिर का घेरा अनुशंसित जनसंख्या स्कोर के 3-97 प्रतिशत के भीतर होना चाहिए।

मध्य प्रदेश में, आदिवासी, गैर-आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों में कुपोषण(3-97 प्रतिशत के बाहर) के साथ पांच साल से कम उम्र के पुरुष बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 52.2%, 63.3% और 61.4% है

(तालिका 7.11 देखें जिसमें बच्चे का प्रतिशत 3-97 प्रतिशत के भीतर दर्शाता है)। आदिवासी परिवारों में बच्चियों के बारे में स्थिति लगभग समान है, गैर-आदिवासी परिवारों में बेहतर और पीवीटीजी परिवारों में बदतर है।



तालिका 7.20: मध्य प्रदेश में पुरुष और महिला बच्चों के सिर का घेरा (60 महीने तक की आयु)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
3-97 प्रतिशत(%) में सिर की परिधि वाले पुरुष बच्चे	47.8	36.7	38.6
60 महीने तक की आयु वाले पुरुष बच्चों की संख्या का आकलन किया गया	276	30	44
3-97 प्रतिशत (%) में सिर का घेरा वाली बच्चियाँ	48.3	51.9	27.5
60 महीने तक की आयु वाली बच्चियों की संख्या का आकलन किया गया	240	27	40

छत्तीसगढ़ में आदिवासी, गैर-आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों के पांच साल से कम उम्र के पुरुष बच्चे क्रमशः 42.7%, 41.3% और 54.2% कुपोषण से पीड़ित हैं। गैर-आदिवासी (32.6%) और पीवीटीजी (35.7%) के मामले में कुपोषण से ग्रस्त महिला बच्चों का

प्रतिशत उन श्रेणियों में पुरुष बच्चों की तुलना में बहुत कम है। आदिवासियों में बच्चियों के मामले में स्थिति थोड़ी खराब है (तालिका 7.20 देखें)।



तालिका 7.21: छत्तीसगढ़ में पुरुष और महिला बच्चों के सिर का घेरा (60 महीने तक की आयु):

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
3-97 प्रतिशतक(%) में सिर की परिधि वाले पुरुष बच्चे	57.3	58.7	45.8
60 महीने तक की आयु वाले पुरुष बच्चों की संख्या का आकलन किया गया	239	46	24
3-97 प्रतिशतक (%) में सिर का घेरा वाली बच्चियां	56.0	67.4	64.3
60 महीने तक की आयु वाली बच्चियों की संख्या का आकलन किया गया	216	43	14

संदर्भ

Dietary diversity:

Dietary diversity, as defined by the World Health Organization (WHO), refers to the variety and number of different food groups consumed by individuals or households over a specific period. It measures the extent to which an individual's diet incorporates a wide range of food groups, reflecting the nutritional quality and adequacy of their food intake (for more details, see Annexure - J).

Household Food security:

Household food security is defined as the availability, adequacy, and utilization of food within a household (for more details, see Annexure -K).

#08

आदिवासी समाज में महिलाएँ और आजीविकाएँ



इस अध्ययन के दौरान आयोजित फोकस ग्रुप डिस्कशन (एफजीडी) और व्यक्तिगत साक्षात्कार (पीआई) में, यह कई बार साझा किया गया कि आदिवासी समाज की आदिवासी महिलाएं गैर-आदिवासी समाज के अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। वे अधिक गतिशील और स्वायत्त हैं। उनके लिए काम के लिए बाहर निकलना और बाजार जाना कोई वर्जित नहीं है।

तथापि, यह भी साझा किया गया कि आदिवासी महिलाएँ अधिकांश घरेलू काम करती हैं, वे जंगलों में भी जाती हैं और ईंधन की लकड़ी और अन्य वन उत्पाद इकट्ठा करती हैं, और वे खेती में अधिकांश काम करती हैं। एफजीडी में यह साझा किया गया कि आदिवासी महिलाएँ कड़ी मेहनत करती हैं और लगभग पूरे दिन काम करती हैं; कभी-कभी उन्हें न चाहते हुए भी बाहर मजदूरी करनी पड़ती है क्योंकि अन्यथा, पारिवारिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। वे सब्जियां बेचने और दैनिक उपयोग की चीजें खरीदने बाजार जाती हैं।



जब घर का कोई पुरुष सदस्य प्रवासन करता है, तो उनके पीछे घर में रुकनेवाली महिलाओं को जो पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है। अगर उन्हें कुछ खरीदना हो या कहीं जाना हो तो वे ऐसा नहीं कर पाती। परिवार की महिला के काम-काज दोगुने हो जाते हैं। महिलाएं जब प्रवासन करती हैं, तो कई मामलों में, उनके बच्चे वहीं रह जाते हैं और घर के अन्य बुजुर्ग लोग उनकी देखभाल करते हैं। कई मामलों में तो पूरा परिवार ही प्रवासन करता है। दोनों ही स्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है।

प्रथागत परंपराओं/कानूनों, भूमिका के विभाजन, तथा निर्णय लेने आदि में लैंगिक भेदभाव दिखाई देता है। प्रथागत कानून में महिलाओं को भूमि के अधिकार से वंचित रखा जाता है और ये कानून व्यक्तियों के सापेक्ष समुदाय को प्राथमिकता देने के अपने मान के साथ इसे उचित ठहराते हैं। बदलते समय के साथ महिलाओं की स्थिति और लैंगिक संबंध भी बदल रहे हैं। इसमें मीडिया की प्रभावशाली भूमिका है। सीएसओ और सरकार महिला संगठनों, एसएचजी और सहयोगी

स्तरों को मजबूत करने और गांव में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ महिला उत्तरदाताओं, जो एसएचजी का भी हिस्सा हैं, ने साझा किया कि इससे महिलाओं को परिवार के साथ-साथ गांव में भी निर्णय लेने पर कुछ नियंत्रण रखने में मदद मिली है। भूमि पर महिलाओं के स्वामित्व से संबंधित कुछ सुविधाजनक नीतियों ने भी आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति को बदलने में मदद की है। इस अध्याय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी आजीविका परिदृश्यों में महिलाओं की स्थिति पर डेटा प्रस्तुत किया गया है। इनमें से कुछ डेटा पिछले अध्यायों की पुनरावृत्ति भी हो सकता है।





8.1 मोबाइल और स्मार्टफोन का स्वामित्व



मध्य प्रदेश

आदिवासी 66%

बस्तियों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज है



छत्तीसगढ़

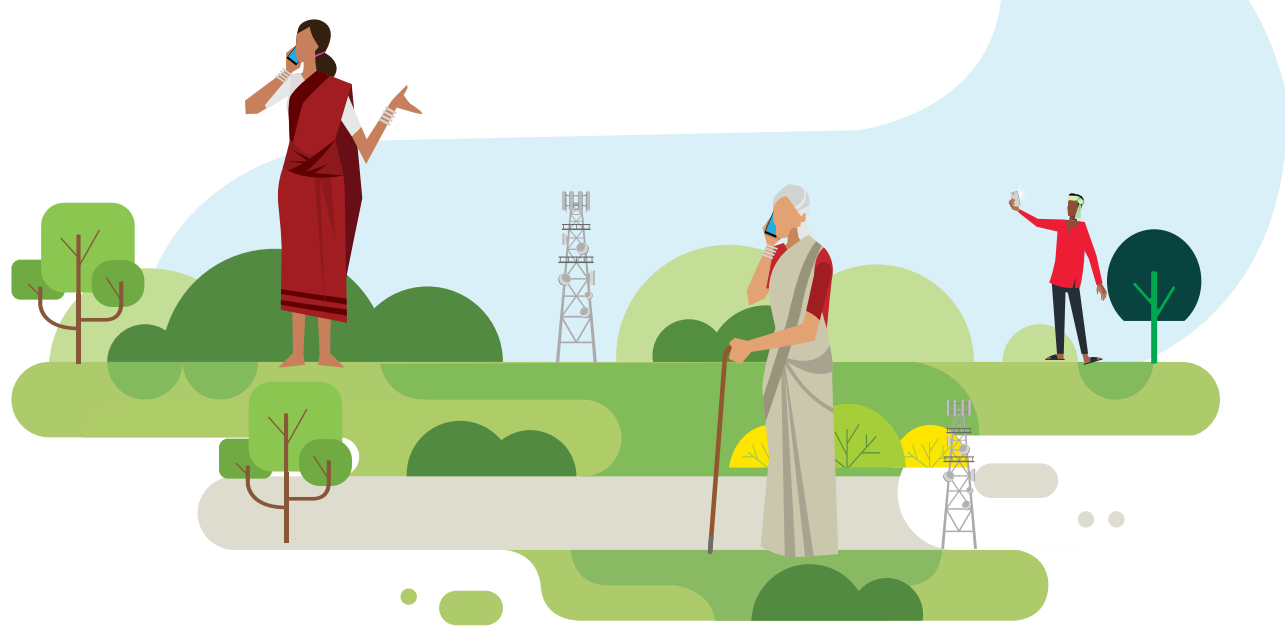
आदिवासी 72%

महिला सदस्य

आदिवासी 6.9%

आदिवासी 11.2%

आदिवासी परिवारों की महिला सदस्यों के पास अपना मोबाइल फोन है



तालिका 8.1: मध्य प्रदेश में परिवारों की महिला सदस्यों में मोबाइल फोन का स्वामित्व(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
जिन परिवारों की महिला सदस्यों के पास मोबाइल फोन है	6.9	13.5	6.5
महिलाएं, जिनके पास स्मार्ट फ़ोन है	4.0	8.9	3.9

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
जिन परिवारों की महिला सदस्यों के पास मोबाइल फोन है	11.2	17.6	4.4
महिलाएं, जिनके पास स्मार्ट फ़ोन है	7.2	12.7	2.6

8.2 क्षेत्रवार कार्यात्मक साक्षरता

क्षेत्र-वार कार्यात्मक साक्षरता परिणाम से पता चलता है कि साक्षरता परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सबसे अधिक है। 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली गैर-आदिवासी महिलाओं का प्रतिशत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छह क्षेत्रों में से दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है।

आदिवासी परिवारों की महिलाओं का औसत साक्षरता स्कोर उत्तरी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। गैर-आदिवासी परिवारों की महिलाओं का औसत साक्षरता स्कोर दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है और पीवीटीजी परिवारों की महिलाओं का औसत साक्षरता स्कोर मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में सबसे अधिक है।



तालिका 8.3.1, भील क्षेत्र, मध्य प्रदेश में महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
औसत पढ़ने का स्कोर (10 में से)	1.5	2.8	
औसत लेखन स्कोर (10 में से)	1.6	4.3	
औसत संख्यात्मक अंक (10 में से)	1.6	2.5	
औसत कार्यात्मक साक्षरता स्कोर (30 में से)	4.7	9.7	
कार्यात्मक साक्षरता परीक्षा देने वाली परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या	521	42	
पढ़ने में 80% से अधिक अंक पाने वाली महिलाओं का प्रतिशत	10.7	11.9	
लेखन में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	12.9	38.1	
अंकगणित परीक्षण में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	2.3	2.4	
80% से अधिक समग्र कार्यात्मक साक्षरता स्कोर वाली महिलाओं की कुल संख्या का प्रतिशत	4.2	9.5	



तालिका 8.3.2, गोंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश में महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
औसत पढ़ने का स्कोर (10 में से)	2.5	3.0	2.4
औसत लेखन स्कोर (10 में से)	3.0	3.9	2.2
औसत संख्यात्मक अंक (10 में से)	1.9	2.6	1.6
औसत कार्यात्मक साक्षरता स्कोर (30 में से)	7.4	9.6	6.1
कार्यात्मक साक्षरता परीक्षा देने वाली परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या	652	136	67
पढ़ने में 80% से अधिक अंक पाने वाली महिलाओं का प्रतिशत	15.8	17.6	22.4
लेखन में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	25.2	32.4	17.9
अंकगणित परीक्षण में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	14.3	20.6	11.9
80% से अधिक समग्र कार्यात्मक साक्षरता स्कोर वाली महिलाओं की कुल संख्या का प्रतिशत	14.3	21.3	13.4

तालिका 8.3.3, मध्य प्रदेश के अन्य आईटीडीपी ब्लॉक में महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
औसत पढ़ने का स्कोर (10 में से)	1.7	2.8	0.3
औसत लेखन स्कोर (10 में से)	2.3	4.6	0.5
औसत संख्यात्मक अंक (10 में से)	1.3	2.8	1.2
औसत कार्यात्मक साक्षरता स्कोर (30 में से)	5.3	10.2	2.0
कार्यात्मक साक्षरता परीक्षा देने वाली परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या	633	119	109
पढ़ने में 80% से अधिक अंक पाने वाली महिलाओं का प्रतिशत	8.4	10.9	0.0
लेखन में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	14.7	36.1	1.8
अंकगणित परीक्षण में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	5.7	12.6	2.8
80% से अधिक समग्र कार्यात्मक साक्षरता स्कोर वाली महिलाओं की कुल संख्या का प्रतिशत	6.6	10.1	1.8

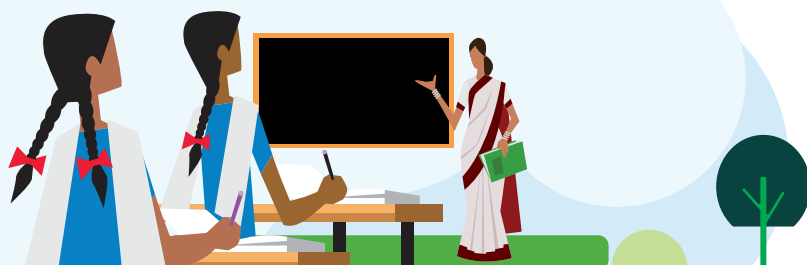


तालिका 8.4.1, दक्षिण क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
औसत पढ़ने का स्कोर (10 में से)	2.0	3.6	0.4
औसत लेखन स्कोर (10 में से)	2.4	3.7	0.4
औसत संख्यात्मक अंक (10 में से)	1.7	3.2	0.4
औसत कार्यात्मक साक्षरता स्कोर (30 में से)	6.1	10.5	1.1
कार्यात्मक साक्षरता परीक्षा देने वाली परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या	561	151	26
पढ़ने में 80% से अधिक अंक पाने वाली महिलाओं का प्रतिशत	13.0	32.5	3.8
लेखन में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	17.6	30.5	3.8
अंकगणित परीक्षण में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	10.7	23.2	3.8
80% से अधिक समग्र कार्यात्मक साक्षरता स्कोर वाली महिलाओं की कुल संख्या का प्रतिशत	12.5	26.5	3.8

तालिका 8.4.2, मध्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
औसत पढ़ने का स्कोर (10 में से)	2.4	3.7	0.7
औसत लेखन स्कोर (10 में से)	2.6	3.9	0.8
औसत संख्यात्मक अंक (10 में से)	1.8	2.9	0.3
औसत कार्यात्मक साक्षरता स्कोर (30 में से)	6.8	10.5	1.8
कार्यात्मक साक्षरता परीक्षा देने वाली परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या	647	140	54
पढ़ने में 80% से अधिक अंक पाने वाली महिलाओं का प्रतिशत	16.7	27.9	1.9
लेखन में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	19.2	29.3	5.6
अंकगणित परीक्षण में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	10.5	18.6	0.0
80% से अधिक समग्र कार्यात्मक साक्षरता स्कोर वाली महिलाओं की कुल संख्या का प्रतिशत	13.3	22.1	0.0





तालिका 8.4.3, उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
औसत पढ़ने का स्कोर (10 में से)	3.4	3.4	0.5
औसत लेखन स्कोर (10 में से)	3.9	3.7	0.5
औसत संख्यात्मक अंक (10 में से)	3.1	2.9	0.7
औसत कार्यात्मक साक्षरता स्कोर (30 में से)	10.3	10.1	1.6
कार्यात्मक साक्षरता परीक्षा देने वाली परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या	779	150	100
पढ़ने में 80% से अधिक अंक पाने वाली महिलाओं का प्रतिशत	21.8	28.0	2.0
लेखन में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	34.8	33.3	4.0
अंकगणित परीक्षण में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	23.0	22.0	3.0
80% से अधिक समग्र कार्यात्मक साक्षरता स्कोर वाली महिलाओं की कुल संख्या का प्रतिशत	22.8	23.3	3.0

8.3 आहार विविधता

महिला सदस्य

मध्य प्रदेश

आदिवासी

58%

पीवीटीजी

63%

परिवारों की महिलाओं में स्वीकार्य आहार विविधता है। यहां स्वीकार्य आहार विविधता वाले गैर-आदिवासी परिवारों का प्रतिशत अधिक है।

छत्तीसगढ़

आदिवासी

36%

गैर-आदिवासी

44%

पीवीटीजी

16%

परिवारों में स्वीकार्य आहार विविधता है



तालिका 8.5: मध्य प्रदेश में परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (≤ 21)	4.2	2.7	1.1
बॉर्डरलाइन (21.5-35)	37.7	26.5	35.6
स्वीकार्य (>35)	58.1	70.8	63.3
सूचित करनेवाले परिवार (N)	1,774	291	177

तालिका 8.6: छत्तीसगढ़ में महिला सदस्यों की आहार विविधता(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (≤ 21)	2.0	2.0	19.6
बॉर्डरलाइन (21.5-35)	61.9	54.2	64.2
स्वीकार्य (>35)	36.1	43.8	16.2
सूचित करनेवाले परिवार (N)	1,956	441	179





महिला आहार विविधता के संबंध में अलग-अलग क्षेत्र-वार डेटा से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में भील क्षेत्र में स्वीकार्य आहार विविधता वाले आदिवासी और गैर-आदिवासी परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तथापि, जहां महिलाओं ने खराब आहार विविधता की

सूचना दी है उन आदिवासी और गैर-आदिवासी परिवारों का प्रतिशत मध्य छत्तीसगढ़ के मामले में सबसे कम है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में, पीवीटीजी परिवारों की किसी भी महिला ने खराब आहार विविधता की सूचना नहीं दी।

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (≤ 21)	2.0	2.3	0
बॉर्डरलाइन (21.5-35)	17.5	9.3	0
स्वीकार्य (> 35)	80.5	88.4	0

तालिका 8.7.2, मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (≤ 21)	2.5	1.5	1.5
बॉर्डरलाइन (21.5-35)	45.9	29.5	34.8
स्वीकार्य (> 35)	51.6	68.9	63.6

तालिका 8.7.3, मध्य प्रदेश में अन्य आईटीडीपी ब्लॉक के परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता (%),

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (≤ 21)	7.8	4.3	0.9
बॉर्डरलाइन (21.5-35)	45.8	29.3	36.0
स्वीकार्य (> 35)	46.4	66.4	63.1



तालिका 8.8.1, छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र के परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (≤ 21)	2.4	2.7	0.0
बॉर्डरलाइन (21.5-35)	50.2	47.9	48.0
स्वीकार्य (>35)	47.4	49.3	52.0

तालिका 8.8.2, छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र के परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (≤ 21)	0.5	0.7	1.8
बॉर्डरलाइन (21.5-35)	65.6	49.3	74.5
स्वीकार्य (>35)	34.0	50.0	23.6

तालिका 8.8.3, छत्तीसगढ़ में उत्तरी क्षेत्र के परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (≤ 21)	3.0	2.6	34.3
बॉर्डरलाइन (21.5-35)	67.2	64.7	62.6
स्वीकार्य (>35)	29.8	32.7	3.0





8.4 खाद्य सुरक्षा

मध्य प्रदेश में 32% आदिवासी परिवारों और 61% पीवीटीजी परिवारों की महिलाओं ने बताया कि वे गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में यह प्रतिशत 26 और 48 है। गैर-आदिवासी परिवारों के मामले में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए यही आंकड़े क्रमशः 26% और 28% हैं।

तालिका 8.9: मध्य प्रदेश में महिला सदस्यों की खाद्य सुरक्षा (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	31.7	25.5	60.8
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	22.5	16.3	6.3
कम खाद्य असुरक्षित	15.8	14.4	7.4
खाद्य सुरक्षित	30.1	43.8	25.6
परिवारों की संख्या	1,843	306	176

तालिका 8.10: छत्तीसगढ़ में महिला सदस्यों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	26.0	27.9	42.0
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	9.6	7.4	5.5
कम खाद्य असुरक्षित	15.0	17.4	4.4
खाद्य सुरक्षित	49.3	47.3	48.1
परिवारों की संख्या	2,025	448	181

क्षेत्र-वार अलग-अलग आंकड़ों से पता चलता है कि जहां महिलाओं ने खाद्य सुरक्षा मिलने की सूचना दी है, ऐसे आदिवासी और गैर-आदिवासी परिवारों का प्रतिशत, दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। पीवीटीजी परिवारों का प्रतिशत, जहां महिलाओं ने खाद्य सुरक्षा मिलने की सूचना दी है, मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है।

तालिका 8.11.1, भील क्षेत्र, मध्य प्रदेश में महिला सदस्य परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%),

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	39.4	47.6	
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	23.8	14.3	
कम खाद्य असुरक्षित	9.4	11.9	
खाद्य सुरक्षित	27.4	26.2	
परिवारों की संख्या	533	42	



तालिका 8.11.2, गोंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश में महिला सदस्य परिवारों की खाद्य सुरक्षा (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	31.9	46.0	23.1
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	11.6	10.1	10.8
कम खाद्य असुरक्षित	14.5	14.4	7.7
खाद्य सुरक्षित	42.0	29.5	58.5
परिवारों की संख्या	662	139	65

तालिका 8.11.3, मध्य प्रदेश के अन्य आईटीडीपी ब्लॉक में महिला सदस्य परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	20.5	40.0	27.0
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	13.4	19.2	5.4
कम खाद्य असुरक्षित	41.4	20.0	5.4
खाद्य सुरक्षित	24.7	20.8	62.2
परिवारों की संख्या	648	125	111

तालिका 8.12.1, छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में महिला सदस्य परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	58.1	61.6	88.5
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	19.7	16.6	7.7
कम खाद्य असुरक्षित	8.4	7.3	0.0
खाद्य सुरक्षित	13.8	14.6	3.8
परिवारों की संख्या	585	151	26

तालिका 8.12.2, छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में महिला सदस्य परिवारों की खाद्य सुरक्षा (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	37.1	35.4	100.0
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	8.9	11.8	0.0
कम खाद्य असुरक्षित	10.2	3.5	0.0
खाद्य सुरक्षित	43.8	49.3	0.0
परिवारों की संख्या	655	144	55



तालिका 8.12.3, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में महिला सदस्य परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	53.0	44.4	9.0
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	16.7	23.5	6.0
कम खाद्य असुरक्षित	10.1	11.1	10.0
खाद्य सुरक्षित	20.3	20.9	75.0
परिवारों की संख्या	785	153	100

8.5 विभिन्न स्रोतों से आय

तालिका 8.13: मध्य प्रदेश में महिला-प्रधान परिवारों का औसत वार्षिक पारिवारिक आय स्रोत

	खेती	पशुपालन	वन से उपज	मजदूरी	वेतन/पेंशन	प्रेषण	गैर-कृषि	परिवार की आय
आदिवासी (रु.)	40,847	-2,827	6,320	35,712	4,009	11,974	22,142	79,108
आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	240	195	165	273	174	118	32	386
गैर-आदिवासी (रु.)	64,094	-4,249	7,522	26,137	1,640	12,000	29,125	74,904
गैर-आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	40	29	9	40	30	16	8	61
पीवीटीजी (रु.)	64,094	-4,249	7,522	26,137	1,640	12,000	29,125	74,904
पीवीटीजी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	55	20	51	41	27	16	1	66

तालिका 8.14: छत्तीसगढ़ में महिला-प्रधान परिवारों का औसत वार्षिक पारिवारिक आय स्रोत

	खेती	पशुपालन	वन से उपज	मजदूरी	वेतन/पेंशन	प्रेषण	गैर-कृषि	परिवार की आय
आदिवासी (रु.)	29,962	-2,934	5,723	28,366	1,424	13,867	12,250	52,109
आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	335	312	215	318	163	30	22	439
गैर-आदिवासी (रु.)	29,121	-2,807	4,904	32,246	1,330	25,000	10,314	45,994
गैर-आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	54	58	26	77	53	3	7	109
पीवीटीजी (रु.)	27,645	747	6,852	14,680	1,186		3,000	34,223
पीवीटीजी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	18	15	30	26	31	0	1	45

8.6 निर्णय लेना

सर्वेक्षण के दौरान, उत्तरदाताओं से पूछा गया कि परिवार से संबंधित विभिन्न मामलों पर "परिवार में निर्णय कौन लेता है"। यह डेटा आदिवासी, पीवीटीजी और गैर-आदिवासी गांवों के बारे में तालिका 8.8 से 8.12 में दर्शाया गया है। 'दादा' शब्द पुरुष उत्तरदाता (या उसके पति, यदि उत्तरदाता एक महिला थी) को संदर्भित करता है; 'दीदी' का तात्पर्य महिला उत्तरदाता (या उसकी पत्नी, यदि उत्तरदाता पुरुष था) से है और 'संयुक्त' का तात्पर्य परिवार के उस दावे से है, जिस पर युगल या परिवार के सभी सदस्य संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं। अन्य शर्तें स्व-व्याख्यात्मक हैं।

मध्य प्रदेश में अधिकांश विषयों पर आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों में निर्णय "संयुक्त रूप से" लिए जाते हैं। गैर-आदिवासी परिवारों में भी अधिकांश निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं, तथापि, आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों की तुलना में संयुक्त रूप से लिए गए निर्णयों का प्रतिशत कम है। गैर-आदिवासी परिवारों में

पिता/ससुर द्वारा लिए गए निर्णय का प्रतिशत अन्य दो श्रेणियों की तुलना में अधिक है। छत्तीसगढ़ में, सभी श्रेणियों में लगभग सभी मामलों में संयुक्त निर्णय लिए गए हैं और इसका प्रतिशत भी मध्य प्रदेश से अधिक है।

अधिकांश मामलों में, मध्य प्रदेश में निर्णय लेने वाली महिलाओं का अनुपात निर्णय लेने वाले पुरुषों के अनुपात से बहुत कम था, जबकि छत्तीसगढ़ में निर्णय लेने वाली महिलाओं का अनुपात आदिवासी और गैर-आदिवासियों के मामले में थोड़ा अधिक है और महत्वपूर्ण रूप से पीवीटीजी परिवारों के मामले में अधिक है।



तालिका 8.15: मध्य प्रदेश के आदिवासियों (%) द्वारा पारिवारिक निर्णय लेना

निर्णय	महिला उत्तरदाता /पुरुष उत्तरदाता का पति/पत्नी	पुरुष उत्तरदाता / महिला उत्तरदाता का पति/पत्नी	संयुक्त	वयस्क पुत्र	वयस्क पुत्री	बहु	युवा पुत्री	युवा पुत्र	माँ/सास भाई/देवर अन्य	पिता/ ससुर	भाई/देवर	अन्य
बाल शिक्षा	8.0	17.2	47.8	4.7	0.1	0.5	0.1	1.4	4.3	12.3	0.0	0.0
आजीविका	6.8	18.2	46.6	4.1	0.1	0.3	0.2	1.6	4.4	11.5	0.0	0.0
दैनिक खरीदारी	12.1	15.2	43.9	3.8	0.2	0.5	0.2	1.6	5.9	10.6	0.0	0.0
संपत्ति	6.6	17.8	47.2	3.6	0.2	0.4	0.2	1.7	3.4	12.9	0.0	0.0
ऋण	6.4	17.3	47.6	4.1	0.1	0.5	0.1	1.8	3.2	12.9	0.0	0.0
एसएचजी ऋण	9.9	14.6	47.8	4.5	0.2	0.7	0.1	0.7	6.0	9.5	0.0	0.0
मायके जाना (मयका)	8.8	15.2	50.2	3.2	0.1	0.4	0.2	0.8	7.9	7.8	0.0	0.0
परिवार का आकार	6.2	14.7	52.1	3.5	0.1	0.7	0.1	0.9	7.4	7.6	0.0	0.0

तालिका 8.16: मध्य प्रदेश में गैर-आदिवासियों (%) द्वारा पारिवारिक निर्णय लेना

निर्णय	महिला उत्तरदाता /पुरुष उत्तरदाता का पति/पत्नी	पुरुष उत्तरदाता / महिला उत्तरदाता का पति/पत्नी	संयुक्त	वयस्क पुत्र	वयस्क पुत्री	बहु	युवा पुत्री	युवा पुत्र	माँ/सास भाई/देवर अन्य	पिता/ ससुर	भाई/देवर	अन्य
बाल शिक्षा	5.6	14.7	39.3	4.4	0.4	0.8	0.4	1.6	8.7	23.8	0.0	0.0
आजीविका	5.1	13.6	37.4	4.8	0.4	0.4	0.0	1.5	5.5	25.6	0.0	0.0
दैनिक खरीदारी	6.9	12.4	36.7	5.1	0.4	1.5	0.0	1.1	12.0	18.5	0.0	0.0
संपत्ति	5.1	12.0	39.6	5.1	0.0	0.0	0.4	0.7	2.9	28.7	0.0	0.0
ऋण	5.4	12.3	40.0	5.4	0.0	0.0	0.4	2.3	4.6	23.8	0.0	0.0
एसएचजी ऋण	7.1	10.9	41.0	4.2	0.0	0.4	0.0	1.7	7.1	20.5	0.0	0.0
मायके जाना (मयका)	6.3	11.5	40.9	4.8	0.0	0.0	0.0	0.4	13.4	16.7	0.0	0.0
परिवार का आकार	5.1	11.0	41.6	5.1	0.0	1.2	0.0	1.2	11.0	17.6	0.0	0.0



तालिका 8.17: मध्य प्रदेश में पीवीटीजी (%) परिवारों द्वारा पारिवारिक निर्णय लेना

निर्णय	महिला उत्तरदाता /पुरुष उत्तरदाता का पति/पत्नी	पुरुष उत्तरदाता / महिला उत्तरदाता का पति/पत्नी	संयुक्त	वयस्क पुत्र	वयस्क पुत्री	बहु	युवा पुत्री	युवा पुत्र	माँ/सास भाई/देवर अन्य	पिता/ ससुर	भाई/देवर	अन्य
बाल शिक्षा	11.1	20.4	53.1	0.6	0	2.5	0	1.2	1.9	8.6	0.6	0
आजीविका	9.7	20.6	54.5	0.6	0	0.6	0	1.8	0.6	10.9	0.6	0
दैनिक खरीदारी	26.3	18	41.3	0.6	0	0.6	0	1.8	2.4	8.4	0.6	0
संपत्ति	10.9	21.2	53.3	0.6	0	0	0	1.8	1.2	9.7	0.6	0
ऋण	10.4	21.5	54	0.6	0	0	0	1.8	0.6	10.4	0.6	0
एसएचजी ऋण	10.6	17	55.3	0.7	0	0	0	2.1	0.7	12.8	0.7	0
मायके जाना (सयका)	9.5	19	56.5	0.6	0	1.2	0	1.2	2.4	8.3	0.6	0
परिवार का आकार	8.5	15.8	61.8	0.6	0	0	0	1.8	1.2	9.1	0.6	0

तालिका 8.18: छत्तीसगढ़ में आदिवासियों द्वारा पारिवारिक निर्णय लेना (%)

निर्णय	महिला उत्तरदाता/पुरुष उत्तरदाता का पति/पत्नी	पुरुष उत्तरदाता/ महिला उत्तरदाता का पति/पत्नी	संयुक्त	वयस्क पुत्र	वयस्क पुत्री	बहु	युवा पुत्री	युवा पुत्र	माँ/सास भाई/देवर अन्य	पिता/ ससुर	भाई/देवर	अन्य
बाल शिक्षा	6.7	2.1	72.4	5.0	0.3	0.3	0.1	0.8	2.8	7.9	0.1	0.0
आजीविका	6.9	2.8	72.7	4.4	0.4	0.3	0.3	0.7	2.4	7.7	0.1	0.0
दैनिक खरीदारी	8.3	1.2	70.6	5.4	0.3	0.6	0.2	0.8	5.6	5.6	0.1	0.0
संपत्ति	6.8	2.8	71.7	4.8	0.2	0.3	0.2	0.9	2.9	7.9	0.1	0.0
ऋण	6.7	2.6	71.4	5.4	0.3	0.4	0.3	0.8	2.6	7.8	0.1	0.0
एसएचजी ऋण	13.9	1.6	67.7	3.6	0.3	1.9	0.3	0.6	4.7	3.3	0.1	0.0
मायके जाना (मयका)	7.8	3.0	72.0	3.6	0.4	0.7	0.3	1.1	3.6	5.8	0.0	0.0
परिवार का आकार	5.3	2.0	75.3	5.8	0.2	0.4	0.2	0.8	1.6	5.8	0.1	0.0



तालिका 8.19: छत्तीसगढ़ में गैर-आदिवासियों(%) द्वारा पारिवारिक निर्णय लेना

निर्णय	महिला उत्तरदाता /पुरुष उत्तरदाता का पति/पत्नी	पुरुष उत्तरदाता / महिला उत्तरदाता का पति/पत्नी	संयुक्त	वयस्क पुत्र	वयस्क पुत्री	बहु	युवा पुत्री	युवा पुत्र	माँ/मास भाई/देवर अन्य	पिता/ ससुर	भाई/देवर	अन्य
बाल शिक्षा	7.2	6.7	71.7	1.7	0.2	0.2	0.7	1.0	3.7	5.2	0.0	0.0
आजीविका	7.9	7.4	70.9	2.6	0.5	0.2	0.5	0.7	2.6	5.3	0.0	0.0
दैनिक खरीदारी	8.5	3.1	68.5	3.1	0.5	0.5	0.5	0.7	9.9	3.5	0.0	0.0
संपत्ति	7.6	7.2	70.6	2.9	0.7	0.2	0.5	0.5	3.1	5.3	0.0	0.0
ऋण	7.5	6.8	71.0	2.4	0.5	0.2	0.5	0.7	3.3	5.4	0.0	0.0
एसएचजी ऋण	11.6	6.9	69.9	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	5.4	0.8	0.0	0.0
मायके जाना (मयका)	8.1	6.9	70.0	2.2	0.5	0.7	1.0	0.5	5.9	2.7	0.0	0.0
परिवार का आकार	5.4	6.2	75.8	3.0	0.0	0.8	0.3	0.5	1.9	2.4	0.0	0.0

तालिका 8.20: छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी (%) द्वारा पारिवारिक निर्णय लेना

निर्णय	महिला उत्तरदाता /पुरुष उत्तरदाता का पति/पत्नी	पुरुष उत्तरदाता / महिला उत्तरदाता का पति/पत्नी	संयुक्त	वयस्क पुत्र	वयस्क पुत्री	बहु	युवा पुत्री	युवा पुत्र	माँ/सास भाई/देवर अन्य	पिता/ ससुर	भाई/देवर	अन्य
बाल शिक्षा	10.6	1.4	81.6	2.8	0.7	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0
आजीविका	15.1	2.8	76.5	2.2	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	1.7	0.0	0.0
दैनिक खरीदारी	16.7	0.6	78.3	2.2	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	1.1	0.0	0.0
संपत्ति	15.3	1.7	77.3	2.3	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0
ऋण	15.7	1.8	77.1	2.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.8	0.0	0.0
एसएचजी ऋण	36.9	0.0	59.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
मायके जाना (मयका)	15.9	3.4	77.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0
परिवार का आकार	4.4	2.2	89.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0



#09

संसाधनों और आजीविका परिणामों के बीच का संबंध





हमने इस अध्याय में यह समझने की कोशिश की है कि संपत्ति का स्वामित्व और संसाधनों तक पहुंच आदिवासी परिवारों के आजीविका परिणामों को कैसे प्रभावित करती है। इस अध्याय में आदिवासियों के भूमिजोत के आकार, सिंचाई तक पहुंच और जंगलों से दूरी के आय, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और आहार विविधता पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

बहुआयामी विश्लेषण से पता चलता है कि आदिवासी परिवारों की तीन विशेषताएं उनकी आजीविका की स्थितियों और परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। पहला है उनका भूमि का स्वामित्व। यह भोजन, चारा और अन्य आवश्यकताओं का उत्पादन करने हेतु एक संपत्ति के रूप में महत्वपूर्ण है। यह समुदाय में आदिवासी परिवार की स्थिति को भी परिभाषित करता है। इससे उन्हें सिंचाई जैसे अन्य संसाधनों तक पहुंच मिलती है। उनके घरों का स्थान वनों के संबंध में दूसरा महत्वपूर्ण प्रभावशाली कारक है। मध्य प्रदेश में, उच्चतम आय

वर्ग से संबंधित आदिवासी परिवार जंगल से 6 किमी से अधिक दूरी पर स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में स्थिति बिल्कुल उलट है। तीसरा प्रभावशाली कारक शिक्षा यानी अधिक सटीक रूप से कार्यात्मक साक्षरता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की आय अधिक होती है।

विकास के परिणामों के साथ इन मापदंडों (भूमि स्वामित्व, आय और स्थान) के जुड़ाव का विश्लेषण भूमि के बारे में अनुलग्नक-ई में एंकर के रूप में, जंगलों से दूरी के संदर्भ में अनुलग्नक-एफ में एंकर के रूप में और आय के बारे में अनुलग्नक-जी में एंकर के रूप में तालिकाओं में दिया गया है। इन अनुलग्नकों में तालिकाओं का एक पूरा सेट शामिल है। निम्नलिखित खंड में उनका उल्लेख बार-बार किया गया है। तथापि, इन अनुलग्नकों में केवल महत्वपूर्ण (और सभी तालिकाएँ नहीं) को ही नीचे के पाठ में शामिल किया गया है। पाठकों से निवेदन रहेगा कि वे अनुलग्नकों में दिए गए विवरणों को देखें।



9.1 भूमि जोत, स्थान और आय का विकास के साथ संबंध

सर्वेक्षण में शामिल आदिवासी और गैर-आदिवासी परिवारों को उनके भूमि स्वामित्व के अनुसार विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। मध्य प्रदेश में भूमिहीनता अधिक है। मध्य प्रदेश में लगभग 36.1% आदिवासी परिवार भूमिहीन हैं और 50.3% छोटे और सीमांत किसान हैं। छत्तीसगढ़ में 15.2% आदिवासी परिवार भूमिहीन हैं और 70.6% छोटे और सीमांत किसान हैं। फिर भी, इन दोनों राज्यों में भूमिहीन या छोटे सीमांत किसानों वाले आदिवासी परिवारों का प्रतिशत लगभग 86% है। दोनों राज्यों में पीवीटीजी परिवारों में भूमिहीनता अधिक है। छत्तीसगढ़ के मामले में यह लगभग 48% है और मध्य प्रदेश के मामले में यह 36.3% है। इस क्षेत्र में गैर-आदिवासियों में भी भूमिहीनता अधिक है। मध्य प्रदेश में 42.7% और छत्तीसगढ़ में 32.1% गैर-आदिवासी परिवार भूमिहीन हैं।

सामान्य तौर पर, कृषि आय भूमि जोत के साथ बढ़ती प्रतीत होती है। हालाँकि, मध्य प्रदेश में भूमिहीन आदिवासी परिवारों की औसत आय

सीमांत आदिवासी किसानों की तुलना में अधिक है। मध्य प्रदेश में गैर-आदिवासी परिवारों में, हालाँकि भूमिहीन परिवारों की औसत आय सीमांत भूमि-धारक परिवारों की तुलना में कम है, फिर भी इन दोनों श्रेणियों के बीच औसत वार्षिक पारिवारिक आय में अंतर बहुत अधिक नहीं है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों का भी यही हाल है। यह इस कारक के कारण हो सकता है कि सीमांत किसानों के पास जो भूमि होती है वह निम्न गुणवत्ता की होती है या हो सकता है कि गांव के बाहर काम के लिए सदस्यों के प्रवासन के कारण वे भूमि पर खेती करने में असमर्थ हों। इसकी ओर जांच किये जाने की जरूरत है। हालाँकि, पीवीटीजी परिवारों के मामले में, भूमिहीन और सीमांत भूमि-धारक परिवारों के बीच औसत वार्षिक आय में अंतर काफी बड़ा है। तालिका 9.1 और 9.2 में, आंकड़े प्रति वर्ष रुपये में आय दर्शाते हैं।





9.2 भूमि जोत और आय का सह-संबंध

तालिका 9.1: मध्य प्रदेश में भूमि जोत के आकार और आय के बीच संबंध

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	61,298	54,565	44,037
सीमांत	55,543	55,568	66,690
छोटे	78,193	1,26,315	1,09,339
अर्ध-मध्यम और उससे ऊपर	1,56,680	2,01,247	99,915

तालिका 9.2: छत्तीसगढ़ में भूमि जोत के आकार और आय के बीच संबंध

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	43,127	43,723	22,014
सीमांत	46,189	44,883	34,942
छोटे	63,228	83,611	66,863
अर्ध-मध्यम और उससे ऊपर	78,816	1,09,988	1,66,765



9.3 वन के संबंध में आय और घर के स्थान के बीच संबंध

हमने आय वितरण डेटा में प्रतिशत के आधार पर परिवारों को 5 आय-समूहों में विभाजित किया है। फिर एक आय-समूह में परिवारों के अनुपात को वन से दूरी के आधार पर विभाजित किया गया और रिपोर्ट किया गया। ये आंकड़े मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में क्रमशः तालिका 9.3 और 9.4 में दिखाए गए हैं।

दोनों राज्यों में पीवीटीजी परिवार, यदि जंगल के भीतर नहीं हैं तो, जंगल के बहुत करीब स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में, उच्च आय वाले पीवीटीजी परिवार जंगल के करीब या जंगल में रहते हैं। मध्य प्रदेश में पैटर्न कुल मिलाकर इसके विपरीत है।

मध्य प्रदेश में, उच्चतम आय वर्ग से संबंधित आदिवासी परिवार जंगल से 6 किमी से अधिक दूरी पर स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में स्थिति बिल्कुल उलट है; सबसे अधिक आय वाले आदिवासी परिवार 1.8 किमी की औसत दूरी के साथ जंगल के सबसे नजदीक स्थित हैं।

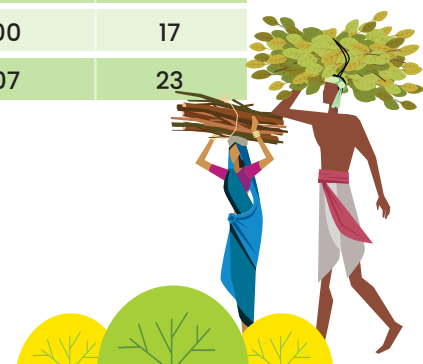
आदिवासी या पीवीटीजी परिवारों की तुलना में गैर-आदिवासी परिवार जंगल से अधिक दूर हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आय वर्ग जंगल से सबसे दूर है; हालाँकि, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है।

तालिका 9.3: मध्य प्रदेश में आय-समूह और वनों से उनकी दूरी

आय समूह (प्रतिशतक)	जंगल से परिवार की औसत दूरी			परिवारों की संख्या		
	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
0-20	3.7	4.9	1.3	462	63	42
20-40	2.3	4.8	0.8	450	66	50
40-60	2.7	4.0	1.0	465	67	35
60-80	4.0	4.7	2.7	469	58	39
80-100	6.1	11.6	3.0	451	81	35

तालिका 9.4: छत्तीसगढ़ में आय-समूह और वनों से उनकी दूरी

आय समूह (प्रतिशतक)	जंगल से परिवार की औसत दूरी			परिवारों की संख्या		
	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
0-20	2.2	4.7	0.4	428	109	64
20-40	2.0	5.2	0.2	461	91	48
40-60	1.9	4.8	0.2	468	92	40
60-80	1.8	4.3	0.3	483	100	17
80-100	1.8	5.1	0.0	471	107	23





9.4 कायात्मिक साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक

आदिवासी, पीवीटीजी और गैर-आदिवासी परिवारों में नमूना उत्तरदाताओं के लिए मानक परीक्षण आयोजित करके पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक स्तर का मूल्यांकन किया गया। इनमें से प्रत्येक स्तर का मूल्यांकन 1-10 के पैमाने पर किया गया था। 1-30 के पैमाने पर कुल तीन विशेषताओं का मूल्यांकन किया गया है। इन तीनों विशेषताओं के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में आदिवासी और गैर-आदिवासी- दोनों परिवारों में, परिवार /उत्तरदाताओं के बीच पुरुषों का स्कोर महिलाओं के स्कोर से काफी अधिक था। आदिवासी परिवारों में पुरुष स्कोर को छोड़कर, जहाँ यह विपरीत है, भूमि जोत के आकार में वृद्धि के साथ स्कोर में बड़े पैमाने पर सुधार होता दिख रहा है (अनुलग्नक-ई में तालिका 36.1 से 37.4 देखें)।

नमूना परिवारों को प्रतिशत आय के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया था। 0-20% आय प्रतिशतक में वर्गीकृत समूह सबसे गरीब परिवारों को दर्शाता है जबकि 80-100% प्रतिशतक में वर्गीकृत लोग सर्वेक्षण में दर्ज की गई सबसे अधिक आय दर्शाते हैं। दोनों राज्यों में, साक्षरता स्कोर आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों परिवारों और न्यूनतम से उच्चतम आय वर्ग तक लगभग एक समान वृद्धि दर्शाता है। हालाँकि, जब प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखा जाता है तो आदिवासी परिवारों में पुरुषों के मामले में पैटर्न बहुत स्पष्ट नहीं है। (अनुलग्नक-जी में तालिकाएँ 63.1 से 66.4 देखें)।

संक्षेप में, पुरुष, आय और भूमि-स्वामित्व का साक्षरता स्कोर के साथ सकारात्मक संबंध है।



9.5 शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक

अध्ययन में यह भी मूल्यांकन किया गया कि परिवार के मुखिया (होहो) की शिक्षा भूमि-स्वामित्व, वनों से दूरी और पारिवारिक आय के इन प्रमुख कारकों के साथ कैसे भिन्न होती है। नमूना परिवारों को होहो की स्कूली शिक्षा न होने से लेकर कॉलेज की डिग्री तक कई स्तरों पर समूहीकृत किया गया था। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी को सीधे जुड़ाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई हस्तक्षेप करने वाले कारक हैं जैसे कि होहो की आयु, स्थान और वह वर्ष जब से स्कूल या कॉलेज यथोचित रूप से सुलभ हो गए, शैक्षिक प्राप्ति को प्रभावित करते हैं।

मध्य प्रदेश में, सीमांत भूमि जोत वाले 62.3% आदिवासी परिवारों की स्कूली शिक्षा नहीं हुई है। हालाँकि यह भूमि-स्वामित्व वाले वर्गों में सबसे अधिक है, अन्य वर्गों में भी 50% से अधिक होहो की कोई स्कूली

शिक्षा नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में, अधिक भूमि वाले आदिवासी परिवारों में बिना स्कूली शिक्षा के 'होहो' होते हैं। मध्य प्रदेश में पीवीटीजी परिवारों में, 'होहो' के एक बड़े प्रतिशत की कोई स्कूली शिक्षा नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में, भूमिहीन पीवीटीजी परिवारों के 'होहो' अधिकतर स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। दोनों राज्यों में, गैर-आदिवासी परिवारों में, बिना स्कूली शिक्षा वाले परिवारों का प्रतिशत बहुत कम है (अनुलग्नक-एफ में तालिका 42.1 से 43.4 देखें)।

तथापि, दोनों राज्यों में, सबसे कम आय प्रतिशतक समूह में 'होहो' वाले परिवारों की संख्या सबसे अधिक है, जिनकी कोई स्कूली शिक्षा नहीं हुई है। यह छत्तीसगढ़ के गैर-आदिवासी परिवारों और मध्य प्रदेश के पीवीटीजी परिवारों को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए सच है (अनुलग्नक-जी में तालिका 55.1 से 56.4 देखें)।

9.6 खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक

विभिन्न भूमि-जोत वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा के स्तर पर टिप्पणियाँ अनुलग्नक-ई की तालिका 38.1 से 39.4 में प्रस्तुत की गई हैं। दोनों राज्यों में सामान्य तौर पर, सभी श्रेणियों के बीच, खाद्य सुरक्षा बढ़ती है और भूमि जोत में वृद्धि के साथ गंभीर खाद्य असुरक्षा कम हो जाती है। मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदायों में अर्ध-मध्यम और उससे ऊपर के भूमिधारकों के एक उच्च अनुपात ने गंभीर खाद्य असुरक्षा की सूचना दी है। जरूरी नहीं कि बड़ी भूमि का स्वामित्व लाभकारी परिणाम दे; कोई आदिवासी परिवार ऐसी ऐसी एक पूरी पहाड़ी का "मालिक" हो सकता है जिसमें वस्तुतः कुछ भी उपज नहीं होती।

जंगल के संबंध में स्थान और खाद्य सुरक्षा के स्तर के बीच संबंध का कोई विशिष्ट पैटर्न डेटा से सामने नहीं आता है (अनुलग्नक-एफ में तालिका 49.1 से 50.4 देखें)।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में आदिवासी परिवार पारिवारिक आय और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंध में कोई पैटर्न नहीं दर्शाते हैं। हालाँकि, दोनों राज्यों में गैर-आदिवासी परिवार और छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी परिवार अधिक खाद्य सुरक्षित हैं और बढ़ती आय के साथ कम गंभीर खाद्य असुरक्षा होती है (तालिका 62.1 से 63.4 देखें)।





9.7 आहार की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक

मध्य प्रदेश के आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों को छोड़कर, अन्य सभी मामलों में, आहार की गुणवत्ता भूमि जोत के आकार के साथ सकारात्मक संबंध दर्शाती है। भूमि जोत में वृद्धि के साथ, परिवारों के पास स्वीकार्य आहार होने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा, भूमि का आकार बढ़ने के साथ-साथ खराब आहार विविधता वाले परिवारों का प्रतिशत भी कम होता जा रहा है। (अनुलग्नक ई में तालिकाएँ 40.1 और 42.4 देखें)।

दोनों राज्यों में आदिवासी या गैर-आदिवासी परिवारों के लिए स्थान (वनों से दूरी) और आहार की गुणवत्ता के बीच संबंध का कोई विशिष्ट पैटर्न रिपोर्ट नहीं किया गया है (अनुलग्नक-एफ में तालिका 51.1 से 52.4 देखें)।

जैसे-जैसे कोई व्यक्ति सभी श्रेणियों में निम्न-आय प्रतिशत समूहों के परिवारों से उच्च-आय प्रतिशत समूहों की ओर बढ़ता है, आहार की गुणवत्ता में स्पष्ट रूप से सुधार होता है (तालिकाएँ 59.1 से 60.4 देखें)।

9.8 सरकार/गैर-सरकारी संगठन की राय और मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कारक

मध्य प्रदेश में, 60% से अधिक आदिवासी और लगभग 69% गैर-आदिवासी परिवारों ने अपने जीवन और आजीविका में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों से संतुष्टि व्यक्त की। छत्तीसगढ़ में, लगभग 69% आदिवासी परिवारों ने इस पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। दोनों राज्यों में पीवीटीजी के बीच संतुष्टि का स्तर अन्य दो श्रेणियों की तुलना में कम है।

मध्य प्रदेश में सरकार के प्रयासों की तुलना में विभिन्न श्रेणियों के कम प्रतिशत परिवार गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों से संतुष्ट हैं। छत्तीसगढ़ में ठीक इसके विपरीत है।

दोनों राज्यों में आदिवासी परिवारों की आय में वृद्धि के साथ सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों से संतुष्टि का स्तर भी बढ़ रहा है। गैर-आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों में ऐसा सह-संबंध देखा गया है।

सभी श्रेणियों में उत्तरदाताओं के एक छोटे प्रतिशत ने दावा किया कि पिछले वर्ष में जीवन में सुधार हुआ है। कुल मिलाकर, उच्च आय प्रतिशत वाले परिवारों ने बताया कि पिछले वर्ष उनके जीवन में सुधार हुआ है (तालिका 65.1 से 66.4 देखें)।

संदर्भ

¹यहां केवल कानूनी रूप से धारित भूमि स्वामित्व पर विचार किया गया है और यह परिचालित स्वामित्व से भिन्न हो सकता है।

Dietary diversity, as defined by the World Health Organization (WHO), refers to the variety and number of different food groups consumed by individuals or households over a specific period. It measures the extent to which an individual's diet incorporates a wide range of food groups, reflecting the nutritional quality and adequacy of their food intake (for more details, see Annexure - J).



#10

निष्कर्ष



इस रिपोर्ट में आजीविका के परिणामों के मामले में देश के बाकी हिस्सों की तुलना में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूरे आदिवासी क्षेत्र में महत्वपूर्ण अभाव को परिलक्षित होते हैं। यदि उनकी आजीविका की स्थिति की तुलना उसी क्षेत्र में रहने वाले गैर-आदिवासियों से की जाए तो भी कुल मिलाकर, उसी क्षेत्र के भीतर के आदिवासी और पीवीटीजी परिवार अधिक वंचित हैं।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों की पारिवारिक स्तर की वार्षिक औसत आय छत्तीसगढ़ की तुलना में अधिक है। वार्षिक पारिवारिक आय के मामले में मध्य प्रदेश का भील क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से काफी आगे है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि यह कम वन क्षेत्र वाला सूखा-प्रवण क्षेत्र है। हालाँकि, औद्योगिक बेल्ट से इसकी निकटता उच्च पारिवारिक स्तर की आय का कारण हो सकती है। इसके पीछे के कारकों की जानकारी एक और गहन अध्ययन से मिल सकती है।

छत्तीसगढ़ राज्य पारिवारिक स्तर पर मध्य प्रदेश की तुलना में बेहतर खाद्य सुरक्षा दर्शाता है। क्षेत्र-वार विश्लेषण से पता चलता है कि दक्षिण और उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में पारिवारिक स्तर की खाद्य सुरक्षा काफी अधिक है। इसका कारण छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का बेहतर क्रियान्वयन हो सकता है। छत्तीसगढ़ में

बहुत कम आदिवासी परिवारों के पास पीडीएस कार्ड नहीं है। इसके अलावा, पीडीएस आउटलेट वाले गांवों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक है।

पीडीएस के माध्यम से मिलनेवाली खाद्य सस्मिडी ने कम आय के कारण परिवारों को होने वाले तनाव को भी कम कर दिया है। छत्तीसगढ़ में, एक आदिवासी परिवार द्वारा एक वर्ष में उपभोग किए जाने वाले भोजन और अन्य वस्तुओं की बाजार कीमत लगभग 18000 रुपये है। इस राशि का लगभग 13% हिस्सा ही उन सामानों को खरीदने के लिए परिवारों द्वारा खर्च किया जाता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सस्मिडी की शेष 87% राशि, परिवारों के आय तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि यह सस्मिडी नहीं होती, तो परिवार अधिक संकटग्रस्त स्थिति में होते। मध्य प्रदेश में भी, आदिवासी परिवार एक वर्ष में पीडीएस के माध्यम से 10,000 रुपये के बाजार मूल्य का सामान खरीदता है। इन्हें खरीदने के लिए केवल 22% राशि खर्च की जाती है।

मध्य प्रदेश में पारिवारिक स्तर पर छत्तीसगढ़ की तुलना में अधिक आहार विविधता दिखाई देती है। क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश का भील क्षेत्र



सर्वोत्तम आहार विविधता दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में पारिवारिक स्तर पर दिखनेवाली कम आहार विविधता पीडीएस से खरीदे गए चावल पर उनकी अत्यधिक निर्भरता के कारण हो सकती है। उचित कारण समझने के लिए आगे गहन अध्ययन की आवश्यकता है।

कुल आय में वन संग्रहण से होने वाली आय का योगदान मध्य प्रदेश के मामले में बहुत कम है, और छत्तीसगढ़ में मामूली रूप से कम है। वन पर निर्भर आदिवासी परिवारों का प्रतिशत मध्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक है। हालाँकि, दोनों राज्यों में अधिकांश वन-निर्भर परिवार ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करते हैं और लगभग 98% परिवार अपने स्वयं के उपभोग के लिए ईंधन की लकड़ी का उपयोग करते हैं। कम आय विभिन्न कारणों से छोटे वन उत्पादों की कम उपलब्धता के कारण हो सकती है जैसे कि वन विभाग का विशेष ध्यान लकड़ी की प्रजातियों पर केंद्रित होना और उनके द्वारा अन्य प्रजातियों खरपतवार माना जाना या जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है। इस पर भी और अन्वेषण की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश में भूमिहीन आदिवासियों का प्रतिशत बहुत अधिक है। इसका कारण समझना जरूरी है। लेकिन, यह पता लगाना अधिक महत्वपूर्ण होगा कि क्या पिछले एक दशक के दौरान भूमिहीनता बढ़

रही है और यदि बढ़ रही है, तो कौन से कारक जिम्मेदार हैं। आम तौर पर मध्य भारतीय बेल्ट के खनिज समृद्ध क्षेत्रों में लोगों की- विशेषकर आदिवासियों की भूमिहीनता का प्रमुख कारण, विकास परियोजनाओं के लिए उनका विस्थापन और भूमि से बेदखली को माना जाता है। हालाँकि, अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसका उचित कारण जानने के लिए आगे गहन अध्ययन की आवश्यकता है।

दोनों राज्यों में कुपोषण से पीड़ित पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रतिशत अधिक है; हालाँकि, इन दोनों राज्यों में देखा जाए तो, मध्य प्रदेश की स्थिति बदतर है। यह चिंता का विषय है। इस अध्ययन में बच्चों के सिर के घेरे का उपयोग कुपोषण के एक संकेतक के रूप में किया गया है। इस डेटा को अन्य विश्वसनीय तरीकों का उपयोग करके प्राप्त अन्य डेटा के साथ क्रॉस-चेक किया जा सकता है। इसके अलावा, माप में त्रुटियों की कुछ संभावना है।





इस रिपोर्ट का उद्देश्य आदिवासी आजीविका की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करना है। इसका उद्देश्य आदिवासी या पीवीटीजी की स्थिति में सुधार के लिए कोई सिफारिश करना नहीं है। हालाँकि, व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान, कुछ साक्षात्कारकर्ताओं ने संभावित सुधारों के लिए सुझाव दिए, जिनके बारे में उनका मानना है कि इससे क्षेत्र के लोगों, विशेषकर आदिवासियों और पीवीटीजी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यहां कई साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा साझा किए गए कुछ सुझाव दिए गए हैं:

1. आदिवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना जाता है जिस पर महत्वपूर्ण ध्यान और प्रयास की आवश्यकता है।
2. विकास की प्राथमिकताएं ग्राम सभा स्तर पर निर्धारित की जानी चाहिए, जिसमें स्थानीय लोगों की राय और सहमति सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिन्हें उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं की गहरी समझ हो। यह दृष्टिकोण उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय थोपने से बेहतर है।
3. वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 (एफआरए 2006) सामुदायिक वन संसाधनों (सीएफआर) को "रक्षा, पुनर्जीवित या संरक्षण या प्रबंधन" करने का अधिकार देता है। कई साक्षात्कारकर्ताओं ने एफआरए 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि इससे आदिवासी लोगों को जंगलों को पुनर्जीवित करने और जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद मिल सकती है।
4. आदिवासी पहचान, परंपरा, संस्कृति और रीति-रिवाज उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में उभरे जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आदिवासी परंपरा, संस्कृति, रीति-रिवाजों और प्रथाओं के संरक्षण और प्रचार को सुनिश्चित करते हुए, आदिवासी विश्वदृष्टि और ज्ञान को शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सकता है।

SAL के डेटा से संकेत मिलता है कि आजीविका के परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होते हैं। इसके अलावा, दोनों राज्यों के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में आजीविका का संदर्भ अलग-अलग है। इसलिए, प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए संदर्भ-विशिष्ट समाधान तैयार करना आवश्यक है।



#11

अनुलग्नक



अनुलग्नक ए

आदिवासी नेताओं, कार्यकर्ताओं, विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों का परिप्रेक्ष्य

इस खंड के बारे में:

यह खंड उन प्रतिष्ठित हस्तियों के साक्षात्कारों पर आधारित है, जो अपने संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं और आदिवासियों के मुद्दों पर गहन विचार रखते हैं। वे या तो आदिवासी समाज से हैं या आदिवासियों के साथ काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और सक्रिय रूप से अपने तरीके से मुद्दों को उठाने में लगे हुए हैं। विविधता को उम्र, लिंग, जनजाति, पेशेवर पृष्ठभूमि, राजनीतिक विश्वास आदि जैसे लक्षणों के प्रारंभिक सेट के माध्यम से निर्धारित किया गया है। एक अंतर्निहित परिकल्पना यह थी कि इन लक्षणों में कई और अक्सर परस्पर विरोधी धारणाएं, राय और अनुभव हो सकते हैं।

कुल मिलाकर 28 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया – इनमें 17 छत्तीसगढ़ से और 11 मध्य प्रदेश से थे; 22 आदिवासी हैं। वे गोंड, बैगा, ओरांव, भील, अगरिया और प्रधान जनजातियों से थे। 11 महिला उत्तरदाता थीं। उत्तरदाता विभिन्न व्यावसायिक समूहों से थे। हालाँकि, उनमें से अधिकांश सामुदायिक नेता या सामाजिक कार्यकर्ता थे। साक्षात्कार लिए जाने वाले व्यक्तियों की विस्तृत सूची नीचे दी गई है।

साक्षात्कार लिए जाने वाले व्यक्ति का नाम	पेशा/विशेषज्ञता/व्यवसाय
ऐलिस लाकड़ा	सीओओ, सीजीएसआरएलएम-बिहान, छत्तीसगढ़
अनुसुइया मरावी	जनपद सदस्य मध्य प्रदेश
अर्जुन सिंह धुर्वे	शिक्षक और पद्म पुरस्कार विजेता, मध्य प्रदेश
अरविन्द नेताम	पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री (कृषि) एवं सांसद कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र, कांग्रेस, छत्तीसगढ़
अश्विनी कांगे	संस्थापक केबीकेएस (कोया भूमकाल क्रांति सेना), संयुक्त सचिव-सर्व आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़
बलवंत रहांगडाले	सीएसओ (एनआईडब्ल्यूसीवाईडी), प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश
भूरी बाई	भारतीय भील कलाकार, पद्म पुरस्कार विजेता, मध्य प्रदेश
चंद्रकली मरकाम	पूर्व अध्यक्ष कुक्कुट सहकारी समिति और सामुदायिक नेता, जागृति यात्रा में भाग लिया और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित
धर्मपाल सैनी	शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, माता रुक्मणी देवी आश्रम स्कूल श्रृंखला, बस्तर, छत्तीसगढ़ के प्रणेता
डॉ सैबल जाना	शहीद अस्पताल के मुख्य चिकित्सक, दल्ली राजहरा, कांग्रेस, छत्तीसगढ़
एतवारी मचिया बैगा	प्रदेश अध्यक्ष, आदिम जाति बैगा समाज कविधर्म छत्तीसगढ़
गंगाराम पैकरा	अध्यक्ष, चौपाल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, अबिकापुर, छत्तीसगढ़
गोदावरी मरावी	सामुदायिक नेता (जेंडर मास्टर सीआरपी), मध्य प्रदेश
हरिवंश सिंह मिरी	डिप्टी कलेक्टर-इंग, अध्यक्ष-कंवर समाज छत्तीसगढ़
इंदिरा मंडावी	सामाजिक कार्यकर्ता, उपाध्यक्ष-सहभागी समाज, सेवी संस्था, कांग्रेस, छत्तीसगढ़
कलावती कश्यप	सचिव, सहभागी समाज, सेवी, संस्था, कांग्रेस, छत्तीसगढ़
केशव शोरी	सचिव, संस्थापक-दिशा समाज सेवी संस्थान, कांग्रेस, छत्तीसगढ़



साक्षात्कार लिए जाने वाले व्यक्ति का नाम	पेशा/विशेषज्ञता/व्यवसाय
लता नेताम	अध्यक्ष, लोक आस्था सेवा संस्थान, गरियाबंद, छत्तीसगढ़
लता उर्सेडी	सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा, कोंडागांव निर्वाचन क्षेत्र
ममता कुंजूर	सचिव, जशपुर जन विकास संस्था, जशपुर, छत्तीसगढ़
मानक दरपट्टी	जिला अध्यक्ष-सर्व आदिवासी समिति, कांकेर, छत्तीसगढ़
मोहन मंडावी	लोकसभा सदस्य, कांकेर निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़
निखिल देसाई	सह-संस्थापक, आइडियाज़ अनबाउंड इनोवेशन्स, बैंगलोर
पल्लवी जैन गोविल	प्रमुख सचिव, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति कल्याण, मध्य प्रदेश सरकार
संपतिया उडके	पूर्व राज्यसभा सदस्य, मध्य प्रदेश
शेर सिंह अचला	अध्यापक-गोंडी विद्वान, भानुप्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़
वेंकट रामानुजम रमानी	पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण में अनुसंधान के लिए अशोक ट्रस्ट (एटीआरआई), बैंगलुरु
विजय धुर्वे	सामुदायिक नेता, मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़ में अधिकांश साक्षात्कार रायपुर, कांकेर, केशकाल और चारामा में आमने-सामने आयोजित किए गए; और मध्य प्रदेश के मामले में जबलपुर और डिंडोरी के विभिन्न ब्लॉकों में प्रत्येक उत्तरदाता से एक घंटे से डेढ़ घंटे तक का साक्षात्कार लिया गया।

साक्षात्कार लिए जाने वाले व्यक्तियों की पूर्व सहमति से, साक्षात्कार रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद, इन साक्षात्कारों का अनुवाद और प्रतिलेखन किया गया और सामग्री विश्लेषण के अधीन किया गया। प्रतिलेखन को साक्षात्कारों से उभरी विभिन्न विश्लेषणात्मक श्रेणियों के अंतर्गत बांटा गया और एक समग्र प्रवृत्ति, इन श्रेणियों के भीतर समानताओं और अंतर का विश्लेषण किया गया। इस खंड में, हमने साक्षात्कार लिए जाने वाले व्यक्तियों के कुछ उद्धरणों का उपयोग किया है जो हमें एक से अधिक उत्तरदाताओं से मिले भाव को उपयुक्त रूप से सारांशित करते प्रतीत होते हैं।

वे आदिवासीयत के बारे में क्या सोचते हैं और वे गैर-आदिवासियों से कैसे भिन्न हैं?

हालाँकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्रमशः 42 और 46 अलग-अलग जनजातियाँ हैं, फिर भी कुछ ऐसे व्यापक मूल्य हैं जो 'आदिवासीयत' को परिभाषित करते हैं और गैर-आदिवासियों के जीवन के तरीके से अलग करते हैं। प्रत्येक उत्तरदाता द्वारा साझा की गई सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सामूहिक लोकाचार और प्रकृति के साथ गैर-श्रेणीबद्ध और गैर-दोहन संबंध थे। उनके सभी रिश्ते, भाषाएँ, कला रूप, जीवन कौशल, अनुष्ठान, सामाजिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ इन मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं।

उदाहरण के लिए, नृत्य और गीत के सभी रूपों में सामूहिक लोकाचार दिखाई देता है। ऐसा कोई आदिवासी नृत्य रूप नहीं है जो व्यक्तिगत रूप से किया जाता हो, वे समूह में किए जाते हैं। किसी भी परिवार के जन्म,

विवाह और मृत्यु संस्कार की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी नहीं है, उन्हें समुदाय द्वारा साझा किया जाता है। पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ मजदूरों और बीजों के बंटवारे पर आधारित थीं। समुदाय में जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े और आश्रय उपलब्ध कराने के रूप में भी पारस्परिक मदद देखी जा सकती है।

“आदिवासी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक-दूसरे की मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा एक पड़ोसी अकेला था और बुरी तरह बीमार था। सभी आदिवासी पड़ोसी एक साथ आए, उसके इलाज में मदद की, पैसे भी इकट्ठा किए और उसे अस्पताल में भर्ती कराने में मदद की। जब उनकी मृत्यु हुई तो लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में मदद की, कुछ लोगों ने पैसे दिये, कुछ ने राशन दिया। आदिवासी आम तौर पर संकट के समय भोजन/पैसे के लिए एक-दूसरे की मदद करते हैं, जरूरत पड़ने पर वे ऋण के रूप में पैसा उधार देते हैं”, सक्रिय सामुदायिक नेताओं में से एक और पूर्व जनपद सदस्या अनुसूया मरावी कहती हैं।

प्रकृति के साथ गैर-श्रेणीबद्ध संबंध उनके चित्रों में दिखाई देता है। उनकी सभी पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ लालच के बजाय आवश्यकता पर आधारित हैं; इसलिए, वे अनुचित दोहन नहीं करते हैं और उनके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। हालाँकि यह पहलू अधिकांश साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा बताया गया है, लेकिन इसे संपतिया उडके, जो कि पूर्व संसद सदस्य भी थीं, ने जो कहा, उससे अच्छी तरह से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, “आदिवासी धन संचय नहीं करते हैं। वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं। आदिवासियों में उच्च स्तर का आत्म-सम्मान होता है, वे कभी भीख नहीं मांगते।” जंगल से आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने के तरीके जैव-विविधता के कायाकल्प और रखरखाव को भी सुनिश्चित करते हैं और इसलिए पारिस्थितिक रूप से अधिक टिकाऊ होते हैं।



सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी नेता अश्विनी कांगे ने कहा, “आदिवासी समाज टोटेम प्रणालियों में विभाजित है और ज्यादातर मामलों में ये टोटेम स्थानीय वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। किसी विशेष कुलदेवता के लोग अपने कुलदेवता की रक्षा करते हैं और यदि किसी क्षेत्र में 500 कुलदेवता हैं, तो 500 प्रजातियाँ संरक्षित की जाएंगी।” इसलिए, प्राकृतिक विविधता की रक्षा करना उनकी प्रणाली में अंतर्निहित है। इसके विपरीत, गैर-आदिवासी समाजों में मनुष्य को केंद्र में रखा जाता है और प्रकृति के अन्य सभी घटकों को मानव जाति की सेवा के लिए एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। इसलिए, सभी प्रथाओं को प्राकृतिक संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे पारिस्थितिक अस्थिरता पैदा होती है। अधिकांश गैर-आदिवासी समुदायों के विपरीत, आदिवासी व्यक्तिगत समृद्धि से अधिक सामुदायिक भलाई को प्राथमिकता देते हैं। वे आम तौर पर ईमानदार और भरोसेमंद होते हैं और दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं, अश्विनी कांगे ने संक्षेप में कहा है- “हम कहते हैं कि हम आदिवासी भीतरवाले हैं और गैर-आदिवासी पितरवाले हैं। इसका मतलब है कि आदिवासी दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं, उनके सभी त्योहार और अनुष्ठान सरल होते हैं और एक साथ मनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरी ओर, गैर-आदिवासी अधिकांश मामलों में, अपने त्योहार यह दिखाने के लिए मनाते हैं कि कौन किससे बेहतर कर रहा है।” ज्यादातर मामलों में, आदिवासी एक मजबूत सांप्रदायिक पहचान भी साझा करते हैं

अंतर-जनजातीय संबंध और विविधता:

छत्तीसगढ़ में 42 विभिन्न आदिवासी समूह हैं; और मध्य प्रदेश में 46 हैं। प्रमुख समूह अपनी आजीविका के लिए अधिकतर स्थायी कृषि और वन संग्रह पर निर्भर हैं। जबकि छोटे समूह अधिकतर कारीगर हैं।

हालाँकि ऐसे सामान्य मूल्य और विश्व-दृष्टिकोण हैं जिनका सभी जनजातियों द्वारा समर्थन किया जाता है, लेकिन वे सजातीय नहीं हैं। सबसे पहले, वे खुद को एक-दूसरे से अलग मानते हैं और इसलिए अंतर-जनजाति विवाह स्वीकार्य नहीं है। अंतर-जनजाति विवाह के मामले में, दोनों पक्षों को जुमाना देना पड़ता है और, कई मामलों में, उन्हें समुदाय से बाहर कर दिया जाता है। उन्हें किसी भी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

कुछ जनजातियाँ, जैसे गोंड, प्रधान; स्वयं को सामाजिक पदानुक्रम की ऊँची सीढ़ी पर रखते हैं। “हालाँकि आदिवासी जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह पदानुक्रम से पूरी तरह मुक्त नहीं है। आदिवासी समुदायों के भीतर रीति-रिवाजों और प्रथाओं में कुछ पदानुक्रम और अंतर हैं”, एक सरकारी कर्मचारी ऐलिस लाकरा कहती हैं। “संपतिया उड़कले ने इस पदानुक्रम की ओर भी संकेत किया, “मध्यप्रदेश में गोंड को जनजातियों के बीच जाति पदानुक्रम में

सर्वोच्च स्थान माना जाता है। गोंड अधिकतर नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं। अन्य जनजातियाँ नर्मदा नदी से दूर जाकर बस गयी हैं।”

गाने, नृत्य रूप और पेंटिंग सामूहिकता के मूल्य और प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध को दर्शा सकते हैं, लेकिन वे सभी जनजातियों के लिए बिल्कुल समान नहीं हैं। लोक कलाकार और कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता अर्जुन धुर्वे ने बताया, “बैगा और अन्य आदिवासी समूहों के बीच मतभेद हैं। उदाहरण के लिए, बैगा नृत्य के चार प्रमुख रूप हैं- बैगा प्रभुमी, बैगा कर्मा, बैगा फाग और घोड़ी पेठाई। जबकि गोंड नृत्य शैलियाँ हैं- सैला, रीना और डंडा। इनके भी कर्मा होते हैं जो बैगा कर्मा से भिन्न होते हैं। बैगा टैटू और गोंड टैटू भी दृष्टिगत रूप से भिन्न हैं।”



सभी आदिवासी समूहों की अपनी-अपनी भाषाएँ हैं, हालाँकि, उनमें से कुछ लुप्त हो रही हैं क्योंकि युवा पीढ़ी अब उनकी भाषा नहीं बोलती है। गोंड जैसे कुछ प्रमुख आदिवासी समाज अपनी भाषा को प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करके उनकी रक्षा के प्रयास कर रहे हैं। ये भाषाएँ अलग-अलग भाषा समूहों से संबंधित हैं, जैसे बैगाओं द्वारा बोली जाने वाली बैगानी भाषा इंडो-आर्यन भाषा से संबंधित है; गोंडी, धुरवा, कुरुख द्रविड़ियन से संबंधित हैं; कोरकू, हो एस्ट्रो एशियाई भाषा समूहों से संबंधित है।



आदिवासियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीन श्रेणियों में बांटा गया है। आबादी का एक वर्ग पुरानी परंपराओं का पालन करता है, दूसरा वर्ग ईसाई है और तीसरा वर्ग हिंदू धर्म की ओर झुका हुआ है। एक ओर, कुछ साक्षात्कारकर्ताओं ने कहा कि वे हिंदू धर्म का पालन करते हैं और हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं; कुछ लोगों ने दृढ़ता से कहा कि आदिवासियों के अलग-अलग धर्म हैं और इसलिए उनकी धार्मिक प्रथाएं और रीति-रिवाज भी अलग-अलग हैं। दोनों राज्यों में कुछ प्रमुख जनजातियों ने खुद को 'समाज' में संगठित कर लिया है और अपने धार्मिक मानदंडों और अनुष्ठानों को संहिताबद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी समाज सदस्य द्वारा उल्लंघन के मामले में दंड की व्यवस्था भी विकसित की है। सभी आदिवासी समाज ने मिलकर सर्व आदिवासी समाज का गठन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, "जब मैं उत्तर बस्तर जाता था तो बुजुर्ग कहते थे कि गैर-आदिवासी हिंदू हैं और हमारे रीति-रिवाज और उनके रीति-रिवाज अलग हैं। हमारे रीति-रिवाजों का सनातन या हिंदू धर्म से कोई समानता नहीं थी; हमने हिंदुओं के विपरीत शवों को अंतिम संस्कार के लिए दफनाया; हमने देवताओं की पूजा नहीं की, बल्कि हमने प्रकृति की पूजा की।

हालाँकि, पिछले 3 दशकों में, कई चीजें समान हो गई हैं, आदिवासियों ने गणेशजी, दुर्गाजी की पूजा करना शुरू कर दिया है और अंतर धुंधला होता जा रहा है।"

दिलचस्प बात यह है कि गोंडों में, जो दोनों राज्यों की एक प्रमुख जनजाति है, यह विभाजन दिखाई देता है। जनजाति के एक वर्ग ने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों और प्रथाओं को आत्मसात कर लिया है, जैसे कि वे मंदिर बनाते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं; महिलाएं अपनी वैवाहिक स्थिति को बेहतर बताने के लिए सिन्दूर लगाती थीं। एक ओर संपतिया उड़केल ने कहा, "आदिवासियों की पोशाक (पहनावा), रीति-रिवाज और संस्कृति गैर-आदिवासियों से अलग है। हालाँकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। 500 साल पहले भी, आदिवासियों द्वारा हिंदू देवी-देवताओं जैसे दुर्गा, गणेश आदि की पूजा की जाती थी।" दूसरी ओर गोंड समाज प्रमुख आदिवासी समाज में से एक है जो दावा कर रहा है कि उनका धर्म और धार्मिक प्रथाएं हिंदुओं से अलग हैं। भूरी बाई ने कहा, "हमारे पास पूजा-प्रार्थना के लिए कोई मंदिर या मस्जिद नहीं है। हमारा मानना है कि एक पेड़ या एक पत्थर भी हमारा भगवान हो सकता है"



आदिवासी समाज में महिलाएँ:

एक व्यापक धारणा है कि आदिवासी समाज में आदिवासी महिलाओं की स्थिति गैर-आदिवासी समाज में उनके समकक्षों की तुलना में बेहतर है। विभिन्न उत्तरदाताओं ने इसके अलग-अलग उदाहरण साझा किए, जैसा कि ऐलिस लाकरा ने कहा, “अधिकांश आदिवासी समुदायों में लड़कियाँ अपने साथी चुनती हैं और समुदाय उनकी पसंद का सम्मान करता है और मिलन प्रक्रिया में भाग लेता है। उन्हें सबसे अच्छे कपड़े पहनकर हाट बाजार में जाने और यह पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि उनके साथी कौन हो सकते हैं। मैं हमारे तथाकथित आधुनिक, शहरी संभ्रांत परिवारों में ऐसा होने की कल्पना नहीं करता। वर्तमान में आधुनिक शहरी मध्यवर्गीय समाज लिव-इन रिलेशनशिप, कामुकता की खोज आदि जैसी ‘वर्जन’ों के बारे में खुलने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन ये शुरुआत से ही कई आदिवासी समाजों का हिस्सा हैं।” उत्तरदाताओं में से एक, गोदावरी मरावी, जो कि जनपद सदस्या हैं, ने बताया कि विधवा पुनर्विवाह एक स्वीकृत प्रथा है- “विधवा पुनर्विवाह के बारे में कोई वर्जना नहीं है। गैर-आदिवासी समाज के विपरीत, जो महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करती हैं, उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता या उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता।” आदिवासी महिलाएँ घर का अधिकांश काम करती हैं, वे जंगल भी जाती हैं और वन उत्पाद इकट्ठा करती हैं, वे कृषि का अधिकांश काम करती हैं, और काम के लिए बाहर जाने और बाजार जाने में कोई रुकावट नहीं है। जाहिर तौर पर, इससे अधिक गतिशीलता और स्वायत्तता मिलती है, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार की जनजातीय मामलों की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन ने बताया, “मैंने लगभग अपने पूरे करियर में आदिवासी क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है, और मैंने हमेशा महसूस किया है कि आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं पर काम का बोझ अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। मुख्य रूप से वे फसल की खेती के लिए कड़ी मेहनत करती हैं लेकिन साथ ही, वे अन्य समाजों में अपने समकक्षों की तुलना में अपने समाज में कहीं अधिक समतावादी स्थिति का भी आनंद लेती हैं।” हालाँकि, करीब से देखने पर, उनकी पारंपरिक प्रथाओं/कानूनों, भूमिका विभाजन, निर्णय लेने आदि में भेदभाव दिखाई देता है। अनुसूया मरावी ने काम के बोझ के बारे में बताया, “आदिवासी महिलाएं आदिवासी पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनत करती हैं। यदि वे हल चलाना या छतें खोदना शुरू कर देंगी, तो पुरुषों के पास कोई काम नहीं रह जाएगा और वे पूरी तरह से महिलाओं पर निर्भर हो जाएंगे।” परंपरागत कानून महिलाओं को भूमि के अधिकार से वंचित करता है और वे व्यक्तियों पर समुदाय को प्राथमिकता देने के अपने मूल्य के साथ इसे उचित ठहराते हैं। अश्विनी कांगे द्वारा साझा

किए गए स्पष्टीकरणों में से एक यह था कि “आदिवासी में, समाज की भूमि को एक विशेष गोत्र की संपत्ति माना जाता है, भले ही उन पर व्यक्तिगत परिवारों द्वारा खेती की जाती हो। चूँकि एक ही गोत्र में शादी संभव नहीं है, इसलिए परिवार की बेटियों को ज़मीन का हिस्सा नहीं मिलता है।”

बदलते समय के साथ महिलाओं की स्थिति और लैंगिक संबंध भी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार से बदल रहे हैं। बाहरी दुनिया, मीडिया आदि का संपर्क एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है। “टीवी धारावाहिकों और फिल्मों का सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरा है। आपने कभी आदिवासी महिलाओं को करवा चौथ मनाते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन अब टीवी ने महिलाओं को सजने-संवरने और जीवनसाथी के लिए व्रत रखने का प्रतीक बना दिया है। आदिवासी लड़कियों ने भी इन प्रथाओं को अपनाना शुरू कर दिया है”, ऐलिस लाकरा ने कहा। दहेज की कोई व्यवस्था नहीं थी, शादी बिना किसी दिखावे के एक साधारण मामला हुआ करती थी और महिलाएं अपना साथी चुनने के लिए स्वतंत्र थीं। हालाँकि, धीरे-धीरे सोना, कार/बाइक, नकदी आदि के रूप में दहेज देना शुरू कर दिया गया है। अनुसूया मरावी ने बताया, “हमें अपनी शादियों में दहेज देने की आदत नहीं थी, अब हमारे लोगों ने दहेज देना शुरू कर दिया है जैसा कि वे अन्य समाजों में देखते हैं, लोगों ने आभूषण देना शुरू कर दिया है।” दूसरी ओर, सीबीओ और सरकार ने महिला संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और संबद्ध स्तरों को मजबूत करने के लिए काम किया और उन्हें गाँव की निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा प्रदान की। कुछ महिला उत्तरदाताओं, जो स्वयं सहायता समूह का भी हिस्सा हैं, ने बताया कि इससे महिलाओं को परिवार के साथ-साथ गाँव में भी निर्णय लेने पर कुछ नियंत्रण रखने में मदद मिली है। हालाँकि, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। भूमि स्वामित्व सहित संपत्ति पर महिलाओं के स्वामित्व से संबंधित कुछ सुविधाजनक नीतियों ने भी कुछ क्रमिक परिवर्तनों में मदद की। हरवंश सिंह मिरी, सरकारी कर्मचारी ने कहा, “छत्तीसगढ़ में भूमि कानून के अनुसार, कोई भी महिलाओं को भूमि अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। बेटियों को विरासत में समान अधिकार है।”



पहुंच और आजीविका में बदलाव:

वन:

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में सभी उत्तरदाताओं ने बताया कि वन आदिवासी जीवन और आजीविका का अभिन्न अंग रहे हैं। कई लोगों ने बताया कि हाल तक, 30-40 साल पहले तक, आदिवासियों को लगभग सब कुछ वनों से मिलता था। कई उत्तरदाताओं ने एक कहावत बताई कि आदिवासी केवल नमक और कपड़ों के लिए बाजार पर निर्भर थे, बाकी सब कुछ जंगल में उपलब्ध था। एक सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत रहांगडाले ने बताया, “बैगा जंगल से विभिन्न मौसमों में लगभग 43 प्रकार की साग-सब्जियाँ, 15 से अधिक प्रकार की जड़ें, 20 से अधिक प्रकार के फल इकट्ठा करते थे। इनका उपयोग विभिन्न मौसमों में उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।” इस निर्भरता के कारण, उनकी पारंपरिक एनटीएफपी संग्रह विधियां यह सुनिश्चित करती हैं कि क्षेत्र की जैव विविधता को नुकसान न पहुंचे; जैसे कि भोजन इस तरह से एकत्र किया जाता है कि यह पुनर्विकास/कायाकल्प सुनिश्चित करे। पेड़ों को काटने के तरीके के साथ-साथ उन्हें लगाने के भी और मौसम/महीने निर्धारित हैं ताकि वनों की निरंतरता सुनिश्चित रह सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि वे केवल वही एकत्र करें जिसकी उन्हें आवश्यकता है। आदिवासी परंपरा में वे अधिक मात्रा में संचय करने में विश्वास नहीं करते, चाहे वह भोजन हो या धन या कोई अन्य उत्पाद। हालाँकि, परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। सरकार और वन विभाग जंगल को आय के संसाधन के रूप में देखते हैं, इसलिए सभी परियोजनाएं और योजनाएं ज्यादातर बाजार की मांग वाली लकड़ी, लकड़ी के पेड़ों और पौधों की रक्षा करती हैं। यह आदिवासियों के अपने जंगलों के साथ सहजीवी संबंध

पर विचार नहीं करती है। यह जैव विविधता को कम करने के कारणों में से एक है, जैसा कि कई उत्तरदाताओं ने साझा किया है। इसके अलावा, बाजार धीरे-धीरे मानसिकता को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आदिवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी ने भविष्य की सुरक्षा के लिए 'अतिरिक्त' संग्रह करने में विश्वास करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें जंगल से जरूरत से ज्यादा संग्रह करना पड़ता है और कई मामलों में तो यह जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे बैगा चक से मलिहान लगभग गायब हो रहा है क्योंकि लोगों ने बाजार की भारी मांग के अनुसार पत्तियां एकत्र कीं, लेकिन दूसरी ओर, इसे वन विभाग द्वारा एक खरपतवार के रूप में माना गया और इसलिए इस बेल का कोई नया रोपण नहीं किया गया है। अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार, यदि एफआरए को इसकी वास्तविक भावना से लागू किया जाए, तो यह मददगार हो सकता है। कई क्षेत्रों में सरकार सीएसओ के साथ मिलकर आईएफआर और सीएफआर के माध्यम से एफआरए सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है; लेकिन इसमें कमियां हैं। “एफआरए को लागू करने की जिम्मेदारी आदिवासी विभाग को दी गई थी और जो कर्मचारी जिम्मेदार हैं उनमें से अधिकांश को संदर्भ के साथ-साथ अधिनियम की कोई स्पष्ट समझ नहीं है। यदि अधिनियम को उसकी वास्तविक भावना में लागू किया जाना है, तो जो लोग इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को नेक इरादे और उचित रूप से सुसज्जित होने की आवश्यकता है”, बलवंत रहांगडाले ने कहा। कुछ उत्तरदाताओं ने सोचा कि आईएफआर आदिवासी मूल्यों के अनुरूप नहीं है क्योंकि यह सामुदायिक मूल्यों पर व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है।

कृषि:

आदिवासियों के दो समूह हैं, एक, जो परंपरागत रूप से कई पीढ़ियों से खेती पर निर्भर थे; दो, जो मुख्यतः कारीगर हैं। दूसरे समूह में अभी भी कई भूमिहीन परिवार हैं।

परंपरागत रूप से आदिवासियों को प्राकृतिक चक्रों और ऋतुओं का गहरा ज्ञान था, वे वनस्पतियों और जीवों को पुनर्जीवित करने के प्रति सचेत थे और वे कृषि के पुनर्जीवित तरीकों का पालन करते थे जिसमें फसल का चयन, बीज का चयन और खेती के तरीके शामिल थे। खेती से संबंधित इन तरीकों और अनुष्ठानों में एकजुटता का मूल्य भी अंतर्निहित था; जैसे बीज-साझाकरण/विनिमय; श्रम बँटवारा; एक साथ फसल का जश्न मनाना 'नवाखाई'। वन उत्पादों के समान, परंपरागत रूप से, आदिवासियों की खेती उनके जीवन यापन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती थी; अतिरिक्त उपज को बाज़ार में बेचकर अतिरिक्त भोजन या आय जमा करने के लिए नहीं। कई अन्य कृषक समुदायों की तरह, अधिकांश कृषि कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है जबकि पुरुष बुआई के लिए भूमि तैयार करते हैं।

इन क्षेत्रों में धीरे-धीरे परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जहां पिछले 10-15 वर्षों में लोगों ने देशी बीजों के स्थान पर अधिक उपज देने वाले किस्म के बीजों को अपनाना शुरू कर दिया है; उन्होंने गैर-जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है; कई मामलों में बाजरा जैसी फसलों को भी धान/गेहूं से बदल दिया जाता है। "पहले हम बाजरा की खेती करते थे, लेकिन इन दिनों हम धान की अधिक खेती करते हैं। हमने धान के लिए अपनी जमीन समतल कर ली है।

हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन आजकल हम करते हैं", गोदावरी मरावी ने साझा किया। खान-पान की बदलती आदत ने फसल विकल्पों में बदलाव को भी बढ़ावा दिया। गोदावरी ने आगे कहा, "बच्चे अब कोदो कुटकी खाना पसंद नहीं करते। पीडीएस में भी धान का वितरण किया जाता है। चावल बनाने में कम समय और मेहनत लगती है इसलिए महिलाओं के लिए इसे बनाना आसान होता है। आपको चावल-मिलें हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन कोदो-कुटकी को संसाधित करने के लिए कोई मशीनीकृत सुविधा उपलब्ध नहीं है।" इस बदलाव में सीएसओ और सरकार के विस्तार विभागों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने आदिवासी किसानों को प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग सहायता, बीज वितरण आदि के माध्यम से उपज बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों और बीज कंपनियों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के पैकेज का पालन करने में मदद की। एक अनुभवी शिक्षक शेरसिंह अचला सोचते हैं, "पहले हम बाजरा, अरहर आदि जैसी फसलों की खेती करते थे जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। जंगल से हमें साग-सब्जियां, कंद-मूल, फल और खाने योग्य फूल मिलते थे। धीरे-धीरे, बाहर से लोग हमारे पास आने लगे और उन्होंने हमसे कहा कि हम अपने बीजों और खेती के तौर-तरीकों को आधुनिक बीजों और उर्वरकों के साथ बदलें। हमने उनकी सलाह मानना शुरू कर दिया।" इस प्रक्रिया में, आदिवासियों की खेत और जंगल से संबंधित ज्ञान प्रणाली भी निरर्थक होती गई और वे लाभार्थी बन गए और कृषि के बारे में अपने ज्ञान और निर्णय पर नियंत्रण खो बैठे। विभिन्न अन्य कारकों के साथ-साथ, रचनात्मकता के नियंत्रण और दायरे की कमी ने आदिवासी युवाओं की कृषि में रुचि कम कर दी।



प्रवासन:

कुछ उत्तरदाताओं ने बताया कि आदिवासियों का एक वर्ग आय के लिए केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे अन्य स्थानों पर पलायन करता है, जिसका मुख्य कारण कम कृषि उत्पादन, जंगलों तक पहुंच में कमी और उन पर बढ़ते दबाव तथा आय के लिए अन्य विकल्पों की कमी है। चूंकि उनकी शिक्षा का स्तर निम्न है इसलिए अधिकांश आदिवासी युवा कम वेतन वाले आकस्मिक छोटे-मोटे काम के लिए पलायन कर जाते हैं। कुछ उत्तरदाताओं का मानना है कि वर्तमान में कम लोग काम के लिए पलायन कर रहे हैं। गोदावरी मरावी ने कहा, "आजकल लोग कम पलायन कर रहे हैं। वे गांव में ही मनरेगा के तहत 100 दिनों तक मजदूरी का काम पा सकते हैं।"

कारीगरी:

दोनों राज्यों में विभिन्न छोटे कारीगर समूह हैं जो पारंपरिक रूप से चित्रकार या नर्तक या धातुकार हैं। उत्तरदाताओं में कुछ प्रसिद्ध कलाकार शामिल हैं जिनमें गोंड और भील चित्रकार, लुहार, बैगा नर्तक आदि शामिल हैं। उन सभी के अनुसार, परंपरागत रूप से उनकी जनजाति में हर किसी के पास उस विशेष कला का कौशल होगा; हालांकि, युवा पीढ़ी में अब रुचि धीरे-धीरे कम हो रही है। इसलिए, केवल कुछ ही, जो या तो बाहरी लोगों द्वारा पहचाने जाते हैं या बाजार में अपनी प्रतिभा बेचकर आजीविका कमाने में सक्षम होते हैं; अपनी कला को जारी रख रहे हैं। सरकार द्वारा मान्यता मिलने से उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान बनाने में भी मदद मिली। उन्हें बाज़ार की माँग के अनुसार उत्पादों में संशोधन करने की भी आवश्यकता थी। जैसे कि गोंड चित्रकारी पारंपरिक रूप से दीवारों, दरवाजों आदि पर की जाती थी। हालांकि, शहरी बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए चित्रकार अब कपड़े, कटलरी, फ्रेम वाली चित्रकारी आदि लेकर आ रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान सामान्य मार्केटिंग चैनल बाधित हो गए थे और इसके कारण मार्केटिंग प्रौद्योगिकी तक पहुंच की कमी के कारण, कारीगरों को उत्पाद बेचने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। विजय धुर्वे, जो खुद एक प्रसिद्ध लुहार कलाकार हैं, ने कहा, "कोविड-19 अवधि के दौरान मार्केटिंग का दायरा कम हो गया। वस्तुओं और सामानों का ऑर्डर भी कम हो गया है और मेलों और प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाने की संभावना भी कम हो गई है।" कुछ उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार, युवाओं में रुचि दोबारा पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भूरी बाई, एक भील कलाकार, जो पद्म पुरस्कार विजेता भी हैं, ने सुझाव दिया, "यह अच्छा है कि हममें से कुछ को शहरी अभिजात वर्ग द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक ग्रामीण युवा इस कौशल को कैसे अपनाएं।"

बाज़ार और उद्यम:

लगभग सभी उत्तरदाताओं ने कहा कि आम तौर पर आदिवासी उद्यमी के रूप में अच्छे नहीं होते हैं और यही कारण है कि आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों के बाजारों पर भी गैर-आदिवासियों का वर्चस्व है। "मुझे लगता है कि आदिवासियों को गैर-आदिवासियों से जो एक चीज़ सीखनी चाहिए वह है थोड़ा अधिक व्यवसायिक मानसिकता वाला होना। आदिवासी उद्यमी के रूप में अच्छे नहीं हैं, उनके पास जो कुछ भी है उससे वे खुश हैं।" गोदावरी मरावी ने कहा। लेकिन इस पहलू में धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहे हैं। सरकार और सीएसओ, एफपीओ को बढ़ावा देने जैसी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू कर के उद्यमशीलता ऊर्जा पैदा करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं ताकि आदिवासी बाजार में अपनी जगह बना सकें। आदिवासी युवाओं को सहायता देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसा कि संपतिया उड़के ने साझा किया, "युवा पीढ़ी का झुकाव धीरे-धीरे व्यवसाय की ओर हो रहा है। प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया कार्यक्रम कई आदिवासी युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।" स्वयं सहायता समूह और उससे जुड़े स्तरों के बारे में उनका कुछ अन्य उत्तरदाताओं का विचार था कि यह प्रक्रिया मजबूत हो रही है।" स्वयं सहायता समूहों ने बचत, ऋण लेने और व्यवसाय करने के माध्यम से महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद की है।" बाजार की प्रकृति भी बहुत बदल गई है जैसा कि अरविंद नेताम ने बताया, "बाजार बहुत बदल गया है। पहले का बाज़ार स्थानीय तक ही सीमित था, कोई सड़क नेटवर्क नहीं था, कोई वेब नेटवर्क नहीं था। जो कुछ भी उत्पादित किया जाता था, उसमें शायद ही कोई बच पाता था और इसका अधिकांश भाग स्थानीय स्तर पर उपभोग कर लिया जाता था। जरूरत का एहसास भी कम था। अब हम दुनिया से जुड़ गये हैं, बस्तर से उत्पादित जंगल और कृषि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकते हैं। युवा पीढ़ी की आकांक्षाएं भी कई मायनों में बाजार द्वारा आकार लेती हैं। चिप्स और मैगी जैसी चीज़ें हर स्थानीय बाज़ार में उपलब्ध हैं।"

सरकारी योजनाएँ और कार्यक्रम:

एक सामाजिक कार्यकर्ता, इंद्रावती मंडावी का मानना है कि कुछ योजनाएं ग्रामीण स्तर पर लागू की गई हैं और इससे आदिवासी समुदाय को लाभ हुआ है "अधिकांश आदिवासी गांवों में लोगों के पास एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) तक पहुंच है। चूंकि आईसीडीएस मध्याह्न भोजन प्रदान करता है, इसलिए बच्चों को पौष्टिक पका हुआ भोजन मिल पाता है।" ऐसे अधिनियम और प्रावधान विद्यमान हैं जो सूक्ष्म अंतर्गत को अंगीकार करते हैं और

आदिवासियों के विकास के मुद्दों को हल करने में बेहद सहायक हो सकते हैं। ऐलिस लाकरा एक उदाहरण देती हैं, “आदिवासी समुदायों के अपने रीति-रिवाज हैं और उन्हें पेसा के माध्यम से मान्यता दी गई है। यह अधिनियम बहुत स्पष्ट रूप से परंपरागत कानूनों का सम्मान करने और उन्हें स्वीकार करने के बारे में कहता है। यह अधिनियम आदिवासी समुदायों की ताकत बन सकता है और उन्हें बाकी मुख्यधारा समाज से अलग कर सकता है।” कुछ लोगों के इस बारे में भी कुछ विचार हैं कि सरकार को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए; जैसे सामाजिक कार्यकर्ता ममता कुजूर ने कहा, “हमारे पूर्वजों ने कड़ी मेहनत करके कृषि भूमि बनाई और हमें सौंपी। लेकिन कमाने के लिए पलायन कर रहे युवा अपनी जमीन से विमुख हो रहे हैं। धीरे-धीरे उनकी ज़मीन पर कोई और कब्ज़ा कर लेगा और अगली पीढ़ी के पास कोई ज़मीन नहीं बचेगी।

यदि सरकार मौजूदा भूमि और अन्य संसाधनों का उपयोग करके गांव में ही अधिक आय सृजन के विकल्प तैयार करती है तो यह मददगार होगा। आदिवासी मूल्यों और संस्कृति की रक्षा करने का यही एकमात्र तरीका है।” अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सैबल जाना ने कहा, “लोगों के लिए कुछ भी डिजाइन करने से पहले हमें उन लोगों की सांस्कृतिक विरासत को समझने की ज़रूरत है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे दृष्टिकोण और विचार उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाएं। और इस विसंगति के कारण, कई योजनाएं और परियोजनाएं इच्छित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही हैं। यह आवश्यक नहीं है कि समुदाय उन्हें दी गई किसी भी चीज़ को स्वीकार करे इसलिए कार्यक्रम नियोजकों और नीति निर्माताओं को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।” बैगा समाज के राज्य नेता एतवारी बैगा इस बात का

अधिक विशिष्ट उदाहरण देते हैं कि कैसे सरकार की परियोजनाएं पीवीटीजी और आदिवासियों के लिए अधिक प्रभावी हो सकती हैं, “सरकार विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से आदिवासियों और पीवीटीजी के उत्थान के लिए काम कर रही है। हालाँकि, कई मामलों में इससे उनके पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का नुकसान हो रहा है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, पुराने मिट्टी के घरों को कंक्रीट ढांचों से बदला जा रहा है। लेकिन इससे, अपनी ज़रूरतों और मौसम के अनुकूल घर कैसे बनाएं, इसके बारे में उनका ज्ञान भी बेमानी होता जा रहा है। उन पारंपरिक घरों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले घास और लंबी पत्तियों को उगाने और संसाधित करने का ज्ञान लुप्त हो रहा है। यदि इन योजनाओं का मसौदा तैयार करते समय पारंपरिक ज्ञान को ध्यान में रखा जाए तो यह सहायक होगा। इस उदाहरण में पारंपरिक सामग्री और तरीकों का उपयोग करके घरों को बेहतर बनाने में कंक्रीट के घरों की तुलना में कम लागत आएगी।”

कुल मिलाकर, साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जो आदिवासी परिवारों में आजीविका की स्थिति को प्रभावित करते हैं। कुछ मामलों में, उन्होंने समान विचार साझा किए। ऐसे मामले भी हैं जहां हमें परस्पर विरोधी विचार भी मिले। उनके द्वारा साझा की गई कुछ गहन अंतर्दृष्टि और सुझाव हैं। किसी भी कार्यक्रम को डिजाइन करते समय या कोई नीति बनाते समय हितधारकों द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जा सकता है।



अनुलग्नक बी

फोकस समूह चर्चा का सारांश

50 गांवों में फोकस समूह चर्चा (एफजीडी) आयोजित की गई। आंकड़ों में विसंगतियों के कारण चार एफजीडी विश्लेषण हेतु विचार नहीं किए गए। एफजीडी की एक विस्तृत सूची नीचे तालिका 1.1 और 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.1: मध्य प्रदेश में एफजीडी के लिए नमूने लिए गए ब्लॉक

महिलाओं के साथ एफजीडी		
ग्राम प्रकार	ब्लॉकों के नाम	एफजीडी की संख्या
आदिवासी गांव	बड़वानी, जामई (जुन्नारदेव), बदनावर, खिरकिया, पनागर, काहनापास (घंसौर) सोहागपुर	7
गैर-आदिवासी गांव	तामिया	1
पीवीटीजी गांव	—	—
कुल		8

युवाओं के साथ एफजीडी		
ग्राम प्रकार	ब्लॉकों के नाम	एफजीडी की संख्या
आदिवासी गांव	मझोली, महेश्वर, पाटी, परासिया, डही	5
गैर-आदिवासी गांव	—	—
पीवीटीजी गांव	मवई	1
कुल		6

मिश्रित समूह के साथ एफजीडी		
ग्राम प्रकार	ब्लॉकों के नाम	एफजीडी की संख्या
आदिवासी गांव	निवाली, बाग, झिरन्या, सिवनी, मानपुर, पांडुर्ना	6
गैर-आदिवासी गांव	शाहपुरा	1
पीवीटीजी गांव	कराहल	1
कुल		8

कुल
एफजीडी 22

आदिवासी
गांव 18

गैर-आदिवासी
गांव 02

पीवीटीजी
गांव 02

तालिका 1.2: छत्तीसगढ़ में एफजीडी के लिए नमूने लिए गए ब्लॉक

महिलाओं के साथ एफजीडी		
ग्राम प्रकार	ब्लॉकों के नाम	एफजीडी की संख्या
आदिवासी गांव	बकबंद, भोपालपटनम मरवाही, छुरा, जशपुरनगर, पंडरिया, फरसगांव, भैयाथेन	8
गैर-आदिवासी गांव	टोंकापाल	1
पीवीटीजी गांव	गरियाबंद	1
कुल		10

युवाओं के साथ एफजीडी		
ग्राम प्रकार	ब्लॉकों के नाम	एफजीडी की संख्या
आदिवासी गांव	लोहानंदीगुड़ा, गौरेला नंबर 2, कोंडागांव, भरतपुर (जनकपुर), प्रेमनगर	5
गैर-आदिवासी गांव	सूरजपुर	1
पीवीटीजी गांव	—	—
कुल		5

मिश्रित समूह के साथ एफजीडी		
ग्राम प्रकार	ब्लॉकों के नाम	एफजीडी की संख्या
आदिवासी गांव	केशकाल, बैकुंठपुर, मस्तूरी, मैनपुर, प्रतापपुर, जगदलपुर,	6
गैर-आदिवासी गांव	कोटा	1
पीवीटीजी गांव	बागीचा	1
कुल		9

कुल
एफजीडी 24आदिवासी
गांव 19गैर-आदिवासी
गांव 03पीवीटीजी
गांव 02



विभिन्न विषयों पर ग्रामीणों के अलग-अलग समूहों द्वारा बताए गए विचार निम्नवत हैं।

ए. आदिवासी सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रथाएं

ए1. युवा समूह

छत्तीसगढ़:

आदिवासी गांवों के लगभग सभी युवा वर्गों ने साझा किया कि आदिवासी संस्कृति गैर-आदिवासियों से अलग है। आदिवासी समाज प्रकृति की पूजा करता है। वे दियारी, अमुश, नवाखानी आदि जैसे त्योहार मनाते हैं। सभी ग्रामीण, पुरुष और महिलाएं शाम को इकट्ठा होते हैं और मांदर की ध्वनि पर नृत्य करते हैं। इसी प्रकार विवाह के मामले में जिम्मेदारी पूरे गांव की होती है। उनके लिए विवाह एक त्योहार है कोई रस्म नहीं।

आदिवासी संस्कृति में जब किसी आदिवासी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ढोल बजाने की परंपरा है। कुछ युवाओं ने बताया कि वे इस परंपरा को बदलना चाहते हैं क्योंकि किसी के मरने पर ड्रम बजाना अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है मानो वे जश्न मना रहे हों। कई युवा समूहों ने साझा किया कि आदिवासियों द्वारा शराब के सेवन से उन्हें अधिक खर्च करना पड़ता है और इसे रोका जाना चाहिए।

कुछ युवा समूहों ने बताया कि उनके गांवों में लड़कियाँ अब अधिक शिक्षित हो रही हैं। एक गांव में युवकों ने बताया कि उनकी जनजाति में प्रेम विवाह को मान्यता दी जाती है। वे विभिन्न जनजातियों/जातियों में भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन उन्हें समाज को भुगतान करना होगा।

गैर-आदिवासी गांव में भी युवा समूह ने साझा किया कि आदिवासी समाज थोड़ा अलग है क्योंकि वे गैर-आदिवासियों के विपरीत थोड़ा अलग तरीके से नृत्य और पूजा करते हैं।

मध्य प्रदेश:

मध्य प्रदेश में, आदिवासी गांवों के कई युवा समूहों ने बताया कि आदिवासी और गैर-आदिवासी संस्कृति के बीच बहुत अंतर नहीं है। कुछ समूहों ने साझा किया कि उन्हें अपनी आदिवासी संस्कृति पर गर्व है।



ए2. मिश्रित समूह

छत्तीसगढ़:

इस संबंध में मिश्रित समूह ने जो साझा किया वह युवा समूहों द्वारा कही गई बातों से बहुत अलग नहीं था। अधिकांश ग्रामीणों ने बताया कि आदिवासियों की जीवनशैली और संस्कृति के अपने अनूठे तरीके हैं। उनके पास ग्रामीण स्तर पर सामाजिक मुद्दों को हल करने के अधिकार और तंत्र हैं और गाँव में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मानदंड हैं।

एक समूह ने साझा किया कि वे गैर-आदिवासी समाज (गांव के ही मुंडी समाज) का पालन कर रहे हैं और किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में चिकन और मटन नहीं खा रहे हैं।

गैर आदिवासी गांव में समूह चर्चा के दौरान यह साझा किया गया कि गांव में केवल दो आदिवासी परिवार थे और इसलिए उन्होंने गैर आदिवासी जीवन शैली के तरीकों को अपना लिया है।

पीवीटीजी (पहाड़ी कोरवा) गांव में यह बताया गया कि कोरवा समझते हैं कि उन्होंने अभी भी अपनी संस्कृति को संरक्षित रखा है, वे अभी भी अपनी भाषा बोलते हैं और अपने स्वयं के सांस्कृतिक त्योहार बनाते हैं। यह अपनी संस्कृति और विचारधारा को लेकर बहुत कट्टर है।

मध्य प्रदेश:

मध्य प्रदेश के आदिवासी गांवों में, अधिकांश ग्रामीणों ने साझा किया कि आदिवासी लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं और साथ ही प्रकृति की पूजा भी करते हैं। कुल मिलाकर, उन्होंने युवा समूह जैसी ही बातें साझा कीं।





बी. अच्छे जीवन का विचार

बी1. युवा समूह

छत्तीसगढ़:

आदिवासी गांवों में युवाओं के लिए, अच्छे जीवन का विचार तब है जब सम्मानजनक और लाभकारी रोजगार हो, परिवार के प्रत्येक सदस्य को पर्याप्त भोजन मिले, घर के सभी सदस्य एक साथ हों, उनके पास कपड़े और अन्य आवश्यक सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा हो, घर के सदस्य शिक्षित हों और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही हो। उनमें से कुछ लोग नौकरी पाने के लिए गाँव से दूर जाना भी पसंद नहीं करते हैं। वे अच्छी तरह से खेती करना चाहते हैं ताकि उन्हें अधिक आमदनी हो सके।

कुछ समूहों ने अच्छे जीवन के संकेतक के रूप में कंक्रीट के घरों का भी उल्लेख किया। एक समूह के प्रतिभागियों ने कहा कि मोटरसाइकिल रखने से अच्छा जीवन आता है। एक समूह में प्रतिभागियों ने कहा कि अच्छे जीवन के लिए गांव में शराब पर प्रतिबंध लगाना होगा।

बी2. महिला समूह

छत्तीसगढ़:

कुछ महिलाओं ने अपनी पर्याप्त जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी अधिक आय के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के बारे में बताया, जबकि कुछ महिलाओं ने गांव परिसर में बेहतर स्कूलों, सिंचाई के बुनियादी ढांचे, पीने के पानी, सड़कों, बिजली और अस्पतालों की एक प्रणाली विकसित करने की कल्पना की, जिससे उनकी स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने शराब के सेवन से मुक्त वातावरण; महिलाओं को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी मिलने और बच्चों को अच्छी शिक्षा और भोजन मिलने की परिकल्पना की। गाँव में एक सार्वजनिक स्थान हो जहाँ हर किसी को गाँव के विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में बोलने के लिए जगह मिले। चूँकि आदिवासियों का वन से गहरा रिश्ता है, इसलिए उन्होंने वन संरक्षण के लिए की जाने वाली पहल के बारे में जानकारी साझा की। गैर-आदिवासी गांवों की महिलाओं ने अच्छी आय और रोजगार के साथ अच्छा जीवन जीने के अपने विचार साझा किए; परिवार के सभी सदस्य शिक्षा प्राप्त कर सकें और स्वस्थ रह सकें।

मध्य प्रदेश:

आदिवासी गांवों के अधिकांश युवा समूहों ने साझा किया कि यदि उन्हें सम्मानजनक और पारिश्रमिक रोजगार मिलेगा, तो वे अच्छा जीवन यापन करने में सक्षम होंगे। कुछ युवाओं ने बताया कि वे अधिक पैसा कमाने के लिए छोटा काम या सुंदर व्यवसाय भी करने को इच्छुक हैं। संक्षेप में, युवाओं ने बताया कि अच्छा जीवन बेहतर रोजगार और अधिक पैसे के साथ आता है। एक गांव में कुछ युवाओं ने बताया कि परिवार के साथ रहने से ही अच्छी जिंदगी मिलती है।

पीवीटीजी (बैगा) गांव में समूह चर्चा के दौरान युवाओं ने बताया कि अच्छा जीवन सिंचित कृषि, स्वच्छ पेयजल, बच्चों के लिए उचित शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से आता है। साथ ही अगर उन्हें मौका मिले तो वे गांव में ही रहकर काम करना पसंद करेंगे।

पीवीटीजी महिलाओं ने एक घर, पानी की व्यवस्था और परिवार में सामंजस्य के बारे में बताया।

मध्य प्रदेश:

कुछ आदिवासी गांवों में महिलाओं ने बताया कि वे शांतिपूर्ण और सुखी जीवन और अपने बच्चों के पास सार्थक जीवन मूल्य होने की कल्पना करती हैं। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और अपने परिवार के साथ मिलकर रहना चाहिए। वे अच्छे रोजगार और आय के अवसरों की आकांक्षा रखती हैं जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। कुछ महिलाओं ने शिक्षा, नौकरी और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के मामले में महिलाओं के स्वतंत्र होने के बारे में भी जानकारी साझा की। वे पर्याप्त भूमि जोत रखने की कल्पना करती हैं ताकि मजदूरी पर उनकी निर्भरता कम हो जाए। उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके ताकि उन्हें स्थायी जीवन के लिए बेहतर अवसर मिल सकें।

बी3. मिश्रित समूह

छत्तीसगढ़:

कई आदिवासी गांवों में मिश्रित समूहों के लोगों ने कहा कि परिवार के साथ समृद्ध जीवन बिताना ही उनकी खुशी है। इसके अलावा अन्य घटक हैं सिंचाई का बुनियादी ढांचा, कृषि से उच्च आय, अच्छी सड़कें और नेटवर्क, बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय के साथ पक्का घर, चिकित्सा सुविधाएं, वृद्धावस्था पेंशन, साक्षर परिवार के सदस्य, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, आदि।

एक गांव में लोगों ने कहा कि अच्छा जीवन वह है जहां परिवार के सदस्य थराब न पियें और घरेलू हिंसा न करें। दूसरे गांव में लोगों ने लाभकारी रोजगार की बात की।

एक गैर आदिवासी गांव में, यह साझा किया गया कि अच्छे जीवन का विचार वह होगा जब वे पूरे दिन काम करें और रात में अच्छी नींद लें। उन्होंने बेहतर स्कूलों, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छ और ताजी हवा, पानी, चिकित्सा सुविधाओं, अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों आदि के बारे में भी बात की।

पीवीटीजी (पहाड़ी कोरवा) गांव में मिश्रित समूह द्वारा यह बात रखी गयी कि जमीन पर अधिकार होना चाहिए। सरकार को इनके विकास

के लिए विशेष परियोजनाएं बनानी चाहिए और उन्हें अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए और उचित पोषण समर्थन मिलना चाहिए। गांव में हैंडपंप, कुआं, तालाब होना चाहिए।

मध्य प्रदेश:

मध्य प्रदेश के आदिवासी गांवों में, लोगों ने साझा किया कि अच्छा जीवन लाभकारी रोजगार के साथ आता है जिसके लिए अच्छा घर, अच्छे कपड़े, शिक्षा, दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुएं होना आवश्यक है।

एक समूह में लोगों ने साझा किया कि अच्छे जीवन के लिए अच्छी मूल्य प्रणाली आवश्यक है। दूसरे समूह में लोगों ने अच्छे जीवन के लिए घर में शांति को आवश्यक शर्त बताया।

गैर आदिवासी मिश्रित समूह के लिए, अच्छे जीवन का विचार शौचालय, पानी की उपलब्धता, पारिश्रमिक रोजगार, बच्चों के लिए शिक्षा आदि के साथ बेहतर घर होना है।





सी. वन एवं वन अधिकार

सी.1. महिला समूह

छत्तीसगढ़:

आदिवासी गांवों की लगभग हर महिला ने जंगलों को अपनी जीविका का अभिन्न अंग बताया और बताया कि वे मुख्य रूप से जंगल पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि वनोपज संग्रह करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं की है। लघु वन उत्पाद (एमएफपी) जैसे फल, जड़ी-बूटियाँ, मशरूम, इमली, साल बीज (शोरिया रोबस्टा), दातुन, तेंदूपत्ता (डायस्पायरोस मेलानोक्विसिलोन पत्तियाँ), सरगी पान, आदि उनकी आजीविका में पूरक आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विकासात्मक गतिविधियों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वनों की कमी के कारण वनों का घनत्व नष्ट हो गया है। वन उत्पाद अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। आदिवासियों का जीवन प्रभावित हुआ है जिससे असुरक्षा पैदा हुई है। गाँव के सदस्य भी वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि कृषि कार्य और घरेलू उपयोग के लिए जंगलों को साफ किया जाता है।

जंगलों में जंगली सूअर, सियार और जंगली हिरण जैसे कई जंगली जानवरों का घर बह गया है। जंगली जानवरों ने घरेलू पशुओं और पक्षियों पर हमला करना शुरू कर दिया; जिससे इंसानों को खतरा है और ऐसे हमलों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया है।

मध्य प्रदेश:

गाँव की कुछ महिलाओं ने लकड़ी की कमी के डर से वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने वाले लोगों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में बताया। इस प्रकार, वे गैस आपूर्ति की मांग करते हैं परंतु उन्हें आशंका है कि इसके बहुत महंगी होने के कारण रीफिल करा सकेंगे या नहीं। कई महिलाओं ने स्वीकार किया कि वे घरेलू जरूरतों के लिए लकड़ी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं; सिर पर लकड़ी लादने का कष्ट उठाते हुए उन्हें उबड़-खाबड़ रास्तों पर मीलों चलना पड़ता है। अधिकांश महिलाओं ने बताया कि जलाऊ लकड़ी की उपलब्धता घट रही है और वनों की कटाई वहां रहने वाले जानवरों और पक्षियों के लिए एक बड़ा खतरा है।

पहले जंगलों के भीतर कई जानवर और पक्षी देखे जाते थे जो अब धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। जंगल से लकड़ी प्राप्त करने की वर्तमान स्थिति के कारण वनों की कटाई हो रही है, इसके लिए ग्रामीण भी जिम्मेदार हैं।

तेंदू के पत्ते (डायस्पायरोस मेलानोक्विसिलोन), महुआ (मधुका लोंगिफोलिया), टेमरू, काई और अचार के पत्ते पांच प्रमुख लघु वन उत्पाद (एमएफपी) हैं जिनका वे दोहन करते हैं। एक समय, जंगल आजीविका और भोजन की खपत के मामले में बहुत कुछ प्रदान करते थे, जबकि जंगलों का दायरा अब सीमित हो गया है जिससे उन्हें कुछ नकदी प्राप्त करने और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए दैनिक मजदूरी के काम की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। गांवों की महिलाओं ने वनों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा और अधिक पहल और कार्यक्रम चलाने का आग्रह किया।







सी 2. मिश्रित समूह

छत्तीसगढ़:

आम तौर पर मिश्रित समूह में आदिवासी गाँव के ग्रामीणों ने बताया कि उनमें से लगभग सभी जलाऊ लकड़ी के लिए इस पर निर्भर हैं। उन्हें अपना घर बनाने के लिए लकड़ी और निर्माण के लिए मिट्टी मिलती है। जंगल उनके जीवन का अभिन्न अंग है। जंगल में बहुत सारे पत्तेदार पौधे और कंद वाली फसलें उपलब्ध हैं जिन्हें वे पकाते हैं। कई ग्रामीणों की शिकायत है कि जंगलों से उनके द्वारा खाए जाने वाले कंद, लताओं की उपलब्धता गायब होती जा रही है।

कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें आईएफआर मिला है जबकि अन्य ने कहा कि उन्होंने भी जंगल में खेती की थी लेकिन उन्हें आईएफआर नहीं मिला। उनमें से कई को बीएलसीसी और डीएलसीसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ग्राम सभा में आईएफआर के अपने दस्तावेजों का अनुमोदन किया है और उन्हें ब्लॉक स्तर के सीईओ को सौंप दिया है। उन्हें प्रस्तुत दस्तावेजों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है और उन्हें नहीं पता कि उनके अधिकार क्या हैं, लेकिन उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के सुझाव के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। वे सीएफआर के बारे में जानते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है। यदि उन्हें प्रक्रियाओं के बारे में मार्गदर्शन दिया जाए तो वे अधिकारों का दावा करने को तैयार हैं।

हालाँकि, कई गाँवों में ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें वन अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मवेशियों को जंगल में चराने के लिए ले जाया जाता था, तो वन रक्षकों द्वारा उन्हें बहुत परेशान किया जाता था।

कुछ ने कहा कि हालाँकि उन्हें सीएफआर और आईएफआर अधिनियमों के बारे में नहीं पता था लेकिन उनमें से कुछ के पास जंगल में जमीन थी और उन्हें जमीन का पट्टा मिल गया। कुछ लोगों ने बताया कि पट्टे मुख्यमंत्री द्वारा वितरित किये गये।

एक आदिवासी गाँव में, यह साझा किया गया कि उनका गाँव वन अधिकार प्रावधानों के अंतर्गत आता है, गाँव के सभी ग्रामीण पात्र हैं, और गाँव में एक वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया है जो जंगलों में पेड़ों की कटाई को रोकती है। छोटे वन क्षेत्र का सामुदायिक वन पट्टा गाँव में आसानी से मिल जाता है, लेकिन बड़े क्षेत्र का वन पट्टा गाँव के सदस्यों को नहीं मिल पाता है। जिन आदिवासी ग्रामीणों ने व्यक्तिगत वन पट्टा के लिए आवेदन किया था, उन्हें तो यह मिल गया है, लेकिन गैर-आदिवासियों को यह नहीं मिल रहा है।

एक गैर आदिवासी गाँव में जंगल गाँव से 7 किमी दूर है। इसलिए ग्रामीण जंगल पर ज्यादा निर्भर नहीं हैं।

पीवीटीजी (पहाड़ी कोरवा) गाँव में मिश्रित समूहों के बीच समूह चर्चा के दौरान यह साझा किया गया कि इस गाँव में सामुदायिक वन अधिकार नहीं दिए गए हैं, केवल एक या दो परिवारों को ही पट्टा प्राप्त है।

मध्य प्रदेश:

अधिकांश आदिवासी गाँवों में लोगों ने बताया कि उनके पास आईएफआर या सीएफआर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालाँकि, जो गाँव जंगल के करीब हैं, उन्होंने बताया कि वे जंगल से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते हैं।

एक गैर आदिवासी गाँव में लोगों ने बताया कि वे वन अधिकारों के बारे में जानते हैं और उनका गाँव वन अधिकारों के अंतर्गत आता है, हालाँकि, प्रतभागियों में से एक ने बताया कि उन्हें सरकार से पट्टा प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।



डी. जंगल, कृषि, मजदूरी और प्रवासन पर निर्भरता के संदर्भ में आजीविका संदर्भों को बदलना।

डी1. महिला समूह

छत्तीसगढ़:

आदिवासी गांवों की महिलाओं ने बताया कि पहले वनों पर निर्भरता अधिक थी, जबकि वनों की कटाई में वृद्धि के साथ निर्भरता कम हो रही है। विभिन्न वन उत्पादों की उपलब्धता में कमी देखी गई है और इस प्रकार ग्रामीण गैस सिलेंडर की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ गांवों में, ग्रामीण आय सृजन के लिए ज्यादातर जंगलों पर निर्भर हैं। उनमें से कुछ ने बताया कि वे कृषि उत्पादों के बजाय एमएफपी से अधिक कमाते हैं। अधिकांश महिलाओं ने बताया कि बैलों से खेत की जुताई करना आसान था और अब इसकी जगह ट्रैक्टर खेती ने ले ली है। खेती के तौर-तरीके बदल गए हैं; जैविक खेती से लेकर पारंपरिक तक-गहन रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग ने कई बीमारियों के साथ मानव स्वास्थ्य को प्रभावित किया है।

मौसम में बदलाव और सिंचाई के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण, ग्रामीण पलायन का विकल्प चुनते हैं। कुछ गांवों में, महिलाओं को गांव में महिलाओं के लिए मजदूरी रु.120 और पुरुषों के लिए रु. 150 मिलती है। गांवों में मनरेगा के अलावा किसी काम की मांग नहीं है। उन्हें बाहर जाना उपयुक्त लगता है क्योंकि वहां काम के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी की पेशकश की जाती है।



मध्य प्रदेश:

आदिवासी गांवों की महिलाओं ने अपर्याप्त वर्षा और लकड़ी की कमी के कारण पेड़ों के कम होने के खतरे के बारे में बताया। जंगल आदिवासियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और महिलाएं जंगल से वन उपज इकट्ठा करती हैं जिससे उन्हें अपनी आजीविका के लिए नकदी मिलती है। प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियाँ फसलों की मात्रा और गुणवत्ता को नुकसान पहुँचाती हैं। कृषि क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अधिकांश महिलाओं ने बताया कि हर साल उन्हें अपनी उपज से घाटा होता है। गांव की परिधि में काम के कोई अवसर नहीं होने के कारण, उन्हें अपने परिवार की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। महिलाओं ने अपने बच्चों को घर पर अकेले छोड़ने की महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया।





डी2. मिश्रित समूह

छत्तीसगढ़:

कुछ ग्रामीणों ने साझा किया कि गांव के आसपास कोई जंगल नहीं है या बेहद खराब जंगल है। उन गांवों को अपने ही गांव से नगण्य एनटीपीएफ मिलता है और वे जलाऊ लकड़ी के लिए पड़ोसी जंगलों में जाते हैं।

सामान्य तौर पर भी, ग्रामीणों ने बताया कि पेड़ों की कटाई के कारण पिछले कुछ वर्षों की तुलना में जंगलों में संसाधन कम हो रहे हैं। पहले जंगलों में लघु वन उत्पाद कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में होते थे। अब वनोपज की उपलब्धता कम हो गयी है। ज्यादातर मामलों में, जंगलों में ज्यादातर बॉक्साइट चट्टानों का प्रभुत्व होता है। ग्रामीणों ने साझा किया कि भले ही उन्हें रोजगार मिले पर वे उद्योगों का आना पसंद नहीं करेंगे।

कई गांवों ने साझा किया कि लकड़बग्घा, भालू और तेंदुए जैसे जंगली जानवरों से खतरा है लेकिन उन जानवरों की संख्या भी कम हो रही थी। कुल मिलाकर, कई समूहों ने साझा किया कि जंगलों पर उनकी निर्भरता कम हो रही है।

गांव में रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण पलायन बढ़ा है। बहुत सारे युवा आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में जाते हैं और वर्षों तक वहीं रह जाते हैं। मनरेगा द्वारा प्रदान किया गया रोजगार युवाओं द्वारा पसंद नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें प्रदान किया जाने वाला काम कम है। कृषि लाभदायक नहीं है क्योंकि इसमें पारंपरिक तरीकों का पालन किया जाता है और सिंचाई का कोई साधन नहीं है।

हालाँकि, कुछ गाँवों में लोगों ने बताया कि अब उन्हें गाँव में ही मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है और कई अन्य सहायक सरकारी कार्यक्रम भी हैं, जिसके कारण पलायन कम हुआ है। एक गांव ने बताया कि उन्हें वन विभाग से भी काम मिल रहा है।

एक गांव में सर्दियों में नई तकनीक आने से भारी मात्रा में फसल पैदा हो रही है और लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। जो किसान पहले 10,000 कमाते थे अब 2-3 फसल लेकर 1 लाख तक की कमाई कर रहे हैं।

एक गैर आदिवासी गांव में समूह चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि पहले वे पलायन करते थे। खेती महंगी और घाटे का सौदा हो गयी है। 80% ग्रामीण बिना श्रम के हैं। केवल 20% कृषक हैं।

पीवीटीजी (पहाड़ी कोरवा) गांव में बताया गया कि आजीविका के साधन नहीं होने के कारण युवा पलायन कर रहे हैं, उन्हें वन अधिकार नहीं दिया गया है।

मध्य प्रदेश:

अधिकांश ग्रामीणों ने साझा किया कि पिछले कुछ वर्षों में जो मुख्य अंतर आया है वह जंगल और प्रवासन से संबंधित आजीविका विकल्पों में है। पेड़ों का गिरना और गाँव में जैव विविधता का कम होना जंगल पर निर्भरता और उनसे रिटर्न कम होने का प्रमुख कारण रहा है। यहां तक कि पास का जंगल भी तेजी से गायब हो रहा है। इससे जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, तेंदू पत्ते और अन्य वन उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित हो रही है।

एक मामले में गाँव के पास के जंगल को राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित कर दिया गया और इससे वन संग्रहण से होने वाली आय में भी गिरावट आई।

एक समूह ने साझा किया कि मिट्टी के काम के लिए मशीनों की शुरुआत ने हाथों से किए जाने वाले काम के अवसर को कम कर दिया है और इसलिए गांवों में मजदूरी के अवसर कम हो रहे हैं।

अधिकांश गांवों के लोगों ने बताया कि वे अब अधिक संख्या में पलायन कर रहे हैं क्योंकि गांव में काम के अवसर कम हैं।

एक समूह ने बताया कि वे पहले से ही अच्छी खेती कर रहे हैं, कोदो कुटकी मोटे अनाज को छोड़ कर धान और मक्का की खेती कर रहे हैं। सर्दियों के दौरान वे सब्जियाँ बोते हैं। लेकिन फिर भी, उनमें से कई अधिक कमाने के लिए केरल और महाराष्ट्र जाते हैं।

ई. कृषि और घरों में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने पर प्रवासन का प्रभाव

ई1. महिला समूह

छत्तीसगढ़:

आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों प्रकार के गांवों की महिलाओं ने कहा कि पुरुष आमतौर पर काम के लिए पलायन करते हैं; यदि महिलाएं पलायन करती हैं, तो इससे घरेलू ज़िम्मेदारियों- बच्चों की देखभाल, किराना और राशन की वस्तुओं का रखरखाव, और अन्य ज़रूरतों में कठिनाइयाँ पैदा होंगी। निर्णय आमतौर पर पति-पत्नी की आपसी सहमति से लिए जाते हैं। यदि महिलाओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, तो वे कृषि क्षेत्रों में मजदूर के रूप में काम करने का विकल्प चुनती हैं।

कुछ महिलाओं ने प्रवासन में आने वाली चुनौतियों जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तत्काल घरेलू ज़रूरतों को पूरा करना और बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने के बारे में भी साझा किया। परिवार की स्थिति सुधारने के लिए पूरा परिवार पलायन करने को मजबूर है। प्रवासन अक्सर उनकी भूमि पर खेती की गतिविधियों के प्रबंधन के बाद होता है। वे कृषि मौसम में फसलें उगाने हेतु लिए गए ऋण को चुकाने के लिए पलायन करते हैं। कुछ महिलाओं ने कहा कि महिलाएं खेती में योगदान देती हैं और निर्णय भी लेती हैं। निर्णय परिवार के आकार पर निर्भर करता है; एकल परिवारों में महिलाओं के लिए निर्णय लेने की अधिक गुंजाइश होती है। पीवीटीजी गांवों की महिलाओं ने बताया कि उनके क्षेत्र से कोई भी पलायन नहीं करता है।

मध्य प्रदेश:

आदिवासी गांवों की महिलाओं ने काम के लिए गांव से दूर जाने, बच्चों को घर पर छोड़ने और 6 महीने बाद घर लौटने पर विचारों का आदान-प्रदान किया। महिलाएं खेती की ज़िम्मेदारी नहीं लेतीं, आमतौर पर पुरुष खेती का काम संभालते हैं। कई महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन वाली मजदूरी मिलने की चिंता अधिक रहती है, इसलिए वे बेहतर मजदूरी की तलाश में पलायन करती हैं। कुछ महिलाओं ने घरेलू और कृषि दोनों क्षेत्रों के प्रबंधन में महिलाओं की माँग के बारे में साझा किया। कृषि अवधि के दौरान, बच्चों को आमतौर पर उनके घरों में छोड़ दिया जाता है और महिलाएं अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाती हैं।

अधिकांश महिलाओं ने बताया कि उन्हें खेतों में काम करना पड़ता है और घर लौटने के बाद घरेलू ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। वे शारीरिक काम से थकावट महसूस करती हैं और कभी-कभी, बिना खाना खाए ही सो जाती हैं। महिलाओं को घर और खेत दोनों जगहों पर समय पर काम करने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन उन्हें आजीविका की ज़रूरतों के कारण ऐसा करना पड़ता है।





एफ. आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति

एफ1. युवा समूह

छत्तीसगढ़:

आदिवासी गाँवों के अधिकांश युवा समूहों ने साझा किया कि आदिवासी महिलाएँ कहीं भी खुलकर बात करने में सक्षम नहीं हैं; वे गैर-आदिवासी महिलाओं की तुलना में कम शिक्षित हैं। आदिवासी महिलाएँ हर तरह का काम करती हैं, जैसे खेत जोतना, धान बोना आदि। वे काम करने में शर्माती नहीं हैं। कुछ समूहों ने साझा किया कि आदिवासी महिलाएँ गैर-आदिवासी महिलाओं की तुलना में अधिक कठिनाई सहन कर सकती हैं। एक युवा समूह ने साझा किया कि आदिवासी महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है।

आदिवासी गाँवों के युवाओं ने आगे कहा कि कुछ महिलाएँ आगे आ रही हैं और पुरुषों की मानसिकता भी बदल रही है। एक व्यक्ति ने कहा, 'हमारे घर के बड़े-बुजुर्ग महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं, उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं।'

गैर आदिवासी गाँव में, एक युवा समूह ने साझा किया कि गैर-आदिवासी समाज में महिलाएँ अच्छे कपड़े पहनती हैं क्योंकि अधिकांश गैर आदिवासी शिक्षित हैं।

मध्य प्रदेश:

आदिवासी गाँवों के युवा समूहों ने साझा किया कि आदिवासी समाज में महिलाएँ कम पढ़ी-लिखी हैं, उनमें से कई अशिक्षित हैं, वे घर का काम करती हैं और दूसरों के खेतों में भी काम करती हैं, वे पीने का पानी लाने के लिए दूर जाती हैं, उनकी जल्दी शादी हो जाती है, वे सामाजिक कार्यक्रम या विवाह जैसे समारोहों में शामिल हो कर आनंद नहीं ले सकतीं, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और वे घरेलू हिंसा की शिकार हैं।

मध्य प्रदेश के मंडला जिले के साथिया के पीवीटीजी (बैगा) गाँव में, यह साझा किया गया कि उनके गाँव में, गौड़ आदिवासी समाज में महिलाओं के बीच कोई अंतर नहीं है, वे सभी खेती करती हैं, और गैर-आदिवासी और आदिवासी दोनों महिलाएँ नरेंगा में काम करने के लिए जाती हैं।



एफ 2. महिला समूह

छत्तीसगढ़:

कुछ आदिवासी गांवों में जनजातीय महिलाओं ने बताया कि उनमें कृषि क्षेत्रों और अतिरिक्त घरों का प्रबंधन, मजदूरी कमाई और दूसरों के घरों पर श्रम करने जैसी सभी प्रकार की गतिविधियों को करने की क्षमता है। जबकि गैर-जनजातीय महिलाओं की ऐसे श्रमसाध्य कार्य करने में कोई भूमिका नहीं थी। आदिवासी महिलाएँ अपनी सोच-विचार कम ही व्यक्त करती हैं। आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति गैर-आदिवासी महिलाओं की तुलना में काफी भिन्न रही है। अच्छी आय, शिक्षा और रोजगार के कारण गैर-आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है; आदिवासी समुदाय भूमि स्वामित्व, बेरोजगारी और शिक्षा से संघर्ष करते हैं। जनजातीय समाजों में शराब पीना और कम उम्र में विवाह की बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है। आदिवासी महिलाएँ खेती और जंगल में लगी रहती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ जनजातीय महिलाओं ने बताया कि उनमें अन्य महिलाओं की तुलना में अधिक गतिशीलता और बाहरी दुनिया का अनुभव है। पीवीटीजी महिलाओं ने अपनी शिक्षा की कमी के बारे में बताया और इस तरह वे अपने तक ही सीमित रहीं।

मध्य प्रदेश:

अधिकतर, आदिवासी महिलाओं को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और वे गरीबी महसूस करती हैं। आदिवासी महिलाओं के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव एक आम समस्या है और इस कारण उन्हें मजदूरी के काम में लगे रहना पड़ता है। शराब पीने की दर उंची है; आदिवासी महिलाओं ने बेहतर कपड़े पाने और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के बारे में अपनी परेशानी साझा की। आदिवासी समुदायों को अस्पृश्यता, जाति, सामाजिक बहिष्कार आदि जैसी अनेक भेदभावपूर्ण प्रथाओं का सामना करना पड़ता है। आदिवासी समुदायों के पास कम जमीन है और वे विभिन्न संपत्तियों और अवसरों तक पहुंचने में असमर्थ हैं।





जी. बाजार में महिलाओं की भागीदारी

जी1. महिला समूह

छत्तीसगढ़:

कई महिलाओं ने कहा कि बाजार में महिलाओं की भागीदारी में बदलाव आया है; परिवहन की सुविधा के कारण वे बाजारों तक पहुँचने में सक्षम हैं। आदिवासी महिलाएं ज्यादातर घरेलू मांगों के आधार पर धान और अन्य फसल उत्पाद बेचने के लिए बाजारों में जाती हैं। यहां तक कि व्यापारी उत्पादित फसल को खरीदने के लिए गांवों में आते हैं और व्यापारियों द्वारा कीमतों की पेशकश की जाती है। पुरुष आमतौर पर उत्पादित फसल को सीधे बेचने के लिए बड़े बाजारों में जाते हैं जबकि महिलाएं कपड़े खरीदने के लिए बाजारों में जाती हैं। कुछ महिलाओं ने बताया कि वन उत्पादों को बेचने से मिलने वाले पैसे का प्रबंधन वे स्वयं करती हैं। कुछ महिलाओं ने यहां तक कहा कि वे जो सब्जियां उगाते हैं वह पर्याप्त नहीं होती इसलिए बाजार से खरीदते हैं जिनकी कीमत अधिक होती है। कुछ आदिवासी महिलाओं ने कहा कि महिलाएं अब सामान खरीदने या बेचने के मामले में बाजारों तक पहुँचने में आगे बढ़ रही हैं, जिससे सौदेबाजी संभव हो रही है।

मध्य प्रदेश:

आदिवासी गांवों की कुछ महिलाओं ने परिवार के सदस्यों की सभी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए बाजारों तक पहुंच की आवश्यकता के बारे में बात की है। वे सब्जियां बेचने, कपड़े, बर्तन और यहाँ तक कि कृषि संबंधी वस्तुएँ खरीदने जाती हैं। नकदी फसलों की मार्केटिंग के संदर्भ में, वे बाजार की कीमतों से परिचित नहीं हैं क्योंकि उनके पास बाजार के बारे में जानकारी का अभाव है। महिलाएं अब पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं क्योंकि उनकी बाजार में अच्छी पकड़ है, जिससे उन्हें बाजार में अधिक आवाज और शक्ति मिलती है। कुछ महिलाओं ने ऐसे घरों का उदाहरण दिया जहां महिलाएं घर संभाल रही हैं, जिनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है। गांव की महिलाओं को रोजगार विकल्पों के साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ा है। महिलाएं अब गांव में हो रहे बदलावों को लेकर आश्वस्त हैं।



एच. ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी एवं भूमिका

एच1. महिला समूह

छत्तीसगढ़:

आदिवासी गांवों की महिलाओं ने ग्राम सभा के उद्देश्य के बारे में पर्याप्त जानकारी की कमी के बारे में बताया। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने में महिलाओं की भागीदारी कम है और ग्राम सभा में अपनी आवाज़ उठाने की संभावना सीमित है। हालांकि ग्राम सभा में कुछ महिलाएं आती हैं, लेकिन वे महिलाओं से जुड़े विषयों पर अपनी बात कहने में झिझकती हैं। निर्णय अधिकतर सरपंच और सचिव द्वारा लिया जाता है। कुछ आदिवासी गांवों में, गांव का कोतवाल (पारंपरिक दूत) घर-घर जाकर दोनों पति-पत्नी के नाम बताता है जो बैठकों में भाग ले सकते हैं। कुछ महिलाओं ने कहा कि महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा होती है जहां वे अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकती हैं और आगे उठाए जाने वाली समस्याओं को साझा कर सकती हैं।

गैर-आदिवासी गांवों में महिलाओं ने बताया कि उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि ग्राम सभा की बैठकें कब होती हैं। वे आमतौर पर घर संभालने की जिम्मेदारी उठाती हैं और इस प्रकार ऐसी बैठकों के महत्व पर ध्यान नहीं देते हैं।

मध्य प्रदेश:

आदिवासी गांवों की महिलाओं को ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने का अनुभव है। वे अपनी राय ग्राम सभाओं में रख सकती हैं जहां उनकी आवाज़ सुनी जाती है और चर्चा की जाती है। जबकि कुछ महिलाओं ने साझा किया कि उनकी बातों पर विचार नहीं किया जाता है जिससे महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में कमी आती है। अधिकांश महिलाओं ने साझा किया कि ग्राम सभा की बैठकों में आम तौर पर अच्छी वित्तीय स्थिति या शक्तिशाली पदों पर बैठे पुरुषों और व्यक्तियों को बुलाया जाता है; निर्णय लेने में सरपंच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकांश महिलाओं ने इन बैठकों में शामिल होने, अपने विचार साझा करने और अपनी चिंताओं को हल करने में भागीदार बनने की आवश्यकता और रुचि व्यक्त की।





आई. घरेलू उपयोग के लिए पानी

II. महिला समूह

छत्तीसगढ़:

कई गांवों की महिलाओं ने विशेष रूप से गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी की कमी की शिकायत की। वे आमतौर पर घरेलू उपयोग के लिए पानी के लिए कुओं, बोरवेल और हैंडपंप पर निर्भर रहती हैं। कुछ गांवों में महिलाओं ने बताया कि उन्हें पूरे साल पर्याप्त पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। यद्यपि जल वितरण हेतु सरकार द्वारा पहल की जाती है; कुछ मामलों में, पाइपों में पानी खत्म हो जाता है, और अन्य मामलों में, पीने का पानी सुरक्षित नहीं होता है। कुछ महिलाओं ने पाइप के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले पानी में आयर्न की मात्रा बढ़ने और संदूषण की सूचना दी। एक समूह ने कहा कि पानी की गुणवत्ता इतनी खराब है कि यह खाना पकाने, सफाई और अन्य घरेलू कामों के लिए अनुपयुक्त है। बिजली की अनियमित आपूर्ति चिंता का विषय रही है। एक महिला को साफ पानी लाने के लिए कम से कम 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें गर्मियों के दौरान लगभग 3-4 घंटे लगते हैं जबकि अन्य मौसमों में 15-20 मिनट लगते हैं। उनके लिए कृषि गतिविधियों में योगदान देना और दैनिक मजदूरी का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। मानसून के दौरान दूषित पानी के सेवन से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।

मध्य प्रदेश:

मध्य प्रदेश में भी, कई गांवों की आदिवासी महिलाओं ने गर्मियों के दौरान पानी की कमी की शिकायत की। नल, बोरवेल और नदी की सतह का पानी सूख जाता है, जिससे महिलाओं को दूर-दूर से पानी इकट्ठा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गर्मी के महीनों में कुछ गांवों में कई बार कुओं को भरने के लिए पानी के टैंकों की व्यवस्था भी करनी पड़ती है ताकि सभी को पानी मिल सके।



जे. युवा किस तरह से नियोजित हैं

जे.1. युवा समूह

छत्तीसगढ़:

आदिवासी गांवों के अधिकांश युवाओं ने बताया कि उच्चतर माध्यमिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वे बेरोजगार हैं। कई लोग मनरेगा में काम कर रहे थे लेकिन समय पर मजदूरी नहीं मिलने के कारण उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अधिकतर युवा कृषि कार्य में लगे हुए हैं। एक गांव में युवाओं ने बताया कि वे महुआ, तेंदू पत्ता आदि इकट्ठा करने के लिए जंगलों में जाते हैं।

अधिकांश आदिवासी गांवों से, युवा समूहों ने बताया कि वे काम के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। वहां उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ता है और अक्सर भोजन और धन नहीं मिल पाता है। यदि वे या उनके परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो इलाज कराने के लिए आने में असमर्थ है। पलायन करने वाले युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती।

मध्य प्रदेश:

आदिवासी गांवों के अधिकांश युवाओं ने बताया कि वे मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं और यहां तक कि काम पाने के लिए पलायन भी

करते हैं। उनमें से कुछ दैनिक आधार पर काम पाने के लिए गांव से बाहर जाते हैं। वे दूसरों के खेतों में काम करते हैं - गन्ना काटते हैं या कंद खोदते हैं। वे सुबह-सुबह अपने गांव से निकल जाते हैं और रात होने पर वापस लौटते हैं। उन्हें आमतौर पर वाहन नहीं मिलता और उन्हें आने-जाने में दिक्कत होती है। ऐसे भी दिन होते हैं जब उन्हें काम नहीं मिलता और घर पर ही रहना पड़ता है। जब वे काम के लिए बाहर जाते हैं तो समय पर वापस नहीं आते। अगर कोई आपात स्थिति हो तो वे समय पर नहीं पहुंच पाते।

आदिवासी गांवों के युवा समूहों ने भी बताया कि वहाँ बहुत अधिक बेरोजगारी है। गांव में रहकर शिक्षा प्राप्त करना कठिन है। दूसरी ओर, वे शिक्षा के लिए शहर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। कुछ युवाओं ने कहा कि पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, वे बेरोजगार ही रह जायेंगे। एक समूह के युवाओं ने बताया कि उनके गांव में बुनियादी ढांचा इतना खराब है कि बारिश के दौरान उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं।

एक पीवीटीजी (बैगा) गांव में, युवाओं ने बताया कि उनमें से अधिकांश लोग गांव में ही खेती और नरेगा के काम में लगे हुए हैं और कभी-कभी वे काम के लिए केरल जाते हैं।







के. पेसा (पीईएसए)

के.1. मिश्रित समूह

छत्तीसगढ़:

अधिकांश ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें पेसा के बारे में कुछ नहीं पता और यह अभी तक उनके गांव में नहीं है। हालांकि, कुछ ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह उनके गांव में लागू हो जाए तो उन्हें काफी लाभ मिलेगा। कुछ गांवों में लोगों ने बताया कि वे ग्राम सभा में नहीं जाते हैं। उन्होंने साझा किया कि ग्राम सभा में उनके दिये गये आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

बिलासपुर जिले के गैर आदिवासी गांव रानी सागर में यह बताया गया कि उनका गांव पेसा अधिनियम के तहत नहीं आता है।

पीवीटीजी (पहाड़ी कोरवा) गांव में यह बात साझा की गई कि इस गांव के लोग न तो पेसा के बारे में जानते हैं और न ही अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दे सकते हैं।

मध्य प्रदेश:

धार, खरगोन, सिवनी के आदिवासी गांव में एफजीडी के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें पेसा के बारे में कोई सूचना और जानकारी नहीं है। अन्य जिलों में यह प्रश्न लागू नहीं था।



एल. विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र

एल 1. युवा समूह

छत्तीसगढ़:

कुल मिलाकर आदिवासी गांवों के युवा समूहों ने साझा किया कि विकास की प्राथमिकताएं युवाओं के लाभकारी रोजगार, बेहतर कृषि, उच्च शिक्षा सहित अच्छी शिक्षा, उचित चिकित्सा सुविधाएं, उचित आवास, शांतिपूर्ण वातावरण, सिंचाई और स्वच्छ पेयजल को दी जानी चाहिए। कुछ युवा समूहों ने बिजली, परिवहन सुविधाओं और मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टिविटी के बारे में भी बात की। एक समूह ने मनरेगा के तहत काम और भुगतान की उपलब्धता, अपने गांव में पशु चिकित्सकों की नियुक्ति और सरकारी पेंशन योजनाओं के उचित कामकाज के बारे में कहा।

गैर-आदिवासी गांव में, युवा समूह ने साझा किया कि उनके जीवन की प्रमुख प्राथमिकताएं बेहतर आवास, कृषि, पैसा, बेहतर नौकरियां और अंत में, दूसरों से उनका सम्मान हैं। उन्होंने आगे बताया कि सरकार की पांच प्राथमिकताओं में बिजली, नल का पानी, बेहतर सड़कें, राशन और अंत में सरकारी नौकरी पाने के अवसर शामिल हैं।



मध्य प्रदेश:

आदिवासी गांवों के अधिकांश युवा समूहों ने साझा किया कि सरकार को आवास, पेयजल, सीवेज प्रणाली, सड़क, स्कूल एचे पेंशन और अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।

पीवीटीजी (बैगा) गांव में युवा समूह ने कहा कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, नरेगा कार्य और आदिवासी रीति-रिवाज प्राथमिकता होनी चाहिए।





अनुलग्नक सी

आदिवासी आजीविका की स्थिति: सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना-2011 के माध्यम से देखना

1. अनुसूचित जनजाति परिवार

2011 में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 10.98% था, जिसमें से उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह संख्या बहुत अधिक थी और मिजोरम में 98.79% के साथ अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था। मध्य और पूर्वी भारत में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति परिवारों के उच्च अनुपात वाले राज्यों में से हैं। SECC 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत राज्य के भीतर काफी भिन्नता के साथ 36.83% है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी जिलों में अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या अधिक है, जबकि छत्तीसगढ़ के मध्य जिलों में अपेक्षाकृत कम संख्या है। दक्षिण बस्तर दंतवाड़ा में 86.64% के साथ अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है, इसके बाद निकटवर्ती जिले बीजापुर में 84.64% है, जबकि जांजगीर चांपा में 13.02% के साथ सबसे कम प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 25.29% है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे जिलों में इसकी सघनता अधिक है। गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करने वाले मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या सबसे अधिक अर्थात् 94.36% है। इसके बाद गुजरात और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ झाबुआ जिला है, जहां अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 91.64% है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के सभी दक्षिणी जिले एक अलग पट्टी बनाते हैं, जहां अनुसूचित जनजाति परिवारों का अनुपात अधिक है, डिंडोरी में 64.32% अनुसूचित जनजाति परिवार हैं, इसके बाद मंडला में 62.44% अनुसूचित जनजाति परिवार हैं।

2. आजीविका नियोजन

SECC 2011 के आंकड़ों में ग्रामीण परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार के आजीविका स्रोत शामिल हैं। बताया गया है कि ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कृषि और उसके बाद घरेलू काम और शारीरिक आकस्मिक श्रम है। आजीविका के अन्य प्रकार के स्रोतों को भी गैर-कृषि उद्यमों, चारागाह और गैर-वर्णनात्मक अन्य गतिविधियों के रूप में शामिल किया गया है।

2.1. आजीविका नियोजन: शारीरिक आकस्मिक श्रम, कृषि और घरेलू कार्य

भारत में 51.18% ग्रामीण परिवार और 51.28% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार अन्य परेशानियों के अलावा अपनी आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं। इसके बाद कृषि का स्थान आता है क्योंकि भारत में 30.1% ग्रामीण परिवारों ने कृषि को आय का मुख्य स्रोत बताया है। अनुसूचित जनजाति परिवारों के मामले में, कृषि पर निर्भरता औसत से अधिक है तथा ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों में से 37.98% परिवार खेती को अपनी आय का प्राथमिक स्रोत बताते हैं। मध्य भारत क्षेत्र में भारत-स्तरीय प्रवृत्ति ही देखी जाती है, जहां 55.56% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार अपने प्राथमिक स्रोत के रूप में शारीरिक आकस्मिक श्रम की सूचना देते हैं, इसके बाद 39.23% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार कृषि पर निर्भर हैं। इसके विपरीत, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों (54.59%) ने कृषि को अपना प्राथमिक स्रोत बताया और इसके बाद शारीरिक आकस्मिक श्रम (24.56%) को बताया। यही प्रवृत्ति छत्तीसगढ़ में देखी जा सकती है, जो मध्य भारत क्षेत्र के आंकड़ों के विपरीत है, जहां 51.97% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने कृषि को अपनी आय का प्राथमिक स्रोत बताया, इसके बाद 42.54% ने शारीरिक आकस्मिक श्रम को अपनी आजीविका का मुख्य स्रोत बताया। हालाँकि, मध्य प्रदेश के आंकड़ों से पता चलता है कि 63.58% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने शारीरिक आकस्मिक श्रम को अपनी मुख्य आजीविका बताया, जो भारत में सर्वाधिक में से एक है। इसके बाद 31.95% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों द्वारा कृषि को प्रमुख स्रोत बताया गया है। बताया गया है कि शारीरिक आकस्मिक श्रम और खेती के अलावा, अंशकालिक या पूर्णकालिक घरेलू काम ग्रामीण परिवारों के लिए आय का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। लक्षद्वीप में 11.42% ग्रामीण परिवारों और 11.21% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने घरेलू काम की सूचना दी क्योंकि उनकी आय का मुख्य स्रोत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के भारतीय राज्यों के बाद सभी जिलों में सबसे अधिक है। मध्य भारत क्षेत्र में, 2.13% ग्रामीण परिवारों और 1.19% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने घरेलू काम को अपनी आय का मुख्य स्रोत बताया, जो कि भारत के ग्रामीण परिवारों में 2.5% और ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों में 2% के आंकड़े से कम है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मध्य भारत क्षेत्र के समान प्रवृत्ति देखी

जाती है, जहां 1.19% और 1.07% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार घरेलू काम को अपनी आय का मुख्य स्रोत बताते हैं। आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में घरेलू काम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के औसत ग्रामीण परिवारों में क्रमशः 1.66% और 1.62% के आंकड़ों के साथ थोड़ा अधिक है।

2.2. आजीविका संलग्नता: गैर-कृषि क्षेत्र

SECC 2011 में गैर-कृषि क्षेत्र में दो संकेतक शामिल हैं:

(ए) गैर-कृषि स्वयं के उद्यम वाले परिवारों की संख्या।

(बी) सरकार के साथ पंजीकृत उद्यम का स्वामित्व/संचालन करने वाले परिवारों की संख्या।

भारत में 1.61% ग्रामीण परिवारों के पास गैर-कृषि स्वयं के उद्यम होने की सूचना है। लेकिन गैर-कृषि ग्रामीण उद्यमों पर ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की निर्भरता काफी कम मात्र 0.64% है। 3.64% के साथ तमिलनाडु में गैर-कृषि ग्रामीण उद्यमों पर निर्भर ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है, इसके बाद तेलंगाना, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य हैं। मध्य भारतीय क्षेत्र में यह प्रतिशत काफी कम है, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्रमशः

0.34% और 0.4% है। जब ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की बात आती है तो इन दोनों राज्यों में यह प्रतिशत क्रमशः 0.14% और 0.12% है।

भारत में 2.72% ग्रामीण परिवार और 2.05% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार सरकार के साथ पंजीकृत उद्यमों के मालिक हैं या उन्हें संचालित करते हैं। पंजीकृत उद्यमों पर ग्रामीण परिवारों की निर्भरता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में सबसे अधिक 19.54% है, इसके बाद दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली जैसे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान है। यह उच्च निर्भरता गुजरात, हरियाणा, गोवा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में देखी जा सकती है। दमन और दीव में सरकार के साथ पंजीकृत उद्यमों वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक 16.49% है, इसके बाद 15.99% के साथ हरियाणा का स्थान है। मध्य भारत क्षेत्र में पंजीकृत उद्यमों पर ग्रामीण और ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की निर्भरता काफी कम है। छत्तीसगढ़ के मामले में 0.57% ग्रामीण परिवार और 0.55% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार और मध्य प्रदेश के मामले में 0.82% और 0.54% यह दर्शाता है कि इन राज्यों की स्थिति इस क्षेत्र में सबसे कम है।





2.3. अन्य आजीविका संबंधी गतिविधियाँ

SECC 2011 ने 0.6% ग्रामीण परिवारों और 0.46% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आय के स्रोत के रूप में चारागाह, कचरा बीनना, भीख मांगना, दान और भिक्षा संग्रह की व्यापकता को भी शामिल किया है। इस प्रकार की गतिविधियों पर ग्रामीण परिवारों की निर्भरता पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 1.49% है, इसके बाद कर्नाटक में 1.38% है। गतिविधियों के इस समूह में मध्य भारतीय क्षेत्र के ग्रामीण परिवार सबसे निचले स्तर पर हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवारों की चारा, कचरा बीनने और दान पर निर्भरता का प्रतिशत क्रमशः 0.65% और 0.69% है। ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के मामले में, गतिविधियों के इस सेट पर निर्भरता कर्नाटक में सबसे अधिक 1.21% बताई गई है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में 0.83% है। भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की निर्भरता सबसे कम 0.13% है, इसके बाद मध्य भारत क्षेत्र में 0.46% है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह निर्भरता अपेक्षाकृत कम क्रमशः 0.41% और 0.43% है।

शब्द "अन्य आय स्रोत" किसी परिवार की आय के किसी भी स्रोत को संदर्भित करता है जो उपरोक्त स्रोतों में शामिल नहीं है। भारत में 13.97% ग्रामीण परिवारों और 7.56% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने अन्य स्रोतों को अपनी आय का प्राथमिक स्रोत बताया। छत्तीसगढ़ में 4.99% ग्रामीण परिवारों और मध्य प्रदेश में 5.80% ग्रामीण परिवारों ने अन्य स्रोतों को अपनी आय का प्राथमिक स्रोत बताया। हालाँकि, अन्य स्रोतों को अपनी प्राथमिक आय बताने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्रमशः 3.64% और 2.85% के साथ अपेक्षाकृत कम है। इसलिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच, शारीरिक आकस्मिक श्रम और कृषि आय के दो सबसे बड़े स्रोत हैं, जो कम सुनिश्चित परिणामों के साथ अनौपचारिक असंगठित कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, भारत के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच आय के स्रोतों में भिन्नता को संसाधन आधार और भूमि स्वामित्व प्रतिशत को मिला कर समझने की आवश्यकता है जैसा कि धारा 5 में बताया गया है।

3. आय स्लैब

SECC 2011 में परिवार के सबसे अधिक कमाई करने वाले सदस्य की विभिन्न आय स्लैब के आधार पर परिवारों की संख्या की गणना की गई। उपयोग किए गए तीन आय स्लैब थे: <5000, 5000-10000, और >10000। इन मेट्रिक्स का उपयोग ग्रामीण परिवारों की आर्थिक भेद्यता को समझने के उपाय के रूप में, जनसंख्या में अंतर आय सीमा को समझने के लिए किया जा सकता है।

भारत में लगभग 75% ग्रामीण परिवारों और 87% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने बताया कि सबसे अधिक कमाई करने वाले परिवार के सदस्य की मासिक आय 5,000 रुपये से कम है। ग्रामीण परिवारों के मामले में यह प्रतिशत पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक 79% है और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम 36% है। छत्तीसगढ़ के मामले में यह 91% है और मध्य प्रदेश में यह 83% है। ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के मामले में ओडिशा में 96% के साथ सबसे अधिक और लक्षद्वीप में 44% के साथ सबसे कम है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में यह 93% है।

भारत में 17% ग्रामीण परिवारों और 9% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने बताया कि सबसे अधिक कमाई करने वाले परिवार के सदस्य की मासिक आय 5,000-10,000 रुपये के बीच है। इस आंकड़े को रिपोर्ट करने वाले परिवारों का प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में सबसे अधिक 38% है और भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम 15% है। हालाँकि, ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के मामले में पंजाब



में 44% के साथ सबसे अधिक और ओडिशा में 3% के साथ सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में 6% ग्रामीण परिवारों और 5% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने इस आय स्लैब की सूचना दी। मध्य प्रदेश में ग्रामीण और ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए यह क्रमशः 11% और 5% है।

भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाले घरेलू सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक बताने वाले ग्रामीण परिवारों और ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 8% और 4% है। यह प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में सबसे अधिक 26% है, इसके बाद उत्तरी क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों के लिए 18% है, जबकि पूर्वी भारत क्षेत्र में 6% के साथ ग्रामीण परिवारों का प्रदर्शन खराब है। लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक 42% है और सबसे कम प्रतिशत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ-साथ ओडिशा और तमिलनाडु में दर्ज किया गया है, जहां केवल 2% अनुसूचित जनजाति परिवारों ने सबसे अधिक कमाई वाले सदस्य द्वारा 10,000 रुपये से अधिक की मासिक आय की सूचना दी है।





4. वेतनभोगी नौकरी बाजार में स्थान

वेतनभोगी रोजगार के लिए बाजार में ग्रामीण परिवारों की उपस्थिति SECC 2011 के आंकड़ों द्वारा निर्धारित की गई थी। वेतनभोगी रोजगार की तीन उपश्रेणियाँ सूचीबद्ध की गईं: (i) सरकारी नौकरियाँ, (ii) सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियाँ, और (iii) निजी क्षेत्र की नौकरियाँ। वेतनभोगी श्रम बाजार के विस्तार के कई प्रभाव हैं, जिनमें श्रम बल को औपचारिक करने में वृद्धि, आय का अधिक आश्वासन और, परिणामस्वरूप, कम जोखिम और अधिक समृद्धि शामिल है।

भारत में ऐसे ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत, जिनमें कोई भी सदस्य वेतनभोगी नौकरी में है, 9.65% है, केंद्र शासित प्रदेशों में वेतनभोगी नौकरियों में ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक 59.14% है। सबसे कम प्रतिशत भारत के पूर्वी क्षेत्र में 7.18% बताया गया है, उसके बाद मध्य भारत क्षेत्र में 7.86% है। वेतनभोगी नौकरियों पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवारों की निर्भरता क्रमशः 5.34% और 5.05% से भी कम है जोकि आंध्र प्रदेश के 4.57% के ठीक बाद आता है। ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए, वेतनभोगी नौकरियों में एक सदस्य वाले परिवारों का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम 6.43% है, लेकिन भारत में SECC 2011 में एक बड़ा बदलाव दर्ज किया गया था, जो ओडिशा में 2.72% से लेकर दमन और दीव में 70.18% की रेंज में था। कुल मिलाकर, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में औसत प्रतिशत सबसे अधिक 32.11% है, और सबसे कम औसत भारत के मध्य क्षेत्र में 3.92% है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वेतनभोगी नौकरियों वाले एक सदस्य वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का संबंधित प्रतिशत 4.61% और 3.08% है।

5. संसाधन की स्थिति

अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवार जिनकी अधिकांश बस्तियाँ बहती जलधाराओं और नदियों वाले वन सीमांत क्षेत्रों के पास हैं, अपनी भूमि और जल संसाधनों से गहरा लगाव रखते हैं। यह ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले सभी कृषक समुदायों में समान रूप से देखा जाता है। उत्पादन का प्राथमिक साधन और ग्रामीण (कृषि) आजीविका का आधार (प्राकृतिक पूंजी आधार) 'भूमि' है। ग्रामीण स्थानों में (शहरी क्षेत्रों के रूप में विकसित/पुनर्विकसित क्षेत्रों की परिधि में भी) भूमि पहचान का आधार बन जाती है। भारत का आंतरिक क्षेत्र लंबे समय से भूमि हस्तांतरण, भूमि अधिग्रहण, भूमि विवादों और संघर्षों से प्रभावित रहा है। जल संसाधनों के दावों, उपयोग और बंटवारे के मामले में विवादों और संघर्षों की यही प्रकृति बढ़ रही है।

5.1. संसाधन स्थिति: भूमि जोत

SECC 2011 के आंकड़ों से पता चलता है कि 43.59% ग्रामीण परिवारों के पास जमीन है। चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश) में भूमि रखने वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत सबसे कम 2.31% है, जबकि हिमाचल प्रदेश 78% भूमि वाले ग्रामीण परिवारों के मामले में सर्वोच्च स्थान पर है। ग्रामीण परिवारों के मामले में भारत का मध्य क्षेत्र 52.48% के साथ सर्वोच्च स्थान पर है, इसके बाद भारत का उत्तरी क्षेत्र 51.58% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, भूमि वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 53.27% और 45.28% है, जो फिर से राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

भारत में, ग्रामीण भूमिहीनता का अनुपात केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में सबसे अधिक 91.51% है, इसके बाद भारत के दक्षिणी क्षेत्र में 65.50% है। अनुसूचित जनजाति आबादी में, 35.65% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार भूमिहीन हैं और अपनी आय के लिए मैनुअल आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं। पंजाब में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक 69.38% है जो शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच भूमिहीनता का प्रतिशत सबसे कम 2.30% है, जो शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ में, शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर रहने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों में भूमिहीनता का प्रतिशत 28.47% है जो राष्ट्रीय औसत से कम है। हालाँकि, छत्तीसगढ़ में व्यापक भिन्नता है, जहाँ छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानी क्षेत्र की तुलना में पहाड़ी स्थलाकृति और घने जंगलों वाले उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों के पास बेहतर भूमि है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में नारायणपुर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले उन जिलों में से हैं, जहाँ अनुसूचित जनजाति परिवारों में सबसे कम भूमिहीनता है, जो क्रमशः 6.61% और 8.78% पर मैनुअल आकस्मिक श्रम पर निर्भर है। मध्य मैदानी क्षेत्र में बिलासपुर और महासमुंद जिले उन क्षेत्रों में से हैं, जहाँ अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच भूमिहीनता का प्रतिशत क्रमशः 45.82% और 46.19% है, जो मैनुअल आकस्मिक श्रम पर निर्भर है, जो राष्ट्रीय और राज्य के औसत से काफी अधिक है। मध्य प्रदेश भारत के उन शीर्ष 10 राज्यों में से एक है, जहाँ अनुसूचित जनजाति परिवारों में भूमिहीनता का उच्च अनुपात 48.78% है, जो शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर है। मध्य प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में 4 जिलों को छोड़कर, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच भूमिहीनता के उच्च अनुपात 40% या उससे अधिक के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में, अलीराजपुर जिले का प्रदर्शन बेहतर है, जहाँ केवल 7.88% अनुसूचित जनजाति परिवार भूमिहीन हैं और अपनी आय के लिए मैनुअल आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं, इसके बाद

झाबुआ जिले का स्थान है, जहां यह प्रतिशत 18.45% है। मध्य प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में, अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच मैनुअल आकस्मिक श्रम पर निर्भर भूमिहीनता के निम्न स्तर वाले जिले अनूपपुर में 26.11% और डिंडोरी में 36.86% हैं।

5.2. संसाधन स्थिति: जल पर नियंत्रण

जब ग्रामीण परिवारों की आजीविका और खुशहाली की बात आती है तो जल संसाधन सबसे महत्वपूर्ण चीज हैं, खासकर उस संदर्भ में जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान है। इसलिए, सिंचाई जल संसाधनों पर नियंत्रण को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण संकेतक है। SECC 2011 के अनुसार, भारत में कुल कृषि क्षेत्र का 40.46% असिंचित है। इसका तात्पर्य यह है कि लगभग 60% क्षेत्र में ही किसी प्रकार की सिंचाई है और शेष वर्षा पर निर्भर है। इसके अलावा, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र के केवल 36.79% हिस्से पर ही कम से कम दो फसलों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। यह भारत में सामान्य वर्षा ऋतु से परे फसल उत्पादन की अनिश्चितता को भी दर्शाता है। भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में असिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक 60.10% है और केवल 22.94% सिंचित क्षेत्र में दो फसलों के लिए सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध है। भारत का मध्य क्षेत्र भारत के औसत की तुलना में बेहतर स्थिति में है जहां 32.57% असिंचित क्षेत्र है और 47.94% सिंचित क्षेत्र में दो मौसमों के लिए सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध है। हालाँकि, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का प्रदर्शन खराब है और असिंचित क्षेत्र का प्रतिशत क्रमशः 68.74% और 42.70% है। दो मौसमों के लिए

सुनिश्चित सिंचाई वाले सिंचित क्षेत्रों का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में काफी कम 12.59% है, लेकिन मध्य प्रदेश में तुलनात्मक रूप से बेहतर 39.12% है।

भारत में, असिंचित भूमि के मालिक अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 42.59% है और केवल 18.05% के पास सिंचित भूमि है। अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच सिंचित भूमि के सबसे कम प्रतिशत 3.36% के साथ त्रिपुरा सबसे निचले स्थान पर है, जबकि 46.72% अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचित भूमि होने के साथ हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है। छत्तीसगढ़ में सिंचित भूमि वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे कम 4.56% है। राज्य-व्यापी भिन्नता है, लेकिन यह प्रतिशत जशपुर जिले में 2.35% (सबसे कम) और धमतरी जिले में 9.63% (उच्चतम) के बीच है। अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचित भूमि के मामले में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन काफी बेहतर है, जो कि 15% यानी छत्तीसगढ़ से 3 गुना अधिक है। हालाँकि, मध्य प्रदेश के भीतर व्यापक भिन्नता है, दक्षिण-पश्चिमी और उत्तरी मध्य प्रदेश की ओर सिंचाई की स्थिति बेहतर है। सिंचित भूमि वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत टीवा जिले में सबसे कम 3.10% है, इसके बाद बालाघाट में 4% है। जबकि सिंचित भूमि वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत भिंड जिले में सबसे अधिक 28.12% है, इसके बाद धार जिले में 27.40% है।





इसके अलावा, भारत में कृषि सिंचाई उपकरण रखने वाले या स्वामित्व रखने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 5.10% है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक भिन्नता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 0.49% अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास और राजस्थान में 13.70% अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचाई उपकरणों का स्वामित्व है। छत्तीसगढ़ में केवल 2.13% अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचाई उपकरण हैं। कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचाई उपकरणों की पहुंच और स्वामित्व कम है, जिसमें दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में 0.25% (छत्तीसगढ़ में सबसे कम) और धमतरी जिले में 4.88% (छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक) है। मध्य प्रदेश में, स्थिति थोड़ी बेहतर है, 6.82% अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचाई उपकरण हैं, जो छत्तीसगढ़ से लगभग 3 गुना अधिक है। हालाँकि, विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उपकरणों की पहुंच और स्वामित्व में बहुत बड़ी असमानता है, बालाघाट जिले में यह न्यूनतम 1.24% और मंदसौर जिले में 18.57% तक है।

6. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति परिवारों का वंचित होना: भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में

SECC डेटा में अभाव के सात मानदंड रेखांकित किए गए हैं, जिसके आधार पर ग्रामीण परिवारों की भेद्यता का मानचित्रण किया गया है। मानदंडों में से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने की स्थिति भी रही है। यह भारत के ग्रामीण हिस्सों के मामले में और भी अधिक है जहां बस्तियां और सामाजिक संबंध आम तौर पर जाति और जातीय स्तरीकरण पर आधारित होते हैं। भारत में लगभग 22% ग्रामीण परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत पाए जाते हैं। यह प्रतिशत मेघालय में सबसे अधिक 63% और दमन और दीव में सबसे कम 2.4% है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वंचित परिवारों में क्षेत्रीय भिन्नता है, जिसमें पूर्वी क्षेत्र में कुल प्रतिशत सबसे अधिक 26% और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में सबसे कम 5% है। 42% के साथ छत्तीसगढ़ और 31% के साथ मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग में जनसंख्या के उच्चतम अनुपात वाले राज्यों में से एक हैं, जो राष्ट्रीय औसत और मध्य भारत क्षेत्र के राज्यों के औसत से अधिक है। मानदंड और अभाव के संबंधित प्रतिशत नीचे उप-बिंदुओं में उल्लिखित हैं।



6.1. अनुसूचित जनजाति परिवारों को वंचित माना गया।

74% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों को वंचित माना गया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, वंचित माने जाने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का उच्चतम प्रतिशत पूर्वी क्षेत्र में 83% है, ओडिशा 89% के साथ सबसे ऊपर है। वंचित माने जाने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का सबसे कम प्रतिशत 55% केंद्र शासित प्रदेशों में है, सबसे कम 13% लक्षद्वीप में है। मध्य भारत क्षेत्र में, वंचित माने जाने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का औसत प्रतिशत 77% है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वंचित के रूप में वर्गीकृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 82% और 76% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है और भारत के पूर्वी क्षेत्र की स्थिति के बराबर है।

6.2. आवासन

भारत में अभाव मानदंड अर्थात कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले केवल एक कमरे वाले ग्रामीण वंचित परिवारों का प्रतिशत लगभग 13% पाया जाता है। यह अभाव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सबसे कम 0.3% है। कुल मिलाकर अगर हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों को देखें, तो केंद्र शासित प्रदेशों में यह सबसे कम प्रतिशत 2% दर्ज किया गया है, जबकि भारत के पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक 21% दर्ज किया गया है। भारत में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच, यह अभाव

प्रतिशत 22% है, जिसमें राजस्थान में सबसे अधिक 44% और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम 0.16% दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में, उचित आवास से वंचित ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 27% है। यह छत्तीसगढ़ में उचित आवास से वंचित ग्रामीण परिवारों के कुल प्रतिशत 29% से कम है। मध्य प्रदेश में, उचित आवास स्थितियों से वंचित ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 32% है, जो ग्रामीण परिवारों के आवास अभाव के प्रतिशत यानी 25% से लगभग 7% अधिक है।

6.3. 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं

भारत में अभाव मानदंड - 16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है वाले ग्रामीण वंचित परिवारों का प्रतिशत, 4% है। यह अभाव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सबसे कम 0.34% है, इसके बाद चंडीगढ़ में 0.42% है। हालाँकि, क्षेत्रीय भिन्नता दर्शाती है कि यह अभाव केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लगभग 1% है, और भारत के दक्षिणी क्षेत्र में सबसे अधिक लगभग 5% है। भारत में सबसे अधिक, छत्तीसगढ़ में 6.47% ग्रामीण परिवारों ने यह रिपोर्ट दी। ग्रामीण मध्य प्रदेश में अभाव का प्रतिशत 5.18% है, जो भारत और मध्य भारत क्षेत्र के औसत से अधिक है। भारत में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति आबादी में, यह प्रतिशत लगभग 4% है, जो भारत में कुल ग्रामीण आबादी के बीच अभाव के बराबर है। लगभग 1% के अभाव प्रतिशत के साथ, हरियाणा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर जैसे राज्य और दमन और दीव और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेश इस श्रेणी के तहत सबसे कम अभाव प्रतिशत वाले क्षेत्रों में से हैं। इस श्रेणी के तहत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों में सबसे अधिक अभाव छत्तीसगढ़ में 5.58% दर्ज किया गया है, जो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों के औसत 6.47% से कम है। इसी तरह, मध्य प्रदेश में, इस श्रेणी के तहत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों में अभाव प्रतिशत 4.66% है, जो मध्य प्रदेश के औसत ग्रामीण परिवारों के 5.18% से कम है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि इस श्रेणी के तहत औसत ग्रामीण परिवारों के लिए अभाव का प्रतिशत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की तुलना में अधिक है।





6.4. महिला मुखिया परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है

भारत में अभाव मानदंड – जिन महिला मुखिया परिवारों में 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच के कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, में ग्रामीण वंचित परिवारों का प्रतिशत लगभग 4% है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे कम 0.4% बताया गया है, जबकि तमिलनाडु में सबसे अधिक 6.84% है। इस मानदंड में क्षेत्रीय भिन्नता दर्शाती है कि बिना वयस्क पुरुष सदस्य वाले महिला मुखिया ग्रामीण परिवार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लगभग 1% हैं, जबकि यह अभाव दक्षिणी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक 5.64% है। ग्रामीण अनुसूचित जनजाति आबादी में, यह लगभग 5% है, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अधिक है। क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार यह अभाव भारत के उत्तरी क्षेत्र में सबसे कम 2.59% है, जबकि भारत में सबसे कम पंजाब में 1.25% है। इस मानदंड में भारत का दक्षिणी क्षेत्र 5.56% के साथ अत्यधिक वंचित है, उसके बाद मध्य भारत क्षेत्र में 5.47% है, छत्तीसगढ़ में अभाव भारत में सबसे अधिक 6.61% है। मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत 4.46% है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं होने वाले महिला मुखिया परिवारों के अभाव मानदंड वाले ग्रामीण वंचित परिवारों का प्रतिशत 6.79% है, जो राज्य के ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के प्रतिशत से अधिक है। जबकि मध्य प्रदेश में, इस मानदंड के तहत 3.6% वंचित ग्रामीण परिवार राज्य के ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की तुलना में थोड़े कम वंचित हैं।

6.5. विकलांग सदस्य और कोई शारीरिक सक्षम वयस्क सदस्य नहीं

भारत में वंचित मानदंड – विकलांग सदस्य और कोई शारीरिक सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है वाले वंचित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत 0.40% है। केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर भारत के सभी क्षेत्रों में यह अभाव लगभग समान स्तर पर है, जहां ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत लगभग 0.08% है, पंजाब में अभाव का सबसे कम स्तर 0.04% दर्ज किया गया है, इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 0.05% है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश उन राज्यों में से हैं जहां इस मानदंड के तहत ग्रामीण परिवारों की वंचितता का स्तर क्रमशः 0.81% और 0.73% है जो सबसे अधिक है।

अनुसूचित जनजाति आबादी में, यह 0.50% है, जो औसत ग्रामीण परिवारों के प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। ग्रामीण अनुसूचित जनजाति

परिवारों के बीच यह अभाव केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम और मध्य भारत क्षेत्र में सबसे अधिक 0.60% दर्ज किया गया है। मध्य भारत क्षेत्र के राज्यों के साथ-साथ भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में, सिक्किम को छोड़कर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस मानदंड के तहत वंचितता का स्तर उच्च (0.80%) है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वंचित मानदंड वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों में विकलांग सदस्यों और कोई शारीरिक सक्षम वयस्क सदस्य नहीं होने के कारण वंचितों का संबंधित प्रतिशत 0.70% और 0.60% है।



6.6. 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई साक्षर वयस्क नहीं

भारत में 24% ग्रामीण परिवारों को 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी साक्षर वयस्क नहीं वाले अभाव मानदंड से वंचित बताया गया है। अभाव का यह प्रतिशत पूर्वी भारत क्षेत्र के ग्रामीण परिवारों में सबसे अधिक 30% और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम 6% है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, बिहार में 25 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी साक्षर वयस्क वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत (34.12%) सबसे अधिक दर्ज किया गया है, जबकि लक्षद्वीप में यह सबसे कम 0.64% दर्ज किया गया है। मध्य भारत क्षेत्र में, 25 वर्ष से अधिक आयु के साक्षर न होने वाले ग्रामीण परिवारों का औसत प्रतिशत 25% है। हालाँकि, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश क्रमशः 34% और 33% के साथ उच्चतम प्रतिशत वाले राज्यों में से हैं।

25 वर्ष से अधिक आयु के साक्षर वयस्क नहीं वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 39% है, जो इस अभाव मानदंड के तहत ग्रामीण परिवारों के औसत से काफी अधिक है। भारत के उत्तर-पूर्वी

क्षेत्र में 21% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का अनुपात सबसे कम है, जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर सदस्य हैं। यह प्रतिशत मध्य भारत क्षेत्र में सबसे अधिक 46% है, इसके बाद पूर्वी भारत क्षेत्र में 43% है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, लक्षद्वीप में वयस्क निरक्षरों का अनुपात सबसे कम है, जबकि 0.63% ऐसे ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार हैं जिनमें 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई साक्षर वयस्क नहीं है। जबकि राजस्थान में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत (51.01%) सबसे अधिक है, जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं है। छत्तीसगढ़ में 25 वर्ष से अधिक आयु के साक्षर सदस्य नहीं वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 41% है। छत्तीसगढ़ की तुलना में मध्य प्रदेश में 25 वर्ष से अधिक उम्र के साक्षर नहीं वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का अनुपात अधिक है, जो लगभग 50% है।





6.7. भूमिहीन परिवार अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हैं

लगभग 30% ग्रामीण परिवार अभाव मानदंड यानि भूमिहीन परिवार अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हैं, के तहत वंचित हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 3% से 47% तक की व्यापक भिन्नता है। इस मानदंड के तहत अभाव का औसत न्यूनतम स्तर भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में 7% है, लक्षद्वीप में सबसे कम 3.1% है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 3.68% है। हालाँकि, भूमिहीन होने के कारण शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भरता भारत के पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक 41% है, जिसमें बिहार सबसे अधिक वंचित है, जहाँ 47% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हैं। भारत के मध्य क्षेत्र में, अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करने वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवारों का प्रतिशत 27% है। हालाँकि, इस मानदंड के तहत अभाव मध्य भारत क्षेत्र के औसत की तुलना में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अधिक है जो क्रमशः 34% और 38% है।

औसत ग्रामीण परिवारों की तुलना में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों में अभाव में बहुत अंतर नहीं है और लगभग 30% ने इसकी सूचना दी है। हालाँकि, ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच भिन्नता काफी है, जो 1% से 50% के बीच है। इस मानदंड के तहत अभाव का औसत न्यूनतम स्तर भारत के उत्तरी क्षेत्र में 5% है। हालाँकि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस मानदंड के तहत अभाव का स्तर सबसे कम 1.09% है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 1.54% है। इसके अलावा, इस मानदंड के तहत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार पश्चिम बंगाल में 50.28% के साथ सबसे अधिक वंचित हैं, इसके बाद बिहार में 49.68% हैं। क्षेत्रीय विविधताओं के बीच, तुलनात्मक रूप से, भारत के मध्य क्षेत्र में भूमिहीन होने और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करने की सूचना देने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक 34% है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में इस मानदंड के तहत अभाव का स्तर लगभग 25% कम है। हालाँकि, मध्य प्रदेश में अभाव छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के औसत से बहुत अधिक है, जहाँ 40% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने भूमिहीन होने की सूचना दी है, जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हैं।

7. अभाव की गणना हेतु अनुसूचित जनजाति परिवारों का बहिष्करण: भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में

अभाव के विश्लेषण में भूमि और सिंचाई के स्वामित्व, आवास के प्रकार, घरों में सुविधाएं, मोटर चालित वाहनों और उपकरणों के स्वामित्व, ऋण तक पहुंच, व्यवसाय और कर भुगतान की स्थिति से संबंधित मानदंडों के आधार पर परिवारों को शामिल नहीं किया गया है। बहिष्करण का आधार 14 मानदंड हैं (7.1 से 7.14 तक उप-बिंदुओं में उल्लिखित), जो दर्शाते हैं कि लगभग 21.51% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों (भारत) को SECC 2011 डेटा विश्लेषण के तहत 14 बहिष्करण मानदंडों में से कम से कम एक के अनुसार बाहर रखा गया है। ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों को कम से कम एक बहिष्करण मानदंड में बाहर रखा जाना भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से अलग-अलग है, लक्षद्वीप में 86.60% है जबकि ओडिशा में 8.97% तक कम है। अभाव के लिए SECC डेटा विश्लेषण से बाहर रखे गए ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की क्षेत्रीय भिन्नता भी है। केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम एक बहिष्करण मानदंड में बहिष्करण के लिए विचार किए जाने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का उच्चतम औसत प्रतिशत 44.50% है, जबकि सबसे कम औसत मध्य भारत क्षेत्र में 14.88% है। मध्य भारत क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कम से कम एक बहिष्करण मानदंड में बहिष्कृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 12.44% और 14.43% है।

छत्तीसगढ़ में, अभाव की गणना के लिए कम से कम एक बहिष्करण मानदंड में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बहिष्करण के प्रतिशत में व्यापक भिन्नता है, जो 8.16% (नारायणपुर जिला) और 22.35% (दुर्ग जिला) की सीमा में है। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय भिन्नता यह भी दर्शाती है कि ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के निम्न स्तर के बहिष्करण (कम से कम एक बहिष्करण मानदंड में) वाले अधिकांश जिले नारायणपुर (8.16%) और बीजापुर (10.48%) को छोड़कर मध्य क्षेत्र में हैं। छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों में, दुर्ग (22.35%) और धमतरी (17.54%) को छोड़कर, अभाव की गणना के लिए ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का बहिष्करण (कम से कम एक बहिष्करण मानदंड में) समान स्तर पर है। छत्तीसगढ़ की तुलना में, ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बहिष्करण में क्षेत्रीय भिन्नताएं (कम से कम एक बहिष्करण मानदंड में) मध्य प्रदेश में बहुत अधिक हैं, सबसे अधिक भिंड जिले में 69.71% और सबसे कम 7.55% ग्वालियर में दर्ज की गई है। पूरे मध्य प्रदेश में, कम से कम एक बहिष्करण मानदंड में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बहिष्करण का निम्न स्तर वहां दर्ज किया गया है जहां अनुसूचित



जनजाति आबादी का प्रतिशत अधिक है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में। मानदंड-वार बहिष्करण पर नीचे चर्चा की गई है:

7.1 'मोटर चालित दो/तीन/चार पहिया वाहन/मछली पकड़ने वाली नौकाओं वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

मोटर चालित दो/तीन/चार पहिया वाहन/मछली पकड़ने वाले घरों के आधार पर भारत में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के प्रतिशत को अभाव की गणना से बाहर रखा गया है। नावों की संख्या 9.88% बताई गई है। इस मानदंड के आधार पर ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बहिष्करण में उच्च भिन्नता है, गोवा में सबसे अधिक 54.75% और पश्चिम बंगाल में सबसे कम 3.35% है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए ये आंकड़े 6.58% और 6.77% हैं, जो भारत के औसत से कम हैं।

7.2 'मशीनीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण रखने वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

भारत में 1.61% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों को इस मानदंड के आधार पर अभाव की गणना से बाहर रखा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, इस मानदंड के तहत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का बहिष्करण उत्तराखंड में सबसे अधिक 6.55% है, जबकि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 0 दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत क्रमशः 0.62% और 1.02% है, जो दर्शाता है कि इस मानदंड के आधार पर बहिष्करण भारत और मध्य भारत क्षेत्र के औसत की तुलना में इन दोनों राज्यों में कम है।

7.3 '50,000 रुपये और उससे अधिक की क्रेडिट सीमा के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या: इस बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत भारत में 1.64% है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, सबसे अधिक प्रतिशत उत्तराखंड में 11.93% दर्ज किया गया है, जबकि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 0 दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया प्रतिशत क्रमशः 1.27% और 1.90% है।

7.4 'ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

भारत में इस बहिष्करण मानदंड के साथ बहिष्कृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 4.36% है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, ओडिशा में सबसे कम 2.01% बहिष्करण दर्ज किया

गया, और लक्षद्वीप में सबसे अधिक 40.50% दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए यह क्रमशः 4.19% और 2.35% दर्ज किया गया है।

7.5 'सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

इस बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत भारत में 2.05% है। भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, दमन और दीव में सबसे अधिक 16.49% और केरल में सबसे कम 0.43% दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस बहिष्करण मानदंड के तहत क्रमशः 0.55% और 0.54% के साथ कम आंकड़े दर्ज किए गए हैं।

7.6 'ऐसे परिवार जिनमें कोई भी सदस्य रुपये 10,000 प्रति माह से अधिक कमाता है' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

भारत में इस आधार पर बाहर किए गए ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 4.48% है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, सबसे अधिक दर्ज किया गया बहिष्करण लक्षद्वीप में 42.49% है, जबकि सबसे कम 1.63% ओडिशा में दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस बहिष्करण का प्रतिशत क्रमशः 2.38% और 1.89% है।

7.7 'आयकर का भुगतान करने वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

आयकर देने वाले परिवार अभाव की गणना से परिवारों को बाहर करने के मानदंडों में से एक है और SECC 2011 के अनुसार, भारत में 3.35% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों को बाहर रखा गया है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का यह बहिष्करण लक्षद्वीप में सबसे अधिक 18.93% और ओडिशा में सबसे कम 1.12% दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत क्रमशः 1.54% और 1.15% है।

7.8 'व्यावसायिक कर का भुगतान करने वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

अभाव की गणना में, व्यावसायिक कर का भुगतान करने वाले परिवार भी बहिष्करण के मानदंडों में से एक है, और भारत में 3.35% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार इस श्रेणी में आते हैं। आयकर और व्यावसायिक कर का भुगतान करने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत समान पाया गया है। इसलिए, इस



मानदंड के तहत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का बहिष्कार लक्षद्वीप में सबसे अधिक 18.93% और ओडिशा में सबसे कम 1.12% दर्ज किया गया है, जैसा कि कर भुगतान करने वाले परिवारों में रिपोर्ट किया गया प्रतिशत है (धारा 7.7 देखें)। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, क्रमशः 1.54% और 1.15% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार आयकर का भुगतान करने के लिए बहिष्करण मानदंडों को पूरा करते हैं।

7.9 'पक्की दीवारों और पक्की छत वाले तीन या अधिक कमरों वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

इस मानदंड के अनुसार भारत में 6.34% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों को बाहर रखा गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, त्रिपुरा में इस मानदंड के आधार पर ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का सबसे कम 1.21% बहिष्करण दर्ज किया गया है, जबकि लक्षद्वीप में सबसे अधिक 49.30% दर्ज किया गया है। पक्की दीवारों और पक्की छत वाले तीन या अधिक कमरों के मानदंड के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का बहिष्करण प्रतिशत क्रमशः 2.28% और 1.99% है।

7.10 'रेफ्रिजरेटर रखने वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

3.43% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों को इस मानदंड के तहत बाहर रखा गया है और ओडिशा में दर्ज सबसे कम प्रतिशत 1.18% एवं पंजाब में 78.75% के उच्चतम प्रतिशत के बड़ा अंतर है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, इस मानदंड के आधार पर ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बहिष्करण का प्रतिशत क्रमशः 1.90% और 1.72% है।

7.11 'लैंडलाइन फोन रखने वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

भारत में, इस मानदंड के आधार पर 1.24% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों को बाहर रखा गया है। भारत के सभी राज्यों और

केंद्र शासित प्रदेशों में, लैंडलाइन फोन रखने के मानदंड पर ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बहिष्करण का उच्चतम प्रतिशत लक्षद्वीप में 35.28% दर्ज किया गया है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 0 दर्ज किया गया है। बहिष्कृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में 0.44% दर्ज किया गया है।

7.12 'कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

भारत में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि वाले परिवारों के आधार पर बहिष्कृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 1.70% दर्ज किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, इस श्रेणी के तहत सबसे अधिक बहिष्करण उत्तराखंड में 6.67% दर्ज किया गया है, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 0 दर्ज किया गया है। यह बहिष्करण प्रतिशत छत्तीसगढ़ में 0.58% दर्ज किया गया है, जबकि इस मानदंड के आधार पर मध्य प्रदेश में 2.76% के उच्च प्रतिशत के साथ ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों को बाहर रखा गया है।

7.13 'दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व रखने वाला परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

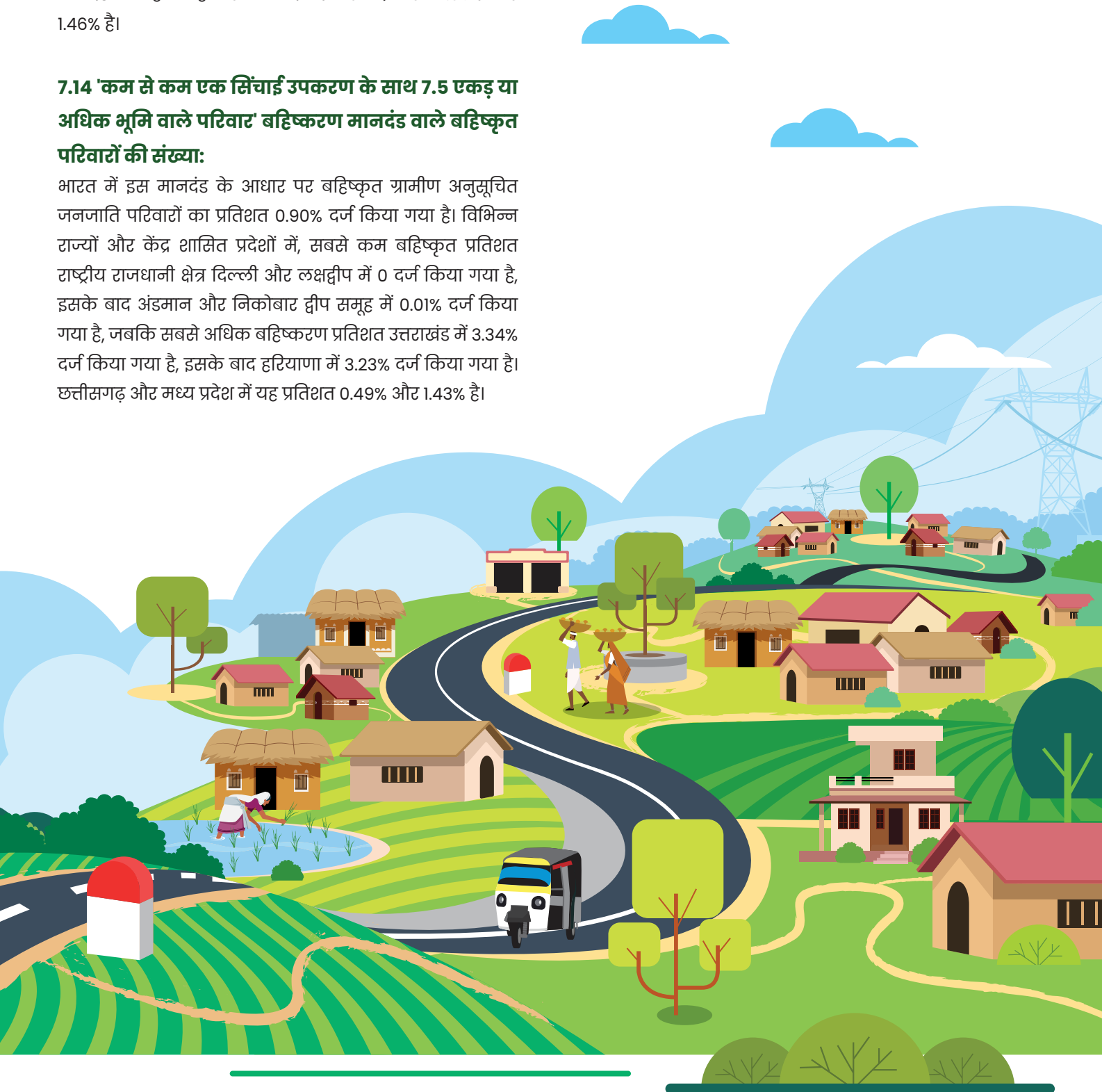
भारत में दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि रखने वाले परिवारों के आधार पर बहिष्कृत ग्रामीण



अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 1.32% दर्ज किया गया है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, सबसे कम बहिष्करण प्रतिशत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 0 दर्ज किया गया है, इसके बाद लक्षद्वीप में 0.02% दर्ज किया गया है, जबकि सबसे अधिक बहिष्कृत प्रतिशत उत्तराखंड में 4.59% दर्ज किया गया है, इसके बाद असम में 3.64% दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, इस मानदंड के तहत बहिष्करण का दर्ज प्रतिशत क्रमशः 0.36% और 1.46% है।

7.14 'कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ या अधिक भूमि वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

भारत में इस मानदंड के आधार पर बहिष्कृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 0.90% दर्ज किया गया है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, सबसे कम बहिष्कृत प्रतिशत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और लक्षद्वीप में 0 दर्ज किया गया है, इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 0.01% दर्ज किया गया है, जबकि सबसे अधिक बहिष्करण प्रतिशत उत्तराखंड में 3.34% दर्ज किया गया है, इसके बाद हरियाणा में 3.23% दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत 0.49% और 1.43% है।





8. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति ग्रामीण परिवार: एक तुलनात्मक विश्लेषण

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 36.83% और 25.29% है। दोनों राज्यों के अनुसूचित जनजाति परिवार बड़े पैमाने पर वन सीमांत क्षेत्रों में बसे हुए हैं और प्राथमिक क्षेत्र अर्थात् कृषि एवं इससे जुड़ी हुई गतिविधियों और वन-आधारित गतिविधियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। हालाँकि, दोनों राज्यों में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की आय के स्रोतों में थोड़ा अंतर है। छत्तीसगढ़ में, 51.97 प्रतिशत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने संकेत दिया कि कृषि उनकी आय का मुख्य स्रोत है, जबकि 42.54% ने संकेत दिया कि उनके लिए यह स्रोत शारीरिक आकस्मिक श्रम है। हालाँकि, मध्य प्रदेश के आंकड़ों से पता चलता है कि 63.58% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए शारीरिक आकस्मिक श्रम आय का प्राथमिक स्रोत है, इसके बाद 31.95 परिवारों के लिए कृषि यह स्रोत है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गैर-कृषि स्वयं के खाते वाले उद्यमों को अपनी आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में रिपोर्ट करने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत समान स्तर अर्थात् क्रमशः 0.14% और 0.12% है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, भीख मांगने, कूड़ा उठाने और धर्मार्थ दान पर निर्भर ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का अनुपात क्रमशः 0.41% और 0.43% है। इसलिए, इन दोनों राज्यों में कृषि और शारीरिक आकस्मिक श्रम प्रमुख स्रोत हैं, जहां छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार अपनी आय के लिए मध्य प्रदेश की तुलना में कृषि पर अधिक निर्भर हैं।

यदि विशेष रूप से कमाई करने वाले सदस्यों की आय सीमा के रिकॉर्ड पर विचार किया जाए तो इन दोनों राज्यों में आय का स्तर लगभग समान है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में, 93% अनुसूचित जनजाति परिवारों ने बताया कि उनके परिवार का सबसे अधिक कमाई करने वाला सदस्य प्रति माह 5,000 रुपये से कम कमाता है। मध्य प्रदेश में, 5% अनुसूचित जनजाति परिवारों ने अपने परिवार के सबसे अधिक कमाई वाले सदस्य से 5,000-10,000 रुपये की मासिक आय की सूचना दी, जबकि छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 4% है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में केवल 2% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने बताया कि उनके परिवारों में सबसे अधिक कमाई करने वाले सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक है। यहां तक कि दोनों राज्यों में नौकरी बाजार में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की उपस्थिति काफी कम है, हालांकि, वेतनभोगी नौकरियों में एक सदस्य के साथ ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में अधिक यानि 4.61% है, जबकि मध्य प्रदेश के लिए यह प्रतिशत 3.08% है। इसके अलावा,

सरकार के लिए काम कर रहे एक सदस्य वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का अनुपात मध्य प्रदेश में 2.35% की तुलना में छत्तीसगढ़ में 4.19% के रूप में अधिक है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले एक सदस्य के साथ ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे कम (0.19%) है, जबकि मध्य प्रदेश में यह स्तर थोड़ा अधिक (0.27%) है। फिर से, छत्तीसगढ़ में एक सदस्य निजी क्षेत्र में काम करने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे कम 0.23% है जबकि मध्य प्रदेश यह प्रतिशत 0.46% है, जो छत्तीसगढ़ से तुलनात्मक रूप से दोगुना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में श्रम बल में भाग लेने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के प्रक्षेपवक्र से पता चलता है कि गारंटीकृत मासिक आय प्रदान करने वाली नौकरियों पर निर्भरता कम है।

छत्तीसगढ़ में, वंचित के रूप में वर्गीकृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 82% है, जबकि मध्य प्रदेश के लिए यह प्रतिशत 76% है। आवासन की स्थिति में भी अभाव देखा जा सकता है, जहां छत्तीसगढ़ में पर्याप्त आवास की कमी वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 27% है। मध्य प्रदेश में पर्याप्त आवास स्थितियों की कमी वाले अनुसूचित जनजाति ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत 32% है, जो छत्तीसगढ़ की तुलना में अधिक है। साक्षर वयस्कों वाले परिवारों में भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बेहतर है। छत्तीसगढ़ में 25 वर्ष से अधिक आयु के साक्षर सदस्य नहीं वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 41% है। छत्तीसगढ़ की तुलना में मध्य प्रदेश में 25 वर्ष से अधिक उम्र के साक्षर सदस्य नहीं वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का अनुपात अधिक है, जो लगभग 50% है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों में भूमिहीनता का प्रतिशत 28.47% है, जो शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच भूमिहीनता की दर काफी अधिक यानी 48.78% है, जो कि आकस्मिक शारीरिक रोजगार पर निर्भर हैं। छत्तीसगढ़ में सिंचित भूमि वाले अनुसूचित जनजाति ग्रामीण परिवारों का अनुपात सबसे कम यानि 4.56% पर है। सिंचित भूमि वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के प्रतिशत के मामले में, मध्य प्रदेश 15% के साथ काफी बेहतर प्रदर्शन करता है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ में केवल 2.13% अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचाई उपकरण हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति थोड़ी बेहतर है, जहां 6.82% अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचाई उपकरण हैं।



9. निष्कर्ष

SECC 2011 का डेटा स्वामित्व और संसाधनों (भूमि और पानी) तक पहुंच, निवेश और पूंजी तक पहुंच और सरकारी योजनाओं और सिंचाई प्रणालियों तक पहुंच के निम्न स्तर को दर्शाता है, जो गरीबी के दुष्क्र के स्पष्ट संकेत हैं जो अनुसूचित जनजाति आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं। इसका इक्विटी परिणामों पर भी प्रभाव पड़ता है जैसे कम वयस्क साक्षरता दर, आय के स्रोत के रूप में शारीरिक आकस्मिक श्रम (तदर्थ और बिना आश्वासन) पर बड़ी निर्भरता और बुनियादी सुविधाओं की कमी। आंकड़ों से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार अभी भी मध्य प्रदेश की तुलना में प्रचुर वन संसाधनों वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जो आय के स्रोतों में भी स्पष्ट रूप से दिखता है। छत्तीसगढ़ में कृषि के बाद वन संसाधनों पर अनुसूचित जनजाति आबादी की निर्भरता मध्य प्रदेश की तुलना में अधिक है। हालाँकि, एक क्षेत्र के रूप में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ-साथ भारत के पूर्वी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषि के बाद शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भरता अधिक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में, गैर-अनुसूचित जनजाति आबादी की तुलना में

अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच ऋण, सिंचाई, योजनाओं आदि की पहुंच कम है, लेकिन अनुसूचित जाति (एससी) जैसे अन्य समुदायों के साथ अलग-अलग डेटा की तुलना नहीं की गई है। यह पुष्टि करना कठिन होगा कि अनुसूचित जनजाति सबसे कमजोर स्थिति में है। इसके अलावा, इन दोनों राज्यों में क्षेत्रीय भिन्नता भी है और समान निवास या क्षेत्र साझा करने वाले अनुसूचित जनजाति और गैर-अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। अनुसूचित जनजाति और गैर-अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच राष्ट्रीय स्तर का अंतर जिला या उप-जिला स्तर पर प्रतिबिंबित नहीं होता है। इसमें क्षेत्रीय असमानता को समझने और बेहतर तुलना के लिए यह समझने की आवश्यकता है कि यह अनुसूचित जनजाति और गैर-अनुसूचित जनजाति परिवारों सहित अन्य कमजोर समुदायों के जीवन और आजीविका को कैसे आकार देता है।





तालिका 2: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की विकास प्रोफाइल

संकेतक	मध्य प्रदेश (मूल्य प्रतिशत में)	छत्तीसगढ़ (मूल्य प्रतिशत में)
कुल ग्रामीण परिवारों में अनुसूचित जनजाति परिवार	25.3	36.8
अनुसूचित जनजाति परिवार, जिनमें सबसे अधिक कमाई करने वाले घरेलू सदस्य की मासिक आय <5000 है	92.7	93.3
अनुसूचित जनजाति परिवार, जिनमें सबसे अधिक कमाई करने वाले घरेलू सदस्य की मासिक आय 5000 - 10000 है	5.4	4.2
अनुसूचित जनजाति परिवार, जिनमें सबसे अधिक कमाई करने वाले घरेलू सदस्य की मासिक आय > 10000 है	1.9	2.4
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनकी आय का एकमात्र स्रोत कृषि है	31.9	52.0
आय स्रोत के रूप में शारीरिक आकस्मिक श्रम वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	63.6	42.6
आय के स्रोत के रूप में अंशकालिक या पूर्णकालिक घरेलू नौकर वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	1.0	1.2
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनकी आय का स्रोत चारा ढूँढना या कूड़ा बीनना है	0.1	0.1
आय स्रोत के रूप में गैर-कृषि स्वयं के खाते वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	0.1	0.1
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनकी आय का स्रोत भीख मांगना /दान/भिक्षा संग्रह है	0.3	0.3
अन्य आय स्रोत वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	2.9	3.6
सरकार में वेतनभोगी नौकरियों वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	2.3	4.2
निजी क्षेत्र में वेतनभोगी नौकरियों वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	0.5	0.2
अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास मोटर चालित दो/तीन/चार पहिया वाहन/ मछली पकड़ने वाली नावें हैं	6.8	6.6
अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास यंत्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण हैं	1.0	0.6
अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास 50,000 रुपये और उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड है	1.9	1.3
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनमें कोई भी सदस्य सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का कर्मचारी हो	2.6	4.4
सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	0.5	0.6
अनुसूचित जनजाति परिवार, जिनका कोई भी सदस्य प्रति माह रु. 10,000 से अधिक कमाता है।	1.9	2.4
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास पक्की दीवारों और पक्की छत वाले तीन या अधिक कमरे हैं	2.0	2.3
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर है	1.7	1.9
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि है	0.4	0.3
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि है	0.2	0.2



अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ या अधिक भूमि है	0.2	0.3
अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाला केवल एक कमरा है	32	27
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है	4.7	5.6
अनुसूचित जनजाति महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है	4.5	6.6
वंचित मानदंड : एक विकलांग सदस्य या कोई शारीरिक सक्षम वयस्क सदस्य नहीं वाले वंचित अनुसूचित जनजाति परिवार	0.6	0.7
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई साक्षर वयस्क नहीं है	49.9	40.7
अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हैं	40.2	25.3
भूमि सहित परिवार	45.3	53.3
असिंचित भूमि	42.7	68.7
सुनिश्चित दो मौसम सिंचाई वाली भूमि	39.1	12.6
अन्य सिंचित भूमि	18.2	18.7
भूमि स्वामी परिवार जिनके पास यंत्रकृत तिपहिया/चार पहिया कृषि उपकरण भी हैं	4.16	1.17
भूस्वामी परिवार जिनके पास सिंचाई उपकरण (डीजल/केरोसिन/इलेक्ट्रिक पंपसेट, स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई प्रणाली आदि शामिल हैं) हैं	15.2	3.6
50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड वाले परिवार	6.7	2.2
अनुसूचित जनजाति परिवारों को वंचित माना गया	76	82
मानदंड 1 वाले वंचित अनुसूचित जनजाति परिवार	2.07	7.98
मानदंड 2 वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	6.04	11.43
मानदंड 3 वाले वंचित अनुसूचित जनजाति परिवार	6.72	6.8
मानदंड 4 वाले वंचित अनुसूचित जनजाति परिवार	3.54	2.95
मानदंड 5 वाले वंचित अनुसूचित जनजाति परिवार	0.58	0.9
मानदंड 6 वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	0.16	0.28
मानदंड 7 वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	0.01	0.02



अनुलग्नक डी

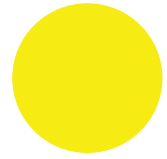
ग्राम स्तरीय डेटा

मध्य प्रदेश

तालिका 3: ग्राम पहुंच और संचार, मध्य प्रदेश

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
ब्लॉक मुख्यालय से औसत दूरी (किमी)	25.0	22.0	26.0
ब्लॉक मुख्यालय तक बारहमासी उपयुक्त सड़क वाले गाँव का प्रतिशत	78.0	79.0	80.0
सर्वेक्षण के समय पक्की संपर्क सड़क वाले गांवों का प्रतिशत	79.0	68.0	80.0
सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालयों से जुड़े गांवों का प्रतिशत	42.0	63.0	80.0
सभी मौसमों के लिए उपयुक्त गाँवों की अंतः-ग्राम सड़क वाले गाँवों का प्रतिशत	53.0	79.0	80.0
मोटर योग्य अंतः-ग्राम सड़क वाले गांवों का प्रतिशत	67.0	74.0	90.0
सभी बस्तियों में बिजली कनेक्शन वाले गांवों का प्रतिशत	80.0	95.0	100.0
मोबाइल नेटवर्क उपलब्धता वाले गांवों का प्रतिशत	66.0	84.0	90.0
गांवों की कुल संख्या	118	19	10





तालिका 4: गांव के स्कूल और कॉलेज तक पहुंच, मध्य प्रदेश

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
प्राथमिक विद्यालय वाले गांवों का प्रतिशत	97.0	100.0	100.0
गांव में न होने पर निकटतम प्राथमिक विद्यालय की औसत दूरी (किमी)	4.0		
माध्यमिक विद्यालय वाले गांवों का प्रतिशत	11.0	16.0	30.0
गांव में न होने पर निकटतम माध्यमिक विद्यालय की औसत दूरी (किमी)	7.0	6.0	10.0
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाले गांवों का प्रतिशत	9.0	26.0	0.0
गांव में न होने पर निकटतम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की औसत दूरी (किमी)	9.0	6.0	16.0
कॉलेज वाले गांवों का प्रतिशत	1.0	0.0	0.0
गांव में न होने पर निकटतम कॉलेज की औसत दूरी (किमी)	23.0	17.0	21.0
गांवों की कुल संख्या	118	19	10





तालिका 5: मध्य प्रदेश में खदानों के नजदीक के गांव

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आसपास खदानों वाले गांवों का प्रतिशत	4.0	11.0	30.0
खदानों की उपस्थिति के कारण दूषित जल निकायों वाले गांवों का प्रतिशत	0.0	50.0	33.0
गांवों की कुल संख्या	118	19	10

तालिका 6: ग्राम शौचालय-उपयोग और स्वच्छता, मध्य प्रदेश

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
शौचालय उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति वाले गांवों का प्रतिशत	52.0	63.0	10.0
जल निकासी व्यवस्था वाले गांवों का प्रतिशत	41.0	53.0	0.0
बंद जल निकासी व्यवस्था वाले गांवों का प्रतिशत	96.0	70.0	-
गांवों की कुल संख्या	118	19	10



तालिका 7: जल स्रोत वाले गाँव, मध्य प्रदेश

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
टैंक/तालाब/जलाशय वाले गाँवों का प्रतिशत	19.0	16.0	40.0
सार्वजनिक पेयजल स्रोतों वाले गाँव	97.0	95.0	100.0
निजी पेयजल स्रोतों वाले गाँव	25.0	63.0	10.0
गांवों की कुल संख्या	118	19	10

तालिका 8: गाँव की जंगल से निकटता और सीएफआर पहुंच, मध्य प्रदेश

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आसपास जंगल वाले गांवों का प्रतिशत	83.0	68.0	100.0
पास न होने पर गाँव से जंगल की औसत दूरी	1.4	3.2	1.9
सीएफआर के लिए आवेदन करने वाले गांवों का प्रतिशत	11.0	0.0	30.0
सीएफआर प्राप्त करने वाले गांवों का प्रतिशत	3.0	0.0	10.0
गांवों की कुल संख्या	118	19	10

तालिका 9: ग्राम परिवार कल्याण आउटरीच, मध्य प्रदेश

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आईसीडीएस/आंगनवाड़ी केंद्र वाले गांवों का प्रतिशत	98.0	95.0	100.0
आईसीडीएस/आंगनवाड़ी में नियमित बाल टीकाकरण प्राप्त करने वाले गांवों का प्रतिशत	97.0	95.0	100.0
आशा दीदी वाले गांवों का प्रतिशत	97.0	95.0	100.0
उन गांवों का प्रतिशत जहां आशा दीदी के पास आवश्यक दवा किट है	92.0	95.0	90.0
आशा दीदी से दवा प्राप्त करने वाले गांवों का प्रतिशत	98.0	100.0	100.0
पीएचसी से गांव की औसत दूरी - किमी	7.5	5.5	8.7
सीएचसी से गांव की औसत दूरी - किमी	16.9	13.8	18.0
निकटतम फार्मसी दुकान से औसत दूरी - किमी	10.0	4.9	11.6
एनजीओ से जुड़े गाँव के परिवारों का प्रतिशत	36.0	42.0	80.0
पीडीएस दुकान वाले गांवों का प्रतिशत	51.0	63.0	50.0
कार्यात्मक टीएचआर कार्यक्रम वाले गांवों का प्रतिशत	29.0	53.0	80.0
कार्यात्मक मध्याह्न भोजन योजना वाले गांवों का प्रतिशत	75.0	84.0	100.0
गांवों की कुल संख्या	118	19	10



तालिका 10: जानवरों के हमले से फसल को नुकसान, मध्य प्रदेश

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
पिछले 12 महीनों में जानवरों के हमले के कारण फसल क्षति की सूचना देने वाले गांवों का प्रतिशत	47.0	42.0	40.0
पिछले 12 महीनों में जानवरों के हमले का सामना करने वाले गांवों का प्रतिशत	57.0	75.0	75.0
गांवों की कुल संख्या	118	19	10



छत्तीसगढ़

तालिका 11: गांव तक पहुंच और संचार, छत्तीसगढ़

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
ब्लॉक मुख्यालय से औसत दूरी (किमी)	20.0	14.0	32.0
ब्लॉक मुख्यालय तक बारहमासी सड़क वाले गाँव का प्रतिशत	80.0	100.0	82.0
सर्वेक्षण के समय पक्की संपर्क सड़क वाले गांवों का प्रतिशत	78.0	88.0	64.0
सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालयों से जुड़े गांवों का प्रतिशत	30.0	40.0	9.0
सभी मौसमों के लिए उपयुक्त गाँवों की अंतः-ग्राम सड़क वाले गाँवों का प्रतिशत	62.0	84.0	55.0
मोटर योग्य अंतः-ग्राम सड़क वाले गांवों का प्रतिशत	66.0	80.0	55.0
सभी बस्तियों में बिजली कनेक्शन वाले गांवों का प्रतिशत	87.0	96.0	91.0
मोबाइल नेटवर्क उपलब्धता वाले गांवों का प्रतिशत	72.0	100.0	64.0
गांवों की कुल संख्या	116	25	11

तालिका 12: गांव के स्कूल और कॉलेज तक पहुंच, छत्तीसगढ़

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
प्राथमिक विद्यालय वाले गांवों का प्रतिशत	98.0	100.0	100.0
गांव में न होने पर निकटतम प्राथमिक विद्यालय की औसत दूरी (किमी)	4.0		
माध्यमिक विद्यालय वाले गांवों का प्रतिशत	21.0	24.0	27.0
गांव में न होने पर निकटतम माध्यमिक विद्यालय की औसत दूरी (किमी)	6.0	4.0	8.0
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाले गांवों का प्रतिशत	13.0	20.0	36.0
गांव में न होने पर निकटतम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की औसत दूरी (किमी)	9.0	4.0	7.0
कॉलेज वाले गांवों का प्रतिशत	1.0	12.0	0.0
गांव में न होने पर निकटतम कॉलेज की औसत दूरी (किमी)	19.0	14.0	15.0
गांवों की कुल संख्या	116	25	11



तालिका 13: छत्तीसगढ़ में खदानों के नजदीक के गांव

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आसपास खदानों वाले गांवों का प्रतिशत	5.0	4.0	0.0
खदानों की उपस्थिति के कारण दूषित जल निकायों वाले गांवों का प्रतिशत	33.0	100.0	
गांवों की कुल संख्या	116	25	11

तालिका 14: गांवों में शौचालय-उपयोग और स्वच्छता, छत्तीसगढ़

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
शौचालय उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति वाले गांवों का प्रतिशत-	53.0	68.0	27.0
जल निकासी व्यवस्था वाले गांवों का प्रतिशत	20.0	16.0	9.0
बंद जल निकासी व्यवस्था वाले गांवों का प्रतिशत	100.0	100.0	100.0
गांवों की कुल संख्या	116	25	11

तालिका 15: जल स्रोत वाले गाँव, छत्तीसगढ़

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
टैंक/तालाब/जलाशय वाले गाँवों का प्रतिशत	41.0	40.0	27.0
सार्वजनिक पेयजल स्रोतों वाले गाँव	99.0	92.0	100.0
निजी पेयजल स्रोतों वाले गाँव	22.0	48.0	9.0
गांवों की कुल संख्या	116	25	11

तालिका 16: गांव की जंगल से निकटता और सीएफआर पहुंच, छत्तीसगढ़

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आसपास जंगल वाले गांवों का प्रतिशत	93.0	80.0	100.0
पास न होने पर गाँव से जंगल की औसत दूरी	1.4	2.9	0.6
सीएफआर के लिए आवेदन करने वाले गांवों का प्रतिशत	29.0	0.0	18.0
सीएफआर प्राप्त करने वाले गांवों का प्रतिशत	22.0	0.0	9.0
गांवों की कुल संख्या	116	25	11

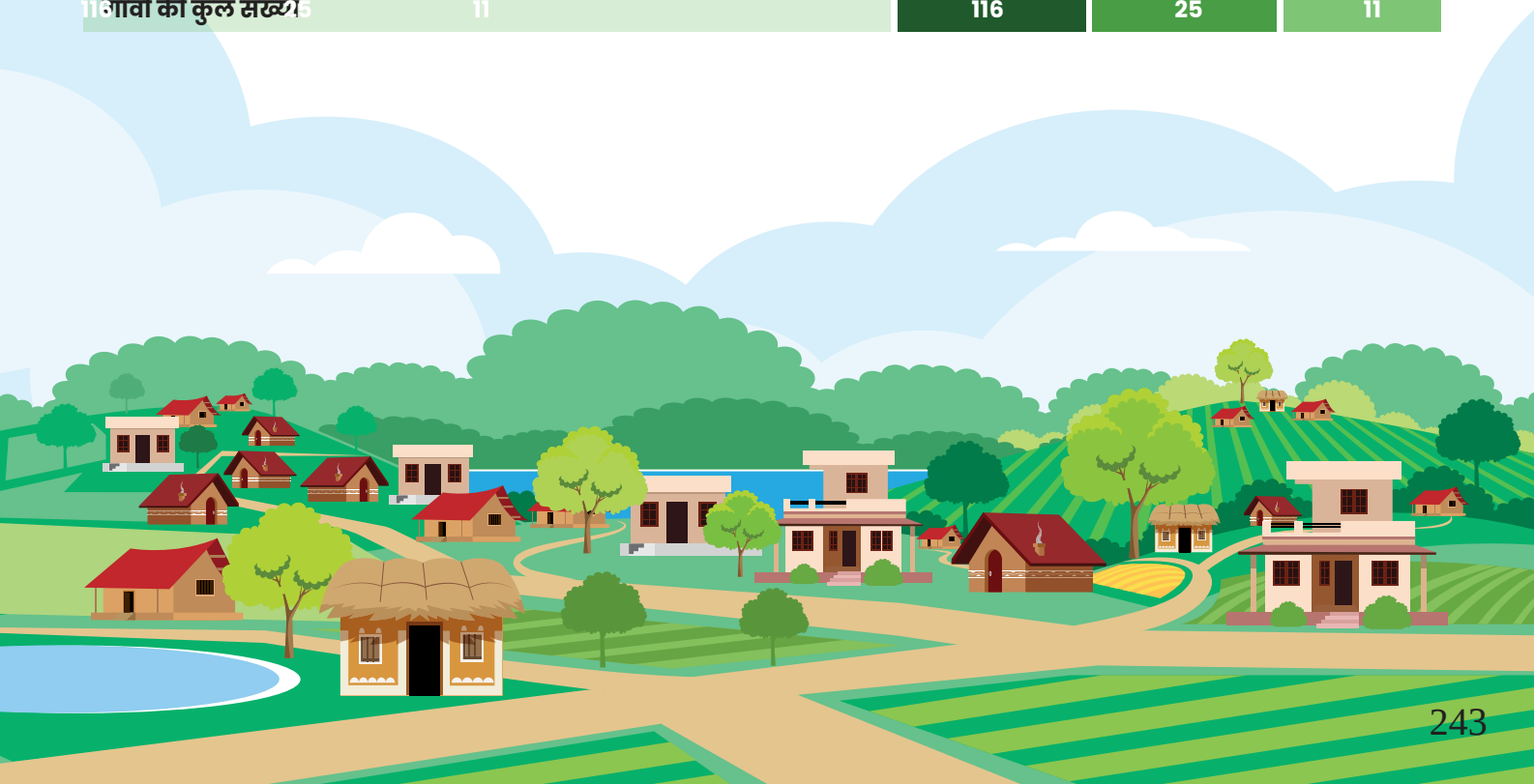


तालिका 17: ग्राम परिवार कल्याण आउटरीच, छत्तीसगढ़

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आईसीडीएस/आंगनवाड़ी केंद्र वाले गांवों का प्रतिशत	100.0	100.0	100.0
आईसीडीएस/आंगनवाड़ी में नियमित बाल टीकाकरण प्राप्त करने वाले गांवों का प्रतिशत -	100.0	100.0	100.0
आशा दीदी वाले गांवों का प्रतिशत	99.0	100.0	100.0
उन गांवों का प्रतिशत जहां आशा दीदी के पास आवश्यक दवा किट है	100.0	100.0	91.0
आशा दीदी से दवा प्राप्त करने वाले गांवों का प्रतिशत	100.0	100.0	100.0
पीएचसी से गांव की औसत दूरी - किमी	6.8	15.6	5.8
सीएचसी से गांव की औसत दूरी-किमी	14.9	20.8	17.7
निकटतम फार्मसी दुकान से औसत दूरी - किमी	12.7	6.6	10.6
एनजीओ से जुड़े गाँव के परिवारों का प्रतिशत	59.0	56.0	45.0
पीडीएस दुकान वाले गांवों का प्रतिशत	63.0	88.0	36.0
कार्यात्मक टीएचआर कार्यक्रम वाले गांवों का प्रतिशत	18.0	24.0	18.0
कार्यात्मक मध्याह्न भोजन योजना वाले गांवों का प्रतिशत	97.0	100.0	100.0
गांवों की कुल संख्या	116	25	11

तालिका 18: जानवरों के हमले से फसल क्षति, छत्तीसगढ़

संकेतक	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
पिछले 12 महीनों में जानवरों के हमले के कारण फसल क्षति की सूचना देने वाले गांवों का प्रतिशत			45.0	40.0	73.0
पिछले 12 महीनों में जानवरों के हमले का सामना करने वाले गांवों का प्रतिशत			57.0	62.0	150.0
गांवों की कुल संख्या	116	25	116	25	11





अनुलग्नक ई

भूमि के आकार के आधार पर सर्वेक्षण निष्कर्ष

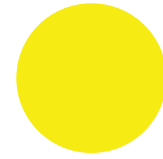
तालिका 19: भूमि जोत वर्गीकरण की परिभाषाएँ

भूमिहीन	कोई स्वामित्व वाली भूमि नहीं
सीमांत	2.47 एकड़ तक की भूमि का स्वामित्व
छोटा	2.47 एकड़ से अधिक और 4.94 एकड़ तक की भूमि का स्वामित्व
छोटा मध्यम	4.94 एकड़ से अधिक और 9.88 एकड़ तक की भूमि का स्वामित्व
मध्यम	9.88 एकड़ से अधिक और 24.70 एकड़ तक की भूमि का स्वामित्व
बड़ा	24.7 एकड़ से अधिक भूमि का स्वामित्व

तालिका 20.1: परिवार का भूमि स्वामित्व, मध्य प्रदेश

भूमि का आकार	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	36.1	42.7	36.3
सीमांत	38.3	32.4	36.3
छोटा	12.9	12.7	12.4
छोटा मध्यम	11.4	9.1	10.9
मध्यम	0.9	1.9	3.5
बड़ा	0.4	1.1	0.5
परिवारों का सर्वेक्षण किया गया	2,405	361	201





तालिका 20.2: परिवार का भूमि स्वामित्व, छत्तीसगढ़

भूमि का आकार	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	15.2	32.1	48.4
सीमांत	51.8	48.3	34.4
छोटा	18.8	12.7	8.3
छोटा मध्यम	12.4	6.5	6.8
मध्यम	1.3	0.4	2.1
बड़ा	0.5	0.0	0.0
परिवारों का सर्वेक्षण किया गया	2,340	520	192





तालिका 21.1: मध्य प्रदेश में महिला मुखिया वाले परिवार के बीच भूमि स्वामित्व

भूमि का आकार	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	40.6	42.4	25.8
सीमांत	39.5	34.8	54.5
छोटा	10.8	10.6	7.6
छोटा मध्यम	8.1	4.5	10.6
मध्यम	0.5	1.5	1.5
बड़ा	0.5	6.1	0.0
महिला मुखिया परिवार	397	66	66

तालिका 21.2: छत्तीसगढ़ में महिला मुखिया वाले परिवार के बीच भूमि स्वामित्व

भूमि का आकार	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	23.0	49.6	57.8
सीमांत	53.3	40.9	24.4
छोटा	13.5	8.7	11.1
छोटा मध्यम	9.0	0.9	4.4
मध्यम	0.7	0.0	2.2
बड़ा	0.5	0.0	0.0
महिला मुखिया परिवार	443	115	45

तालिका 22.1: औसत भूमि जोत, मध्य प्रदेश

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
महिला मुखिया वाले परिवारों के लिए औसत भूमि जोत	2.7	32.8	2.4
महिला मुखिया वाले परिवारों के लिए औसत भूमि जोत	4.2	3.2	4.0
कुल	3.9	8.6	3.4
स्वामित्व वाली भूमि के साथ कुल परिवार	1,537	207	128

तालिका 22.2: औसत भूमि जोत, छत्तीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
महिला मुखिया वाले परिवारों के लिए औसत भूमि जोत	3.5	1.5	3.5
महिला मुखिया वाले परिवारों के लिए औसत भूमि जोत	3.1	2.1	2.2
कुल	3.2	2.0	2.5
स्वामित्व वाली भूमि के साथ कुल परिवार	1,984	353	99







तालिका 23.1: सिंचाई और कृषि आय के बीच संबंध, मध्य प्रदेश

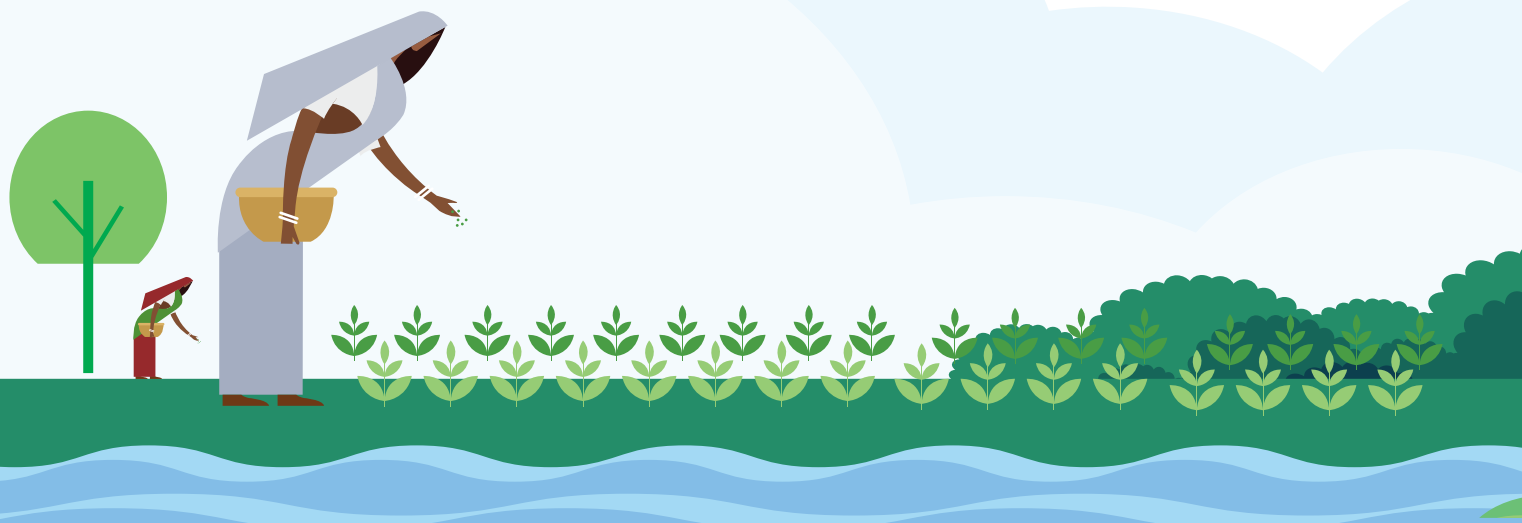
	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
सिंचाई सुविधा वाले परिवारों का प्रतिशत	17.5	28.0	30.2
गैर-सिंचाई वाले परिवारों का प्रतिशत	82.5	72.0	69.8
सिंचाई सुविधा वाले लोगों के लिए औसत आय (रु.)	71,473	1,11,048	63,459
गैर-सिंचाई वाले लोगों के लिए औसत आय (रु.)	45,068	57,968	25,881
स्वामित्व वाली भूमि वाले परिवारों की संख्या	1,547	207	129

तालिका 23.2: सिंचाई और कृषि आय के बीच संबंध, छत्तीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
सिंचाई सुविधा वाले परिवारों का प्रतिशत	12.4	17.2	2.0
गैर-सिंचाई वाले परिवारों का प्रतिशत	87.6	82.8	98.0
सिंचाई सुविधा वाले लोगों के लिए औसत आय (रु.)	57,724	60,783	66,937
गैर-सिंचाई वाले लोगों के लिए औसत आय (रु.)	29,173	31,944	26,744
स्वामित्व वाली भूमि वाले परिवारों की संख्या	2,004	360	99

तालिका 24.1: मध्य प्रदेश में सभी भूमि जोत वर्गों में सिंचाई की पहुंच

	आदिवासी(%)	गैर-आदिवासी(%)	पीवीटीजी(%)
सीमांत	17.4	23.9	30.1
छोटा	18.3	21.7	32.0
छोटा मध्यम	16.1	39.4	27.3
मध्यम	28.6	71.4	42.9
बड़ा	30.0	50.0	0.0



तालिका 24.2: छत्तीसगढ़ में सभी भूमि जोत वर्गों में सिंचाई की पहुंच

	आदिवासी(%)	गैर-आदिवासी(%)	पीवीटीजी(%)
सीमांत	11.0	12.0	1.5
छोटा	15.5	31.8	0.0
छोटा मध्यम	14.1	26.5	7.7
मध्यम	19.4	50.0	0.0
बड़ा	8.3	#N/A	#N/A

तालिका 25.1: मध्य प्रदेश में भूमि जोत और कृषि आय के बीच संबंध

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	61,298	54,565	44,037
सीमांत	55,543	55,568	66,690
छोटा	78,193	1,26,315	1,09,339
अर्ध-मध्यम और ऊपर	1,56,680	2,01,247	99,915

तालिका 25.2: छत्तीसगढ़ में भूमि जोत और कृषि आय के बीच संबंध

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	43,127	43,723	22,014
सीमांत	46,189	44,883	34,942
छोटा	63,228	83,611	66,863
अर्ध-मध्यम और ऊपर	78,816	1,09,988	1,66,765





तालिका 26.1: कुल आय के प्रतिशत के रूप में भूमि जोत और कृषि आय के बीच संबंध, मध्य प्रदेश

	आदिवासी(%)	गैर-आदिवासी(%)	पीवीटीजी(%)
भूमिहीन	49.0	38.0	12.0
सीमांत	54.0	55.0	40.0
छोटा	69.0	77.0	68.0
अर्ध-मध्यम और ऊपर	70.0	74.0	61.0

तालिका 27.1: भूमि जोत और कृषि आय के बीच संबंध (मूल्य भारतीय रुपये में), मध्य प्रदेश

भूमि जोत	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	25,862	18,377	14,382
सीमांत	21,096	21,890	15,142
छोटा	45,079	95,198	58,183
अर्ध-मध्यम और ऊपर	1,40,152	1,84,151	73,511

तालिका 27.2: भूमि जोत और कृषि आय के बीच संबंध (मूल्य भारतीय रुपये में), छत्तीसगढ़

भूमि जोत	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	19,602	18,065	3,340
सीमांत	22,400	25,667	13,641
छोटा	43,244	60,469	45,733
अर्ध-मध्यम और ऊपर	56,813	76,275	62,930



तालिका 28.1: मध्य प्रदेश में आदिवासी परिवारों का भूमि स्वामित्व और एचएच आय प्रतिशत के बीच संबंध

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	23.6	20.8	13.2	7.9
20-40	13.9	26.0	19.9	8.9
40-60	16.9	23.1	20.3	13.8
60-80	21.4	19.0	20.9	14.1
80-100	12.6	10.4	25.1	55.3

तालिका 28.2: छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवार के भूमि जोत और परिवार आय प्रतिशत के बीच संबंध

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	27.0	19.3	12.3	13.2
20-40	20.8	23.8	14.1	10.8
40-60	19.9	22.7	18.2	12.6
60-80	17.4	19.4	27.1	20.1
80-100	12.1	13.8	26.9	42.9

तालिका 29.1: गैर-आदिवासी परिवार के भूमि जोत और परिवार आय प्रतिशत के बीच संबंध, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	22.7	17.1	8.7	9.1
20-40	15.6	28.2	13.0	6.8
40-60	15.6	29.1	10.9	9.1
60-80	16.9	17.1	15.2	11.4
80-100	12.3	8.5	52.2	63.6

तालिका 29.2: छत्तीसगढ़ में गैर-आदिवासी भूमि जोत स्वामित्व और परिवार आय प्रतिशत के बीच संबंध

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	27.5	21.9	3.0	16.7
20-40	17.4	21.1	12.1	2.8
40-60	18.6	18.3	19.7	5.6
60-80	17.4	20.3	19.7	19.4
80-100	13.2	16.3	39.4	50.0

तालिका 30.1: प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत के साथ आदिवासी परिवार भूमि जोत का संबंध, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	16.9	24.8	16.7	10.5
20-40	16.8	25.3	21.5	9.9
40-60	13.9	23.4	24.1	17.1
60-80	20.4	18.1	18.3	14.5
80-100	20.4	7.7	18.3	48
भूमि आकार समूह में परिवारों की संख्या	868	922	311	304
प्रति व्यक्ति आय को रिपोर्ट नहीं कर रहे परिवार	100	6	3	0



तालिका 30.2: छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत के साथ आदिवासी घरेलू भूमि का संबंध

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	22.5	20.4	14.6	16.2
20-40	21.1	21.5	18.7	15.0
40-60	19.1	23.0	18.9	16.2
60-80	19.7	18.9	22.6	18.3
80-100	14.9	15.2	23.9	33.9
भूमि आकार समूह में परिवारों की संख्या	356	1,212	439	333
प्रति व्यक्ति आय को रिपोर्ट नहीं कर रहे परिवार	10	12	6	1

तालिका 31.1: प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत के साथ गैर-आदिवासी परिवार जोत का संबंध, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	24.7	16.2	4.3	9.1
20-40	10.4	21.4	10.9	6.8
40-60	8.4	30.8	23.9	6.8
60-80	24.0	21.4	13.0	25.0
80-100	15.6	10.3	47.8	52.3
भूमि आकार समूह में परिवारों की संख्या	154	117	46	44
प्रति व्यक्ति आय को रिपोर्ट नहीं कर रहे परिवार	26	0	0	0



भूमि जोत का संबंध: छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत के साथ गैर-आदिवासी परिवार भूमि जोत का संबंध

आय समूह (प्रतिशत) और ऊपर	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	21.0	23.9	9.1	19.4
20-40	15.6	17.9	9.1	8.3
40-60	16.8	20.7	13.6	0.0
60-80	22.2	19.5	27.3	16.7
80-100	18.6	15.9	34.8	50.0
भूमि आकार समूह में परिवारों की संख्या	167	251	66	36
प्रति व्यक्ति आय को रिपोर्ट नहीं कर रहे परिवार	10	5	4	2





तालिका 31.3: प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत के साथ पीवीटीजी परिवार भूमि जोत का संबंध, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	37.0	15.1	16.0	3.3
20-40	24.7	21.9	16.0	10.0
40-60	15.1	21.9	12.0	33.3
60-80	15.1	23.3	24.0	26.7
80-100	8.2	17.8	32.0	26.7
भूमि आकार समूह में परिवारों की संख्या	73	73	25	30
प्रति व्यक्ति आय को रिपोर्ट नहीं कर रहे परिवार	0	0	0	0

तालिका 31.4: प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत के साथ पीवीटीजी परिवार जोत का संबंध, छत्तीसगढ़

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	25.8	33.3	6.2	5.9
20-40	31.2	30.3	6.2	11.8
40-60	20.4	6.1	18.8	5.9
60-80	12.9	19.7	18.8	17.6
80-100	9.7	10.6	50	58.8
भूमि आकार समूह में परिवारों की संख्या	93	66	16	17
प्रति व्यक्ति आय को रिपोर्ट नहीं कर रहे परिवार	0	0	0	0



तालिका 32.1: मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए लिंग आधारित आय प्रतिशत

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरुष मुखिया परिवार (% में)
0-20	20.7	20.2
20-40	22.0	19.0
40-60	18.7	20.3
60-80	18.4	20.8
80-100	20.2	19.7

तालिका 32.2: छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए लिंग आधारित आय प्रतिशत

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरुष मुखिया परिवार (% में)
0-20	23.2	16.6
20-40	19.4	20.1
40-60	21.2	20.3
60-80	18.5	21.8
80-100	17.8	21.3





तालिका 33.1: गैर-आदिवासियों के बीच लिंग आधारित आय समूह, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरुष मुखिया परिवार (% में)
0-20	21.3	16.8
20-40	26.2	17.6
40-60	23.0	20.2
60-80	9.8	19.5
80-100	19.7	26.0

तालिका 33.2: गैर-आदिवासियों के बीच लिंग आधारित आय समूह, छत्तीसगढ़

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरुष मुखिया परिवार (% में)
0-20	26.6	20.4
20-40	20.2	17.8
40-60	15.6	19.3
60-80	19.3	20.1
80-100	18.3	22.4

तालिका 33.3: पीवीटीजी के बीच लिंग आधारित आय समूह, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरुष मुखिया परिवार (% में)
0-20	12.1	25.4
20-40	25.8	24.6
40-60	18.2	16.4
60-80	21.2	18.7
80-100	22.7	14.9



तालिका 33.4: पीवीटीजी के बीच लिंग आधारित आय समूह, छत्तीसगढ़

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरुष मुखिया परिवार (% में)
0-20	35.6	32.7
20-40	33.3	22.4
40-60	11.1	23.8
60-80	6.7	9.5
80-100	13.3	11.6

तालिका 34.1: आदिवासी परिवार मुखियावार आय समूह, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरुष मुखिया परिवार (% में)
0-20	14.2	21.4
20-40	21.0	20.7
40-60	21.0	19.9
60-80	22.8	18.4
80-100	21.0	19.7

तालिका 34.2: आदिवासी परिवार मुखियावार आय समूह, छत्तीसगढ़

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरुष मुखिया परिवार (% में)
0-20	17.5	19.1
20-40	23.7	19.2
40-60	18.0	22.0
60-80	19.6	20.1
80-100	21.2	19.6



तालिका 35.1: गैर-आदिवासी परिवार मुखियावार आय समूह, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरुष मुखिया परिवार (% में)
0-20	19.7	17.2
20-40	24.6	12.6
40-60	11.5	20.2
60-80	29.5	22.9
80-100	14.8	27.1

तालिका 35.2: गैर-आदिवासी परिवार मुखियावार आय समूह, छत्तीसगढ़

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरुष मुखिया परिवार (% में)
0-20	17.4	22.7
20-40	16.5	16.0
40-60	16.5	18.3
60-80	27.5	20.4
80-100	22.0	22.7

तालिका 35.3: पीवीटीजी परिवार मुखियावार आय समूह, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरुष मुखिया परिवार (% में)
0-20	13.6	25.4
20-40	16.7	22.4
40-60	19.7	19.4
60-80	24.2	19.4
80-100	25.8	13.4



तालिका 35.4: पीवीटीजी परिवार प्रमुख के अनुरूप आय समूह, छत्तीसगढ़

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरुष मुखिया परिवार (% में)
0-20	24.4	25.2
20-40	24.4	27.9
40-60	22.2	11.6
60-80	6.7	19.0
80-100	22.2	16.3



तालिका 36.1: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और साक्षरता स्कोर के मध्य संबंध (मदवार साक्षरता संकेतक कुल 10 में दिए गए हैं, जबकि कुल का अंकन 30 में किया गया है।), मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
भूमिहीन	2.0	2.6	1.4	6.0	2.8	3.8	2.1	8.7
सीमांत	1.7	2.0	1.5	5.2	2.8	3.5	2.4	8.7
छोटे	2.0	2.4	1.9	6.3	3.2	3.9	2.4	9.5
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	2.9	3.1	2.3	8.3	3.3	3.7	2.5	9.5

तालिका 36.2: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और साक्षरता स्कोर के मध्य संबंध (मदवार साक्षरता संकेतक कुल 10 में दिए गए हैं, जबकि कुल का अंकन 30 में किया गया है।), छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
भूमिहीन	2.4	2.6	1.8	6.9	4.6	4.8	3.5	12.9
सीमांत	2.7	3.2	2.3	8.3	4.1	4.6	3.5	12.2
छोटे	2.9	3.2	2.5	8.5	4	4.5	3.2	11.8
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	2.6	2.7	2.2	7.6	4	4.3	3.1	11.4



तालिका 37.1: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और साक्षरता स्कोर के मध्य संबंध (मदवार साक्षरता संकेतक कुल 10 में दिए गए हैं, जबकि कुल का अंकन 30 में किया गया है।), मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
भूमिहीन	3.2	5.0	3.0	11.2	4.7	7.4	4.5	16.7
सीमांत	1.8	2.8	2.2	6.8	3.9	5.2	3.4	12.5
छोटे	4.1	5.6	2.5	12.2	5.6	6.3	4.1	16.0
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	4.1	4.5	3.5	12.2	6.4	7.5	4.4	18.3

तालिका 37.2: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और साक्षरता स्कोर के मध्य संबंध (मदवार साक्षरता संकेतक कुल 10 में दिए गए हैं, जबकि कुल का अंकन 30 में किया गया है।), छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
भूमिहीन	3.6	3.8	3.0	10.3	5.3	5.9	4.7	15.9
सीमांत	3.2	3.4	2.7	9.3	4.5	4.7	3.8	13.1
छोटे	4.7	4.7	3.4	12.7	7.0	7.3	6.2	20.5
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	4.7	5.0	4.5	14.2	5.7	6.1	4.2	15.9

तालिका 37.3: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और साक्षरता स्कोर के मध्य संबंध (मदवार साक्षरता संकेतक कुल 10 में दिए गए हैं, जबकि कुल का अंकन 30 में किया गया है।), मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
भूमिहीन	0.6	0.7	1.0	2.4	1.2	2.3	2.3	5.9
सीमांत	1.2	1.3	1.1	3.6	1.9	3.0	1.9	6.9
छोटे	1.8	1.9	2.5	6.3	1.3	2.0	2.1	5.4
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	1.3	1.2	1.6	4.2	1.4	2.8	2.5	6.7

तालिका 37.4: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और साक्षरता स्कोर के मध्य संबंध (मदवार साक्षरता संकेतक कुल 10 में दिए गए हैं, जबकि कुल का अंकन 30 में किया गया है।), छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
भूमिहीन	0.3	0.3	0.4	1.0	1.6	1.4	0.5	3.5
सीमांत	0.9	1.0	0.8	2.6	2.2	1.8	1.4	5.3
छोटे	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.3	1.1	7.4
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	0.9	1.0	1.0	3.0	4.5	4.3	3.7	12.5





तालिका 38.1: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और खाद्य सुरक्षा के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	खाद्य सुरक्षित (% में)	आंशिक खाद्य असुरक्षित (% में)	मध्यम खाद्य असुरक्षित (% में)	गंभीर खाद्य असुरक्षित (% में)
भूमिहीन	25.5	17.2	24.3	33.0
सीमांत	23.5	17.6	24.1	34.7
छोटे	29.5	24.0	24.0	22.4
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	34.1	18.3	20.1	27.4

तालिका 38.2: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और खाद्य सुरक्षा के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	खाद्य (% में)	आंशिक खाद्य असुरक्षित (% में)	मध्यम खाद्य असुरक्षित (% में)	गंभीर खाद्य असुरक्षित (% में)
भूमिहीन	39.1	8.3	6.8	45.8
सीमांत	47.5	15.5	9.2	27.8
छोटे	54.0	18.8	7.4	19.9
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	65.3	18.4	5.8	10.5

तालिका 39.1: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और खाद्य सुरक्षा के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	खाद्य (% में)	आंशिक खाद्य असुरक्षित (% में)	मध्यम खाद्य असुरक्षित (% में)	गंभीर खाद्य असुरक्षित (% में)
भूमिहीन	39.1	8.3	6.8	45.8
सीमांत	47.5	15.5	9.2	27.8
छोटे	54.0	18.8	7.4	19.9
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	65.3	18.4	5.8	10.5

तालिका 39.2: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और खाद्य सुरक्षा के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	खाद्य (% में)	आंशिक खाद्य असुरक्षित (% में)	मध्यम खाद्य असुरक्षित (% में)	गंभीर खाद्य असुरक्षित (% में)
भूमिहीन	37.3	12.0	8.0	42.7
सीमांत	47.7	18.8	7.3	26.1
छोटे	58.5	24.5	3.8	13.2
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	63.0	18.5	14.8	3.7

तालिका 39.3: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और खाद्य सुरक्षा के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	खाद्य (% में)	आंशिक खाद्य असुरक्षित (% में)	मध्यम खाद्य असुरक्षित (% में)	गंभीर खाद्य असुरक्षित (% में)
भूमिहीन	15.9	1.4	7.2	75.4
सीमांत	25.4	11.9	10.2	52.5
छोटे	50.0	9.1	4.5	36.4
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	30.8	0.0	7.7	61.5



तालिका 39.4: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और खाद्य सुरक्षा के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	खाद्य (% में)	आंशिक खाद्य असुरक्षित (% में)	मध्यम खाद्य असुरक्षित (% में)	गंभीर खाद्य असुरक्षित (% में)
भूमिहीन	36.3	4.4	3.3	56.0
सीमांत	48.4	4.7	9.4	37.5
छोटे	86.7	6.7	6.7	0.0
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	100.0	0.0	0.0	0.0

तालिका 40.1: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और आहार गुणवत्ता के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
भूमिहीन	5.3	34.8	60.0	587
सीमांत	3.4	39.9	56.7	789
छोटे	4.5	38.0	57.4	242
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	3.8	37.2	59.0	156

तालिका 40.2: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और आहार गुणवत्ता के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
भूमिहीन	4.1	66.2	29.6	314
सीमांत	1.7	64.7	33.6	1,043
छोटे	0.9	56.3	42.8	332
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	1.9	52.8	45.3	267

तालिका 41.1: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और आहार गुणवत्ता के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
भूमिहीन	4.2	27.1	68.6	118
सीमांत	1.0	33.0	66.0	100
छोटे	5.0	17.5	77.5	40
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	0.0	15.2	84.8	33

तालिका 41.2: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और आहार गुणवत्ता के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
भूमिहीन	2.7	58.5	38.8	147
सीमांत	2.3	57.2	40.5	215
छोटे	0.0	37.3	62.7	51
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	0.0	39.3	60.7	28



तालिका 41.3: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और आहार गुणवत्ता के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
भूमिहीन	0.0	36.2	63.8	69
सीमांत	1.7	36.7	61.7	60
छोटे	0.0	36.4	63.6	22
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	3.8	30.8	65.4	26

तालिका 41.4: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और आहार गुणवत्ता के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
भूमिहीन	25.8	67.4	6.7	89
सीमांत	16.9	63.1	20.0	65
छोटे	7.1	64.3	28.6	14
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	0.0	45.5	54.5	11



तालिका 42.1: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और परिवार प्रमुख की शिक्षा प्राप्ति के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

शिक्षा प्राप्ति	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	54.8	62.3	60.3	54.2
प्राथमिक स्तर से कम	10.1	5.0	10.1	15.4
प्राथमिक स्तर	9.6	8.1	8.4	12.7
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	14.7	16.7	14.1	12.7
मैट्रिक स्तर	6.0	4.7	4.7	3.0
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	2.5	0.8	1.3	0.7
उच्च माध्यमिक	1.1	0.8	0.0	0.3
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.2	0.1	0.3	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट और अधूरी पी.जी	0.7	0.9	0.7	1.0
पोस्ट ग्रेजुएट	0.2	0.2	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.1	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	0.2	0.0	0.0
भूमि आकार वर्ग में परिवारों की संख्या	834	896	297	299





तालिका 42.2: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और परिवार प्रमुख की शिक्षा प्राप्ति के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

शिक्षा प्राप्ति	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	42.8	47.1	52.4	59.0
प्राथमिक स्तर से कम	6.2	7.4	7.2	4.7
प्राथमिक स्तर	14.7	10.7	10.2	12.5
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	23.5	20.6	19.9	15.9
मैट्रिक स्तर	5.9	7.2	4.8	4.7
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	2.0	2.8	0.9	1.0
उच्च माध्यमिक	2.8	3.0	2.3	1.0
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.6	0.3	0.0	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट और अधूरी पी.जी	0.8	0.3	0.9	0.3
पोस्ट ग्रेजुएट	0.3	0.2	0.2	0.3
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.0	0.5	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.3	0.6	0.7	0.3
कुल	353	1196	433	295

तालिका 43.1: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और परिवार प्रमुख की शिक्षा प्राप्ति के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

शिक्षा प्राप्ति	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	29.7	41.8	19.6	22.7
प्राथमिक स्तर से कम	2.1	4.5	15.2	4.5
प्राथमिक स्तर	17.9	14.5	21.7	27.3
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	32.4	22.7	30.4	27.3
मैट्रिक स्तर	11.7	10.0	6.5	6.8
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	3.4	1.8	4.3	4.5
उच्च माध्यमिक	0.0	0.9	0.0	2.3
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	1.4	0.9	0.0	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट और अधूरी पी.जी	0.7	2.7	2.2	2.3
पोस्ट ग्रेजुएट	0.0	0.0	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.7	0.0	0.0	2.3
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	0.0	0.0	0.0
भूमि आकार वर्ग में परिवारों की संख्या	145	110	46	44



तालिका 43.2: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और परिवार प्रमुख की शिक्षा प्राप्ति के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

शिक्षा प्राप्ति	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	40.4	42.0	28.8	19.4
प्राथमिक स्तर से कम	7.8	9.6	10.6	13.9
प्राथमिक स्तर	10.8	13.6	10.6	11.1
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	28.3	19.6	31.8	33.3
मैट्रिक स्तर	4.8	7.2	6.1	5.6
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	4.2	2.4	0.0	5.6
उच्च माध्यमिक	1.2	2.4	7.6	2.8
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.0	0.4	0.0	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट और अधूरी पी.जी	1.2	1.2	3.0	2.8
पोस्ट ग्रेजुएट	0.6	0.4	1.5	2.8
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.8	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.6	0.4	0.0	2.8
भूमि आकार वर्ग में परिवारों की संख्या	166	250	66	36

तालिका 43.3: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और परिवार प्रमुख की शिक्षा प्राप्ति के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

शिक्षा प्राप्ति	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	72.6	63.9	72.0	70.0
प्राथमिक स्तर से कम	1.4	5.6	4.0	6.7
प्राथमिक स्तर	4.1	15.3	12.0	6.7
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	16.4	11.1	12.0	13.3
मैट्रिक स्तर	2.7	4.2	0.0	3.3
मैट्रिक से अधिक और उच्च माध्यमिक से कम	0.0	0.0	0.0	0.0
उच्च माध्यमिक	1.4	0.0	0.0	0.0
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.0	0.0	0.0	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट और अधूरी पी.जी	1.4	0.0	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट	0.0	0.0	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.0	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	0.0	0.0	0.0
भूमि आकार वर्ग में परिवारों की संख्या	73	72	25	30



तालिका 43.4: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और परिवार प्रमुख की शिक्षा प्राप्ति के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

शिक्षा प्राप्ति	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	74.2	59.1	56.2	52.9
प्राथमिक स्तर से कम	12.9	15.2	6.2	0.0
प्राथमिक स्तर	7.5	13.6	25.0	17.6
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	4.3	10.6	12.5	17.6
मैट्रिक स्तर	0.0	1.5	0.0	5.9
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	1.1	0.0	0.0	0.0
उच्च माध्यमिक	0.0	0.0	0.0	0.0
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.0	0.0	0.0	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट और अधूरी पी.जी	0.0	0.0	0.0	5.9
पोस्ट ग्रेजुएट	0.0	0.0	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.0	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	0.0	0.0	0.0
भूमि आकार वर्ग में परिवारों की संख्या	93	66	16	17

तालिका 44.1 आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और बच्चों के सिर की परिधि के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
बालिका %	47.4	50.5	50.0	39.1
कुल बालिकाएँ	76	103	38	23
बालक %	45.5	51.3	52.4	33.3
कुल बालक	88	119	42	27

तालिका 44.2 आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और बच्चों के सिर की परिधि के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
बालिका %	54.5	60.7	61.5	37.8
कुल बालिकाएँ	33	107	39	37
बालक %	61.5	59.1	48.8	57.1
कुल बालक	39	115	43	42



तालिका 45.1 गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और बच्चों के सिर की परिधि के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
बालिका %	61.5	33.3	33.3	100.0
कुल बालिकाएँ	13	9	3	2
बालक %	42.9	25.0	100.0	33.3
कुल बालक	14	12	1	3

तालिका 45.2 गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और बच्चों के सिर की परिधि के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
बालिका %	58.3	75.0	50.0	80.0
कुल बालिकाएँ	12	20	6	5
बालक %	45.5	65.2	50.0	75.0
कुल बालक	11	23	8	4

तालिका 45.3 पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और बच्चों के सिर की परिधि के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
बालिका %	29.4	36.4	25	12.5
कुल बालिकाएँ	17	11	4	8
बालक %	22.2	61.5	60.0	25.0
कुल बालक	18	13	5	8

तालिका 45.4 पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और बच्चों के सिर की परिधि के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
बालिका %	50.0	100.0	0.0	50.0
कुल बालिकाएँ	6	5	1	2
बालक %	71.4	27.3	50.0	50.0
कुल बालक	7	11	2	4



तालिका 46.1: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता प्रकार और जंगल सापेक्ष दूरी, मध्य प्रदेश

वन तक पहुँच	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
औसत दूरी (किमी)	4.8	2.7	2.5	5.8
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भरता (%)	51.0	76.7	68.8	45.4
परिवारों की संख्या	868	922	311	304

तालिका 46.2: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता प्रकार और जंगल सापेक्ष दूरी, छत्तीसगढ़

वन तक पहुँच	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
औसत दूरी (किमी)	1.9	1.9	1.7	2.3
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भरता (%)	87.6	90.8	89.7	93.4
परिवारों की संख्या	356	1212	439	333

तालिका 47.1: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता प्रकार और जंगल सापेक्ष दूरी, मध्य प्रदेश

वन तक पहुँच	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
औसत दूरी (किमी)	7.1	3.6	10.8	10.1
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भरता (%)	30.5	64.1	26.1	20.5
परिवारों की संख्या	154	117	46	44

तालिका 47.2: गैर- आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता प्रकार और जंगल सापेक्ष दूरी, छत्तीसगढ़

वन तक पहुँच	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
औसत दूरी (किमी)	5.0	4.5	4.5	5.7
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भरता (%)	54.5	70.1	63.6	61.1
परिवारों की संख्या	167	251	66	36

तालिका 47.3: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता प्रकार और जंगल सापेक्ष दूरी, मध्य प्रदेश

वन तक पहुँच	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
औसत दूरी (किमी)	2.7	1.2	0.9	1.3
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भरता (%)	100.0	97.3	92.0	96.7
परिवारों की संख्या	73	73	25	30

तालिका 47.4: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता प्रकार और जंगल सापेक्ष दूरी, छत्तीसगढ़

वन तक पहुँच	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
औसत दूरी (किमी)	0.20	0.40	0.20	0.00
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भरता (%)	97.80	98.50	100.00	100.00
परिवारों की संख्या	93	66	16	17



अनुलग्नक एफ

जंगल से दूरी आधारित परिणाम



तालिका 48.1: जंगल से दूरी के आधार पर आदिवासी आय समूह का वितरण, मध्य प्रदेश

जंगल से दूरी	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 किमी	20.1	20.1	21.1	19.6	19.0
2-3 किमी	18.1	24.9	24.1	22.2	10.7
4-5 किमी	23.0	25.1	18.7	18.7	14.4
6 किमी अथवा अधिक	20.5	9.9	14.3	22.6	32.7

तालिका 48.2: जंगल से दूरी के आधार पर आदिवासी आय समूह का वितरण, छत्तीसगढ़

जंगल से दूरी	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 किमी	18.0	20.0	19.8	21.0	21.1
2-3 किमी	17.8	18.0	21.6	22.5	20.2
4-5 किमी	17.9	25.4	21.4	17.9	17.3
6 किमी अथवा अधिक	26.5	20.5	17.9	17.2	17.9

तालिका 48.3: जंगल से दूरी के आधार पर गैर-आदिवासी आय समूह का वितरण, मध्य प्रदेश

जंगल से दूरी	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 किमी	32.6	20.7	17.4	14.1	15.2
2-3 किमी	10.7	21.4	27.4	28.6	11.9
4-5 किमी	10.9	12.5	29.7	10.9	35.9
6 किमी अथवा अधिक	17.9	22.1	9.5	14.7	35.8



तालिका 48.4: जंगल से दूरी के आधार पर गैर-आदिवासी आय समूह का वितरण, छत्तीसगढ़

जंगल से दूरी	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 किमी	22.9	16.6	20.0	21.1	19.4
2-3 किमी	20.4	24.8	18.6	18.6	17.7
4-5 किमी	25.3	13.2	16.5	19.8	25.3
6 किमी अथवा अधिक	19.2	18.3	17.5	20.0	25.0

तालिका 48.5: जंगल से दूरी के आधार पर पीवीटीजी आय समूह का वितरण, मध्य प्रदेश

जंगल से दूरी	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 किमी	17.2	30.3	20.0	16.6	15.9
2-3 किमी	34.0	12.8	10.6	27.7	14.9
4-5 किमी	20.0	0.0	20.0	0.0	60.0
6 किमी अथवा अधिक	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0

तालिका 48.6: जंगल से दूरी के आधार पर पीवीटीजी आय समूह का वितरण, छत्तीसगढ़

जंगल से दूरी	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 किमी	32.0	24.9	21.5	8.8	12.7
2-3 किमी	54.5	27.3	9.1	9.1	0.0
4-5 किमी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5 किमी अथवा अधिक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

तालिका 48.7: दिए गए आदिवासी आय समूह हेतु दूरी का वितरण, मध्य प्रदेश

	0-1 किमी	2-3 किमी	4-5 किमी	5 किमी से अधिक
0-20	59.3	14.3	9.3	17.1
20-40	60.9	20.2	10.4	8.4
40-60	61.7	18.9	7.5	11.8
60-80	56.7	17.3	7.5	18.6
80-100	57.4	8.6	6.0	27.9

तालिका 48.8: दिए गए आदिवासी आय समूह हेतु दूरी का वितरण, छत्तीसगढ़

	0-1 किमी	2-3 किमी	4-5 किमी	5 किमी से अधिक
0-20	59.3	24.1	7.2	9.3
20-40	61.2	22.6	9.5	6.7
40-60	59.6	26.7	7.9	5.8
60-80	61.3	26.9	6.4	5.4
80-100	63.1	24.8	6.4	5.7



तालिका 48.9: दिए गए गैर-आदिवासी आय समूह हेतु दूरी का वितरण , मध्य प्रदेश

	0-1 किमी	2-3 किमी	4-5 किमी	5 किमी से अधिक
0-20	47.6	14.3	11.1	27.0
20-40	28.8	27.3	12.1	31.8
40-60	23.9	34.3	28.4	13.4
60-80	22.4	41.4	12.1	24.1
80-100	17.3	12.3	28.4	42.0

तालिका 48.10: दिए गए गैर-आदिवासी आय समूह हेतु दूरी का वितरण, छत्तीसगढ़

	0-1 किमी	2-3 किमी	4-5 किमी	5 किमी से अधिक
0-20	36.7	21.1	21.1	21.1
20-40	31.9	30.8	13.2	24.2
40-60	38.0	22.8	16.3	22.8
60-80	37.0	21.0	18.0	24.0
80-100	31.8	18.7	21.5	28.0

तालिका 48.11: दिए गए पीवीटीजी आय समूह हेतु दूरी का वितरण, मध्य प्रदेश

आय समूह	0-1 किमी	2-3 किमी	4-5 किमी	5 किमी से अधिक
0-20	59.5	38.1	2.4	0.0
20-40	88.0	12.0	0.0	0.0
40-60	82.9	14.3	2.9	0.0
60-80	61.5	33.3	0.0	5.1
80-100	65.7	20.0	8.6	5.7

तालिका 48.12: दिए गए पीवीटीजी आय समूह हेतु दूरी का वितरण, छत्तीसगढ़

आय समूह	0-1 किमी	2-3 किमी	4-5 किमी	5 किमी से अधिक
0-20	90.6	9.4	0.0	0.0
20-40	93.8	6.2	0.0	0.0
40-60	97.5	2.5	0.0	0.0
60-80	94.1	5.9	0.0	0.0
80-100	100.0	0.0	0.0	0.0

तालिका 49.1: आदिवासी परिवारों की खाद्य सुरक्षा स्थिति और जंगल से दूरी, मध्य प्रदेश

जंगल से दूरी	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-1 किमी	22.5	21.4	29.1	27
2-3 किमी	27.9	17.2	19.7	35.1
4-5 किमी	28.4	11.9	15.9	43.8
6 किमी अथवा अधिक	35.4	12.4	13.1	39.1

तालिका 49.2: आदिवासी परिवारों की खाद्य सुरक्षा स्थिति और जंगल से दूरी, छत्तीसगढ़

जंगल से दूरी	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-1 किमी	53.9	14.7	8.3	23.1
2-3 किमी	34.8	19.7	9.7	35.8
4-5 किमी	57.0	11.4	4.4	27.2
6 किमी अथवा अधिक	64.6	7.1	2.4	26.0

तालिका 50.1: गैर-आदिवासी परिवारों की खाद्य सुरक्षा स्थिति और जंगल से दूरी, मध्य प्रदेश

जंगल से दूरी	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-1 किमी	36.9	14.3	15.5	33.3
2-3 किमी	42.5	10	21.2	26.2
4-5 किमी	47.5	20.3	18.6	13.6
6 किमी अथवा अधिक	45.8	14.5	9.6	30.1

तालिका 50.2: गैर-आदिवासी परिवारों की खाद्य सुरक्षा स्थिति और जंगल से दूरी, छत्तीसगढ़

जंगल से दूरी	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-1 किमी	59.9	12.5	7.2	20.4
2-3 किमी	45.5	17.3	12.7	24.5
4-5 किमी	32.2	21.1	5.6	41.1
6 किमी अथवा अधिक	39.6	20.8	4.2	35.4

तालिका 50.3: पीवीटीजी परिवारों की खाद्य सुरक्षा स्थिति और जंगल से दूरी, मध्य प्रदेश

जंगल से दूरी	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-1 किमी	26.8	6.5	8.9	57.7
2-3 किमी	26.1	4.3	6.5	63.0
4-5 किमी	0.0	0.0	0.0	100.0
6 किमी अथवा अधिक	0.0	0.0	0.0	100.0

तालिका 50.4: पीवीटीजी परिवारों की खाद्य सुरक्षा स्थिति और जंगल से दूरी, छत्तीसगढ़

जंगल से दूरी	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-1 किमी	50.0	2.9	5.9	41.2
2-3 किमी	27.3	27.3	0.0	45.5
4-5 किमी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6 किमी अथवा अधिक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं



तालिका 51.1: आदिवासी परिवारों की जंगल से दूरी का आहार गुणवत्ता पर प्रभाव, मध्य प्रदेश

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	4.5	36.3	59.2	672
1 किमी	4.6	41.3	54.1	351
2 किमी	4.1	44.2	51.6	217
3 किमी	4.1	33.0	62.9	97
4 किमी	10.2	42.9	46.9	49
5 किमी अथवा अधिक	2.8	33.8	63.4	388

तालिका 51.2: आदिवासी परिवारों की जंगल से दूरी का आहार गुणवत्ता पर प्रभाव, छत्तीसगढ़

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	2.2	65.1	32.7	602
1 किमी	1.6	64.8	33.6	571
2 किमी	1.7	53.4	44.9	350
3 किमी	1.2	61.8	37.0	165
4 किमी	4.0	48.0	48.0	75
5 किमी अथवा अधिक	3.1	64.2	32.6	193

तालिका 52.1: गैर-आदिवासी परिवारों की जंगल से दूरी का आहार गुणवत्ता पर प्रभाव, मध्य प्रदेश

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	12.0	24.0	64.0	25
1 किमी	1.9	36.5	61.5	52
2 किमी	0.0	31.2	68.8	48
3 किमी	3.6	21.4	75.0	28
4 किमी	0.0	0.0	100.0	6
5 किमी अथवा अधिक	2.3	23.5	74.2	132

तालिका 52.2: गैर- आदिवासी परिवारों की जंगल से दूरी का आहार गुणवत्ता पर प्रभाव, छत्तीसगढ़

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	2.2	44.4	53.3	90
1 किमी	0.0	60.0	40.0	60
2 किमी	3.8	66.2	30.0	80
3 किमी	3.6	53.6	42.9	28
4 किमी	6.1	54.5	39.4	33
5 किमी अथवा अधिक	0.7	51.3	48.0	150

तालिका 52.3: पीवीटीजी परिवारों की जंगल से दूरी का आहार गुणवत्ता पर प्रभाव, मध्य प्रदेश

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	2.4	23.8	73.8	42
1 किमी	0.0	44.0	56.0	84
2 किमी	3.1	31.2	65.6	32
3 किमी	0.0	15.4	84.6	13
4 किमी	0.0	0.0	100.0	1
5 किमी अथवा अधिक	0.0	80.0	20.0	5

तालिका 52.4: पीवीटीजी परिवारों की जंगल से दूरी का आहार गुणवत्ता पर प्रभाव, छत्तीसगढ़

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	19.4	63.2	17.4	144
1 किमी	8.3	75.0	16.7	24
2 किमी	16.7	83.3	0.0	6
3 किमी	80.0	20.0	0.0	5
4 किमी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0
5 किमी अथवा अधिक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0

तालिका 53.1: आदिवासी परिवारों की जंगल से दूरी और महिलाओं की आहार गुणवत्ता, मध्य प्रदेश

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	4.5	36.3	59.2	672
1 किमी	4.6	41.3	54.1	351
2 किमी	4.1	44.2	51.6	217
3 किमी	4.1	33.0	62.9	97
4 किमी	10.2	42.9	46.9	49
5 किमी अथवा अधिक	2.8	33.8	63.4	388

तालिका 53.2: आदिवासी परिवारों की जंगल से दूरी और महिलाओं की आहार गुणवत्ता, छत्तीसगढ़

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	2.2	65.1	32.7	602
1 किमी	1.6	64.8	33.6	571
2 किमी	1.7	53.4	44.9	350
3 किमी	1.2	61.8	37.0	165
4 किमी	4.0	48.0	48.0	75
5 किमी अथवा अधिक	3.1	64.2	32.6	193



तालिका 54.1: गैर- आदिवासी परिवारों की जंगल से दूरी और महिलाओं की आहार गुणवत्ता, मध्य प्रदेश

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	12.0	24.0	64.0	25
1 किमी	1.9	36.5	61.5	52
2 किमी	0.0	31.2	68.8	48
3 किमी	3.6	21.4	75.0	28
4 किमी	0.0	0.0	100.0	6
5 किमी अथवा अधिक	2.3	23.5	74.2	132

तालिका 54.2: गैर-आदिवासी परिवारों की जंगल से दूरी और महिलाओं की आहार गुणवत्ता, छत्तीसगढ़

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	2.2	44.4	53.3	90
1 किमी	0.0	60.0	40.0	60
2 किमी	3.8	66.2	30.0	80
3 किमी	3.6	53.6	42.9	28
4 किमी	6.1	54.5	39.4	33
5 किमी अथवा अधिक	0.7	51.3	48.0	150

तालिका 54.3: पीवीटीजी परिवारों की जंगल से दूरी और महिलाओं की आहार गुणवत्ता, मध्य प्रदेश

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	2.4	23.8	73.8	42
1 किमी	0.0	44.0	56.0	84
2 किमी	3.1	31.2	65.6	32
3 किमी	0.0	15.4	84.6	13
4 किमी	0.0	0.0	100.0	1
5 किमी अथवा अधिक	0.0	80.0	20.0	5

तालिका 54.4: पीवीटीजी परिवारों की जंगल से दूरी और महिलाओं की आहार गुणवत्ता, छत्तीसगढ़

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	19.4	63.2	17.4	144.0
1 किमी	8.3	75.0	16.7	24.0
2 किमी	16.7	83.3	0.0	6.0
3 किमी	80.0	20.0	0.0	5.0
4 किमी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0
5 किमी अथवा अधिक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0



अनुलग्नक जी

आय आधारित परिणाम



तालिका 55.1: आदिवासी परिवारों की आय का उनकी शिक्षा पर प्रभाव, मध्य प्रदेश

परिवार प्रमुख की शिक्षा	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	64.0	62.8	56.8	56.8	55.7
प्राथमिक स्तर से कम	4.6	4.8	6.9	9.9	18.1
प्राथमिक स्तर	6.8	8.9	6.9	12.1	11.3
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	13.2	16.1	21.3	14.5	10.2
मैट्रिक स्तर	6.0	4.4	4.9	5.0	2.3
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	1.8	1.6	1.6	0.9	0.7
उच्च माध्यमिक	1.1	0.5	0.7	0.2	0.2
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट लेकिन अधूरी पीजी	1.3	0.7	0.7	0.2	1.4
पोस्ट ग्रेजुएट	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0
आय समूह में परिवारों की संख्या	453	436	447	456	442



तालिका 55.2: आदिवासी परिवारों की आय का उनकी शिक्षा पर प्रभाव, छत्तीसगढ़

परिवार प्रमुख की शिक्षा	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	58.1	46.7	45.9	46.5	49.7
प्राथमिक स्तर से कम	4.7	9.2	7.2	8.2	4.3
प्राथमिक स्तर	7.4	11.2	12.2	12.6	12.7
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	18.1	20.5	23.5	20.0	19.2
मैट्रिक स्तर	4.7	7.1	6.1	6.7	6.7
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	2.0	2.0	2.4	2.1	1.9
उच्च माध्यमिक	2.7	2.0	2.0	2.5	3.7
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट लेकिन अधूरी पीजी	0.2	0.9	0.2	0.2	0.9
पोस्ट ग्रेजुएट	0.2	0.2	0.0	0.2	0.4
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
प्रोफेशनल डिप्लोमा	1.7	0.2	0.2	0.2	0.2
आय समूह में परिवारों की संख्या	403	448	460	475	463

तालिका 56.1: गैर- आदिवासी परिवारों की आय का उनकी शिक्षा पर प्रभाव, मध्य प्रदेश

परिवार प्रमुख की शिक्षा	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	42.1	37.1	35.8	21.1	20.0
प्राथमिक स्तर से कम	1.8	1.6	3.0	7.0	11.2
प्राथमिक स्तर	21.1	17.7	16.4	19.3	21.2
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	21.1	29.0	37.3	26.3	28.7
मैट्रिक स्तर	5.3	9.7	6.0	17.5	7.5
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	5.3	1.6	1.5	3.5	3.8
उच्च माध्यमिक	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	1.8	0.0	0.0	3.5	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट लेकिन अधूरी पीजी	1.8	1.6	0.0	1.8	3.8
पोस्ट ग्रेजुएट	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	1.6	0.0	0.0	1.2
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
आय समूह में परिवारों की संख्या	57	62	67	57	80



तालिका 56.2: गैर- आदिवासी परिवारों की आय का उनकी शिक्षा पर प्रभाव, छत्तीसगढ़

परिवार प्रमुख की शिक्षा	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	45.4	46.2	30.4	42.4	29.9
प्राथमिक स्तर से कम	8.3	5.5	6.5	11.1	15.0
प्राथमिक स्तर	9.3	12.1	17.4	13.1	8.4
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	26.9	25.3	27.2	17.2	25.2
मैट्रिक स्तर	3.7	5.5	4.3	11.1	7.5
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	0.9	0.0	8.7	1.0	4.7
उच्च माध्यमिक	2.8	1.1	2.2	3.0	3.7
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट लेकिन अधूरी पीजी	1.9	2.2	1.1	0.0	2.8
पोस्ट ग्रेजुएट	0.0	1.1	0.0	1.0	1.9
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.9	0.0	1.1	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	1.1	0.0	0.0	0.9
आय समूह में परिवारों की संख्या	108	91	92	99	107

तालिका 56.3: पीवीटीजी परिवारों की आय का उनकी शिक्षा पर प्रभाव, मध्य प्रदेश

परिवार प्रमुख की शिक्षा	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	71.4	72.0	58.8	69.2	71.4
प्राथमिक स्तर से कम	0.0	6.0	11.8	0.0	2.9
प्राथमिक स्तर	11.9	4.0	8.8	17.9	5.7
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	9.5	14.0	17.6	12.8	14.3
मैट्रिक स्तर	2.4	4.0	2.9	0.0	5.7
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
उच्च माध्यमिक	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट लेकिन अधूरी पीजी	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
आय समूह में परिवारों की संख्या	42	50	34	39	35



तालिका 56.4: पीवीटीजी परिवारों की आय का उनकी शिक्षा पर प्रभाव, छत्तीसगढ़

परिवार प्रमुख की शिक्षा	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	82.8	54.2	67.5	35.3	60.9
प्राथमिक स्तर से कम	12.5	20.8	5.0	17.6	0.0
प्राथमिक स्तर	1.6	12.5	15.0	23.5	26.1
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	3.1	6.2	12.5	23.5	8.7
मैट्रिक स्तर	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
उच्च माध्यमिक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट लेकिन अधूरी पीजी	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
पोस्ट ग्रेजुएट	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
आय समूह में परिवारों की संख्या	64	48	40	17	23

तालिका 57.1: आदिवासी परिवारों की आय और बच्चों के सिर की परिधि, मध्य प्रदेश

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
बालिका %	56.9	33.3	49.1	55.4	34.4
कुल बालिकाएँ	51	39	57	56	32
बालक %	47.2	46.3	45.7	46.7	46.5
कुल बालक	53	41	70	60	43

तालिका 57.2: आदिवासी परिवारों की आय और बच्चों के सिर की परिधि, छत्तीसगढ़

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
बालिका %	48.5	51.2	61.4	68.6	53.3
कुल बालिकाएँ	33	43	44	35	60
बालक %	60.5	56.5	59.3	52.9	55.8
कुल बालक	43	46	54	51	43

तालिका 58.1: गैर- आदिवासी परिवारों की आय और बच्चों के सिर की परिधि, मध्य प्रदेश

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
बालिका %	75.0	75.0	0.0	उपलब्ध नहीं	40.0
कुल बालिकाएँ	8	8	3	0	5
बालक %	66.7	22.2	40	37.5	40
कुल बालक	3	9	5	8	5

तालिका 58.2: गैर- आदिवासी परिवारों की आय और बच्चों के सिर की परिधि, छत्तीसगढ़

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
बालिका %	90.0	75.0	70.0	57.1	42.9
कुल बालिकाएँ	10	8	10	7	7
बालक %	66.7	71.4	57.1	55.6	50.0
कुल बालक	6	7	14	9	8

तालिका 58.3: पीवीटीजी परिवारों की आय और बच्चों के सिर की परिधि, मध्य प्रदेश

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
बालिका %	33.3	22.2	22.2	0.0	75.0
कुल बालिकाएँ	12	9	9	6	4
बालक %	36.4	35.3	25	44.4	66.7
कुल बालक	11	17	4	9	3

तालिका 58.4: पीवीटीजी परिवारों की आय और बच्चों के सिर की परिधि, छत्तीसगढ़

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
बालिका %	66.7	50	100	100	33.3
कुल बालिकाएँ	3	4	3	1	3
बालक %	66.7	50.0	14.3	50.0	60.0
कुल बालक	6	4	7	2	5



तालिका 59.1 : आदिवासी परिवारों का आय वर्ग और आहार गुणवत्ता, मध्य प्रदेश

आय समूह	खराब (≤ 21)	सीमित (21-35)	स्वीकार योग्य (> 35)	कुल
0-20	4.9	45.0	50.1	367
20-40	4.6	47.0	48.4	372
40-60	4.6	35.3	60.1	388
60-80	3.7	32.8	63.5	348
80-100	3.6	25.9	70.4	247

तालिका 59.2 : आदिवासी परिवारों का आय वर्ग और आहार गुणवत्ता, छत्तीसगढ़

आय समूह	खराब (≤ 21)	सीमित (21-35)	स्वीकार योग्य (> 35)	कुल
0-20	3.8	62.8	33.4	317
20-40	2.9	61.5	35.7	384
40-60	1.5	64.2	34.2	400
60-80	1.2	65.2	33.6	420
80-100	0.7	55.1	44.1	410

तालिका 60.1: गैर-आदिवासी परिवारों का आय वर्ग और आहार गुणवत्ता, मध्य प्रदेश

आय समूह	खराब (≤ 21)	सीमित (21-35)	स्वीकार योग्य (> 35)	कुल
0-20	0.0	39.1	60.9	46
20-40	8.6	46.6	44.8	58
40-60	0.0	27.9	72.1	61
60-80	2.1	19.1	78.7	47
80-100	1.5	7.5	91.0	67

तालिका 60.2: गैर- आदिवासी परिवारों का आय वर्ग और आहार गुणवत्ता, छत्तीसगढ़

आय समूह	खराब (≤ 21)	सीमित (21-35)	स्वीकार योग्य (> 35)	कुल
0-20	3.4	61.4	35.2	88
20-40	4.1	62.2	33.8	74
40-60	1.3	56.4	42.3	78
60-80	1.1	52.7	46.2	91
80-100	0.0	38.3	61.7	94



तालिका 60.3: पीवीटीजी परिवारों का आय वर्ग और आहार गुणवत्ता, मध्य प्रदेश

आय समूह	खराब (≤ 21)	सीमित (21-35)	स्वीकार योग्य (>35)	कुल
0-20	0.0	27.5	72.5	40
20-40	4.3	34.8	60.9	46
40-60	0.0	42.4	57.6	33
60-80	0.0	36.4	63.6	33
80-100	0.0	40.0	60.0	25

तालिका 60.4: पीवीटीजी परिवारों का आय वर्ग और आहार गुणवत्ता, छत्तीसगढ़

आय समूह	खराब (≤ 21)	सीमित (21-35)	स्वीकार योग्य (>35)	कुल
0-20	41.0	55.7	3.3	61
20-40	13.3	73.3	13.3	45
40-60	7.9	73.7	18.4	38
60-80	6.2	62.5	31.2	16
80-100	0.0	52.6	47.4	19

तालिका 61.1: आदिवासी परिवारों का आय वर्ग और खाद्य सुरक्षा, मध्य प्रदेश

आय समूह	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-20	26.5	12.3	19.4	41.7
20-40	18.9	16.3	31.8	33.1
40-60	23.1	19.0	25.8	32.1
60-80	22.2	26.7	26.7	24.4
80-100	40.5	19.3	15.1	25.1

तालिका 61.2: आदिवासी परिवारों का आय वर्ग और खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़

आय समूह	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-20	52.6	14.9	7.8	24.7
20-40	45.4	16.4	10.3	27.9
40-60	45.9	16.1	9.5	28.5
60-80	49.0	15.1	7.2	28.8
80-100	54.8	14.6	5.7	24.9



तालिका 62.1 : गैर- आदिवासी परिवारों का आय वर्ग और खाद्य सुरक्षा, मध्य प्रदेश

आय समूह	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-20	38.0	8.0	14.0	40.0
20-40	25.0	18.3	16.7	40.0
40-60	38.3	13.3	21.7	26.7
60-80	44.2	15.4	23.1	17.3
80-100	67.1	11.4	7.1	14.3

तालिका 62.2 : गैर- आदिवासी परिवारों का आय वर्ग और खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़

आय समूह	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-20	16.1	6.5	6.5	71.0
20-40	44.4	2.2	2.2	51.1
40-60	71.8	5.1	2.6	20.5
60-80	75.0	6.2	18.8	0.0
80-100	94.7	0.0	5.3	0.0

तालिका 62.3 : पीवीटीजी परिवारों का आय वर्ग और खाद्य सुरक्षा, मध्य प्रदेश

आय समूह	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-20	15.8	2.6	13.2	68.4
20-40	19.6	8.7	10.9	60.9
40-60	21.2	6.1	12.1	60.6
60-80	41.2	5.9	0.0	52.9
80-100	36.0	4.0	0.0	60.0

तालिका 62.4 : पीवीटीजी परिवारों का आय वर्ग और खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़

आय समूह	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-20	16.1	6.5	6.5	71.0
20-40	44.4	2.2	2.2	51.1
40-60	71.8	5.1	2.6	20.5
60-80	75.0	6.2	18.8	0.0
80-100	94.7	0.0	5.3	0.0



तालिका 63.1: आदिवासी परिवारों का आय समूह और विविध साक्षरता स्तर, मध्य प्रदेश

आय समूह	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
0-20	1.7	2.1	1.4	5.3	2.8	3.4	2.2	8.4
20-40	1.8	2.0	1.6	5.4	2.8	3.4	2.1	8.3
40-60	2.1	2.5	1.6	6.2	3.2	3.9	2.3	9.5
60-80	1.8	2.3	1.5	5.6	2.8	3.6	2.2	8.7
80-100	2.3	2.7	2.0	7.0	3.1	3.8	2.4	9.3

तालिका 63.2: आदिवासी परिवारों का आय समूह और विविध साक्षरता स्तर, छत्तीसगढ़

आय समूह	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
0-20	2.3	2.8	2.2	7.2	3.6	4.1	3.0	10.7
20-40	2.5	2.8	2.0	7.3	3.6	4.3	2.8	10.8
40-60	2.6	3.1	2.2	7.9	4.1	4.4	3.3	11.8
60-80	2.8	3.1	2.2	8.0	4.4	4.9	3.6	12.9
80-100	3.1	3.3	2.5	9.0	4.8	5.0	3.8	13.6

तालिका 64.1: गैर- आदिवासी परिवारों का आय समूह और विविध साक्षरता स्तर, मध्य प्रदेश

आय समूह	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
0-20	1.6	2.4	1.7	5.8	3.8	4.8	3.1	11.8
20-40	3.1	3.5	2.8	9.3	3.6	4.6	3.5	11.7
40-60	3.0	4.6	2.8	10.4	4.6	6.5	3.9	15.0
60-80	3.1	5.2	3.5	11.8	5.3	7.9	4.4	17.5
80-100	3.6	5.6	3.0	12.1	6.0	7.8	5.0	18.8

तालिका 64.2: गैर- आदिवासी परिवारों का आय समूह और विविध साक्षरता स्तर, छत्तीसगढ़

आय समूह	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
0-20	2.5	2.6	2.2	7.3	4.6	5.0	3.8	13.5
20-40	2.7	2.6	2.1	7.4	4.3	4.2	3.1	11.6
40-60	3.7	3.8	3.1	10.7	5.7	6.2	4.8	16.8
60-80	3.6	4.1	3.0	10.8	4.6	5.2	4.3	14.1
80-100	4.7	5.1	3.9	13.7	6.2	6.7	5.5	18.4



तालिका 64.3: पीवीटीजी परिवारों का आय समूह और विविध साक्षरता स्तर, मध्य प्रदेश

आय समूह	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकजान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकजान	पुरुष कुल
0-20	1.9	2.0	1.2	5.2	1.1	1.8	1.6	4.5
20-40	0.5	0.5	1.0	2.0	1.0	1.6	2.1	4.7
40-60	1.1	1.3	1.7	4.1	1.8	3.6	2.9	8.3
60-80	0.4	0.3	1.1	1.8	1.7	2.8	2.1	6.6
80-100	1.8	1.9	1.8	5.6	1.8	3.7	2.5	8.0

तालिका 64.4: पीवीटीजी आदिवासी परिवारों का आय समूह और विविध साक्षरता स्तर, छत्तीसगढ़

आय समूह	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकजान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकजान	पुरुष कुल
0-20	0.2	0.2	0.4	0.8	0.8	0.7	0.5	2.0
20-40	0.7	0.7	0.6	2.0	2.5	1.8	0.6	4.9
40-60	0.5	0.7	0.3	1.5	1.6	1.4	0.7	3.8
60-80	1.2	1.3	1.3	3.8	3.8	3.4	2.1	9.3
80-100	0.5	0.6	0.6	1.6	4.3	4.6	3.6	12.5

तालिका 65.1: आदिवासी परिवारों में प्रति व्यक्ति आय आधारित साक्षरता स्तर, मध्य प्रदेश

पीसीआई ग्रुप	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकजान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकजान	पुरुष कुल
0-20	2.0	2.4	1.7	6.1	3.1	3.7	2.4	9.3
20-40	1.7	2.0	1.4	5.1	2.5	3.1	1.9	7.5
40-60	2.0	2.3	1.6	5.9	3.0	3.7	2.4	9.2
60-80	2.0	2.6	1.7	6.3	3.1	3.9	2.5	9.5
80-100	1.9	2.4	1.4	5.8	3.0	3.7	1.9	8.6

तालिका 65.2: आदिवासी परिवारों में प्रति व्यक्ति आय आधारित साक्षरता स्तर, छत्तीसगढ़

पीसीआई ग्रुप	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकजान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकजान	पुरुष कुल
0-20	2.8	3.3	2.5	8.6	3.8	4.4	3.1	11.2
20-40	2.3	2.7	2.0	7.0	3.9	4.4	3.0	11.2
40-60	2.6	2.9	2.2	7.7	4.0	4.4	3.2	11.6
60-80	2.6	3.0	2.1	7.7	4.1	4.6	3.4	12.1
80-100	3.0	3.2	2.5	8.7	4.9	5.2	4.1	14.2

तालिका 66.1: गैर- आदिवासी परिवारों में प्रति व्यक्ति आय आधारित साक्षरता स्तर, मध्य प्रदेश

पीसीआई ग्रुप	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
0-20	1.8	2.7	1.9	6.4	3.5	4.3	3.1	10.9
20-40	3.6	4.1	2.8	10.5	4.4	5.4	3.6	13.3
40-60	2.1	2.9	2.1	7.2	4.7	5.6	3.6	13.9
60-80	3.5	5.6	3.6	12.7	5.1	7.7	4.5	17.3
80-100	3.6	5.6	2.9	12.1	5.6	7.8	4.8	18.2

तालिका 66.2: गैर- आदिवासी परिवारों में प्रति व्यक्ति आय आधारित साक्षरता स्तर, छत्तीसगढ़

पीसीआई ग्रुप	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
0-20	2.7	2.9	2.4	8.0	4.2	4.6	3.4	12.3
20-40	3.3	3.3	2.8	9.5	5.4	5.6	4.1	15.1
40-60	3.5	3.4	2.8	9.7	4.8	5.1	4.2	14.1
60-80	3.5	3.8	2.8	10.1	5.0	5.4	4.3	14.7
80-100	4.3	4.8	3.5	12.6	6.2	6.8	5.5	18.5

तालिका 66.3: पीवीटीजी परिवारों में प्रति व्यक्ति आय आधारित साक्षरता स्तर, मध्य प्रदेश

पीसीआई ग्रुप	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
0-20	1.6	1.6	1.2	4.4	0.9	1.6	2.1	4.7
20-40	0.9	0.9	1.3	3.0	1.5	2.4	2.2	6.1
40-60	0.7	0.8	1.5	3.0	1.6	3.2	2.2	7.0
60-80	0.8	0.9	1.4	3.1	1.6	2.7	2.3	6.6
80-100	1.5	1.5	1.3	4.3	1.6	3.4	2.3	7.3

तालिका 66.4: पीवीटीजी परिवारों में प्रति व्यक्ति आय आधारित साक्षरता स्तर, छत्तीसगढ़

पीसीआई ग्रुप	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
0-20	0.3	0.4	0.4	1.0	0.9	1.0	0.5	2.4
20-40	0.5	0.5	0.6	1.7	2.2	1.6	1.2	5.1
40-60	0.7	0.7	0.7	2.2	2.2	1.4	0.3	3.9
60-80	0.4	0.6	0.2	1.2	2.7	2.5	1.7	6.8
80-100	0.7	0.7	0.7	2.1	3.4	3.7	2.2	9.2



अनुलग्नक एच

सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के फीडबैक

तालिका 65.1: आदिवासी परिवारों की आय और जीवन विकास संतुष्टि, मध्य प्रदेश

आय पर्सेंटाइल	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	53.5	46.5	10.6
20-40	59.3	52.9	6.4
40-60	60.9	55.1	5.4
60-80	67.2	60.8	6.6
80-100	61.2	55.4	6.9

तालिका 65.2: आदिवासी परिवारों की आय और जीवन विकास संतुष्टि, छत्तीसगढ़

आय पर्सेंटाइल	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	60.0	65.9	9.8
20-40	71.4	73.5	9.3
40-60	72.4	71.2	7.1
60-80	71.2	67.9	8.1
80-100	71.8	66.7	10.0

तालिका 66.1: गैर-आदिवासी परिवारों की आय और जीवन विकास संतुष्टि, मध्य प्रदेश

आय पर्सेंटाइल	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	77.8	73.0	23.8
20-40	59.1	62.1	10.6
40-60	70.1	65.7	7.5
60-80	77.6	74.1	15.5
80-100	61.7	58.0	19.8





तालिका 66.2: गैर-आदिवासी परिवारों की आय और जीवन विकास संतुष्टि, छत्तीसगढ़

आय पर्सेंटाइल	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	43.1	50.5	0.9
20-40	61.5	62.6	4.4
40-60	57.6	63.0	8.7
60-80	56.0	66.0	6.0
80-100	57.0	51.4	20.6

तालिका 66.3: पीवीटीजी परिवारों की आय और जीवन विकास संतुष्टि, मध्य प्रदेश

आय पर्सेंटाइल	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	31.0	40.5	23.8
20-40	26.0	42.0	14.0
40-60	28.6	45.7	0.0
60-80	48.7	56.4	10.3
80-100	28.6	42.9	11.4

तालिका 66.4: पीवीटीजी परिवारों की आय और जीवन विकास संतुष्टि, छत्तीसगढ़

आय पर्सेंटाइल	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	28.1	71.9	0.0
20-40	39.6	79.2	0.0
40-60	77.5	62.5	2.5
60-80	64.7	47.1	5.9
80-100	73.9	65.2	17.4

तालिका 67.1: आय वर्ग के आधार पर आदिवासी परिवारों के जीवन विकास संबंधी विचारों में परिवर्तन, मध्य प्रदेश

पीसीआई ग्रुप	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	59.3	52.2	11.7
20-40	57.1	52.7	6.1
40-60	64.0	57.5	5.4
60-80	64.5	53.0	5.8
80-100	57.2	55.2	6.9

तालिका 67.2: आय वर्ग के आधार पर आदिवासी परिवारों के जीवन विकास संबंधी विचारों में परिवर्तन, छत्तीसगढ़

पीसीआई ग्रुप	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	60.9	65.2	9.4
20-40	73.3	71.2	10.0
40-60	74.2	70.9	8.1
60-80	70.6	70.4	7.0
80-100	68.1	67.5	9.7





तालिका 68.1: आय वर्ग के आधार पर गैर-आदिवासी परिवारों के जीवन विकास संबंधी विचारों में परिवर्तन, मध्य प्रदेश

पीसीआई ग्रुप	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	71.4	69.8	23.8
20-40	65.3	63.3	10.2
40-60	74.6	71.4	11.1
60-80	64.6	62.0	12.7
80-100	67.9	64.2	18.5

तालिका 68.2: आय वर्ग के आधार पर गैर-आदिवासी परिवारों के जीवन विकास संबंधी विचारों में परिवर्तन, छत्तीसगढ़

पीसीआई ग्रुप	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	52.8	55.6	1.9
20-40	55.0	58.8	6.2
40-60	51.7	57.3	6.7
60-80	61.8	67.3	8.2
80-100	51.8	52.7	17.0

तालिका 68.3: आय वर्ग के आधार पर पीवीटीजी परिवारों के जीवन विकास संबंधी विचारों में परिवर्तन, मध्य प्रदेश

पीसीआई ग्रुप	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	23.3	32.6	18.6
20-40	26.8	41.5	14.6
40-60	35.0	55.0	5.0
60-80	40.5	54.8	9.5
80-100	37.1	42.9	14.3

तालिका 68.4: आय वर्ग के आधार पर पीवीटीजी परिवारों के जीवन विकास संबंधी विचारों में परिवर्तन, छत्तीसगढ़

पीसीआई ग्रुप	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	27.1	58.3	0.0
20-40	38.5	84.6	0.0
40-60	44.4	66.7	0.0
60-80	77.4	58.1	6.5
80-100	79.4	70.6	11.8





अनुलग्नक आई

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ और कार्यक्रम

छत्तीसगढ़

राज्य योजनाएँ (अनुसूचित जनजाति):

आश्रम शाला योजना, छात्रावास योजना, आशासकी संस्थान को अनुदान, पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना, छात्रावास/आश्रम एवं शाला भवनों का निर्माण, शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार एवं स्व. डॉ. भंवर सिंह पोटे आदिवासी सेवा सम्मान, छात्र भोजन सहाय योजना, विशेष शिक्षण केंद्र त्र्योषण योजना, खाद्य सुरक्षा आधुनिकीकरण के अंतर्गत छात्रवासियों को खाद्यान्न, युवा करियर निर्माण योजना, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, आर्यभट्ट वाणीज्य/विज्ञान विकास केंद्र

केंद्र प्रवर्तित योजना:

नागरिक अधिकार एवं संरक्षण प्रकोष्ठ अंतर्गत प्रचार-प्रसार, अस्पृश्यता निवारणार्थ योजना, एसटी/एससी अत्याचार निवारण अधिनियम पुनर्वासि एवं संरक्षण अनुदान, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, अल्पसंख्याक बहुउद्देश्यीय विकास, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, एसटी पोस्ट मैट्रिक, छात्रवृत्ति, एससी पोस्ट मैट्रिक, छात्रवृत्ति

विभाग के द्वारा संचालित शिक्षा संबंधी एवं अन्य प्रमुख योजनाएँ:

छात्रावास आश्रम योजना, ऑनलाइन छात्रवृत्ति वितरण, छात्रवृत्ति विद्यार्थी वितरण, छात्रवृत्ति विद्यार्थी के लिए विशेष शिक्षण केंद्र योजना, स्वस्थ तन-स्वस्थ मन योजना, छात्र भोजन सहाय योजना, खाद्यान्न सुरक्षा योजना, गुरुकुल आदर्श विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर अंतर्गत संचालित विशेष छात्रावास, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना, विशेष पिछड़े जनजातियों (प्राइवेट) हेतु आवासीय विद्यालय, क्रीड़ा परिसर योजना, ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

रोजगार मूलक योजनाएँ:

बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में निशुल्क अध्ययन सुविधा योजना, निशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना, रविदास चर्मशिल्प योजना, हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मेनेजमेंट प्रशिक्षण योजना

आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास संबंधी योजनाएँ:

आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना, देवगुंडी निर्माण/मरम्मत योजना, एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम-2015 तथा संशोधित अधिनियम -2018 अंतर्गत राहत योजना, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सम्मान एवं पुरस्कार तथा लोककला महोत्सव,

प्रत्येकशिव योजनाएँ:

राजीव युवा उत्थान योजना एवं आदिवासी युवा होस्टल, नई दिल्ली, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति प्री-मेडिकल तथा प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना,

अन्य योजनाएँ:

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, आदर्श छात्रावास भवन के रूप में उन्नयन



मध्य प्रदेश

राज्य योजना:

जनजातीय क्षेत्रों के लिए जनपद पंचायत अनुदान, लाइली लक्ष्मी योजना, बैगा महापंचायत, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री तेंदू पत्ता संग्रहण बोनस योजना, सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्याक कल्याण विभाग, आश्रम शाला योजना, गोंडवाना संग्रहालय, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 2023

प्रोत्साहन योजना:

आवास सहायता योजना, छात्रावृत्ति योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, साइकल प्रोत्साहन योजना, विद्यार्थी कल्याण योजना, प्रतिभा योजना, आकांक्षा योजना, शैक्षणिक विकास योजना

हितग्राही मूलक योजना:

आहार अनुदान योजना, वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत हितग्राही एवं सामुदायिक योजना, विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत परियोजनाएँ

रोज़गार मूलक:

मुख्यमंत्री कौशल एवं कौशल योजना, अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी संस्थान द्वारा कोचिंग, नागरिक सेवा प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

केंद्रीय योजना:

जनजातीय उप-योजना (एससीए से टीएसपी), वन धन योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), आश्रम विद्यालय, अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त और विकास निगम (टीआरआईएफआईडी), एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएँ (आईटीडीपी), वन अधिकार अधिनियम (वन अधिकारों की मान्यता), आवास योजना, छात्र कल्याण योजना, एससी/एसटी राहत योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम-2016 योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता



अनुलग्नक जे

आहार विविधता

एफसीएस विभिन्न खाद्य समूहों की आहार विविधता, भोजन आवृत्ति और सापेक्ष पोषण महत्व पर आधारित एक समग्र मूल्यांकन स्कोर है। (संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा विश्लेषण (वीएएम)। खाद्य उपभोग स्कोर पोषण गुणवत्ता मूल्यांकन दिशानिर्देश (एफसीएस-एन)। वीएएम मूल्यांकन टीम, डब्ल्यूएफपी मुख्यालय, जुलाई 2015)

एफसीएस निर्माण दिशानिर्देश के अनुसार, हमने उन खाद्य पदार्थों और खाद्य समूहों की सूची पर जानकारी इकट्ठा की है जो आमतौर पर झारखंड और ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में खाए जाते हैं।

साक्षात्कारकर्ताओं से पिछले 7 दिनों की स्मरण अवधि में उन खाद्य पदार्थों की खपत की आवृत्ति (दिनों में) के बारे में पूछा गया।

खाद्य पदार्थों को 8 मानक खाद्य समूहों में बांटा गया था। प्रत्येक खाद्य समूह को उसकी पोषक मान के आधार पर एक निश्चित मात्रा (वजन) दिया गया था। हमने डब्ल्यूएफपी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का अनुपालन किया है।

खाद्य समूह	वजन	स्पष्टीकरण
अनाज एवं कद मूल	2	ऊर्जा सघन, फलियों की तुलना में प्रोटीन की मात्रा कम और निम्न गुणवत्ता युक्त (प्रति कम), सूक्ष्म पोषक तत्व (फाइटेट्स युक्त)
दालें	3	ऊर्जा सघन, उच्च मात्रा में प्रोटीन लेकिन मांस की तुलना में कम गुणवत्ता वाला (प्रति कम), सूक्ष्म पोषक तत्व (फाइटेट्स से बंधे)
सब्जियाँ	1	कम ऊर्जा, कम प्रोटीन, वसा नहीं, सूक्ष्म पोषक तत्व
फल	1	कम ऊर्जा, कम प्रोटीन, वसा नहीं, सूक्ष्म पोषक तत्व
मांस एवं मछली	4	उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन, आसानी से घुलनशील सूक्ष्म पोषक तत्व, (फाइटेट्स नहीं), ऊर्जा सघन, वसा कम मात्रा में भी खाने पर आहार गुणवत्ता पर व्यापक प्रभाव
दूध	4	उच्च गुणवत्ता प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्व, विटामिन ए, ऊर्जा हालांकि, दूध को काफी कम मात्रा में सेवन किया जा सकता है, इस प्रकार इसे मसाले के रूप में देखा जाना चाहिए और इस कारण ऐसे मामले में पुनर्वर्गीकरण करने की जरूरत है।
चीनी	0.5	सिर्फ कैलोरी, सामान्यतः इसे अल्प मात्रा में सेवन किया जाता है।
तेल	0.5	ऊर्जा सघन लेकिन आमतौर पर कोई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं। आमतौर पर कम मात्रा में सेवन किया जाता है।
मसाले	0	

प्रत्येक खाद्य समूह के उपभोग आवृत्ति को निर्धारित वजन से गुना कर जोड़ने के उपरांत हम फूड कंजम्पशन स्कोर (FCS) प्राप्त कर सकते हैं।

प्राप्त स्कोर के आधार पर, प्रत्येक परिवार के प्रोफाइल को नीचे दर्शाया गया है।

एफ़सीएस	प्रोफाइल
0 – 21 (0 – 28)	खराब खाद्य उपभोग
21.5 – 35 (28.5 – 42)	सीमित खाद्य उपभोग
>35 (>42)	स्वीकार योग्य खाद्य उपभोग

कोष्ठक में दिए गए एफ़सीएस के आंकड़े उन्हीं परिवारों के हैं, जो चीनी और तेल का सेवन नियमित रूप से करते हैं।





अनुलग्नक के

परिवार स्तर पर खाद्य सुरक्षा

(कोट्स, जेनिफर, एने स्विंडले और पौला बिलिन्स्की। हाउसहोल्ड फूड इन्सैक्यूरेटी एक्सेस स्केल (HFIAS) का उपयोग हाउसहोल्ड फूड एक्सेस के लिए: संकेतक निर्देश (v. 2). वाशिंगटन, डी.सी.: फूड एंड न्यूट्रिशन टेक्निकल एसिस्टेंस प्रोजेक्ट, एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवेलपमेंट, जुलाई 2006.)

इस उपकरण में, खाद्य सुरक्षा को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें "सभी लोगों को उत्पादनशील और स्वस्थ जीवन हेतु अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय पर्याप्त भोजन की उपलब्धता शारीरिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर हो।"

इस टूल में प्रत्येक प्रश्न 30 दिनों की रिकॉल अवधि के साथ पूछा जाता है। उत्तरदाता से सबसे पहले एक घटना संबंधी प्रश्न पूछा जाता है - अर्थात्, जो पिछले 30 दिनों में घटित हुई थी (हाँ या नहीं)।

टूल में नौ घटना आधारित प्रश्न हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. क्या आपको चिंता थी कि आपके परिवार के पास पर्याप्त भोजन नहीं होगा?
2. क्या आप या परिवार का कोई सदस्य संसाधनों की कमी के कारण आपकी पसंद का भोजन नहीं खा पा रहा है?
3. क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने संसाधनों की कमी के कारण सीमित प्रकार का भोजन खाया?
4. क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने वह खाना खाया जिसे आप अन्य प्रकार का भोजन प्राप्त करने के लिए संसाधनों की कमी के कारण नहीं खाना पसंद करते थे?
5. क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने ज़रूरत से बहुत कम भोजन खाया क्योंकि पर्याप्त भोजन नहीं था?
6. क्या आपने या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने एक दिन में कम भोजन खाया क्योंकि पर्याप्त भोजन नहीं था?
7. क्या आपके घर में कभी भोजन नहीं था क्योंकि अधिक पाने के लिए कोई संसाधन नहीं थे?

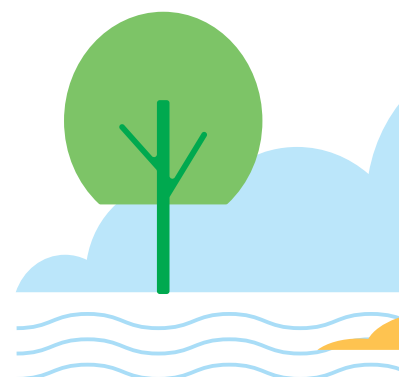
8. क्या आप या परिवार का कोई सदस्य रात को भूखा सो गया क्योंकि पर्याप्त खाना नहीं मिला?

9. क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने पूरा दिन बिना कुछ खाए बिताया क्योंकि पर्याप्त खाना नहीं था?

यदि उत्तरदाता किसी घटना के प्रश्न का उत्तर "हाँ" में देता है, तो यह निर्धारित करने के लिए आवृत्ति-की-आवृत्ति प्रश्न पूछा जाता है कि क्या स्थिति शायद ही कभी (एक या दो बार), कभी-कभी (तीन से दस बार) या अक्सर (दस से अधिक बार) होती है। पिछले 30 दिन. 'दुर्लभ' घटनाओं के लिए संबंधित स्कोर 1 है, 'कभी-कभी' घटनाओं के लिए स्कोर 2 है और 'अक्सर' के लिए यह 3 है। यदि उत्तरदाता किसी घटना के प्रश्न का उत्तर "नहीं" देता है, तो संबंधित स्कोर 0 है।

अन्य टूल की तरह, हमने स्थानीय भाषा में प्रश्नों का अनुवाद करने के बाद इस टूल का भी संचालन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तरदाता प्रश्नों को ठीक से समझ रहे हैं।

प्रत्येक परिवार के लिए कुल एचएफआईएस स्कोर प्राप्त करने के लिए प्रत्येक घटना-आवृत्ति प्रश्न के स्कोर का योग किया जाता है। एक परिवार के लिए अधिकतम स्कोर 27 हो सकता है यदि परिवार की सभी नौ बारंबारता वाले प्रश्नों का उत्तर "अक्सर" है। जब परिवार सभी घटनाओं के प्रश्नों का उत्तर "नहीं" में देता है तो न्यूनतम स्कोर 0 होता है। स्कोर जितना अधिक होगा, परिवार को उतनी ही अधिक खाद्य असुरक्षा (पहुँच) का अनुभव होगा। स्कोर जितना कम होगा, परिवार में खाद्य असुरक्षा (पहुँच) उतनी ही कम होगी।



परिवारों को घरेलू खाद्य असुरक्षा (पहुँच) के चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया है: खाद्य सुरक्षा, सामान्य, मध्यम और गंभीर खाद्य असुरक्षा। एक खाद्य-सुरक्षित परिवार किसी भी खाद्य असुरक्षा (पहुँच) की स्थिति का अनुभव नहीं करता है, या केवल चिंता का अनुभव करता है, लेकिन शायद ही कभी। हल्के खाद्य असुरक्षित (पहुँच वाले) परिवार को कभी-कभी या अक्सर पर्याप्त भोजन न मिलने की चिंता होती है, और/या पसंदीदा भोजन खाने में असमर्थ होता है, और/या नीरस आहार या कम-पसंदीदा भोजन खाता है, लेकिन केवल कभी-कभार ही। लेकिन यह मात्रा में कटौती नहीं करता है। और न ही तीन सबसे गंभीर स्थितियों (बिना खाए पूरा दिन गुजारना, भूखे पेट सोना, या भोजन खत्म हो जाना) में से किसी का अनुभव नहीं करता है। एक मध्यम खाद्य असुरक्षित परिवार नीरस आहार या कभी-कभी कम पसंदीदा खाद्य पदार्थ खाकर गुणवत्ता का अधिक त्याग करता है, और/या भोजन के आकार या भोजन की संख्या को कम करके,

शायद ही कभी या कभी-कभी मात्रा में कटौती करना शुरू कर देता है। लेकिन यह तीन सबसे गंभीर स्थितियों में से किसी का भी अनुभव नहीं करता है। एक गंभीर खाद्य-अजनबी परिवार अक्सर भोजन के आकार या भोजन की संख्या में कटौती करने का आदी हो गया है, और/या तीन सबसे गंभीर स्थितियों में से किसी एक का अनुभव करता है (बिना खाए पूरा दिन गुजारना, भूखे पेट सो जाना, या भोजन खत्म हो जाना), यहाँ तक कि कभी-कभार भी। दूसरे शब्दों में, कोई भी परिवार, जो पिछले 30 दिनों में एक बार भी इन तीन स्थितियों में से एक का अनुभव करता है तो उसे गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित माना गया है।





अनुलग्नक एल

एल 1 अध्ययन के दौरान उपयोग किए गए उपकरण -

(इस अनुलग्नक की तालिका संख्या 1 से शुरू होकर अंतिम परिशिष्ट की तालिकाओं से क्रमबद्ध नहीं है।)

- केंद्रीय भारतीय पठार क्षेत्र के आदिवासियों की वैकासिक स्थिति
- परिवार सर्वेक्षण हेतु अनुसूची
- सर्वे के उद्देश्यों और सहमति के उपरांत व्यक्ति/परिवार संबंधी सूचना

तालिका 1: सर्वे हेतु सहमति, तिथि और लोकेशन

दिनांक:			
राज्य:	जिला:	खण्ड:	गाँव:
परिवार संख्या:			
सर्वेकर्ता का नाम:			
सहमति प्राप्त:	हस्ताक्षर:	अंगूठा का निशान:	
परिवार का प्रकार / क्या परिवार आदिवासी या गैर आदिवासी है? परिवार की जाति/द्राडब	1- आदिवासी 2- पीवीटीजी 3- गैर-आदिवासी अगर कोड 1 और 2 है, तो "यह एमपी और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के लिए है। अगर कोड 3" है तो यह एससी/ओबीसी और सामान्य है।	ड्रॉप डाउन	

- उत्तरदाता का नाम -
- उत्तरदाता का लिंग-
- उत्तरदाता की आयु -
- वैवाहिक स्थिति -
- उच्चतम शैक्षिक योग्यता -
- पिछले वर्ष के दौरान संलग्न प्राथमिक स्तर की गतिविधि -



1. सामान्य जानकारी

तालिका 2: परिवार सूचना रोस्टर

क्रम/ परिवार आईडी	नाम	परिवार प्रमुख से संबंध	लिंग	आयु	विवाह स्थिति	सर्वे के समय उच्चतम शैक्षिक योग्यता	पिछले वर्ष (365 दिन) के दौरान संलग्न प्राथमिक स्तर की गतिविधि-कोड	क्या उनके पास मोबाइल फोन है? (1- हाँ, 0- नहीं)	अगर हाँ, तो क्या स्मार्टफोन है? (1- हाँ, 0- नहीं)	क्या व्यक्ति दिव्यांग है? (1- हाँ, 0- नहीं)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

परिवार प्रमुख के साथ संबंध हेतु कोड

1- स्वयं, 2- पति, 3- पत्नी, 4- माता, 5- पिता, 6- बेटा, 7- बेटा, 8- बहू, 9- दामाद, 10- दादा, 11- दादी, 12- पोती, 13- पोता, 14- चाचा, 15- चाची, 99- अन्य

लिंग कोड

1- महिला, 2- पुरुष, 3- अन्य

वैवाहिक स्थिति हेतु कोड

1- शादी नहीं 2- शादीशुदा 3- तलाक़शुदा, 4- अल्योझा, 5- विधवा, 9- अन्य

औपचारिक शिक्षा प्राप्ति हेतु कोड:

0 - कोई स्कूली शिक्षा नहीं, 1- प्राथमिक स्तर से कम, 2- प्राथमिक स्तर (कक्षा 4), 3- मैट्रिक स्तर से कम लेकिन प्राथमिक स्तर से अधिक, (कक्षा 4 से 10) 4- मैट्रिक स्तर से अधिक उच्च माध्यमिक से कम, 6- उच्च माध्यमिक, 7- कॉलेज में नामांकन लेकिन डिग्री पूरी नहीं की, 8- कॉलेज ग्रेजुएट एवं ऊपर परंतु पीजी नहीं, 9- पोस्ट ग्रेजुएट, 10- पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर, 11- 10वीं/12वीं के बाद प्रोफेशनल डिप्लोमा

प्राथमिक स्तर के रोजगार/गतिविधि हेतु कोड:

1- कृषि श्रम, 2- गैर-कृषि कार्य, 3- सेवानिवृत्त, 4- सरकारी नौकरी, 5- निजी नौकरी (औपचारिक एवं अनौपचारिक), 6- कार्यरत नहीं, 7- पशुपालन, 8- कृषि इंटरप्राइज, 9- गैर-कृषि इंटरप्राइज, 10- जुताई, 11- गृह पत्नी, 12- छात्र, 13- अन्य, बताएं



खाद्य सुरक्षा (HFIAS प्रश्नावली) – परिवार के महिला सदस्यों द्वारा जवाब दिया जाएगा।

तालिका 3: परिवार की खाद्य सुरक्षा

			परिवार हेतु कोड
1	पिछले चार सप्ताह में, आप अपने परिवार में पर्याप्त भोजन न होने के लिए चिंतित रहीं ? ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	0 = नहीं (Q2 पर जाएँ) 1 = हाँ	
1.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	
2	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने संसाधनों की कमी के कारण सीमित प्रकार का भोजन खाया?	0 = नहीं (Q3 पर जाएँ) 1 = हाँ	
2.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	
3	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने संसाधनों की कमी के कारण सीमित प्रकार का भोजन खाया?	0 = नहीं (Q4 पर जाएँ) 1 = हाँ	
3.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	
4	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने वह खाना खाया जिसे आप अन्य प्रकार का भोजन प्राप्त करने के लिए संसाधनों की कमी के कारण नहीं खाना पसंद करते थे	0 = नहीं (Q5 पर जाएँ) 1 = हाँ	
4.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	

² Questions in this section are adopted from Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement of Food Access: Indicator Guide VERSION 3 (2007) by USAID



			परिवार हेतु कोड
5	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने एक दिन में कम भोजन खाया क्योंकि पर्याप्त भोजन नहीं था?	0 = नहीं (Q6 पर जाएँ) 1 = हाँ	
5.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	
6	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने एक दिन में कम भोजन खाया क्योंकि पर्याप्त भोजन नहीं था?	0 = नहीं (Q7 पर जाएँ) 1 = हाँ	
6.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	
7	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में क्या आपके परिवार में कभी भोजन नहीं था क्योंकि अधिक पाने के लिए कोई संसाधन नहीं थे?	0 = नहीं (Q8 पर जाएँ) 1 = हाँ	
7.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	
8	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आप या परिवार का कोई सदस्य रात को भूखा सो गया क्योंकि पर्याप्त खाना नहीं मिला?	0 = नहीं (Q9 पर जाएँ) 1 = हाँ	
8.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	
9	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने पूरा दिन रात बिना कुछ खाए बिताया क्योंकि पर्याप्त खाना नहीं था?	0 = नहीं (प्रश्नावली समाप्त) 1 = हाँ	
9.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	



**खाद्य सुरक्षा (HFIAS प्रश्नावली) –
परिवार के महिला सदस्यों द्वारा जवाब दिया जाएगा।**

तालिका 4: परिवार की महिला सदस्यों की खाद्य सुरक्षा हेतु

			परिवार के महिला सदस्यों हेतु कोड
1	पिछले चार सप्ताह में, आप अपने परिवार में पर्याप्त भोजन न होने के लिए चिंतित नहीं ?	0 = नहीं (Q2 पर जाएँ) 1 = हाँ	
1.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	
2	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आप या परिवार का कोई सदस्य संसाधनों की कमी के कारण अपनी पसंद का भोजन नहीं खा पा रहा है?	0 = नहीं (Q3 पर जाएँ) 1 = हाँ	
2.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	
3	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने संसाधनों की कमी के कारण सीमित प्रकार का भोजन खाया?	0 = नहीं (Q4 पर जाएँ) 1 = हाँ	
3.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	
4	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने वह खाना खाया जिसे आप अन्य प्रकार का भोजन प्राप्त करने के लिए संसाधनों की कमी के कारण नहीं खाना पसंद करते थे	0 = नहीं (Q5 पर जाएँ) 1 = हाँ	
4.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	

² Questions in this section are adopted from Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement of Food Access: Indicator Guide VERSION 3 (2007) by USAID



			परिवार हेतु कोड
5	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने एक दिन में कम भोजन खाया क्योंकि पर्याप्त भोजन नहीं था?	0 = नहीं (Q6 पर जाएँ) 1 = हाँ	
5.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	
6	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने एक दिन में कम भोजन खाया क्योंकि पर्याप्त भोजन नहीं था?	0 = नहीं (Q7 पर जाएँ) 1 = हाँ	
6.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	
7	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में क्या आपके परिवार में कभी भोजन नहीं था क्योंकि अधिक पाने के लिए कोई संसाधन नहीं थे?	0 = नहीं (Q8 पर जाएँ) 1 = हाँ	
7.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	
8	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आप या परिवार का कोई सदस्य रात को भूखा सो गया क्योंकि पर्याप्त खाना नहीं मिला?	0 = नहीं (Q9 पर जाएँ) 1 = हाँ	
8.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	
9	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने पूरा दिन रात बिना कुछ खाए बिताया क्योंकि पर्याप्त खाना नहीं था?	0 = नहीं (प्रश्नावली समाप्त) 1 = हाँ	
9.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक)	



आहार विविधता :-

(परिवार की महिला सदस्यों द्वारा जवाब दिया जाएगा)

तालिका 5: परिवार की आहार विविधता

क्रम	खाद्य समूह	पिछले सात दिनों में कितने दिनों में खपत किया गया ?	स्रोत (परिवार के लिए) 1- स्व-उत्पादन, 2- खरीदा गया, 3- उधारी, 4-साझीदारी, श्रम के बदले में, 5- मित्रों/परिजनों से उपहार के रूप में 6- सरकार से खाद्य सहायता, 7- अन्य
1	अनाज एवं कंद		
2	दालें		
3	सब्जियाँ		
4	फल		
5	मांस, अंडे और मछली		
6	दूध, दही		
7	चीनी		
8	तेल, मक्खन		
9	मसालें		
10	गरिष्ठ (फोर्टिफाइड) खाद्य पदार्थ		

तालिका 6: परिवार के महिला सदस्यों में आहार विविधता

क्रम	खाद्य समूह	पिछले सात दिनों में कितने दिनों में खपत किया गया ?	स्रोत (परिवार के लिए) 1- स्व-उत्पादन, 2- खरीदा गया, 3- उधारी, 4-साझीदारी, श्रम के बदले में, 5- मित्रों/परिजनों से उपहार के रूप में 6- सरकार से खाद्य सहायता, 7- अन्य
1	अनाज एवं कंद		
2	दालें		
3	सब्जियाँ		
4	फल		
5	मांस, अंडे और मछली		
6	दूध, दही		
7	चीनी		
8	तेल, मक्खन		
9	मसालें		
10	गरिष्ठ (फोर्टिफाइड) खाद्य पदार्थ		

*इस खंड में प्रश्न जीना कैनेडी, टेरी बैलार्ड और मैरीक्लाउड डोप, पोषण और उपभोक्ता संरक्षण प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 'घरेलू और व्यक्तिगत आहार विविधता को मापने के लिए दिशानिर्देश' से अपनाए गए हैं। (<http://www.fao.org/3/a-i1983e.pdf>)



स्वास्थ्य एवं बीमारी

तालिका 7: 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आयु और उनके सिर की परिधि

क्रम (परिवार के रॉस्टर से 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे)	आयु (वर्ष एवं माह)	सिर की परिधि (सेमी में)

तालिका 8: परिवार के सदस्यों के बीमारियों का विवरण

क्रम (परिवार रॉस्टर के समान तालिका 2)	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में व्यक्ति कब बीमार हुआ ?	बीमारी का कारण (कोड)	उपचार का प्रकार (कोड)	उपचार का खर्चा (₹)	क्या उपचार के लिए पैसे उधार लेने पड़े ?	किसी कल्याणकारी योजना जैसे आयुष्मान भारत का लाभ (हाँ/नहीं)

कोड

1-डायरिया/दस्त/पेट संबंधी बीमारी, 2-मलेरिया, 3-अन्य बुखार, 4- मेजल्स, 5-टीबी, 6- अस्थमा, 7-जौंडिस, 8- डायबिटीज़, 9-कैंसर, 10-हृदय रोग, 11- कोविड-19, 12-बीपी, 13 - अन्य कोई हो तो बताएं

चिकित्सा परामर्श कोड

1. सरकारी अस्पताल, 2-प्राइवेट अस्पताल, 3- आयुर्वेद, 4-आशा, 5-एएनएम, 6-परंपरागत औषधि, 7- झोलाछाप डॉक्टर, 8- अपने से दवा दुकान से दवा लेना, 9- कोई परामर्श और कोई दवा का प्रयोग नहीं, 10- अन्य कोई

क्या पिछले वर्ष (12 महीने) के दौरान किसी की मृत्यु हुई है? 0 - नहीं, 1 - हाँ



कार्यात्मक साक्षरता

पैराग्राफ पाठन

लोहारदगा जिले के सितारामपूर गाँव में 20 दीदी लोगों ने एक महिला समिति बनाई। सभी दीदी ने प्रति सप्ताह 10 रुपये जमा कर के कुल 1 लाख रुपये के करीब की बचत की। करीब करीब सभी दीदी को बैंक से लोन(कर्ज) मिला। इस कर्ज से सभी दीदी ने आजीविका के लिए कुछ न कुछ काम चालू किया।

तालिका 9: लेखन प्रतिक्रिया

	शब्द (साक्षात्कार लेने वाले द्वारा स्पष्ट, धीरे धीरे और ज़ोर से बोला जाएगा)	उत्तर
1	बाजार	
2	प्रधान मंत्री	
3	महुआ	
4	सरना	
5	परिवार	

अंकज्ञान परीक्षण :

1. $10 + 15 =$
2. $45 - 23 =$
3. $85 - 39 =$
4. $13 \times 26 =$
5. $98 \div 7 =$

तालिका 10: परिवार के वयस्क स्त्री और पुरुष के साक्षरता संबंधी विवरण

क्रम (परिवार के रोस्टर से)	शब्दों को शुद्ध रूप से पढ़ना (पैराग्राफ में केवल रेखांकित पंक्तियों को पढ़ना)	शुद्धता से लिखना	सही से गणित के प्रश्न हल करना



जल, जंगल और जमीन तक पहुँच

तालिका 11

	अपनी भूमि डिसिमल (100 डिसिमल = 1 एकड़)	लीज पर/ किराए पर/ गिरवी पर ली गयी भूमि -डिसिमल में	लीज पर/ किराए पर/ गिरवी पर दी गयी भूमि -डिसिमल में	बटाईदारी में मिलने वाला हिस्सा - डिसिमल में	बटाईदारी में देने वाला हिस्सा- डिसिमल में
कुल भूमि					
पिछले 365 दिनों में खरीफ खेती योग्य क्षेत्र					
पिछले 365 दिनों में रबी खेती योग्य क्षेत्र					
पिछले 365 दिनों में गर्मी के मौसम में खेती योग्य क्षेत्र					
क्या सभी मौसम में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी ? 1-हाँ, 2-नहीं					
अगर नहीं, तो किस मौसम में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी ? 1. खरीफ 2. रबी 3. गर्मी					
अगर हाँ, तो खरीफ में सिंचाई की सुविधा कितनी उपलब्ध है? 1. पूरी भूमि 2. अधिकांश भूमि 3. आधी भूमि 4. आधे से कम 5. उपलब्ध नहीं					
खरीफ में सिंचाई के स्रोत (जो लागू हो उसपर टिक करें) 1. कुएं 2. तालाब 3. नदी 4. बांध 5. ट्यूबेल / बोर वेल 6. अन्य यदि कोई					
अगर हाँ, तो गर्मी में सिंचाई की सुविधा कितनी उपलब्ध है? 1. पूरी भूमि 2. अधिकांश भूमि 3. आधी भूमि 4. आधे से कम 5. उपलब्ध नहीं					



	अपनी भूमि डिसिमल (100 डिसिमल = 1 एकड़)	लीज पर/ किराए पर/ गिरवी पर ली गयी भूमि - डिसिमल में	लीज पर/ किराए पर/ गिरवी पर दी गयी भूमि - डिसिमल में	बटाईदारी में मिलने वाला हिस्सा - डिसिमल में	बटाईदारी में देने वाला हिस्सा - डिसिमल में
गर्मी में सिंचाई के स्रोत (जो लागू हो उसपर टिक करें) 1. कुएं 2. तालाब 3. नदी 4. बांध 5. ट्यूबेल / बोर वेल 6. अन्य यदि कोई					
अगर हाँ, तो रबी में सिंचाई की सुविधा कितनी उपलब्ध है? 1. पूरी भूमि 2. अधिकांश भूमि 3. आधी भूमि 4. आधे से कम 5. उपलब्ध नहीं					
रबी में सिंचाई के स्रोत (जो लागू हो उसपर टिक करें) 1. कुएं 2. तालाब 3. नदी 4. बांध 5. ट्यूबेल / बोर वेल 6. अन्य यदि कोई					

अनाज कोड (तालिका 12, तालिका 13, और तालिका 14 के लिए)

अनाज

- मक्का
- गेहूँ
- धान
- जौ
- सिउर/मासा/चौलाई
- फूलन
- ओग्ला
- फापड़ा
- कोदरा/महुआ
- गंगराई
- गन्ना
- अन्य, उल्लेख करें

दालें

- राजमा
- माश
- कुलथी
- सोयाबीन
- मसूर
- अरहर
- उड़द
- अन्य, उल्लेख कीजिए _____

सब्जियाँ

- आलू
- मटर
- बीन्स
- पत्तागोभी
- टमाटर

26. लहसुन

- कच्चा आलू
- मिर्च
- प्याज
- मटर
- चना
- हरा चना
- कच्चा
- कांदा
- गोभी
- भिण्डी
- खीरा
- लहसुन, धनिया, अदरक
- करेला
- अन्य तोरई
- बैंगन
- अन्य, उल्लेख कीजिए _____

तेल बीज

- सरसो
- अलसी
- अन्य बीज, बताएं _____



तालिका 12: खरीफ खेती विवरण

	अनाज/दालें/तिलहन				सब्जियाँ			
	फसल 1	फसल 2	फसल 3	फसल 4	सब्जी 1	सब्जी 2	सब्जी 3	सब्जी 4
1. अनाज का नाम								
2. फसल कोड								
3. उक्त फसल हेतु क्षेत्र (बीघा)								
4. कुल उत्पादन क्विंटल								
5. इस फसल का आप क्या करते हैं? 1-केवल उपभोग 2-केवल बिक्री 3-दोनों								
6. अगर कोड 2 और 3, है, तो परिवार कितनी बिक्री करता है? (क्विंटल में)								
7. बिक्री से कुल सकल आय (₹ में)								
8. खेती की लागत (₹ में)								
9. कुल आय (बिक्री से कुल आय - खेती की लागत) (₹ में)								
10. खरीफ से कुल आय (₹ में)								

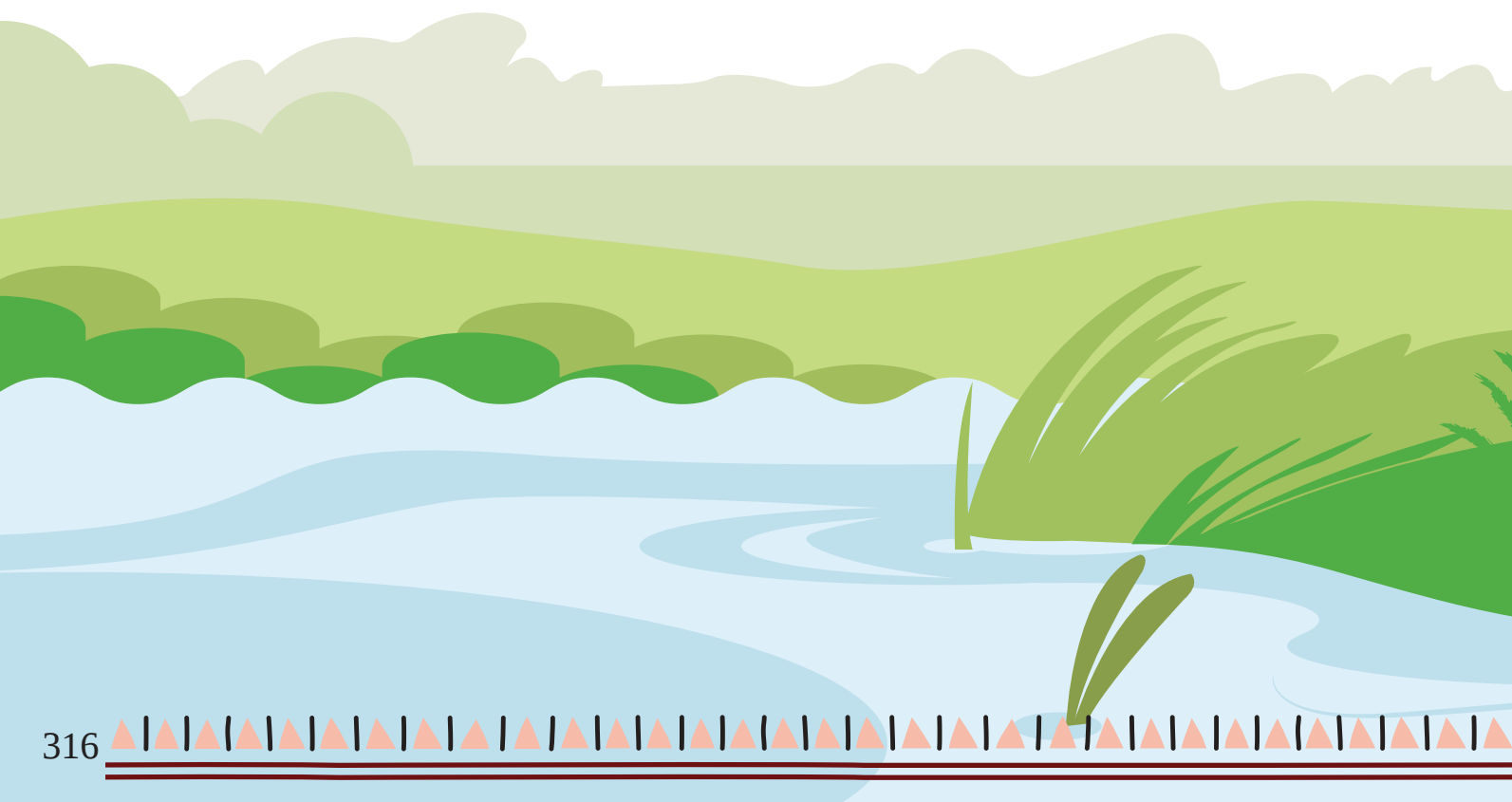
तालिका 13: रबी खेती का विवरण

	अनाज/दालें/तिलहन				सब्जियाँ			
	फसल 1	फसल 2	फसल 3	फसल 4	सब्जी 1	सब्जी 2	सब्जी 3	सब्जी 4
11. अनाज का नाम								
12. फसल कोड								
13. फसल में खेती की कुल भूमि (बीघा में)								
14. कुल उत्पादन क्विंटल								
15. इस फसल का आप क्या करते हैं? 1-केवल उपभोग 2-केवल बिक्री 3-दोनों								
16. अगर कोड 2 और 3, है, तो परिवार कितनी बिक्री करता है? (क्विंटल में)								
17. बिक्री से कुल सकल आय (₹ में)								
18. खेती की लागत (₹ में)								
19. कुल आय (बिक्री से कुल आय - खेती की लागत) (₹ में)								
20. रबी से कुल आय (₹ में)								



तालिका 14: गर्मी की फसलों (गरमा) का विवरण

	अनाज/दालें/तिलहन				सब्जियाँ			
	फसल 1	फसल 2	फसल 3	फसल 4	सब्जी 1	सब्जी 2	सब्जी 3	सब्जी 4
21. अनाज का नाम								
22. फसल कोड								
23. उक्त फसल हेतु क्षेत्र (बीघा)								
24. कुल उत्पादन क्विंटल								
25. इस फसल का आप क्या करते हैं? 1-केवल उपभोग 2-केवल बिक्री 3-दोनों								
26. अगर कोड 2 और 3, है, तो परिवार कितनी बिक्री करता है? (क्विंटल में)								
27. बिक्री से कुल सकल आय (₹ में)								
28. खेती की लागत (₹ में)								
29. कुल आय (बिक्री से कुल आय – खेती की लागत) (₹ में)								
20. गरमा से कुल आय (₹ में)								



तालिका 15: रबी, खरीफ और गरमा के अतिरिक्त अन्य कोई फसल

	फसल नाम	कोड	क्या इसे स्वयं के उपभोग हेतु उत्पादन करते हैं ?	पिछले 12 महीनों में कितनी बार बेचा गया?	अंतिम बार बिक्री से आय (₹)	अंतिम खेती का लागत (₹)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

कोड

1- आम, 2 - नींबू, 3 - पपीता, 4 - लीची, 5 - अमरुद, 6 - कटहल, 7 - अनार, 8 - गन्ना, 9 - फूल, 10 - अन्य

खेती से कुल आय (खरीफ+रबी+गरमा एवं अन्य फसलों से कुल आय) ₹ में - _____





तालिका 16: पशुधन/मवेशी पालन का विवरण

	भैंस	गाय	बकरी	मुर्गी/पक्षी पालन	सुअर	मछली	अन्य 2
वयस्क मादा की संख्या							
वयस्क नर की संख्या							
युवा की संख्या							
क्या आप मवेशी/मवेशी से बने उत्पाद बेचते हैं? (1 - हाँ, 0 - नहीं)							
बिक्री से कुल आय (₹ में)							
पशुपालन की लागत (₹ में)							
पशुपालन से कुल आय (₹ में)							

- जंगल से शहर कितना दूर है? _____ किमी
- क्या आप अपने आजीविका के लिए जंगल पर आश्रित हैं? हाँ/नहीं
- अगर हाँ, कृपया तालिका 16 के अनुरूप विवरण दें



तालिका 17: वनोपज का विवरण

वनोपज (वन से उपज)	परिवार के उपयोग/ बिक्री दोनों हेतु	अगर बिक्री तो पिछले वर्ष की राशि (रु. में)	आप बिक्री मूल्य से कितने संतुष्ट हैं? (1= खुश 2=प्रायः संतुष्ट 3= प्रायः असंतुष्ट 4= खुश नहीं)	अगर बिक्री के लिए है, तो किसे बेचते हैं? स्थानीय बाजार/ विभाग/ प्राइवेट ठेकेदार/ निजी ऋणदाता/ कुछ सामुदायिक संस्थाएं/निजी कंपनी/ अन्य (बताएं)	अगर बिक्री है तो, क्या आप इसमें कुछ मूल्य संवर्धन करते हैं, या उसी रूप में बेचते हैं?	क्या आपके कमाई में पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई कमी आई है? बढ़ी/ घटी/ कोई बदलाव नहीं
जलावन लकड़ी						
चारा						
साल/सियाली पत्ते/ बीज						
महुआ फूल/ बीज						
केंदु पत्ता						
मौसमी फल						
शहद						
बांस						
ताड़ी						
मशरूम						
चिरौंजी						
सुर्तेली						
इमारती लकड़ी						
खाद्यान्न (मौसमी फल के अतिरिक्त)						
कुल आय (₹ में)						

- क्या आपने वन अधिकार अधिनियम के बारे में सुना है? हां/नहीं
- आपके गांव में कोई भूमि है, जिसके लिए आपने आईएफआर के लिए आवेदन किया है? हां/नहीं
- यदि हाँ, तो क्या आपको उस भूमि के लिए आईएफआर प्राप्त हुआ है? हां/नहीं
- पिछले वर्ष कितनी ग्राम सभा हुई?
- यदि कोई हो, तो क्या आप उपस्थित हुए?
- यदि उपस्थित हुए, तो क्या आपने कोई मुद्दा/मांग/दावा उठाया?
- आपके घर में पीने के पानी का स्रोत क्या है?



तालिका 18: पीने के पानी के स्रोत संबंधी विवरण

पीने के पानी का स्रोत	हाँ/नहीं	क्या गर्मी में इन स्रोत से पर्याप्त पानी मिलता है? (1 - हाँ, 0 - नहीं)	क्या मानसून में इन स्रोत से पर्याप्त पानी मिलता है? (1 - हाँ, 0 - नहीं)	क्या जाड़े में इन स्रोत से पर्याप्त पानी मिलता है? (1 - हाँ, 0 - नहीं)	आपके अनुसार क्या ये जगह साफ और सुरक्षित पीने के पानी के अनुकूल है? (हाँ/नहीं)	पानी मिलने का समय (जब पानी का स्रोत घर के बाहर हो, मिनट में)
नल (घर के अंदर)						
हैंडपंप (घर के अंदर)						
कुआं (घर के अंदर)						
सार्वजनिक नल (स्टैंड पोस्ट)						
सार्वजनिक हैंड पंप						
सार्वजनिक कुआं						
तालाब						
नदी						
झरना						
टैंकर						

12. क्या आपके घर में शौचालय की सुविधा है? शौचालय/निमणाधीन/ उपलब्ध नहीं



अपने अधिकार और पात्रता तक पहुँच

तालिका 19: अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और पात्रता संबंधी विवरण

क्रम	योजना का नाम	क्या आप योजना से परिचित हैं? 0-नहीं, 1-हाँ	अगर हाँ, तो आपका परिवार इसके योग्य है? 0-नहीं, 1-हाँ	अगर हाँ, तो क्या आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है ?	अगर हाँ, तो क्या इसका लाभ मिला है? 0-नहीं, 1-हाँ	अगर लाभस्वरूप पैसे मिलने हैं, तो कितने पैसे मिले हैं?	अगर लाभ किसी दूसरे रूप में मिला है, तो कैसे मिला है?	क्या आप योजना से संतुष्ट हैं? (अगर आपका परिवार इसके योग्य है तो हाँ-1, नहीं-0)
	आरटीई							
	उज्ज्वला							
	स्वच्छ भारत (शौचालय)							
	आयुष्मान भारत (हेल्थ कार्ड)							
	पीएम आवास योजना							
	पीएम किसान							
	जननी सुरक्षा योजना							

परिवार के अनुसार पीडीएस कार्ड प्रकार क्या है?

1-एपीएल, 2-बीपीएल, 3-अंत्योदय, 4-कोई पीडीएस कार्ड नहीं

कार्डधारी का लिंग -

1- पुरुष, 2-महिला, 3-अन्य

तालिका 20: पीडीएस उपयोग संबंधी विवरण

क्रम	मद का नाम	पिछले 30 दिनों (माह) में प्राप्त मात्रा	खर्च
1	चावल		
2	गेहूँ		
3	दाल		
4	चीनी		
5	तेल		
6	किरोसिन तेल		
7			



प्रवासन

- क्या गाँव के किसी सदस्य ने पिछले एक साल के भीतर काम करने के लिए गाँव छोड़ा हो? _____,
1-हाँ, 2-नहीं,
- अगर नहीं, तो अगले खंड में जाएँ

तालिका 21: प्रवासन संबंधी विवरण

परिवार रोस्टर आईडी	महीने जब प्रवासन हुआ हो (यह एक से अधिक हो सकता है।) महीने	कितने दिनों के कोई भी गाँव से बाहर गया ? # दिनों की संख्या	अप्रवासन के बाद किस कार्य से जुड़ा हुआ? व्यवसाय कोड	प्रवासन के दौरान कुल कमाई रूपर :	उसने परिवार को कितनी राशि भेजी ? रूपर :	बाहर जाने वाली जगह/राज्य का नाम ड्रॉप डाउन में राज्य नाम चुने

प्रवासन के बाद व्यवसाय संबंधी कोड

- दैनिक मजदूरी
- मासिक वेतन पर मजदूरी (फैक्ट्री/कुटीर उद्योग)
- छोटे व्यापारी (उदाहरण फल/सब्जी ठेला)
- सेवा प्रदान में नियोजित (घरेलू नौकर को छोड़कर – जैसे नाई, धोबी, वेटर, ब्यूटी पार्लर)
- सेवा प्रदाता उद्यमी (घरेलू नौकर को छोड़कर – जैसे नाई, धोबी)
- घरेलू नौकर/परिवार के नौकर
- वेतनभोगी कर्मचारी – बाहरी कार्य हेतु (जैसे सेल्स कार्यकारी, कमीशन एजेंट, सीएसओ, सेक्यूरिटी)
- वेतनभोगी कर्मचारी- सरकारी कार्यालयों में कार्यालयी कार्य
- वेतनभोगी कर्मचारी - निजी कार्यालयों में कार्यालयी कार्य



गैर-कृषि गतिविधियां

तालिका 22: गैर-कृषि गतिविधियां विवरण

	गैर-कृषि गतिविधि 1	गैर-कृषि गतिविधि 2	गैर-कृषि गतिविधि 3
गतिविधि का प्रकार			
पिछले 365 दिनों में परिवार के कितने सदस्य कब से इस कार्य में लगे हुए हैं ?			
कुल प्राप्तियाँ (₹ में)			
प्रचालन लागत (₹ में)			

मजदूरी, वेतन और पेंशन से कमाई

तालिका 23

परिवार रोस्टर आईडी	पिछले 365 दिनों में परिवार के कितने सदस्य कितने दिन से इस कार्य में लगे हुए हैं ?	गतिविधि का प्रकार	पिछले 365 दिन में कुल मजदूरी की कमाई (₹ में)

तालिका 24 : वेतन और पेंशन से आय

परिवार रोस्टर की आईडी	पिछले माह वेतन/पेंशन से आय (₹ में)



ऋण

तालिका 25: ऋण का विवरण

क्रम	ऋण स्रोत	पिछले एक वर्ष में लोन लिया (हाँ/नहीं)	एक साल में कितनी बार लोन लिया	गत वर्ष ऋण की अधिकतम राशि (रु.)	ऋण की वार्षिक दर (%)	ऋण लेने का कारण (स्वास्थ्य/ व्यापार/शिक्षा/ घर मरम्मत/ अन्य कोई तो बताए)	कोई बकाया लोन (हाँ/नहीं)	बकाया राशि (₹ में)
1	बैंक (प्राइवेट/ व्यवसायिक)							
2	बैंक (सरकारी व्यवसायिक)							
3	बैंक (क्षेत्रीय/ग्रामीण)							
4	बैंक (कॉपरेटिव)							
5	एमएफआई							
6	एसएचजी							
7	दोस्त एवं रिश्तेदार							
8	महाजन							



परिवार में निर्णय निधरण

(परिवार की महिला सदस्यों द्वारा जवाब दिया जाएगा)

तालिका 26

	निर्णय	कोड : अंतिम निर्णय लेने हेतु कोड 1= दीदी 2= दादा 3=संयुक्त (दीदी और दादा) 4=बड़ा बेटा 5=बड़ी बेटी 6=बहू 7=छोटी बेटी 8=छोटा बेटा 9=माँ/सास 10= पिता/ससुर 11=भाई/साला 12=अन्य कोई हो 99=लागू नहीं
1.	बच्चों की शिक्षा	
2.	आजीविका हेतु निवेश (फसल चयन आदि)	
3.	दैनिक घरेलू सामान खरीद	
4.	संपत्ति क्रय/विक्रय	
5.	ऋण लेना	
6.	एसएचजी लोन का उपयोग	
7.	(विवाहिता से ही पूछें) उत्तरदाता अपने मायके जाती है?	
8.	(विवाहिता से ही पूछें) परिवार का आकार	

रिपोर्ट कार्ड/ पूर्वानुमान रेटिंग

- क्या आप आदिवासी समुदायों के जीवन और आजीविका के विकास के लिए सरकार के प्रयासों से संतुष्ट हैं?
1- हाँ, 0- नहीं
- क्या आप आदिवासी समुदायों के जीवन और आजीविका के विकास के लिए गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट हैं?
1- हाँ, 0- नहीं
- निम्नलिखित पैमाने पर, आपको क्या लगता है कि पिछले वर्ष के दौरान आपके जीवन में कितना सुधार हुआ है?
1- बहुत अच्छा सुधार, 2- कुछ हद तक सुधार, 3- कोई सुधार नहीं, 4- कुछ हद तक खराब, 5- बहुत ज्यादा खराब



एल 2 गाँव सूचना पत्रक

(इस परिशिष्ट में शैक्षिक संख्याएं, अंतिम परिशिष्ट में शैक्षिक संख्याओं के क्रम में नहीं हैं, और 1 से शुरू होती हैं)

सैंपलिंग रणनीति: प्रत्येक चयनित गांव/टोले में क्षेत्र अन्वेषक को गांव के पांच या छह प्रमुख सूचना प्रदाता/निवासियों के साथ बैठना होगा और गांव सूचना पत्रक भरना होगा। इसे घरेलू सर्वेक्षण के समानांतर किया जाना है।

विधि: गांव के पांच या छह निवासियों के साथ संयुक्त चर्चा के माध्यम से भरी जाने वाली एक अंतिम ग्राम स्तरीय प्रश्नावली

तालिका 1: गाँव/आदिवासी मुहल्ले की जनसांख्यिकी

1. गाँव:	2. ब्लॉक:	3. जिला:	4. राज्य:
5. गाँव में कस्बों की संख्या:		6. आदिवासी कस्बों की संख्या:	
7. आदिवासी गाँव/कस्बों में परिवारों की संख्या:			



तालिका 2: प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच

क्या गाँव में या उसके आस पास कोई सार्वजनिक जल निकाय (नदी/तालाब/जलाशय) है? हाँ/नहीं		यदि हाँ, तो नजदीकी जल निकाय की गाँव सीमा से दूरी : _____ किमी					
इस जल निकाय किसके क्षेत्राधिकार में है? पंचायत/सिंचाई विभाग/वन विभाग/अन्य (बताएं)		क्या गाँव/मुहल्ले के लोग इसका उपयोग करते हैं? हाँ/नहीं					
यदि हाँ, तो इसका उद्देश्य क्या है ?		यह जलाशय कितने दिनों से है ?					
क्या वर्तमान में जल निकाय के आकार/गहराई में कोई परिवर्तन हुआ है ? हाँ/नहीं		यदि हाँ, तो क्या ?					
जल निकायों की संख्या		क्या गाँव वालों द्वारा जलनिकायों के उपयोग में कोई परिवर्तन हुआ है? हाँ/नहीं					
यदि हाँ, तो क्या ?		वर्तमान में जल निकायों का प्रबंधन कौन करता है?					
गाँव/मुहल्ले में पीने के पानी के स्रोत	स्रोत	निजी नल	सार्वजनिक हैंडपंप	पब्लिक स्टैंडपोस्ट	पब्लिक डगवेल	पब्लिक सेनीटरी वेल	निजी हैंडपंप
	संख्या						
पिछले पाँच वर्षों के दौरान पीने के पानी के स्रोत पर निर्भरता में परिवर्तन:	स्रोत	निजी नल	सार्वजनिक हैंडपंप	पब्लिक स्टैंडपोस्ट	पब्लिक डगवेल	पब्लिक सेनीटरी वेल	निजी हैंडपंप
	बढ़ी/ घटी/ अपरिवर्तित						
क्या आसपास कोई खदान है? (हाँ/नहीं)	क्या जल निकाय खदान के कारण दूषित हो रही है? (हाँ/नहीं)						
क्या आसपास कोई खदान है ? (हाँ/नहीं)			क्या जल निकाय खदान के कारण दूषित हो रही है? (हाँ/नहीं)				
कितने परिवारों के पास शौचालय है? _____			क्या हाल के वर्षों में गाँव में टॉयलेट के चलन में कोई परिवर्तन हुआ है ? बढ़ा है/घटा है/ कोई बदलाव नहीं				
क्या गाँव में जल निकासी की कोई व्यवस्था है?? हाँ/नहीं			यदि हाँ, तो किस प्रकार की व्यवस्था है? खुला/बंद/ लागू नहीं				
क्या नजदीक में कोई वन है? हाँ/नहीं			यदि हाँ, तो कितनी दूर ? _____ किमी				
क्या गाँव/मुहल्ले के लोग निम्न के लिए जंगल पर निर्भर हैं? हाँ/नहीं			क्या पिछले दशक में निम्न की उपलब्धता में कोई परिवर्तन हुआ है? उपलब्धता बढ़ी है/घटी है/ अपरिवर्तित				
जलावन			जलावन				
चारा			चारा				
इमारती लकड़ी			इमारती लकड़ी				
खाद्य मद			खाद्य मद				
दवाई			दवाई				



आईएफ़आर हेतु आवेदित परिवारों की संख्या ? _____/लागू नहीं	आईएफ़आर प्राप्त परिवारों की संख्या ? _____/लागू नहीं					
क्या गाँव द्वारा सीएफ़आर के लिए आवेदन किया गया है? हाँ/नहीं/लागू नहीं	क्या गाँव में किसीको सीएफ़आर मिला है? हाँ/नहीं/लागू नहीं.					
कुल परिवारों में किस अनुपात में भूमिहीन परिवार हैं ?						
गाँव/मुहल्ले में लगभग कितने घरों में निजी सिंचाई पम्पसेट की सुविधा है?						
गाँव/मुहल्ले में लगभग कितने परिवार गरमी और रबी के फसल की कृषि में लगे हुए हैं?	मौसम	जाड़ा(रबी)		गर्मी		दोनों
	संख्या					
गाँव/मुहल्ले में लगभग कितने परिवार पशुपालन संबंधी व्यवसाय में लगे हुए हैं?	डेयरी	पोल्ट्री	बकरी	भेड़	मछली	सुअर
क्या पिछले 12 महीनों में पशु हमले (जैसे हाथी/बंदर/जंगली सुअर) के कारण फसल नुकसान हुआ है? हाँ/नहीं	यदि हाँ, तो क्या ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है? हाँ/नहीं					
क्या आपके गाँव में कौट्रेक्ट फ़ार्मिंग की शुरुआत हुई है?						
क्या गाँव के लोग खरीफ की खेती के बाद पशुओं को खुले में चरने के लिए छोड़ देते हैं?? हाँ/नहीं	यदि हाँ, तो इस तरह का व्यवहार रबी अथवा गरमा फसल के बाद भी किया जाता है? हाँ/नहीं			यदि हाँ, तो गाँव/मुहल्ले द्वारा मुक्त चारगाह के खिलाफ (पशुबंदी) की सामूहिक रूप से कोई कारवाई की गई है? हाँ/नहीं		

तालिका 3: सरकारी विकास संस्थाओं/सेवाओं तक पहुँच

क्या आपके गाँव/मुहल्ले में प्राथमिक विद्यालय है? हाँ/नहीं	अगर नहीं, तो नजदीकी प्राथमिक विद्यालय की दूरी ? ____ किमी	क्या आपके गाँव में माध्यमिक विद्यालय है? हाँ/नहीं	अगर नहीं, तो नजदीकी माध्यमिक विद्यालय की दूरी ? ____ किमी
क्या आपके गाँव में उच्च माध्यमिक विद्यालय है? हाँ/नहीं	अगर नहीं, तो नजदीकी उच्च माध्यमिक विद्यालय की दूरी ? ____ किमी	क्या आपके गाँव में महाविद्यालय है? हाँ/नहीं	अगर नहीं, तो नजदीकी महाविद्यालय की दूरी ? ____ किमी
परिवारों का % जिसके एक सदस्य मैट्रिक पास हों :	परिवारों का % जिसके एक सदस्य 12वीं पास हो :	परिवारों का % जिसके एक सदस्य कॉलेज ड्रॉपआउट हो:	परिवारों का % जिसके एक सदस्य ग्रेजुएट हो :
गाँव/मुहल्ले में आईसीडीएस/आंगनवाड़ी केंद्र की उपलब्धता : हाँ/नहीं			
आईसीडीएस/आंगनवाड़ी केंद्र में मासिक टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है ? (हाँ/नहीं)			



क्या गाँव/मुहल्ले में कोई आशा दीदी है? हाँ/नहीं	क्या आशा दीदी के पास आवश्यक मेडिसिन किट की उपलब्धता है ? हाँ/नहीं	अगर हाँ, तो इस गाँव/मुहल्ले के किसी को इस सुविधा का लाभ मिला है ? हाँ/नहीं	
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से दूरी? ___ किमी	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से दूरी? ___ किमी	गाँव के नजदीकी फार्मसी दुकान की दूरी: ___ किमी/ गाँव के अंदर	क्या गाँव/मुहल्ले के परिवार किसी एनजीओ (संस्था) से जुड़े हुए हैं? हाँ/नहीं
गाँव /मुहल्ले में जन वितरण की दुकान : हाँ/नहीं			
गाँव में टीएचडी कार्यक्रम चालू है : हाँ/नहीं			
गाँव में मिड-डे-मील कार्यक्रम चालू है ? हाँ/नहीं			

तालिका 4: संचार तक पहुँच

गाँव से ब्लॉक मुख्यालय की दूरी कितनी है ? ___ किमी	क्या गाँव में पक्की सड़क है, जो ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ी हुई हो? हाँ/ना	सड़क की स्थिति को आप कितनी रेटिंग देंगे ? बहुत अच्छा/अच्छा/ संतोषप्रद/खराब/ बहुत खराब (साक्षात्कार देने वाले द्वारा भरा जाएगा)	क्या ब्लॉक मुख्यालय के लिए सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता है?
क्या गाँव के सभी भागों को जोड़ने के लिए पक्की सड़क उपलब्ध है? हाँ/नहीं	अंतर गाँव सड़क की स्थिति को आप कितनी रेटिंग देंगे? बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतोषप्रद/खराब/ बहुत खराब (साक्षात्कार देने वाले द्वारा भरा जाएगा)		
क्या सभी आदिवासी बस्तियों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है? (हाँ/ना)	क्या गाँव के सभी घरों तक मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी है? (हाँ/ना)		



एल 3 गाँव/मुहल्ला स्तर पर केन्द्रित समूह परिचर्चा (एफ़जीडी) के लिए अनुसूची

सैंपलिंग रणनीति:

इस अध्ययन के लिए कुल मिलाकर 56 ब्लॉक के नमूने लिए गए हैं। इसका विवरण निम्न है:

राज्य	आदिवासी ब्लॉक की संख्या	पीवीटीजी ब्लॉक की संख्या	कुल
मध्यप्रदेश	24	3	26 (1 पीवीटीजी ब्लॉक आदिवासी ब्लॉक के साथ संयुक्त रूप से है।)
छत्तीसगढ़	27	3	3
कुल	51	6	6

आदिवासी गाँव में एफ़जीडी:

परीक्षणकर्ता द्वारा चयनित 45 ब्लॉक में से प्रत्येक ब्लॉक में एक आदिवासी गाँव का चयन किया जाएगा। इन 45 ब्लॉक में से 15-15 ब्लॉक को महिलाओं के लिए, युवाओं (सभी लिंग के 18 से 35 वर्ष तक) और मिश्रित समूह के लिए चुना गया है। ब्लॉक के नाम एफ़जीडी प्रकार (मिश्रित, युवा और महिला) के अनुरूप हैं।

पीवीटीजी गाँव में एफ़जीडी:

एफ़जीडी के लिए तीन चयनित पीवीटीजी ब्लॉक से एक एक पीवीटीजी गाँव को भी चुना जाना है। इसका विवरण निम्न है:

गैर-आदिवासी गाँव में एफ़जीडी:

एफ़जीडी गैर-आदिवासी के साथ छह गैर-आदिवासी गाँव में किया जाना है।

एफ़जीडी प्रकार में परिवर्तन:

परीक्षणकर्ता अगर एफ़जीडी समूह में बदलाव करना चाहें, तो वे केंद्रीय टीम को पहले सूचित कर उसमें बदलाव कर सकते हैं।

एफ़जीडी का समूह आकार:

समूह आकार कम से कम 12 जुर अधिकतम 20 लोगों का समूह हो सकता है।

सामान्य प्रश्न सेट:

1. गाँव
2. ब्लॉक
3. जिला
4. राज्य
5. गाँव में बस्तियों की संख्या
6. आदिवासी बस्तियों की संख्या
7. आदिवासी बस्तियों/गाँव में परिवारों की संख्या:



गांव में महिला निवासियों के साथ एफजीडी के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों का सेट:

1. क्या आपको विभिन्न मौसमों में पीने और अन्य घरेलू उपयोग के लिए पानी के संबंध में किसी समस्या का सामना करना पड़ता है? कृपया विस्तार से बताएं।
2. आईसीडीएस, आंगनवाड़ी, एमडीएम और टीएचआर जैसे सरकारी कार्यक्रम गांव में कैसे काम कर रहे हैं?
3. वन आपके जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? क्या जंगल घनत्व, प्रजाति, पहुंच, सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं की स्थिति बदल रही है? परिवर्तन अच्छा है या बुरा? इस परिवर्तन के लिए कौन/क्या जिम्मेदार है? प्रमुख एमएफपी क्या हैं?
4. क्या आप लोग इसका उपयोग करते हैं? कृपया हार्नेस की मात्रा के संदर्भ में पांच प्रमुख एमएफपी को प्राथमिकता दें। एमएफपी का दोहन करते समय आपके लिए सबसे कष्टदायक काम क्या है ?
5. जंगल, कृषि, मजदूरी आदि पर निर्भरता के संदर्भ में लोगों की आजीविका कैसे बदल रही है? प्रवासन का कारण क्या है? इन परिवर्तनों से महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है?
6. बाजार में महिलाओं की भागीदारी कैसे बदल रही है?
7. क्या महिलाएँ ग्राम सभा में भाग लेती हैं? क्या महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा होती है? ग्राम सभा में निर्णय कौन लेता है? आपके क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों के मानदंड क्या हैं?
8. प्रवासियों के घरों में महिलाओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जब महिलाएं प्रवासन करती हैं और जब वे वापस घर पर रुकती हैं?
9. प्रवासन ने कृषि में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने को कैसे प्रभावित किया है?
10. गैर-आदिवासी समाज की तुलना में आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है? आप उनसे किस तरह की प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हैं?
11. अच्छे जीवन के बारे में आपका क्या विचार है?

गांव में मिश्रित समूह के साथ एफजीडी के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों का सेट:

1. क्या आप वन अधिकार संबंधी प्रावधानों के बारे में जानते हैं? क्या आपका गाँव और ग्रामीण इसके योग्य हैं? सीएफआर और आईएफआर दोनों, वन अधिकारों तक पहुंच से संबंधित आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यदि आपने इसका उपयोग किया है, तो इसके लाभ और चुनौतियाँ क्या रहीं?
2. क्या आप पेसा के बारे में जानते हैं? क्या आपको लगता है कि पेसा को अक्षरशः क्रियान्वित किया जा रहा है? -छत्तीसगढ़ के संबंध में इसे बाहर करना बेहतर होगा क्योंकि इसके कारण राज्य में हाल की कई घटनाएं हुई हैं।
3. जंगल, कृषि, मजदूरी और प्रवासन पर निर्भरता के संदर्भ में लोगों की आजीविका कैसे बदल रही है? कारण क्या है? प्रभाव क्या है?
4. क्या आपको लगता है कि आदिवासी समाज और उसकी संस्कृति बाकियों से अलग है? वे कौन सी आदिवासी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाएँ हैं जिनका आप पालन करते हैं? क्या ऐसी कोई गैर-आदिवासी प्रथाएँ हैं जो आपको लगता है कि आदिवासी संस्कृति में समाहित करने लायक हैं? क्या आदिवासी संस्कृति/जीवनशैली में कोई ऐसा क्षेत्र है जिसे आप सोचते हैं कि बदला जाना चाहिए?
5. गैर-आदिवासी समाज की तुलना में आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है?
6. अच्छे जीवन के बारे में आपका क्या विचार है?

गांव में युवा निवासियों (20-35 वर्ष) के साथ एफजीडी के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों का सेट:

1. क्या आपको लगता है कि आदिवासी समाज और संस्कृति बाकियों से अलग है? वे कौन सी आदिवासी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाएँ हैं जिनका आप पालन करते हैं? क्या ऐसी कोई गैर-आदिवासी प्रथाएँ हैं जो आपको लगता है कि आदिवासी संस्कृति में समाहित करने लायक हैं? क्या आदिवासी संस्कृति/जीवनशैली में कोई ऐसा क्षेत्र है जिसे आप सोचते हैं कि बदला जाना चाहिए?
2. इस गांव के युवा कुल मिलाकर क्या कर रहे हैं (जैसे पढ़ाई, गांव में काम करना, बाहर काम करना आदि)? वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?
3. अच्छे जीवन के बारे में आपका क्या विचार है? अगर मौका मिले तो आप जीवन में क्या करना चाहते हैं?
4. अपने जीवन की पाँच प्रमुख प्राथमिकताओं को क्रमबद्ध करें? आपके पंचायत, ब्लॉक और राज्य के लिए सरकार की पांच प्रमुख प्राथमिकताएँ क्या होनी चाहिए?
5. गैर-आदिवासी समाज की तुलना में आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है?
6. महिलाओं में बदलाव देखकर गांव के पुरुषों की क्या प्रतिक्रिया है?



एल 4 प्रख्यात आदिवासी नेताओं के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार

सैंपलिंग रणनीति:

हम उन आदिवासी नेताओं का साक्षात्कार लेना चाहते हैं जो आदिवासी समुदायों के बारे में चिंतित हैं और आदिवासी जीवन और आजीविका के बारे में अपना वैचारिक दृष्टिकोण रखते हैं। प्रदान और साझेदार एजेंसियां, जो डेटा संग्रह का कार्य करेंगी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में से लगभग 40-45 की सूची की पहचान करेंगी। नमूना लिंग, आयु, जनजाति, पेशे, क्षेत्र के संदर्भ में विविध होना चाहिए। ये आदिवासी नेता प्रमुख सूचना प्रदाता के रूप में कार्य करेंगे जिनके साथ क्षेत्र जांचकर्ताओं/अध्ययन दल के एक चयनित समूह द्वारा अर्ध-संरचित साक्षात्कार लिए जाएंगे।

विधि:

1) उद्देश्यों का परिचय और साझा करना, 2) साक्षात्कार रिकॉर्ड करने की अनुमति लेना, 3) कॉपीबुक/प्रिंट आउट से एक-एक करके प्रश्न पूछना

सामग्री:

प्रश्नावली, रिकॉर्डिंग उपकरण

अर्ध-संरचित साक्षात्कार प्रश्न:

1. क्या आपको लगता है कि आदिवासी समाज और संस्कृति बाकियों से अलग है? यदि हां, तो आप क्या सोचते हैं कि ये समाज किस प्रकार भिन्न हैं?
2. वे कौन सी आदिवासी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाएँ हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं?
3. क्या ऐसी कोई गैर-आदिवासी प्रथाएँ हैं जो आपको लगता है कि आदिवासी संस्कृति में समाहित करने लायक हैं?
4. एमपी/छत्तीसगढ़ में अंतर-आदिवासी रिश्ते (आदिवासी-पीवीटीजी या आदिवासी-आदिवासी) कैसे विकसित हुए हैं?
5. क्या विभिन्न आदिवासी समाजों में पारंपरिक रूप से प्रचलित मूल्य, संस्कृतियाँ और प्रथाएँ बदल रही हैं? यदि हां तो कैसे? वे कौन से कारक हैं जिनके परिणामस्वरूप ऐसा परिवर्तन हो रहा है?
6. आदिवासी समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाएँ कैसे बदल रही हैं?
7. आप मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ में विभिन्न आदिवासी समुदायों में महिलाओं की स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या आप लैंगिक संबंधों में कोई बदलाव देखते हैं? यदि हां, तो क्यों और कैसे?
8. क्या आप आदिवासी लोगों के खुद को जंगल से जोड़ने के तरीके में कोई बदलाव देखते हैं? क्या जंगल तक पहुंच और नियंत्रण में कोई बदलाव आया है? क्या एफआरए से कोई बदलाव हुआ है?
9. भूमि जोत कैसे बदल रही है? इस परिवर्तन के कारक क्या हैं? भूमि पर महिलाओं के स्वामित्व के बारे में क्या राय है?
10. समय के साथ पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ कैसे बदली/विकसित हुई हैं?
11. आदिवासी समाज में किस हद तक पारंपरिक प्रणालियों द्वारा भुखमरी या मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले गंभीर अभावों से बचने के लिए कोई अंतर्निहित घटक मौजूद था? क्या आप ऐसी प्रणालियों के विशिष्ट उदाहरण दे सकते हैं? क्या वे बदल रहे हैं?
12. आदिवासी समाज के भीतर बाजार (एक ऐसे क्षेत्र के रूप में जहां वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के बदले में मौद्रिक लेनदेन होता है) के साथ संबंध कैसे विकसित/बदल गया है?
13. क्या आजीविका गतिविधियों एवं प्रथाओं में कोई बदलाव आया है? उस परिवर्तन में योगदान देने वाले संभावित कारक क्या हैं?
14. शिक्षा की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या विभिन्न आदिवासी समुदायों में कोई अंतर है? क्या कोई बदलाव आया है? उस परिवर्तन में योगदान देने वाले संभावित कारक क्या हैं?
15. विभिन्न एजेंसियां (सरकारी सीएसओ, बैंक, आदि) क्या भूमिकाएँ निभा रहे हैं? क्या काम अच्छा हो रहा है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है?
16. आपके अनुसार, सामाजिक बेहतरी को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है?



Prepared by
Professional Assistance for
Development Action (PRADAN)

